

का व्या लो क

द्वितीय उद्योत

[अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना और ध्वनि]

रचयिता

पं० रामदहिन मिश्र

काव्यालोक

द्वितीय उद्योत

अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना और ध्वनि

भाषार्य श्री विनयचन्द्र शान मण्डार, बयपुर
अनेक हिन्दी-संस्कृत-ग्रन्थों के प्रणेता

पण्डित रामदहिन मिश्र

‘अध्ययन का मत लेकर भी जिसने अर्थ को न जाना, या जानने का सच्चाई साथ कभी प्रयत्न नहीं किया या प्रयत्न करता हुआ भी अपने संकल्प को विजयी नहीं बना सका, उस अधीती के लिये शोक है।’

विषय-सूची

किरण	विषय	पृष्ठ	किरण	विषय	पृष्ठ
(क)	सहायक ग्रन्थों की सूची	७	४	रुढ़ि और प्रयोजनवती	
(ख)	कवि-लेखक-नामवाली	९		लक्षणा	६५
(ग)	भूमिका	१३	५	गौणी और शुद्धा	६८
(घ)	वक्तव्य	४९	६	उपादान लक्षणा और लक्षणा-	
(ङ)	ध्वनि-व्यङ्ग्य-प्रशस्ति:	५६		लक्षणा का विचार	७१
(च)	आमुख	५७	७	उपादान लक्षणा और लक्षणा-	
	अभिधा			लक्षणा	७२
१	शब्द और उसके भेद	१	८	सारोपा और साध्यवसाना	७५
२	पद और वाक्य	३	९	गूढव्यंग्या और अगूढव्यंग्या	८०
३	योग्यता ७; आकांक्षा ८ और		१०	धर्मधर्मिभेद और प्रयोजन	८४
	आसक्ति ९	७-९	११	धर्मिधर्मगता लक्षणा	८५
४	शब्द और अर्थ	११	१२	लक्षणा के भेदों का उपयोग	८६
५	शब्द और अर्थ का सम्बन्ध—		१३	लक्षणा के विशेष भेद	८८
	शक्ति	१४	१४	लक्षणा के वाक्यगत मिश्रित	
६	शब्द और अर्थ के सम्बन्ध			उदाहरण	९२
	में नवीन दृष्टिकोण	१९	१५	रुढ़ि लक्षणा के सोदाहरण	
७	साधारण अर्थ और विम्ब-			विशेष भेद	१००
	ग्रहण	२३	१६	प्रयोजनवती, धर्मगता	
८	वाचक शब्द	२८		लक्षणा के सोदाहरण	
९	वाचक शब्द के भेद	३१		विशेष भेद	१०३
१०	अभिधा वा अभिधा शक्ति	३५	१७	प्रयोजनवती धर्मिगता	
११	अभिधा की सार्वभौमिकता	३८		लक्षणा के सोदाहरण	
१२	शक्त शब्दों का सुप्रयोग	४०		विशेष भेद	१०३
१३	अभिधेय अर्थ का व्याघात	४४	१८	लक्षणा का भिन्न रूप से	
१४	शब्द और अर्थ का दुरु-			विचार	११८
	पयोग	४९	१९	लक्षणा-वैचित्र्य	१२१
१५	अभिधा-वैचित्र्य	५१		व्यञ्जना	
	लक्षणा		१	व्यञ्जक शब्द और व्यञ्जना	
१	लक्षणा शक्ति	५९		शक्ति	१३०
२	सम्बन्ध-विचार	६१	२	व्यञ्जना के भेद	१३३
३	लक्षणा के सामान्य भेद	६३	३	शान्दी व्यञ्जना	१३५-१५५

किरण	विषय	पृष्ठ	किरण	विषय	पृष्ठ
	संयोग १३६ वियोग १३६-४३			वाच्यसंभवा, लक्ष्य-	
	साहचर्य १३७ विरोध,			संभवा, १६१ व्यंग्य-	
	अर्थ १३८ प्रकरण, लिंग			संभवा १६२	
	१३९ अन्वसन्निधि,		(क)	देशवैशिष्ट्योत्पन्न १६३-१६४	
	सामर्थ्य और औचित्य १४०			वाच्यसंभवा १६३	
	देश, काल १४१ व्यक्ति,			लक्ष्यसंभवा, व्यंग्य-	
	स्वर १४२ अभिनय १४३			संभवा १६६	
४	आर्था व्यञ्जना १४६-१७०		(ख)	कालवैशिष्ट्योत्पन्न १६५-१६६	
(क)	वक्तृवैशिष्ट्योत्पन्न १४६-१४९			वाच्यसंभवा १६५	
	वाच्यसंभवा १४६			लक्ष्यसंभवा, व्यंग्य-	
	लक्ष्यसंभवा १४८			संभवा १६३	
	व्यंग्यसंभवा १४९		(ग)	काकुवैशिष्ट्योत्पन्न १६७-१६८	
(ख)	बोधव्यवैशिष्ट्योत्पन्न १५०-१५२			वाच्यसंभवा, लक्ष्य-	
	वाच्यसंभवा, १५०			संभवा १६७ व्यंग्य-	
	लक्ष्यसंभवा, व्यंग्य			संभवा १६८	
	संभवा १५२		(घ)	चेष्टावैशिष्ट्योत्पन्न १६९-१७०	
(ग)	वाक्यवैशिष्ट्योत्पन्न १५३-१५५			वाच्यसंभवा, १६९	
	वाच्यसंभवा, १५३			लक्ष्यसंभवा, व्यंग्य-	
	लक्ष्यसंभवा, व्यंग्य-			संभवा १७०	
	संभवा १५५		५	अनेकवैशिष्ट्योत्पन्न व्यंग्य १७१	
(घ)	अन्यसंनिधिवैशि-		६	शब्दी और आर्था व्यञ्जना	
	ष्ट्योत्पन्न १५६-१५७			का क्षेत्र-विभाग १६३	
	वाच्य-संभवा १५६ लक्ष्य-		७	व्यंग्यार्थ में काव्यत्व है या	
	संभवा, व्यंग्य-			वाच्यार्थ में ? १७४	
	संभवा १५७		८	पाश्चात्य काव्यव्यञ्जना १८१	
(ङ)	वाच्यवैशिष्ट्योत्पन्न १५८-१६०		९	(क) व्यञ्जनावैचिह्न्य १८७	
	वाच्यसंभवा १५८		१०	(ख) व्यञ्जनावैचिह्न्य	
	लक्ष्यसंभवा १५९			ध्वनि १९३	
	व्यंग्यसंभवा १६०			ध्वनिपरिचय १९६	
(च)	प्रस्ताववैशिष्ट्योत्पन्न १६१-१६२			ध्वनि शब्द का उद्गम १९८	

किरण	विषय	पृष्ठ	किरण	विषय	पृष्ठ
३	ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ	२००	२०	भावाभास आदि	२७२
४	ध्वनि की स्थापना	२०१	२१	असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद	२७६
५	ध्वनि के कुछ उदाहरण	२०४	२२	रचनागत और वर्णगत असंलक्ष्यक्रमध्वनिकाविचार	२७६
६	वाच्य और प्रतीयमान अर्थ	२०८	२३	रचनागत और वर्णगत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि	२८०
७	ध्वनि के तीन रूप	२११	२४	प्रबन्धगत का विचार	२८२
८	असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के व्यञ्जक	२१४	२५	प्रबन्धगत असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य	२८५
९	ध्वनिभेदार्यविचार	२१८	२६	संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि (शब्दशक्त्युद्भव अनुरणन ध्वनि)	२८७
१०	ध्वनि के ५१ भेद	२१९	२७	अर्थशक्त्युद्भव अनुरणन ध्वनि (स्तःसंभवी) पद-वाक्य-प्रबन्धगत वस्तु-अलंकार ध्वनि	२९२
११	लक्ष्यामूलक (अविवक्षित वाच्य) ध्वनि	२२४	२८	अर्थशक्त्युद्भव अनुरणन ध्वनि (कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध) पद-वाक्य-प्रबन्धगत वस्तु-अलंकार ध्वनि	३०१
१२	अभिधामूलक (विवक्षितान्यपरवाच्य) ध्वनि	२३०	२९	अर्थशक्त्युद्भव अनुरणन ध्वनि (कविनिबद्धपात्र-प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध) पद-वाक्य-प्रबन्धगत वस्तु-अलंकार ध्वनि	३१०
१३	रस व्यंग्य ही होता है	२३३	३०	शब्दार्थोभयशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम व्यंग्य	३२०
१४	भावलमूक रस विभाव अनुभाव	२४०-२४३	३१	ध्वनियों का संकर और संसृष्टि (१) संशयास्पद संकर	३२४ (२) अनुप्रासा-
१५	संचारी भाव	२४४			
१६	स्थायी भाव	२४८			
१७	नव रस (१) शृङ्गाररस २५१ २५१-६२ (२) हास्य रस २५५ (३) कदण रस २५६ (४) रौद्र रस २५७ (५) वीर रस २५८ (६) भयानक रस (७) बीभत्स रस २६० (८) अद्भुत रस २६१ (९) शान्त रस २६२				
१८	रसाभास (नव रस का)	२६३			
१९	भाव	२६८			

किरण	विषय	पृष्ठ	किरण	विषय	पृष्ठ
	नुमाहक संकर ३२५ (३)			(८) असुन्दर	
	एकव्यञ्जकानुप्रवेश संकर			व्यंग्य ३४८	
	३२७ संकर और संसृष्टि		३३	ध्वनिभेदों की संख्या	३५०
	का सम्मेलन ३२६		३४	ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य	
३२	गुणीभूत व्यंग्य १) ३३०-३४८			का विवेक	३५२
	अगूल व्यंग्य ३३१ (२)		३५	वाच्य, लक्ष्य और अनुमेय ३५६-६२	
	अपरांग व्यंग्य ३४३			से व्यंग्य की भिन्नता—	
	(४) अस्फुट व्यंग्य ३४४			१ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ नहीं,	
	(५) संदिग्ध-प्राधान्य			३५६ व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्थ नहीं	
	व्यंग्य ३४५ (५) तुल्य-			३५८ व्यंग्यार्थ अनुमेय	
	प्राधान्य व्यंग्य (७)			नहीं ३६०	
	काष्ठाक्षित व्यंग्य ३४६		१	परिशिष्ट	३६३

सहायक ग्रन्थों की सूची

संस्कृत

- १ अग्निपुराण—श्री वेदव्यास
- २ अभिधावृत्तिमातृका—मुकुल भट्ट
- ३ अमरकोष—अमर सिंह
- ४ अंप्रेजी और संस्कृत डिक्शनरी—आप्टे
- ५ एकावली—विद्याधर
- ६ श्रीचित्यविचारचर्चा—क्षेमेन्द्र
- ७ काव्यप्रकाश—(प्रदीप और उद्योत) मम्मट भट्ट
- ८ काव्यप्रदीप—गोविन्द
- ९ काव्यमीमांसा—राजशेखर
- १० काव्यानुशासन—हेमचन्द्र
- ११ काव्यालंकार—भामह
- १२ काव्यालंकारसारसंग्रह—उद्भट
- १३ काव्यालंकारसूत्र—वामन
- १४ काव्यालंकार—रुद्रट
- १५ काव्यादर्श—दण्डी
- १६ कुवलयानन्द—अप्यय दीक्षित
- १७ गीता—श्रीवेदव्यास
- १८ चन्द्रालोक—जयदेव
- १९ त्रिवेणिका—आशाधर भट्ट
- २० ध्वन्यालोक (लोचन और दीधिति)—ध्वनिकार और आनन्दवर्द्धन
- २१ नाट्यशास्त्र—श्री भरतमुनि
- २२ निरुक्त—महर्षि यास्क
- २३ न्यायभाष्य—वात्स्यायन
- २४ न्यायमाला—माधवाचार्य
- २५ महाभाष्य—पतञ्जलि
- २६ मुक्तावली—विश्वनाथ तर्कपञ्चानन
- २७ मंजूषा—नागेश भट्ट
- २८ रसगंगाधर—जगन्नाथ
- २९ रसतरंगिणी—भानु मिश्र
- ३० वाक्य पदीय—भर्तृहरि
- ३१ पञ्चोक्तिजीवित—कुन्तल

- ३२ वृत्तिधार्तिक—अप्पय दीक्षित
 ३३ व्यक्तिविवेक—महिम भट्ट
 ३४ वेदान्तपरिभाषा—धर्मराजाध्वरीन्द्र
 ३५ शब्दव्यापार विचार—मम्मट भट्ट
 ३६ शृङ्गार प्रकाश (अपूर्ण)—भोजराज
 ३७ शृङ्गारतिलक—रुद्रभट्ट
 ३८ श्रीकण्ठचरित—मंखक
 ३९ सरस्वतीकरठाभरण—भोजराज
 ४० साहित्यदर्पण (रुचिरा और विवृत)—विश्वनाथ
 ४१ सिद्धान्तकौमुदी—भट्टोजि दीक्षित
 ४२ सिद्धहेम व्याकरण—हेमचन्द्र

हिन्दी

- १ आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास—कृष्णशंकर शुक्ल
 २ आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास—डाक्टर कृष्णलाल
 ३ इंदौर का भाषण—रामचन्द्र शुक्ल
 ४ काव्यकल्पद्रुम (दो भाग)—सेठ कन्हैया लाल पोद्दार
 ५ काव्यनिर्णय—भिखारी दास
 ६ काव्य में रहस्यवाद—रामचन्द्र शुक्ल
 ७ काव्य में अभिव्यञ्जनायाद—सुधांशु
 ८ गोस्वामी तुलसीदास—रामचन्द्र शुक्ल
 ९ चिन्तामणि—रामचन्द्र शुक्ल
 १० जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त—सुधांशु
 ११ प्राचीन और नवीन काव्याधार—सूर्यवली सिंह
 १२ प्रसादजी की कला—गुलाबराव
 १३ भ्रमरगीत सागर—रामचन्द्र शुक्ल
 १४ बाह्य-विमर्श—विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
 १५ विहारी की सतसई—पद्मसिंह शर्मा
 १६ व्यंग्यार्थमञ्जूषा—लाला भगवान दीन
 १७ साहित्यदर्पण (विमला)—शालग्राम शास्त्री
 १८ साहित्यसिद्धान्त—सीताराम शास्त्री
 १९ संस्कृतसाहित्य का संक्षिप्त इतिहास—जोशी और भारद्वाज
 २० साकेत—एक अध्ययन—नगेन्द्र

- २१ साहित्यालोचन—श्यामसुन्दर दास
 २२ साहित्यमीमांसा—सूर्यकान्त शास्त्री
 २३ हिन्दीसाहित्य का इतिहास—रामचन्द्र शुक्ल
 २४ हिन्दीरसगङ्गाधर—गुरुचोत्तम शर्मा चतुर्वेदी, साहित्याचार्य
 २५ हिन्दीसाहित्य : त्रीसर्वा सदो—नन्ददुलारे वाजपेयी, एम० ए०
 नोट—जिन कवियों या लेखकों के काव्यों या ग्रन्थों से उदाहरण
 के लिये गये हैं उनके नाम पृथक् रूप से निर्दिष्ट कर दिये गये हैं ।

बंगला—काव्यविचार—सुरेन्द्र दास गुप्त, एम० ए० । काव्यजिज्ञासा—
 अतुलचन्द्र गुप्त । साहित्य—कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टाकुर ।

अंग्रेजी—Principles of literary criticism - Abercrombie

“ ” “ —Rechard

A defence of poetry---Shelley

हिन्दी मासिक—नागरीप्रचारिणी पत्रिका । विशाल भारत । विश्वभारती
 पत्रिका । सरस्वती । साहित्यमन्देश । माधुरी ।

बंगला मासिक—भारतवर्ष । प्रवासी । वसुमती । वद्व श्री ।

कवियों और लेखकों की नामावली

अधिकेश.....७१

अनुवाद.....२५, २६, ३८, ६७, १२७, १३५, १४३, १७१, १७२
 १६२, २०६, २२५, २२६, २६५, ३४२ ।

अन्नपूर्णानन्द.....७

अज्ञात.....४७

आरसी.....१५८, ३०१, ३४२, ३४४

इलाचन्द्र जोशी ...२५७, २६७, ३१३

फेमरी.....६८, १०४, १२५

केशव.....१६१, २६४, ३०१, ३४०

केशव प्रसाद मिश्र (हिन्दी-प्रेमी) ३५५

गुप्तजी (मैथिलीशरण गुप्त) २२, ४६, ४७, ५३, ५४, ५५, ६६, ७५, १०१,
 ११६, १२१, १२५, १२६, १४८; १५४, १५६,
 १६१, १६५, १६७, १७६, २०५, २२५, २३३,
 २५५, २५७, २६६, २६७, २७५, २७८, २६६,
 २६८ ३१४ ३१५ ३४८

- गुलाब.....१२६, ३१६
 गोपालशरण सिंह...६८, ३००
 ग्वाल.....२०, २६२
 घनानन्द.....५७
 जानकीवल्लभ शास्त्री १०६, ११०, ३१२, ३२६
 जायसी.....८, ५७, १०६, १५४, १८१
 तारा पांडेय.....१०४
 तुलासी.....७, ८, २२, २६, ३१, ३७, ५२, ५६, ६७, ६९
 ७५, ११०, १४७, १५२, १५४, १५६, १६२, १६६
 १६७, १६८, १७८, १७९, १९०, १९१, २०५
 २१७, २२६, २३१, २३५, २४२, २४३, २४५,
 २४६, २४७, २४९, २५०, २५४, २५५, २५६
 २५८, २५९, २६०, ३६५, २६६, २६७, २७०,
 २७२, २७६, २७७, २८१, २८२, २८४, २९४,
 ३०२, ३०६, ३१०, ३२३, ३२४, ३२६, ३३३,
 ३३५, ३३८, ३४५, ३४७
 दास.....७६, ७८, ८१, १३६, १४२, १४६, १५६, १५९,
 १६३, १६५, १६३, २६३, २६५, ३०२, ३०४, ३०७,
 ३०९, ३१४, ३१७, ३३७, ३३९, ३४४, ३४६
 दुलारेलाल भार्गव...२६६, ३३६
 द्विज.....१०२, १२५
 देव.....३६, ८३, ३०६, ३३७, ३४०
 नन्ददुलारे बाजपेयी...४८
 नरेन्द्र.....७१, १०५, १०७, ११३, ११४
 नवीन.....६६, ११७, ३२८
 निरला.....८, १०, ४१, ५५, ६८, ७३, ७४, ७६, १११, १२५,
 १२६, १८२, १८६, १८७, २६०, ३०६, ३४४
 नेपाली.....११५,
 पन्नाकर.....४१, ७०, १००, १०१, १४१, १४२, १४६, १५१
 १५५, १६५, १६६, १८८, १९५, २६३
 पंत.....११, ४५, ४६, ४७, ५१, ५३, ५४, ७८, ११२,
 १२३, १२४, १२५, १२७, १२८, १५८, १६०,
 १९४, २०७, २२८, २६४, २७०, २७८, २९८,
 ३११, ३४६

पु० श० चतुर्वेदी...२७३

प्रताप सिंह२६८

प्रतापनारायण मिश्र ३०, १०२

प्रतापशाही१४८, १६०, १६४

प्रसाद.....२०, ४४, ५३, ५४, ७१, १०६, १०७, १०८, १११,
१२२, १२४, १२७, १२९, २२७, २४६, २७७, ३१६,
३३१, ३४७

प्राचीन१३६, १४८, १५१, १५६, १६१, १६८, १६९, १७०,
१७१, १८९, १९१, २२५, २४३, २४६, २४७, २४९,
२५०, २५४, २५६, २६०, २६१, २६२, २७२, २७३,
२७४, २७५, २८९, २९१, २९५, २९७, ३००, ३०३,
३०७, ३१४, ३२१, ३३१, ३३२, ३३५, ३३७, ३४६,
३४९, ३५३, ३५४

प्रेमचन्द.....५५, ५८, १२२

वचन.....३०२, ३०३, ३३३, ३३६

बल्लभ.....२५०

विहारी भट्ट.....१४३

विहारी.....५४, ६६, ६९, ७४, ८०, ८२, ८३, ११३, १४४,
१४६, १४७, १४८, १५१, १५२, १५३, १५९,
१६४, १६५, १६९, १७०, १७३, १८८, १८९,
२४६, २६३, २७२, २७५, २७७, २७८, २८१,
२८८, २९३, २९४, २९९, ३००, ३०८, ३११,
३१४, ३१७, ३१९, ३२५, ३३६, ३३९, ३४३

भगवतीचरण वर्मा...४७, २४९

भगवानदीन पाठक...१८५

भक्त.....५६, ७३

भारतीय आत्मा...५७, ७४, ७८, ७९, ८५, ११६, १२५, १६४, २७२,
३१३, ३३६

भूषण.....२७१, २८१, ३४९

मतिराम.....१४५, १५८, १५९, १६३, १६७, १९२, २६४,
२७६, २८०, ३०४

महादेवी वर्मा...१०९, १२३, ३१५, ३२७

महावीर प्रसाद द्विवेदी...१८५

मिलिन्द.....३०५, ३०७, ३०८, ३१८, ३३३

मुबारक२१७, ३५४

भूमिका

साहित्यसंगीतकलाविहीनः

साक्षात्पशुः पुच्छविपाणहीनः ।

साहित्य क्या है ?

साहित्य शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। इस नामरूपात्मक जगत् में नाम और रूप का—शब्द और अर्थ का केवल सहयोग ही साहित्य नहीं है, अपितु उसमें अनुकूल एक के साथ रुचिर दूसरे का सहृदय-श्लाघ्य सामञ्जस्य स्थापित करना भी है। साहित्य इस रीति से वाञ्छ जगत् के साथ हमारा आन्तरिक सौमनस्य स्थापित करता है। कर्मान्द्र रवीन्द्र का कथन है कि साहित्य शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है। वह केवल भाव-भाव का, भाषा-भाषा का, ग्रन्थ-ग्रन्थ का ही मिलन नहीं है, किन्तु मनुष्य के साथ का मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अत्यन्त अन्तरङ्ग मिलन भी है जो साहित्य के अतिरिक्त किसी अन्य से संभव नहीं। इस कथन में प्राचीन आचार्यों के विचारों की ही झलक है।

साहित्य का साधारण धर्म

जहाँ तक मनोवेगों को तरंगित करने, सत्य के निगूढ़ तत्त्व को चित्रण करने और मनुष्यमात्रोपयोगी उदात्त विचार व्यक्त करने का सम्बन्ध है वहाँ तक संसार का साहित्य सब के लिये समान है—साधारण है। साहित्य एक युग का होने पर युगयुगान्तर का होता है और सारे संसार का वाङ्मयीय परम दुर्लभ पदार्थ है।

आस्वादनीय रस और मननीय सत्य, साहित्य के ऐसे साधारण धर्म हैं, जिनकी उपलब्धि सभी देशों के वाङ्मय में होती है। इसमें जो शाश्वत सौन्दर्य और अनिर्वचनीय आनन्द होता है, वह देश-विशेष का, काल-विशेष का, जाति-विशेष का, समाज-विशेष का नहीं होता। कारण यह कि परीक्षित होने पर अपने रूप में प्रकाशित ये दोनों, वैज्ञानिक सत्य के समान वैशिष्ट्य-रहस्य, एकरस और एकरूप होते हैं।

शब्दशक्ति—अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना, गुण, दोष, अलंकार आदि में भी कुछ ऐसे सामान्य तत्व हैं जिनकी समालोचना से यह प्रत्यक्ष हुए बिना नहीं रहेगा कि कुछ विषयों में इनकी भी सर्वत्र समानता तथा एकरूपता है। इनकी सार्वजनीनता का कारण मानवात्मा की एकता ही है। यद्यपि इस दृष्टि से देखने पर विश्व-साहित्य अभिन्न-सा प्रतीत होता है तथापि प्रत्येक साहित्य में दैशिक, कालिक, और मानसिक आधार के भेद से अपनी एक विशिष्टता दीख पड़ती है, एक स्वयंत्र सत्ता भलकती है जो एक साहित्य को दूसरे साहित्य से भिन्न करने में समर्थ होती है।

‘सहित’ शब्द में ‘व्यञ्’ प्रत्यय जोड़ना

पन्तजी ने पल्लव की भूमिका में एक खण्ड वाक्य लिखा है—जब तक हमारे वयोवृद्ध समालोचक.....साहित्य शब्द में व्यञ् प्रत्यय जोड़ कर सत्यसाहित्य की सृष्टि करने में व्यस्त हैं.....इत्यादि। यह व्यंग्य-वाण्य प्राचीन संस्कृत के आचार्यों और वर्तमान प्रतिष्ठित आलोचकों और कलाकारों को लक्ष्य कर छोड़ा गया है। पन्तजी पाश्चात्य साहित्य-समालोचकों के चाकचिक्य से चोंधिया गये हैं। उनके इस व्यंग्य से यही प्रतीत होता है कि वे साहित्य शब्द की इतनी ही साधनिका जानते हैं कि “हित के साथ रहने का जो भाव है, वही साहित्य है।” तात्पर्य यह कि प्राचीनों ने उपदेशात्मक काव्य लिखे और आदर्शवाद को ही सामने रखा। आज के प्राचीनानुयायी कवि भी इसी दृष्टि को लेकर काव्य रचना कर रहे हैं जिससे हिन्दी साहित्य की श्री वृद्धि नहीं हो सकती। अतः पाश्चात्य समालोचना के आधार पर साहित्य की सृष्टि वाञ्छनीय है।

जब हम कहते हैं कि साहित्य, संगीत और कला से अनभिन्न व्यक्ति साक्षात् पशु है तब क्या हम अपने को अनुभूति की विभूति से विमुख पाते हैं? जब हम उद्धोषित करते हैं कि कवियाँ का सुयश बिना साहित्यज्ञों के फैल नहीं सकता और जब हम यह कहते हैं कि कोई भावक अर्थात् समालोचक वचन का भावक होता है, कोई हृदय का भावक होता

१ भर्तृहरि के उपर्युक्त संस्कृत उद्धरण का भाव है।

२ बिना न साहित्यविदा परत्र

गुणाः कथंचित् प्रथते कवीनाम् । मङ्गक

है और कोई सात्विक तथा आङ्गिक अनुभावों का भावक होता है' तब यह कैसे कहा जाय कि काव्य की मार्मिक समालोचना की उपेक्षा की गयी है? जब हम इस सरस उक्ति को उपस्थित करते हैं कि शब्द और अर्थ का जो अनिर्वचनीय शोभाशाली सम्मेलन होता है वही साहित्य है। शब्दार्थ का यह सम्मेलन वा विचित्र विन्यास तभी संभव हो सकता है जब कि कवि अपनी प्रतिभा से जहाँ जो शब्द उपयुक्त हो वही रखकर अपने रचना को रुचिकर बनाता है तब न तो हमको कला में अकुराल, शैली से अनभिज्ञ और अभिव्यञ्जना से विमुख ही कहा जा सकता है और न हम केवल उपदेशक ही माने जा सकते हैं। अब यह सद्दय विवेचको पर ही निर्भर है कि हमारे प्राचीन आचार्य 'सहितस्य भावः साहित्यम्' को धृञ् प्रत्यय करके बनाना ही जानते थे या साहित्य-कला के मर्मज्ञ भी थे। हमारी उपेक्षा ही इन बातों को विध्वंसित के गर्भ में डाल रही है।

रही सत्साहित्य की सृष्टि की बात। हित—शुभ, शिक्षा, उपदेश से युक्त साहित्य यदि वह निरतिशय आनन्द प्रदान करने में भी समर्थ हो तो इसे किसी ने असत्साहित्य नहीं कहा है बल्कि उसे सत्साहित्य होने का गौरव स्वतः प्राप्त है। आचार्यों के मतानुसार हित-साधना साहित्य का एक विशिष्ट प्रयोजन भी है। अब तक वादों के बावूल से विप्लुत होकर जिन्होंने काव्यरचना की है उन्हें वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है जो सहित साहित्य को प्राप्त है। इस प्रकार के, साकेत के संतुलन में, सत्साहित्य होने का सौभाग्य एक आध को ही अघायधि उपलब्ध हुआ है। स-हित-सम्बन्ध में विश्वास है कि इन महान् व्यक्तियों के उद्धरणों से धैर्य और सन्तोष हो जाना चाहिये।

तुलसी दास जी ने जहाँ स्वान्तःमुखाया कहकर काव्य का आत्मानन्द ही उद्देश्य निर्दिष्ट किया है वहाँ—

१-कौरवि भनिति भूति भलि सोई ।

सुरसरि सम संय कहँ हित होई ॥

१ वाग भावको भवेत्कश्चित् कश्चिद्दयभावकः ।

सात्विकैराङ्गिकैः कश्चिदनुभावैश्च भावकः ॥ राजशेखर'

विशेष देखा हो तो 'काव्यमीमांसा' के चौथे अध्याय का अन्तिम भाग देखिये।

२ साहित्यमवयोः शोभाशालितां प्रति काव्यसौ ।

अपुनानतिरिक्तवमं रेण्य ॥ कुन्तक

कहकर कला की उपयोगिता का भी समर्थन किया है ।

२-कवियों का उद्देश्य या तो शिक्षा देना होता है या आनन्द देना । अतः यथार्थ और उपयोगी को आनन्द से मिटा दो । हौरेशा

३-सौन्दर्य जिस स्थान पर पूर्ण विकसित होता है वहाँ अपनी प्रगल्भता को छोड़ देता है । वहाँ पर फूल अपनी वर्ण गन्ध की अधिकता को फल की गूढ़ गम्भीर मधुरता में परिणत कर देता है और उसी परिणति में ही—उसी धरम विकास में ही सौन्दर्य और मंगल का मिटाप हो जाता है^१ ।

कवीन्द्र रवीन्द्र

४-जीवन-यापन की विधि एक कला है और कला का कार्य किसी भी मानवीय आदर्श को कलात्मक नैपुण्य द्वारा साकार रूप प्रदान करना है^२ ।

रायट पी डाउन्स

५-जो असुन्दर है, जो अनैतिक है, जो अकल्याण है वह किसी प्रकार न तो धर्म हो सकता है और न कला । 'कला के लिये कला' यदि यह बात सत्य है तो वह कभी अनैतिक तथा अकल्याणकर हो ही नहीं सकती । अकल्याणकर और अनैतिक होने से 'कला के लिये कला' यह बात कभी सत्य हो ही नहीं सकती—सैकड़ों, हजारों व्यक्तियों ने चिल्ला कर कहने पर भी सत्य नहीं हो सकती^३ । शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय

उपदेश ने तो पन्तजी का भी पियड नहीं छोड़ा । उन्होंने इधर जनहित का विशेष रूप से राग आलापना शुरू किया है । जैसे,

धर्मनीति औ' सदाचार का मूल्याङ्कन है जनहित ।

सत्य नहीं वह जनता से जो नहीं प्राण सम्बन्धित ।

पीछे की कवितायें भी 'सहित के साथ प्यञ्ज' प्रत्यय के उदाहरण हैं । क्या ये पंक्तियाँ और ऐसी ही अन्य पंक्तियाँ असत्साहित्य की निदर्शक हैं ?

अखिल यौवन के रंग उभार हृदियों के हिलते कंकाल,

कवों के धिकने काले व्याल केंचुली कांस सिंघार ;

गूँजते हैं सब के दिन चार, सभी फिर हाहाकार ।

अब तो आप भी उक्त व्यंग्य-वाण्य के लक्ष्य हो ही गये !!

प्राचीन साहित्यशास्त्र की आवश्यकता

हमारे साहित्यिक मित्रों का कहना है कि जब हम सभी साहित्यिक विषयों में पाश्चात्यों का अन्धानुकरण कर रहे हैं और अपने सदसद्बिचार को भूलते

१ साहित्य

२ Living is an art. An art has been correctly defined as 'skill' in giving embodiment to the ideal, Robert P. Downce.

३ वैगला निषण्ण ।

जाते हैं, भले ही भूले न हों, पर जब उपेक्षा को दृष्टि से उन्हें देखते हैं तब आपका यह पोथा किस काम आवेगा ? इसका सीधा-सा उत्तर हमारे आचार्य दे गये हैं।

अज्ञातपाण्डित्यरहस्यमुदा

ये काव्यमार्गं दधतेऽभिमानम् ।

ते गार्हडीयाननधीत्य मन्त्रान्

हालाहवास्वादनमारभन्ते ॥ श्री कण्ठचरित

साहित्य के यष्टायों, विशेषतः काव्य-निर्माताओं को साहित्यशास्त्र के रहस्यों को जान लेना अत्यावश्यक है। ऐसा न करने से यहा लोकोक्ति चरितार्थ होगी कि—विच्छ्रु का मन्त्र न जाने साँप के बिल में हाथ दे। इसी का महाकवि मन्त्रक ने कितने सुन्दर ढंग से ऊपर कहा है जिसका आशय यह है—

पाण्डित्य के रहस्यों—ज्ञातव्य प्रच्छन्न विषयों को चारीकी बिना जाने-मुझे जो काव्य करने का अभिमान करते हैं वे सर्पविषनाशक मन्त्रों को न जानकर हलाहल विष चखना चाहते हैं।

गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के दो मार्ग होते हैं, एक राजमार्ग और दूसरा वक्र मार्ग। कोई वक्र मार्ग से या कुशाकण्टकाक्रीण मार्ग से प्रस्थान करने को प्रस्तुत हो तो दूसरा क्यों अपना राजमार्ग छोड़ दे ? हजारों वर्षों से जब हमारा वह राजमार्ग निरन्तर अन्वेषण रहकर प्रशस्त होता आ रहा है और अद्यावधि हमारे साहित्यशास्त्र (Poetics) के, केवल संस्कृतविद्यालयों में ही नहीं, अंग्रेजी के महाविद्यालयों में भी, अभ्ययन-अध्यापन का क्रम वर्तमान रख कर उक्त राजमार्ग का अनुसरण किया जा रहा है तब भी क्या उसकी, उसको प्रशस्त करने की आवश्यकता का निर्देश करना आवश्यक है ? कुछ लोग यह करते हैं कि पहले परमुखापेक्षिता या पराधीनता का बाजार बहुत गर्म था। कवि स्वातन्त्र्य शास्त्रीय नियमों से ऐसा जकड़ दिया गया था, शास्त्रीय रुढ़ियों रतनी प्रचल हो उठी थीं कि कवि उस से मस नहीं हो सकता था। उनसे नम्र निवेदन यह है कि वे पहले आधुनिक युग के प्रख्यात जर्मन कवि रेनर मारिया रिल्के की मध्मति पढ़ें कि वे कविता के एक पद के लिये कितने अभ्ययन, कितने निरीक्षण और कितने विविध उपकरणों की आवश्यकता पताते हैं तब कहें कि हमारे प्राचीन आचार्य अपने नियमों के बंधन में

विशेषतः बाँधते हैं कि पाश्चात्य नियम विधायक आचार्य^१ । दूसरी बात यह कि वे वस्तुस्थिति की स्वाभाविकता पर ध्यान दें । पहले लक्ष्य की सत्ता रहती है या लक्षण की ? लक्ष्य को दृष्टि में रखकर ही लक्षण बनाये जाते हैं । लक्ष्यकार कवि जैसे-जैसे चलता है लक्षणकार आलोचक वैसे-वैसे उसका अनुसरण करता है । पर शर्त यह होती है कि लक्ष्य इस योग्य हो कि लक्षणकार को अपने अनुसार प्रतिसंस्कार करने के लिए परवश करे । तीसरी बात यह कि शास्त्रीय मर्यादाओं के रहते हुए भी प्रतिभाशाली प्राचीन महाकवियों ने, या कवियों ने वह काव्य-सृष्टि की है जो विश्वसाहित्य में अतुलनीय है ।

हम इसको स्वीकार करते हैं कि प्रतिभा—रचनाशक्ति ईश्वरप्रदत्त होती है या वह पूर्वजन्मार्जित संस्कार है पर उसका सदुपयोग शास्त्रीय ज्ञान से ही हो सकता है; प्रतिभाप्रसूत पंक्तियाँ ज्ञानालोक से ही आलोकित हो सकती हैं । ज्ञान की गहनता और अध्ययन की अधिकता के परिमार्जन से ही रचना संगत, संयत और संस्कृत हो सकती है । इसी से आचार्यों ने श्रुत और अभ्यास से सहित प्रतिभा को काव्य का कारण माना है^२ । यदि प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शिक्षा की मर्यादा नहीं हो तो हमारे शिक्षित कलाकारों और भोजपुरी भाषा के कवि भिखारों में क्या अन्तर रह जायगा, जिसके नाटक हजारों दर्शकों को रस में सराबोर कर देते हैं और जिसकी प्रतिभा की प्रशंसा सरस्वती तक में निकल चुकी है !

सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग साहित्य-शास्त्र की विवेचना करते हैं वे प्रायः संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान् नहीं होते । अंग्रेजी के बल पर जैसे-तैसे संस्कृत की मनमानी व्याख्या करके शास्त्रीय मर्यादा भंग करते हैं और मिथ्या भ्रम फैलाते हैं । अतः नवीन साहित्यिकों को शास्त्रीय विषयों की विवेचना द्वारा विपथगामी न होने देने की भी इस समय नितान्त आवश्यकता है ।

जब कि सिल्वॉलेत्रो जैसे पाश्चात्य विद्वान् यह कहते हैं कि कला के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा ने संसार को एक नूतन और श्रेष्ठ दान दिया है जिसे प्रतीक रूप में 'रस' शब्द द्वारा प्रकट कर सकते हैं और जिसे एक वाक्य में इस प्रकार कह सकते हैं कि कवि प्रकट

१ देखिए सूर्यकान्त शास्त्री, एन० ए० की साहित्यमीमांसा पृष्ठ ६१

२ प्रतिभैव श्रुताभ्याससहिता ध्वितां प्रति ।

हेतुम् दग्धुसम्बद्धवीजोत्पत्तिर्लतामिव ॥ जयदेव

(Express) नहीं करता, व्यञ्जित वा ध्वनित (suggest) करता है, तब तो हमारे शास्त्र का महत्त्व 'यत्परो नास्ति' है। इस दशा में भी जब भारतीय शिक्षित कलाकार हमारे साहित्यशास्त्र की उपेक्षा करते हैं तब किस सहृदय भारतीय को आश्चर्य, खेद और दुःख न होगा ! हम तो शुक्र जी के शब्दों में यही कहेंगे कि साहित्य के शास्त्रपक्ष की प्रतिष्ठा काव्यचर्चा की सुगमता के लिये माननी चाहिये, रचना के प्रतिबन्ध के लिये नहीं। इस सम्बन्ध में अब विशेष कुछ कहना पिट-पेपणमात्र होगा।

साहित्यशास्त्र का नूतन संस्करण

अब न तो संस्कृत काव्यशास्त्र के साहित्यदर्पण, रसगंगाधर, काव्यप्रकाश आदि का केवल अनुवाद ही काम देगा और न इनके आधार पर बने काव्यनिर्णय आदि ग्रन्थ ही। यह भी संभव नहीं कि अंग्रेजी के काव्यशास्त्र (Poetics) की पूँछ पकड़कर ही साहित्य के स्वर्ग में पहुँच जायँ। अब दोनों दृष्टिकोणों से देखकर ही कविता का स्वाद लेना होगा; सौन्दर्य का साक्षात्कार करके आनन्दोपभोग करना होगा। प्राच्य और पाश्चात्य साहित्यशास्त्र की वियेबना को सम्मिलित रूप से अपना कर आधुनिक काव्यशास्त्र के अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग का ज्ञान, जो प्राच्य और पाश्चात्य प्रणाली के समिश्रण से प्रस्तुत है, प्राप्त करना होगा। अब वर्तमान हिन्दी-साहित्य की सूदन समीक्षा करके ही हिन्दी में साहित्य-शास्त्र के निर्माण की आवश्यकता है। हम न इसके लिये संस्कृत को ही तिलांजलि दे सकते हैं और न अंग्रेजी को ही मधुमय समझकर चाट जा सकते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से काव्यशास्त्र का नया प्रतिसंस्कार करना होगा। नूतन काव्यशास्त्र ही हिन्दी-साहित्य के भ्रमोद्घाटन करने में, रसोद्घाटन करने में, समर्थ होगा। आज प्रतिभाशाली प्रसाद, पन्त, महादेवी वर्मा आदि कवियों की कवितायें, नवीन दृष्टिकोण से शब्दतत्त्व, शब्दशक्ति, छन्द, अलंकार, रस, गीति, अभिव्यञ्जना आदि को परखे बिना कभी हृदयङ्गम हो सकती हैं ? नवनिमित्त गीतिकाव्य (Lyric) नाटक, गद्यकाव्य, उपन्यास आदि को नये रंग-रूप से समझे बिना उनके अन्तरङ्ग में कभी पैठ सकते हैं ? नित-नूतन उगते हुए रहस्यवाद, छायावाद, कलावाद, प्रतीकवाद, प्रगतिवाद आदिवादों से भी विमुख न होना होगा। हिन्दी-साहित्यकारों की प्रतिभा अपनी उपजात गृष्टि से हिन्दी को समृद्ध और संसृज करनी जा रही है। उसके अन्तर में पैठना होगा।

उसका निरन्तर चिन्तन और मनन करना होगा। अब पुराना पिंगल भी काम न देगा।

हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्रता

मनुष्य ही से समाज बनता है। मननशील मनुजों में चेतनता एक विशिष्ट धर्म है। विशिष्ट मानवसम्बन्ध से उसका समुदाय भी विशिष्ट चेतनधर्मी होता है। विशिष्ट समाज का नाम जाति भी है। इसीसे एक विशिष्ट जाति के साहित्य को भी विशिष्ट चेतनधर्मी होना चाहिये। यही कारण है कि प्रत्येक साहित्य में अपनी-अपनी विशिष्ट प्रतिभा के अनुसार विशिष्ट धर्म विद्यमान रहता है। सभी साहित्यों में मानवप्रतिभा का विश्वव्याप्त साधारण धर्म और जातीय प्रतिभा का जातिगत विशिष्ट धर्म दोनों ही दीख पड़ते हैं। चेतन धर्म की विशिष्टता के कारण ही मानवमन अनन्त काल से लेकर आज तक नव नव भावों से नव-नव रूपों में आत्मप्रकाश करता चला आ रहा है और उसके साथ-ही-साथ सहृदय-समाज भी नव-नव देश-काल के नव-नव साधनाप्राण हृदयों का रसास्वादन भी करता चला आ रहा है।

अन्यान्य साहित्यों के समान हमारा हिन्दी-साहित्य भी वैसा ही है। इस पर देश, काल और अवस्था का जो प्रभाव पड़ा है उसका रूप प्रत्यक्ष दीख पड़ता है। हिन्दी साहित्य के जन्मकाल, विकासकाल, प्रसारकाल तथा प्रगतिकाल वा यों कहिये कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल) मध्यकाल (रीतिकाल) नवीन काल, और इसका एक अवान्तर भेद वर्तमान काल की नवीन धाराओं पर ध्यान देने से यह बात प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी।

यद्यपि मानवजाति की मानवता को लेकर मनुष्यमात्र में समानता है तथापि ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा-दीक्षा और कामना-साधना आदि सबके एक से नहीं। राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक एकता और विभिन्नता को लेकर इनकी आस्था और व्याख्या की विविधता और विचित्रता का अन्त नहीं। संस्कृति और सभ्यता, देश-देश के जाग्रत प्राणों की आशा-आकांक्षा, विभिन्न आदर्शों का प्रभाव, प्रगति की प्रेरणा आदि में अक्षमानता है। ये ही सब जातीय जीवन को वैशिष्ट्य देते हैं; ये ही सजीव जातीय विशेषतायें विभिन्न रूपों में प्रकट होकर अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने में समर्थ होती हैं।

हिन्दी-साहित्य की व्यापकता

मुसलमानी शासनकाल में हिन्दी पर संस्कृत की परम्परागत भावधारा के साथ-साथ मुसलमानी भावधारा का भी प्रभाव पड़ने लगा और इनके भावमिश्रण

के साथ शब्द मिश्रण से भाषा भी अपनी सजीवता का प्रमाण देने लगी। वर्तमानकाल में हिन्दी-साहित्य पर प्रबल रूप से अंगरेजी भावधारा का प्रभाव पड़ने लगा है और उसका साहित्य और संस्कृति उसमें घर करने लगी है। हिन्दी की प्रगति वा उसकी नवीन धारा में विश्व के उथल-पुथल का आभास भी मिलने लगा है। हिन्दी का साहित्य अपने पड़ोसी विभिन्न जातीय भाषा-साहित्यों से ही केवल भाषण नहीं जोड़ रहा है, बल्कि विदेशी साहित्य के स्वारस्य और सौन्दर्य को भी आत्मसात् कर रहा है। यही कारण है कि इसकी समृद्धि सबकी आँखों में चकाचौंध पैदा करती हुई दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ रही है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न भावों के संमिश्रण और समन्वय से हिन्दी-साहित्य समर्थ और समृद्ध हो रहा है।

साहित्यशास्त्र की स्वाभाविकता

जैसे प्रयुक्त प्रयोगों पर ही व्याकरण की भित्ति खड़ी होती है वैसे ही प्रस्तुत उदाहरणों से साहित्य का शरीर पुष्ट होता है। रसगंगाधरकार के दूसरों के उदाहरण न लेने की गवोक्ति से या रीतिकालीन लक्ष्यलक्षणाकार कवियों या आचार्यों के रचे काव्यशास्त्र की एकांगिता से साहित्यशास्त्र का व्यापक प्रभाव नहीं पड़ सकता; उसका महत्त्व नहीं बढ़ सकता। क्योंकि उससे साहित्य की गति-विधि का कुछ भी पता नहीं लगता। अतः साधनालब्ध साहित्य को साङ्गो-पाङ्ग हृदयङ्गम करके उनके उदाहरणों से साहित्य-शास्त्र का सौध खड़ा करना होगा, जिससे साहित्य-साधकों के हृदय में अनुशासन का आकर्षण पैदा हो।

हिन्दी-साहित्य का प्रकृत, अनुकृत, विकृत, संस्कृत, हुंकृत वा भंकृत कोई रूप क्यों न हो विभिन्न उद्गमों से आगत उपादानों से गठित, विभिन्न प्रभावों से प्रभावित और विभिन्न साधनों से सावित क्यों न हो, वह सब कुछ उसमें विलीन होकर अपनी पृथक् सत्ता खो बैठा है। अब हिन्दी-साहित्य की अपनी प्राणवत्ता है; उसकी अपनी धड़कन है। हिन्दी के एकान्त साधक, परम पुनारी या अनन्योपासक अपनी अनोखी अनुभूति तथा अनुपम अभिव्यञ्जना से उसकी ऐसी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा कर रहे हैं जिससे उसने हिन्दीमन के गौरव को नहीं खोया है, यद्यपि यत्र-तत्र इसके कुछ अस्वाद मिल जाते हैं। हम पर अब 'अरुण अधरों की पल्लव प्रांत' वा 'अरुण कलियों से नीमल पाय' के लिखने पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। हमारी लाक्षणिकता की लपेट में यह सब कुछ समा सकता है। अंग्रेजी लाक्षणिकता भी हिन्दी के नये रूप में इस प्रकार घुल-मिल गयी है कि उसका अजनगीन मिलकुल मिट गया है। अब हमें हिन्दी की इस स्वतन्त्रता की रक्षा करनी होगी। यही

स्वतन्त्र सत्ता आधुनिक हिन्दी-साहित्य की विशेषता है। आत्मप्रकाश की इस विशिष्ट प्रवृत्ति को अब हिन्दी साहित्य का व्यक्तित्व मानना होगा। जिस काव्य-शास्त्र का काव्य जीवन के साथ संपर्क न होगा, जिस साहित्य में वर्तमान की गतिविधि का दिग्दर्शन न होगा उस काव्यशास्त्र की मर्यादा कैसे प्रतिष्ठित हो सकती है? किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि अपनी संस्कृति तथा स्वतन्त्र रूपा को हम बनाये रहेंगे। इसके लिये हमें अपने काव्यशास्त्र को ही मूल आधार बनाना होगा।

साहित्य—काव्य—शास्त्र

साहित्य शब्द प्रायः काव्य का वाचक है। शब्दकर्मद्रुम ने तो मनुष्यकृत श्लोकमय ग्रन्थविशेष को ही साहित्य अर्थात् काव्य कहा है। भट्टहरि का उपर्युक्त पद्यार्थ साहित्य शब्द से काव्य का ही बोध कराता है। जब तक व्यापकार्थक साहित्य शब्द के साथ किसी भेदक शब्द का योग नहीं होता, जैसे कि अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य आदि, तब तक साहित्य शब्द से काव्यात्मक साहित्य का ही सामान्यतः बोध होता है।

ऐसा कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं, विद्या नहीं, शास्त्र नहीं, कला नहीं जो किसी न किसी प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का अंग न हो। अतः इस सर्वग्राही सर्वव्यापक, सर्वबोधक्षम कवि-कर्म का शासक होने के कारण इस साहित्यविद्या को साहित्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, काव्यानुशासन आदि समाख्या प्राप्त हुई है। कभी-कभी रसादि समस्त परिकर्म का अलंकरण-क्रियाकारी होने से इसे अलंकारशास्त्र भी कहते हैं। काव्यालोक को भी काव्यशास्त्र का ही पर्याय समझना चाहिये।

काव्य का मूल स्रोत

सभ्यता के साथ साहित्य की भी उत्पत्ति होती है। वेद ही हमारा सबसे प्राचीन उपलब्ध साहित्य है। इससे काव्य का भी मूल स्रोत वेद ही है। वैदिक ग्रन्थों में काव्य की भूलक पायी जाती है।

ऋग्वेद के तथा सूक्त में काव्यत्व अधिक पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अपीरूपेय, अलौकिक तथा शब्द-प्रधान वेदमन्त्रों को काव्य-दृष्टि से न

१ न स शब्दो न तद्वाच्यं न तच्छास्त्रं न सा कला ।

सायते यत्र काव्याङ्गमहोभारः महान् कवेः । भामह

देखना चाहिये। पर इस बन्धन का उल्लंघन प्राचीनों ने भी किया है। ऋग्वेद का एक मन्त्र है—

अभ्रातेव पुंसं पृनि प्रतीची गतांरगिव सनये धनानाम् ।

जायेव पत्ये वृषतो सुधासा तथा हस्त्रेय निरिणीते अस्त । ऋग् १।१२।७।

इस वैदिक मन्त्र में 'अभ्रातेव पुंसः' 'गतांरोहिणीव' 'जायेव पत्ये' 'हस्त्रेव'

इन चार उपमाओं का निर्देश निरुक्तकार यास्कान्चार्य ने किया है।

सुद्विवलापेत् व्याख्या की दृष्टि से एक मन्त्र पर ध्यान दीजिये—

अश्वारि शृंगा त्रयो अस्व पादा द्वे शार्पे सप्त हस्तासो अस्व ।

त्रिधा बद्धो घृषभो रोरवीति महादेवो मत्स्यां आविवेश । ऋग् ० ७।५८।१

इस मन्त्र की चार व्याख्यायें हैं—१ यास्क के अनुसार यशस्क २ दूसरे के मत से सूर्यपरक ३ पतञ्जलि के मत से शब्दपरक और ४ राजशेखर के मत से काव्य-पुरुष-स्तुति-परक^१ ।

पतञ्जलि के मत से महादेव शब्द है। घृषभाकार शब्द के चार सांग हैं—नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तीन पाद हैं—भूत, भविष्यत् और वर्तमान। दो सिर हैं—दो प्रकार के शब्द नित्य और कार्य। सात हाथ हैं—सातों विभक्तियों। तीन स्थानों में—हृदय, कंठ और सिर में बँधा है और घोलता है। महादेव अन्तर्धानी है। क्योंकि शब्द ने मत्स्यों में अर्थात् मरणधर्मा मनुष्यों में प्रवेश किया है।

इस मन्त्र में रूसकानिशयोक्ति अथवा रूपक अलंकार है। महान् देव में यश, सूर्य, शब्द और काव्यपुरुष के अध्यवसान से साध्यप्रताना लक्षणा है। अर्थ की वृष्टि करने से शब्द वृषभपदवाच्य है। महादेव शब्द को वृषभ रूप में मानने से सारोरा लक्षणा की भलक है। शब्द के व्यंग्य व्यञ्जक भाव से नित्य और कार्य ये दो भेद हैं। व्यंग्य आन्तर है और व्यञ्जक वैलरी रूप है।

साहित्य के आदि आचार्य भगवान् भरत मुनि माने जाते हैं, यद्यपि इनके पूर्ववर्ती और कई आचार्य हो गये हैं। कई लोग इन्हें व्यास के समक लिन मानते हैं जैसा कि 'भरतेन प्रणीतःवान् भारती रीति रुच्यते' इस अग्नि-पुराण के श्लोकार्द्ध से सिद्ध होना है पर इतिहास इन्हें इसवी सदी में दो सौ वर्ष पूर्व का मानता^२ है। ये आदि भरत नहीं, भरतमुनि के वंश में होने में भरत कहलाये।

१ देवो मन्त्र का भाष्य और 'काव्यमीमांसा' ।

२ देवो 'जोशी' और 'भारद्वाज' का संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास

ये भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में लिखते हैं कि ऋग्वेद से नाट्य विषय, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रसों को ग्रहण किया^१ ।

ब्राह्मण, निरुक्त आदि ग्रन्थों से स्पष्ट है कि उस समय के इतिहास-मिश्रित मन्त्र ऋचाओं में और गाथाओं में थे^२ । अनेक उपनिषद्‌ओं ने इतिहास और पुराण को पंचम वेद माना^३ है । इतिहास और पुराण प्रायः काव्यमय ही हैं । रामायण आदि काव्य और महाभारत महाकाव्य ही हैं ।

काव्य क्या है ?

काव्य के लक्षण अनेक हैं पर आचार्यों के मतभेदों से खाली नहीं । निर्विवाद कोई लक्षण हो ही कैसे सकता है जब कि विचारों और तर्क-वितर्कों का अन्त नहीं है और जब कि काव्य का स्वरूप ही ऐसा व्यापक और सर्वग्राही है । कोई काव्य को शब्द-प्रधान मानता है और कोई शब्दार्थ-प्रधान । इनके पक्ष-विपक्ष में अनेक मतमतान्तर हैं ।

सबसे अर्वाचीन लक्षण पण्डितराज जगन्नाथ का है—“रमणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्द काव्यम्” अर्थात् रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है । इसकी व्याख्या यों की जा सकती है । जिस शब्द या जिन शब्दों के अर्थ अर्थात् मानस प्रत्यक्षगोचर वस्तु, के बार-बार अनुसंधान करने से—मनन करने से रमणीयता अर्थात् अनुकूल वेदनीयता अलौकिक चमत्कार की अनुभूति से संबन्ध हो, वह काव्य है । पुत्रोत्पत्ति वा धनमाप्ति के प्रतिपादक शब्दों के द्वारा जो आत्सादनक अनुभूति होती है वह अलौकिक नहीं, लौकिक है । क्योंकि उसमें मन रमा देने की शक्ति नहीं होती, मोद-मात्र उत्पन्न करने की होती है । रमणीयता और मोदजनकता में बड़ा अन्तर है । दूसरे, उसमें क्षणिक रमणीयता की उपलब्धि हो सकती है—तात्कालिक आनन्द हो सकता है । उस रमणीयता में क्षण-क्षण उदीयमान वह नवीनता नहीं जो मन को बार-बार मोहित कर दे । प्रत्युत ऐसी बातें बार-बार टुट्टाई जाती हैं तो अस्तित्व ही उठती हैं । अतः उनसे अलौकिक आनन्द नहीं हो सकता, सनातन रमणीयता का उपभोग नहीं किया जा सकता ।

१ जगन्नाथ पाठ्यसूत्रवेदाय सामेभ्यो गीतमेव च ।

यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्पणादपि । नाट्यशास्त्र १।१७

२ तत्र प्रश्ने इतिहासमिश्रं ऋग्मिश्रं, गायामिश्रं भवति । निरुक्त १।६

३ इतिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेद..... इन्द्रोद्य ७ अ० ।

यार्थक और नीरस कहना चाहते हैं ? जब ये दोनों बातें आपके काव्य में संघर्ष विद्यमान हैं तो यह उपेक्षापूर्ण उक्ति क्यों ? आप भले ही इनकी अपेक्षा करें पर आधुनिक प्राच्य और पाश्चात्य आचार्य इनका समादर करते हैं ।

काव्य के पाश्चात्य व्याख्याकारों ने कहा है कि काव्य के अन्तर्गत वे ही पुस्तकें आनी चाहिये जो विषय तथा उसके प्रतिपादन की रीति की विशेषता के कारण मानव-हृदय को स्पर्श करनेवाली हों और जिनमें रूप-सौष्टव का मूल तत्त्व और उसके कारण आनन्द का जो उद्रेक होता है उसकी सामग्री विशेष रूप से वर्तमान हो । व्याख्याकार का आशय अर्थ की रमणीयता से ही है । रस्किन ने तो स्पष्ट कहा है कि कविता कल्पना के द्वारा रुचिर मनोवेगों के लिये रमणीय क्षेत्र प्रस्तुत करती है ।

शुक्रजी के शब्दों में जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है । हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आयी है उसे कविता कहते हैं^२ ।

पंतजी जब वाणी का आश्रय लेकर यह कहते हैं कि 'प्रत्येक शब्द का स्वतन्त्र हृत्पन्दन, स्वतन्त्र अङ्ग-भङ्गी, स्वाभाविक सौँसें हैं' और फिर काव्य के शब्द भी परस्पर अन्योन्याश्रित होने के कारण एक दूसरे के बल से सशक्त रहते अपनी संकीर्णता की भिङ्गी तोड़ तितली की तरह भाव तथा राग के रंगीन पंखों में उड़ने लगते हैं और जब काव्य के लिये अपनी भूमिका में रस की इतनी बकालत की है तब रमणीयार्थ-प्रतिपादक शब्द और रसात्मक वाक्य को काव्य समझना ही होगा, बार-बार अच्छी तरह समझना होगा ।

उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छन्द ही में बहने लगता; उसमें एक प्रकार की संपूर्णता तथा संयम आ जाता है।

शैली का भी ऐसा ही लक्षण है—कविता स्कीन तथा पूर्णतम आत्माओं के रमणीय और उन्नत क्षणों का लेना है। और, मैथ्यू आर्नल्ड के लक्षण का एक अंश है—कविता मनुष्य की परिष्कृततम बातों है।

आपका लक्षण इन्हीं उपयुक्त लक्षणों पर निर्भर करता है। फिर भी यह उच्छिष्ट लक्षण दूषित है। आपने 'रमणीय' के स्थान पर 'परिपूर्ण' को बिठाया तो पर उसका निराह नहीं कर सके। आपने आगे 'परिपूर्ण' को 'उत्कृष्ट' बना दिया, पर रमणीय का स्वारस्य नहीं आया।

दूसरी बात यह कि आकाश शून्य होता है। उसका 'सूक्ष्म' विशेषण विचारणीय है। आकाश शब्दमय होना है, संगीतमय नहीं। यही शास्त्रीय विवेचन है। कवियों का ही जीवन केवल पूर्ण नहीं होता, साधकों का भी जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है। क्या उनका भी सूक्ष्माकाश संगीतमय होकर छन्दों में बहता है? आपका परिपूर्ण क्षण व्याख्या-सापेक्ष है। तथापि इतना तो कहा ही जा सकता है कि क्षणों की परिपूर्णता केवल कल्पित ही संभव है। क्योंकि पुरक वस्तुओं की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं की गयी।

कविता केवल परिपूर्ण क्षणों की वाणी ही नहीं हो सकती। कवीन्द्र रवीन्द्र का कहना है कि भगवान् की आनन्द-सृष्टि स्वयं अपने अन्दर से निरूत रही है। मानव-हृदय की आनन्द-सृष्टि उसी की प्रतिध्वनि है। हमें जगन्-सृष्टि के आनन्द-गीत की भंकार हमारी हृदय-शीला-तन्त्री को अहरहः स्पन्दित करनी है। यही जो मानव-संगीत है—भगवान् की सृष्टि के प्रतिचात से हमारे अन्दर जो यही सृष्टि का आश्रेण है—समो का विकास साहित्य है। आनन्द-गीत की भंकार जब हृदयतन्त्री को अहरहः अर्थात् निरन्तर स्पन्दित करेगी तो परिपूर्ण क्षणों की अपेक्षा किये बिना ही भंकार उठेगी।

१ Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds.

English critical essays Page 151.

नवीन कलाकारों के लक्षणों का भी अन्त नहीं। जितने मुँह उतनी बातें। एक दूसरे से प्रायः भिन्न। कोई कविता का स्वरूप उसका आनन्द-दायक होना, कोई मनोविषय-मूलक होना, कोई आत्मवृत्ति मूलक होना, कोई हृदयोद्गार-मूलक होना, कोई कलात्मक होना मानते हैं। सुश्री महादेवी वर्मा के शब्दों में कहना चाहिये कि कविता मनुष्य के हृदय के समान ही पुरातन है। परन्तु अब तक उसकी कोई परिभाषा नहीं बन सकी जिसमें तर्क-वितर्क की संभावना नहीं रही हो।

काव्य-विषयक प्राचीन विचाराधरा

अग्निपुराण में साहित्य-शास्त्र वा अलंकार-शास्त्र की बातों का सब से प्राचीन उल्लेख है और कहते हैं कि भरत मुनि ने अपनी कारिकाओं में उसके ३३६ से ३४६ तक के दस अध्यायों में वर्णित अलंकार शास्त्र के विषयों का संक्षिप्त वर्णन किया है। किन्तु ऐतिहासिक अनुसंधान से भरत मुनि का नाट्य-शास्त्र ही अलंकार-शास्त्र का सर्वप्रथम ग्रन्थ सिद्ध होता है। अग्निपुराण के पष्ठ से दशम शतक तक का अंश, जिसमें साहित्य और कोष का भाग है, बहुत बाद का माना जाता है। इस ऐतिहासिक उल्लेखन का सुलभाव साहित्य का विवेच्य विषय नहीं है।

नाट्यशास्त्र में काव्य का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं है। किन्तु वागभिनय नामक सत्रहवें अध्याय में काव्य को छत्तीस लक्षणों से सम्पन्न करने की बात कही गयी है जिसे हम लक्षण नहीं स्वरूप-कथन कह सकते हैं^१।

अग्निपुराण में सबसे पहले काव्य का लक्षण मिलता है जिसका अभिप्राय

१ एतानि वा काव्यविभूषणानि

पटत्रिंशद्दुर्दृश्यनिदर्शनानि ।

काव्येषु सोदाहरणानि तज्ज्ञैः

सम्यक् प्रयोज्यानि वलानुरूपम् ।

नाट्यशास्त्र काशी संस्करण १३१४२ इसका पाठान्तर अन्य संस्करण में ऐसा है—

पटत्रिंशदेतानि हि लक्षणानि

प्रोक्तानि वै भूषणसम्मितानि ।

काव्येषु भावार्थगतानि तज्ज्ञैः

सम्यक् प्रयोज्यानि यथारसं तु ।

यह है कि अभीष्ट अर्थ जिननी पदावली में प्रकाशित किया जा सके उनसे ही किया जाय, यही मन्त्रिम वाक्य-विधान ही काव्य है।^१

अभिप्राय यह कि कवि जैसे सुन्दर शब्दों का चयन करता है वैसे ही अर्थ को भी रमणीय बनाने का प्रयत्न करता है। काव्य में टूले हुए शब्द और अभिलषित अर्थ कवि के अपने होते हैं। काव्यविधान में वह शब्द और अर्थ, दोनों की समान भाव से अपेक्षा रखता है। मारांश यह कि शब्द और अर्थ दोनों ही कविकृति में सम्मिलित हैं। इससे शब्द और अर्थ दोनों काव्य हैं।

इससे बाद भामह ने काव्य का लक्षण किया कि सम्मिलित शब्द और अर्थ ही काव्य है^२। अर्थात् वाच्य शब्द और श्रान्तर अर्थ ही सम्मिलित होकर काव्य को स्वरूप-प्रदान करते हैं।

काव्य को प्रधानतः शब्दगत मानना चाहिये या उभयगत, इस जिज्ञासा में दण्डी ने लिखा कि इष्ट अर्थ के द्वारा आत्मप्रकाशन के लिये विशेष रूप से चुन लिया गया जो पदसमूह है वह काव्य का शरीर है^३। क्योंकि सुविचित और सुप्रयुक्त शब्द के बिना इष्ट अर्थ की स्थिति ही असंभव है।

अर्थ शब्द का मर्मोद्घाटन मात्र है। उससे शब्द की उपयोगिता ही विद्ध होती है। दण्डी का लक्षण अग्निपुराण के लक्षण का नवीन संस्करण है।

दण्डी का यह विचार परवर्ती आचार्य रूद्रट को रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य हैं^४। इसी बात को आनन्दवर्द्धनाचार्य ने एक प्रसङ्ग पर यह कहकर प्रकारान्तर से स्वीकार किया है कि काव्य का शरीर शब्द और अर्थ दोनों हैं^५।

यद्यपि पूर्वाचार्यों के लक्षणों में भी गुण, दोष, अलंकार आदि को भी चर्चा है पर धामन ने शब्दार्थों का अलङ्कार होना आवश्यक बताया। उनका कहना है कि सौन्दर्य ही अलङ्कार है और अलङ्कार होने के कारण ही

१ संक्षेपाद्वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली। व्यासः

२ वाच्यार्थो सहितो काव्यम्। काव्यालङ्कार

३ शरीरं तावद्विष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली। काव्यादर्श

४ ननु शब्दार्थो काव्यं

वाच्यस्तत्रार्थवाननेकविधः। रूद्रट

५ वा ' शरीरं ' म। अन्यालोक

काव्य का काव्यत्व है। वह सौन्दर्य रूप अलङ्कार, दोष के त्याग और गुण तथा अलङ्कार के योग से ही उपलब्ध होता है।^१

तदनन्तर भोज ने काव्य का लंबा-सा यह लक्षण लिख मारा कि कवि निर्दोष, गुणयुक्त, अलङ्कार से अलंकृत और सरस काव्य का निर्माण करके ही कीर्ति और आनन्द को प्राप्त कर सकता है^२। एक प्रकार से इन्होंने भी शब्दार्थ ही को काव्य माना। क्योंकि अर्थ के बिना रस और अलंकार का अस्तित्व ही संभव नहीं।

काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य ने भी दोष-रहित और गुण-सहित शब्द और अर्थ, दोनों को ही काव्य माना^३ है। इन्होंने अलङ्कार पर उतना जोर नहीं दिया। यत्र-तत्र निरलंकार भी निर्दोष और सगुण शब्दार्थ काव्य है, ऐसा उनका मत है। लक्षण में तो नहीं पर अन्यत्र के विवेचन से प्रतीत होता है कि काव्य सरस होने की बात को भी वे स्वीकार करते हैं।

काव्य के कारण

काव्य का कारण प्रतिभा है। नयी-नयी स्फूर्ति, नव-नव उन्मेष, टटकी-टटकी सूक्त को प्रतिभा कहते हैं। पण्डितराज के विचार से प्रतिभा शब्द और अर्थ की यह उपस्थिति या आमद् है जो काव्य का रूप खड़ा करती^४ है। यही बात मंखक ने बड़े ढंग से कही है—सराहिये उस कवि-चक्रवर्ती को जिसके इशारे पर शब्दों और अर्थों की सेना सामने कायदे से खड़ी हो जाती है^५। वामन ने प्रतिभान अर्थात् प्रतिभा को कवित्वबीज कहा है^६।

१ काव्यमलङ्कारात् । सौन्दर्यमलङ्कारः ।

स दोषगुणालङ्कारहानादानाम्ब्याम् । काव्यालङ्कारसूत्र

२ निर्दोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलंकृतम् ।

रसान्वितं काव्यः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिञ्च विन्दति । सरस्यतीकण्ठाभरण

३ तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावत्तलङ्कती पुनः क्वापि । मम्मट

४ सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः । रसगङ्गाधर

५ अत्र ह्योन्मिषितकीर्तिसितातपत्रः

स्तुत्यः स एव कविमण्डलपत्रवर्ती ।

यस्येच्छयैष पुरतः स्वयमुज्जिहीते

द्राग्याच्यवाचकमयः पृतनानिवेशः ॥ श्रीकण्ठचरित

६ कवित्वबीजं प्रतिभानम् । वामन

रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति^१ नाम से अभिहित किया है। यह पूर्वजन्माजित एक विशेष प्रकार का संस्कार है जिसे आचार्य मम्मट आदि ने भी माना है। यह दो प्रकार की होती है। एक सहजा और दूसरे उत्पाद्या। सहजा कश्चिन् होती है अर्थान् ईश्वरप्रदत्त या अदृष्टजन्य होती है और उत्पाद्या व्युत्पत्तिलभ्य^२ है।

जिनको प्रतिभा नहीं है वे भी कवि हो सकते हैं। क्योंकि सरस्वती की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। आचार्य दण्डी कहते हैं कि यद्यपि काव्य-निर्माण का प्रबल कारण पूर्वजन्माजित प्रतिभा जिसको नहीं है वह भी श्रुत से अर्थान् व्युत्पत्ति-विधायक शास्त्र के श्रयण-मनन से तथा यत्न से अर्थान् अभ्यास से सरस्वती को कृपापात्र हो सकता^३ है। अर्थान् सरस्वती सेवित होने से सेवक को कवि की याणी देती है।

इससे स्पष्ट होता है कि काव्य के कारण प्रतिभा, शास्त्राध्ययन और अभ्यास हैं। कितने आचार्यों ने इन तीनों को ही कारण माना है। लोकरात्रादि के अवलोकन से प्राप्त निपुणता का ही नाम व्युत्पत्ति है और गुरूपदिष्ट होकर काव्यरचना में बार-बार प्रवृत्त होना अभ्यास है।

ये तीनों काव्य निर्माण में इस प्रकार सहायक होते हैं कि प्रतिभा से साहित्य-सृष्टि होती है, व्युत्पत्ति उसको विभूषित करती है और अभ्यास उसकी वृद्धि। जैसे मिट्टी और जल से युक्त बीज लता का कारण होता है वैसे ही व्युत्पत्ति और अभ्यास से सहित प्रतिभा ही कविता-लता का बीज है—कारण है। इसका ऊपर सप्रमाण उल्लेख हो चुका है।

१ मनसि सदा सुप्तमापिनि विस्फुरणमनेकधाभिधेयस्य।

अङ्घ्रिष्ठानि पदानि च विभाग्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥ रुद्रट

२ प्रतिभेत्यपरैरुदिता, सहजोत्पाद्या च मा द्विधा भवति।

×

×

×

उत्पाद्या तु कश्चिन् श्युत्परया जग्यते परया। रुद्रट

३ न विद्यते यद्यपि पूर्वबाधना—गुणानुबन्धि प्रतिभानमदभुतम्।

धृतेन यत्नेन च सागुपासिता धूर्ध्वं करोत्येव कमप्यनुग्रहम् ॥ काव्यादर्श

जो आधुनिक समालोचक यह कहते हैं कि 'प्रतिभा' ही केवल कवित्व का कारण हो सकती है, इस पर प्राचीनों ने जोर नहीं दिया। संस्कृत अलंकारिकों की दृष्टि में अशास्त्राभ्यासी कवि नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि से ग्रामीण गीतों में कवित्व नहीं हो सकता आदि। यह कहना ठीक नहीं है। हेमचन्द्र ने स्पष्ट लिखा है कि काव्यरचना का कारण केवल प्रतिभा ही है। व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके संस्कारक हैं, काव्य के कारण नहीं^१। भामह का तो कहना यह है कि मन्दबुद्धि भी गुरूपदेश से शास्त्राध्ययन में समर्थ हो सकता है पर काव्य तो कभी-कभी किसी प्रतिभाशाली के ही सौभाग्य में होता^२ है। यदि ग्राम-गीतों में कवित्व का अभाव माना जाता तो कवि-कोकिल चिद्यापति के गीत इतने समादृत नहीं होते। यही कारण है कि कजली और लावनी के रक्षिया भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को कहने के लिये बाध्य होना पड़ा कि 'भाव अनूठो चाहिये भाषा कोऊ होय'। हाँ, यह बात अवश्य है कि आशुकवियों, कव्वालियों, लावनी और कजली बाजों की तुरत की तुकबंदियों में कवित्व कदाचित ही होता है।

काव्य के फल

प्राचीन शास्त्रानुसार काव्य के फल तो यशोलाभ, द्रव्यलाभ, लोक-व्यवहारज्ञान, सदुपदेशप्राप्ति, दुःखनिवारण, परमानन्दलाभ^३ आदि अनेक हैं पर आधुनिक कलाकारों की दृष्टि में आनन्दलाभ के अतिरिक्त किसी का कोई उतना महत्त्व नहीं है। किन्तु सभी कलाकार और विवेचक इस विचार के नहीं हैं। वे काव्य के सदुद्देश्यों का समर्थन करते हैं। उदाहरण-स्वरूप महान् कलाकारों के कुछ उद्धरण दिये जा चुके हैं।

प्राचीनों की प्राचीन बातें भले ही नरुचें पर आधुनिक वर्द्धसुवर्थ की यह बात तो अवश्य मानी जायगी कि राग के द्वारा सत्य का हृदय में सजीव पहुँचाना कविता है। फिर सदुद्देश्य-सिद्धि के बारे में क्या संदेह हो सकता है। क्योंकि

१ प्रतिभैव च कवीनां काव्यकारणकारणम् । व्युत्पत्त्यभ्यासौ तस्या एव संस्कारकारकौ न तु काव्यहेतू । काव्यानुशासन

२ गुरूपदेशादध्येतुं नारतं जदधियोऽप्यलम् ।

काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभावतः । काव्यशालंकार

३ काव्यं यन्नसेऽर्धृष्टते व्यवहारविदे निवेतरक्षतये ।

सप्तः परनिवृत्तये काविशासंग्मिततयोपदेशयुज । काव्यप्रकाश

प्राचीनों की प्राचीन बातें भले ही न रचने पर आधुनिक वर्डसवर्थ की यह बात तो अवश्य मानी जायगी कि राग के द्वारा सत्य का हृदय में सजीव पहुँचाना कविता है। फिर सदुद्देश्य सिद्धि के बारे में क्या सन्देह हो सकता है? क्योंकि सत्यलाम जीवन का एक महान् उद्देश्य है। साहित्य से सत्य तो सुन्दर भी होता है। फिर और क्या चाहिये? कालिदास और तुलसीदास की बात जानने दीजिये। व्यावहारिक दृष्टि से देखिये तो कौन ऐसा लेखक और कवि है जो यशोभिलाषो न हो। द्रव्यलाम फल न होता तो नोबुल पुरस्कार के लिये नहीं तो कम-से-कम देवपुरस्कार और मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक के लिये किसी कलाकार की लार क्यों टपकती? आधुनिक कवियों के काव्यों में भी नीति की ऐसी बातें मिलती हैं जिनसे लोक-व्यवहार का ज्ञान भली भाँति हो सकता है। पाठ्य-पुस्तकों की कवितायें तो प्रायः ऐसी ही होती हैं। हाँ, दुःख निवारण एक ऐसी बात है जिसे सहज ही सब नहीं मान सकते। प्राचीन उदाहरणों को छोड़िये। बाहु-पीड़ा मिटाने के लिये 'हनुमान-बाहुक' की रचना सम्बन्धी तुलसीदास की कविदन्ती का अब तक अस्तित्व रहेगा तबतक आस्तिक जन कविता का यह उद्देश्य भी अवश्य मानेंगे।

रीति

काव्य में शब्द की प्रधानता हो या शब्द और अर्थ की, उसके वा' उनके कुछ आवश्यक उपकरण हैं। वे हैं रीति, गुण, अलंकार, रस और ध्यान। आरम्भ के तीन शब्द के और अन्त के दो अर्थ के उपकरण हैं। पर यह सामान्य भेद है। क्योंकि कई आचार्यों ने गुण को अर्थ का भी उपकरण माना है।

रीति की परम्परा बहुत पुरानी है। भामह से भी पहले की। दृष्टी रीति के समर्थक थे पर अलंकार के प्रभाव से मुक्त न थे। वामन ही प्रधानतः रीति के समर्थक या उन्नायक थे। उन्होंने अपने मत का ऐसा समर्थन किया कि अलंकार कुछ पीका पड़ गया।

वामन विशिष्टपद रचना को रीति' कहते हैं। भामह ने इस 'रीति' को 'वृत्ति' संज्ञा दी है। रीति या वृत्ति का आधुनिक नाम शैली है। किसी वर्णनीय विषय के स्वरूप को खड़ा करने के लिये उपयुक्त शब्दों का चुनाव और उनकी योजना को शैली कहते हैं। देश-विशेष के प्रमुख कवियों की प्रचलित प्रणाली के नाम पर ही रीतियों का वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी आदि नामकरण हुआ है। वृष्क-वृष्क नादाभिव्यञ्जक वर्णों से संधित शब्दों के चुनाव से जो वस्तु का

प्रस्तुतानुगुण भंकार की विशेषता आती थी उसीसे उन वृत्तियों के उपनागरिकों कोमला, पर्याये नाम पड़े ।

अब तक के पूर्ववर्ती आचार्य विशेष रूप से काव्य-कलेवर के द्वारे में ही विचार-विमर्श कर रहे थे । किसीने उसकी आत्मा पर ध्यान नहीं दिया था । पर वामन ने शब्दार्थ-शरीर में काव्यात्मा की खोज की और उसको रीति कहा^१ । यद्यपि काव्यात्मा के सम्बन्ध में मतभेद है तथापि काव्यात्मा के निर्धारण की ओर उन्मुख करनेवाले ये ही आचार्य हैं । वामन ने विशिष्ट पद-रचना को रीति कहा और पद-रचना में विशेषता लाने वाले धर्म को गुण^२ । शब्द में जो सौन्दर्य अनुभूत होता है वह इन्हीं गुणों के आदान से और दोषों के परित्याग से । इस प्रकार उनके मत से काव्य में गुण और रीति का संयोग अनिवार्य है ।

गुण

वामन ने गुणों की व्याप्ति पिछले आलंकारिकों के समान शब्द ही तक सीमित नहीं मानी है । श्लोक आदि गुणों को वे अर्थगत भी मानते हैं । भोजराज तो यहाँ तक कहते हैं कि अलंकृत काव्य भी गुणहीन होने से श्रवणीय नहीं । अतः काव्य को अलंकृत होने की अपेक्षा गुणयुक्त होना आवश्यक^३ है ।

काव्य में जो गुण पदावली को विभूषित करता है वह शब्द-गुण है, जो वर्णनीय वस्तु को उत्कृष्ट बनाता है वह अर्थगुण है और जो शब्द और अर्थ दोनों को उपस्कृत करता है वह उभय-गुण है ।

गुणों के विषय में आचार्यों में मतभेद है । इनमें व्यास, (अग्निपुराण) भरत, दण्डो, वामन और भोज मुख्य हैं । भरत ने दस, अग्निपुराण उन्नीस और भामह ने तीन गुण माने हैं । इन्हीं तीनों में प्रसाद, माधुर्य और श्लोक में ही, अन्य भेदों का अन्तर्भाव कर दिया है । बाद दण्डो ने दस, वामन ने बीस और भोज ने चौबीस गुण माने । पर काव्य-प्रकाश ने अपना प्रकाश डालकर उक्त तीनों गुणों का ही समर्थन किया और दर्पणकार आदि ने भी इन्हें ही माना । अब काव्य में इन्हीं तीनों गुणों का महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है ।

भरत ने जो 'एत एव विपर्यस्ताः' कहकर दोषों के विपरीत जो कुछ है वही गुण है, यह मत प्रकाशित किया सो ठीक नहीं । क्योंकि गुण काव्य का एक

१ रीतिरात्मा काव्यस्य । काव्यालङ्कारसूत्र

२ विशेषो गुणारत्मा । काव्यालङ्कारसूत्र

३ अलंकृतमपि श्रव्यं न काव्यं गुणवर्जितम् ।

गुणो गवस्तयोमुख्यो गुणालङ्कारयोग्योः ॥ सरस्वतीकण्ठामरण

विशिष्ट धर्म है, जिसका पद अलंकार में भी ऊँचा है। इससे उन्हें दोष के अभाव रूप में स्वीकार करना ठीक नहीं। काव्य-दोष अनेक हैं, जिनसे काव्य को मुक्त रखने के लिये सभी आचार्यों ने अपने-अपने लक्षणों में दोषाभाव का समावेश किया है।

गुण और अलंकार यद्यपि काव्योत्कर्ष विधायक हैं तथापि इनके धर्म भिन्न हैं। क्योंकि दण्डी के कथनानुसार गुण काव्य के प्राण^१ हैं; वामन के मत से गुण काव्य में काव्यस्य लानेवाला धर्म^२ है और अलंकार काव्य की उत्कृष्ट बनानेवाला धर्म^३ है। गुणों से काव्य में काव्यस्य आता है और अलंकार से काव्य की श्री-वृद्धि होती है।

अलंकार

मरुत मुनि ने उपमा, रूपक, दीपक और यमक^३ इन चार अलंकारों की चर्चा की है पर इनकी विशेष विवेचना नहीं की है। अग्निपुराण के लक्षण में काव्य का स्फुरदलंकार होना लिखा है। अलंकार-सम्प्रदाय के प्रधान और प्राचीन आचार्य भामह ने शब्दार्थ-वैचित्र्य को वक्रोक्ति—एक प्रकार का शौक्यन मंज्ञा दी है और इस वैचित्र्य को ही अलंकार कहा^४ है। बिना वक्रोक्ति के वे अलंकार मानते ही नहीं और इसी वक्रोक्ति के लिये कवियों को प्रयत्नयान् होने का आदेश देते हैं^५। इस उक्ति-वैचित्र्य को आचार्य दण्डी अतिशयोक्ति कहते हैं और अलंकारों को काव्य के शोभा-धायक धर्म मानते हैं^६। आचार्य वामन काव्य की अलंकार-सहित होने पर ही प्राह्य बताते हैं और अलंकार उनके मन से सौन्दर्य है^७।

१ एते वैदभमागस्य प्राणा दस गुणाः स्मृताः । दण्डी

२ काव्यशोभायाः कर्तारो गुणाः ।

तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः । वामन

३ उपमा रूपकञ्चैव दीपकं यमकं तथा ।

अलंकारान्तु विज्ञेयाश्चचारो नाटकाश्रयाः ॥ नाट्यशास्त्र

४ वक्राभिधेयवक्रोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः । काव्यालंकार

५ सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते ।

यस्मात्स्यैः कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना । काव्यालंकार

६ अलंकारान्तराणामप्येकमाहुः परावणम् ।

वागीशमहितामुक्तिमिमामतिशयाद्गुणाम् ॥ काव्यादर्श

वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को एक प्रकार से पर्याय मान लिया गया है^१ । अलंकार-मात्र में अनेक आचार्य वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को सत्ता मानते हैं^२ । ध्वनिकार को भी यह मान्य है । क्योंकि काव्य में कुछ अनूठापन लाना सकल-सहृदय-सम्मत है ।

प्रसंगतः वक्रोक्ति का यहाँ विचार हो जाना चाहिये । वक्रोक्ति को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करनेवाले वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ही हैं । वक्रोक्ति से उनका अभिप्राय भणिति-भंगि^३ अर्थात् कहने के विशेष ढंग से है । वक्तव्य विशेष का साधारण रूप से वर्णन न करके कुछ ऐसी विदग्धता के साथ वर्णन करे कि उसमें कुछ विच्छिन्नता या विचित्रता आ जाय ।

अभिप्राय यह कि शब्द और अर्थ के संयोग से ही साहित्य-सृष्टि होती है । वे शब्द और अर्थ तभी काव्यत्व लाभ कर सकते हैं जब उनमें वक्रोक्ति हो । कुन्तक का कहना है कि साधारणतः अनेक शब्दों से अर्थ प्रकाश किया जा सकता है पर अनेक शब्दों के रहते हुए भी जो शब्द ठीक विवक्षित अर्थ को प्रकाशित करता है वही वाचक शब्द है । अर्थ वही है जो स्वयं सुन्दर हो और सहृदयों का हृदयाह्लादक हो । इसी सहृदयाहृदयाह्लादकारी अर्थ और विवक्षितार्थकवाचक शब्द की जो विशिष्टता है वही वक्रोक्ति है^४ । कुन्तक के मत से यही वक्रोक्ति कविता का प्राण^५ है । सरांश यह कि काव्य के शब्द और अर्थ के साहित्य में अर्थात् एक साथ मिलकर भाव-प्रकाश करने के सामञ्जस्य में ही काव्यत्व है । कुन्तक के मत से वक्रोक्ति ही कविता कहलाने के योग्य है । किन्तु वक्रोक्ति में चमत्कार के कारण वे सरसता के भी समर्थक हो जाते हैं^६ । भामह के

१ एवं चान्तिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोध्यम् । काव्यप्रकाश बालत्रोधनी टीका ।

२ सर्वत्र एवंविधविषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते । तां विना प्रायेणालंकारत्वायोगात् । काव्यप्रकाश

३ वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभंगोभणितिरुच्यते । वक्रोक्तिजीवित

४ शब्दो विवक्षितार्थकवाचकोऽन्येषु सत्यपि ।

अर्थः सहृदयःह्लादकारि स्वस्पर्दसुन्दरः ॥

५ वक्रोक्तिः काव्यजीवितम् ।

६ स्वयं सन्पत्परिस्पन्दित सन्भाषं सरसामनाम् ।

भक्तौकुरुचमरकारकारिकुण्डलीजीवितम् । वक्रोक्तिजीवित

गुद-गुदी नहीं पैदा कर सकते । पर अर्थ इस अर्थ के लिये सर्वथा समर्थ है । अतौकिक आनन्द का दान ही हमारे काव्य का ध्येय है । यह आनन्द वाद्या-इन्द्र से प्राप्त नहीं हो सकता । अलंकार वा विशिष्ट पद-रचना काव्य की आत्मा नहीं हो सकती । काव्यात्मा तो वस अर्थ का उत्कर्ष ही है जो रस के समावेश से ही सिद्ध हो सकता है । जब तक किसी बात से हमारा हृदय गद्गद नहीं हो उठता, मुग्ध नहीं हो जाता, तबतक हम किसी वर्णन को काव्य कह ही कैसे सकते हैं । किसी भाव के उद्रेक ही में तो अर्थ की सार्थकता है । यह अर्थ हृदयस्पर्शां तभी हो सकता है जब उसमें हृदय के सुप्त भाव को छेड़कर जागरित करने की शक्ति हो । उसी जाग्रत भाव में हम भूल जायँ तो हमें सच्चा आनन्द प्राप्त होगा और वही आनन्द काव्य का रस है ।

भारतीय काव्य की रस परम्परा बहुत प्राचीन है । राज्यशेखर ने अपनी काव्य-मीमांसा में काव्य-विद्या के आठठारह अंगों में रसाधिकारिक अंग का आचार्य नन्दिकेश्वर को माना है । काम-शास्त्र के संक्षेपकों में भी नन्दिकेश्वर का नाम आया है । ये नन्दिकेश्वर महादेव के अनुचर माने जाते हैं । साहित्य में नाना भाँति से इनका नाम आया है । इनकी विवेचना साहित्य का विषय नहीं । पर यह कहा जा सकता है कि नन्दिकेश्वर के या भरत मुनि के पूर्व जब तक पूर्ण रूप से रस-मीमांसा नहीं हुई थी तब तक रस से केवल शृङ्गार ही समझा जाता था । राजशेखर के भरत को रस का आदि प्रवर्तक न मानने से यह भी स्पष्ट है कि भरत ने परंपरागत रस का ही अपने नाट्य-शास्त्र में समावेश किया है जिसकी व्याख्या छठे और सातवें अध्यायों में की है ।

भरत का: "विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः" यह सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी व्याख्या अनेक आचार्यों ने मिल-भिन्न रूप से की है । भरत शृंगार, वीर, रौद्र तथा वीभत्स चार प्रधान और उनसे उद्भूत, हास्य करुण, अद्भुत, भयानक चार अप्रधान रस मानते हैं । भामह का रस-सम्बन्धी कोई निश्चित विचार नहीं । रस से परिचित होने पर भी उन्होंने वक्रोक्ति और अलंकार को ही प्रधानता दी है । द्रष्टी ने माधुर्य गुण के लक्षण में रस का नाम लिया है और वाग्‌रस तथा वस्तुरस नामक उसके दो भेद किये हैं । शब्दालंकारों में अनुप्रास को वाग्‌रस का पोषक और अर्थलंकारों में प्राण्यःप्र-दोष के अभाव वस्तुरस का पोषक माना है । पर रस विवेचना स्वतन्त्र रूप से नहीं की है । संभव है वे रस से अस्वादि मात्र ही समझते हों ।

धामन के कान्ति नामक अर्थ-गुण के लक्षण में यह कहकर रस की चर्चा की है कि रसों की दीप्ति^१ अर्थात् प्रगाढ़ अभिव्यक्ति ही कान्ति नामक अर्थ-गुण की आधायक है। उद्धट ने भरत के अनुसार आठ रसों को मानकर विभावादि की व्याख्या की है और उनमें एक शान्त रस जोड़ दिया है। रुद्रट ने इसमें प्रेयस्^२ को जोड़कर दस कर दिया। पर काव्य-तत्त्व जो रस है उसका कोई सिद्धान्त स्थिर न कर सका। भले ही किसी न किसी रूप में रस को वे मानते रहे।

उपर्युक्त जितने आचार्य हैं सभी अलंकार के ही पक्षपाती हैं। सभी ने रस को अलंकार और रीति का ही उत्कर्षक माना है। काव्य में रस की प्रधानता स्वीकार करने को वे प्रस्तुत नहीं थे। भरत से लेकर ध्वनिकार तक रस से नाट्य-रस ही समझा जाता था। क्योंकि नाटक को ही लेकर उसमें रस की उत्पत्ति, उसकी आवश्यकता आदि का विवेचन है। बाद के आचार्यों ने भी प्रायः उसीका अनुसरण किया है। पर नाटक के काव्याङ्ग होने से काव्यमात्र में रस की स्थिति विवेच्य है। रुद्रभट्ट ने तो स्पष्ट ही कहा है कि भरतादि ने नाट्य ही में रस की स्थिति मानी थी। मैं अथ यथामति काव्य में भी उसकी स्थिति का निरूपण करता^३ हूँ। अतः भरत के नाट्य रस का सिद्धान्त काव्य के रस-सिद्धान्त पर भी लागू होता है। अत्र भक्ति और वास्तव्य मिलाकर रस की संख्या बारह हो गयी। ध्वनिकार ने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है और यह ध्वनि प्रधानतः रस की ही होती है।

रस-निष्पत्तिवाले भरतयुग की कई आचार्यों ने कई प्रकार से जो व्याख्या की है उसका मुख्य तात्पर्य यही है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा सहृदय पुरुषों के हृदय में वासना रूप से वर्तमान स्थायी भाव ही अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होता है। विभावादि को थोड़े में जान लें।

शृङ्गार आदि प्रत्येक रस का रति आदि एक-एक स्थायी भाव होता है। ये स्थायी भाव संस्कार रूप से कुछ मानव-हृदयों में वर्तमान रहते हैं। विभाव का अर्थ होता है भाव का कारण। यह दो प्रकार का है। आलंबन और लक्ष्यपन रस-प्रतीति में दोनों की आवश्यकता होती है। भावों के बोधक कार्यों को अनुभाव

१ दीप्तिरसत्वं कान्तिः। काव्यालंकारसूत्र २।३।१४

२ स्नेह-प्रकृतिः प्रेयान्। काव्यालङ्कार

३ प्रायो नाट्यं प्रति प्रोक्ता भरताद्यैः रसस्थितिः।

यथामति मयाध्येषा काव्यं प्रति निगद्यते। शृङ्गारतिलक

कहते हैं। जैसे, आलंबन नायिका और उद्दीपन चन्द्रोदय आदि के द्वारा आलंबित और उद्दीपित नायकगत रति भाव को व्यक्त करने की जो नायक की शारीरिक चेष्टायें होती हैं वे अनुभाव हैं। चिन्ता, मोह, दैन्य आदि तैत्तिस संचारी हैं। ये क्षण-स्थायी होते हैं। एक स्थायी भाव की प्रभुता में बहुत से संचारी भाव उठते और मिटते रहते हैं। लौकिक परिभाषा में इन्हें रस-निष्पत्ति के सहकारी कारण भी कह सकते हैं। भावों में संचरण करने के कारण संचारी और विविधता तथा आभिमुख्य से चरण करने अर्थात् उत्पन्न और विलीन होने से इनकी व्यभिचारी संज्ञा मी है।

स्पष्ट यह कि रसों की प्रतीति में तत्तद्रसानुकूल विभाव, अनुभाव तथा संचारी कारण होते हैं। इनसे जब स्थायी भाव परिपुष्ट होते हैं तब रसों की अनुभूति होती है। समझना चाहिये कि इन सबों की संश्लिष्टात्मक अखण्डता ही रस है।

इन्हीं संचारी और व्यभिचारी शब्दों को लेकर भी पन्तजी ने प्राचीनों पर कीचड़ उछालने की निन्द्य चेष्टा की है। वे वहाँ लिखते हैं कि 'रसगंगाधर, काव्यादर्श आदि की वीणा के तार पुराने हो गये। वे स्थायी, संचारी, व्यभिचारी आदि भावों के जो कुछ संचार या व्यभिचार करवाना चाहते थे, करवा चुके। धन्य पन्तजी! यदि आप इन बातों का उल्लेख न भी करते तो आपकी प्रतिभा की पूजा होती। ऐसे वाक्यों पर तो कविजनोचित शालीनता शरमाकर सिर नीचा कर लेती है।

प्राचीनों ने व्यभिचारी की शिक्षा कभी नहीं दी। आचार्यों और महाकवियों ने अपनी कृतियों की मनोरंजक शक्ति से श्रोता और पाठक पर वह प्रभाव डालने की चेष्टा की है जिससे उनकी चित्तवृत्ति अलक्ष्य रूप से सुसंस्कृत होकर परिवर्तित हो जाय। काव्य ने वही काम किया है जो बुद्धिमती कान्ता अपने निःशुद्ध प्रेम से पति को केवल प्रसन्न करने के लिये ही नहीं, ठीक रास्ते पर रखने के लिये भी करती है। हमारे काव्य अपना अलक्ष्य प्रभाव डालकर विकृत चित्तवृत्ति को उचित मार्ग पर लाने की क्षमता रखते हैं। उनका काव्यगत उद्देश्य राम के समान बनाने का है न कि रावण के समान।

हम मानते हैं कि संस्कृत के कवियों ने शृङ्गार रस का विशेष रूप से वर्णन किया है। उदाहृत पद्यों में शृङ्गार रस लज्जालव भरा पड़ा है। नायिका-भेद के उदाहरणों में भी शृङ्गार की पराकाष्ठा है। पर आप उसे कुत्सित या अश्लील नहीं कह सकते। जिन आचार्यों ने अश्लीलता को दोष माना है वे अश्लीलता को प्रथम ही कैसे दे सकते थे। ऐसे वर्णनों में प्राचीन कवियों का सदा ही

यहं सदुद्देश्य रहा कि समाज असतियों और धूर्तों की चालबाजियों से सदा सचेत रहे और अपने को नीतिभ्रष्ट और कुकचि-पंकिल होने से बचावे। कूट तो कहते हैं कि कवि को पर-खी को न तो चाहना है और न उपदेश देना। यह तो केवल उनके पूत को काव्याङ्ग के रूप में ही प्रदण करता है। आज के कलाकार ही अश्लीलता और नग्नता को प्रभय दे रहे हैं।

अचार्यों पर व्यभिचार का लाञ्छन लगानेवाले पन्तजी के काव्य में नग्नता का एक निम्न नमूना देखें—

मंजरित-भाघ्रवन - छाया में हम भिये मिले थे प्रथम बार,
 ऊपर हरीतिमा नभ गुम्भित, नीचे चद्रातप छना स्फार !
 तुम मुग्धा थीं अति-भाव-प्रवण, कहते-थे अंशुओं से उरोज,
 चंचल मगधम हँसमुज सदार, मैं सलम तुम्हें या रहा खोज !
 छनती थी ज्योरसना शशि-मुख पर मैं करता था मुख-मुखा-पाव—
 कृकी थी कोकिल, हिळे मुकुळ, भर गये गंध से मुग्ध प्राण !
 तुमने अधरों पर धरे अधर, मैंने कोमळ वपु'भरा गोद,
 या भात्मसमर्पण सरळ मधुर, मिल गये सहज मास्तामोद !
 मंजरित भाघ्रव्रुम के नीचे हम भिये मिले थे प्रथम बार,
 मधु के कर में था प्रणय बाण, एक के डर में पावक पुकार !

पन्तजी जिन व्यभिचारी भावों से भड़कते हैं उन्हीं की इसमें भरमार है। वे जिन विभाव, अनुभाव, सचारा भावों से अलग रहने की शिक्षा दे रहे हैं उन्हीं में वे फँसे हैं। भला रस विद्व कवि कैसे इनसे भाग सकता है। इनके बिना काव्य में रसोत्पत्ति का होना संभव नहीं। इस कविता में सभी कुल्य हैं। काव्य-रस-रसिक इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। व्याख्या की जरूरत नहीं।

ध्वनि

‘ध्वनि’ शब्द का अर्थ है ‘आवाज’। आवाज से जैसे आवाज निकलती है वैसे ही वाच्यार्थ से ध्वनि निकलती है। यह शब्द की एक अर्थ-शक्ति है। शब्द से स्पष्ट न कही जाने पर भी जो बात प्रतिभासित होती है वही ध्वनि है।

१. नहिं कविना परदाश पृथग्भा नापि चोपदेष्टव्याः ।

कर्तव्यतयाऽभ्येषां न च तदुपायोऽभिधातव्यः ।

किन्तु तदीयं वृत्तं काव्याङ्गत्वात् स केवलं वक्ति ।

भारावपित्तं विदुपरतेन न दोषः कथेरत्र । काव्यालौकार

वाच्यार्थ तो शब्दों का ठेठ अर्थ है जिसे गँवार भी समझता है। काव्य में उसका महत्त्व निम्न कोटि का है। उसका जो व्यंग्यार्थ है—ध्वनि है, वही चोखा है, असाधारण है, और महत्त्वपूर्ण है। शब्दों से स्पष्ट प्रकट न होने के कारण ही ध्वनिकार ने लिखा है कि कवियों की वाणी में वाच्यार्थ के अतिरिक्त प्रतीयमान—प्रतिभासमान जो ध्वनिरूप व्यंग्यार्थ होता है वह कोई और ही अपूर्व वस्तु है वह अर्थ वैसे ही शोभित होता है जैसे सुश्लिष्ट—सुगठित अङ्गोंवाली नायिका के अङ्गों के अतिरिक्त उसका लावण्य हो—लुनाई या सलोनापन हो^१। शास्त्रीय परिभाषा में प्रधान व्यंग्यार्थ ही ध्वनि कहलाता है।

यद्यपि ध्वनिकार इस ध्वनिमत के आविष्कारक नहीं हैं तथापि उन्होंने उस उपेक्षित और अस्पष्ट ध्वनिवाद को सुव्यवस्थित रूप दिया है। उसने नव जीवन का सञ्चार किया है। उन्होंने ध्वनि को केवल काव्यात्मा कहकर ही विश्राम नहीं ले लिया, प्रत्युत रस, रीति-गुण और अलंकारकी भी मीमांसा करके ध्वनि के साथ उनका सामञ्जस्य भी स्थापित किया है। उन्होंने ध्वनि को इन सर्वों से एक विलक्षण पदार्थ बताया है। उनके मार्मिक विवेचन और पारिदृश्य पूर्ण प्रतिपादन के प्रभाव से अलंकारवाद आदि सभी मत निष्प्रभ हो गये।

ध्वनिकार के मत से रस, भाव आदि ध्वनियों में प्रधान हैं। ये ध्वनित ही होते हैं, उक्त नहीं। वस्तु और अलंकार भी ध्वनित होते हैं पर रस, भाव आदि की ध्वनि को जो प्रधानता प्राप्त है वह उन्हें प्राप्त नहीं। क्योंकि रस, भाव आदि से ही काव्य प्राणवान् होता है। इस ध्वनित होनेवाले रस का परवर्ती आचार्यों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि प्रायः सभी इसके किसी-न-किसी प्रकार से अनुयायी बन गये।

क्रीच पत्नी का एक जोड़ा काम-कौतुक में निमग्न था। इसी समय एक व्याध ने कामोत्पन्न नर क्रीच को मार गिराया। वह पृथ्वी पर तड़फाड़ने लगा। क्रीची क्रीच की मर्मकृन्तक कराह को सुनकर करुण क्रन्दन करने लगी। यह दृश्य देखकर कवि के हृदय में जो करुणा उमड़ आयी उसने भारतीय काव्य-साहित्य के पहले श्लोक को जन्म दिया। वह श्लोक है—

मा निपाद् प्रतिष्ठां त्वमगमः शारवतीः समाः ।

यत्क्रीचमिधुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥

इस श्लोक का साधारण अर्थ है कि “रे व्याध, तुमने क्रीच की जोड़ी से

१ व्यंग्यालोक का श्लोक इस ग्रन्थ के २०१ वे पृष्ठ में देखें।

काम-मोहित कौंच को मार डाला । इसीसे अनन्त काल तक तुम्हारी कोई पूछ न हो" । पर इस वाक्यार्थ में कोई विशेष चमत्कार नहीं । स्वयं आश्चर्य-चकित होकर आदि कवि ने अपने शिष्य से कहा कि शोकांत हृदय से निकला हुआ यह लय-तान-समन्वित श्लोक (यश) ही रहे, अन्यथा न हो । इसके मूल में कवि की करुण भावना निहित है । उस समय महर्षि के मन में जो करुण रस उत्पन्न हुआ वही इस श्लोक से ध्वनित है । इसीसे इस श्लोक को काव्यत्व प्राप्त है । इसीसे महर्षि वाल्मीकि के करुणा-विगलित कोमल मानस का जो मार्मिक भाव व्यक्त होता है वह सहृदय के हृदयों को आकर्षित कर लेता है । इसी पर तो ध्वनिकार ने लिखा है कि—

काव्यस्वात्मा स एवार्थस्तथा चाद्रिकवेः पुरा ।

कौंचद्वन्द्ववियोगोऽस्य शोकः श्लोकस्वभावात् ॥

कौंच-द्वन्द्व के वियोग से उत्पन्न आदि कवि के शोक ने जो श्लोक का रूप धारण किया वह करुण रस का प्रत्यक्ष उद्गार था । वही करुण रस ध्वनि काव्यात्मा है ।

अर्थ

काव्य का सर्वस्व अर्थ ही है शब्द तो उसके वाहन-मात्र है । अर्थ ही पर शब्द शक्तियाँ निर्भर हैं । रस अर्थगत ही है । शत-प्रतिशत अलंकार प्रायः अर्थालंकार ही हैं । रीति गुण भी अर्थ से असम्बद्ध नहीं कहे जा सकते । कहना चाहिये कि बात की कारामात तभी है जब वह सार्थक हो । निरर्थक मुललित पदावली भी उन्मत्त-प्रलाप की कोटि में ही रक्खी जायगी ।

अर्थ तीन प्रकार के होते हैं—अभिधेय, लक्ष्य और व्यंग्य । ये शब्द की क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना नामक शक्तियों से प्रकट होते हैं । व्यंग्य ही ध्वनि है—वही व्यञ्जना का फलोपधावक रूप है । व्यंग्य और ध्वनि के स्वरूप में कोई विभेद नहीं ।

आशाधर मह.ने अपनी 'त्रिवेणिका' में इन तीनों शक्तियों को गङ्गा, यमुना और सरस्वती की उपमा दी है । गङ्गा ही इन तीनों में प्रधान है । इसका विस्तार विश्वविदित है । ऐसी ही अभिधा शक्ति है । सबसे पहले यही अपना व्यापार करती है । इससे कोई शब्द बचा नहीं है । गङ्गा में ही यमुना आ मिली है । अभिधा के आधार पर ही लक्षणा है । अभिधा के बिना लक्षणा का अस्तित्व असंभव है । व्यञ्जना प्रबुद्ध है, जैसे सरस्वती । अभिधा और लक्षणा दोनों व्यञ्जना के मूल हैं । दोनों से ही व्यञ्जना होती है जो अभिधा गङ्गा और

थी । समाज उनसे लाभान्वित होता था । वे संयमी थे, आस्थावान् थे और वे प्रवर्तित चक्र के सब्बे अनुवर्तक तथा निसर्ग और संस्कार, दोनों से पूत । यही कारण है कि उनकी रचना विश्व के घरेलूय हुई है । वे भारत का गस्तक उन्नत करनेवाले थे । आज की-सी अस्तव्यस्त रचना पहले होती भी नहीं थी, जिससे इन ऊपरी बातों की ओर दृष्टि डालने का अवसर आता । पाश्चात्यों ने कालिदास और भवभूति को जो कुछ सम्झा वह अन्य संस्कार से नियन्त्रित, अतएव तल-स्पर्श से अनभिज्ञ सुग्ध दृष्टि के द्वारा । इन महाकवियों की कृतितरङ्गिणी में उन्हें भी अवश्य ही अनुकूल वेदनीय दो चार बिन्दु मिल गये हैं । पाश्चात्य प्रभाव से अभिभूत यह युग सोई शक्ति को जमाना चाहता है । किन्तु किस प्रबोधन-प्रकार से देश जागेगा, इसका यथार्थ ज्ञान यद्यपि उसे अभी नहीं हुआ है । प्रतिदिन नये-नये अनुभव करना चाहता है । अब किसी के लिये उससे दूर रहना संभव नहीं ।

श्रीर काव्य साहित्य पर उनकी स्पष्ट छाप है। वैज्ञानिक होने या विज्ञान का प्रभाव पढ़ने से पाश्चात्य परिदृष्टियों ने यस्तु का सूक्ष्मातिवृद्धम विश्लेषण करने में कमाल का काम किया है। प्राच्य मनीषियों ने रसतत्त्व की जैसी व्याख्या की है, उसके भीतर काव्योपयोगी वस्तुत्व का सर्वाङ्गपूर्ण समन्वय हो गया है। युगधर्मानुसार सभी अपने-अपने स्थान पर ठीक हैं। हिन्दी-साहित्य-विवेचना पर प्राचीन खण्डनमण्डनात्मक तथा तुलनात्मक आलोचना-प्रणाली का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

पाश्चात्य पद्धति ने वर्णनीय विषय की विवेचना की ओर अवश्य अधिक प्रयास किया है। वर्णनीय, देशिक कालिक, मानसिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों से किस प्रकार नियन्त्रित या अभिभूत होता है, इसकी ओर अवश्य ध्यान दिया है। पर यह विषय भी प्राच्य पद्धति में उपेक्षित नहीं है। उसके निरूपण में चाहे कितनी ही अन्तर हो।

प्राचीन प्रणाली पर आधुनिकों के जो आक्षेप हैं उनमें से कुछ ये हैं—

- (१) कवि की काव्यप्रतिभा के भावन और अनुभावन का अभाव। (२) काव्य में आत्मप्रकाशील कवि-हृदय को न पकड़ पाने से रसास्वादन में अपूर्णता। (३) शीलवैचित्र्यमय तथा संपर्ान्दोलित जटिल-कुटिल या सहज सरल चरित्र का मनोनिवेशपूर्वक अध्ययनाभाव। (४) रस-विशेष की अभिव्यञ्जना की प्रमविष्णुना और असमर्थता के कालात्मक विवेचन का अभाव। (५) रचनाकार की मानसिक स्थिति का अज्ञान। (६) काव्य का सामाजिक जीवन पर प्रभाव और उनकी प्रतिक्रिया का अज्ञान। (७) काव्य नाटक के लक्षण वा स्वरूप-निर्देश में अबांझनीय सुंकीर्णता। (८) पाश्चात्यों के द्वारा की गयी कालिदास, भवभूति आदि की काव्यकला की विवेचना में तुलना में प्राच्य विवेचना की हीनता। (९) अखण्ड दृष्टि और समय रूप से रस की अनुपलब्धि (१०) समालोचना का निदर्शन जैसे—

वपसा कालिदासस्य भारवेर्यगौरवम्

नेपथे पदछाकित्यं माघे सन्ति श्रयो गुणाः ॥ इत्यादि

प्राचीन आचार्य इन आक्षेपों के लक्षण नहीं हो सकते। काव्य के तात्कालिक आदर्श, उद्देश्य आदि भिन्न थे। महाकवियों की काव्य-साधना के स्वरूप भिन्न थे। वे जीवन और समाज को निरपेक्ष भाव से देखते थे। समाज पर उनकी रचना की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसकी वे चिन्ता ही नहीं करते थे। क्योंकि उनकी साधना सर्वतोभावेन सायंजनीन और सर्वतोभद्र होती

थी। समाज उनसे लाभान्वित होता था। वे संयमी थे, आस्थावान् थे और वे प्रवर्तित चक्र के सच्चे अनुवर्तक तथा निसर्ग और संस्कार, दोनों से पूत। यही कारण है कि उनकी रचना विश्व के बरेष्य हुई है। वे भारत का मस्तक उन्नत करनेवाले थे। आज की-सी अस्तव्यस्त रचना पहले होती भी नहीं थी, जिससे इन ऊपरी बातों की ओर दृष्टि डालने का अवसर आता। पाश्चात्यों ने कालिदास और भवभूति को जो कुछ समझा वह अन्य संस्कार से नियन्त्रित, अतएव तल-स्पर्श से अनभिन्न सुग्ध दृष्टि के द्वारा। इन महाकवियों की कृतितरङ्गिणी में उन्हें भी अवश्य ही अनुकूल वेदनीय दो चार बिन्दु मिल गये हैं। पाश्चात्य प्रभाव से अभिभूत यह युग सोई शक्ति को जगाना चाहता है। किन्तु किस प्रबोधन-प्रकार से देश जागेगा, इसका यथार्थ ज्ञान यद्यपि उसे अभी नहीं हुआ है। प्रतिदिन नये-नये अनुभव करना चाहता है। अब किसी के लिये उससे दूर रहना संभव नहीं।

पाश्चात्य साहित्य में समालोचना के प्रायः पाँच भेद मुख्यतः दृष्टिगोचर होते हैं। वे ये हैं—(१) निगमनात्मक समीक्षा (Deductive criticism) इसके अनुयायी साहित्य की परिवर्तनशीलता में विश्वास नहीं करते (२) विवेचनात्मक समीक्षा (Inductive criticism) इसके समर्थक साहित्य की गतिशीलता पर विश्वास करते हैं। (३) प्रभावात्मक समीक्षा (Impressionist criticism) इस मतवाले इस बात का विचार करते हैं कि हमारे जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। (४) निर्द्वारात्मक समीक्षा (Appreciative criticism) इसके विश्वासी 'कला कला के लिये' इस सिद्धान्त के समर्थक हैं और (५) सौन्दर्यदर्शनात्मक समीक्षा (Aesthetic criticism) इसके अनुमोदक सौन्दर्यतत्त्व के अनुसार साहित्य श्रेष्ठत्व की व्याख्या करते हैं।

कोई इसके चार भेद मानते हैं। दो ऊपर के विवेचनात्मक और प्रभावात्मक और दो नये-निर्णयात्मक (Judicial) और तुलनात्मक (Comparative)। कोई वस्तुवादी (Objective) और आत्मलक्षी (Subjective) इन दो भेदों में ही समालोचना के उक्त भेदों को गतार्थ कर देते हैं। अन्य भी इसमें कितने मतमतान्तर हैं और आलोचना के विभिन्न अर्थ किये जाते हैं।

काव्यमीमांसा के चौथे अध्याय में जो भावक के भेद किये गये हैं उनसे समालोचना का एक रूप खड़ा हो जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि प्राचीन आचार्यों की भी दृष्टि समालोचना के सत्त्वरूप की ओर थी। राजरोखर का कथन है कि तत्त्याभिनिवेशी भावक या समालोचक

बड़ा ही दुर्लभ है जो किसी-किसी कृतिकार को सौभाग्य से प्राप्त हो जाता है। ऐसा भावक शब्दगुम्फन का अर्थात् काव्य के कला-पक्ष का विवेचक तो होता ही है रस को तह में भी पहुँच जाता है अर्थात् हृदयपक्ष का साक्षात्कार भी करता है। पाश्चात्य समालोचक भी साहित्य-समालोचक के सम्बन्ध में कुछ ऐसे ही भाव रखते हैं !

हम इस बात को स्वीकार करने हैं कि समालोचना के रूप-परिवर्तन से हिन्दीसाहित्य को लाभ हुआ है, पर इसका कोई रूप अभी स्थिर नहीं हो सका है। माने हुए समालोचक शुक्लजी का कथन है कि "समालोचना के सम्बन्ध में हमें इतना ही कहना है कि इधर शुद्ध समालोचनायें कम और भावात्मक समालोचनायें (Impressionist criticism) बहुत अधिक देखने में आती हैं जिनमें कवियों की विशेषतायें हमारे सामने उतनी नहीं आती जितनी आलोचकों की अपनी भावनाओं की अलंकृत छटा।.....हमें पूरा विश्वास है कि शुद्ध समालोचना की ओर अधिक ध्यान जायगा।.....हम योरप में हर एक उठी हुई बात की ओर लपकना छोड़ दें; समझ-बूझकर उन्हीं बातों को ग्रहण करें जिनका कुछ स्थायी मूल्य हो, जो हमारी परिस्थिति के अनुकूल हो।"

बात सोलहो आने ठीक है। शुक्लजी ने जैसी समालोचना का समर्थन किया है अवश्य उसका प्रयोग भी करते होंगे। पर देखिये कि जैनेन्द्रजी क्या कहते हैं। "शुक्लजी ने कुछ इसी तरह की भूलें की हैं। तुलसी को जो भीतर तक भीगे हुए निपट भक्त थे, शुक्लजी ने नाना बनाव में देख दिखा दिया है।..... कवि की आन्तरिकता को शुक्लजी अपने अन्तर में अनुभव न कर सके। उनका रख वस्तुवादी (Objective) रहा आत्मलक्ष्मी (Subjective) नहीं। इससे तुलसी के वाक्य रूप को प्रकाण्ड पाण्डित्य से वह बाँध सके पर उनके विवेकी समालोचक न मिलने से भीतर ही भीतर घुलते और मुझति कुछ कलाकारों के भाग्य से कदाचित् ही कोई ऐसा पारखी और परिश्रमश भावक निकल आता है जो उनके शब्दगुम्फन की बारीकियों में से एक-एक को समझता है, उनकी सुन्दर उक्तियों पर रीझता है, उनके तात्पर्य की भाव-भंगी या लोच-लचक को ढूँढ़ निकालता है और उनके गाढ़े रसामृत का जी खोल कर स्वाद

१ शब्दानां विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिभिः ।

सांद्रं लेखि रसामृतं विविनुते तात्पर्यमुदां च.चः ॥

पुण्यैः संपश्यते विवेकशुभिरहावगतमुत्तं तात्परतां ।

केषामेव कथाविदेव सुधिना काव्यभ्रमशो जनः ॥ काव्यमीमांसा

लेता है अन्तरङ्ग की भाँकी भी क्या ले दे सके।” शुक्रजी तुलसी की आन्तरिकता का अनुभव न कर सके, यह कहना अतिवाद है।

अन्तिम निवेदन

पुनः यहाँ हम यह कह देना चाहते हैं कि शास्त्रीय नियमों का केवल यही लक्ष्य है कि काव्यवस्तु का प्रशस्तरूप से प्रतिपादन किया जाय न कि नियम-पालन के लिये किसी कलाकार को बंधन में डालकर विवश किया जाय। एक प्रसङ्ग पर ध्वनिकार कहते हैं कि 'पाँच प्रकार की सन्धि (एक^३ प्रयोजन में अन्वित अर्थों के अग्रान्तर सम्बन्ध) और सन्धि के चौसठ प्रकार के अङ्गों को योजना रसाभिव्यक्ति के लिये ही होनी चाहिये न कि शास्त्रीय मर्यादा पालन करने के लिये। शास्त्रीय नियमों के कारण रसोचितता और रसानुगुणता कथमपि उपेक्षणीय नहीं हैं। शास्त्रीय विधान का उद्देश्य यह नहीं है कि जो कुछ मन में आवे नियम-पालन के लिये लिख दिया जाय। काव्यालोक का शास्त्रीय पक्ष भी यही है।

उपसंहार

मेरा अभिप्राय यह है कि साहित्य की बदली हुई दुनियाँ में हम अपने साहित्य को बदलें पर ऐसा न बदलें कि वह पहचाना भी न जाय। संस्कृत साहित्य की शिक्षा, स्वभावतः हमें उत्तराधिकार से प्राप्त है। अतः हम उसे छोड़ नहीं सकते। आलोक, प्रकाश, दर्पण से जो कुछ हमने सीखा है वह कथमपि त्याज्य नहीं। हाँ उसीके आलोक में हम अन्य देशीय आलोचना-पद्धतियों से उपादान संग्रह करके उनको भी अपनाते जायें तो लाभ ही है। हमें इस परिवर्तन में अपनी संस्कृति को नहीं खो बैठना चाहिये; हमें अपने संयम, श्रद्धा और निष्ठा को भी अपने हाथ से न जाने देना चाहिये।

काव्य—साहित्य की संजीवनी शक्ति से लाभ उठाने के उद्देश्य से ही इस काव्यालोक के आलोक को प्रसारित करने की चेष्टा की गयी है, जिसके मर्मज्ञ सहृदय सुधी ही हो सकते हैं—

“मार्मिकः को मरुदानामन्तरेण मधुव्रतम्”।

रामदहिन मिश्र

१ साहित्य-सन्देश 'शुक्राङ्क' १९४१

२ सन्धिसम्बन्धस्य घटनं रसाभिव्यक्त्युपेक्षया ।

न तु केवलया शास्त्रस्य तिसम्पादनेच्छया ॥ धर्म्यालोक

३ अन्तरैकार्थसम्बन्धः सन्धिरेकाव्ये सति । साहित्यदर्पण

वक्तव्य

चालीस बरस पहले की बात है कि जब कि मैं साहित्य की उपाधि परीक्षा दे रहा था। काव्यों की व्याख्याओं में 'व्यज्यते' 'ध्वन्यते' देल कर जिज्ञासु भाव से व्यञ्जना और ध्वनि पर विचार करता, लक्षण-ग्रन्थों के लक्षणों से उदाहरणों का समन्वय करता और ध्रुवि-भेदों में उदाहरणों का अन्तर्भाव करता। परन्तु उपाधि-परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भी व्यञ्जना आदि का जैसा बोध होना चाहिये वैसा न हो सका, उनके अन्तरङ्ग में न पैठ सका।

पढ़ने के समय से ही हिन्दी में कुछ-कुछ लिखते रहने की प्रवृत्ति के कारण विचार हुआ कि इस विषय पर हिन्दी में एक पुस्तक प्रस्तुत की जाय। किन्तु तत्काल कुछ न कर सका। अध्ययन की ओर ही अग्रसर होता रहा। लिखने के पूर्व इन विषयों के गहन ज्ञान की आवश्यकता भी तो थी !

जब जीविकोपार्जन में लगा तो सूचि बदल गयी। 'सरस्वती' आदि पत्रिकाओं में समालोचनात्मक और साहित्यिक निबन्ध लिखने के साथ-साथ "सत्साहित्य-ग्रन्थमाला" का सम्पादन और प्रकाशन भी आरम्भ कर दिया। इसी ग्रन्थमाला में उस समय अपनी 'साहित्य-परिचय' और 'साहित्यालङ्कार' नामक दो छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित कीं। इस ओर यह मेरा आरम्भिक प्रयत्न था। पर जब "सुबोध-ग्रन्थमाला" के नाम से विविध विषयों की स्कूली पुस्तकें लिखने लगा तब "मेघदूत-विमर्श" के बाद साहित्यिक पुस्तकों के लिखने का कार्य शिथिल-सा हो गया। तथापि अभीष्ट विषय पर पुस्तक लिखने का संकल्प बराबर बना रहा। किन्तु प्रकाशन-व्यवसाय की वृद्धि ने इधर प्रवृत्त होने का अवसर ही न दिया। इसी में वर्षों व्यतीत हो गये।

इधर अवस्था ने जब करबट ली, शारीरिक शक्ति ने व्यावसायिक कार्य-भार से मुँह मोड़ना प्रारम्भ किया तब उस संकल्प को पूरा करने का अवसर आया। इतने वर्षों में संसार संसरण करता गया, दुनिया बदलती गयी। साहित्यिक संसार ने भी कई करपटें लीं। विचारों में भी उथल-पुथल होती गयी। उस समय कैसा और क्या लिखा जाता, इस समय कौन बता सकता है।

पुस्तक आरम्भ के पूर्व यह विचार था कि संस्कृत-पुस्तकों का ही आशय लेकर हिन्दी में एक पुस्तक लिख दी जाय और उसीके अनूदित उदाहरण दे दिये जायें। पर इस कार्य से वह लाभ संभव नहीं था जो जिज्ञासुओं के लिये आवश्यक था। एक दो ऐसी पुस्तकों के रहते इस अनुवादात्मक कार्य से हमें सन्तोष नहीं था। अतः स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना का विचार ही प्रबल रहा।

इधर हिन्दी-साहित्य में विदेशी संसर्ग से विचारों में ज्वार-भाटा-सा आ गया। नये कलाकर प्राचीन आचार्यों और पुराने कलाकारों पर कीचड़ उछालते हुए वादों के दलदल में दौड़ लगाने लगे। इतने ही से उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। वे संस्कृत-साहित्य के लक्षणग्रन्थों को लीपपोत कर बराबर कर देना चाहते हैं। उनके मनमाने शास्त्र-विरुद्ध प्रयत्नों में पहाड़ की-सी भूलें दीख रही हैं। इनके निराकरण का लक्ष्य भी समझ में रहा।

संस्कृत-साहित्य ने हिन्दी के कई आचार्यों को जन्म दिया है। यदि ये महानुभाव नये कलाकार उनके ही ग्रन्थ पढ़ लेते तो उनसे ऐसी भद्दी-भद्दी भूलें न होतीं। आजकल संस्कृत के ज्ञानलय से दुर्विदग्ध पुराने हिन्दी काव्य-शास्त्र के निन्दक, अँग्रेजी के प्रभाव से प्रभावित और नये समालोचना-संसार में विचरनेवाले ये विचित्र जीव अपनी अहम्मन्यता से साहित्य में स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने को इच्छुक होते दिखायी पड़ते हैं। अस्तु।

आरम्भ के समय यही निश्चय रहा कि, ग्रन्थ की रचना ऐसी होनी चाहिये कि जिसमें संस्कृत-साहित्य के अर्थ-विचार का विशिष्ट शास्त्रार्थ के अंश को छोड़कर, पूर्ण समावेश हो जाय। कठिन स्थलों को खूब प्राञ्जल करके समझाया जाय; संस्कृत और हिन्दी के मान्य ग्रन्थों में जिन मुख्य भेदों के उदाहरण न दिये गये हों, दिये जायें और उसमें नवीन विचारों का भी कुछ प्रवेश कराया जाय।

नवीन दृष्टिकोण को लेकर अर्थ-विचार (साहित्य में यही विषय सबसे कठिन है) पर एक ही पुस्तक लिखना-शास्त्र अभीष्ट था। किन्तु सहृदय मित्रों का आप्रह्व हुआ कि साहित्य-शास्त्र सशुद्ध-पूर्ण लिखा जाना चाहिये। अतः यह काव्यालोक के पाँच उद्योतों—१ काव्य-साहित्य, २ अर्थ-विचार, ३ रस-रीति और गुण-दोष, ४ श्रव्य-

दृश्य-भाव्य और अलंकार—में विभक्त कर दिया गया। रसविशेषन बड़ा हुआ तो यह एक और पृथक् उद्योत हो जायगा।

काव्यालोक का यह "द्वितीय उद्योत" है। इस उद्योत का प्रथम प्रसार अभिधा है। उसमें कई विषयों की नयी दिशाओं की ओर इंगित किया गया है। यदि साहित्यिक थोड़ा भी ध्यान दें तो वे वाथार्थ अभिधेयार्थ के प्रयोग कर सकते हैं। वे यह कह सकते हैं कि 'भौतिक' आदि शब्दों के स्थान पर 'उपजात' आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता और न उनसे सहज ही अर्थ-बोध हो सकता है। ठीक है। पर हम तो कहेंगे कि अज्ञान-वशा अर्थार्थ शब्द को रूढ़ बनाना साहित्य में श्रेयस्कर नहीं है।

द्वितीय प्रसार लक्षणा का है। पाश्चात्य साहित्य ने अपना प्रभाव डालकर हिन्दी काव्य में लक्षणा के अपूर्व चमत्कार पैदा कर दिये हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रतिभाशाली कवि भी ऐसे लाक्षणिक प्रयोग करने लगे हैं कि उनका वाच्यार्थ से सम्बन्ध बैठाना असंभव सा हो गया है। लक्षणा का वाच्यार्थ-सम्बन्ध मुख्य उपादान है। अभिव्यञ्जकों को इस पर ध्यान रखना आवश्यक है। इससे लक्षणा को समझाने के लिये गद्य में और पद्य में, विविध प्रकारों को अपनाया गया है।

तृतीय प्रसार व्यञ्जना का और चतुर्थ ध्वनि का है। इनकी स्पष्टता के लिये कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ा गया है।

ध्वनि का प्रधान विषय रस है। जब तक रस के वास्तविक रहस्य का समोद्घाटन नहीं होता तब तक ध्वनि का समझना सहज नहीं। अतः तृतीय उद्योत के विषय 'रस' का भी संक्षेपतः इस उद्योत में वर्णन कर दिया गया है।

ध्वनि-व्यञ्जना के सम्बन्ध में नवीनों की विचित्र धारणा है। यत्र-तत्र अन्यार्थक व्यञ्जना शब्द का नया प्रयोग करना अपने ज्ञान का परिचय देना है। ध्वनि-व्यञ्जना पर देशी या विदेशी नाम से कोई भिन्न-भिन्न छाप नहीं है। यह सदा सर्वत्र एकरूप और एक-फल है। प्रकार-भेद में भले ही मनभेद हो।

सामयिक दृष्टि से इन तीनों अर्थ-शक्तियों की जो समीक्षा है वह साहित्यिक अर्थ-बोध में यथेष्ट साहाय्य देगी। अर्थ-विषय जितना जटिल और गहन है उतना ही सरल और सुबोध बनाने की विशेष चेष्टा की गयी है।

पुस्तक में प्रतिपाद्य विषयों के सभी लक्षण सरल गद्य में लिखे गये हैं। उदाहृत कठिन पद्यों का स्पष्ट अर्थ दे दिया गया है। फिर उदाहरणों में लक्षणों का समन्वय करने के लिये गद्य में ही पद्य की साहित्यिक व्याख्या कर दी गयी है। इस व्याख्या ने लक्षणो-दाहरणों को तो सुबोध बना ही दिया है, अन्यान्य उदाहरणों को हृदयङ्गम करने का पथ भी प्रशस्त कर दिया है। बहुत से विषय जो एकाकार प्रतीत होते हैं उनके पृथक्-पृथक् वैशिष्ट्य को निर्दिष्ट करके स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है।

इनके आधार संस्कृत के आकर ग्रन्थ हैं। वर्णित विषयों पर आचार्यों का बड़ा मतभेद है; व्याख्या, खण्डन-मण्डन, शास्त्रार्थ का अन्त नहीं। इनको हिन्दी में लाना अनावश्यक समझ छोड़ दिया गया है, पर विषयों का शुद्ध रूप से प्रतिपादन किया गया है जो जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को परिपुष्टि कर सकता है।

इस पुस्तक में जो उदाहरण हैं, वे क्या प्राचीन हों, क्या नवीन, सभी प्रसिद्ध महानुभाव कवियों और लेखकों के हैं जिनका नामोल्लेख साथ ही साथ कर दिया गया है। कहीं-कहीं उनके ग्रन्थों के नाम ही आ गये हैं। दो चार पद्य प्राचीन और नवीन ऐसे हैं जो बिना नाम के रह गये हैं पर वे ऐसे प्रसिद्ध हैं जिनमें कोई भ्रम नहीं हो सकता। नाम अज्ञात होने या उद्धरण के समय नाम लिखना भूल जाने के कारण अनेक उदाहरणों में केवल 'प्राचीन' लिख दिया है। बिना नाम के उदाहरण हमारे न समझे जायँ, इससे आवश्यकतावश जोड़ी हुई तुकबंदियों में 'राम' जोड़ दिया गया है। हमने ऐसी ही चेष्टा की है कि हिन्दी की स्वतंत्र रचना के ही उदाहरण प्राप्त हो जायँ पर वैसे उदाहरण न मिलने के कारण संस्कृत के कुछ श्लोकों का हमने अनुवाद करके दे दिया है और 'अनुवाद' लिख दिया है; आधुनिक काल में लाक्षणिक प्रचलता के कारण लक्षणा प्रकरण के उदाहरण प्रायः सब के सब नवीन कवियों के हैं। व्यञ्जना-वैशिष्ट्य दिखाने के लिये विशेषतः प्राचीन कवियों के ही पद्य

न हंगि। कुछ महानुमायों के उदाहरण दोषनिर्देश के लिये अभिधा-प्रकरण में उद्धृत हैं। उनके सम्बन्ध में हमारा कहना यह है कि हमने केवल दोषदर्शी होकर उनका उद्धरण नहीं किया है। वे मान्य कवि हैं और अन्यत्र दिये गये उनके उदाहरण इस ग्रन्थ के अलङ्कार-स्वरूप हैं। ऐसी आशंका तो नहीं, पर संभव है कि किसी-किसी आलोचक को कोई-कोई उदाहरण सटीक न मालूम हों। इस सम्बन्ध में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि उदाहरणों के अन्वेषण और समन्वय में 'यत्परो नास्ति' श्रम किया गया है।

हमारे यहाँ एक प्रवाद-वाक्य है—'जीवत्कवेराशयो न वर्णनीयः' अर्थात् जीवित कवियों के काव्यों का आशय नहीं वर्णन करना चाहिये। किन्तु ऐसा करने की हमने आवश्यकता समझी है। हम हृदय पर हाथ परके कह सकते हैं कि हमसे अर्थार्थानर्थकरी व्याख्या नहीं हुई है।

संस्कृत के आचार्यों ने लक्षणा और व्यञ्जना के जो मुख्य भेद गिनाये हैं उनके भी उदाहरण नहीं दिये हैं। हमने उन भेदों के भी उदाहरण देने की चेष्टा की है। यह हमारी घृष्टता ही है। कितनों का कहना है कि ये भेद चमत्कार-शून्य हैं, अकिञ्चिक्कर हैं, एकस्वर हैं। पर आचार्यों के 'दिग्दर्शनमात्रं करा दिया गया' 'आगे ऐसा ही समझ लेना चाहिये' इत्यादि अभिप्रायवाले जो वाक्य हैं वे इसलिये ही हैं कि अन्यान्य उदाहरणों का भी अनुसन्धान किया जाय, उनकी उपेक्षा न की जाय। अतः इस ओर का हमारा प्रयास निष्फल नहीं कहा जायगा। यदि इनमें चमत्कार-शून्यता या अनवीनता हो तो भी इतना तो अवश्य ही है कि इन भेदों के अनेक उदाहरणों के लक्षणा-समन्वय से ज्ञातव्य विषय तो अत्यन्त अभ्यस्त हो ही जायगा और पद्य-पाठ से भी अनुपम आनन्द उपलब्ध होगा।

इस ग्रन्थ के लिखने के पूर्व इस विषय पर अशावधि प्रकाशित प्राचीन 'काव्यनिर्णय' तथा 'व्यंग्यार्थ-कौमुदी' और नवीन साहित्य-सिद्धान्त, काव्यरूपद्रुम, काव्यप्रभाकर, व्यंग्यार्थमञ्जुषा, काव्यांग-कौमुदी, काव्यप्रदीप, काव्यांगचन्द्रिका, काव्यसर्वस्य आदि ग्रन्थों को देखने पर भी हम इस निर्णय पर पहुँचे कि हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिये नये ग्रन्थ का निर्माण आवश्यक है।

हम हिन्दी के आचार्य या आचार्यायमाण ग्रन्थकारों के ग्रन्थों के

खण्डन-मण्डन या गुणदोष-विवेचन के विशेष पक्षपाती नहीं हैं। कारण यह कि प्राचीन आचार्यों ने संस्कृत के आकार ग्रन्थों को जहाँ तक समझा, लिखा। वे इसके लिये प्रशंसाई हैं। उन्होंने 'ना' से 'हाँ' तो किया; शून्य से अङ्क की अवतारणा तो की। उनके लिये 'भारवी' का यह पद्य कहा जा सकता है—

विषमोऽपि विगाह्यते नयः कृततीर्थः पयसामिवाशयः।

स तु तत्र विशेषदुर्लभः सद्गुण्यस्यति कृत्यवर्त्म यः ॥

इनकी समालोचनात्मक चर्चा करके अपने ग्रन्थ का महत्त्व बढ़ाना नहीं चाहते और न इस ग्रन्थ के विशिष्ट विषयों का निर्देश करके इसकी विशेषता ही बताना चाहते हैं। इसकी अव्यर्थता का अनुभव साहित्य-रसरसिक करेंगे, हमारे कहने से नहीं, अपने मन से।

नहि कत्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते।

हाँ, हम उनका अवश्य विरोधात्मक समालोचना करेंगे जो अनधिकारी होते हुए 'अहंवाद' से अधिकारी बनकर अर्थ का अनर्थ करते हैं और अपनी अज्ञता के कारण शास्त्रीय भर्खादा का अनावश्यक उल्लंघन करते हैं।

हम अपने संस्कृत के आचार्यों के जिनकी सूची दी गयी है, उनके व्याख्याकारों के ऋणी तो हैं ही और उन हिन्दी, बँगला, अंग्रेजी के ग्रन्थकारों के और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के भी आभारी हैं जिनके अवलोकन से किसी न किसी रूप में सहाय्य प्राप्त हुआ है। आरम्भ में कुछ समय तक श्री उपेन्द्रनाथ शास्त्री 'ठाकुर' और श्री हवलदार त्रिपाठी साहित्याचार्य 'सहृदय' ने हमारे साथ कुछ काम किया है जिन्हें धन्यवाद देते हैं। सबसे बढ़कर हम कृतज्ञ हैं अपने सहपाठी और अभिन्नहृदय मित्र आचार्य पण्डित केशवप्रसाद मिश्र, अध्यापक हिन्दी-विभाग, हिन्दू-विश्वविद्यालय काशी के, जिन्होंने पुस्तक की पाण्डुलिपि को श्रम, मनता और मनोयोग के साथ पढ़कर और आमुख लिखकर पुस्तक का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने 'हिन्दी प्रेमी' के नाम से कुछ नये उदाहरण भी बना दिये हैं और एक दो अलभ्य उदाहरण भी दिये हैं। परिशिष्ट के लिये डाक्टर साहस्र के कृतज्ञ हैं।

हमने बरसों रातदिन स्वास्थ्य खोकर जो श्रम किया है, विश्वास है, सहृदय विद्वान् उसकी कदर करेंगे। अनुक्रमणिका देने का विचार

इस धार स्थगित रहा। संस्करणान्तर में यदि समय आया, तो अनुक्रमणिका जोड़ दी जायगी। हम जिस न्यूनता और त्रुटियों को समझते हैं उन्हें भी दूर करने की चेष्टा करेंगे। सहकारी के अभाव से, यहाँ तक कि सम्पादक शुद्ध प्रतिलिपिकार के न मिलने से इसके प्रकाशन में कुछ विलम्ब हुआ। आगे भी यदि कागज दुर्लभ न हुआ तो यथासंभव शीघ्र संपूर्ण ग्रंथ के प्रकाशन की चेष्टा की जायगी।

अर्थ का विषय बड़ा दुरूह है। इसके प्रतिपादक वैयाकरण, नैयायिक, साहित्यिक और मीमांसक हैं। इनमें बड़ा मतभेद है। इससे आलोच्य विषय बड़ा ही शास्त्रीयविप्रादपूर्ण है। हमारा प्रयत्न संक्षेप में सरलता से वस्तु को स्पष्ट करने का है। अतएव, संभव है, कुछ त्रुटियों हों। इनके तथा अन्यान्य त्रुटियों के निर्देश का हम सादर स्वागत करेंगे। तत्रतत्र के लिये परगुणपरमाणु को पर्यंताकार बनाकर हृदय में विकसित होनेवाले सहृदय उज्जनों से निम्नलिखित सूक्ति में यही नम्र निवेदन है—

गच्छतः खलनं चापि भवत्येव प्रमादतः ।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र यमादधति उज्जनाः ॥

रामदहिन मिश्र

नवंबर १९४४]

ध्वनि-व्यंग्य-प्रशस्तिः

एकावयवसंख्येन भूपणेनेव कामिनी ।

पद्योत्पेन मुकवेर्ध्वनिना भाति भारती ॥ ध्वन्यालोक

ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतत्पनिधेशिना ।

आनन्दवद् नः कस्य नासीदानन्दवर्धनः ॥ राजशेखर

साहित्य-विद्या जयघण्टयैव संवेदयन्ते कवयो यशसि ।

यथा यथास्यां ध्वनिरुज्जिहीते तथा तथा सार्हति मूल्यवेदान् ॥

यावत्कवेर्मांदवमुक्तिवन्धे यावद्वियः श्रोतरि कोमलत्वम् ।

तावत् ध्वनी तदुच्यति भेदमूले तारवमालंकृतिका यदन्ति ॥

अस्मिन्महत्स्यस्तमितान्यवेद्ये विस्तवरे वीचितरङ्गरीत्या ।
 काव्यध्वनौ जाग्रति देहभाजां कर्णो विशेषुः कथमन्यशब्दाः ॥
 विद्वत्प्रियं व्यंग्यपथं व्यतीत्य शब्दार्थचित्रेषु कलाविलासात् ।
 प्राप्तोऽनुरागो निगमानुपेक्ष्य भाषाप्रबन्धेष्विव पामराणाम् ॥

शिवलीलार्णव

अन्तर्गूढानर्थानव्यञ्जयतः प्रसादरहितस्य ।

सन्दर्भस्य नदस्य च न रसः प्रीत्यै रसज्ञानाम् ॥

आन्तरमिव बहिरिषहि व्यञ्जयितुं रसमशेषतः सततम् ।

असती सत्कविसृक्तिः काचघटीती त्रयं वेद ॥

गुरुः पंकजकुड्मलद्युतिरुहस्तत्केसरोल्लासवा—

नथोऽप्यन्तरसौरभप्रतिनिभं व्यंग्यं चमत्कारी यत् ।

द्वित्रैर्यद्रसिकेश्विरं सहृदयैर्मृङ्गैरिवास्वाद्यते

तत्काव्यं न पुनः प्रमत्तकुकवेर्यत्किञ्चिदुजलितम् ॥

सुभाषितरत्नभास्वगाण

बिनंही सिखाये सब सीखि हैं सुमति जो पै

सरस अनूप रसरूप या मैं धुनि है । —सेनापति

आमुख

शब्द छटा का कंठ फोड़कर बाहर आया कि अर्थ ने उसकी अधीनता मान ली। कारण ? शब्द शक्त है, अर्थ अशक्त। शब्द अनादि अनन्त ब्रह्म है, अर्थ उसका अतात्विक—शून्य-मूल का—रूपान्तर। शब्द ब्रह्म एक है। भ्रमर का गुंजाह, कोकिल का पन्वमालाप; काक का कट्टु रक्षित, गजराज का महाहृदित, सिंह का गर्जित, गाय का रमिमत, तुरंग का हृपित, रासभ का उन्नदित, मानव का गदित सब समान है। महादेव मट्टाजे शब्द ने यह न्यारी-न्यारी भूमिका ग्रहण की है। इन सबके मन की घात हमें भली भाँति ज्ञात हो जाती; पर इस यातुधान अर्थ और यक्षराज ज्ञान ने अपने अध्यास से, अपनी धोखे की टट्टी से ब्रह्म को इस प्रकार आवृत कर रक्खा है कि हम अपने बन्धुभूत प्राणियों की बोली तक नहीं समझ पाते। आज इस धोखे की टट्टी को हटा दीजिए, आज ही सबके मन की जान छीजिए।

शब्द अग्नि के समान भुवन में प्रविष्ट है, आकाश के समान विभु है। किसी आकाश-देश को प्रयोग से अभिव्यक्त कीजिए, कान लगा के सुनिए, बुद्धि से समझिए, अर्थ हाँथ बाँधे खड़ा है।

शब्द अमृत है। अर्थ मृत्यु है। जाने कितने मनुष्य मर मिटे; पर मनुष्य अमर है और अमर रहेगा। किसकी अमरता से ? शब्द की।

शब्द कमल है। सरोवर में विकसित अष्टदल, शतदल, सहस्रदल मकरन्द-विन्दुमन्दित परागरागरंजित मिजिन्दवृन्दवन्दित अर्थ भी कमल है। अर्थ ने अपना नाम-गोत्र बदलकर शब्द ही का नाम-गोत्र ग्रहण किया है। "साह ही को गीत गीत होत है गुलाम को।"

शब्द मौन रहकर भी चावदूक है, अर्थ पुकारने पर भी मूक है। ^{१९११}

शब्द ब्रह्मा नहीं, अतिब्रह्मा है। ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में शशक के शृंग नहीं बनाये, शशशृंग शब्द ने पलक माते चुपके से उसके सिर पर हो डगा दिये ! इसकी सत्यता तनुक आँखें बन्द कर मन से पछिपे। मन भी बिना शब्द की कृपा के अपना मत नहीं बता सकता ! ऐसी है शब्द की महिमा ! कोई मत या विचार शब्दयोगि में अवतार लिये बिना अपनी सत्ता तक नहीं रख सकता।

इस विज्ञाननन्दन युग में ईश्वर कथ का मर चुका होता, यदि शब्द उसे जीवित न रखता। नाम लेने पर जिस नामी का रूप सामने नहीं आता, उसका जीवन शब्द ही के अधीन है। शब्द साक्षात् वासुदेव है, वह प्रत्येक पराशब्द अर्थ को अपने कारण में ले लेता है। अर्थ हथेली पर हो, शब्द जब तक आकाश से आकर उसका परिचय न दे, वह तीन कौड़ी का है। नाम से नामी जैसे ही प्रकट हो जाता है जैसे हीरे की ज्योति से उसका मूल्य।

धर्म के अर्थों ने कितने रूप बदले, कितने उपद्रव खड़े किये, कितनी बयल-पुथल मचवायी, कितना रक्तपात कराया, पर धर्म ने सबही छाज रखी—सब का कंकड़ धो बाँधा।

इन भूतों का रस पृथिवी है, पृथिवी का रस जल है, जल का रस ओषधियों, औषधियों का रस पुरुष और पुरुष का रस शब्दमयी वाक् है। शब्दरहित पुरुष नीरस है, सूखा है। शब्दसहित पुरुष सरस है, भीगा है। कवियों ने अपने हृदय का रस सहृदयों के हृदय तक पहुँचाने में शब्दों को ही वाहन बनाया है। शरीर की छोटोवहा नाड़ियों के समान स्न्यग् शत सुपयुक्त शब्द ही अपनी रसवहा सूक्तियों से सिक्तकर भावनिधि मानव-हृदय को आप्यायित, उच्छ्वसित, अनुप्राणित और जीवित रखते आये हैं, और रखते रहेंगे। नन्हा सा 'हाँ' पीयूष की वर्षा करता, छोटा-सा 'ना' समस्त आशाओं पर पानी फेर देता है। शब्द मन्त्र है, जो उच्चारित होते ही अपना प्रभाव दिखलाता है, अर्थ की प्रतीक्षा नहीं करता। शब्द अमृतायमान सोमरस है, अर्थ उसका ऋजीप अर्थात् सीटी है। इस सोमरस को पीकर हम मर्त्य से अमृत हो चुके हैं। ऋजीप ? वह तो पशुओं का भागधेय है। इसीलिए तो वे मूक हैं। अतः हे सुधिवृन्द ! शब्द ब्रह्म में निष्णात होकर परब्रह्म का अधिगम करो।

मेरे चिरमित्र पं० रामदहिनजी मिश्र ने अपने 'काव्यालोक' में न शब्द की महिमा जानकर केवल शब्द ही का गुणगान किया है, और न अर्थ की वकालत से आकर्षित होकर अर्थ ही से अर्थ रक्खा है। उन्होंने अपनी विचार-तुला पर दोनों को घावन तोला पाव रत्ती तौलकर दोनों का यथा-तथ्य मूल्य निर्धारित किया है। इस निर्धारण में जितना अनुसंधान, जितना विश्लेषण, जितनी विवेचना उन्होंने की है, वह अन्यत्र नहीं देखी गयी। शब्दशक्तियों के ऊहापोह द्वारा परलवित किये गये समस्त भेदोपभेदों के विशकलित और अन्यामिश्र उदाहरण संचित कर देना उनका विशिष्ट कृतिरव है। एक उपयुक्त उदाहरण की गवेषणा में अनेक भदोरात्र व्यतीत हो जाने पर भी धैर्य न छोड़ना उनका स्वाभाविक गुण है। इस प्रकार विद्या, विवेक, विज्ञान, धृति, उत्प्रेरता और क्रिया से संपादित यह कृति अवश्य अपने अधिकारियों का उपकार करेगी, इसमें अशुमात्र भी सन्देह नहीं है।

आज के जो समालोचक इस प्रकार की कृतियों को अन्यथासिद्ध या अनुपयोगी समझते हैं, वे या तो पर कटाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं या घोर अन्धकार में चल लक्ष्य वेधने का डौल घँघते हैं। भला शब्द और अर्थ की सूक्ष्म परीक्षा से पराङ्मुख ऐसा कौन चतुर होगा जो शब्दार्थमय कवि-कर्म के अन्तःकरण में प्रवेश पाने का इच्छुक हो !

यह ग्रन्थ केवल हिन्दीवालों के लिए ही उपकारक नहीं है। इससे उच्च कक्षा के संस्कृत-विद्यार्थियों का भी नेत्रोन्मीलन होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।

कारी

समर्पण

मातः भगवती देवि !
देवाचारपरायणे !
त्वत्स्वर्गतात्मनि प्रीत्या
'काव्यालोकः' समर्प्यते ॥

१ शब्द का धातुगत अथे आविष्कार करना है और शब्द करना भी ।

२ व्याकरणशास्त्र के अनुसार जिसका रूप निर्णीत हो वह शब्द है ।

३ लोक में पदार्थ की प्रतीति करानेवाली ध्वनि को शब्द कहते हैं ।

कोषकार का कहना है—

४ शास्त्र में जो वाचक है वही शब्द है ।

५ शब्द का अर्थ अक्षर, वाक्य, ध्वनि और श्रवण भी है ।

इन्हीं ध्वनि और श्रवण के आशय को लेकर प्रायः हिन्दी के सभी वैयाकरणों ने शब्द का सीधा-सा यह लक्षण बना लिया है कि 'जो सुन पड़े सो शब्द है' । पर यह यथार्थता का चोतक नहीं है ।

(क) श्रूयमाण होने से शब्द के दो भेद होते हैं—१ ध्वन्यात्मक और २ वर्णात्मक ।

ध्वन्यात्मक शब्द वे हैं जो घीणा, मृदंग आदि वाद्ययन्त्रों, पशु-पक्षियों की बोलियों और आघात द्वारा उत्पन्न होते हैं । ध्वन्यात्मक शब्द वर्णों से यथार्थतः नहीं व्यक्त किये जा सकते । वे संगीत तथा आघात के विषय हैं । संगीत के संकेत पृथक् होते हैं । वर्णात्मक शब्द वे हैं जो वर्णों में स्पष्टतः बोले या लिखे जाते हैं ।

(ख) प्रयोग-भेद से वर्णात्मक शब्द के दो भेद होते हैं—१ सार्थक और २ निरर्थक ।

सार्थक शब्द वे हैं जो किसी वस्तु वा विषय के बोधक होते हैं । जैसे—राम, श्याम, सुन्दर, मधुर, सोना, सुगंध, पढ़ना, लिखना, सायं, प्रातः आदि । निरर्थक शब्द वे हैं जिनसे किसी विषय का ज्ञान नहीं होता । जैसे—पागल का प्रलाप, आँय-त्रॉय आदि । सार्थक शब्द का, अर्थ-प्रतीति के लिये, प्रयोग होता है; निरर्थक शब्द का नहीं । कभी-कभी व्यर्थता में इसका

१ शब्द आविष्कारे । शब्द शब्द करणे । सिद्धान्तकौमुदी

२ व्याकरणस्मृतिनिर्णीतः शब्दः । काव्यमीमांसा

३ प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते । महाभाष्य

४ शास्त्रे शब्दस्तु वाचकः । अमर

५ शब्दोऽक्षरे यशोगीत्योर्वाक्ये से श्रवणे ध्वनौ । हैम

भी प्रयोग दीख पड़ता है। जैसे:—टाँय-टाँय फिस। क्या थंड-संड बकता है, इत्यादि।

(ग) श्रुति-भेद से सार्थक के दो भेद होते हैं—१ अनुकूल और २ प्रतिकूल।

ध्वन्यात्मक शब्दों में कुल्ल श्रुति-अनुकूल और कुल्ल श्रुति-प्रतिकूल होते हैं। यर्णात्मक शब्दों में भी ऐसा ही समझना चाहिये। काव्य में विशेषतः श्रुति-अनुकूल यर्णात्मक शब्द ही अपेक्षित हैं। ऐसे ही शब्दों से काव्य-कलेवर की कमनीयता बढ़ती है।

दूसरी किरण

पद और वाक्य

प्रयोगार्ह सार्थक शब्द को पद कहते हैं।

‘किसी-किसी का मत है—

शब्द और अर्थ दोनों मिलकर पद कहे जाते हैं।

इससे स्पष्ट है कि जब तक हम किसी शब्द का अर्थ नहीं जानते तब तक हमारे लिये वह पद नहीं है।

पद दो प्रकार के होते हैं—(१) नाम और (२) आख्यात। विशेष्य या विशेषणवाचक पद को ^१नाम और क्रियावाचक पद को आख्यात कहते हैं। संस्कृत में सुबन्त और तिङन्त के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त ^३उपसर्ग और निपात ये अन्य दो पद-भेद हैं। विभक्ति या उपसर्ग-रहित शब्द को ^४प्रातिपदिक अर्थोन् धातुभिन्न, प्रत्ययभिन्न सार्थक शब्द और विभक्ति या प्रत्यय-रहित धातु को प्रकृति कहते हैं।

१ व्याकरणसूत्रनिर्णयः शब्दः निरुक्तनिष्पत्त्यादिभिर्निर्दिष्टस्तदभिधेयोऽर्थः तौ पदम् । काव्यमीमांसा

२ भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि । निरुक्त

३ अल्परि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च । निरुक्त

४ अर्थवदधानुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् । अष्टाध्यायी

प्रकृति में विभक्ति या प्रत्यय के योग से पद बनते हैं। प्रातिपदिक में प्रत्यय के योग से नाम और धातु में प्रत्यय के योग से आख्यात पद होते हैं। प्रायः सभी पद मूलभूत प्रकृति से उत्पन्न माने जाते हैं।

पद उद्देश्य भी होता है और विधेय भी।

जिस पद से सिद्ध वस्तु का कथन हो वह उद्देश्य और जिस पद से अपूर्व विधान हो वह विधेय है।

अभिप्राय यह कि जिसके विषय में वक्तव्य हो वह उद्देश्य और जो वक्तव्य हो वह विधेय है। जैसे—हे देव ! तुम्हीं माता हो, पिता हो, सखा हो, धन हो और हे देव ! तुम्हीं मेरे सब कुल हो। यहाँ 'देव' जो पहले से सिद्ध अर्थात् वर्तमान है, उसमें मातृत्व, पितृत्व आदि 'अपूर्व' अर्थात् अवर्तमान का कथन करने से 'देव' उद्देश्य 'माता हो' आदि विधेय है।

*साहित्यकार पद का यह लक्षण मानते हैं।

उन वर्णों वा वर्णसमूह को पद कहते हैं जो प्रयोग करने के योग्य हों और अनन्वित किसी एक अर्थ के बोधक हों।

उदाहरण में 'घड़ा' और 'कपड़ा'। घड़ा में घ्, अ, ड्, आ चार वर्ण और 'कपड़ा' में क्, अ, प्, अ, ड्, आ छ वर्ण हैं।

'घड़ा' और 'कपड़ा' दोनों का स्वतन्त्र प्रयोग होता है, और वे अनन्वित अर्थात् स्वतन्त्र एक-एक अर्थ के बोधक हैं। यहाँ 'अनन्वित' और 'एक' से अभिप्राय है, वाक्य के समान दूसरे पद के अर्थ से सम्बन्ध न रखना और वाक्यगत साकांक्ष अनेक अर्थों का बोधक न होना। क, च, ट, त, प का प्रयोग भी नहीं होता और वे किसी एक अर्थ के बोधक भी नहीं हैं। इसीसे वे लक्ष्य नहीं।

जब 'क' का एक अर्थ मानकर प्रयोग होगा, तब वह पद हो जायगा। जैसे, कोई कहे कि 'आतपत्र' (छाता) लाओ। 'आतपत्र' का अर्थ होता है 'धाम से बचानेवाला'; किन्तु छाता केवल धाम से नहीं बचाता, पानी से भी बचाता है। 'क' का अर्थ जल भी है। अत्र 'आतपत्र' के स्थान में 'कातपत्र' कहें तो 'क' का प्रयोग पद प्रयोग पद के रूप में होगा।

१ वर्णाः पदं प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः। साहित्यदर्पण

वाक्यनिर्माण के प्रधान उपादान हैं 'पद'। वाक्य द्वारा पूर्ण अर्थ का बोध होता है। जब हम किसी पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करना चाहते हैं तब वाक्य का प्रयोग करते हैं। अर्थ और विन्यासक्रम पर दृष्टि रखते हुए कुछ पदों के संयोजन से वाक्य की सृष्टि होती है। प्रत्येक वाक्य मन के किसी पूर्ण अर्थ, अनुभूति या चिन्ता का बोधक होता है। इससे लक्षण हुआ—

'पूर्णार्थ-प्रकाशक पदसमूह को वाक्य कहते हैं।

कहीं-कहीं केवल एक ही पद से वाक्य बन जाता है। जैसे, किसी विद्यार्थी को देखकर पूछा कि 'पुस्तक' ? यहाँ पुस्तक शब्द का यह वाक्यार्थ होता है कि 'पुस्तक' क्या नहीं लाये या छोड़ आये ? अथवा 'पुस्तक' क्या हुई ? इत्यादि। इसी प्रकार एक आख्यात पद से भी वाक्य होता है। जैसे, पढ़ाओ, खाओ, आदि। ऐसे स्थलों में कहीं शब्दाध्याहार और कहीं अर्थाध्याहार से वाक्य की पूर्णता होती है।

अनेक आचार्यों के मत से वाक्य का लक्षण होता है—

योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते हैं।

उपयोग-भेद से अनुकूल-पद-घटित वाक्य के तीन भेद होते हैं—

(१) प्रभुसम्मित, (२) सुहृत्सम्मित और (३) कान्तासम्मित।

(१) वेदादि वाक्य शब्द प्रधान होने से प्रभुसम्मित हैं। अर्थात् वेद ने लिख दिया 'द्विरण्यगर्भः समवर्ततामे' उसमें हम 'सुवर्णगर्भः' नहीं कर सकते। अर्थात्, वेद की उक्तियों को राजाज्या के समान पालन करना पड़ता है। इसी पर से 'मेरे वचन को वेद-वाक्य मानो' इस वाक्यारा का निर्माण हुआ है। अर्थात्, मेरे वचन को सत्य समझो, उसमें कोई परिवर्तन असम्भव है। कहने का अभिप्राय यह कि हम वेद में न किसी प्रकार का शब्दपरिवर्तन कर सकते हैं और न तोड़-मरोड़कर उससे मनमाना अर्थ ही निकाल सकते हैं।

१ पदसमूहो वाक्यमर्थमभावाविति । न्यायभाष्य

२ वाक्यं स्याद्योग्यताकाङ्क्षासत्तिपुनः पदोच्चयः । साहित्यदर्पण

३ बहुत से विद्वान् इसको शब्दभेद के अन्तर्गत मानते हैं।

(२) पुराणादि अर्थ-प्रधान होने से सुहृत्सम्मित हैं । अर्थात् मित्र ने कहा कि अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिये । अपना धर्म न छोड़नेवाला कभी विपत्ति में नहीं पड़ता । इसी अर्थ को पुराणादि में कहा गया है कि—^१ अपने धर्म में मर जाना अच्छा है पर दूसरे का धर्म ग्रहण करना अच्छा नहीं । ^२ सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ । इनमें शब्द भिन्न होने पर भी प्रायः अर्थ-भिन्नता नहीं है । पुराणादि मित्रवत् हिताहित का उद्बोधन मात्र कर देते हैं, आज्ञा नहीं देते ।

(३) काव्य शब्दार्थोभय गुण से सम्पन्न तथा रसास्वाद से परिपूर्ण होने के कारण कान्तासम्मित है । कान्ता के समान काव्य के कोमल वचनों से कृत्याकृत्य का उपदेश और रसानुभव से अपूर्व आनन्द की प्राप्ति होती है । इससे काव्य इन दोनों से विलक्षण है ।^३

कहने का अभिप्राय यह कि काव्य कान्ता के समान सुंदरता तथा सरसता से उपदेश देता है । जिस प्रकार कान्तायें अपने कुटिल कटाक्षों तथा हावभावों से गुरुजनाधीन अपने पतियों को बरबस बशीभूत कर लेती हैं उसी प्रकार काव्य सबको चाहे वे सुख से पलें सुकुमारमति राजकुमार हों, अथवा खून-पसीना एक करनेवाले श्रमजीवी कर्मकर हों, अपनी सरस-कोमल कान्त पदावली से सुध-लुब्ध कर नीरस नीति का भी उपदेश गले के नीचे उतार देता है ।

४ उक्त प्रकार के वाक्यों का समूह महावाक्य है ।

१ स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ गीता

२ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ॥ गीता

३ वेदः खलु शब्दप्राधान्यात्प्रभुसम्मितः, पुराणादिश्चार्थप्रधान्यात्सुहृत्सम्मितः-शास्त्रि, काव्यं तु शब्दार्थयोर्गुणतया रसानुभूतव्यापारप्राप्यत्तद्विलक्षणमतः कान्तासम्मितं तदिति । साहित्य कौमुदी ।

४ वाक्योस्यो महावाक्यम् । साहित्य दर्पण ।

तीसरी किरण

योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति

१ योग्यता

पदाथा के परस्पर अन्वय में—सम्बन्ध स्थापित करने में किसी प्रकार की अनुपपत्ति--अङ्गचन--का न होना योग्यता है। जैसे—

पीकर ठंडा पानी मैंने अपनी प्यास बुझायी।

पर पीकर मृगतृष्णा उसने अपनी तृष्णा मिटायी ॥ राम

पानी से प्यास बुझती है। इससे पहली पंक्ति में योग्यता है। किन्तु 'मृगतृष्णा' से प्यास नहीं बुझती। इससे दूसरी पंक्ति में योग्यता नहीं है। मृगतृष्णा एक प्रकार की चिलचिलाती धूप की दूरव्यापी चमक है। उससे प्यास का बुझाना असंभव है। अतः मृगतृष्णा का प्यास बुझाने के सम्बन्ध में उपयोग न रहने के कारण अङ्गचन उपस्थित होती है। इससे इसमें योग्यता का अभाव है और यह वाक्य नहीं हो सकता।

जहाँ १ दैवशक्तियोग २ हास्यसंचार तथा ३ वाच्यार्थ के विचार से अर्थव्याघात हो वहाँ योग्यता न रहने पर भी वाक्यसिद्धि सम्भवी जाती है। जैसे—

१ दैवशक्तियोग—

मूक होंदि माबाल, पंगु चढ़ै गिरिवर गहन।

जासु कृपा सुदपाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन ॥ तुलसी

दैवशक्तियोग से सोरठा में वर्णित असंभव का होना संभव है। इससे योग्यता की बाधा होने पर भी वाक्य मान लिया गया है।

२ हास्यसंचार—

पेट पुरातन पाटत हौं, कछु भौंकत हौं, नहिं अंध कुँवा में।

जेंद भले जगदीश मनाइ करौं बकसीस असीस दुवा में ॥

पूढ़ भयो बल थाकी गयो बहू खात रहे यत्रमान युवा में।

पूर पछतर मालपुआ अरु सेर सवा हलवा घेलवा में ॥

अन्नपूर्णाचिन्दा

पूरे पचहत्तर मालपूए और ऊपर से सवा सेर हलुचा खाने में योग्यता का अभाव है। फिर भी हास्योद्दीपक होने से वाक्य होता है।

३ व्याहृत वाच्यार्थ—

क्या तुम भी हथेली पर सरसों जमाने लगे ? हम भी हवा में फन्दा लगाते हैं। दोनों वाक्यों के वाच्यार्थ व्याहृत, अतएव असंगत हैं; फिर भी इनसे अर्थ का सौष्ठव बढ़ जाता है। असंभव अर्थ निराले ढंग से प्रकाशित होता है। इससे ऐसे भी वाक्य योग्यता न रखने पर भी वाक्य मान लिये जाते हैं।

कविता में भी ऐसे ही व्याहृत वाच्यार्थ के वाक्य वाग्धारा के रूप में प्रयुक्त होते आये हैं। जैसे—

१ काह बखानौ सिंहाल कै रानी ।

तोरे 'रूप भरै सब पानी' ॥ जायसी

२ यह असीस हम देहिं 'सूर' सुनु

'न्हात खसै जनि वार' ॥ सूरदास

३ तुलसी कही है साँची 'रेख धार वार खाँची'

'ढील किये' नाम महिमा की 'नाव बोरि हो' । तुलसी

४ 'आँसू पीकर जीना', जाये देह 'हथेली पर लो जान' । निराला

५ 'भारत है सोने की चिड़िया' चलो वहाँ का करें सफर ।

हिम्मत करो 'कमर तो बाँधो' 'मुश्किल है अब करनी सर' । भक्त

२ आकाङ्क्षा

एक दो साकाङ्क्ष पदों के रहते हुए भी अर्थ का अपूर्ण रहना, अर्थात् वाक्यार्थ पूरा करने के लिये अन्यान्य पदों की अपेक्षा—जिज्ञासा का बना रहना, पद-समूह की आकाङ्क्षा कहलाता है। जैसे—

'राम ने एक पुस्तक' इतना कहने ही से अर्थ पूरा नहीं होता और 'श्याम को दी' इस प्रकार के पद अपेक्षित रहते हैं। जब दोनों मिला दिये जाते हैं तब वाक्यार्थ पूरा हो जाता है और आकाङ्क्षा मिट जाती है।

जब पद निराकाङ्क्ष होते हैं और इनका दूसरे पद के साथ सम्बन्ध नहीं होता तब उनसे वाक्य नहीं बन सकता। जैसे, पशु-पत्नी, लाल-पीला, कठ-बैठ, कढ़वा-मुनना आदि। ये सब निराकाङ्क्ष पद हैं।

३ आसक्ति

आसक्ति को मन्त्रिधि भी कहते हैं।

एक पद के सुनने के बाद उच्चरित होनेवाले अन्य पद के सुनने के समय सम्बन्ध-ज्ञान का बना रहना 'आसक्ति' है।

अभिप्राय यह कि एक पद के उच्चारण के बाद दूसरे अपेक्षित पद के उच्चारण में विलम्ब या व्यवधान न होना ही आसक्ति है।

यह व्यवधान चार प्रकार का होता है (१) कालकृत् (२) उच्चारण-शेष-जन्य (३) अप्रसक्तशब्दोद्भव और (४) दूरान्वयाश्रित।

१ एक पद के उच्चारण के बाद दूसरे पद के उच्चारण में अधिक समय लगना—देर करना—कालव्यवधान है। जैसे—

'राजा सादब' इतना कहने के बाद देर तक चुप रहकर 'कल आवेंगे' यह कहा जाय तो इन दोनों का सम्बन्ध तत्काल प्रतीत न होगा और चारिण यह कि जिस पदार्थ का जिसके साथ सम्बन्ध हो, उसके साथ ही उसका ज्ञान हो। ऐसा जब तक न होगा तब तक वाक्य न होगा। यह हुआ काल-व्यवधान।

२ बोली लड़खड़ाने के कारण पदों का लगातार उच्चारण न होना उच्चारण-व्यवधान है। जैसे—

ह ह ह ह हम क क क क कल प प प प पाइ...पर ने ने ने ने गये थे।

ऐसे अस्पष्ट उच्चरित होनेवाले पदों से परस्पर यथार्थ सम्बन्ध न बैठने के कारण यह वाक्य यथार्थ वाक्य नहीं कहा जा सकता। यहाँ यत्ना के कथन में काल का अन्तराल नहीं है। इसीसे काल-व्यवधान में किसी प्रकार इसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता।

३ प्रकरणोपयोगी पदों के बीच अप्रासांगिक पदों का आजाना अप्रसक्त-शब्द व्यवधान है। जैसे—

मोहन, पेड़ पर, बेठी है, पढ़ता है, चिबिया। इसमें दो वाक्य हैं। दोनों

अर्थान्तर के श्रोतक होते हैं जिसकी प्रतीति सद्बुद्ध की अनुभूति पर निर्भर होती है। इस अवस्था में ये व्यञ्जक के क्षेत्र में जाते हैं।

निष्कर्ष यह कि शब्द की तीन शक्तियाँ हैं—१ अभिधा २ लक्षणा और ३ व्यञ्जना। जिनमें ये शक्तियाँ होती हैं ये शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं—१ वाचक २ लक्षक और ३ व्यञ्जक। इनके अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं—१ वाच्यार्थ २ लक्ष्यार्थ और ३ व्यंग्यार्थ। वाच्य अर्थ कथित या अभिव्यक्त होता है; लक्ष्य अर्थ लक्षित होता है और व्यंग्य अर्थ व्यञ्जित, अर्थात् सूचित या प्रतीत होता है।

अर्थ उपस्थित करने में शब्द कारण हैं। अभिधा आदि शक्तियाँ शब्दों के व्यापार हैं।

पाँचवीं किरण

शब्द और अर्थ का सम्बन्ध-शक्ति

फार आये हैं कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ही शक्ति है। इस शब्दार्थ-सम्बन्ध को व्यापार भी कहते हैं। यह सर्ववादिसम्मत सिद्धान्त है कि शक्ति, सम्बन्ध या व्यापार के ज्ञान के बिना किसी शब्द से किसी प्रकार का अर्थ-ज्ञान नहीं हो सकता।

वैयाकरणों के मत में शब्द अनित्य है और वैयाकरणों के मत में नित्य। यह बड़े ही विवाद का विषय है। वैयाकरण केवल शब्द को ही नित्य नहीं मानते, अर्थ को भी नित्य मानते हैं और शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध को भी नित्य मानते हैं। यह नित्यता शब्द के शुद्ध रूप तक ही अवस्तु नहीं रहती, अपभ्रंशों में भी दिखाने पड़ती है। एक शब्द के अनेक अपभ्रंश होते हुए भी प्रत्येक में उस शब्द का अर्थ-सम्बन्ध प्रायः विच्छिन्न नहीं होता। जैसे, बिंदु शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ बुमा-फिराकर 'बुंदा' 'बूँद' 'बिंदी' 'बेंदी' 'बुंदा-बुंदा' 'बूँदा-बूँदी' आदि का भी।

२० शब्दों का अर्थ से एक प्रकार का (वाच्य वाचक) सम्बन्ध रहता है। उसी सम्बन्ध के द्वारा से अनेक शब्द अपने अर्थ को उपस्थित करते हैं। बिना सम्बन्ध

उस अर्थ का वाचक है और उससे निकलनेवाला अर्थ वाच्य या वाच्यार्थ है। सबसे पहले इसी अर्थ की उपस्थिति होने के कारण इसे मुख्यार्थ और नाम का अर्थ होने से नामार्थ भी कहते हैं।

अब जहाँ नव-नव वस्तुओं का नव-नव नाम-करण हुआ वहाँ मानव-मस्तिष्क भी साधारण स्तर से ऊपर उठकर चमत्कारप्रिय होने लगा। उसी की विदग्धता ने नियत-निश्चित अर्थ देनेवाले शब्दों के क्षेत्र में क्रांति-सी मचा दी। वाचक शब्दों का अपने वाच्य अर्थों से भिन्न अर्थों में भी उपयोग किया जाने लगा। यह अर्थों के प्रसार का युग था। अर्थों के शब्दगत नियत प्रतिनिधित्व की शृंगला टूट-सी गयी। जब अभिधा शक्ति कुल्लवधू के समान अपने घर से—नियत अर्थ से—भिन्न स्थान में—वाच्य से भिन्न अर्थ वाच्य कराने में—समर्थ नहीं हो सकी तब दूसरी शक्ति लक्षणा का—अन्य अर्थ में उपचरित शब्द-शक्ति का—आश्रय लेना पड़ा। लक्षणा शक्ति से जिस शब्द को जो अर्थ दिया गया वह शब्द लक्षक या लाक्षणिक शब्द कहलाया और उससे निकलनेवाला अर्थ लक्ष्य या लक्ष्यार्थ कहा गया। इसी लक्षणा शक्ति के बल पर देश से देशवासों का, हाथ से हथेली का बोध होने लगा। आकाश के चन्द्र और तालाब के कमलों की नायिका का मुख और नेत्र बनना पड़ा। भावुकता के बल पर विधि का निषेध और निषेध का विधि अर्थ निकालना आश्चर्य की बात नहीं रही।

किन्तु इन दोनों मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न भी एक प्रकार का पदार्थ प्रतीत होने लगा जो इन दोनों शक्तियों के प्रभाव के बाहर की वस्तु हो गया। इसीसे हमपर व्यञ्जना का रंग बढ़ाया गया। फिर तो अनुभूतिमात्रगम्य भावों के प्रकाशन के लिये पर्याप्त बल प्राप्त हुआ। इस व्यञ्जना शक्ति से जिस शब्द का अर्थ किया जाने लगा, वह व्यञ्जक कहलाया और उससे होनेवाला अर्थ व्यञ्ज्य, ध्वनि, सूच्य, प्रतीयमान आदि नामों से अभिहित होने लगा।

शब्द और अर्थ का यह आन्दोलन भिन्न-भिन्न प्रकार से होता रहा। कुछ अन्यायार्थक शब्द अन्य अर्थ के प्रवाह में बह चले और कुछ शब्द विशेष आशय प्रतीत करने के लिये अपना अर्थ खो बैठे। ऐसे शब्द लक्षकों की सीमा में आते हैं। वाचक शब्दों का स्वभाव कुछ विशेष प्रकार का होता है। वे अपने अर्थों का अवाधित रूप से बोधित कर ही विशिष्ट

अर्थान्तर के द्योतक होते हैं जिसकी प्रतीति सहृदय की अनुभूति पर निर्भर होती है। इस अवस्था में वे व्यञ्जक के क्षेत्र में जाते हैं।

निष्कर्ष यह कि शब्द की तीन शक्तियाँ हैं—१ अभिधा २ लक्षणा और ३ व्यञ्जना। जिनमें ये शक्तियाँ होती हैं ये शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं—१ वाचक २ लक्षक और ३ व्यञ्जक। इनके अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं—१ वाच्यार्थ २ लक्ष्यार्थ और ३ व्यंग्यार्थ। वाच्य अर्थ कथित या अभिहित होता है; लक्ष्य अर्थ लक्षित होता है और व्यंग्य अर्थ व्यञ्जित, ध्वनित, सूचित या प्रतीत होता है।

अर्थ उपस्थित करने में शब्द कारण हैं। अभिधा आदि शक्तियाँ शब्दों के व्यापार हैं।

पाँचवीं किरण

शब्द और अर्थ का सम्बन्ध-शक्ति

कह आये हैं कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ही शक्ति है। इस शब्दार्थ-सम्बन्ध को व्यापार भी कहते हैं। यह सर्ववादिसम्मत सिद्धान्त है कि शक्ति, सम्बन्ध या व्यापार के ज्ञान के बिना किसी शब्द से किसी प्रकार का अर्थ-ज्ञान नहीं हो सकता।

नैयायिकों के मत में शब्द अनित्य है और वैयाकरणों के मत में नित्य। यह बड़े ही विवाद का विषय है। वैयाकरण केवल शब्द को ही नित्य नहीं मानते, अर्थ को भी नित्य मानते हैं और शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध को भी नित्य मानते हैं। यह नित्यता शब्द के शुद्ध रूप तक ही अवरूढ़ नहीं रहती, अपभ्रंशों में भी दिखाई पड़ती है। एक शब्द के अनेक अपभ्रंश होते हुए भी प्रत्येक में उस शब्द का अर्थ-सम्बन्ध प्रायः विच्छिन्न नहीं होता। जैसे, विंदु शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ बुमा-फिराकर 'बुंदा' 'बूँद' 'विंदी' 'बेंदी' 'बुंद-बुंद' 'बूँदा-ब्रौंदी' आदि का भी।

२४ शब्दों का अर्थ से एक प्रकार का (वाच्य वाचक) सम्बन्ध रहता है। उसी सम्बन्ध के क्वाल से प्रत्येक शब्द अपने अर्थ को उपस्थित करता है। बिना सम्बन्ध

१ शिद्ध शब्दे, अर्थे, सम्बन्धे च। महाभाष्य

२ ना० प्र० पत्रिका, भाग १६, अङ्क ४

का शब्द अर्थहीन होता है—उसमें किसी अर्थ के बोध करने की शक्ति नहीं रहती। सम्बन्ध उसे अर्थवान् बनाता है, उसमें शक्ति का संचार करता है। इसी सम्बन्ध या शक्ति से ही शब्द इस अर्थमय जगत् का शासन करता है। लोकेच्छा का संकेत पाकर चाहे जिस अर्थ को अपना लेता है, चाहे जिस अर्थ को छोड़ देता है। इसी शक्ति के घटने-बढ़ने से उसके अर्थ की हास-वृद्धि होती है। इसी सम्बन्ध के भाव अथवा अभाव से अर्थ का जन्म अथवा मरण होता है। अर्थात् सम्बन्ध ही शब्द की शक्ति है, सम्बन्ध ही शब्द का प्राण। इसीसे शब्द-तत्त्व के जानकारों ने कहा है 'शब्दार्थ सम्बन्धः शक्तिः' (शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का नाम शक्ति है।)

उद्धरण में विचारित सम्बन्ध के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं जो जिज्ञासुओं की जिज्ञासावृत्ति को कुछ सन्तुष्ट करेंगे।

१ लोकेच्छा के संकेत से अर्थ ग्रहण करनेवाले एक दो शब्द—

'सलोना और नमकीन शब्द नमकवाले पदार्थ के बोधक हैं। अथ इनसे सुन्दर होने का अर्थ-बोध होता है। जैसे, यह सर्वांग-सलोनी सुन्दरी अनीसी विप की गौंठ है। हे नायक ! (विप की गौंठ जिसके गले लगती है वही मरता है, किन्तु) यह जिसके गले नहीं लगती प्रथ्युत वही मरता है। दयाम सलोने गात भी ऐसा ही है। साधारण बोलचाल में कहते हैं कि इस लड़के का चेहरा नमकीन है। अर्थात् लड़का सुन्दर है।

ऐसे ही क्रियात्मक शब्द बनना, बनाना और कहना भी हैं। 'बनना' का अर्थ विरचित होना है। बनाना का अर्थ रचना करना तथा सिद्ध करना है और कहना का अर्थ कुछ बोलना है। किन्तु अथ लोकेच्छा का संकेत पाकर बनना का अर्थ अपने को दिखाना होता है। जैसे, हमारे सामने वह खुब बनता है। 'बनाने' का अर्थ छेड़ना, चिढ़ाना, बुद्धि सिद्ध करना होता है। जैसे, ज्ञानोपदेश देने पर गोपियों ने उद्धव को खुब बनाया। और, 'कहना' कविता लिखने के अर्थ में आने लगा है। जैसे, क्या खुब कहा ! कहने में तो कलम तोड़ दी है। इन्होंने अच्छे 'दोहे' कहे हैं।

एक और उदाहरण लें, जैसे, कि मूर्ख। 'भुह' धातु से तीन शब्द बने हैं मुग्ध, मूढ़ और मूर्ख। मुग्ध यह है जो देखता है, समझता है पर व्यक्त नहीं

१ सायं घलोणी मोरदी, नववी कवि विषगति।

भक्त पञ्चलित दो मरद, जगु न लगद कठि ॥ हेमचन्द्र का व्याकरण

कर सकता। उसकी समझ 'गूंगे का गुड़' समझ लीजिए। मूढ़ वह है जो कुछ समझता ही नहीं। और, 'मूर्ख' वह है जो जानता है और समझता भी है पर उलटी समझ से काम लेता है। पर आज 'मूर्ख' शब्द अपढ़, नासमझ, गंवार, अज्ञ, बेवकूफ आदि सबके लिए प्रयुक्त होता है।

२ लोकेच्छा के संकेत से अर्थ छोड़नेवाले एक दो शब्द।

पहले 'महाजन' शब्द महापुरुषों के अर्थ में आता था। जैसे, महाजन जिस मार्ग से गये वही प्रशस्त मार्ग है। अब 'महाजन' वणिक-मात्र के लिए, विशेषतः लेन-देन के काम करनेवाले के लिये प्रयुक्त होता है। ऐसे ही महाराज, महाशय, महाब्राह्मण, महाप्रसाद आदि शब्द हैं।

अधिकांशतः साक्षर अशिक्षित समाचारपत्र को 'छापे का कागज' कहते हैं। यह छपे हुए कागज मात्र के अर्थ को छोड़ रहा है। अब तो प्रायः शिक्षित-समुदाय अंग्रेजी समाचारपत्र को 'पेपर' ही कहता है। इस प्रकार पेपर अपने साधारण पेपर मात्र के अर्थ से विमुक्त हो रहा है।

३ सम्बन्ध शक्ति के हास से अर्थ के हासवाले एक दो शब्द—

जो लोग ऐसा कहते हैं कि यह शब्द यहाँ ठीक अर्थ नहीं देता या यह शब्द मेरे मन का भाव नहीं प्रकाशित करता, इसका कारण यही है कि उस शब्द के पूर्व के सम्बन्ध या शक्ति का हास हो रहा है। आज उपन्यास शब्द किस्सा-कहानी की पुस्तक ही तक सीमित हो गया है। इसका प्रयोग पहले 'आरम्भ करने—चात निकालने या कहने—के अर्थ में होता था। ऐसे ही समस्या शब्द पहले पद्य के पूरणोप एक अंश को कहते थे और अब समस्या उलझन की बात बन गयी है। पहले आवृत्ति शब्द आने का अर्थ देता था। जैसे, अर्थापत्ति अर्थ का आना। अब केवल यह 'विवृत्ति' का ही बोधक रह गया है।

४ सम्बन्ध की वृद्धि से अर्थवृद्धिवाले एक दो शब्द—

खबर का बहुवचन अस्तवार है। यह शब्द समाचारों का बोधक-मात्र है। किंतु, अब इससे ऐसे समाचार पत्र का बोध होता है, जिसमें

१ शास्त्राण्यधोऽपि भवन्ति मूर्खाः ।

यस्तु कियान् पुरुषः स विद्वान् ॥

२ विपम उपन्यास । महाभाष्य । उपन्यासस्तुः वात्सुखम् । अमरकोश ।

केवल समाचार ही नहीं रहते, अप्रलेख तथा निबन्ध, आलोचना और टिप्पणियाँ, एकाङ्की नाटक और कहानियाँ, तथा पत्रव्यवहार आदि भी रहते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ बहुत व्यापक हो गया है।

‘नश्’ धातु का अर्थ है अदर्शन अर्थात् लोप। किन्तु इस धातु से बना नष्ट शब्द ‘मद्यप, मांसभक्षी, वेश्यागामी, चोर, जुआरी, गुंडा, बदमाश आदि जैसे कुकर्मकारियों का अर्थ देता है। श्रष्ट का अर्थ है गिरा हुआ और आज यह नष्ट शब्द का कनिष्ठ भ्राता बन गया है।

ऐसा ही ‘फलाहार’ शब्द है। अर्थ है फल का भोजन। पर फलाहार में फल ही नहीं रहते। दूध-ची, रवड़ी-मलाई, पेड़ा-बर्फी आदि भी सम्मिलित हैं। यही फ्यों, कन्द-मूल फलने वाले नहीं। ये भी फलाहार के अन्तर्गत आ जाते हैं। यह सम्बन्ध-वृद्धि की ही महिमा है।

५ सम्बन्ध के भाव (सत्ता) से नये अर्थवाले एक दो शब्द—
‘बिजली दौड़ जाना’ आजकल एक नया अर्थ ‘सनसनी पैदा होना’ भी हो गया है। जैसे, ‘अंधेरे में छोंप पर पैर पक जाने से शरीर में बिजली दौड़ गयी’।

इस नये अर्थ का उद्देश्य ‘सनसनी’ की तीव्रता बताना है। ऐसे ही ‘तार देना’ शब्द किसी को सितार आदि का तार देने का अर्थ रखते हुए ‘तार द्वारा समाचार भेजना’ भी एक नया अर्थ देने लगा है। इनमें सम्बन्ध का भाव (सत्ता) ही नये अर्थों का जन्मदाता है।

नये अर्थ का जन्म मूल में सञ्ज्ञोच या प्रसार से होता है। पच (पकाना) धातु से ‘पक’ बना है। अर्थ है पका हुआ। इससे हिन्दी में तीन शब्द बने—पका, पका और पगा। अब उदाहरणों में देखिये कि इनके अर्थ क्या हैं—पक्का कुँआ, पक्की सड़क, पक्की बात। पका फल, पके थाल, पका चाम। पगी (चीनी की चारानी चढ़ी) घाण्टाही, रस-पगी बात आदि। इनमें कहीं पकने का अर्थ नहीं है।

१ भित्तो मांसनिषेवण प्रशुष्ये किन्तेन मद्यं विना ।

मद्यं चापि तव श्रियं त्रियमहो माराहनभिः ।

वेश्या द्रव्यरुचिः कुलस्तप धनं पुतेन चौर्येण वा ।

चौर्यचतुपरिमहोऽपि भवतो नष्टस्य कान्या गतिः ॥

२ विवेकभ्रष्टानां भरति विनिगतः शतमुखः

६ सम्बन्ध के अभाव से मरे अर्थवाले एक दो शब्द—

आज कोई कुश लानेवाले को न तो 'कुशल' ही कहता है और न मॉडर्न पोनेवाले को 'मण्डप' ही। सम्बन्ध के अभाव से इनके पूर्ण अर्थों का मरण हो चुका है। अब ये क्रमशः 'चतुर' और 'मँड़वा' के ही अर्थ देते हैं। 'हवा से बातें करना' जैसे मुहावरों के अर्थों का भी मरण हो चुका है। क्योंकि, अब हवा से बातें होने लगी हैं।

'सैन्धव' शब्द सिन्धु देशोत्पन्न वस्तुओं का बोधक न रहा। अब नमक का ही विशेष अर्थ देता है। 'चीनी' चीन देश की सभी वस्तुओं का बोधक है पर आज चीनी कहने से सिर्फ चीनी को ही सभी समझते हैं। ऐसे ही सहज, विज्ञान, विस्तार, प्रसाद आदि शब्द हैं।

शब्दार्थ के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखने की है कि कुछ विदेशी शब्दों का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है जिनका आशय हिन्दी शब्दों से व्यक्त नहीं होता। जैसे, सिफारिश और ऐक्टिंग (Acting)। इनके भाव 'संस्तव' या 'अनुरोध' तथा 'नाट्य' शब्द से व्यक्त नहीं होते। इसका कारण उक्त शब्दों से परिचय-वृद्धि है। ऐसे ही मुद्ई, मुद्दालह, स्कूल, कालेज आदि शब्द हैं। इनका अभिप्राय क्रमशः वादी, प्रतिवादी, पाठशाला, विद्यालय आदि से स्पष्ट नहीं होता।

शब्दार्थ—सम्बन्ध का या शक्ति का विचार जितना ही व्यापक है उतना ही महत्त्वपूर्ण है। साहित्यिकों के लिये यह विषय कथमपि उपेक्षणीय है। इसके यथार्थ ज्ञान से साहित्य में सुप्रयोग की विशेष सम्भावना है। पृथक् पुस्तक में इसका विस्तृत विवेचन अभीष्ट है।



छठी किरण

शब्द और अर्थ के सम्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण

आचार्य श्री रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं—

“अर्थसे मेरा अभिप्राय वस्तु या विषय से है। अर्थ चार प्रकार के होते हैं— प्रत्यक्ष, अनुमति, आतोपलब्ध और कल्पित। प्रत्यक्ष की बात हम अभी छोड़ते हैं। भाव या चमत्कार से निःसङ्ग विरुद्ध रूप में अनुमति अर्थ का क्षेत्र दर्शन-विज्ञान है, आतोपलब्ध का क्षेत्र इतिहास है, कल्पितअर्थ का प्रधान क्षेत्र काव्य है पर भाव या चमत्कार से समन्वित होकर ये तीनों प्रकार के अर्थ काव्य के आधार हो सकते हैं और होते हैं। यह अवश्य है कि अनुमति और आतोपलब्ध अर्थ के साथ काव्य भूमि में कल्पित अर्थ का योग थोड़ा-बहुत रहता है। जैसे, दार्शनिक कविताओं में, रामायण, पद्मावत आदि ऐतिहासिक काव्यों में। गम्भीर-भाव-प्रेरित काव्यों में कल्पना प्रत्यक्ष और अनुमान के दिखाये मार्ग पर काम करती है और बहुत घना और बारीक काम करती है।”

शुक्लजी के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष का एक उदाहरण लीजिये—

मेरे प्यारे बेटे आओ

मीठी-मीठी बातें करके मेरे जी की कली खिलाओ

उमग-उमग कर खेलो-कूदो लिपट गले से मेरे जाओ

इन मेरी दोनों आँखों में हँसकर सुधा चूँद टपकाओ। हरिऔध

इस प्रत्यक्ष अर्थ से सचमुच जी की कली विल जाती है। बेटा चाल-मुलम हास द्वारा घात्सल्य भाव से सराबोर माता के नेत्रों में सचमुच सुधा-रोचन कर देता है।

अनुमति अर्थ का एक उदाहरण लें—

होते अरविन्द से तो आयके मिलिंद गृन्द

लेते मधु पुँद बंद पुँद के तरंग दे ।

मंजन से होते तो प्रमंजन परग पन्द

उरते दुँय दे न गृन्दे नियजे दे ॥

‘ग्वाल’ कवि मीन से मृगन से जो होते तो प
 वन वन मॉहि दोऊ दौड़ते करारे ये ।
 याते नैन मेरे खरे लोह से हैं काहे तैं कि
 खैचे लेत प्यारी चख चुम्बक तिहारे ये ॥

यहाँ चुम्बक रूप साधन से नेत्रों का लौह रूप होना सिद्ध किया गया है। ‘काहे तैं कि’ शब्द से कारण का स्पष्ट निर्देश है।

एक आत्मोपलब्ध का उदाहरण लें—

तुम तो कहोगे, इतिहास भी कहेगा यही,
 किन्तु यह विजय प्रशंसा भरी मन की—
 एक छलना है ।
 वीरभूमि पश्चनद वीरता से रिक्त नहीं ।
 काठ के हों गोले जहाँ
 आटा बाह्य हो ।
 और पीठ पर हो दुरन्त दंशनों का त्रास
 छाती लपती हो भरी आग, बाहु बल से
 उस युद्ध में तो चख मृत्यु ही विजय है । प्रसाद

शेरसिंह के शत्रु-समपेण की कथा में अर्थ आत्मोपलब्ध ही है । आज इतिहास भी सत्यानुसंधान के लिये विज्ञान का रूप ले रहा है ।

काव्यमात्र ही कल्पित अर्थ का प्रधान क्षेत्र है । इसका उदाहरण अनावश्यक है । कोई भी काव्य, जिसे काव्य कहा जा सकता है, कल्पित अर्थ से अछूता नहीं रह सकता । उत्प्रेक्षा आदि अलंकार कल्पित अर्थ के ही अधीन हैं ।

प्रत्यक्ष का उक्त उदाहरण भाव-शून्य नहीं, इससे वह काव्य है । भवाल कवि की कविता भी चमत्कारक और अनुरञ्जक है । आत्मोपलब्ध के उदाहरण में वीरता-व्यञ्जक भाव होने से वह भी काव्य है । इस प्रकार “भाव या चमत्कार से समन्वित होकर, ये तीनों प्रकार के अर्थ काव्य के आधार हो सकते हैं ।” यह शुक्लजी की उक्ति संगत होती है ।

प्रत्यक्ष और अनुमान के मार्ग पर गम्भीर-भाव-प्रेरित काव्य में कल्पना की करामात का एक उदाहरण लें—

कल जब तनींदी छी खसी भूपर वरान्ती चाँदनी,
 पुरवा चली जब आ रदी भी दर निशालोक से,

वन के किसी सुनसान में निज होंथ में सुरली लिये,
 बैठा पुलिन पर तब कहीं कवि साधना में लीन था ।
 धुल चॉदनी से थी बिछी दुर्वा तटी के स्वप्न धी;
 जाती सिहर लघु डालियाँ रह रह दिशा के मौन में ।
 थी ऊँघती सुपमा कली पर किसलयों की गोद में;
 चारा विपिन था रम्य दिन के प्रीम शयनागार सा । दिनकर

इस कविता की भाव-गम्भीरता तथा कल्पना के साक्षी सहृदयों के हृदय ही हैं ।

आगे चलकर शुक्लजी कहते हैं ।

“भाषा का असल काम यह है कि वह प्रयुक्त शब्दों के अर्थयोग द्वारा ही या तात्पर्य वृत्ति द्वारा ही पूर्वोक्त चार प्रकार के अर्थों में से किसी एक अर्थ का बोध कराये । जहाँ इस रूप में कार्य न करके वह ऐसे अर्थों का बोध कराती है जो बाधित, असम्भव, असंयत या असम्बद्ध होने हैं वहाँ केवल भाव या चमत्कार का साधन-मात्र होती है, उसका वस्तुजापन कार्य एक प्रकार से कुछ नहीं होता ।”

यहाँ बाधित आदि अर्थों से शुक्लजी का अभिप्राय वाच्यार्थ के उन प्रकारों से है जहाँ बाध आदि होने पर लक्षणा आकर अपनी शक्ति से अर्थ-व्याघात को दूर करती है । जैसे,

चौंदी रम्य चन्द्रमा लुटाता चला हँसता ।
 और निशा रानी भोद - पूरिता मनोहरा,
 सौमज लुटाती चलो अञ्जली में भरके । वियोगी

इसमें भाषा चमत्कार का साधन होकर अपने अर्थयोग द्वारा बाधित अर्थ का ही बोध कराती है—हँसता चन्द्रमा चौंदी नहीं लुटाता और न निशा रानी अञ्जलि में भरके, भोती ही लुटाती है । लक्षणा से अर्थ होता है—उज्ज्वल चॉदनी लुप्त हो रही है और शाय पर शिशिर-पिन्दु झरकर रहे हैं । अथा का आगमन व्यञ्जित है ।

ऐसे लाक्षणिक वर्णन में कहीं चमत्कार की विशेषता लक्षित होनी है तो कहीं भाव की । फिर भी इस प्रकार की बाधितार्थ भाषा के द्वारा भाव-साधना उतनी नहीं होती । उक्ति-वैचित्र्य से लाक्षणिक चमत्कार भले ही हो ।

शुक्लजी अन्त में कहते हैं—

“चारों प्रकारों की रचनाओं (धर्म्य काव्य, रस्य काव्य, कथत्मक गद्य काव्य

और काव्यात्मक गद्य प्रबन्ध या लेख) में कल्पना-प्रसूत वस्तु या अर्थ की प्रधानता रहती है, शेष तीन प्रकार के अर्थ सहायक के रूप में रहते हैं। पर निबन्ध में विचार-प्रसूत अर्थ अंगी होता है और आप्तोपलब्ध या कल्पित अर्थ अंग रूप में रहता है। दूसरी बात यह है कि प्रकृति निबन्ध अर्थप्रधान होता है।”

तीनों उद्धरणों के पढ़ने पर शुक्लजी का अर्थ-सम्बन्धी विचार स्पष्ट हो जाता है। किन्तु शुक्लजी ने विचार-प्रसूत अर्थ को यह नहीं बतलाया कि यह प्रत्यक्ष होता है या अनुमित। अङ्ग रूप में कल्पित या आप्तोपलब्ध का नाम तो लिया किन्तु अंगी के रूप में स्वीकृत विचार-प्रसूत को प्रत्यक्ष या अनुमित अर्थ खोलकर नहीं कहा।

न मालूम शुक्लजी ने इन्हीं चारों अर्थों का ही क्यों उल्लेख किया ! ऐसे तो उपमित और अर्थापन्न अर्थ भी हो सकते हैं। उपमित का अर्थ है एक के सदृश दूसरा। काव्य में उपमित अर्थ की ही बहुलता है। कौन काव्य-प्रेमी काव्य में सदृश अर्थ की अमूल्यता को नहीं मानता। बहुत-से अलङ्कारों की जड़ तो यह सादृश्यमूलक उपमित अर्थ ही है। अर्थापन्न अर्थ भी काव्य में आता है। आपत्ति का अर्थ है ‘आ पड़ना’। ‘अर्थापन्न’ का अर्थ हुआ ‘आ पड़ा हुआ अर्थ’। जैसे-

प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा,

रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा।

उसके आशय की थाह मिलेगी किसको ?

जनकर जननी भी जान न पायी जिसको ॥ गुमजी

इस पद्य के पढ़ने पर स्वयं यह अर्थ भासित हो जाता है कि भरत के आशय को राम के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जान सका।

सुधा वृष्टि भइ दोड दल माँहीं।

जिये भालु कपि निश्चर नाहीं ॥ तुलसी

सुधा तो भालु-कपि या निश्चर को विलगाती नहीं। उसका काम है मृतक-सामान्य को जीवन दान देना। फिर भालु-कपि ही क्यों जीवित हुए, निश्चर क्यों नहीं ? इससे स्वतः यह अर्थ आ पड़ता है कि ‘ईश्वर की ऐसी इच्छा थी’।

उपर्युक्त सभी भेद अभिधेय के अन्तर्गत हैं। शेष उसीका प्रपञ्च है।

सातवीं किरण

साधारण अर्थ और बिम्बप्रदण

अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं। इन अर्थों के साहित्यिक प्रयोग भी काव्यों में भरे पड़े हैं। उनसे अर्थ शब्द के अर्थ की विलक्षणता लक्षित होती है।

साहित्यशास्त्र में किसी शब्द-शक्ति के प्रह अथवा ज्ञान से संकेतित, लक्षित या च्योतित जिस व्यक्ति की उपस्थिति होती है उसे अर्थ कहते हैं।

यहाँ व्यक्ति शब्द से केवल मनुष्य प्राणी का अर्थ नहीं लेना चाहिये। किन्तु उन सभी मूर्त, अमूर्त द्रव्यों का, जो 'व्यक्ति, जाति या आकृति के द्वारा अपनी पृथक् सत्ता रखते हैं।

सङ्केत-प्रह के समग्र्य में आचार्य शुक्ल का यह निम्नलिखित विचार है—

“यह तो स्पष्ट है कि प्रतिबिम्ब या दृश्यप्रदण अभिधा द्वारा ही होता है। पर अभिधा द्वारा प्रदण एक ही प्रकार का नहीं होता। हमारे यहाँ के आचार्यों ने संकेत-प्रह के जाति, गुण, क्रिया और यहच्छा ये चार विषय तो बताये पर स्वयं संकेत-प्रह के दो रूपों का विचार नहीं किया। अभिधा द्वारा दो प्रकार का प्रदण होता है— बिम्बप्रदण और अर्थप्रदण। किधी ने कहा कमल। अत्र इष 'कमल' पद का प्रदण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिये हुए सफेद पैलदियों और नाल आदि के सहित एक फूल का चित्र अन्तःकरण में थोड़ी देर के लिये उपस्थित हो जाय और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थमात्र समझकर काम चलाया जाय।”

अब इस उद्धरण पर थोड़ा विचार कीजिये। अर्थ की उपयुक्त परिभाषा यह स्पष्ट कर देती है कि सङ्केतप्रह क्या है और वह किमाकार है, अर्थात् किम रूप में गृहीत होता है। मेरा कहना है कि अर्थ-मात्र की उपस्थिति प्रायः प्रतिबिम्ब रूप में ही होती है। संकेत-प्रह के समय तो बिम्ब रहता है पर शब्द के द्वारा यह प्रतिबिम्ब होकर ही आता है।

१ व्यक्तिस्तु पृथगात्मता। अर्थात्, अन्य वस्तुओं से किसी वस्तु-विशेष का निरालापन। अमर

२ काव्य में रहस्यवाद।

और काव्यात्मक गद्य प्रबन्ध या लेख) में कल्पना-प्रसूत वस्तु या अर्थ की प्रधानता रहती है, शेष तीन प्रकार के अर्थ सहायक के रूप में रहते हैं। पर निबन्ध में विचार-प्रसूत अर्थ अंगी होता है और आलोपलब्ध या कल्पित अर्थ अंग रूप में रहता है। दूसरी बात यह है कि प्रकृति निबन्ध अर्थप्रधान होता है।”

तीनों उद्धरणों के पढ़ने पर शुक्लजी का अर्थ-सम्बन्धी विचार स्पष्ट हो जाता है। किन्तु शुक्लजी ने विचार-प्रसूत अर्थ को यह नहीं बतलाया कि वह प्रत्यक्ष होता है या अनुमित। अङ्ग रूप में कल्पित या आलोपलब्ध का नाम तो लिया किन्तु अंगी के रूप में स्वीकृत विचार-प्रसूत को प्रत्यक्ष या अनुमित अर्थ खोलकर नहीं कहा।

न मालूम शुक्लजी ने इन्हीं चारों अर्थों का ही ऋण उल्लेख किया ! ऐसे तो उपमित और अर्थापन्न अर्थ भी हो सकते हैं। उपमित का अर्थ है एक के सदृश दूसरा। काव्य में उपमित अर्थ की ही बहुलता है। कौन काव्य-प्रेमी काव्य में सदृश अर्थ की अमूल्यता को नहीं मानता। बहुत-से अलङ्कारों की जड़ तो यह सादृश्यमूलक उपमित अर्थ ही है। अर्थापन्न अर्थ भी काव्य में आता है। आपत्ति का अर्थ है ‘आ पड़ना’। ‘अर्थापन्न’ का अर्थ हुआ ‘आ पड़ा हुआ अर्थ’। जैसे,

प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर सींचा,

रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा।

उसके आशय की थाह मिलेगी किसको ?

जनकर जननी भी जान न पायी जिसको ॥ गुनजी

इस पद्य के पढ़ने पर स्वयं यह अर्थ भासित हो जाता है कि भरत के आशय को राम के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जान सका।

सुधा वृष्टि भइ दोउ दल साँही।

जिये भालु कपि निश्चर नाही ॥ तुलसी

सुधा तो भालु-कपि या निश्चर को विलगाती नहीं। उसका काम है मृतक-सामान्य को जीवन दान देना। फिर भालु-कपि ही क्यों जीवित हुए, निश्चर क्यों नहीं ? इससे स्वतः यह अर्थ आ पड़ता है कि ‘ईश्वर की ऐसी इच्छा थी’।

उपर्युक्त सभी भेद अभिधेय के अन्तर्गत हैं। शेष उसीका प्रपञ्च है।

दिया है। काव्य में निर्विकल्पक ज्ञान का कोई अर्थ कभी स्वीकृत नहीं होता और न लोक में ही उसके द्वारा किसी प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। अतः उसकी चर्चा उठाना यहाँ नितान्त अप्रासंगिक है।

शुक्लजी के जाति, गुण, क्रिया और यहच्छा ये चार भेद महाभाष्य पर निर्भर हैं। वही महाभाष्य यह भी कहता है कि शब्द (गो शब्द) वही है जिसके उच्चारण से गलकम्बल (गले की भालर) ककुद (मोर या छिल्ला) पूँछ, नुर, सींगवाले का बोध होता हो। अब बताइये कि शब्द अर्थ-बोधक मात्र ही है या बिम्बप्राहक भी। यही वात भट्टहरि भी कहते हैं।

इन शास्त्रीय विचारों के रहते शुक्लजी का आचार्यों के सम्बन्ध में उल्लाहना अनुचित नहीं, असंगत और अनर्थक भी है। उनका यह विचार पाश्चात्य-प्रभाव-मूलक ही है, जैसा कि वे एक स्थान पर कहते भी हैं। भाष्य के दो पक्ष होते हैं—एक साकेतिक (Symbolic) और दूसरा बिम्बाधायक (Presentative)।

साहित्य में जाति की अपेक्षा व्यक्ति की ही प्रधानता है। यही इस बात का सूचक है कि पृथगात्मक व्यक्ति जरूरी होगा तब उसका अर्थ के साथ प्रतिबिम्बप्रहरण भी अवश्य होगा।

यह बात अवश्य प्राह्य हो सकती है कि शब्द-विशेष अर्थग्रह के साथ विशेषतः प्रतिबिम्बप्राहक भी होते हैं। जैसे, 'समुद्र' को सिन्धु कहने से कोई वैसा प्रतिबिम्बप्रहरण नहीं होता जैसा कि समुद्र को (जलनिधि) या 'पत्ताकर' कहने से होता है। इन शब्दों से समुद्र का एक रूप खड़ा हो जाता है ऐसे ही 'पृथ्वी' को भू, मही, पृथिवी आदि कहने से वैसा प्रतिबिम्बप्रहरण नहीं होता जैसा कि 'अचला' 'अनन्ता' 'विश्वम्भरा' 'रिथरा' आदि शब्दों के कहने से होता है। इन शब्दों का निर्माण ही ऐसा है कि जो एक रूप खड़ा कर देता है।

विशेष-स्थल पर अत्रिबिम्बप्राहक शब्द से भी बिम्बप्रहरण होता है। कवियों ने इस पर खुब ध्यान दिया है। कमल शब्द को ही लें।

पा प्रगाद रथिकरण का कमल कमल है जात । अनुवाद

यहाँ दूसरे कमल शब्द का अर्थ बाधित है। पुनरुक्त कमल शब्द

१ येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गलककुददारविफणिनां संप्रत्ययो भवति ए शब्दः ।

‘कमल’ शब्द को ही लीजिये । इस पद का अर्थ यदि कुछ लिया जायगा तो उसका कुछ रंग-रूप अवश्य सामने आवेगा । यदि ऐसा न हो तो भी अर्थ जाननेवाला व्युत्पत्ति-लब्ध अर्थ (क-मल = जल का मल) न जानकर कम-से-कम इतना तो जानेगा कि कमल एक प्रकार का फूल होता है । फिर तो यहाँ अर्थ के साथ-साथ कुछ प्रतिबिम्बप्रहरण होगा ही ।

अर्थ शब्द अर्थमात्र को—अभिधेय को—ही नहीं कहता, वस्तु को भोकहता है । अतः शुक्लजी वस्तुप्रहरण को ही अपना बिम्बप्रहरण मानकर क्यों नहीं सन्तुष्ट हो जाते ?

अर्थ के साथ ही शब्दबोधय वस्तु की बौद्ध रूप में उपस्थिति अवश्यम्भाव्य है । बुद्धिदेशस्थ अर्थ ही ज्ञान का विषय होता है और शक्तिप्रह का विषय भी । ज्ञान वृत्त्यात्मक होता है अर्थात् अन्तःकरण का इन्द्रिय द्वारा विषय देश में जाकर जो विषयाकार परिणाम है, वही वृत्ति है और तदात्मक ही ज्ञान होता है । इससे स्पष्ट है कि अभिया का प्रहरण पूर्वोक्त पृथक्-पृथक् रूप से नहीं होता ।

इसी वृत्ति की बात को^१ वेदान्त यों समझा कर कहता है—“जैसे तालाब का पानी नाली से बहता हुआ क्षारियों में पहुँचकर वैसे ही चौकोना, तिकोना या गोल आकार का हो जाता है वैसे ही उज्ज्वल अन्तःकरण नेत्रादि इन्द्रियों के द्वारा निकलकर घट आदि पदार्थों में जाकर घट आदि के ऐसा ही हो जाता है । यही परिणाम वृत्ति है ।

बात यह है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है । एक सविकल्पक और दूसरा निर्विकल्पक । सविकल्पक में प्राण अर्थ को विशेषतायें प्रतीत होती हैं और निर्विकल्पक में नहीं प्रतीत होती । शुक्लजी ने निर्विकल्पक ज्ञान के द्वारा प्राण अर्थ को ही अपने मन से अर्थप्रहरण का विषय ठहरा

१ अर्थोऽभिधेयवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु । अमर

२ अर्थश्च बौद्ध एव ज्ञानविषयः शक्तिप्रहविषयश्च । ज्ञानञ्च वृद्धिरूपं बुद्धिधर्म एवेति ।—मञ्जूपा

३ यथा तथागोदकं द्विद्रान्निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्देव चतुष्कोणा-
याकारं भवति तथा तैजसमन्तःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादिविषयदेशं गत्वा
घटादिविषयाकारेण परिणमते स एव परिणामो वृत्तिरित्युच्यते । वेदान्तपरिभाषा

दिया है। काव्य में निर्विकल्पक ज्ञान का कोई अर्थ कभी स्वीकृत नहीं होता और न लोक में ही उसके द्वारा किसी प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। अतः उसकी चर्चा उठाना यहाँ नितान्त अप्रासंगिक है।

शुक्लजी के जाति, गुण, क्रिया और गृहच्छा ये चार भेद महाभाष्य पर निर्भर हैं। वही महाभाष्य यह भी कहता है कि शब्द (गो शब्द) वही है जिसके उच्चारण से गलकम्बल (गले की माला) ककुद (मोर या टिल्ला) पूँछ, खुए, सींगवाले का बोध होता है। अब बनाइये कि शब्द अर्थ-बोधक मात्र हो है या विम्बप्रदक भी। यही बात मनुदेरि भी कहते हैं।

इन शास्त्रीय विचारों के रहते शुक्लजी का आचार्यों के सम्बन्ध में उल्लाहना अनुचित नहीं, असंगत और अनर्थक भी है। उनका यह विचार पश्चात्य-प्रभाव-मूलक ही है, जैसा कि वे एक स्थान पर कहते भी हैं। भाषा के दो पक्ष होते हैं—एक सांकेतिक (Symbolic) और दूसरा विम्बप्रदक (Presentative)।

साहित्य में जाति की अपेक्षा व्यक्ति की ही प्रधानता है। यही इस बात का मूलक है कि पृथगात्मक व्यक्ति जत्र होगा तत्र उसका अर्थ के साथ प्रतिविम्बप्रदण भी अदश्य होगा।

यह बात अदश्य प्राह्य हो सकती है कि शब्द-विशेष अर्थप्रद के साथ विशेषतः प्रतिविम्बप्रदक भी होते हैं। जैसे, 'ममुद्र' को सिन्धु कहने में कोई वैसा प्रतिविम्बप्रदण नहीं होता जैसा कि ममुद्र को (जलनिधि) या 'स्तावर' कहने में होता है। इन शब्दों में ममुद्र का एक रूप बड़ा हो जाता है जैसे ही 'पृथ्वी' को भू, मही, पृथिवी आदि कहने में जैसा प्रतिविम्बप्रदण नहीं होता जैसा कि 'अचन्ता' 'अनन्ता' 'विश्वम्भरा' 'स्थिरा' आदि शब्दों के कहने में होता है। इन शब्दों का निर्माण ही ऐसा है कि जो एक रूप बड़ा कर देता है।

विशेष-स्थल पर अविम्बप्रदक शब्द में भी विम्बप्रदण होता है। कवियों ने इस पर नृब ध्यान दिया है। कमल शब्द का ही है।

वा प्रकाद रविद्विग का कमल कमल ही था। अनुवाद

यहाँ दूसरे कमल शब्द का अर्थ पाठित है। भूतकक कमल शब्द

१ येनोच्चारितेन सास्नासाः लुक्कृत्स्नपरिपाणिना मशययो भवति ए शब्दः ।

२ यथा सास्नादिमान् विण्दो गोशब्देनाभिधीयते । चाफ्यपदीय

लक्षणा द्वारा विकसित कमल कुसुम के सौन्दर्य तथा सौरभ की अति-शयता व्यञ्जित करता है। इस व्यंग्य के लिये विशिष्ट विकारा और सौरभ-सम्पन्न में कमल शब्द संक्रमित है। इस सौरभमय सुन्दर कमल के त्रिम्बप्रहण में अर्थशक्तियाँ सहायक हैं। क्या यह सामान्य अर्थ से संभव है ?

प्रतिबिम्बप्रहण का एक उदाहरण लें—

सुन्यो न देखी थीं कहीं कमल कमल में शेष ।

तेरो मुख अम्भोज में कस इन्दीवर दोष ॥ अनुवाद

प्रियतम अपनी प्रियतमा से कहता है कि कमल में कमल होता है यह सुना ही भर था पर वह आज देख लिया। एक तो अम्भोज-(कमल) तुम्हारा मुख है और उसमें दो इन्दीवर (नील कमल) तुम्हारे नेत्र हैं। मुख अरुणिमा-मिश्रित आभा है। इससे उसके लिये साधारण कमल-वाचक अम्भोज शब्द आया है। किन्तु नील-नीरज-निभ नयन नील भी हैं। इससे यहाँ इन्दीवर का प्रयोग है। साधारण कमल-वाचक शब्द नील नेत्र के प्रतिबिम्बप्राहक नहीं हो सकते। अभिप्राय यह कि साधारण शब्द, जिनका निर्माण ऐसा है कि उनसे प्रतिबिम्बप्रहण नहीं होता, विशेष अवस्थाओं के अतिरिक्त अन्यत्र प्रतिबिम्बप्रहण कराने में लतने समर्थ नहीं जितने कि उपर्युक्त शब्दों के समान विशेष प्रकार से निर्मित शब्द।

एक स्थान पर शुक्लजी ने कुछ ऐसा ही विचार किया है जो इस प्रकार है—

सोहत स्याम जलद गडु घोस्त धलु रंगमये रूंगनि ।

मनहुँ आदि अम्भोज विराजत सेवित सुरमुनि भूंगनि ॥

धिरार परत धन घटदि मिलति भग-पौति सो हृदि कवि परनी ।

आदि बराह बिहरी धारिधि गनों उठयो दे दसन धरि धरनी ॥ तुलसी

.....केवल जलद न कहकर उसमें वर्ण और ध्वनि का भी विन्यास किया गया है। वर्ण के उल्लेख से 'जलद' पद में बिम्बप्रहण कराने की जो शक्ति आई थी वह रत्नाभ श्लोक के योग में और भी बढ़ गई। और भगलों की श्वेत पंक्ति ने मिलकर तो चित्र को पूरा ही कर दिया। यदि ये तीनों वस्तुएँ—मेघमाला, शृंग और नक्षत्र—अलग-अलग पढ़ी जाती, उनकी संश्लेष योजना नहीं की गई होती, तो कोई चित्र ही कल्पना में उपस्थित न होता। तीनों का अलग अर्थप्रहणमात्र हो जाता, बिम्बप्रहण न होता। गोश्यामी तुलसीदास

यहाँ 'जलद' में जो श्यामाविक्र प्रतिबिम्बप्रहण कराने की शक्ति है वह मेघ, घन आदि शब्दों में नहीं। जलद होने से ही उसमें श्यामता है और मन्द-मन्द गरजन भी। श्याम जलद के संग वक्रपङ्क्ति का वर्णन कवि-श्रमाव-सिद्ध है। 'धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातः' मेघ का शृंग-मलिन होना विज्ञान-सम्मत ही है। अभिप्राय यह कि 'जलद' शब्द का ही सामर्थ्य है जो संश्लिष्ट प्रति बिम्बप्रहण कराता है और उसकी पूर्णता में प्रातिवेशिक विवरण भी सहायक होता है।

इसीका समर्थन शुक्लजी की इस पंक्ति से होता है।

मावना को मूर्तहप में रसने की आवश्यकता के कारण कविता की मापा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जातिसंकेतवाले विशेषस्व-व्यापार-सूचक शब्द अधिक रहते हैं। चिन्तामणि

एक बात और। शब्दार्थ का प्रहण वा ज्ञान ज्ञाता पूर्व प्रत्यक्षीकरण पर भी निर्भर करता है। जो कमल को तड़ाग में देख चुका है उसे 'पद्म' का अर्थ कमल बताया जाय तो वह क्या सामान्य अर्थ-रूप में और क्या प्रतिबिम्ब-रूप में अर्थप्रहण कर सकता है, दूसरा 'पद्म' का वैसा अर्थ या प्रतिबिम्ब नहीं प्रहण कर सकता है जिसने कमल का पूर्व प्रत्यक्ष न किया हो।

निष्कर्ष यह कि संकेतप्रह के रूप दो नहीं, एक ही है। वह ग्राहक की प्रहण-योग्यता पर निर्भर है कि वह संकेतप्रह जैसा चाहे करे।

अन्त में यह कहना आवश्यक है कि अभिधा केवल अर्थप्रहण करावे या बिम्बप्रहण, इसके लिये शब्दविधान सापेक्ष है। यही कवि का लक्ष्य भी होना चाहिये। काव्य में चित्र-चित्रण, दृश्योपस्थापन और मूर्ति-विधान ही प्रधान हैं। यन्त्र के रूप और उसके प्रतिवेश का विवरण जितना प्राञ्जल होगा उतना ही चित्र परिपूर्ण होगा। जो कुछ हो, शुक्लजी का यह मन सर्वथा मान्य है कि 'काव्य में विवस्थापना (Imagery) प्रधान पद है।'

आठवीं किरण

वाचक शब्द

जो साक्षात् संकेतित अर्थ का बोधक होता है। वह वाचक शब्द है।

यह संकेत साक्षात् होने चाहिये, परंपरा से नहीं। जैसे, राजा का मद्रु दिलाकर कहा जाय कि 'यह राजगढ़ है' तो यहाँ राजगढ़ का जो अर्थ होगा वह साक्षात् संकेतित कहा जायगा। किन्तु, राजा के मद्रु से सम्बन्ध होने के कारण राजगढ़ नाम से प्रसिद्ध नगर का बोध होने साक्षात् संकेतित अर्थ नहीं कहलायगा। क्योंकि राजगढ़ का नगर के लिये कोई साक्षात् संकेत नहीं, राजगढ़ का यहाँ परंपरा सम्बन्ध से नगर में संकेत है जो दूसरी शक्ति लक्ष्य का विषय है।

एक उदाहरण और लें। गधा एक जानवर है। यहाँ 'गधा' शब्द का अपने अर्थ में साक्षात् संकेत है। क्योंकि इसीमें उरा शब्द का लोक-प्रसिद्ध अर्थ है। अब यदि यह कहे कि 'यह भौकर गधा है' तो यहाँ गधे का अर्थ साक्षात् संकेतित नहीं होगा। क्योंकि इसमें अभीष्ट अभिप्राय की सिद्धि के लिए सादृश्य के आधार पर अप्रसिद्ध अर्थ से इसका सम्बन्ध जोड़ा गया है। यहाँ प्रसिद्ध अर्थ के साथ परंपरा सम्बन्ध के आधार पर दूसरे अर्थ में यह संकेतग्रहण करना पड़ता है। अतः 'गधा' शब्द का जानवर के अर्थ में साक्षात् संकेत है और दूसरे 'भौकार' अर्थ में असाक्षात् या परंपरा-संकेत।

रीसार में जितने शब्द व्यवहार में प्रचलित हैं वे सब के सब भिन्न-भिन्न वस्तुओं के निश्चित नाम ही हैं। वे ही वाचक शब्द के नाम से अभिहित होते हैं। वाचक शब्दों का अपना-अपना अर्थ उन-उन वस्तुओं के साथ संकेत-भेद—शब्दों के निश्चित सम्बन्ध-ज्ञान—पर निर्भर रहता है। वस्तु का आकार-प्रकार इस सम्बन्ध-ज्ञान का बहुत कुछ निगमक है।

व्यवहार में देखा जाता है कि संकेत के सहारे ही शब्द अपना अर्थ बोध करता है। किसी अपोष मालक को कोई वाक्य सुनायी पड़ता

है तो वह उस वाक्यों के शब्दों का अलग अलग अर्थ न समझकर समुदाय का ही अर्थग्रहण करता है। अनन्तर वाक्य के शब्दों का वाक्यान्तर में प्रयोग और त्याग देखकर बालक अलग-अलग अर्थ जानने लगता है। उसे उन भिन्न-भिन्न शब्दों से पृथक्-पृथक् अर्थ का संकेत-ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार वस्तु के निश्चित रूप के बोधक शब्द वाचक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। जैसे, बाप ने बेटे से कहा 'लोटा लाओ'। वहीं बैठे हुए एक अनोध बालक ने देखा कि जिससे कहा गया है वह लाने जा रहा है और एक खुले मुँह का गोलमटोल बर्तन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा रहा है। इससे वह पहले इस समूचे वाक्य से जो अर्थ प्रतीत होता है उसको तो जान लेता है, पर एक-एक शब्द का अलग-अलग कोई मतलब नहीं समझता। फिर जब बाप ने बेटे से कहा—'लोटा रख दो'; और 'गिलास लाओ' तब बालक इन वाक्यों में प्रयुक्त 'रख दो' और 'लाओ' शब्दों के अर्थभूत पृथक्-पृथक् व्यापारों को देखकर 'रखना' और 'लाना' का, लोटा और गिलास का संकेतग्रहण करता है।

इस प्रकार संकेत और उसके ज्ञान की सहायता से शब्द का अर्थ-बोध होता है। यह संकेतग्रहण व्यवहार से हुआ जो संकेतमाहकों में प्रधान है।

इसी प्रकार संकेतग्रहण—शब्द और अर्थ का सम्बन्धज्ञान—
१ व्याकरण २ उपमान ३ कोष ४ आप्तवाक्य अर्थात् यथार्थ वक्ता का कथन ५ व्यवहार ६ प्रसिद्ध पद का सांनिध्य ७ वाक्यशेष ८ चित्रादि आदि अनेक करणों से होता है।

१ व्याकरण से—जैसे, लौकिक, साहित्यिक, लटैत, लोहारिन शब्दों के प्रमशः ये अर्थ होते हैं—लोक में उत्पन्न, साहित्य का ज्ञाता, लाठी चलाने-पाला और लोहार की स्त्री। ये अर्थ शब्दशास्त्रियों को सहज ही ज्ञान हो जा सकते हैं। कारण, वे प्रकृति-प्रत्यय के योग को जानकर व्याकरण से संकेतग्रहण कर लेते हैं।

२ उपमान से—उपमान का अर्थ है सादृश्य, समानता, मेल, बराबरी आदि। इससे भी संकेतग्रहण होता है। जैसे, अई जो के समान होती है। इस उपमान से 'जो' का जानकार और 'जई' को न जाननेवाला

१ शक्तिप्रद व्याकरणोपमान कोष महाशयानुसंधाररत्नम् ।

सांस्कृत्य विद्वत्स्य धीम वाक्यस्य शेषद्विनेर्दन्त ॥ मुक्तयती

व्यक्ति 'जई' के 'जौ' के समान होने से 'जई' को देखते ही सहज ही उसे पहचान लेगा। ऐसे ही नील गाय को न जाननेवाला, यह जानते हुए कि वह गाय जैसी होती है, उसे जंगल में देखते ही जान जायगा कि यह नील गाय है।

३ कोष से—जैसे, देवासुर-संग्राम में निर्जरा ने विजय पायी। इस वाक्य में 'निर्जर' का अर्थ देवता है। यह संकेतप्रहण कोष से होता है। जैसे, 'अमरा निर्जरा देवाः।' अमरकोष

४ आप्तवाक्य से—अर्थात् प्रामाणिक वक्ता के कथन से। जैसे, किसी देहाती को जिसने रेडियो कभी नहीं देखा है, रेडियो दिखाकर कोई प्रामाणिक पुरुष कहे कि यह रेडियो है तो उसे रेडियो शब्द से रेडियो के रूप का संकेत-प्रहण हो जायगा। इसी प्रकार शब्दों से अपरिचित वस्तुओं के परिचय कराने में आप्तवाक्य कारण होते हैं।

५ व्यवहार से—इसका उदाहरण पहले ही दिया जा चुका है। व्यवहार ही वस्तुओं और उनके वाचक का सम्बन्ध जानने में सर्व-प्रथम और सर्वव्यापक कारण है। नन्हें-नन्हें दुधमुँहे बच्चे मा की गोद से ही वस्तुओं का जो परिचय आरम्भ करते हैं उसमें किसी वस्तु के लिये किसी शब्द का व्यवहार ही उनके शक्तिप्रहण का कारण वा पदार्थ-परिचायक होता है।

६ प्रसिद्ध पद के सान्निध्य से अर्थात् साथ होने से—जैसे, मशाला में मधु पीकर सभी मदमत्त हो गये। इस वाक्य में प्रसिद्ध पद, 'मशाला' और 'मदमत्त' से 'मधु' का अर्थ मदिरा ही होगा, शब्द नहीं। यहाँ प्रसिद्ध शब्दों के साहचर्य से ही संकेतप्रहण है।

प्रसिद्ध पद के सान्निध्य से केवल द्वयर्थक शब्दों का ही संकेतप्रहण नहीं होता, बल्कि अज्ञात शब्द का भी संकेतप्रहण हो जाता है। जैसे सावन में घटा घिरने पर 'केही' पर फैलाकर नाचते हैं। इसमें अन्य परिचित शब्दों के साथ रहने से स्वभावतः 'केही' का अर्थ 'मोर' भासित हो जाता है।

ऐसे ही प्रसिद्ध-पद-सान्निध्य से विकृत शब्द का भी शक्तिप्रहण होता है। जैसे,

हम कालक अज्ञान अर्ह प्रभु अति चंचल परकीती। प्र० ना० मिथ
यहाँ परकीती शब्द शुद्ध नहीं है। इसका तद्भव रूप है 'परकृति'। जैसे,

ऐसेई जन दत्त कहावत ।

ऐसी परकृति परति छाँड़ की जुबतिन जोग युकावत । सूरदास

यह रूप भी विगड़कर 'परकीती' हो गया है । शुद्ध शब्द है प्रकृति ।

इसका अर्थ-बोध 'वालक' और 'चञ्चल' शब्दों के साम्निध्य से ही होता है ।

५ वाक्य के शेष से—अर्थात् एकत्र कथित वाक्य के किसी संदिग्ध पद के अर्थ के निर्णायक, उसी वाक्य से सम्बन्ध रखनेवाले उस शेष अंश से (जिससे कथित वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाय) । जैसे, तुलसीदास ने रामायण के उत्तरकाण्ड में जहाँ ह्यानदीपक का रूपक आँधा है वहाँ लिखा है—

“तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास ते काढ़ि ।

अर्थात् उस कपास से जाप्रत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपी तीन दोरे निकाल कर इत्यादि । इस प्रसंग में कहीं कपास का नाम नहीं आया है, पर गोस्वामीजी लिखते हैं 'तेहि कपास ते' अर्थात् 'उस कपास से' । अब कपास का बोध वाक्य-शेष से होता है जैसा कि उन्होंने वालकाण्ड के आरम्भ में लिखा है—

“साधु चरित गुन सरित कपासू ”

अर्थात् कपास से तात्पर्य है साधु चरित का ।

८ विवृति से—विवरण या टीका से—जैसे, पद-पदार्थ के सम्बन्ध को 'अभिधा' कहते हैं जो शब्द की एक शक्ति है । इस वाक्य से अभिधा का स्पष्ट संकेत प्रह हो जाता है ।

समानार्थक शब्दों के प्रयोग से भी विवृति होती है—जैसे, 'मार्तण्ड' अर्थात् 'सूर्य' से मार्तण्ड का अर्थ ज्ञात हो गया ।

इस प्रकार में यह जान लेना आवश्यक है कि कुछ पदों के अनेक अर्थ होते हैं । उन पदों में ऐसी संकेतित शक्ति रहती है कि वे अनेक अर्थों के समान रूप में वाचक हो जाते हैं । ऐसे अनेकार्थक पदों के अर्थ का निश्चय परिस्थिति से अर्थात् वाक्यार्थ की संगति से किया जाता है । इसके संयोग आदि अनेक कारण हैं, जिनके सोदाहरण विवरण अभिधा-मूलक व्यवहजन में दिये जायेंगे ।

नवीं किरण

वाचक शब्द के भेद

सृष्टि के जितने शब्द हैं उनमें जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य, इनमें से किसी न किसी की अभिधा अर्थात् संकेतितार्थ की वाचकता अवश्य रहती है। इसीसे ये जाति आदि उनके अर्थ होते हैं। ये ही संकेतप्रह के विषय हैं। इस प्रकार इनके वाचक शब्दों के चार भेद होते हैं जिन्हें अभिधा के इन मुख्य अभिवेयों के अभिधायक भी कह सकते हैं। वे हैं—१ जाति वाचक शब्द २ गुणवाचक शब्द ३ क्रियावाचक शब्द और ४ द्रव्यवाचक (यदृच्छावाचक) शब्द।

१ जातिवाचक शब्द वह है जो स्ववाच्य समस्त जाति का बोध करता है।

जातिवाचक शब्द का अर्थक्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उसका एक व्यक्ति में संकेतप्रह हो जाने से जाति भर का परिचय सरल हो जाता है। जैसे, 'आम'। यदि आम कहीं एक नार भी देख लिया—पहचान लिया—तो उस आकृति के दूसरे सारे आम—छोटे-बड़े, कच्चे-पके, गोल-लम्बे, लाल-पीले, सब पहचान लिये जा सकते हैं। क्योंकि, आत्रत्य या आमपन तो सर्वत्र एक ही रहेगा। कारण यह है कि जाति का व्यक्तियों से नित्य सम्बन्ध रहता है। जिस व्यक्ति में पहले-पहल संकेतप्रह में पहले धर्म वा उपाधि का ही ज्ञान होना चाहिए। जाति वा उपाधि-ज्ञान के अनन्तर इसीसे इसके धर्मी अन्य आम आदि वस्तुओं का भी बोध हो जाता है।

यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि काव्य में जाति का भान उतना अपेक्षित नहीं होता जितना व्यक्ति का भान। जब तक वर्णनीय व्यक्ति का चित्र मानस दृष्टि के सामने उपस्थित नहीं होता तब तक उसमें रमणीयता नहीं आती और काव्य के लिये चाहिये रमणीयार्थ की

१ जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः यदृच्छाशब्दाश्चेति । महाभाष्य

२ आकृतिप्रहणा जातिः । कौमुदी

खुलना, दाँतों का दिलाई पड़ना और छिप जाना, मीठी-सी हल्की ध्वनि का निकलना, यह समस्त व्यापार होता है।

घातुज शब्द और घातुओं के रूप भी इसी श्रेणी के हैं। जैसे, पाचक, पाठक, अरिन्दम, लेन-देन, उठो, बैठो, चले, जायें आदि। क्रियावाचक के खरारि आदि जो उदाहरण दिये जाते हैं वे क्रियावाचक न होने के कारण असंगत हैं।

४ द्रव्यवाचक शब्द केवल एक व्यक्ति का बोधक होता है।

यह वक्ता की इच्छा से वस्तु या व्यक्ति के लिये संकेतित होता है। संकेत करते हुए वक्ता कभी-कभी द्रव्य की कुछ विशेषताओं को लक्ष्य करके संज्ञा देता है और कभी बिना किसी विचार के यों ही कुछ नाम धर देता है। जैसे, चन्द्रमा, सूर्य, हिमालय, भारत, महेश आदि या नत्थु, घीसु, धुरहू, नीलरत्न, फणिभूषण, वदयसरोज, मुरलीधर आदि। इस श्रेणी के शब्द केवल एक वस्तु के वाचक होते हैं जो कोई जिसका जो नाम धर दे, वही उसका संकेत है। इसीसे ये पिछले शब्द यदृच्छवाचक शब्द कहलाते हैं। एक-व्यक्ति-वृत्ति सखरडोपाधि या अखरडोपाधि को भी परिच्छेदक होने की दृष्टि से जाति के भीतर ही संगृहीत समझना चाहिये। सूर्यत्व, हिमालयत्व आदि।

नाम और संज्ञा में एक प्रकार का अन्तर है। जैसे, नाम 'कुक्कुट' है, और 'ताम्रचूड़', 'अरुणशिखा' संज्ञा है।

हिन्दी के वैयाकरणों ने पृथक् रूप से शब्द का एक भाववाचक भेद किया है जो अनावश्यक है। क्योंकि, जातिवाचक और क्रियावाचक शब्दों में ही सुन्दरता, अभिप्राय, कृति, कीर्ति आदि शब्दों का अन्तर्भाव हो जाता है।

वृत्तों की वृत्ति पाँच प्रकार की होती है—१ सुवृत्ति २ समासवृत्ति ३ तद्धित वृत्ति, ४ तिङ् वृत्ति और ५ कृद्वृत्ति।

सुवृत्ति के भी पाँच प्रकार होते हैं—१ जातिवाचक—गाय, घोषा आदि २ गुणवाचक— श्वेत, कृष्ण आदि ३ द्रव्य (व्यक्ति) वाचक—

१ गुणभूतैरवयवैः समूहः कमजन्मनाम् ॥

सुद्ध्या प्रकल्पिताभेदः कियेति व्यपदिश्यते ॥ वाक्यपदीय

२ काव्यमीमांसा ।

काह, आकाश, दिक् आदि ४ असत्त्ववाचक (जो किसी वस्तु का वाचक नहीं है)—जैसे, प्र आदि उपसर्ग और काह आदि निपात । ५ कर्मप्रय-चनीय—हिन्दी में प्रति, को, पर आदि इसके उदाहरण हैं ।

अभिधा शक्ति से घोष्य होने के कारण वाचक शब्द के अर्थ को अभिधेयार्थ भी कहते हैं ।

दसवीं किरण

अभिधा वा अभिधा शक्ति

साक्षात् संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा कहते हैं । अथवा मुख्य अर्थ की बोधिका शब्द की प्रथमा शक्ति का नाम अभिधा है ।

इसी अभिधा शक्ति से पद-पदार्थ के पारस्परिक सम्बन्ध का रूप गढ़ा होता है । यह कैसे होता है, यह भी जान लेना आवश्यक है ।

यह एक नियम है कि एक सम्बन्धी का ज्ञान होने से दूसरे सम्बन्धी का भी ज्ञान हो जाता है । जैसे, मोहन की मोहनी भूत देखते ही जन्ही मधुर सुरली का स्मरण हो आता है । वैसे ही किसीका नाम सुनते ही तत्सम्बन्धी वस्तुओं का स्मरण हो आता है या किसी की वस्तुओं को देखकर उसका नाम स्मरण हो आता है । इसी नियम से सम्बन्धरूप अभिधा शक्ति के द्वारा शक्त शब्दों से शक्य—शक्तिलभ्य अर्थों की प्रतीति हो जाती है ।

अभिधा शक्ति द्वारा जिन वाचक वा शक्त शब्दों का अर्थ-बोध होता है वे १ मगूह-शक्ति-बोधक २ अंग-शक्ति-बोधक ३ समूहांग-मिलित-शक्ति-बोधक होने से तीन प्रकार के होते हैं । उन्हें प्रमराः रुद्र, वीतिक और योगरूद्र भी कहते हैं ।

१ तत्र संवेदितार्थस्य बोधनशक्तिमाभिधा । साहित्य-श्रृणु ।

२ शब्दस्वरूपस्य प्रतीतिस्वरूप मुक्त्यता । अभिधावृत्तिमावृत्ता

३ पदसंनय द्वि एवमुक्त्यभिधानार्थव्यापारकत्वम् । मुक्त्यायनी

१ समूहशक्तिबोधक वा रूढ़ वह शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती ।

रूढ़ शब्द के प्रकृति-प्रत्यय-रूप अवयवों का या तो कुछ अर्थ नहीं हो सकता या होने पर भी संगत प्रतीत नहीं हो सकता । जैसे, मणि, नूपुर आदि या जैसे, मण्डप आदि । मणि शब्द में प्रकृति-प्रत्यय की निराधार कल्पना हो सकती है जो नहीं के बराबर है । मण्डप शब्द की व्युत्पत्ति 'मण्ड पिवति' (जो मॉड़ पीता है) हो सकती है पर कोई मण्डप मॉड़ पीता हुआ नहीं देखा गया । इसी प्रकार पेड़, पौधा, घड़ा, घोड़ा आदि हिन्दी शब्द हैं । इससे रूढ़ि में अखण्ड शक्ति से अर्थ-प्रतिपादन तथा प्रकृतिप्रत्ययार्थ की अनपेक्षा ही प्रधान है ।

२ अङ्ग-शक्ति-बोधक वा यौगिक शब्द वह है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का योग—सम्मिलन होकर अवयवार्थ-सहित समुदायार्थ की प्रतीति हो ।

ऐसे शब्दों से यौगिक अर्थ की ही प्रतीति होती है । जैसे, 'पाचक' और 'भूपति' । 'पाचक' में 'पच' का अर्थ पकाना और 'अक' का अर्थ करनेवाला है । दोनों का सम्मिलित अर्थ 'पकानेवाला' होता है । 'भूपति' में 'भू' का अर्थ पृथ्वी और 'पति' का अर्थ मालिक है । किन्तु, एक साथ इनका अर्थ राजा वा जमींदार होता है । ऐसे ही धनवान्, पाठशाला, मिठाईवाला आदि शब्द हैं ।

३ समूहाङ्गशक्तिबोधक या योगरूढ़ शब्द वह है जिसमें अङ्ग-शक्ति और समूह-शक्ति का योग तथा रूढ़ि, दोनों का सम्मिश्रण हो ।

यौगिक शब्दों के समान अवयवार्थ रखते हुए योगरूढ़ किसी विशेष अर्थ का वाचक होता है । जैसे,

जेदि मुनिरत विधि होय, गणनायक करिबरवदन । तुलसी
इसमें 'गणनायक' केवल गणेश ही का बोधक है, अन्य किसी गणनेता का नहीं। यहाँ 'गण' तथा 'नायक' दोनों अपने पृथक् अर्थ भी रखते हैं।

का देडे पूरणकम 'शंकर' बरख 'पङ्कज' गदि रख्यो । तुलसी

इसमें 'शंकर' और 'पङ्कज' शब्द भी ऐसे ही योगरूढ़ हैं। पङ्कज के अतिरिक्त पङ्क में जन्म लेनेवाले शङ्ख, सिंघार, सीपी आदि अनेक पदार्थ हैं। किन्तु पङ्कज शब्द केवल कमल का ही बोध करता है। क्योंकि, यह शब्द कमल में ही रूढ़ है। शङ्ख सभी कल्याणकारक देवताओं को कक्ष जा सकता है। किन्तु शङ्ख केवल शिव का ही बोधक है। ऐसे ही मनोभव, वारिद, वनमाली, चक्राणि, महादेव आदि शब्द हैं। इन सब शब्दों में अवयवार्थ है और उसके साथ होकर रूढ़ि भी है।

४ यौगिकरूढ़ संज्ञा वह है जिसमें यौगिकार्थ और रूढ्यर्थ का स्वतन्त्रता से अर्थात् परस्परनिरपेक्ष पृथक्-पृथक् बोध होता हो।

यह रूढ़ि, यौगिक और योगरूढ़ि के अतिरिक्त शक्त पद का चौथा भेद है। अभिप्राय यह है कि जो शब्द कहीं केवल यौगिक अर्थ को लेकर प्रयुक्त होता हो और कहीं यौगिक अर्थ की कुछ भी संगति न रहने पर केवल रूढ़ि से प्रयुक्त होता हो वह यौगिकरूढ़ है। उद्भिद् शब्द को लोजिये। इस शब्द से जैसे उद्भेदनकारी पेड़-पौधों का बोध होता है वैसे ही यज्ञविशेष का और वैसे ही सांग का भी। क्योंकि वह भी तो फोड़कर ही निकलता है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे, अश्वगन्धा । ३ अश्वगन्धा वाजिराला—युइसाल—को भी कहते हैं और औषधिविशेष (असर्गव) को भी। यह शब्द वाजिराला के अर्थ में यौगिक है और असर्गव के अर्थ में रूढ़। इसी प्रकार मण्डप, निशान्त अश्वकण आदि भी यौगिकरूढ़ माने जा सकते हैं। क्योंकि मण्डप मँडू पीनेवाले के अर्थ में यौगिक और मँहवा के अर्थ में रूढ़ है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए।

१ 'सिद्धान्तमुक्तावली' शब्दमण्ड ।

२ उद्भिदा यज्ञेन पशुधमः । न्यायमाला

३ अश्वगन्धा—अभिधाप्रकरण

योगिकरूढ़ में शब्द जैसे एकत्र यौगिक और अन्यत्र रूढ़ रहता है वैसे ही एकत्र यौगिक और अन्यत्र योगरूढ़ भी हो सकता है। जैसे—
करि अचलन कौ श्रीहरण वारिवाह कौ संग ।

घर करतीं जहँ चञ्चला आयी समै कुडंग ॥ अनुवाद

यहाँ अचलन और वारिवाह योगशक्ति से निर्बलों और पानी ढोने-वाले कहार के बोधक हैं पर योगरूढ़ शक्ति से स्त्रियों और मेघों को ही बताते हैं ।

ग्यारहवीं किरण

अभिधा की सार्वभौमिकता

तीनों शक्तियों या वृत्तियों में अभिधा ही सर्वोपरि है। इसीसे इसका नाम १ मुख्या या अभिमा भी है ।

लक्षणा से तो इसका सीधा सम्बन्ध है ही, जैसा कि इसके लक्षणा में उक्त मुख्यार्थ का सम्बन्ध माना गया है। इसीसे अनेकों ने तो २ वाच्यार्थ के सम्बन्ध को ही लक्षणा कह दिया है। अर्थात्, लक्ष्यार्थ केवल पद का आधार लेकर ही उपस्थित नहीं होता, बल्कि पद-वाच्य अर्थ से सम्बन्ध रखकर प्रतीत होता है ।

३ मुकलभट्ट अभिधा की स्थिति से लक्षणा की स्थिति पृथक् नहीं मानते। अभिधा ही व्यञ्जना का भी मूल है। जब लक्षणा से प्रकरण सापेक्ष उपपन्न अर्थ उपलब्ध नहीं होता तब इसी अभिधा के बल पर व्यञ्जना अभिप्रेत अर्थ व्यञ्जित करती है। इसीसे ध्वनिकार का कहना है कि—

“ प्रकाश चाहने वाला जैसे प्रकाश के कारण-स्वरूप दीपशिखा के लिये प्रयत्न

१ तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादभिमाभिधा । साहित्यदर्पण

२ लक्षणा शक्यसम्बन्धः । मुक्तावली

३ अत्र हि स्वार्थद्वारेण लभ्यमाणार्थाभिनिवेशिता
शब्दानामुक्ता । अभिधावृत्तिमानुका

४ आलोकार्थो यथा दीपशित्तायो यत्नवान् जनः

तदुपायता तद्वदर्थे वाच्ये तदाहतः ।

यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थ सम्प्रतीयते ।

वाक्यार्थपूर्विका तद्वत्प्रतिपत्तस्य यस्तुनः । ध्वन्यालोक

करता है उसी प्रकार व्यंग्यार्थ के हस्तुको को व्यंग्यार्थ के जनक अभिधेयार्थ—
वाच्यार्थ—के लिये प्रयत्न करना चाहिये। यही नहीं, वे वाक्यार्थ-बोध में पदार्थो-
पस्थिति को जैवे कारण मानते हैं वैसे ही व्यंग्यार्थ-बोध के लिये वाच्य-प्रतीति को
भी कारण मानते हैं।

अन्य आचार्य वाच्यार्थ के विषय में कहते हैं कि जैसे 'वाण' का
व्यापार उत्तरोत्तर विद्ध करने जाना है वैसे ही जहाँ तक शब्द द्वारा
अर्थ-बोध हो सकता है वहाँ तक अभिधा ही का व्यापार क्यों न स्वीकृत
किया जाय, व्यञ्जना मानने की क्या आवश्यकता ?

हम इस मत के समर्थक नहीं हैं। प्रसङ्गततः मैंने इसका उल्लेख
इस दृष्टि से कर दिया है कि प्राचीन आचार्यों ने अभिधा शक्ति की कितनी
दूरव्यापी कल्पना की थी !

महाकवि देव ने तो निम्नलिखित दोहा लिखकर अभिधा को आकाश
पर ही बैठा दिया है।

अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य तद्व्याख्यान ॥

अधम व्यञ्जना रघविरस, उलटी कहत प्रवीन ॥ देव

आधुनिक अभिव्यञ्जना का सूत्र इसमें छिपा हुआ है। संभव है,
देव को अभिव्यञ्जना-वैचित्र्य के कारण ही अभिधा को उत्तम काव्य
कहने की भावना हो गयी हो। चाहे जो कुछ हो, यह भ्रान्त धारणा हिन्दी
साहित्य में किसी प्रकार ब्रह्ममूल हो न सकी।

आचार्य शुक्ल कहते हैं :—

“यह स्पष्ट है कि लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी योग्यता या उपयुक्तता को पहुँचा
हुआ, समझ में आने योग्य रूप में आया हुआ अर्थ ही होता है। अयोग्य और
अनुपपन्न वाच्यार्थ ही लक्षणा या व्यञ्जना द्वारा योग्य और पुद्भिप्राय रूप में
परिणत होकर हमारे सामने आता है।”

इसीका अनुशासनरूप निम्नलिखित यह विचार भी है। इससे शुक्लजी
का आशय और स्पष्ट हो जाता है।

“साहित्यशास्त्र के विभागाचार्यों ने वाच्यार्थ से अधिक महत्व व्यंग्यार्थ को तथा
लक्षणा को दिया है, पर यथार्थ रस तो वाच्यार्थ ही देता है। शब्द को इन

१ “सोप्यमिपोरित शीर्षशीर्षतरो व्यापारः । यत्परः शब्दः स शब्दार्थ इति” ।

यौगिकरूढ़ में शब्द जैसे एकत्र यौगिक और अन्यत्र रूढ़ रहता है जैसे ही एकत्र यौगिक और अन्यत्र योगरूढ़ भी हो सकता है। जैसे—
करि श्रवत्न कौ श्रीहरण वारिवाह की संग ।

घर करतीं जहँ चधला आयौ समै कुडंग ॥ अनुवाद

यहाँ श्रवत्न और वारिवाह योगशक्ति से निर्बलों और पानी ढोने-वाले कहार के बोधक हैं पर योगरूढ़ शक्ति से स्त्रियों और मेघों को ही बताते हैं ।

—

ग्यारहवीं किरण

अभिधा की सार्वभौमिकता

तीनों शक्तियों या वृत्तियों में अभिधा ही सर्वोपरि है। इसीसे इसका नाम १ मुख्या या अभिमा भी है ।

लक्षणा से तो इसका सीधा सम्बन्ध है ही, जैसा कि इसके लक्षण में उक्त मुख्यार्थ का सम्बन्ध माना गया है। इसीसे अनेकों ने तो २ वाच्यार्थ के सम्बन्ध को ही लक्षणा कह दिया है। अर्थात्, लक्ष्यार्थ केवल पद का आधार लेकर ही उपस्थित नहीं होता, बल्कि पद-वाच्य अर्थ से सम्बन्ध रखकर प्रतीत होता है ।

३ मुक्तलभ्य अभिधा की स्थिति से लक्षणा की स्थिति पृथक् नहीं मानते ।

अभिधा ही व्यञ्जना का भी मूल है। जब लक्षणा से प्रकरण सापेक्ष उपपन्न अर्थ उपलब्ध नहीं होता तब इसी अभिधा के बल पर व्यञ्जना अभिप्रेत अर्थ व्यञ्जित करती है। इसीसे ध्वनिकार का कहना है कि—

“ प्रकाश चाहने वाला जैसे प्रकाश के कारण-स्वरूप दीपशिखा के लिये प्रयत्न

१ तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादभिमाभिधा । साहित्यदर्पण

२ लक्षणा शक्यसम्बन्धः । मुक्ताचली

३ अत्र हि स्वार्थद्वारेण लक्ष्यमाणाभिनिवेशिता
शब्दानामुक्ता । अभिधावृत्तिमातृका

४ आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान् जनः

तदुपायता तद्दुर्घे वाच्चे तदादतः ।

यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थ सम्प्रतीयते ।

वाक्यार्थपूर्विका तद्व्यतिपत्तस्य वस्तुनः । ध्वन्यालोक

करता है उसी प्रकार व्यंग्यार्थ के इच्छुओं को व्यंग्यार्थ के अनुरूप अभिधेयार्थ—वाच्यार्थ—के लिये प्रयत्न करना चाहिये। यही नहीं, वे वाक्यार्थ बोध में पदार्थोपस्थिति को जैसे कारण मानते हैं वैसे ही व्यंग्यार्थ-बोध के लिये वाच्य-प्रतीति को भी कारण मानते हैं।

अन्य आचार्य वाच्यार्थ के विषय में कहते हैं कि जैसे 'प्राण फल व्यापार उत्तरोत्तर विद्ध करते जाना है वैसे ही जहाँ तक शब्द द्वारा अर्थ-बोध हो सकता है वहाँ तक अभिधा ही का व्यापार क्यों न स्वीकृत किया जाय, व्यञ्जना मानने की क्या आवश्यकता ?

हम इस मत के समर्थक नहीं हैं। प्रसङ्गतः मैंने इसका उल्लेख इस दृष्टि से कर दिया है कि प्राचीन आचार्यों ने अभिधा शक्ति की कितनी दूरव्यापी कल्पना की थी !

महाकवि देव ने तो निम्नलिखित दोहा लिखकर अभिधा को आकाश पर ही बैठा दिया है।

अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणातीत ॥

अधम व्यञ्जना रसविरस, ललटी कदत प्रवीत ॥ देव

आधुनिक अभिव्यञ्जना का सूत्र इसमें छिपा हुआ है। संभव है, देव को अभिव्यञ्जना-वैचित्र्य के कारण ही अभिधा को उत्तम काव्य कहने की भावना हो गयी हो। चाहे जो कुछ हो, यह भ्रान्त धारणा हिन्दी साहित्य में किसी प्रकार बद्धमूल हो न सकी।

आचार्य शुक कहते हैं :—

“यद्यत्तु है कि लक्षणा^१मार्थ और व्यंग्यार्थ भी योग्यता या उपयुक्तता की पहुँच हुआ, समझ में आने योग्य रूप में आया हुआ अर्थ ही होता है। अयोग्य और अनुपपन्न वाच्यार्थ ही लक्षणा या व्यञ्जना द्वारा योग्य और बुद्धिप्राप्त रूप में परिणत होकर हमारे सामने आता है।”

इसीका अनुगुणरूप निम्नलिखित यह विचार भी है। इससे शुक्लजी का आशय और स्पष्ट हो जाता है।

“साहित्य-शास्त्र के विधाताओं ने वाच्यार्थ से अधिक महत्त्व व्यंग्यार्थ को तथा लक्षणा को दिया है, पर अर्थार्थ रस तो वाच्यार्थ ही देता है। शब्द की इन

१ “सोऽप्यभिव्यक्तिर्वादीर्षदीर्घतरो व्यापारः । यत्परः शब्दः स शब्दार्थ इति” ।

तीनों शक्तियों का अन्तिम उद्देश्य तथ्यबोध है; किन्तु इसी बोधवृत्ति को प्राप्त करने के लिए हमें भिन्न-भिन्न दिशाओं से जाना पड़ता है। 'देश के लिए मरकर जीना सीखो'—इसमें लक्षणा कष्ट सहने का आदेश देती है, पर अभिधा तो लक्षणा के आदेश के साथ ही अतिरिक्त आनन्द भी देती है जो काव्य की वास्तविकता है। 'मरकर भी जीने' के बदले 'कष्ट सहकर जीने' में काव्य की दृष्टि से आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता है। मरकर जीना बुद्धि को अप्राप्त है, परन्तु अभिधा की इस अप्राप्तता में काव्य का वास्तविक अर्थबोध है, इसे कौन अस्वीकृत करेगा? ?

जिस प्रकार वाच्यार्थ संगत होकर अपनी जननी अभिधा के बल से अनेकानेक रमणीय चित्र उपस्थित करता है उसी प्रकार व्याहृत होकर भी वह बड़े-बड़े चमत्कार दिखाता है। वस्तुतः उसका व्याहृत होना ही लक्षणा या अंशतः व्यञ्जना के उदय का कारण होता है। जो आहत होकर भी इतना बल रखता है उसके वैभवं का क्या वर्णन किया जाय !

वारह्वी किरण

शक शब्दों का सुप्रयोग

प्रारम्भ ही में शब्द के सम्यग् ज्ञान और उसके सुष्ठु प्रयोग की बात कही गयी है। उक्त आर्ष वचन का अभिप्राय है शब्द का सम्यक् प्रकार से अर्थात् किस शब्द का कैसे निर्माण हुआ है, उसकी प्रकृति या प्रत्यय का क्या अर्थ है, उस शब्द के कितने अर्थ होते हैं, इत्यादि का अभिज्ञान होना और शब्द का सुष्ठु प्रयोग अर्थात् समानार्थक जितने प्रयोगार्ह शब्द हैं उनमें कौन-सा सुन्दर शब्द विषयानुकूल तथा प्रसंगानुकूल है या कौन अभिप्रेत अभिप्राय की अभिव्यक्ति में समर्थ है उसका प्रयोग करना। शब्द का सम्यग् ज्ञान और शब्द का प्रयोग समाद्र को वस्तु है; साहित्यिकों के चिन्तन-मनन का विषय है।

जब तक हम शब्द के वास्तविक महत्त्व को नहीं समझते, उसकी यथार्थता से परिचय नहीं बढ़ा लेते, उसके औचित्य का विचक्षणता से विचार नहीं कर लेते, यथोचित स्थान पर यथोचित रीति से प्रयुक्त शब्द

के अभीष्टित अर्थ की साधिका शक्ति का मर्मग्रहण नहीं कर लेते तब तक हमारी रचना न तो आकर्षक हो सकती है और न प्रभावोत्पादक। सारांश यह कि बिना शब्दों के सम्यग् ज्ञान और सुप्रयोग के न तो हम सृजन कर सकते हैं, न उसमें चमत्कार ला सकते हैं और न शब्दों के बल पर कुछ कर ही सकते हैं। एक-दो उदाहरण लें।

‘भ्रमर तुम मधु के चाखनहार’

इसमें भ्रमर शब्द का सुष्ठु प्रयोग है। भ्रमर भ्रमणशील है, अतः यत्र-यत्र मधु का चाखनहार हो सकता है। यह उक्ति भाषिकता से परिपूर्ण है और इसमें गूढ़ व्यंग्य है। यदि भ्रमर के स्थान पर ‘द्विरेफ’ का प्रयोग कर दिया जाय तो प्रकारान्तर से दो रेफ वाले भ्रमर का बोध हो जायगा। फिर भी ‘मधु के चाखनहार’ के प्रसंग में वाचक भ्रमर लक्षक द्विरेफ से कहीं अधिक मूल्यवान है।

‘आवो प्रलय करो हे शंकर’

शङ्कर का अर्थ है कल्याणकर। प्रलय के लिये इस नाम से शिव का अज्ञान सुप्रयोग नहीं कहा जा सकता। प्रलय के लिये प्रलयंकर रुद्र का आह्वान ही समुचित है। ऐसे स्थान पर ‘आवो प्रलय करो प्रलयंकर’ लिखना सार्थक है।

‘अधम उधारन जो होतो ना तिहारो नाम

और की न जाने पाप हम तो न करते।’

जो पाप करनेवाला है वह पापी और अधम है। अधम अपने उद्धार के लिये परमात्मा की ‘अधम-उधारन’ शब्द से जो पुकार करता है वह सार्थक और सुप्रयोग करता है। क्योंकि वह अपने अधम-उधारन से अपना उद्धार चाहता है। यदि ‘अधम-उधारन’ के स्थान पर ‘विपत-विदारन’ शब्द का प्रयोग फगि करता तो वह भरती का शब्द होता। क्योंकि वहाँ ‘विपत-विदारन’ से पाप करनेवाले का कोई उचित सम्बन्ध ही नहीं है।

एक फूल के फूलने की कई अवस्थाएँ होती हैं। सभी अवस्थाओं के लिये एक ही प्रियावाचक शब्द का व्यवहार साहित्यिक दृष्टिकोण से शब्द का सम्यग् ज्ञान और सुप्रयोग नहीं कहा जायगा। फूल के फूलने का भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के बोलक मुकुलित, अरिकसित, अर्धविकसित, विकसित, सुदृढ आदि तथा पुकल, उत्पुल, प्रपुल, संपुल आदि शब्द

हैं। इनके यथायथ अवस्था-द्योतक प्रयोग ही प्रयोक्तृ के सम्यग् ज्ञान और सुप्रयोग के निदर्शक होते हैं।

ऐसे ही हर्ष की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक मुत्त, प्रमद, समद, आमोद, प्रमोद आदि शब्द हैं।

उपर्युक्त उदाहरणों से ज्ञात होता है कि शब्दों का सम्यग् ज्ञान और सुप्रयोग कथा वस्तु है। हमारे सुप्रयोग ही अभीप्सित अर्थ के प्रकाशक होते हैं और उक्ति में प्रभावशालिता, रमणीयता और चमत्कारिता लाते हैं।

जब शब्दों का सम्यग् ज्ञानपूर्वक प्रयोग किया जाता है तो शब्दों का ही नहीं, अर्थों का भी साथ ही साथ सुप्रयोग होता है। क्योंकि एक का रूप वाह्य है और दूसरे का आभ्यन्तर। दोनों का—शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध है। ये ऐसे सम्पृक्त हैं कि एक दूसरे से विच्छिन्न नहीं हो सकते। सम्यग्भिज्ञात शब्दों के सुप्रयोग से हम एक ही आशय को भिन्न-भिन्न रूपों से भाँ व्यक्त कर सकते हैं। इन अभिव्यञ्जना-प्रणालियों का आश्रय लेने का एकमात्र कारण यही है कि अपने आशय को कैसे प्रभावोत्पादक बनाया जाय। एक उदाहरण लें—

‘वह मर गया’ के वाक्यार्थ को इतने प्रकार से या इससे भी अधिक प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे—

उसकी मौत हो गयी। उसका परलोक-वास हो गया। उसने इस संसार को छोड़ दिया। उसकी संसार-लीला समाप्त हो गयी। उसके प्राण-पखेरू उड़ गये। उसने शरीर छोड़ दिया। उसको पञ्चत्व प्राप्त हो गया। वह कालके गालमें समा गया। उसका जीवन-प्रदीप बुझ गया। वह संसार से उठ गया। उसे गंगालाभ हो गया। उसने स्वर्ग की यात्रा की। वह यमराज का अतिथि हुआ। वह चल गया आदि।

यह चतलाना आवश्यक नहीं कि कित्त वाक्यों में क्या आकर्षण है और कित्तमें क्या प्रभावोत्पादकता। बात एक ही है, कहने के ढंग निराले हैं। आत्मा एक है और शरीर अनेक हैं।

शब्द के सम्यग्ज्ञाता और सुप्रयोक्तृ शाब्दिक ही नहीं, साहित्यिक भी होते हैं। शाब्दिक प्रयोक्तृ शब्दाथे को ही मुख्यता देता है, पर साहित्यिक उसकी प्रभविष्णुता के साथ-साथ रमणीयता और रागत्मिकता बनाने के अतिरिक्त अतुरंजित करना भी अभोष्ट होता है। इसके लिये वह अभिव्यक्ति-तीराज के साथ ही, शब्दार्थों को सव भाँति अलंछन कर

संसार के सम्मुख रखता है जिससे सहृदयों का मनोरंजन कर सके। यही नहीं, वह भावानुकूल भाषा की सृष्टि भी करता है। सुन्दर, श्रुति-मधुर छन्दों का आश्रय लेता है। भावों को बोधगम्य बनाने के लिये प्रसाद गुण का महण करता है। परिमित शब्दों में वर्णनीय विषय का सुन्दर तथा सजीव चित्र खींच देने की चेष्टा करता है और चमत्कार लाकर आकर्षण पैदा कर देता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण लें—

शाब्दिक जिस अर्थ को 'शुद्धो वृत्तितृप्तये' कहकर व्यक्त करता है उसीको साहित्यिक 'नीरस तहरिह विलसति पुरतः' कहकर। दोनों एक ही अर्थ के द्योतक हैं, परन्तु दोनों के द्योतन में आकाश-पाताल का अन्तर है। इन प्रयोगों से ही शाब्दिक और साहित्यिक रूप प्रत्यक्ष हो जाते हैं।

शब्द का केवल सम्यग्-ज्ञान ही अपेक्षित नहीं, उसका सुप्रयोग भी प्रयोक्ता के लिये विचारणीय है। 'भैया' शब्द कितना प्यारा है और जिसके लिये इसका प्रयोग किया जाता है उसकी प्रीति प्रयोक्ता के प्रति उमड़ पड़ती है। इसी भैया की प्रेम-भरी घाणी पर विमुग्ध होकर महामति राणाडे ने एक बुढ़िया के लकड़ी के गट्ठर को उसके सिर पर उठा दिया था। किन्तु भैया के स्थान पर किसी को 'ऐ मेरे घाप के बेटे'—क्योंकि अपने घाप का बेटा ही भैया होता है—कहा जाय तो वह बिना पीठ-पूजा के नहीं छोड़ेगा। यहाँ प्रयोक्ता शब्दार्थज्ञ है, परन्तु शब्दार्थ का सुप्रयोक्ता नहीं।

निरुपय यह है कि रचनाकार अपनी रचना में उन्हीं शब्दों का, तर्धर्धोपयक अनेक पर्यायवाची शब्दों के रहते हुए भी प्रयोग करे जिनसे उसकी भावनायें उद्बुद्ध हों, दूमरों की भावनाओं को भी उद्बुद्ध करे तथा पिचारों को सक्रिय और सचेष्ट करे। इसीमें रचनाकार की सफलता निहित है।

शब्दों के सुप्रयोक्ता—क्या व्याख्याता और क्या लेखक—संसार में हलचल पैदा कर देते हैं; जाति में संजीवनी शक्ति का संचार कर देते हैं और अमंभय को भी संभव कर दिखाते हैं। राष्ट्रों का उद्वान-पतन तो उनके लिये पापे हाथ का खेल है। यह ऐतिहासिकों से छिपी बात नहीं। यह सब शब्दों के सम्यग्-ज्ञान और सुप्रयोग के ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

'बाने हापी पाद्यों, बाते हापी पाँव ।'

तेरहवीं किरण

अभिधेय अर्थ का व्याघात

संस्कृत-साहित्य में 'निरङ्कुशाः कत्रयः' एक प्रवादवाक्य है। अभिप्राय यह कि कवि किसी के वश में नहीं रहते। इसका उल्लेख वहाँ किया गया है जहाँ भाषा सम्बन्धी कुछ दोष पाया गया है; पर ऐसे प्रसंग नगण्य हैं। किन्तु, हिन्दी का सर्जक-समुदाय—केवल कवि ही नहीं, लेखक भी—अपने को सब विषयों में सर्वथा निरंकुश ही समझता है।

यह निरंकुशता सर्वत्र देखी जाती है—विशेषतः शब्दों के अंग भंग करने में, और शब्दों के निर्माण में। शब्दों के यथेच्छ अर्थ करने में तो यह सीमा पार कर गयी है। सहृदय समालोचकों को प्रोत्साहन न देकर ऐसी प्रवृत्ति की भरपूर भर्त्सना करनी चाहिये। आपातरमण्यता या किसी अन्य उद्देश्य से दूषितार्थ पदों का प्रयोग अत्यन्त निन्दनीय है। यह विषय 'दोष' प्रकरण का है। तथापि यहाँ अभिधा से इनका विशेष सम्बन्ध होने के कारण दुष्ट प्रयोग के दो चार उदाहरण दे दिये जाते हैं।

'अँगड़ाई' का अर्थ है श्रम या आलस्य वश देह को ऐंठना या मरोड़ना। हिलना-डुलना भी अर्थ है। अँगड़ाई लेना एक मुझबरा भो हो गया है। उसका अर्थ है कुछ करने को उद्यत होना, आदि। छायावादियों का यह लाड़ला शब्द है और इसका लक्ष्यार्थ भो है। जैसे, 'अँगड़ाते तम में। इसके लक्ष्यार्थ से भेरा प्रयोजन नहीं। इसका अभिधेय अर्थ लें। निम्नलिखित पद्य में 'अँगड़ाई' शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थ असंगत है।

जलधि-लहरियों की अँगड़ाई बार-बार जाती सोने। प्रसाद

लहरियों में अँगड़ाई की कल्पना अभिधा की दृष्टि से दूषित है। जल का बल खाते हुए उठना, उछलना, तटों से टकराना, आदि ही तो लहरियाँ हैं। इन क्रियाओं से भिन्न लहरियों की अँगड़ाई क्या हो सकती है? इसमें अभिधेय अर्थ की मिट्टी पली हुई गयी है। जल की अँगड़ाई होती तो लहरियों का बोध होता और सार्थक होता।

अँगड़ाई की सार्थकता का एक उदाहरण लें—

तुम लो करवट हिल ठठे धरा, टोले अम्बर का रत्नजाल।

अँगड़ाई लेने लगे विश्व, लहरें सागर के अन्तराल। सुधीन्द्र

‘अज्ञान’ और ‘अनज्ञान’ अज्ञान या अज्ञानी के ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु इन्हें सर्वत्र Innocent के अर्थ में—निर्मल, निरछल, निर्दोष, सरल, भोला-भाला आदि अर्थ में—लाना माने पहनाना है। जैसे सरलपन ही था उसका मन, निरालापन था आभूपन।

कान से मिले अज्ञान नयन, सहज था सजा सजीला तन ॥ पंत
ऐसा ही अनज्ञान शब्द भी है। नीचे की पंक्तियों में यह भी Innocent के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। जैसे,
नवल कलियों में वह मुखकान खिलेगी फिर अनज्ञान । पंत

+ + + +

आँख में आँसू भर अनज्ञान अधर पर धर उक्त्वांस ॥ पंत

‘अनज्ञान’ भले ही कोमल हो, कानों में मधुसेचन वा मधुवर्षण ही क्यों न करता हो पर अभीष्ट अर्थ नहीं देता। भावुक कवि भाषा-भिव्यञ्जन के नाम पर ऐसे असमर्थ प्रयोग करने का भले ही आग्रह करें। “आह अनज्ञान शेर अफगन” भी ऐसा ही प्रयोग है।

एक और पद्य लीजिये—

अरे एक फोंके में ही क्यों उदा दिये सब तारक फूल ।

मेरे स्वप्नों में क्यों भर दी मेरे जागृतिपन की धूल ॥

श्रो समीर पागल समीर । रामकुमार वर्मा

जागृतिपन का प्रयोग महा अशुद्ध है। एक तो ‘जागृति’ शब्द ही अशुद्ध है क्योंकि उसके स्थान पर शुद्ध शब्द ‘जागृति’ होना चाहिये। यदि हिन्दी में इसके स्थान पर उक्त रूप को ही प्रचलित मान लें तो उसमें भाववाचक प्रत्यय होने से कवि का जो अभिप्रेत अर्थ है, उसकी पूर्ति हो जाती है। भाववाचक ‘क्ति’ प्रत्यय वाले जागृति शब्द में फिर भाववाचक ‘पन’ प्रत्यय लगाने को ‘खोगीर को भरती’ न कहकर ‘पादपूर्ति’ के लिये कहें तब भी उसकी अशुद्धता स्पष्ट है।

कुछ मुद्दावरों के ऐसे प्रयोग भी देखे जाते हैं जिनके अभिधेयार्थ दूषित हैं। जैसे,

उषाती है, तू पर में कीच नीच ही होते बस नीच । गुप्तजी

हल्की चीजें ही उड़ती हैं—कागज, पर, रूई, कपड़ा, धूल आदि। कीच—कीचड़ उड़ाने की चीज नहीं! मुद्दावरा है ‘कीचड़ उड़ालना’, ‘कीचड़ टालना’ या ‘कीचड़ फेंकना’। ‘कीचड़ की जगह ‘कीच’ भले

ही ले-ले पर 'उड़ाना' उछालने की जगह नहीं ले सकता । यहाँ उड़ाने की सार्थकता नहीं है । दूसरा उदाहरण है—

देवी उन कान्ता सती शान्ता को मुलत कर

बच भर मैंने भी हँसी यों अकस्मात् की ।' अज्ञात

यहाँ 'बच भर' का मुहावरा बनावटी है जो 'भन भर' 'पेट भर' की नकल है और जो 'लक्ष' को लक्ष्य करके अनुप्रास के लोम से बनाया गया है । 'बच भर' का वाच्य अर्थ होगा 'छाती भर' । इसका यह लक्ष्य अर्थ—थथेच्छ (हँसना), ठठाकर (हँसना)—जो यहाँ अभीष्ट है, नहीं निकलता । एक और उदाहरण लें—

विषयते अस्मिन् मानस ते

वाच शदत सा उठकर आज सरल अस्फुट उच्छ्वास । पंत

यहाँ 'हृदय' के लिये 'मानस' आया है । 'हृदय का टुकड़े-टुकड़े होना' या 'टूक-टूक होना' या Broken heart का-सा 'हृदय का भंग होना' 'छाती फटना' आदि हो मुहावरे अर्थ हैं । 'मानस' का 'सिसकना' यह मुहावरा अभी तक नहीं बँधा है । हृदय के रोने तक तो नीकत पहुँची है पर सिसकने की नहीं । अभिधा के साथ यहाँ बलात्कर किया गया है । इसकी क्लृप्ता से मुझे प्रयोजन नहीं ।

अंग्रेजी के कुछ मुहावरे भी हिन्दी में आ रहे हैं । वे उनका आशय लेकर नहीं आते ज्यों के त्यों आ जाते हैं जो हिन्दी में पचते नहीं । ऐसी जगहों में अभिधा की खींचतान होती है । जैसे,

वहाँ आज वह पूर्णपुत्रन वद सुवर्ण का काल । पंत

सुवर्ण का काल (Golden age) का अनुवाद है । इस अर्थ के टॉच-टॉच सौकर मुहावरे हैं—सुयोग, सुसमय, सतगुण आदि । सुवर्ण का काल कदने से कवि का यह अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता ।

एलो है कूट नीति की पोल, महारत्ना गोपी की वय नील ।

नया पन्ना उलटे इतिहास हुआ है नूतन वीर्य-विवाह । सुपत्नी

इस पद्य की तीसरी पंक्ति की रचना To turn a new leaf of the history के अर्थ पर हुई है । हिन्दी में यह नया मुहावरा है और अंग्रेजी का-सा भाव नहीं देता, अर्थात् नया इतिहास पन हो रहा है । अभी पन्ना उलटने का समय नहीं आया है । नीचे का यह पद्य भी—

वये जीवन का बदला घट देते मुमने वन्य दे अज । भ० च० वर्मा
अंग्रेजी के उक्त मुहावरे पर ही बना है । यहाँ इस रूप में भाव

भूलक जाता है। ऐसा मुहावरा हिन्दी में बँध जा सकता है। इसमें अंग्रेजी के भाव को हिन्दी ने पचा लिया है।

एक शब्द है 'व्यक्ति'। इसका अर्थ है 'प्रकाशन'। जैसे, भाव की व्यक्ति या अभिव्यक्ति। दूसरा अर्थ है वह मूर्त वस्तु, जिसकी पृथक् सत्ता हो। यह जाति का विपरीत वाचक शब्द है। किन्तु, व्यक्ति शब्द आजकल मनुष्य—प्राणी का बोधक हो रहा है। जैसे, इनसे भी आगे बढ़िये तो कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने समय को देखते हुए नवीन कार्य किया है। यहाँ तक तो ठीक है। पर, जब व्यक्ति के साथ 'त्व' जोड़कर उससे Personalities का अर्थ ग्रहण करने में अंग्रेजी के समान 'भाव' और 'द्रव्य' दोनों का बोध कराते हैं, तब अभिधा के साथ अत्याचार होता है। जैसे,

- १ जोशीजी का व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य में एकदम निराला है।
- २ इससे उनके व्यापक प्रभाव और प्रेरक व्यक्तित्व का पता लगता है।
- ३ इन व्यक्तित्वों में कुछ न कुछ अन्तर है ही।
- ४ इन चार के अतिरिक्त और भी चार व्यक्तित्व हैं।
- ५ छायावाद युग का एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। नन्ददुलारे बाजपेयी

इनमें यदि व्यक्ति को पुरुष का पर्याय मानें तो त्व जोड़ने से 'व्यक्तित्व' का अर्थ पुरुषत्व होगा। यहाँ एक ही व्यक्तित्व शब्द से व्यक्ति-विशेष और व्यक्ति-वैशिष्ट्य दोनों अर्थ लिये गये हैं जैसे कि उपर्युक्त उदाहरणों में व्यक्त हैं। 'चार व्यक्तित्व' और, 'ऐतिहासिक व्यक्तित्व' एक ही बात नहीं है। दोनों रूपों में एक व्यक्तित्व शब्द दो प्रकार के अर्थ नहीं दे सकता। क्योंकि, हिन्दी में अंग्रेजी को यह रूढ़ि अभी नहीं जमी है।

दूसरी बात यह है कि व्यक्ति शब्द स्वतः भाववाचक है। जब यह भाववाचक शब्द लक्षणा से द्रव्यवाचक बन जाता है तभी उसमें 'त्व' जोड़ने का अवसर मिलता है और उस प्रकार निष्पन्न 'व्यक्तित्व' शब्द पुरुष-विशेष में वैशिष्ट्य का बोधक होता है। 'त्व' जोड़ने पर भी उसका अर्थ 'वैशिष्ट्य' न लेकर पुरुष ही लिया जाना नितान्त अशुद्ध है।

हिन्दी साहित्य में, विशेषतः काव्य में, इसी प्रकार के 'अनिर्वाच' 'तमधरिता' 'मान्यता' 'पुलकलुत' आदि गढ़े हुए अनेकों शब्द भाषा की स्वाभाविकता नष्ट कर उसे कृत्रिमता के कोचड़ में फँसाते जा रहे हैं। इस दशा में अभिधा की दशा बढ़ी दयनीय हो जायगी।

चौदहवीं किरण

शब्द और अर्थ का दुरुपयोग

हिन्दी में कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका निर्माण ठीक है पर उसके अनुसार वे अर्थ नहीं देते। उनका प्रयोग अन्य भाषा के प्रयोग पर दृष्टि रखकर किया जाता है। अभिधा की दृष्टि से शब्द और अर्थ का यह दुरुपयोग ही कहा जायगा। कुछ उदाहरण लें—

हिन्दी में सहानुभूति शब्द का प्रयोग अधिक होता है। यह शब्द अंग्रेजी Sympathy (सिम्पैथी) शब्द पर बना है। sym (सिम) का अर्थ है 'समान' 'एक-सा'। इसका स्थान ले लिया 'सह' शब्द ने। सह का अर्थ 'साथ' होता है, समान नहीं। कोई पुत्रशोकाकुल है। उससे यदि हम कहते हैं कि आपसे मेरी दार्दिक सहानुभूति है तो उसका यह अभिप्राय नहीं होता कि आप जैसी वेदना का अनुभव करते हैं वैसी ही वेदना का मैं भी अनुभव करता हूँ। अनुभूतियों अनेक प्रकार की होती हैं। हो सकता है कि पुत्रशोकाकुल पिता को जिस समय वेदनानुभूति हो, उस समय सहानुभूति व्यक्त करनेवाले को विषयान्तर की अनुभूति होती हो। क्योंकि, सहानुभूति शब्द यह व्यक्त नहीं करता कि दोनों की अनुभूति समान है। वह साथ की अनुभूति ही का अर्थ देता है। इससे सहानुभूति के स्थान पर समानुभूति या समवेदना शब्द का प्रयोग ही उपयुक्त है।

बँगला से एक अपरूप शब्द हिन्दी में आया है। इसका अर्थ होता है अत्यन्त सुन्दर। जैसे उसके अपरूप रूप पर वह निष्ठावर हो गया। बँगला भाषा के प्रेमी हिन्दी-लेखक इस अर्थ में निरन्तर इसका प्रयोग कर रहे हैं। जो इसके वास्तविक अर्थ से परिचित हैं, वे 'अपरूप' का अर्थ इसके अनिश्चित और फया कर सकते हैं कि उसका रूप विह्वलित या नष्ट है। क्योंकि अपरूप का यही अर्थ है। बँगला में विरूप का रूप भी विह्वल होकर विद्रूप हो गया है। हिन्दी में भी विरूप के स्थान पर विद्रूप लिया जाने लगा है। यहाँ पर यर्णगण विनारणीय है। किसी को चिदाने के लिये मुँद घनाते हैं तो मुँद की आकृति विह्वल हो जाती है। ऐसी ही दशा में विरूप का प्रयोग होता है जिसका स्थान विद्रूप ने ले लिया है। यह प्रसाद भी हिन्दी को बँगला से ही मिला है।

भूलक जाता है। ऐसा मुहावरा हिन्दी में बँध जा सकता है। इसमें अंग्रेजी के भाव को हिन्दी ने पचा लिया है।

एक शब्द है 'व्यक्ति'। इसका अर्थ है 'प्रकाशन'। जैसे, भाव की व्यक्ति या अभिव्यक्ति। दूसरा अर्थ है वह मूर्त वस्तु, जिसकी पृथक् सच्चा हो। यह जाति 'का विपरीत वाचक शब्द है। किन्तु, व्यक्ति शब्द आजकल मनुष्य—प्राणी का बोधक हो रहा है। जैसे, इनसे भी आगे बढ़िये तो कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने समय को देखते हुए नवीन कार्य किया है। यहाँ तक तो ठीक है। पर, जब व्यक्ति के साथ 'त्व' जोड़कर उससे Personalities का अर्थ ग्रहण करने में अंग्रेजी के समान 'भाव' और 'द्रव्य' दोनों का बोध कराते हैं, तब अभिवा के साथ अत्याचार होता है। जैसे,

- १ जोशीजी का व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य में एकदम निराला है।
- २ इससे उनके व्यापक प्रभाव और प्रेरक व्यक्तित्व का पता लगता है।
- ३ इन व्यक्तित्वों में कुछ न कुछ अन्तर है ही।
- ४ इन चार के अतिरिक्त और भी चार व्यक्तित्व हैं।
- ५ छायावाद युग का एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। नन्ददुलारे बाजपेयी

इनमें यदि व्यक्ति को पुरुष का पर्याय मानें तो त्व जोड़ने से 'व्यक्तित्व' का अर्थ पुरुषत्व होगा। यहाँ एक ही व्याक्तित्व शब्द से व्यक्ति-विशेष और व्यक्ति-वैशिष्ट्य दोनों अर्थ लिये गये हैं जैसे कि उपर्युक्त उदाहरणों में व्यक्त हैं। 'वार व्यक्तित्व' और, 'ऐतिहासिक व्यक्तित्व' एक ही बात नहीं है। दोनों रूपों में एक 'व्यक्तित्व' शब्द दो प्रकार के अर्थ नहीं दे सकता। क्योंकि, हिन्दी में अंग्रेजी की यह रूढ़ि अभी नहीं जमी है।

दूसरी बात यह है कि व्यक्ति शब्द स्वतः भाववाचक है। जब यह भाववाचक शब्द लक्षणा से द्रव्यवाचक बन जाता है तभी उसमें 'त्व' जोड़ने का अवसर मिलता है और उस प्रकार निम्न 'व्यक्तित्व' शब्द पुरुष-विशेष में वैशिष्ट्य का बोधक होता है। 'त्व' जोड़ने पर भी उसका अर्थ 'वैशिष्ट्य' न लेकर पुरुष ही लिया जाना नितान्त अशुद्ध है।

हिन्दी साहित्य में, विशेषतः काव्य में, इसी प्रकार के 'अनिर्बच' 'तमधरिता' 'मान्यता' 'पुलकानुत' आदि गढ़े हुए अनेकों शब्द भाषा की व्याभाविवृत्ता नष्ट कर उसे कृत्रिमता के कोचड़ में फँसाते जा रहे हैं। इन दशा में अभिवा की दशा बड़ी दयनीय हो जायगी।

चौदहवीं किरण

शब्द और अर्थ का दुरुपयोग

हिन्दी में कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका निर्माण ठीक है पर उसके अनुसार वे अर्थ नहीं देते। उनका प्रयोग अन्य भाषा के प्रयोग पर दृष्टि रखकर किया जाता है। अभिया की दृष्टि से शब्द और अर्थ का यह दुरुपयोग ही कहा जायगा। कुछ उदाहरण लें—

हिन्दी में सहानुभूति शब्द का प्रयोग अधिक होता है। यह शब्द अंग्रेजी Sympathy (सिम्पैथी) शब्द पर बना है। sym (सिम) का अर्थ है 'समान' 'एक-सा'। इसका स्थान ले लिया 'सह' शब्द ने। सह का अर्थ 'साथ' होता है, समान नहीं। कोई पुत्रशोकाकुल है। उससे यदि हम कहते हैं कि आपसे मेरो हार्दिक सहानुभूति है तो उसका यह अभिप्राय नहीं होता कि आप जैसी वेदना का अनुभव करते हैं वैसी ही वेदना का मैं भी अनुभव करता हूँ। अनुभूतियों अनेक प्रकार की होती हैं। हो सकता है कि पुत्रशोकाकुल पिता को जिस समय वेदानुभूति हो, उस समय सहानुभूति व्यक्त करनेवाले को विषयान्तर की अनुभूति होती हो। क्योंकि, सहानुभूति शब्द यह व्यक्त नहीं करता कि दोनों की अनुभूति समान है। वह साथ की अनुभूति ही का अर्थ देता है। इससे सहानुभूति के स्थान पर समानुभूति या समवेदना शब्द का प्रयोग ही उपयुक्त है।

बँगला से एक अपरूप शब्द हिन्दी में आया है। इसका अर्थ होता है अत्यन्त सुन्दर। जैसे उसके अपरूप रूप पर वह निम्नर हो गया। बँगला भाषा के प्रेमी हिन्दी-लेखक इस अर्थ में निरन्तर इसका प्रयोग कर रहे हैं। जो इसके वास्तविक अर्थ से परिचित हैं, वे 'अपरूप' का अर्थ इसके अनिश्चित और भ्रम कर सकते हैं कि इसका रूप विरहितसहित या नष्ट है। क्योंकि अपरूप का यही अर्थ है। बँगला में विरूप का रूप भी विरूप होकर विद्रूप हो गया है। हिन्दी में भी विरूप के स्थान पर विद्रूप लिया जाने लगा है। यहाँ का वर्णान्तर विचारणीय है। हिन्दी को विद्वानों के लिये मुँह बनाते हैं तो मुँह की आकृति विरूप हो जाती है। ऐसी ही दशा में विरूप का प्रयोग होता है जिसका स्थान विद्रूप ने ले लिया है। यह प्रसाद भी हिन्दी को बँगला से ही मिला है।

मौलिक शब्द भी बँगला से आया है। इस मौलिक का मूल अंग्रेजी का Original शब्द है। पर मौलिक का यह अर्थ नहीं है। यह शब्द हिन्दी में इतना प्रसिद्ध हो गया है कि इसकी रचना पर ध्यान ही नहीं जाता। कोई मस्तिष्क की नयी उपज हुई, कोई स्वतन्त्र रचना हुई कि चट उसके लिये मौलिक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। मौलिक का अर्थ होता है जड़ से उत्पन्न या जड़ से सम्बन्ध रखनेवाला। मौलिक शब्द का प्रयोक्ता यह विचार कर ही इसका प्रयोग करता है कि इसका 'मस्तिष्क से उपजा' अर्थ है। शब्द-रचना के मूल पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। यह अन्यानुकरण है। ऐसे प्रयोगों पर अभिधा अन्तर से रो चठती है।

'चूड़ान्त' शब्द को लोजिये। चूड़ा का अर्थ है चोटी, शिखा। मुर्गे की चोटी लाल होती है, इसीसे उसे ताम्रचूड़ कहते हैं। सिर पर चन्द्रमा के रहने से शिबजी को चन्द्रचूड़ कहते हैं। चोटी या शिखा का अन्त सिरा यही चूड़ान्त का अर्थ है। इसका कई अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे, चूड़ान्त परिश्रम किया। अर्थात् जहाँ तक परिश्रम हो सकता है उतना किया। इसकी चूड़ान्त व्याख्या है। अर्थात् व्याख्या सामञ्जोपागड है। चूड़ान्त आलोचना नहीं हुई। अर्थात् जैसी आलोचना होनी चाहिये वैसी नहीं हुई। इस शब्द के ये अभिधेय नहीं हैं और न ऐसे प्रयोग होने चाहिये। 'नख से शिख तक' हिन्दी का एक वाक्य-खण्ड है। इसमें 'शिख तक' के ही स्थान में 'चूड़ान्त' का प्रयोग है। हिन्दी में एक मुहावरा है— 'चोटी के' वह चूड़ान्त के ही अर्थ में प्रयुक्त होता है और वह प्रयोग सार्थक होता है। जैसे, ये चोटी के लेख हैं अर्थात् सर्वोत्तम लेख हैं। इसमें भी बँगला की छाया है।

अभ्यर्थना का सीधा-सा अर्थ है 'याचना करना' या 'कुछ माँगना'। यह बँगला से हिन्दी में आया। बँगला में यह 'समादर देने' 'स्वागत-सत्कार करने' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसीके अनुकरण पर हिन्दी में भी यह स्वागत के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। जैसे, उनकी अभ्यर्थना के लिये स्टेशन चलिये। हिन्दी में ऐसी अन्याधुंध ठीक नहीं।

ऐसे ही वाधित शब्द हैं। वाधित का अर्थ है पीड़ित, डरकूट, प्रतिबंध-प्रस्त, तंग किया गया या सताया गया आदि। अब बँगला की देखा-देखा अनुगृहित, उपकृत, कृतज्ञ आदि के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। जैसे, पत्रोत्तर देकर मुझे वाधित वाधियोग। अभिधेय अर्थ के विषय में यह भेदिया-धस्तान कभी हिन्दी की शोभा न बढ़ायेंगी।

संभ्रम शब्द एक प्रकार के आवेग से मिश्रित संमान का बोधक है। इसी संभ्रम से हिन्दी का 'सहम' निकला है जो चकपकाहट का अर्थ देता है। इससे बना संभ्रान्त विशेषण सहम गये हुए या चकपकाये हुए व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होना चाहिये पर बँगला में यह शब्द सम्मानित या प्रतिष्ठित के अर्थ में आता है। बँगला की देखादेखी उसी अर्थ में हिन्दी में भी प्रयुक्त होने लगा है जो ठीक नहीं है। जैसे, वे बड़े सम्भ्रान्त और उनका सम्भ्रान्त वंश में जन्म हुआ है। किसी आदरणीय व्यक्ति को उपस्थिति दूसरे को संभ्रम में डालती है। अतः यह सम्भ्रान्त होता है न कि सम्मानित व्यक्ति।

इसी प्रकार बँगला से आया मस्तिष्क भी है। संस्कृत में मस्तिष्क 'भेजा' या 'सिर के गूदे' को कहते हैं। पर बँगला और हिन्दी में यह बुद्धि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे, तुम्हारा मस्तिष्क ठीक नहीं, तुम क्या समझोगे? अब इसकी रूढ़ि इतनी जम गयी है कि इसे अशुद्ध ठहराने की हिम्मत नहीं होती पर है यह मूलतः अशुद्ध प्रयोग।

नाम मात्र के ये उदाहरण हैं। मुख्य अर्थ की प्राप्ति के लिये हिन्दी में ऐसे प्रयोग न होने चाहिये।

पंद्रहवीं किरण

अभिधा-वैचित्र्य

लक्षणा का आधार लेकर एक ही अर्थ के शीतक प्रयोगों के ये कितने-मुन्तर उदाहरण हैं। इनमें व्याहित वाच्यार्थ को चारुता सहृदयों को चमत्कृत और आह्लादित कर देती है—

१—चाँदी-घोने का अरना बरदान लुटाती है, मटी धन-धन लुटाती है।

२—शराफ़्त गदा जगती है यहाँ, जमीनों में छोटा है छोना जहाँ।

३—मेघ जहाँ अग्रा बरसावे, रोदन में छोना लहरावे। सुदर्शन

कदना नहीं होगा कि आज का साहित्य ऐसी ही लालचिह्न चमत्कृत के चम-हाराँ में परिपूर्ण है, जिनके भीतर से वाच्यार्थ अपना हीरा-जवाहिर गुटा रहा है।

परिचर पंत ने पुंजन शब्द के ऐसे चमत्कारक प्रयोग किये हैं कि वाच्यार्थ में चर चोद लग जाते हैं। लक्षणा भले ही अपना दमन उभावे

पर पहले रसिकों का अन्तःकरण वाक्यार्थ के माधुर्य में ही मग्न हो जाता है—

- १—मासूत ने जिसके अलंकारों में चंचल चुम्बन उलभाया ।
 - २—वह मृदु मुकुलों के मुख में भरती मोती के चुंबन ।
 - ३—मोती के चुंबन से चूकर मृदु मुकुलों के सस्मित मुख पर ।
 - ४—शशि से दीपित प्रणय कपूर, चाँदी से चुंबन कर चूर ।
- दिनकरजी भी ऐसी ही एक पंक्ति है—

अंतिम किरणें भर गयीं जर्मि अधरों में मोती के चुंबन ।

निम्न पंक्तियों में पंतजी ने मोती के भी ऐसे ही सुंदर प्रयोग किये हैं जिनके अभिधेयार्थ सुनते ही मन को अपने वश में कर लेते हैं । लक्षणा तो इसके सामने पीछे रह जाती है । यह वाक्यार्थ के माधुर्य और चमत्कार को कथमपि नहीं दवा सकती । प्रथम तो हम वाक्यार्थ से ही मुग्ध होते हैं, पीछे उसके अन्तर में पैठने के लिये भले ही अन्य शक्तियों को अपनावें । मोती के प्रयोग की ये पंक्तियाँ हैं—

- १—मधुर मिलन के मोती चंचल मधुर विरह से विषल^५पिघल,
छल छल टल टल अध्रुद्धार बन स्मृति में गुँथ जाते अविरल ।
- २—मोतियों जसी ओस की डार हिला जाना चुपचाप घवार ।
- ३—शशि-किरणों ने मोती भर भर रूँधी सौरभ अलकावलयों ।
- ४—जीवन के फेनिल मोती को ले चल करतल में टलमल ।
- ५—कलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती फा सा दाना ।
- ६—अरुण अधरों की पल्लव प्राप्त मोतियों सा हिलसा हिम हास ।

अन्तिम दो पंक्तियों में मोती का प्रयोग उपमालंकार में है । अलंकार भी तो अभिधा ही के चमत्कार हैं ।

अभिधा के वैचित्र्य सूचक कुछ अलंकारों के यहाँ उदाहरण दिये जाते हैं—

- १—लखन उतर आहुति गरित, मृगुवर कोप कृसानु ।

बदत देखि जल सम वचन, बोले रगकुल भागु ॥ तुलसी

तीनों उपमाओं में धर्म का लोप है । दूसरे में वाचक का भी लोप है । यह उदाहरण पुरानों परंपरा का है । किन्तु आजकल की उपमाओं में यदा ही बँकपन है, नयानना है और उसकी रंगीनी तो और जादू कासा अस्तर करती है । यह अप्रस्तुत-योजना की लुयी है । जैसे—

२—तख्त के छायानुवाद-सी उपमा-सी भावुक्ता-सी ।

अविदित-भाषाकृत भाषा-सी, बटी-बूटी नव कविता-सी ॥

ये सभी उपमायें छाया कविता की हैं । इनमें उपमेय छाया के अतिरिक्त वाचक, धर्म, उपमान तीनों हैं । प्रतीक के रूप में भी कहीं-कहीं उपमा की बड़ी सुन्दर योजना की गयी है । जैसे—

३—धरा पर कुची प्रार्थना सदृश मधुर सुरली-सी फिर भी मौन ।

किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती-सी तुम बौत ? प्रसाद
अभिधेयार्थ के अपस्कारक उपमा के एक-दो और अपूर्व उदाहरण
देखें—

४—माधवी निरा की अलहायी अलकों में लुध्ते तारा-सी ।

धरा ही तुने मरु अंचल में अन्तःसलिला की धारा सी ॥ प्रसाद

इन नवीन कवियों की नवीन धारा में प्राच्य और पारश्चात्य विधियों का सुन्दर समन्वय दीख पड़ता है ।

अथ रूपक के रूप में वाच्यार्थ-चमत्कार के सुन्दर स्वरूप की सराहना कीजिये ।

समय विह्वल के कृष्ण पत्र में, रत्न चित्र-सी अंकित कौन ?

तुम हो गुन्दरि तरल तारिके, बोलो कुल मैत्रे गत मौन ॥ पंत

इसमें रूपक के साथ श्लोक और उपमा की भी मूर्तकी है जिससे पुरानी परंपरा का आभास भी मिलता है । नये प्रकार के रूपक के रूप देखिये—

१—धीती विभावरी जाग रही ।

अंबर पनपट में दुबो रही तारा पट ऊप नागरी ।—प्रसाद

इसमें समाप्तप्राय रात्रि का वर्णन है और ऊप के आगमन का एक रंगीन चित्र पनिहारिन के रूप में खींचा गया है ।

२—नीले नग के शतदल पर बह बैठी शारद हासिनि ।

गुडु कर तल पर शशिमुख धर नीरव अनिमिष एकाकिनी । पंत

इसमें चटकीली चोंदनी का नीरव चित्र नारी के रूप में अंकित किया गया है । एक और सुन्दर उदाहरण लें—

३—अरुण पूर्ण उतार तारक द्वार, मलिन-ता धित शून्यअंबर धार ।

प्रकृति रंजन दीन दीन अजगत्, प्रकृति विभवा भी भरे हिम अत्र । मै०श०गु०

इसी प्रकार साधर्म्य, सादृश्य तथा प्रभावसाम्य को लेकर विविध मूर्ति से अप्रस्तुत-विधान किया जाता है ।

उत्प्रेक्षाालंकार भी वाच्यार्थ चमत्कार के विचार से उपेक्षणीय नहीं है ।

१—सोहत ओड़े पीत पट, श्याम सलोने गात ।

गनो नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभात । विहारी

२—फिर भी एक विषाद बदन के तपस्तेज में पैठा था ।

मानो लौह तन्तु मोती को धंध उलीमें बेठा था । मै० श० गुम

३—सोने की सिकता में मानों कालिन्दी बहती भर उदास ।

स्वर्गमा में इन्दीवर की या एक पंक्ति कर रही लास ॥ प्रसाद

कामायनी में तकली जुमाती हुई अट्टा काली ऊन की पट्टी बना रही है । उसी का यह वर्णन है । इसमें उत्प्रेक्षा भी है और संदेह भी । संदेह का एक उदाहरण और लें—

निद्रा के उत अलसित मन में यह क्या भावी की छाया ?

दग फलकों में तिवर रही या वन्य देवियों की माया ? पत

श्लेष, विपम, यकोक्ति, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकार हैं जो वाच्यार्थ को चमत्कृत करते हैं ।

वाच्यार्थ में चमत्कार लाने और उसका गांभीर्य बढ़ाने के अन्यान्य उपाय भी हैं जिनका उल्लेख यहाँ आवश्यक है । इनमें एक प्रसंग-गर्भता भी है, अर्थात् एक प्रकरणमें अन्य प्रसंग का लाना । जैसे,

१—बदले ! क्यों रोती है ? उतार में और अधिक तू रोई ।

मेरी विभूति है जो उतारो भक्तनि क्यों कहे कोई ? मै० श० गुन

इस कविता में 'भवभूति', उनके 'उत्तर रामचरित' और 'एकौ रसः कश्चि एव' ये तीनों सामने आ जाते हैं। इससे कविता की सरसता और बढ़ जाती है और अर्थ-गांभीर्य के साथ शक्ति में भी चमत्कार आ जाता है। एक दो उदाहरण दिये जाते हैं—

गावो, सुनकर प्राण प्राण में नव धर्जन का राग उभाये।

बस 'उत्थित जामत प्राप्य वरुणिनोषत' स्वर छा जाये—सुधीन्द्र

जागृति के सम्बन्ध में यह मन्त्र प्रसंग में आकर जादू का-सा असर करता है।

'ललित कल्पना' 'कीमल पद' का मैं हूँ 'मनहर' छन्द।—निराला

यह शक्ति रामते के फूल की है। उसने अपनी पूर्व की अपूर्व अग्रथा के वर्णन में अपने को ललित कल्पना का मन-हरण करनेवाला छन्द बताया है। इसी प्रसंग में 'मनहर' छन्द का भी नाम आ गया है जिससे आजकल 'कवित्त' कहते हैं। 'मनहर' ने इसमें और भी मनोहरता ला दी है।

एक प्रकार के ऐसे वाक्य प्रयुक्त होते हैं जिनसे वाच्यार्थ बहुत ही व्यापक और आश्चर्यक बन जाता है। मुखरकों के गद्यों के अतिरिक्त पद्यों में भी ऐसे वाक्य प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

जो द्विचक्रिका के रह गया इस पार रह गया।

जितने लगायी एक वह खन्दक के पार था ॥ स्वामी रामतीर्थ

एक लगने के बाद घोंड़े के तड़पने आदि का अर्थ इसके भीतर पैठा हुआ है। पर वाक्य ऐसा है कि उस अर्थ को भी आवर्णित कर लेता है।

'नाच पली या खर्द पार ही आ गया'— मै० श० गुप्त

इस में वाच्यार्थ इस अर्थ को भी आवर्णित कर रहा है कि नाच इतनी तेज पत्नी कि पार आना ज्ञात ही नहीं हुआ।

ऐसे ही ये भी वाक्य हैं—

उभंजने की मुखर एक बार और दिया तो गद्दी नरसे के ऊपर थी।— प्रेमचन्द
रंग ब्रह्म गये। लोगों ने ऊपर को दृष्टि रठयो, चढकर भिदगन पर था। सुदर्शन

अभिधारा मुदापरे और कटापते भी वाच्यार्थ को विविध और सजीव बना देती हैं।

भोज हो भी बड़े अनजोस है जगमगाते रंग में लोगी रहे।

रास रमणी का दिया है बसो न हो, लुगनुची को राल दुदरी बा बटे।

—हरिश्चन्द्र

यहाँ गुदड़ी के लाल का अर्थ है—छिपे हुए रत्न, गुम अमूल्य वस्तु, अप्रसिद्ध कलाकार आदि। दमड़ी के दिये की तुलना जुगनू से है। सजीव और प्राकृतिक होने के कारण उसको दिये से अधिक महत्ता है। इस मुहावरे में लक्षणा भी काम करती है, किन्तु वाच्यार्थ के सामने गौण हो जाती है। ऐसा ही यह भी है—

हे कभी छिपते चमकते हैं कभी भोंकते किस आँख में ये धूल हैं ।

रात में जुगनू रहे हैं जगमगा या निराली बेलियों के फूल हैं ॥

—हरिऔध

आँखों में धूल भोंकने का अर्थ है धोखा देना। यहाँ जुगनुओं के छिपने और चमकने से धोखा देने का भाव व्यक्त हो सकता है, पर वे बेचारे किसी को धोखा नहीं देना चाहते। हाँ, जग-मगाने या निराली बेली के फूल होने का सन्देह उठाकर वे भले ही आँखों में धूल भोंकते हैं। यहाँ भी वाच्यार्थ ने ही लक्षणा को खड़ा किया है।

मंधरा की काली करतूत से ऊर्मिला की सारी आशा जब छिन्न-भिन्न हो गयी तो वह एक ही वाक्य कहती है—‘उड़ा ही दिया मंधरा ने मुझा’। इस मर्मोक्ति ने वाच्यार्थ की प्रभविष्णुता इतनी बढ़ा दी है कि ऐसे अवसरों के ये मुहावरे भी भावाभिव्यक्ति में असमर्थ होते हैं। जैसे—‘मंधरा ने सारे सुख-स्वप्नों पर या सारी आशाओं पर पानी फेर दिया’ अथवा ‘मंधरा ने तो जड़ ही काट दी’ आदि। अर्थ की व्यवस्था के लिये लक्षणा का भले ही सहारा लिया जाय, किन्तु इस उक्ति के वाच्यार्थ की विरोधता उससे कहीं अधिक है। ऐसे ही—

अब मैं सूख हुई हूँ काँटा आँसु-ज्योति ने दिया जकाब ।

मुँह में दाँत न आँत पेट में हिलने की भी रही न ताब ॥—भक्त

सूखकर काँटा होने में वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ तक दौड़ लगाती है, पर ‘मुँह में दाँत और पेट में न आँत’ रखने से जर्जर बूढ़े का जो वाच्यार्थ होता है वह अपनी प्रचलता से लक्षणा को दबाये बैठा है। कुछ कदावर्तों के ये उदाहरण हैं—

१ “दूध को जर्मो विगत फूँक-हूँक मल्लो है”

२ “धोबी पैयो कुडर न पर को न घट को” तुलसी

पशों की इन कटावर्तों को प्रचलित भाषा में यों धोतते हैं—“दूध का जन्म मल्ला फूँक-हूँक कर पीता है” और “धोबी का कुत्ता न पर का न घट का”। वाच्यार्थ की महिमा से ही ये कटावर्तों अपने भीतर घटत-सा अर्थ भर लेती हैं।

कहावतों में व्यवहार के मर्म, संसार के अनुभव और विचार का वैभव कूट-कूट कर भरा रहता है। कहना चाहिये कि एक-एक कहावत के पीछे जीवन के मर्म का एक-एक इतिहास भरा पड़ा है। इनके अर्थ जितने गंभीर होते हैं उतने ही व्यापक और विस्तृत। पहले का अर्थ लीजिये—

कहीं अशुद्ध स्थान पर या विश्वस्त आदमी से कोई धोखा खा जाता है तो ऐसे स्थलों भी वह सावधान होकर काम करता है जहाँ उसे धोखा खाने की संभावना नहीं रहती। सारांश यह कि धोखा खाया हुआ मनुष्य अपने काम में सजग हो जाता है। खोकर सीखने में भी यहो भाव है।

इसी प्रकार अन्य कहावतें भी समझनी चाहिये। इनका अर्थ सरल होते हुए भी गूढ़ होता है। ये कहावतें घटना-विरोध की द्योतक भी होती हैं। जैसे पहली कहावत के पीछे वीरबल और बादशाह की, दूध न पीनेवाली बिल्ली की, जो दूध देखते भाग जाती थी, घटना है।

श्री सोहनलाल द्विवेदी 'प्रलय-वीणा' की भूमिका में लिखते हैं—

सुधीन्द्र का कवि सुधीन्द्र नहीं, उसका युग ही है।

इसका वाच्यार्थ यह भासित करता है कि सुधीन्द्र एक पृथक् व्यक्ति है और कवि एक पृथक्। किन्तु बात ऐसी नहीं है। ऐसे ही ये पद्यार्थ भी हैं—

मेरा अन्तर्यामी कहता है मैं मलार बरसाऊँ। भा० आरमा

मेरे कवि के प्रणों में है पीका की मंकार उठा दी। द० कु० प्रेमो

मुख्य शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग विपरीत अर्थ में होता है। पाठकों को ऐसे शब्दों का व्यवहार कुछ पित्रक्षण प्रतीत होगा। विश्वासी शब्द को ही लीजिये। इसका अर्थ 'विश्वासी' अर्थ होता है 'विश्वासयोग्य' 'विश्वासपात्र'। किन्तु इसका प्रयोग 'विश्वासपात्रों' के अर्थ में होता है जैसे—

‘अलोप का अर्थ है लोप न होना ।’ किन्तु लोप होने के ही अर्थ में इसका प्रयोग होता है । जैसे, ‘वह वहाँ से अलोप हो गया ।’

आचार का अर्थ है आचरण, चाल-ढाल आदि । इनकी अधिकता को अत्याचार कहना चाहिये पर अर्थ होता है दुर्व्यवहार को अधिकता ।

व्युत्पत्ति के अनुसार तत्काल का अर्थ होता है ‘वह काल’ पहले का समय’, पर प्रयोग होता है अभी और शीघ्र के अर्थ में । जैसे, यह काम तत्काल होना चाहिये ।

कुछ समस्त शब्द ऐसे होते हैं जो अपने वाच्यार्थ से भी अधिक बहुत कुछ भाव अपने भीतर रखते हैं जो आप से आप झलक जाते हैं । जैसे—

युवती के लज्जा-वसन बेंच जब व्याज चुकाये जाते हैं । दिनकर

यहाँ ‘लाज का कपड़ा’ अर्थ नहीं । अर्थ है जो कपड़ा लाज छिपाने भर के लिये ही पर्याप्त है । लाज रखने भर का कपड़ा ऐसे ही ‘पर्णकुटी’ पीसाल, कालरण, कालरात्रि आदि शब्द हैं ।

एक वाक्य का और चमत्कार देखिये ।

कौशिकों पर अशक्तियों लुट रही थीं । प्रेमचन्द

सहसा पढ़नेवाला तो यही लक्ष्यार्थ ले बैठेगा कि साधारण वातुओं के लिये असाधारण स्वर्च किया जाता था । पर यहाँ अभिधा का ही अर्थ ठीक है । जुए में कौड़ियाँ फेंकी जाती थीं और हजारों की दार-जीत होती थी । मृतप्राय को मारने से छोड़ देने पर जो यह वाक्य कहा जाता है कि ‘मौत ने उसे मौत से बचा लिया’ वइ ऐसा ही अभिधा का सार्थक प्रयोग है ।

उपर्युक्त प्रकारों तथा अन्वान्य प्रकारों और विविध विशेषताओं से वाच्यार्थ अपनी अभिव्यक्ति करता है जो लक्षणा और व्यञ्जना का भाग है ।

द्वितीय प्रसार

लक्षणा

पहली किरण

लक्षणा शक्ति

लक्षक शब्द

जिस शब्द से मुख्यार्थ से भिन्न, लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे लक्षक वा लाक्षणिक शब्द और उसके अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं ।

लक्षणा शब्द की रचना दो प्रकार से होती है—एक तो भाव प्रधान व्युत्पत्ति से । जैसे लक्षणम् लक्षणा । और, दूसरी करण-प्रधान व्युत्पत्ति से । जैसे, लक्ष्यते अनया इति । भाव-व्युत्पत्ति से लक्ष्यार्थ-ज्ञान की और करण-व्युत्पत्ति से लक्ष्यार्थ-ज्ञान के उत्पादक व्यापार की प्रतीति होती है । भाव-व्युत्पत्ति ही आलङ्कारिकों को अभीष्ट है ।

शब्द में यह आरोपित है और अर्थ में इसका स्वाभाविक निवास है ।

किसी आदमी को गधा कहा जाय तो साधारण बोध का बालक देख-सुन कर चकरा जायगा । क्योंकि, उसने 'गधा' शब्द के अर्थ का एक पशु के रूप में परिचय प्राप्त किया है । यहाँ 'गधा' शब्द का गधे के जैसा अर्थ, बुद्ध, चेतकूक अर्थ उपरिधत करना वाचक शब्द के चूते के बादर की बात है । क्योंकि, यह काम लक्षक शब्द का है । सादृश्य आदि सम्यन्ध से ऐसा करना उसका स्वभाव है । वाचक और लक्षक शब्द में यही भेद है ।

लक्षणा

मुख्यार्थ की बाधा या व्याघात होने पर रुद्धि या प्रयोजन

१ मुख्यार्थबाधे तपूच्छो अयाऽन्योऽर्थः प्रतीयते ।

२ रुद्धेः प्रयोजनरूद्धो लक्षणा शक्तिरर्णिता ॥ साहित्यदर्पण

‘अलोप का अर्थ है लोप न होना ।’ किन्तु लोप होने के ही अर्थ में इसका प्रयोग होता है । जैसे, ‘वह वहाँ से अलोप हो गया ।’

आचार का अर्थ है आचरण, चाल-ढाल आदि । इनकी अधिकता को अत्याचार कहना चाहिये पर अर्थ होता है दुर्व्यवहार को अधिकता ।

व्युत्पत्ति के अनुसार तत्काल का अर्थ होता है ‘वह काल’ पहले का समय’, पर प्रयोग होता है अभी और शीघ्र के अर्थ में । जैसे, यह काम तत्काल होना चाहिये ।

कुछ समस्त शब्द ऐसे होते हैं जो अपने वाच्यार्थ से भी अधिक बहुत कुछ भाव अपने भीतर रखते हैं जो आप से आप भक्तक जाते हैं । जैसे—

युवती के लज्जान्वसन बेंच जब व्याज चुकाये जाते हैं । दिनकर


यहाँ ‘लाज का कपड़ा’ अर्थ नहीं । अर्थ है जो कपड़ा लाज छिपाने भर के लिये ही पर्याप्त है । लाज रखने भर का कपड़ा ऐसे ही ‘पर्याङ्गी’ पीषाच, कालराण, कालरात्रि आदि शब्द हैं ।

एक वाक्य का और चमत्कार देखिये ।

कौड़ियों पर अशक्तियाँ लुट रही थी । प्रेमचन्द

सहसा पढ़नेवाला तो यही लक्ष्यार्थ ले बैठेगा कि साधारणवास्तुओं के लिये असाधारण खर्च किया जाता था । पर यहाँ अभिधा का ही अर्थ ठीक है । जुए में कौड़ियाँ फँकी जाती थीं और हजारों की हार-जीत होती थी । मृतप्राय को मारने से छोड़ देने पर जो यह वाक्य कहा जाता है कि ‘मौत ने उसे मौत से बचा लिया’ वह ऐसा ही अभिधा का सार्थक प्रयोग है ।

उपर्युक्त प्रकारों तथा अन्यान्य प्रकारों और विविध विशेषताओं से वाच्यार्थ अपनी अभिव्यक्ति करता है जो लक्षणा और व्यञ्जना का भाग है ।



द्वितीय प्रसार

लक्षणा

पहली किरण

लक्षणा शक्ति

लक्षक शब्द

जिस शब्द से मुख्यार्थ से भिन्न, लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे लक्षक वा लाक्षणिक शब्द और उसके अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं ।

लक्षणा शब्द की रचना दो प्रकार से होती है—एक तो भाव प्रधान व्युत्पत्ति में । जैसे लक्षणम् लक्षणा । और, दूसरी करण-प्रधान व्युत्पत्ति में । जैसे, लक्ष्यते अनया इति । भाव-व्युत्पत्ति से लक्ष्यार्थ-ज्ञान की और करण-व्युत्पत्ति से लक्ष्यार्थ-ज्ञान के उत्पादक व्यापार की प्रतीति होती है । भाव-व्युत्पत्ति ही आलङ्कारिकों को अभीष्ट है ।

शब्द में यह आरोपित है और अर्थ में इसका स्वाभाविक निवास है ।

हिमी आदमी को गया कहा जाय तो साधारण बोध का बालक हंस-मुन कर चकरा जायगा । क्योंकि, हमने 'गया' शब्द के अर्थ का एक पशु के रूप में परिचय प्राप्त किया है । यहाँ 'गया' शब्द का गधे के जैसा अर्थ, बुद्ध, वेदकृत अर्थ उपस्थित करना वाचक शब्द के घृते के बाहर की बात है । क्योंकि, यह काम लक्षक शब्द का है । सादृश्य आदि मन्वन्ध से ऐसा करना उचित स्वभाव है । वाचक और लक्षक शब्द में यही भेद है ।

लक्षणा

मुख्यार्थ की बाधा या व्याघात होने पर रूढ़ि या प्रयोजन

१ मुख्यार्थबाधे लक्षक शब्दको रूढ़िः प्रतीयते ।

रूढ़िः प्रयोजनत्वे लक्षणा शक्तिरिति ॥ साहित्यदर्पण

को लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से सम्बन्ध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं ।

अर्थात् जहाँ वाचक शब्द का अर्थ—वाच्यार्थ—वाक्य में संगत न हो रहा हो, ठीक तरह से न बैठ रहा हो, वहाँ भिन्न-भिन्न संवन्धों के द्वारा वाच्यार्थ से संबद्ध होने पर भी वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ, जिस शब्द-शक्ति के द्वारा, या तो प्रचलित रूढ़ि के अनुसार या किसी प्रयोजन के वश, उपस्थित होकर वाच्यार्थ में अन्वित या संगत हो जाय वह लक्षणा शक्ति कही जाती है ।

इस लक्षणा के लक्षण में तीन बातें मुख्य हैं—१ मुख्यार्थ की वाचा २ मुख्यार्थ का योग और ३ रूढ़ि या प्रयोजन । मुख्यार्थ का योग या सम्बन्ध होने से लक्षणा को 'अभिधापुच्छभूता' और उक्त तीन बातों के रहने से 'त्रिस्कन्धा' भी कहते हैं ।

१ मुख्यार्थ की वाचा—मुख्यार्थ वा वाच्यार्थ के अन्वय में अर्थात् वाक्यगत और अर्थों के साथ सम्बन्ध जोड़ने में प्रत्यक्ष विरोध हो या यत्ना जिस अभिप्रेत आशय को प्रकट करना चाहता हो, वह मुख्यार्थ से प्रकट न होता हो तो मुख्यार्थ की वाचा होती है । जैसे, किसी मनुष्य के प्रति वह कहा जाय कि 'तू गधा है' । इसमें पशुरूप गधे के मुख्यार्थ की वाचा है । क्योंकि मनुष्य लंबे कान और पूँछवाला पशु नहीं हो सकता ।

२ मुख्यार्थ का सम्बन्ध वा योग—मुख्यार्थ का वाच्य होने पर जो अन्य अर्थ प्रदृश किया जाता है उसका और मुख्यार्थ का कुछ योग सम्बन्ध रहता है । इसीको मुख्यार्थ का योग कहते हैं । जैसे, गधे के मुख्यार्थ के साथ गधे के सदृश मनुष्य के बुद्धपन, बेवकूफी, नासमझी का सादृश्य के कारण योग है ।

३ रूढ़ि और प्रयोजन—पूर्वोक्त दोनों बातों के साथ रूढ़ि या प्रयोजन का रहना लक्षणा के लिये आवश्यक है ।

रूढ़ि का अर्थ है प्रयोग-प्रवाद । अर्थात् किसी बात को बहुत दिनों से किसी रूप में कहने की प्रसिद्धि या प्रचलन । जैसे, बेवकूफ को गधा कहना एक प्रकार रूढ़ि है ।

प्रयोजन का अर्थ है 'फल विनाय' अर्थात् किसी अभिप्राय-विशेष को सूचित करना, जो बिना लक्षणा का आशय लिये प्रकट नहीं होता ।

जैसे, मेरा घोड़ा गरुड़ का बाप है। यहाँ घोड़े को गरुड़ का बाप कहना उसकी तेजी बतलाने के लिये ही है। अन्यथा ऐसा वाक्य प्रलाप मात्र ही समझा जायगा। इस वाक्य में लक्षणा का जो आश्रय लिया गया है वह इसी प्रयोजन से कि उस घोड़े की तेजी औरों से अधिक बतलायी जाय।

उपर्युक्त तीनों बातों—कारणों—में से मुख्यार्थ की बाधा और मुख्यार्थ का योग, इन दोनों का प्रत्येक लक्षणा में रहना अनिवार्य है। इसी प्रकार तीसरे कारण रूढ़ि वा प्रयोजन का समस्त भेदों में यथासंभव विद्यमान रहना भी आवश्यक है।

दूसरी किरण

सम्बन्ध-विचार

१ लक्षणा शक्यार्थ अर्थात् वाच्यार्थ के प्रचलन या प्रयोजन के अनुसार जिससे कुछ न कुछ सम्बन्ध हो उसी अर्थ को लक्षित करती है। इसीलिये आचायेगण शक्य सम्बन्ध को ही लक्षणा कहते हैं पर सम्बन्ध जोड़ने में तात्पर्य पर दृष्टि रहनी चाहिये। जहाँ तात्पर्य ही न सिद्ध हो पदों सम्बन्ध को घसीट ले जाना अनेयार्थत्व अर्थात् अशक्ति से लक्ष्य अर्थ का प्रकाशन, दोष हो जाता है इससे यह सम्बन्ध लक्षणा का शरीर या स्वरूप है।

सम्बन्ध सम्बन्धी के साथ ही रहता है। जैसे सम्बन्धी भिन्न-भिन्न होते हैं वैसे उनका सम्बन्ध भी भिन्न-भिन्न होता है। जब किसी एक वाच्यार्थ का सम्बन्ध दूसरे अर्थ से जुड़ेगा तभी वह दूसरा अर्थ पहले वाच्यार्थ के वाचक शब्द का लक्ष्यार्थ कहा जायगा। अतः लक्षणा के लिये सम्बन्ध के स्वरूप को स्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु किस प्रचलन या प्रयोजन से प्रयोज्य किस प्रकार का सम्बन्ध जाँड़ बैठेगा, इसका निश्चय करना कठिन है। अतः न तो सम्बन्धों की संख्या ही दी जा सकती है और न सम्बन्धों के स्वरूप ही स्थिर

१ लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्पर्यव्युत्पत्तिना॥ मुक्तानयनी

२ रूढ़िप्रयोजनाभाव इरादिहृत् सःवाधंप्रकाशनात् । सादिस्यदर्पण

३ सम्बन्धा यययोम्य लक्षणाशरीरणि । रसार्गगाधर

चौथी किरण

रूढ़ि और प्रयोजनवती

रूढ़ि लक्षणा

रूढ़ि लक्षणा वह है जिसमें रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उससे सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अर्थ ग्रहण किया जाय। २२

उनके बिन परसाती रातें कौते कटें अचूक रे ।

पिय की बाँह उसीस न हो हो भिटे न हिय की हूक रे ॥—नवीन

इसमें 'रात का काटना' रूढ़ि है । लक्षणा से रात बीतने का तःसम्बन्धी अर्थ होता है । एक प्राचीन उदाहरण है—

दग भरमत दृढत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति ।

परति गौंठ दुरजन हिये, दर्ई नयी यह रीति ॥—विहारी

जो चीज उलझती है वही टूटती है, जब उसे जोड़ते हैं तो गौंठ भी उसीमें पड़ती है । यह साधारण बात है । किन्तु यह कैसी नयी रीति है कि आँख उलझती है तो कुटुम टूटता है और प्रीति चतुर के चित्त में जाकर जुड़ती है पर गौंठ परती है दुर्जन के हृदय में । इसमें आँख उलझना, कुटुम टूटना, प्रीति जुड़ना और गौंठ पड़ना, ये चार खण्ड वाक्य हैं । उनके अर्थ बाधित हैं । क्योंकि न तो आँख उलझने की चीज है और न परिवार टूटने की । ऐसे ही प्रीति न जुड़ने की चीज है और न हृदय में गौंठ ही पड़ती है । अतः इनमें ऊपर के ही समान लक्षणा से तःसम्बन्धी ये अर्थ किये जाते हैं—लालसा भरी आँखों का चार होना, परिवार से अलग हो जाना, नायक से प्रेम होना और प्रतिद्वन्दी को ईर्ष्या होना । बोलने की परम्परा के कारण ऐसे खण्ड वाक्य कहे जाते हैं

प्रयोजनघटी लक्षणा

प्रयोजनघटी लक्षणा वह है जिसमें किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाय । जैसे,

'अरीरों का गौंठ गंगा में है' ।

इस वाक्य में गंगा के प्रवाह में गौंठ का होना असंभावित है । अतः मुख्यार्थ का वाया है । लक्षक गंगा शब्द से उसकी लक्षणा शक्ति द्वारा सामान्य सम्बन्ध के नाते 'गंगा का तट' यह लक्ष्यार्थ प्रदण किया जाता है । ये दोनों बातें रूढ़ि के समान प्रयोजनघटी में भी हैं । पर 'गंगा' शब्द तट के अर्थ में नहीं है । यहाँ गंगा शब्द का प्रयोग करने से पता का प्रयोजन है, गौंठ की शीतलता, पवित्रता, जलप्राप्ति की सुलभता का निर्देश करना, यही विशेष प्रयोजन है । यदि 'गंगा' को जगत् 'गंगतट' कह दिया जाय तो ये बातें उस अनिश्चय के साथ नहीं प्रतीत होंगी । क्योंकि, पवित्रादि धर्म गंगा के प्रवाह के हैं, जो तट में नभय

नहीं। 'गंगा' कहने से लक्षणा द्वारा उसके तट में वे सब धर्म भी सूचित होने लगते हैं। अतः इस प्रयोजन से यह प्रयोजनवती लक्षणा हुई। ऐसा ही यह उदाहरण है—

गंगावासी सब वहाँ गंगातट के लोग।

एक और वाक्योदाहरण—

आँख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढोंचा खड़ा है।

इस वाक्य में 'हड्डियों का ढोंचा' का प्रयोग प्रयोजन-विरोध से है। यह है व्यक्ति-विरोध को अधिक दुर्बल बनाना। लक्षणा शक्ति से हड्डियों का ढोंचा, दुर्बल व्यक्ति को लक्षित कराता है। वक्ता ने इसका प्रयोग दुर्बलता की अधिकता व्यञ्जित करने के लिये ही किया है।

माता, पिता, सखा, मुझ, मान

तुम्हीं हमारे हो भगवान। अनुवाद

इसमें भगवान को माँ, चाप, सखा आदि कहने में इन शब्दों का मुख्यार्थ बाधित है। क्योंकि, ऐसा होना संभव नहीं। किन्तु, यहाँ लक्षणा से रक्तक, सुरदायक आदि इसके तत्सम्बन्धी अर्थ होते हैं। इस लाक्षणिक प्रयोग से भक्त की भक्तिभाषना की अनन्यता सूचित होती है, जो प्रयोजन है। इससे यह प्रयोजनवती लक्षणा हुई। यहाँ तात्कर्म्य सम्बन्ध है। श्री तुलसीदास का यह दोहा भी ऐसा ही उदाहरण है—

स्वामि, सखा, पितु, मातु, गुरु जिनके सब तुम तात।

साग गृह मगन देखि छवि होही। लिये कोरि चित्त रमम बटोही।

इसमें चित्त का चुराया जाना दर्शित है। किन्तु चित्त कोई धन-दौलत नहीं जो चुराया जा सके। इस प्रकार मुख्यार्थ की बाधा है। लक्षणा से तत्सम्बन्धी अर्थ चित्त को अपने परा में कर लेना आदि लक्षित होता है। यहाँ राम को प्राणिमात्र के लिये नयनाभिराम बनाना प्रयोजन है। यहाँ मादृश्य सम्बन्ध है। यदि चित्त चुराना यह मुतापरा इस अर्थ में रुद्ध मान लिया जाय तो इसे रुद्ध लक्षणा में भी ले जा सकते हैं।

विषल विषल कर नू पड़ते हैं हम में चुभित विरस अन्तःगत। दिनकर

आँसों से अन्तःगत या विषलकर नू पड़ने में मुख्यार्थ का बाध है। लक्षणा से अर्थ होता है फूट-फूटकर रोना, आठ-आठ आँसु रोना। प्रयोजन है मर्मन्तक पीड़ा प्रकट करना। इसमें यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है।

पाँचवीं किरण

गौणी और शुद्धा

गौणी लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें सादृश्य सम्बन्ध से अर्थात् समान गुण वा धर्म के कारण लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया जाय। जैसे—

दे करती दुख दूर सभी उनके मुख पंकज की मुहराई।

याद नहीं रहती दुख की लख के उसकी मुखचन्द्र जुन्दारै ॥

—ठा० गोपाल शरण सिंह

चन्द्र और पंकज मुख से भिन्न हैं। दोनों एक नहीं हो सकते। इससे इनमें मुख्यार्थ की बाधा है। पर दोनों में गुण की समानता है। मुख देखने से वैसा ही आनन्द आता है, आह्लाद होता है, हृदय में शीतलता आती है जैसे पंकज और चन्द्रमा के देखने से। इस गुणसाम्य से ही मुख चन्द्रमा और पंकज मान लिया गया है। यहाँ दो भिन्न-भिन्न पदार्थों में अत्यन्त सादृश्य होने से भिन्नता की प्रतीति नहीं होती। इससे यह सादृश्य ही गौणी लक्षणा का कारण है।

एक और उदाहरण लें —

उल रहे थे मलिन मुख रवि, दुःख-किरण

पद्म-मन पर थी, रहा अवलप यम

देसती यह छवि गरी में। —निराला

यहाँ दुःख और मन पर किरण और पद्म का जो आरोप है यह सादृश्य सम्बन्ध से ही है। ढलते हुए रवि की रश्मियों निम्तेज हो जाती हैं। जिनका तात्कालिक प्रभाव पद्म पर पड़ता ही है। इस प्रकार दुःख से भी मन मलिन हो जाता है।

शुद्धा लक्षणा

शुद्धा लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें सादृश्य सम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य सम्बन्ध से लक्ष्यार्थ का बोध होता है। जैसे—

१ सामीप्य सम्बन्ध से—

पानी में पर दे तो मसोरया क्यों न हो।

पानी में घर होना मुख्यार्थ को बाधा है। यहाँ लक्षण से घर के समीप अधिक पानी का रहना, घर में था उससे सटी हुई भूमि में अधिक सोड़ रहना, मच्छरों का पैदा होना आदि लक्ष्यार्थ लिया जाता है। यहाँ स्नाह्य सम्बन्ध नहीं, प्रत्युत सामोप्य सम्बन्ध है। इससे यह शुद्ध लक्षण है। घर का अस्वास्थ्यकर बनाना प्रयोजन है।

अबला जीवन दाय तुम्हारी यही कहानी।

ऑवल से है दूध और आँखों में पानी ॥ सै० रा० गुप्त ।
इसमें आँचल में दूध होना चांचित है। अतः सामोप्य सम्बन्ध द्वारा स्तन में दूध होना लक्ष्यार्थ लिया जाता है। मातृत्व का आधिक्य प्रकट करना प्रयोजन है।

२ आधाराधेयभाव सम्बन्ध से—

कौशल्या के पवन सुनी भरत सहित रनिवास।

प्याकुल विलपत राजगृह मानहु शोकनिवास ॥ तुलसी

रनियाम का रोना सम्भव नहीं। अतः यहाँ आधाराधेयभाव सम्बन्ध से रनियाम में रहनेवालों का अर्थ घोष होता है। विवाद का व्यापकता प्रकट करना प्रयोजन है।

३ अह्लाहिभाव या अघयघाचयचिभाव सम्बन्ध से—

कारके मीरे कुमुम ली गई विरह कुम्हिलाय।

पानी में घर होना मुख्यार्थ को ज्ञाया है। यहाँ लक्षणा से घर के समीप अधिक पानी का रहना, घर में या उससे सटी हुई भूमि में अधिक सीढ़ रहना, मच्छरों का पैदा होना आदि लक्ष्यार्थ लिया जाता है। यहाँ माहृश्य सम्बन्ध नहीं, प्रत्युत सामोप्य सम्बन्ध है। इससे यह शुद्धा लक्षणा है। घर का अस्वास्थ्यकर बताना प्रयोजन है।

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।

ऑबल में है दूध और आँखों में पानी ॥ मै० श० गुन

। इसमें आँचल में दूध होना बाधित है। अतः सामोप्य सम्बन्ध द्वारा स्तन में दूध होना लक्ष्यार्थ लिया जाता है। माहृत्व का आधिक्य प्रकट करना प्रयोजन है।

२ आधाराधेयभाव सम्बन्ध से—

कौशल्या के बचन सुनी भरत सहित रनिवास ।

व्याकुल विलपत राजगृह मानहू शोकनिवास ॥ तुलसी

५ तात्कर्म्य सम्बन्ध से—

“ए रे मतिमन्द चन्द आवत न तोहि लाज

होके द्विजराज काज करत कसाई के ।—पद्माकर

यहाँ चन्द्रमा का कसाई का काम करना वाधित है। क्योंकि, वह तो किसी का गला नहीं काटता। लक्षणा से विरहिणियों को सताने के कारण घातक का अर्थ लिया जाता है। यहाँ तात्कर्म्य अर्थात् समान कर्म करने का सम्बन्ध है। भाव यह कि वह कार्य-विशेष करना, जो दूसरा कोई करता है। संताप देने की अधिकता बताना प्रयोजन है।

यहाँ नौकर मालिक है।

नौकर को मालिक कहने में अर्थ वाधा है। मालिक का अधिकारपात्र या विश्वासभाजन होना लक्ष्यार्थ है। तात्कर्म्य सम्बन्ध से शुद्धा है। नौकर के अधिकार की अधिकता बताना प्रयोजन है।

६ तादर्थ्य सम्बन्ध से—

यह अनन्त देव हैं।

यहाँ चतुर्दश-ग्रन्थि-युक्त सूत्र-समूह को अनन्त देव कहा गया है। सूत्र-ग्रन्थि को अनन्त देव कहने में अर्थ वाधा है। इसमें तादर्थ्य सम्बन्ध है अर्थात् नियत व्यक्ति के निमित्त व्यवहृत होने का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध से सूत्र-ग्रन्थि का लक्ष्यार्थ अनन्तदेव होता है। अनन्तव्रत में अनन्त देव की पूजा का विधान है। अनन्त देव के स्थान में सूत्र-ग्रन्थि की पूजा होती है। अनन्त देव के निमित्त पूजित सूत्र-ग्रन्थि को पूज्य बताना प्रयोजन है। यहाँ रूढ़ि होने का सन्देह किया जा सकता है, किन्तु यह रूढ़िवादिता नाम-साम्य तक ही सीमित है। सूत्र में पूज्य भाव बताना तादर्थ्य सम्बन्ध से ही संभव है।

७ साहचर्य सम्बन्ध से—

आजकल लाल पगड़ी का बोलवाला है

लाल पगड़ी का बोलवाला कहने में मुख्यार्थ की वाधा है। लक्षणा से लाल पगड़ी का अर्थ सिपाही होता है। यहाँ सिपाही से लाल पगड़ी का साहचर्य सम्बन्ध है, अतः यह शुद्धा है। यहाँ रूढ़ि है।

जाय कि 'कुछ दिनों का' तो उपादानलक्षणा होगी और इसका क्षण-स्थायी अर्थ लें तो लक्षणलक्षणा होगी ।

इस विचार को बुद्धि का साधारण कौतुक ही कहना चाहिये । किन्तु है यह विचारणीय अवश्य ।

सातवीं किरण

उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा

उपादानलक्षणा

जहाँ वाक्यार्थ की संगति के लिये अन्य अर्थ के लक्षित किये जाने पर भी अपना अर्थ न छूटे वहाँ उपादानलक्षणा होती है ।

उपादान का अर्थ है ग्रहण—इसमें वाच्यार्थ का सर्वथा परित्याग नहीं होता । अतः इसे अजहत्स्वार्था भी कहते हैं । अर्थान् जिसमें अपना स्वार्थ न छूट गया हो । जैसे, सारा घर तमाशा देखने गया है । यहाँ घर का तमाशा देखने जाना बाधित है । लक्ष्यार्थ होता है घरवालों का तमाशा देखने जाना । यहाँ घर अपना अर्थ न छोड़ते हुए घरवालों का आक्षेप करता है । अतः उपादानलक्षणा है । ऐसा ही यह उदाहरण भी है—

भाले आये जब वहाँ चले बाण घनघोर ।

यहाँ भालों का आना और बाण का चलना दोनों अर्थ बाधित हैं, क्योंकि जड़ पदार्थ का आना और चलना संभव नहीं । किन्तु ये दोनों अपने मुख्यार्थ की सिद्धि के लिये 'भाले धारण करनेवाले आये' 'शत्रु बाण चलाने लगे', इन अन्यायों का आक्षेप करते हैं—जरबस खाँव लाते हैं । भाले और बाणों का उनके धारण करनेवालों के साथ धार्यधारक सम्बन्ध है । इसमें भाला और बाण धार्य है । दोनों का साथ होने से संयोग सम्बन्ध भी है । इससे यहाँ शुद्धा उपादानलक्षणा हुई । यहाँ इस वाक्य से भालेवालों की अधिकता और उनके व्यापार की तीक्ष्णता प्रकट होती है । यही प्रयोजन है । इससे यह प्रयोजनवती उपादान-लक्षणा है ।

बाध नहीं, वक्ता के तात्पर्य रूप मुख्यार्थ की बाधा है। ऐसी जगह भी उपादानलक्षणा होती है। ऐसी ही यह पंक्ति भी है—

‘फूटी कौड़ी पर विनोदमय जीवन सदा टपकता’।—निराला

यहाँ फूटी कौड़ी का तात्पर्य तुच्छ, नगण्य धन से है। फूटी कौड़ी इसका उपादान करती है।

लक्षणलक्षणा

जहाँ वाक्यार्थ की सिद्धि के लिये वाच्यार्थ अपने को छोड़ कर केवल लक्ष्यार्थ को सूचित करे, वहाँ लक्षणलक्षणा होती है।

इसमें अमुख्यार्थ को अन्वित होने के लिये मुख्यार्थ अपना अर्थ बिलकुल छोड़ देता है। इसलिये इसे जहत्त्वार्था भी कहते हैं। जैसे, रूढ़ि में ‘पंजाब लड़ाका है’। इसमें पंजाब पंजाबियों के लिये अपना अर्थ छोड़ देता है। और, प्रयोजन में ‘गंगा में गाँव है’ इसमें गंगा शब्द अपने अर्थ को तट के लिये छोड़ देता है। ऐसे ही ‘सूर्य माथे पर आ गया’। ‘पेट में आग लगी है, आदि वाक्य हैं। इनके अर्थ होते हैं—‘दोपहर हो गया’। ‘जोर की भूख लगी है’ इसमें लक्षक शब्द अपने अर्थ बिलकुल छोड़ देते हैं।

क्यों वसिये क्यों निबहिये, नीति नेह पुर नाँहि।

लगालगी लोचन करे, नाहक मन बँधि जाँहि।—बिहारी

इसमें आँखों का लगालगी करना और मन का बँधना, ये दोनों मुख्यार्थ बाधित हैं। क्योंकि न आँखें लड़ाई करती हैं और न मन बँधता है अर्थात् पकड़ा जाता है। इससे इनका लक्ष्यार्थ होता है ‘किसी से प्रेम होना,’ और मन का आसक्त हो जाना’ इसमें मुख्यार्थ एकदम छूट जाता है। इससे यह लक्षणलक्षणा है।

मैंने चाहे कुछ इसमें बिप अपना डाल दिया हो।

रस है यदि तो वह तेरे चरणों ही का जूठन है। — भा० आत्मा

यह लक्षणलक्षणा विपरीत अर्थ की प्रतीति का कारण भी होती है। तुलसीदास का यह पद्यार्थ लोजिये—

रोप भाये लखन अरुनि अनखीही बातें, तुलसी विनीत बाणो विहंसि ऐसी बही ।
गुयस तिहारो भरी भुवननि गगुतिलक, प्रकट प्रताप आपु कही सो सबै वही ॥

इसमें लक्षणा के कथन का मुख्यार्थ है कि हे भृगुकुलतिलक परशुरामजी ! आपका गुयस तो भुवन-व्यापी है। इससे आप जो अपना प्रताप कहते हैं सो सब ठीक है। किन्तु परशुराम पर क्रुद्ध लक्षणा का यह कहना ठीक इसके उलटा होना चाहिये। इससे मुख्यार्थ की बाधा है। यहाँ लक्ष्यार्थ परशुराम का दुर्यश बताना है, जिमसे मातृहन्ता आदि निन्दा की ध्वनि निकलती है। प्रयोजन परशुराम को अत्यधिक चिदाना है। मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का विपरीत सम्बन्ध है। मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया गया है। इससे लक्षणलक्षणा है।

एक और—

यशोधरा—किन्तु कोई अनय करे तो हम क्यों करें।

राहुल—और नहीं माधे पर क्या हम उभे धरें। मै० श० गुन

इसका यह विपरीत अर्थ होता है कि हम अन्याय को सिर-माधे पर नहीं धर सकते। मुख्यार्थ की बाधा है। लक्षणा में उक्त अर्थ होता है। मुख्यार्थ छोड़ लक्ष्यार्थ का ग्रहण है। इससे यहाँ लक्षणलक्षणा है।

आठवीं किरण

मारोपा और साध्यमाना

मारोपा लक्षणा

जिस लक्षणा में आरोप हो अर्थात् आरोप्यमाग (विपरी) और आरोप का विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो, उसे मारोपा कहते हैं।

एक पद्य का दूसरी पद्य में अभेद-भाव को आरोप करने है। इसमें विपरी और विषय का अभाव—परस्परता प्रतीत होती है।

१ भेदप्रतिपक्षभेदप्रतिपक्षम् ।

साध्यवसाना गौणी लक्षणा

‘रंगमन्व की अप्सरा आ गयी है।’ इस वाक्य में आरोप का विषय कोई सुगायिका नर्तकी का कथन नहीं, केवल आरोप्यमाण अप्सरा ही का कथन है। अप्सरा शब्द गायिका के स्थान पर आकर अध्यवसान पैदा कर देता है। इससे यह लक्षणा साध्यवसाना है। सादृश्य सम्बन्ध से गौणी है। ऐसे ही क्रूर व्यक्ति के लिये ‘कसाई’ वा ‘जल्लाद’ तथा ‘घातक’ व्यक्ति के लिये ‘हत्यारा’ वा ‘यमराज’ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

सारोपा में वस्तु को पृथक्-पृथक् समझते हुए भी तद्रूपता का ज्ञान कराया जाना अभीष्ट होता है और साध्यवसाना में वस्तु की प्रतीति पृथक्-पृथक् कराये बिना ही एकता का ज्ञान कराया जाना। यही दोनों में मुख्य भेद है।

सारोपा में उपमेय और उपमान दोनों रहते हैं। किन्तु, साध्यवसाना में उपमेय का कथन न होकर केवल उपमान का ही कथन होता है। इसमें आरोप का विषय आरोप्यमाण को अपना अस्तित्व सौंप देता है। यह आरोपाधिक्य का ही फल है। उदाहरण लें—

१ बैरिनि कहा विछावती फिर-फिर सेज कसान ।

हुन्यो न मेरे प्राणधन चहत आज कहूँ जान ।—दास

इसमें सखी में बैरिणी का, फूलों में कसान का और पति में प्राणधन का अध्यवसान किया गया है। क्योंकि सखी, फूल और पति का उल्लेख नहीं है। इससे साध्यवसाना है। सादृश्य-सम्बन्ध से गौणी है।

२ हाथ मेरे सामने ही प्रणय का प्रन्थिवन्धन हो गया, वह नव कमल—

मधुप-सा मेरा हृदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया ।—पंत

(पुरुष) दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है । इससे सारोपा है । धार्य-धारक सम्बन्ध होने से शुद्धा है ।

स्वर्गलोक की तुम अप्सरि थीं तुम वैभव में पली हुई थी ।—हरिकृष्ण प्रेमी यहाँ तुम पर अप्सरा का आरोप होने से सारोपा है । अप्सरा अपना अर्थ रखते हुए अपनो-सी सर्वाङ्गसुन्दरी, मनमोहनी नारी का आक्षेप करती है । इससे उपादानमूला है । मनमोहन रूप कर्म के कारण वा सोजाति की होने कारण तात्कर्म्य वा साजात्य सम्बन्ध से शुद्धा है ।

सारोपा शुद्धा लक्षण-लक्षणा

प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण 'माता, पिता, सखा, सुख, मान । तुम्हीं हमारे हो भगवान' में भगवान ही को सब कुछ कहा गया है । उन्हीं पर माता, पिता, आदि का आरोप है । दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है, इससे सारोपा है । यहाँ माता, पिता के अर्थ का त्याग है और लक्ष्यार्थ रक्षक आदि का प्रहण है । इससे लक्षणलक्षणा है । यहाँ तात्कर्म्य सम्बन्ध से शुद्धा है ।

'आज भुजंगों से बेठे हैं वे कंचन के घड़े दयाये ।

विनय दार कर कहती है ये विपयर इटते नही इटाये । हरिकृष्ण प्रेमी

यहाँ 'ये' के वाच्यार्थ (पूँजीपति) पर 'विपयर' का आरोप है । विपयर अपना अर्थ छोड़कर शूर (पूँजीपतियों) का अर्थ देता है । इससे लक्षणलक्षणा है । कटना दोनों का कर्म है, इस सम्बन्ध से शुद्धा है ।

साध्यवसाना लक्षणा

जहाँ आरोप का विषय लुप्त रहे—शब्दतः प्रकट नहीं किया गया हो और विषयी (आरोप्यमाण) द्वारा ही उसका कथन हो वहाँ साध्यवसाना लक्षण होती है । आरोप के विषय का निर्देश न कर केवल आरोप्यमाण के कथन को अध्यवसान कहते हैं । जैसे—

देगो नाँर का टुपरा ।

यहाँ आरोप के विषय गुप्त वा निर्देश नहीं है केवल आरोप्यमाण 'पौर का टुपरा' ही बता गया है ।

साध्यवसाना गौणी लक्षणा

‘रंगमंच की अप्सरा आ गयी है।’ इस वाक्य में आरोप का विषय कोई सुगायिका नर्तकी का कथन नहीं, केवल आरोप्यमाण अप्सरा ही का कथन है। अप्सरा शब्द गायिका के स्थान पर आकर अध्यवसान पैदा कर देता है। इससे यह लक्षणा साध्यवसाना है। सादृश्य-सम्बन्ध से गौणी है। ऐसे ही क्रूर व्यक्ति के लिये ‘कसाई’ वा ‘जल्लाद’ तथा ‘घातक’ व्यक्ति के लिये ‘हत्यारा’ वा ‘धमराज’ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

सारोपा में वस्तु को पृथक्-पृथक् समझाते हुए भी तद्रूपता का ज्ञान कराया जाना अभीष्ट होता है और साध्यवसाना में वस्तु की प्रतीति पृथक्-पृथक् कराये बिना ही एकता का ज्ञान कराया जाना। यही दोनों में मुख्य भेद है।

सारोपा में उपमेय और उपमान दोनों रहते हैं। किन्तु, साध्यवसाना में उपमेय का कथन न होकर केवल उपमान का ही कथन होता है। इसमें आरोप का विषय आरोप्यमाण को अपना अस्तित्व सौंप देता है। यह आरोपाधिक्य का ही फल है। उदाहरण लें—

१ बैरिनि कहा बिछावती फिर-फिर सेज कृसान ।

सुन्यो न मेरे प्राणधन चहत आज कहूँ जान ।—दास

इसमें सखी में बैरिणी का, फूलों में कृसानु का और पति में प्राणधन का अध्यवसान किया गया है। क्योंकि सखी, फूल और पति का उल्लेख नहीं है। इससे साध्यवसाना है। सादृश्य-सम्बन्ध से गौणी है।

२ हाय मेरे सामने ही प्रणय का प्रन्धिवन्धन हो गया, वह नव कमल—

मधुप-सा मेरा हृदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया ।—पंत

अपनी प्रणयिनी का दूसरे से प्र^{पू}रिणय हो जाने पर कवि की उक्ति है। इसमें ‘नव कमल’ ‘प्रणयिनी’ के लिये आया है, जो आरोप्यमाण है। आरोप के विषय का कथन नहीं है। विषयो में विषय का अध्यवसान हो जाने से साध्यवसाना है। गुण-बंध से सादृश्य होने के कारण गौणी है। ऐसे ही ‘प्रणय’ में ‘प्रेमी युगल’ का अध्यवसान है।

है रिपोटों में कलेजा छप रहा, देश के आनन्द-भवनों ने कहा ।—भा० आत्मा

यहाँ ‘कलेजा’ मर्मन्तक पीड़ा से व्यथित हृदय का स्थानापन्न है।

अतः इसे अध्यवसान का उदाहरण मानना चाहिये। ऐसे ही ‘आनन्द

भवनों' से आनन्द-भवन-नियासी प्रसिद्ध पिता-पुत्र नेहरूद्वय लिये जाते हैं। अतः यहाँ पर भी अध्ययमान है।

साध्यवसाना शुद्धा उपादानलक्षण

पूर्योक्त उदाहरण 'भाले आये' 'बाण चले' 'ये' जोड़ने से सारोपा लक्षण हुआ है। क्योंकि उनमें विषयी और विषय दोनों का निर्देश है। जब इनसे सर्वनाम निकाल दिया जाय तब केवल आरोप्यमाण भाले और बाण रह जाते हैं। भाले तथा बाण में भालेवालों तथा बाण चलाने-वालों का अध्ययमाना है। अतः साध्यवसान है। धार्य-धारक मन्त्रन्व होने से शुद्धा है। मुख्यार्थ का वाच्य है। लक्ष्यार्थ भाजेवाले और बाण चलानेवाले के साथ भाले और बाण दोनों लगे हुए हैं। इससे उपादान है।

नवीं किरण

गूढ़व्यङ्ग्या और अगूढ़व्यङ्ग्या

काव्यप्रकाश के मतानुसार उपर्युक्त प्रयोजनवती लक्षणा के छ भेद व्यङ्ग्य की गूढ़ता और अगूढ़ता के कारण बारह प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रयोजनवती लक्षणा के भेद में ये पाये जाते हैं। प्रयोजनवती के जो प्रयोजन हैं वे व्यङ्ग्यार्थ ही होते हैं। यहाँ इनका दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। गूढ़ा और अगूढ़ा के सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिये कि कोई प्रयोजन किसी को गूढ़ ज्ञात हो सकता है और किसीको अगूढ़। जो सहृदय हैं, काव्यमर्मज्ञ हैं उन्हें सहज प्रतीत होने के कारण गूढ़ भी अगूढ़ ही प्रतीत होंगे और जो शिथिल शब्दार्थ-मात्र के ज्ञाता हैं उन्हें अगूढ़ भी गूढ़। गूढ़ की तो बात ही न्यारी है। गूढ़ और अगूढ़ भेद की यह बात सर्वत्र ध्यान देने योग्य है।

गूढ़व्यंग्या

जहाँ का व्यंग्य मार्मिक सहृदय द्वारा ही समझा जा सके वहाँ गूढ़व्यंग्या लक्षणा होती है। जैसे—

‘रणजीतसिंह पंजाव-केसरी थे’। इसका लक्ष्य अर्थ अत्यधिक बलशाली होना तो सबकी समझ में आ सकता है। किन्तु, केसरी कहने से रणजीतसिंह का घोर-ब्रह्मादुर, विजयी, विक्रमशाली, प्रभुशक्तिसम्पन्न, राजा, विकट थोड़ा आदि होना जो लक्षणा का व्यंग्य प्रयोजन है वह गूढ़ अर्थात् सहजगम्य नहीं। इसीसे यहाँ गूढ़व्यङ्ग्या लक्षणा है। ऐसे ही कोई कजेदार कहे कि ‘सेठजी ! आपने मेरे लिये वह किया जो दूसरा कोई नहीं कर सकता’। इसमें गूढ़ व्यंग्य यह है कि आपके ऐसा दूसरा-सूद-खोर मुझे यों घर-घर का भिखारी न बना देता। ऐसे वाक्य गूढ़व्यंग्या के ही उदाहरण होते हैं।

चाले की बातें चली सुनति सखिन के टोल ।

गोये हू लोथन हँसत विहँसत जात कपोल ॥ विहारी

अर्थ है—सखियों की मंडली में अपने चाले (गीने) की बातें सुन रही है। आँखें छिपाने पर भी हँसती हैं और कपोल मुस्कुरा रहे हैं।

कपोलों के विहँसने या मुस्कुराने में मुख्यार्थ की बाधा है। क्योंकि

लक्ष्यार्थ होता है उभरा या कठिन होना। मुकुल अर्थात् अधखिली फली का ही अर्धविकसित होना धर्म है। दोनों के अवयवों की सुश्लिष्टता का सादृश्य होने से गौणी है। कुचों की कमनीयता और आलिङ्गन-योग्यता का सूचन व्यंग्य है। 'मुकुले' के अर्थत्याग से लक्षणलक्षणा है।

५. 'प्रभा उल्ले सब अंग' में प्रभा का उल्लेख कहने से अर्थ बाध है। क्योंकि, उल्लेखना प्राणगत धर्म है। अतः लक्ष्यार्थ होता है अंगों से आभा का फूट पड़ना। सौंदर्यातिशय और सकलमनोहारित्व रूप अर्थ व्यंग्य है। सादृश्य या सामान्य-विशेष सम्बन्ध से गौणी या शुद्धा है। उल्लेखने का अपना अर्थ छोड़ देने से लक्षणलक्षणा है।

६. 'तरुनाई आनन्दमयी है' में तारुण्य का आनन्दमय होना कहने से मुख्यार्थ-बाध है। क्योंकि आनन्दित होना—चेतनगत धर्म है। अतः लक्ष्यार्थ होता है यौवन का पूर्ण होना—यौवनोचित उन्कर्ष को प्राप्त करना। व्यंग्य है यौवनकाल की उन्मत्ता का उन्मेष होना। जन्य-जनकभाव सम्बन्ध से शुद्धा और अपना अर्थ छोड़ कर अन्यार्थ-ग्रहण से लक्षणलक्षणा है।

अगूढव्यंग्या

जहाँ व्यंग्य सहज ही समझ में आ जाय वहाँ अगूढव्यंग्या लक्षणा होती है। जैसे—

'आप यहाँ कैसे आ टपके'। इसका यह व्यंग्यार्थ सहज ही समझ में आ जाता है कि आपको यहाँ न आना चाहिये था।

पल न चलै जकि-सी रही, थकि-सी रही उसास।

अब ही तन रितयो कहा मन पठयो केहि पास ॥ बिहारी

पलकें भी नहीं चलतीं। जकड़ी—स्तम्भित-सी हो रही हो। साँस भी थक-सी रही है। अभी-अभी शरीर को क्या खाली—बेहाल कर दिया है और मन को किसके पास भेज दिया है।

इसमें मन का भेज देना संभव नहीं। क्योंकि वह कोई स्थानान्तर कर देने की वस्तु नहीं। पर ऐसा कहना परंपराप्रचलित रूढ़ि वाक्य है। इसे मुहावरा कह सकते हैं। ऐसा ही साँस का थकना भी है। आदमी थकता है, पैर थकते हैं। साँस थकती नहीं। इनके लक्ष्य अर्थ होते हैं—किसी की ऐसी तन्ययता के साथ चिन्ता करना कि शरीर के व्यापार शिथिल हो जायँ। इन वाक्यों में मुख्यार्थ के त्याग से

दशवीं किरण

धर्मधर्मिभेद और प्रयोजन

प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन ही की प्रधानता रहती है पर किसी लक्षणा का कोई निश्चित प्रयोजन हो, यह संभव नहीं। लाक्षणिक पदों का प्रयोक्ता उनका जो प्रयोजन मानता हो, हो सकता है अथकर्ता उससे भिन्न प्रयोजन माने। प्रतिभाशाली सहृदय अथव्यक्ति या अथगौरव के अनुरोध से प्रयोजनान्तरों की कल्पना कर सकता है, जिनका पता प्रयोक्ता को न हो। एक उदाहरण से इसकी स्पष्टता कीजिये।

कर रहा सजन अद्भुत भविष्य का संघर्षों में वर्तमान।

हाँ एक जहाँ पचास कोटि करते स्वदेश का परित्राण ॥

यह कवि की चीन के विषय में उक्ति है। यहाँ पचास कोटि में एक का आरोप है। यह कैसे हो सकता है कि पचास करोड़ मनुष्य एक हो जायँ। इससे इसमें आया हुआ एक एकमत होने के अर्थ का उपादान करता है। समवाय सम्बन्ध होने से शुद्धा है। संघशक्ति का प्रदर्शन प्रयोजन है जो धर्मगत है। इस एकता में असाधारण आत्मत्याग और बलिदान छिपा हुआ है। एकात्मक और एकमत होने के लिये कितना भगीरथ प्रयत्न करना पड़ा है, यह सर्वबोध्य नहीं। इससे गूढ़ा प्रयोजनवतीलक्षणा है।

उपर्युक्त व्याख्या में संघशक्ति या एकता का प्रयोजन स्पष्ट किया गया है। इस प्रयोजन के अतिरिक्त इस लक्षणा के ये भी प्रयोजन माने जा सकते हैं कि एक-एक व्यक्ति समान रूप से स्वदेशप्रेमी है; देश का शुभचिन्तक है; स्वतन्त्रता का उपासक है; परतन्त्रता का विद्वेषी है इत्यादि। इस प्रकार जब एक-एक व्यक्ति पचास करोड़ का प्रतिनिधित्व करता है तो व्यक्ति की ही विशेषता लक्षित होने से यह लक्षणा धर्मगत होगी। एक को पचास कोटि मान लेने से उनके ऐकमत्य, देश की कल्याणकामना, स्वातन्त्र्य, अपारतन्त्र्य, आत्मसम्मान आदि का वैशिष्ट्य-प्रदर्शन प्रयोजन मान लिया जाय तो फिर ये प्रयोजन धर्मगत होंगे। अभिप्राय यह कि जहाँ धर्म अर्थात् द्रव्य में व्यञ्जनात्म्य प्रयोजन हो वहाँ धर्मगत और जहाँ धर्मों के गुण या क्रिया में हो वहाँ धर्मगत लक्षणा होती है।

ग्यारहवीं किरण

धर्मिधर्मगता लक्षणा

धर्मिगतप्रयोजनलक्षणा

जहाँ लक्षणा का फल अर्थात् व्यञ्जनागम्य प्रयोजन धर्म अर्थात् लक्ष्यार्थ (द्रव्य) में स्थित हो वहाँ धर्मिगत प्रयोजन-लक्षणा होती है। जैसे—

‘सत्संग काँच को कंचन कर देता है’। यहाँ काँच को कंचन कर देने का अर्थ है बुरे को भला, अयोग्य को योग्य, अधम को उत्तम बना देना आदि। लक्ष्यार्थ का फल या प्रयोजन है सत्संग का महत्त्व बताना। यह लक्षणा का प्रयोजन—सत्संग का महत्त्व, धर्मी काँच—बुरे में है। इससे धर्मिगता है।

खिर पर प्रलय नेत्र में मस्ती मुट्ठी में मनचाही।

लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, मैं हूँ एक सिपाही ॥ भा० आत्मा

‘मैं हूँ एक सिपाही’ में वक्ता स्वयं सिपाही है। इससे ‘मैं हूँ’ कहने से ही सिपाही का बोध हो जाता है। अतः प्रकृत में सिपाही पद का मुख्यार्थ बाधित है। लक्षणा द्वारा सिपाही का अर्थ होता है—प्राणपण से इच्छानुरूप कठिन-से-कठिन कार्य करनेवाला। यहाँ सिपाही शब्द अर्थात्तरसंक्रमितवाच्य है। क्योंकि वह प्राण निरपेक्ष कार्यकरना रूप विशेष अर्थ की प्रतीति कराता है। यहाँ सिपाही में ही प्राणनिरपेक्ष कार्य करने की अतिशयता द्योतित होती है। अतः यहाँ लक्षणा का फल धर्मी सिपाही में है।

धर्मगताप्रयोजन लक्षणा

जहाँ लक्षणा का फल अर्थात् व्यञ्जनागम्य प्रयोजन धर्म अर्थात् लक्ष्यार्थ के धर्म (द्रव्य के गुण) में हो वहाँ धर्मगता लक्षणा होती है। जैसे—

‘आपकी आकृति ही आपको गुणी बना रही है।’ यहाँ आकृति के बनाने का लक्ष्यार्थ है ‘देखने ही से मालूम हो जाना।’ प्रयोजन है रूबरूना और गुणवत्ता का सामानाधिकरण्य प्रदर्शित करना। यहाँ सामानाधिकरण्य

रूप प्रयोजन रूपगत और गुणगत होने से धर्म में है। अतः यहाँ धर्मगता लक्षणा है।

शराफत सदा जागती है वहाँ, जमीनों में सोता है सोना जहाँ।—सुदर्शन

यहाँ 'जमीनों में सोना सोता है' का अर्थ है पृथ्वी पर बहुमूल्य अन्न-राशि पड़ी रहती है। प्रयोजन है अन्नराशि की उपयोगिता का अतिशय बताना। अतिशयरूप प्रयोजन उपयोगितागत है, जो धर्म है। अतः यहाँ धर्मगता है।

ये लक्षणाएँ कहीं पद में होती हैं और कहीं वाक्य में होती हैं। दोनों के उदाहरण यथास्थान ऊपर आ गये हैं।

शुद्धा उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा के उत्कृष्ट व्यंग्य ही अर्थान्तर-संक्रामित-वाच्य ध्वनि एवं अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य ध्वनि हो जाते हैं। इन्हीं दोनों के भेद सारोपा और साध्यवसाना क्रमशः गौणी रूप में होने पर रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार के प्रयोजक हो जाते हैं। अलंकार के साधक होने से ये व्यंग्य उत्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते। कारण यह कि वाच्य के उपस्कारक मात्र होने से व्यंग्यों की अपनी प्रधानता क्षीण हो जाती है। अथच शुद्धा भेद में जो व्यंग्य अगूढ़ या स्पष्ट रूप में प्रतीत होते हैं वे सभी ध्वनि या गुणीभूत व्यंग्य काव्य के विधायक नहीं हो सकते। उनमें जो चमत्कारपूर्ण होते हैं वे ही उक्त दोनों श्रेणियों में अन्तर्भूत हो सकते हैं। ध्वनि-किरण में इनका स्पष्टीकरण होगा।

वारहवीं किरण

लक्षणा के भेदों का उपयोग

प्राचीन आचार्य रूढ़ि के कारण होनेवाली रूढ़ा या निरूढ़ा को तो मानते हैं पर उसके भेद नहीं मानते। इन आचार्यों के रूढ़ि के भेद न मानने का कारण यह है कि व्यवहार में इसके भेद स्पष्ट नहीं लक्षित होते।

रूढ़ि भाषा के प्रवाह में आप ही आप चल पड़ती है। उसके चलाने की आवश्यकता नहीं होती। उसके निर्माण का कारण जनता

की वाक्यव्यवस्था है। उसका प्रयोग प्रयोगकर्ता के दश की बात नहीं। इसीसे कुमारिल भट्ट का कहना है कि कुछ लक्षणार्थे अभिधा के समान अपनी प्रसिद्धि के कारण रूढ़ि हो गये हैं। कुछ लक्षणार्थे अब भी की जाती हैं किन्तु बिना प्रसिद्धि या प्रयोजन के प्रयोक्ता की अर्शक्त—असामर्थ्य वा अव्युत्पत्ति के कारण श्रृङ्खल लक्षणा नहीं होती।^१

चलती रूढ़ियों में नये निर्माण का, उनमें उलट-फेर करने का कोई अधिकार किम्बो को नहीं है। जैसे, वह नौ दो ग्यारह हो गया अर्थात् भाग गया। क्योंकि, चौपट के खेल में पासों का नौ दो पड़ना ही गोटियों के भाग निकलने—पिटी न जानने का कारण होता है। इस अर्थ में कोई सात चार ग्यारह हो गया यह प्रयोग नहीं कर सकता। यदि करे भी तो इससे भागने का अर्थ कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही घर का घर चौपट हो गया अर्थात् घर भर का नाश हो गया या बंशलोप हो गया की जगह पर मकान का मकान चौपट हो गया, कोई नहीं कह सकता। हाँ, आवश्यकतानुसार प्रयोजनसिद्धि के लिये नयी लक्षणार्थे की जा सकती हैं।

बाद के आचार्यों ने रूढ़ि लक्षणा में भी भाषा-चमत्कार की दृष्टि से हो, शब्द-सम्बन्ध के विस्तार के अनुसन्धान की दृष्टि से हो, चाहे जिस कारण से हो, उसके सादृश्य सम्बन्ध और सादृश्येतर सम्बन्ध को जान लेना आवश्यक समझा। इस कारण उन्होंने रूढ़ि के भी गौणी और शुद्धा ये दो भेद मान लिये हैं। किन्तु साहित्य-दर्पणकार इसके प्रधानतः आठ भेद मानते हैं जो आगे रेखाचित्र में नाम के साथ दिये गये हैं। इन भेदों को कितने आलङ्कारिक व्यंग्य—प्रयोजन—में शून्य होने और किसी अलङ्कार के आधार न होने के कारण निरर्थक कहते हैं। पर बात ऐसी नहीं। रूपकालङ्कार में सारोपा गौणी का रूपकान्तिशयोक्ति में साध्यप्रमाना गौणी का, हेतु का अलङ्कार में शुद्धा सारोपा और साध्य-यसाना का, अत्यन्तनिरसकृत्ववाच्य नामक ध्वनि में शुद्धा लक्षणलक्षणा का और अर्थान्तरसंक्रमितप्राच्य ध्वनि में शुद्धा उपादानमूला प्रयोजन-वर्ती लक्षणा का उपयोग होने से इन्हीं लक्षणार्थों की स्मार्थकता मानी जाती है और अन्य भेदों को व्यर्थ का विस्तार बनाया जाता है।

^१ निरुद्धा लक्षणाः काश्चित्तामर्थादभिधानवत् ।

किमन्ते साम्प्रतं काश्चित् काश्चित्त्वेव त्वरूपितः ॥

मम्मटमतानुयायी गौणी के उपादानमूला और लक्षणमूला भेद जो नहीं मानते उसका कारण काव्यप्रकाश की टीका काव्यप्रदीप ही है। टीकाकार का कहना है कि अजहत्स्वार्था मुख्यार्थ के अपरित्याग से ही हो सकती है और मुख्यार्थ का सादृश्य किसी भिन्न वस्तु के साथ ही हो सकता है, स्वार्थ के साथ नहीं। क्योंकि सम्बन्ध द्विष्ट, अर्थात् दोनों सम्बन्धी में रहना चाहिये। सादृश्य सम्बन्ध मुख्यार्थ में कैसे होगा। कारण, अपना भेद अपने में ही नहीं रहता और बिना भेद-प्रतीति के सादृश्य की सत्ता ही नहीं रहती। किन्तु ऐसे बहुत-से उदाहरण मिलते हैं जो इस विचार के विरुद्ध साक्ष्य ही नहीं देते, प्रत्युत बिना उपादान या लक्षणलक्षणा को गौणी माने उनकी संगति ही नहीं बैठती। अतः ये भेद हो सकते हैं और अपने चमत्कारों से शून्य भी नहीं होते। इसलिये दर्पणकार द्वारा प्रदर्शित ये भेद प्राह्य प्रतीत होते हैं। इनके उदाहरण इनके भेदों के साथ यथास्थान दिये गये हैं।

दर्पणकार ने प्रयोजनवति लक्षणा के जो मुख्य वस्तुस भेद किये हैं, जिनका रेखाचित्र में नाम के साथ उल्लेख है, वे न तो व्यर्थ के विस्तार हैं और न महत्त्वहीन ही। उन्हें साहित्यिक महत्त्वपूर्ण समझते हैं। यदि यह व्यर्थ का ही विस्तार होता तो आचार्यों को इनकी नामगणना से क्या लाभ था ?

दर्पणकार ही क्यों, पीयूषवर्षा जयदेव ने भी अपने चन्द्रालोक के नवम मयूख में लक्षणा के भेदों का विवेचन किया है। यह व्यर्थ में नहीं कहा जा सकता। क्योंकि भाषा की अर्थवृद्धि का मूल लक्षणा ही है। वर्तमान हिन्दी भाषा में लक्षणा के न जाने कितने नित-नूतन प्रयोग देखने को मिलते हैं। कुछ अलंकारों का अंकुर भी तो लक्षणा ही है। अतः लक्षणा का जितना ही विचार होगा उतना ही लाभ होना निश्चित है।


तेरहवीं किरण

लक्षणा के विशेष भेद

१ रुढ़िलक्षणा

साहित्यदर्पण के अनुसार लक्षणा के निम्नलिखित भेद होते हैं—
रुढ़िलक्षणा के प्रथम शुद्धा और गौणी के भेद से २ भेद होते हैं। इन दोनों के भी उपादानलक्षणा और लक्षण-लक्षणा के भेद से दो-दो

श्रीर भेद होकर ४ हो जाते हैं। ये चारो भेद सारोपा श्रीर साध्यवसाना के भेद से ८ भेद हो जाते हैं। आठो भेदों के नाम निम्न चित्र में इस प्रकार हैं—



रूढिमती लक्षणा के आठ भेद और उनके नाम


- १ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, रूढिलक्षणा ।
- २ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, रूढिलक्षणा।
- ३ गौणी, साध्यवसाना, उपादानमूला, रूढिलक्षणा ।
- ४ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, रूढिलक्षणा ।
- ५ गौणी, सारोपा, लक्षणमूला, रूढिलक्षणा ।
- ६ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, रूढिलक्षणा ।
- ७ गौणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, रूढिलक्षणा ।
- ८ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, रूढिलक्षणा

ये ही आठो लक्षणाय पदगत और वाक्यगत के भेद से सोलह हो जाती हैं।

प्रयोजनवती लक्षणा

दर्पणकार प्रयोजनवती लक्षणा में उक्त शुद्धा के चार भेदों के समान गौणी के भी चार भेद मानते हैं—१ गौणी, सारोपा, उपादानलक्षणा
२ गौणी, सारोपा, लक्षण-लक्षणा गौणी, साध्यवसाना, उपादानलक्षणा
श्रीर ४ गौणी, साध्यवसाना, लक्षण-लक्षणा ।

गौणी के ये चार और उक्त शुद्धा के ऐसे ही चार मिलकर ८ होते हैं। ये आठो गूढव्यङ्ग्या श्रीर अगूढव्यङ्ग्या के भेद से १६ हो जाते हैं। ये सोलहो धर्मगत श्रीर परमगत के भेद से ३२ हो जाते हैं। इन भेदों के नाम चित्र में इस प्रकार हैं।



इन्हीं सोलहों के धर्मभेद से और धर्मभेद से ३२ भेद हो जाते हैं और इनके ही भेद और उदाहरण इसमें दिये गये हैं। ३२ भेदों के ही पद और वाक्य के भेद से ६४ भेद हो जाते हैं।

चौदहवीं किरण

लक्षणा के वाक्यगत मिश्रित उदाहरण

सहज-सुबोध के लिये लक्षणा के उक्त भेदों के सरल-लक्षणा-समन्वय-सहित वाक्यों के कुछ मिश्रित उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। आगे की किरणों में समन्वय-सहित पद्योदाहरण दिये जायेंगे।

लक्षणा के समस्त भेदों में उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा ही आधार-भूत हैं। सारोपा, साध्यवसाना, गूढव्यंग्या, अगूढव्यंग्या, धर्मिगता, धर्मगता, पदगता और वाक्यगता नामक समस्त भेद स्वतंत्र सत्तावाले कोई भिन्न पदार्थ नहीं हैं। ये सब उन्हीं दोनों का आश्रय लेकर नियमितः यथायोग्य रहनेवाले विशेष-विशेष भेद हैं। आगे के उदाहरणों से इनका स्पष्टीकरण हो जायगा।

१ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, साध्यवसाना, पदगता,
रूढ़िलक्षणा

‘स्याही गयी’ ‘सपेदी आयी’ ।

यों ‘स्याही’ का जाना और ‘सपेदी का आना’ रूप अर्थ संगत प्रतीत नहीं होता। कारण यह कि स्याही या सपेदी पृथक् पृथक् गुण हैं। स्याही स्वयं स्वतन्त्र रूप से जा नहीं सकती और सपेदी आ नहीं सकती। इस प्रकार मुख्यार्थ की असंगति या बाधा है।

किन्तु गुण और गुणी का समवाय संबंध लोक विख्यात है। इससे स्याही और सपेदी का यहाँ बाल के साथ संबंध है। इस प्रकार मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध है।

अतः स्याही और सपेदी पदों से कालापन से मुक्त तथा उजलापन से युक्त बाल का अर्थ आक्षिप्त होता है। फिर जाने और आने की योग्यता वाक्यार्थ में आ जाती है। इस प्रकार योग्यता द्वारा वाक्य सिद्ध हुआ।

इस तरह के प्रयोग लोक-व्यवहार में प्रचलित हैं। गुण से गुणी का बोध कराने में प्रायः कुछ खास मतलब (व्यंग्य) नहीं होता। इससे इसे रूढ़िमूला लक्षणा कह सकते हैं।

यहाँ कालापन और उजलापन लिये ही केश रूप अर्थ का बोध होता है। इससे यहाँ की लक्षणा उपादानलक्षणा है।

यहाँ स्याही से हीन सपेदी लिये बाल का निर्देश है जो शब्दतः प्रकट नहीं है। यहाँ स्याही और सपेदी शब्द अन्त में (वाक्यार्थ बोध के समय) केश रूप अर्थ में अभ्यवसित—परिणत होते हैं। इससे यह साध्यवसाना है।

प्रस्तुत लक्षणा का सम्वन्ध सादृश्य से भिन्न समवाय रूप है। अतः यह शुद्धा का भेद कहा जायगा।

यदि सपेदी शब्द के साथ सपेद बाल के लिये संकेतित 'यह' सर्वनाम जोड़ दिया जाय तो वही भेद गुण और गुणों की अभेद-प्रतीति होने से सारोपा भेद का उदाहरण हो जायगा। इसको यों समझिये—सपेदी पद विषयी उजलापन गुण से युक्त केश अर्थ को लक्षित करता है और 'यह' सर्वनाम—विषय—भी स्वयं शब्दरूप में प्रकट है। अतः अभेद सम्वन्ध से एकता प्रतीत हो जाती है। इस प्रकार अभिन्नता सम्पन्न हो जाने पर वाक्यार्थ-बोध होता है—उजलापन-गुण-विशिष्ट बाल। क्योंकि, यहाँ बाल के ऊपर सपेदी का आरोप किया गया है। अतः यह सारोपा लक्षणा है। ऐसे ही आगे के उदाहरणों में भी सम्वन्ध कर लेना चाहिये।

२ शुद्धा, सारोपा, साध्यवसाना, उपादानमूला, अगूढव्यंग्या,
पदगता, धर्मगता, प्रयोजनघती लक्षणा

लट् आ रहे हैं।

बिना किसी के सहारे लट् जैसी जड़ वस्तु का आना संभव नहीं जँचता। इससे मुख्यार्थ की बाधा है। किन्तु धार्यधारक सम्वन्ध होने के कारण लट् और लट्ठ के धारण करनेवालों का सम्वन्ध स्पष्ट है। प्रस्तुत सम्वन्ध के सहारे लट्ठ पद से लट्धारी रूप अर्थ आक्षिप्त होता है। फिर आना रूप क्रिया का प्रयोग खलता नहीं। वाक्यार्थ की योग्यता पूर्ण हो जाती है।

इस प्रकार का शब्द-व्यवहार प्रयोजनयुक्त है। क्योंकि यहाँ लट्ठ-धारियों की घटुलता और उग्रता/जताना व्यंग्य है। इससे यहाँ लक्षणा प्रयोजनवती है।

यहाँ लट्ठ अपने अस्तित्व को घनाये रखकर ही अपने धारक न्यक्तियों का आभास देता है। इसलिये यहाँ की लक्षणा उपादान-लक्षणा हुई।

५ गौणी, सारोपा साध्यवसाना, उपादानमूला, पदगता, रुद्धिलक्षणा ।

माला पहनाओ ।

(खादी की मुलायम से गुरियों से बनी माला को लक्ष्य कर यहाँ माला शब्द का प्रयोग है ।)

माला शब्द का अर्थ है—फूलों से बना हुआ हार या गजरा । उस अर्थ का प्रस्तुत माला में अभाव है । अतः मुख्यार्थ-त्राघ है ।

दोनों में रचना—आकार-प्रकार की समता, होने से सादृश्य रूप संबंध है । इससे गौणी है ।

इसी संबंध से इस माला शब्द से खादी की गुरियों की माला जैसी वस्तु ज्ञात हुई । इसी लक्ष्यार्थ से यहाँ वाक्य को योग्यता है ।

आकार की समानता से इस प्रकार का प्रयोग लोक प्रचलित होने से यह लक्षणा रुद्धिमूला है ।

यहाँ माला शब्द अपने वाच्यार्थ फूल के हार रूप अर्थ का भान कराकर ही समान आकार की खादी की माला के रूप में उपस्थित होता है । अतः यहाँ उपादानलक्षणा है ।

यहाँ आरोप के विषय का कथन नहीं है । प्रस्तुत माला शब्द के पहले 'यह' सर्वनाम नहीं होने से खादी की गुरियों की ओर संकेत करने का कोई शब्द नहीं है, नकली माला में असली माला का अध्यवसान है । इससे यह साध्यवसाना है ।

यहाँ केवल माला पद में लक्षणा होने से यह पदगता है ।

'यह' सर्वनाम जोड़ने से दोनों का अभेद संबंध हो जायगा ।

इससे यह लक्षणा सारोपा हो जायगी ।

६ गौणी, सारोपा, साध्यवसाना, अगूढव्यंग्या, उपादानमूला, प्रयोजनवती लक्षणा ।

पंडितजी आ गये

(यहाँ चन्दन तिलकधारी पंडित के आकार-प्रकारवाले सदाचारी व्यक्ति के लिये पंडित शब्द का प्रयोग है ।)

प्रस्तुतः पंडित शब्द का वाच्यार्थ विलक्षण बुद्धिवाला शास्त्रवेत्ता विशेष व्यक्ति है, जो उक्त उदाहरण में नहीं है । यहाँ मुख्यार्थ की बाधा है ।

दोनों का रूप समान होने से सादृश्य संबंध है । इससे पंडित का

। जैसे आकारवाला व्यक्ति हुआ। अतः वाक्यार्थ की ठीक

इत शब्द का वाच्यार्थ अपना आभास देकर ही सदा-
व्यक्ति में प्रवृत्त हुआ है। अतः यह उपादानलक्षणा है।
रोप के विषय का कथन नहीं है। पंडित शब्द का अर्थ
के के रूप में अभ्यसित हुआ है। इससे
है।

की व्यंजना गूढ़ नहीं है। इससे यह अगूढ़व्यंग्या है।
चार रूप धर्म लेकर लक्षणा की प्रवृत्ति है। अतः यह

दमात्र में लक्षणा होने से यह पदगता है।
त शब्द के पहले यदि 'ये' सर्वनाम जोड़ दिया जाय तो
भेद हो जायगा।

७ गीणी, सारोपा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, पदगता, रूढ़िलक्षणा

आग लगाने के जमालो दूर सजी

(भगवा खड़ा करके चुप हो जानेवाले के अर्थ में यह प्रवाद-वाक्य है।)

आग शब्द का वाच्यार्थ है दाहक पदार्थ। इससे मुख्यार्थ की
बाधा है।

किन्तु नाशक दृश्य प्रस्तुत करके जलन पैदा करने में दोनों की शक्ति
तुल्य हैं। अतः इस सादृश्य संबंध से यहाँ गीणी लक्षणा है।

अतः लक्ष्यार्थे कलह से वाक्यार्थ की संगति होती है।

भगवा लगाने के अर्थ में आग लगाना कहने की लोक-प्रवृत्ति है—
एकमुहाविरा है। इससे यह लक्षणा रूढ़िमूला हुई।

आग शब्द ने अपना अर्थ छोड़कर भगवा—कलह रूप अर्थ को
लक्षित किया है। इससे लक्षणलक्षणा हुई।

यहाँ आरोप के विषय कलह का कथन नहीं है। आग शब्द का अर्थ
कलह में अभ्यसित हुआ है। इसीसे साध्यवसाना है।

उक्त उदाहरण में केवल आग में लक्षणा है। अतः पदगता है।

इसी आग पद के साथ कलह का सर्वनाम 'यह' शब्द जोड़ दें तो
यह सारोपा का उदाहरण हो जायगा। क्योंकि यह और आग में अभेद
संबंध स्थापित हो जायगा।

८ गौणी, सारोपा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढव्यंग्या,
प्रयोजनवती लक्षणा

कोयल गा रही है ।

(यहाँ किसी मधुकंठी गायिका को लक्ष्य कर 'कोयल' कहा गया है ।)

कोयल का वाच्यार्थ एक पक्षी है, जिसका स्वर अत्यन्त मधुर होता है । उक्त मुख्यार्थ मनुष्य जाति में बाधित है ।

स्वर में समान माधुर्य होने से कोयल और गायिका में सादृश्य संबंध है । इसी संबंध द्वारा कोयल पद से गायिका रूप लक्ष्यार्थ हुआ ।

गायिका को कोयल कहने में प्रयोजन है । वह यह कि स्वर में जो माधुर्य है उसकी अतिशयिता प्रतीत हो । इससे यह प्रयोजनमूला लक्षणा है ।

यह कोयल पद अपना अर्थ एकदम छोड़कर गायिका के अर्थ में प्रतिष्ठित हो गया है । इससे यह लक्षणलक्षणा है ।

यहाँ आरोप के विषय गायिका का कथन नहीं है । कोयल शब्द का अर्थ गायिका रूप अर्थ में अभ्यवसित हो गया है । इससे यह साध्यवसाना है ।

यहाँ का व्यंग्य—स्वर में माधुरी की अधिकता—सर्वसाधारणगम्य नहीं है । अतः यह गूढव्यंग्या है ।

धर्मी गायिका में नहीं, प्रत्युत उसके धर्म उत्कृष्ट स्वर-माधुरी में प्रयोजन है । अतः यहाँ धर्मगता लक्षणा है ।

यदि इसमें कोयल के पहले गायिका के निर्देश के लिये 'यह' सर्वनाम—विषय—उक्त हो जाय तो यह सारोपा का भेद हो जायगा ।

इसी प्रकार लक्षणा के भेदोपभेदों के लक्षणों और उदाहरणों का समन्वय होता है । मिश्रित का एक पद्योदाहरण लें ।

शुद्धा-गौणी, सारोपा, उपादानमूला, धर्मि-धर्मगता, गूढ़ा और
प्रयोजनवती लक्षणा

मिठी के पुतले आन कठिन चटानशिला ये भेद चले ।

बढ़ अग्निसेज मृत्युञ्जय ये प्रह्लाद सरीखे फूल चले ॥—केसरी

अर्थ है—साधारण मनुष्य भी समर में असाधारण सैन्य का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भयानक युद्धभूमि में वैसे ही विजयी बन रहे हैं जैसे कि प्रज्वलित अलतन में पैठ कर प्रह्लाद फूल से फूले रहे ।

८ गौणी, सारोपा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढव्यंग्या,
प्रयोजनवती लक्षणा

कोयल गा रही है ।

(यहाँ किसी मधुकंठी गायिका को लक्ष्य कर 'कोयल' कहा गया है ।)

कोयल का वाच्यार्थ एक पक्षी है, जिसका स्वर अत्यन्त मधुर होता है । उक्त मुख्यार्थ मनुष्य जाति में बाधित है ।

स्वर में समान माधुर्य होने से कोयल और गायिका में सादृश्य संबंध है । इसी संबंध द्वारा कोयल पद से गायिका रूप लक्ष्यार्थ हुआ ।

गायिका को कोयल कहने में प्रयोजन है । वह यह कि स्वर में जो माधुर्य है उसकी अतिशयिता प्रतीत हो । इससे यह प्रयोजनमूला लक्षणा है ।

यह कोयल पद अपना अर्थ एकदम छोड़कर गायिका के अर्थ में प्रतिष्ठित हो गया है । इससे यह लक्षणलक्षणा है ।

यहाँ आरोप के विषय गायिका का कथन नहीं है । कोयल शब्द का अर्थ गायिका रूप अर्थ में अव्यवसित हो गया है । इससे यह साध्यवसाना है ।

यहाँ का व्यंग्य—स्वर में माधुरी की अधिकता—सर्वसाधारणगन्य नहीं है । अतः यह गूढव्यंग्या है ।

धर्मी गायिका में नहीं, प्रत्युत उसके धर्म उत्कृष्ट स्वर-माधुरी में प्रयोजन है । अतः यहाँ धर्मगता लक्षणा है ।

यदि इसमें कोयल के पहले गायिका के निर्देश के लिये 'यह' सर्वनाम—विषय—उक्त हो जाय तो यह सारोपा का भेद हो जायगा ।

इसी प्रकार लक्षणा के भेदोपभेदों के लक्षणों और उदाहरणों का समन्वय होता है । मिश्रित का एक पद्योदाहरण लें ।

शुद्धा-गौणी, सारोपा, उपादानमूला, धर्मी-धर्मगता, गूढ़ा और
प्रयोजनवती लक्षणा

मिठी के पुतले आज फठिन चशनशिला ये भेद चले ।

चढ़ अग्निसेज मृत्युञ्जय ये प्रह्लाद सरीखे फूल चले ॥—केसरी

अर्थ है—साधारण मनुष्य भी समर में असाधारण सैन्य का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भयानक युद्धभूमि में वैसे ही विजयी बन रहे हैं जैसे कि प्रज्वलित अग्निलो में पैठ कर प्रह्लाद फूल से फूले रहे ।

उजले घोड़े का आक्षेप करता है। इससे इससे उपादानमूला है। उजले घोड़े की जगह 'उजला' बोलने की प्रसिद्धि है। इससे रुद्धि है। अथवा

एरे मतिमंद चंद्र आवत न तोहि लाज

होके द्विजराज काज करत कसाई के ॥ —पद्माकर

यहाँ द्विजराज (चन्द्रमा) पर द्विजराज (ब्राह्मण) का आरोप किया गया है। नामैक्य सम्बन्ध से आरोप होने के कारण शुद्धा है। उपादानमूला इसलिये है कि आरोप-विषय द्विजराज अपना अर्थ नहीं छोड़ता। द्विजराज शब्द चन्द्रमा और ब्राह्मण दोनों में रुद्ध है। इस प्रकार उपर्युक्त भेद का यह उदाहरण हुआ।

३ गौणी, साध्यवसाना, उपादानमूला, रुद्विलक्षणा

कौन सी है गौंठ जिन्को खोल वे सकते नहीं। —हरिश्चौध

यहाँ गौंठ में कठिन कार्य का अध्यवसान है। क्योंकि 'गौंठ खोलना' एक मुहावरा है जो कठिन कार्य कर डालना, पेचीदा मामलों को सुलभता देना आदि अर्थ देता है। अतः साध्यवसाना रुद्विलक्षणा है। गौंठ खोलना कठिन कार्यों में भी पड़ता है। इससे यह अपना अर्थ न छोड़ते हुए अन्यान्य कठिन सुलभताओं का उपादान करता है। गौंठ खोलने और कठिन कार्यों के सुलभाने में सादृश्य सम्बन्ध है। अतः गौणी और उपादानाम् ला है

४ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, रुद्विलक्षणा

क्षण भर में देखी रमणी ने, एक श्याम शोभा बाँकी।

क्या शय्य स्थानल भूलता ने, दिखायी निज नर-भाँकी ॥ —शुतजी

यहाँ 'सौवली सूरत' 'मोहनी मूरत' के समान ही 'बाँकी श्याम शोभा' का भी प्रयोग है जो सौवली सूरतवाले के लिये निरन्तर व्यवहार में—बोलचाल में—आने के कारण एक प्रकार से रुद्धि है। श्याम शोभा राम में समवाय सम्बन्ध से है। इससे शुद्धा है। श्याम शोभा में अनुक्त राम का अध्यवसान है। अतः साध्यवसाना है। यह उपर्युक्त भेद का वाक्यात उदाहरण है। अथवा

शान्ति अहिंसा में सदा जिनकी भक्ति अट्ट ।

गांधी जी को देखने शहर पहा था दृष्ट ॥ —राम

इसमें अतः शहर के उपस्थित होने का अर्थ बाधित है। शहर से शहर में रहनेवालों का लक्ष्यार्थ लिया गया है। शहर अपना अर्थ न छोड़ते हुए शहरवालों का आक्षेप करता है। अतः उपादानमूला है।

यहाँ केवल विषयी—उपमान 'अनल सेज' का ही कथन है, उपमेय का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः साध्यवसाना स्पष्ट है। लक्षणलक्षणा इसलिये है कि 'अनल सेज' अपना अर्थ सर्वाशान्त छोड़कर दुःख के संताप का बोध करता है। अनल सेज और दुःख-संताप में सादृश्य संबंध होने के कारण गौणी है। दुःख के दाह में 'अनल सेज पर सोना' एक प्रकार का मुशवरा होने से रूढ़ि है। वाक्य में होने से वाक्यगता है।

= शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, रूढ़िलक्षणा

रोड़े डाल रहे हो क्यों तुम आजादी के पथ में।

गड्ढे में क्यों उसे दे रहे बैठे हो जिस रथ में ॥

जन्म लिये हो यहीं यहीं के दागों से पलते हो।

ऐ भारत के जयचन्दो ! फिर इसी राह चलते हो ॥

आजादी के पथ में रोड़े डालनेवाले और जयचन्द में तात्कर्म्य सम्बन्ध होने से शुद्धा है इसमें केवल विषयी—उपमान 'मे भारत के जयचन्दो' का ही कथन है, विषय उपमेय का नहीं अतः साध्यवसाना है। लक्षणलक्षणा इससे है कि जयचन्द अपने अर्थ को बिल्कुल छोड़ कर देशद्रोही का अर्थ प्रकट करना है। देशद्रोही के अर्थ में जयचन्द शब्द अत्यन्त प्रसिद्ध है। अतः पदगता रूढ़िलक्षणा है।

सोलहवीं किरण

प्रयोजनवती धर्मगता लक्षणा के सोदाहरण विरोध भेद

१ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, गूढा, धर्मगता, प्रयोजन वती लक्षणा

अन्नदाता है धीर किसान, सिफही-दिखलाले हैं शान।

उपाते उन्हें तमाचा तान, तुम्हें क्या सूना है भगवान ॥ —सनेही

किसान में अन्नदाता का आरोप है। किसान अन्नदाता नहीं, अन्नोत्पादक है। अर्थप्राप्त होने से अन्नदाता अन्नप्राप्ति के साधक का अर्थ देता है। इसमें अन्नदाता अपना अर्थ नहीं छोड़ता। इससे सारोपा, उपादानमूला है। सादृश्य सम्बन्ध होने से गौणी है। प्रयोजन

किसानों की उदारता, स्वयं दुःख सहकर दूसरों को सुख देना आदि । किसान की महत्ता दिखलाना प्रयोजन होने से धर्मगता है । अन्न-दाता कहने का जो गूढ़ प्रयोजन है । वह सर्वजन-मुलभ नहीं । इससे गूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा है ।

२ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, अगूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा

एक छोटी भोपड़ी खर घास पात पुआल वाली ।

भोपड़ी बैसी अरे वह छिद्रवाली एक जाली ॥ —केसरी

यह एक भौंभर भोपड़ी का वर्णन है । भोपड़ी में जाली का आरोप है । भोपड़ी जाली नहीं हो सकती । इससे जाली अगणित छेदवाली, जाली वनी भोपड़ी के अर्थ का उपादान करती है । सादृश्य सम्बन्ध से गौणी है । द्वात्रिंशत् की अधिकता सूचना प्रयोजन है यह धर्मगत और अगूढ़ है । अतः उपर्युक्त लक्षणा का यह उदाहरण हुआ ।

३ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा

भारत के बालीस कोटि का मोहक मन्त्र बना तेरा स्वर ।

तू भारत का बृहत्पराक्रम तुझमें भारतवर्ष बृहत्तर ॥ —पांडे

गाँधीजी के स्वर—उच्चरित में मन्त्र का आरोप है । यह आरोप सामान्य-विशेष संबन्ध से है । अतः शुद्धा सारोपा है । गाँधीजी का स्वर मन्त्र नहीं हो सकता । इस अर्थबाध को मिटाने के लिये स्वर अपना अर्थ रखते हुए प्रभावशाली शब्द रूप अर्थ का उपादान करता है ।

मन्त्र के सम्बन्ध में तुलसीदासजी ने कहा है “मन्त्र परम लघु जसु बस, विधि हरि हर सुर सर्व ।” यही गुण गाँधीजी के स्वर में अर्थात् उक्ति में है उनका स्वर शत्रु-मित्र, शिक्षित-अशिक्षित, ग्रामीण-नागरिक, मूढ़-चतुर, सब पर एक समान जादू का-सा असर डालता है । स्वर का यही सामर्थ्य और उसकी प्रेरणात्मक शक्ति का प्रदर्शन ही प्रयोजन है जो गूढ़ है । प्रयोजन स्वर के धर्म में होने से धर्मगता प्रयोजनवती लक्षणा है ।

४ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, अगूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा

पुण्य भूमि है स्वर्ग भूमि है जन्मभूमि है देश यही ।

इससे बढ़कर या ऐसी ही दुनिया में है जगह नहीं ॥ —रु० ना० पांडेय

देश में जन्मभूमि का आरोप है। समस्त देश सबकी जन्मभूमि नहीं हो सकता। क्योंकि, जन्मस्थान तो देश के एक छोटे से स्थान पर कहीं होगा। इससे जन्मभूमि का लक्ष्यार्थ होता है जिस देश में जन्म लिया है उस देश की भूमि। यहाँ जन्मभूमि देश-भूमि का उपादान करती है। इससे उपादान-मूला है। जन्मभूमि तथा देश से अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध है जिससे शुद्धा है। प्रयोजन है स्वदेश की महत्ता का द्योतन, जो धर्मगत और अगूढ़ है।

५ गौणी, साध्यवसाना, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मगता,
प्रयोजनवती लक्षणा

हम पाँचों सवार जाते हैं एक साथ ही दिल्ली,
पिछरी देख सवारी मेरी यों न उड़ावो खिल्ली।
ये चारों ही हरकारे हैं आये मुझको लेने,
मैं जाता हूँ बादशाह को असली जीनत देने।—हिन्दी प्रेमी

यह गधे पर सवार एक धोबी की उक्ति है। गधे पर चढ़नेवाला सवार नहीं हो सकता। किन्तु आरोही होने के कारण सादृश्य सम्बन्ध से वह अपने को भी सवारों में शामिल कर रहा है। इससे उपादानमूला गौणी है। सबके लिये प्रयुक्त बहुवचनान्त 'हम' में वक्ता धोबी का अध्य-वसान है। प्रयोजन है अपने को सवार कहकर अपना मान बढ़ाना। उसका यह अभिप्राय स्पष्ट नहीं। इससे गूढ़व्यंग्या और मान बढ़ाना-गुण में होने से धर्मगता प्रयोजनवती लक्षणा है।

६ गौणी, साध्यवसाना, उपादानमूला, अगूढ़ा, धर्मगता,
प्रयोजनवती लक्षणा

इस दुनिया से जिसे मोह हो बैठे छिपा घरोंदों में।
इन्कलाव से जो डरता हो बैठे सरसों-कोदो में ॥—नरेन्द्र

घरोंदों में छोटे-छोटे घरों का अध्यवसान है। घरोंदा अपना अर्थ रखते हुए निर्वाह के योग्य संकीर्ण तथा छोटे-छोटे घरों का उपादान करता है। इससे उपादानमूला साध्यवसाना है। दोनों में समानता के कारण सादृश्य सम्बन्ध होने से गौणी है। प्रयोजन है मजदूरों की दीनता और दुर्दशा प्रगट करना। यह धर्म में रहने के कारण धर्मगत और स्पष्ट होने से अगूढ़ है। क्योंकि, मजदूरों के आपार कष्टों को जो कल्पना है वह सहज-सर्वेच है। अथवा

मैं सुनता उस पार कुटी में भूये शिशुओं की चीत्कारें।
मैं सुनता उस चुकी ठठरियों के घावों की हरी पुश्तें ॥—दिनकर

शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, अगूढ़ा, धर्मगता,
प्रयोजनवती लक्षणा

चूती जिनकी खपरैल सदा वरां श्रीं मुसलमानों में ।

टह जाती है कबो दिवार पुरवाइं श्रीं कौड़गों में ॥ सां० ला० द्विवेदी

यहाँ खपरैल में खपरैल मकान का अध्ययमान है । खपरैल अपना अर्थ रखते हुए खपरों से छाये हुए मकान को जताती है । निर्यनतासूचन प्रयोजन है । अतः उपादानगता प्रयोजनवती है । मकान का अशुद्ध ध्वन न होने से साध्यवसाना और अवयवावयवीभाव सम्बन्ध होने में शुद्धा है । खपरैल के धूने से गरबि होने का बोध गूढ़ नहीं है । निर्यनता में प्रयोजन होने से धर्मगता और वाक्य में होने में वाक्यगता है ।
अथवा—

बहाँ न लक्षती दाड़ी-चोटी बहाँ नहीं मरुदागी ।—नंग्र

दाड़ी और चोटी में मुसलमान और हिन्दू का अध्ययमान है । इन दोनों का लड़ना अममय है । दाड़ी और चोटी, दाड़ा रमनेदगे मुसलमान और चोटी रमनेवाले हिन्दू का उपादान अर्थ है । सम्बन्ध होने से शुद्धा है । प्रयोजन है स्त्रियों का अभावः गुरुप्राग असाभ्रदायिक और स्वदेशप्रेमी होना आदि बताना । एका आदि धर्म में होने से धर्मगता और अशुद्ध होने में अगूढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा है ।

६ गौणी, मारोपा, लक्षणमूला, गूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा
नारी के नयन

त्रिगुणात्मक ये नयन

द्विगुण प्रमथ नहीं करते

धैर्ये द्विगुण ये नहीं करते

नहीं अथ वेग ये ।—प्रभाद

नारी के नयनों पर त्रिगुणात्मक मन्त्रिपान का आगेव है । मन्त्रिपान सम्बन्ध से गौणी है । त्रयोक्त, दोनों में सादक आदि धर्म की मन्त्रिपान है । त्रिगुणात्मक मन्त्रिपान अपना अर्थ सादक, सादक, सादक आदि कर दे देता है । इसमें लक्षणलक्षणा है । प्रयोजन है नेत्रों की मन्त्रिपान समझे स्वयंसाधारिणी शक्ति का दर्शन । धर्म में होने में धर्मगता और सहृदय मन्त्रिपान ही होने के कारण गूढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा है । इसपर यह प्राचीन दोहा याद आ जाता है ।

अभी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार ।

जियत मरत भुकि भुकि परत जेहि चितवत शकवार ।

एक उदाहरण और लें—

लेना अनल किरोट भाल पर ओ आशिक होने वाले । दिनकर

किरोट पर अनल का आरोप है । भाल पर अनल-किरोट धारण करना अर्थात् विपद् मोल लेना है । इस सादृश्य सम्बन्ध से गौणी है । अनल-किरोट अपना अर्थ छोड़कर आपत्ति मोल लेने—संकट उठाने, का अर्थ देता है । इससे लक्षणलक्षणा है । प्रयोजन है प्रेमियों के, विशेषकर देश-प्रेमियों के अपार कष्ट सहने, मौत के साथ खेलने आदि का प्रदर्शन । यह सहजगम्य न होने से गूढ़ है । इससे गूढ़व्यंग्या प्रयोजनवती लक्षणा है । विपद् की अधिकता और कठिनता में फल होने से धर्मगता और पदगता है ।

१० गौणी, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती
लक्षणा

अरुण कण विम्ब

भस्मरहित ज्वलनपिण्ड

विकल विवर्तनों से, विरल प्रवर्तनों में

अमित नमित सा

पश्चिम के व्योम में आज निरवलम्ब सा । प्रसाद

सूर्य के अरुण विम्ब में ज्वलन-पिण्ड का आरोप है । सादृश्य सम्बन्ध से गौणी है । ज्वलन-पिण्ड अपना अर्थ छोड़कर अंगार-सा लाल सतेज अर्थ देता है, जिससे लक्षणलक्षणा है । प्रयोजन है सूर्य-विम्ब की अरुणिमा का अतिशय चोतन । धर्म में फल के होने से यहाँ की लक्षणा धर्मगता और स्पष्ट होने से अगूढ़ा, पदगता, प्रयोजनवती लक्षणा है । अधत्रा

वे मिट्टी के पुतले हैं हट रहें तो हटें

वे माया के बंधन हैं हट रहें तो हटें ।—हरिकृष्ण प्रेमी

यहाँ 'वे' परिवार जन के लिये आया है । उन पर मिट्टी के पुतलों का आरोप आकार-प्रकार और नश्वरता के सादृश्य सम्बन्ध से होने के कारण गौणी है । माया के बन्धन का भी आरोप है, किन्तु, तात्कर्म्य सम्बन्ध होने से शुद्धा है । मिट्टी के पुतले अपना अर्थ छोड़कर नश्वर होने का अर्थ देते हैं । इससे लक्षणलक्षणा है । प्रयोजन है परिवार के

लोगों को तुच्छ, प्रेम के अयोग्य तथा क्षणजीवी बताना । नखरता आदि धर्म में होने से धर्मगता और स्पष्ट होने के कारण अगूढ़ा, प्रयोजनवती लक्षणा है ।

११ शुद्धा, सारोपा, लक्षणा मूला, गूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा

गरजन के द्रुत तालों पर चपला का वेषुध नर्तन ।

मेरे मन बाल-शिखी में संगीत मधुर जाता धम ।—म० दे० पर्मा

यहाँ मन में बाल-शिखी का आरोप है । मेघों का गर्जन सुनकर मोरों के अन्दर आनन्द होना और नृत्य करना उनका स्वभाव है । इसी को लेकर मन पर बालशिखी का आरोप है । अतः तात्कर्म्य सम्बन्ध से शुद्धा सारोपा है । लक्ष्यार्थ होता है वर्षागम से चित्त का आनन्दित होना । इसके लिये मन बालशिखी में अपना अस्तित्व खो देता है । कहना चाहिये कि दोनों पंक्तियों ने अपना संपूर्ण अर्थ छोड़कर उक्त लक्ष्यार्थ को दे दिया है । यहाँ कवि को मन की मस्ती, सरसता, प्रकृति-प्रियता आदि प्रयोजन दर्शाना है । मन के आनन्दातिरेक में प्रयोजन होने के कारण धर्मगता और गूढ़ा है । क्योंकि, यहाँ का प्रयोजन साहित्यमर्मज्ञों के ही बोध का विषय है । पद में होने से पद्मगता प्रयोजनवती है ।

अश्रु गङ्गा-स्नात प्राणों के प्रदीप जला निशा भर,

अर्चना आतुर जगी पीड़ा अबल अराधिनी सी

शून्य मेरे गगन में सृति तुम्हारी बाँदनी सी ।—जा० ब० शास्त्री

अश्रु गंगा नहीं हो सकता । इससे लक्ष्यार्थ लिया जाता है अश्रु का अनवरत प्रवाह । गंगा शब्द अपना अर्थ छोड़कर (आँसू का) धारा-प्रवाह बहना अर्थ प्रगट करता है । इससे लक्षणा लक्षणा है । आँसू का आधिक्य द्योतन प्रयोजन होने से प्रयोजनवती है । गंगा के समान स्नानादि कर्म अश्रु के द्वारा होने के कारण तात्कर्म्य सम्बन्ध से शुद्धा और विषयो तथा विषय के द्यन से सारोपा है । इस सम्पूर्ण धर्षण से अनुभूति अश्रु गंगा स्नान से जो अत्यन्त विरह-वेदना का बोध होता है, वह गूढ़ है । अश्रु का आधिक्य बताने से धर्मगता और अश्रु गंगा में होने से पद्मगता है ।

१२ शुद्धा, सारोपा, लक्षणा मूला, अगूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा

इक मन का कोनल राजा था इक मन की कोनल रानी थी ।

उनकी दुन्दुवाँ मीठे सदनो के एक प्रेम-कहने थी ॥—सुदर्शन

यहाँ दुनियाँ पर प्रेम-कहानी का आरोप है। दोनों का आनन्द देना एक सा कर्म है। अतः शुद्धा सारोपा है। सपनों की प्रेम-कहानी अपना अर्थ आनन्द-दान को दे देती है। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है राजा-रानी की दुनिया में सुख का आधिक्य बताना। अभिप्राय यह है कि दोनों अपनी दुनिया में सुखी थे। प्रयोजन स्पष्ट होने से अगूढ़ा और आनन्दाधिक्य में होने से धर्मगता। सम्पूर्ण वाक्य में होने से वाक्यगता है।

१३ गौणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढ़ा, धर्मगता
प्रयोजनवती लक्षणा

अरुण पराग जलज भर नीके। शशिहिं भूष अहि लोभ अमी के। —तुलसी
इस चौपाई में विवाह के समय सीताजी की माँग में रामचन्द्रजी के हाथ से सिन्दूर-दान का वर्णन है। सम्पूर्ण चौपाई में केवल उपमानों का ही कथन है और सभी उपमयों का अध्यवसान। अरुण पराग में सिन्दूर, जलज में हाथ, शशि में जानकी का मुख, अहि में राम की चोंह और अमी में जानकी का मुख-सौन्दर्य अध्यवसित हैं। इन सब उपमयों और उपमानों में सादृश्य सम्बन्ध से गौणी है। उक्त पदसमूहों का वाच्यार्थ यही हो सकता है कि एक सौँप कमल में लाल पराग भरकर चन्द्रमा को अमृत पाने के लोभ से भूषित करता है। इस वाच्यार्थ से यहाँ कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। यहाँ आरोप-विषयों का निर्देश न होने से साध्यवसाना है। प्रयोजन है सिन्दूर में स्निग्धता, हाथ में कोमलता और सुन्दरता, मुख में सौन्दर्याधिक्य और हाथ में सुखवर्श के लिये विकलता और औत्सुक्य आदि। आरोप-विषय उपमयों का स्वार्थ-त्याग होने से लक्षणलक्षणा है। यहाँ उपमानभूत विषयी से लक्षणा का कोई प्रयोजन न होकर उपमानगत उक्त धर्मों से है। इसीसे धर्मगता और सर्वत्र प्रयोजन असाधारण होने से गूढ़ा तो है ही। वाक्य में होने से वाक्यगता प्रयोजनवती लक्षणा है। अथवा

उपल हो ! आशो पुजोने प्रणय मन्दिर रिक्त मेरा ।

अनल हो ? आशो न आहुति को हृदय अभिषिक्त मेरा ॥—जा० व० शास्त्री

इसमें केवल विषयी—आरोप्यमाण उपल और अनल का शब्दतः कथन है। विषय अर्थान् व्यक्ति का नाम नहीं है। अतः साध्यवसाना है। सादृश्य सम्बन्ध से अध्यवसान होने के कारण गौणी है। उपल और अनल का लक्ष्यार्थ होता है कठोर और दाहक। यही व्यक्ति-विशेष

में संभव है । उपल और अनल मुख्यार्थ छोड़कर लक्ष्यार्थ को ही लेते हैं । अतः लक्षणलक्षणा है । प्रयोजन है प्रेमी को अतिनिष्ठुर और अति दुःखदायक बनाना जो सहज-गम्य न होने के कारण गूढ़ है । कठोरता और दाहकता धर्म में होने से धर्मगता और पदों में पृथक्-पृथक् होने से पदगता प्रयोजनवती लक्षणा है ।

१४ गौणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, अगूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा

नीलोत्पल के बीच सजाये मोती से आँसू के बूँद ।

हृदय सुधानिधि से निकले हो सब न तुम्हें पहचान सके ।—प्रसाद

नीलोत्पल के बीच में मोती के सदृश आँसू के बूँद सजे हैं । इस अर्थ में बाधा स्पष्ट है । किन्तु आँसू के सहारे नीलोत्पलों में अव्यवसित उपमेय नयनों का शोभन बोध हो जाता है । प्रयोजन है । नयनों का अतिशय सौन्दर्य दिखाना । यह स्पष्ट है । अतः साध्यवसाना अगूढ़ा है । उपमान और उपमेय में सादृश्य सम्बन्ध होने से गौणी है । नीलोत्पल अपना अर्थ छोड़कर आँसू का अर्थ देता है । अतः लक्षणलक्षणा है । सौन्दर्याधिक्य में प्रयोजन होने से धर्मगता है और पदगता भी ।

१५ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा

नग्न बाहुओं से उछालती नीर ।

तरंगों में डूबे दो कुमुदों पर हँसता था एक कलाधर

ऋतुराज दूर से देख उसे होता था अधिक अधीर ।—निराला

यहाँ कुमुद और कलाधर के उपमेय अव्यवसित हैं । बीच की पंक्तियों का अर्थ होगा दिन में भी तरंगों में डूबे हुए दो कुमुदों पर एक कलाधर—चन्द्रमा, हँसता था । डूबे कुमुदों में द्विवचन और हँसते चन्द्रमा में एकवचन कुछ अर्थ रखते हैं । लक्ष्यार्थ है (उस नायिका के) तरंगों में डूबे हुए दो उरोज और उनपर खिला हुआ उसका मुखड़ा । इस लक्ष्यार्थ के लिये कुमुद और कलाधर अपनी अपनी सत्ता छोड़कर उन अव्यवसित उपमेयों में लीन हो जाते हैं । प्रयोजन है नायिका की पयः सन्धि की अबाधा में कुमुदोपम उरोजों को देखकर प्रसन्न होने की विशेषता और मुख में सुकुमारता, मधुरता तथा सुन्दरता, जो कलाधर शब्द से व्यक्त होता है, दिखाना । कुमुदों के समान उरोजों का अभिनव चद्रभेद और कलाधर के समान मुख का उल्लास दिखाने से तात्पर्य

सम्बन्ध होने के कारण शुद्धा है। मनोहरता आदि धर्मों में प्रयोजन होने से धर्मगता और साथ ही सर्वसाधारण के बोधगम्य न होने के कारण गूढ़ा है और वाक्य में होने से वाक्यगता भी। अथवा

पिताने को कहीं से रक्त लावें दानवों को।

नहीं क्या स्वत्व है प्रतिशोध का हम मानवों को।—दिनकर

यहाँ रक्त में श्रमोपार्जित धन और दानवों में क्रूर अत्याचारियों का अध्यवसान है। क्योंकि आरोप्यमाण ही उक्त है, आरोप-विषय नहीं। रक्त और धन में सामान्य-विशेष सम्बन्ध और दानव तथा अत्याचारियों में तात्कर्म्य सम्बन्ध होने से शुद्धा साध्यवसाना है। मुख्यार्थ को छोड़ लक्ष्यार्थ ग्रहण करने से लक्षणलक्षणा है। कृषकों का खून पसीना एक कर उपार्जित किये हुए और विलम्बते हुए बच्चों के मुख से छीने हुए घ्रास तक का रईसों को दे देना, जो रक्षा के नाम पर वीभत्स नृत्य दिखलाते हैं, प्रयोजन है। यह गूढ़ है। उपार्जित अन्न की महत्ता और अत्याचारियों की क्रूरता में प्रयोजन होने से धर्मगता और पदगता है।

१६ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, अगूढ़ा, धर्मगता प्रयोजनवती लक्षणा

प्रथम भी ये नयनों के ढाल खिलाये हैं नादान।

आज मणियों ही की तो माल हृदय में बिखर गयी अनजान।

टूटते असंख्य उडुगन दिल हो गया चाँद का ढाल।

गल गया मन मिश्री का कन नयी सीखी पलकों ने वान।—पंत

यहाँ बीच की दो पंक्तियों में शब्दतः कथित उपमानों के उपमेय अश्रुकरण अध्यवसित हैं। बिखरना तथा टूटना आदि कार्य एक समान होने के कारण तात्कर्म्य सम्बन्ध से शुद्धा है। पंक्तियों के उक्त उपमान अपने अर्थ छोड़कर अश्रुत्रिन्दुओं के बोधक बन जाते हैं। इससे लक्षण-लक्षणा है। अत्यधिक आँसू गिरने से वेदनाधिक्य प्रकट करना प्रयोजन है। लक्ष्यार्थ के धर्म में होने से धर्मगता है। 'नयनों के ढाल' और 'पलकों ने सीखी वान', इन वाक्यों से यहाँ अश्रुकरण का अध्यवसान और उसका प्रयोजन गूढ़ नहीं है। अतः अगूढ़ा, वाक्यगता प्रयोजनवती लक्षणा है।

सत्रहवीं किरण

२ प्रयोजनरती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद (धर्मिगता)

धर्मिगता लक्षणा के समान सत्र भेदों के उदाहरण न देकर धर्मिगता लक्षणा के सामान्यतः कुछ ही उदाहरण दिये जाते हैं ।

१ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, अगूढा, धर्मिगता,
प्रयोजनरती लक्षणा

ये बाबू बाराती आये कुछ भेंगनी के घोड़े लाये । —राम

यहाँ सादृश्य सम्बन्ध से 'ये' दृश्यमान सर्वनाम पर बाबूपन का आरोप है । बाबू शब्द यथार्थ में अपना अर्थ रखते हुए बने हुए वायुओं का उपादान करता है । इससे गौणी, सारोपा, उपादानमूला है । सच्चे वायुओं के समान बने हुए वायुओं की ओर ध्यान दिलाकर उनका व्यक्ति-वैचित्र्य दिखाना प्रयोजन है, जो सहज-गम्य होने से अगूढ है । वायुओं में प्रयोजन होने से धर्मिगता और पदगता प्रयोजनरती लक्षणा है ।

२ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूढा, धर्मिगता,
प्रयोजनरती लक्षणा

तुम आती हो—

घन सा विपाद पुल जाता है, अबसाद शेष पुल जाता है,

छाया मलीन पल में विलीन हो जाती है,—हो जाता है

पल में मेरा कुछ और, और ये और रूप ! —नरेन्द्र

यहाँ रूप में 'और से और' का आरोप है । रूप में विशेषता आ जाने से सामान्य-विशेष सम्बन्ध होने के कारण शुद्धा है । रूप 'और ढंग' का नहीं हो जा सकता । इस अर्थवाधा को मिटाने के लिये रूप अपना अर्थ रखते हुए रूप की अनुपमता रूपों अर्थ का उपादान करता है । रूप का ही वैचित्र्य और वैशिष्ट्य बताना प्रयोजन है, जो धर्मों में है । अतः उपादानमूला धर्मिगता है । प्रेयसी का समागम कितना सुखकर है और यह क्या से क्या नहीं कर देता है ! रूप का और, से कुछ और हो जाना, यहाँ सहृदय-भवेद्य ही है । चिहारी की भी ऐसी ही एक लक्षि है—

बह चितवनि औरें रुद्रु, जेहि घरा होत सुजान ।

यहाँ कंकाल स्पर्ध स्वते हुए सादृश्य सम्बन्ध से दुर्बल देह, दीन, कंकालधरूप किसानों के अर्थ का उपादान करता है। अतः उपादानमूला गौणी है। कंकाल में कृशकाय किसानों का अध्यवसान है। क्योंकि, आरोप का विषय उक्त नहीं है। यहाँ किसानों की विशेष क्षमता बतलाना प्रयोजन है। इस विशेषता में साम्राज्य भर के भोजन का भार उठाना ही सम्मिलित है। इससे गुण-धर्म की अपेक्षा उसका अन्य देश के किसानों से वैशिष्ट्य ही ध्योतित होता है। उक्त प्रयोजन गूढ़ है। क्योंकि, यहाँ का विरोधाभास समझना और उसके अन्तर्गत तक पहुँचना सर्वसाधारण के लिये कठिन है। कंकाल में प्रयोजन होने से धर्मिगता और पद्मता प्रयोजनवती लक्षणा है।

५ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मिगता, प्रयोजनवती लक्षणा

हे अपूर्व यह गुद हमारा हिता की न लड़ाई है।

नंगी छाती को लोको के ऊपर विकट चढ़ाई है ॥ —नेपाली

नंगी छाती में निरस्य व्यक्ति का अध्यवसान है। नंगी छाती से नंगी छातीवाले व्यक्तियों का उपादान होता है। अंगंगिमात्र सम्बन्ध से शुद्धा है। प्रयोजन है नंगी छातीवाले अर्थान् निरस्य सत्याग्रही योद्धाओं का अन्य सशस्त्र योद्धाओं की अपेक्षा वैचित्र्य प्रकट करना। यह प्रयोजन गूढ़ है। क्योंकि, साधारण जन सत्याग्रहियों के दूसरे के प्रहार को सह लेना, स्वयं प्रहार न करना, इस वैशिष्ट्य को नहीं समझते और न यही मानते हैं कि अत्याचारियों के अत्याचार सत्याग्रह के समस्त अस्फल ही हो जाते हैं और उन्हें सत्य के सामने एक न एक दिन सिर झुकाना ही पड़ता है। इस वैलक्षण्य के सत्याग्रही में होने के कारण धर्मिगता प्रयोजनवती लक्षणा है। ऐसी ही गूढ़ पंक्ति दिनकर की भी है—वनकर बिजली का वार सदे, यह गर्व नये राने का है।

६ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, अगूढ़ा, धर्मिगता, प्रयोजनवती लक्षणा

किसी राष्ट्र की आशा ये यह, उलझे क्या मादम । —मुमन

यह पद्यांश कलकत्ते के पुष्टपाथ पर भूख से विलसते हुए पत्रों की मीठ के गुँह में जते देवदर नवि की उक्ति है।

बच्चों में राष्ट्र की आशा का अध्यवसान है। राष्ट्र की आशा राष्ट्र के आशापूरक या भविष्य-विधायक रूप अर्थ का उपादान करती है। दोनों में पूर्णपूरक भाव या विधेय-विधायक-भाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है। बच्चों को राष्ट्र की आशा-भरोसा कहना, उनका औरों से विलक्षण देश-हितकारक होना प्रकट करता है। इससे धर्मिगता है। प्रयोजन स्पष्ट होने से अगूढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा है। अथवा

अब भी सत्याग्रह सिखलाया है गोरों को कालों ने। — गुप्तजी

कालों और गोरों में हिन्दुस्तानियों और अंग्रेजों का अध्यवसान है और ये काले तथा गौरे रंगवाले मनुष्यों अर्थात् भारतीयों और अंग्रेजों का उपादान करते हैं। अतः उपादानमूला साध्यवसाना है। समवाय सम्बन्ध से शुद्धा है। अंग्रेजों की दृष्टि में हेय होते हुए भी हिन्दुस्तानियों को शिक्षागुरु बतलाना प्रयोजन है, जो स्पष्ट है। यहाँ भारतीयों के ही वैशिष्ट्य बताने के कारण धर्मिगता प्रयोजनवती लक्षणा है।

७ गौणी, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढ़ा, धर्मिगता, प्रयोजनवती, लक्षणा
मेरा जीवन इन्द्रधनुष का कानन।

जीवन की रंगीनियों का सादृश्य सम्बन्ध लेकर इन्द्रधनुष का आरोप होने से गौणी सारोपा है। इन्द्रधनुष का कानन अपना अर्थ जीवन की विविधता को दे देता है। अतः लक्षण-लक्षणा है। प्रयोजन है विविधता और अनेकरसता में भी जीवन का एक-समान सौन्दर्य-प्रदर्शन, जो साधारणतः अलभ्य है। अतः जीवन का वैशिष्ट्य प्रदर्शन होने से धर्मिगता और फल स्पष्ट होने से अगूढ़व्यंग्या प्रयोजनवती लक्षणा है।

८ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, अगूढ़ा, धर्मिगता,
प्रयोजनवती लक्षणा

बागी दागी कहलाने पर जरा न मन में गुरभाया।

अग्रशिक्षित कंसो ने सम्मुख ही सहसा कृष्ण खड़ा पाया। — भा० आत्मा

यहाँ कंसों में अत्याचारियों का और कृष्ण में तिलक का अध्यवसान है। तात्कर्म्य सम्बन्ध होने से शुद्धा है। कंसों ने अपना अर्थ अत्याचारियों को और कृष्ण ने अपना अर्थ तिलक को दे दिया है। इससे लक्षण-लक्षणा है। कंसों में अत्याचार की पराकाष्ठा, जिसमें बालक-वय तक सम्मिलित है, दिखलाना प्रयोजन है। यह अगूढ़ और धर्मगत

है। किन्तु, तिलक को कृष्ण कहने का प्रयोजन दुष्टदमन की प्रवृत्ति के साथ-साथ गीतोपदेशकत्व भी सूचित करना है, जो तिलक की व्यक्तिगत विशेषता है। अतः धर्मिगता है। यहाँ का प्रयोजन गूढ़ है। अतः गूढ़ व्यंग्या प्रयोजनवती लक्षणा है। अथवा

प्रह्लादों को जला सके जो जग में ऐसा ताप नहीं। —दिनकर

यहाँ प्रह्लादों में सत्याप्रहियों का तात्कर्म्य सम्बन्ध से अध्यवसान किया गया है। इससे शुद्धा साध्यवसाना है। सत्याप्रहो अर्थ देने से लक्षणा-लक्षणा है। प्रयोजन है सत्याप्रहियों की अपराजेयता और सब प्रकार की यातनाओं में निर्विकारता का द्योतन। यह प्रयोजन गूढ़ है। क्योंकि, इसमें जो यह बात छिपी हुई है कि सत्याप्रहियों में आत्मबल का जो पारावार लहराता है, वह समय-समय पर असह्य यातनायें भुगतने पर भी उनको अधीर नहीं होने देता। सत्याप्रहियों के व्यक्तित्व को विशिष्टता बताने में ही लक्षणा का फल है। इससे धर्मिगता तथा पद्गता प्रयोजनवती लक्षणा है

६ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, अगूढ़ा, धर्मिगता,
प्रयोजनवती लक्षणा

तु शकटार बना है पापी नन्दवंश का जीवित काल। —नवीन

यहाँ नन्दवंश में अत्याचारों तथा अविवेकी शासकवर्ग का और शकटार में गणेशाशंकर विद्यार्थी का अध्यवसान है। दोनों में तात्कर्म्य सम्बन्ध होने से शुद्धा है। दोनों अपना-अपना अर्थ छोड़कर लक्ष्यार्थ में लीन हो जाते हैं। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है शासकवर्ग को अनन्यसाधारण अत्याचारों और विद्यार्थीजी को अत्यन्तकष्टसहिष्णु होकर शत्रुओं का सामना करनेवाला बताना, जो धर्मी शासक और विद्यार्थीजी में हैं। इससे धर्मिगता और प्रयोजन केवल ऐतिहासिकगम्य होने से गूढ़ा, पद्गता, प्रयोजनवती लक्षणा है।

अट्टारहवीं किरण

लक्षणा का भिन्न रूप से विचार

पीयूषवर्षी जयदेवकृत चन्द्रालोक के आधार पर लक्षणा का यह विचार किया जाता है।

सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा के तीन-तीन भेद होते हैं १—सिद्धा अर्थात् उद्देश्य में रहनेवाली, २—साध्या अर्थात् विधेय में रहनेवाली और ३—साध्याङ्गा अर्थात् विधेयान्वयि-वाचक पद में रहनेवाली। जैसे—

१—इतना समझाया पर गधा कुछ नहीं समझता। इसमें गधा उद्देश्य है। २—आप ही माँ-बाप हैं। इसमें माँ-बाप विधेय है। ३—गंगा में गाँव है। गाँव विधेय है। इससे सम्बन्ध रखनेवाले गंगा शब्द में लक्षणा की जाती है और तट का बोध होता है। यहाँ साध्याङ्ग से सम्बन्ध है। ऐसे ही अन्य उदाहरण समझ लें।

स्फुट तथा अस्फुट प्रयोजनवती अर्थात् अगूढव्यंग्या तथा गूढ-व्यंग्या लक्षणा के दो भेद होते हैं—१ तटस्थगता और २ अर्थगता।

लक्ष्यार्थ और लक्षक पदार्थ से भिन्न स्थान में जो प्रयोजन होता है वह तटस्थगता लक्षणा होती है।

स्फुटव्यंग्या, तटस्थगता, प्रयोजनवती लक्षणा।

‘प्राचीमुख चूमत, लखो, यह सुधांशु हवै रक्त।’

इसमें किसी नायक-नायिका के वृत्तान्त की प्रतीति कराना प्रयोजन है और इसीके लिये ‘मुख चूमत’ का लक्षणा प्रयोग है। ‘पूर्व दिशा के अग्रभाग पर चन्द्रबिम्ब आया है’, यही लक्ष्यार्थ है। ‘मुख चूमत’ यह लक्षक पद है। इन लक्ष्यार्थ और लक्षक पद से अन्य नायक के कार्य की प्रतीति कराना है जो एक तीसरा पदार्थ है। इससे यहाँ प्रयोजन तटस्थगत है। यहाँ अन्य पुरुष का ज्ञान व्यञ्जना से होता है।

अस्फुटव्यंग्या, तटस्थगता प्रयोजनवती लक्षणा।

‘मुख में विकस्यो मुस्कान’

विकास फूल में होता है, अर्थात् फूल खिलता है। मुस्कान नहीं खिल सकता। अतः यहाँ लक्षणा से अधिक हास का बोध होता है। उसकी मनोहरता और सुगन्धि-विस्तार रूप प्रयोजन अस्पष्ट है। यह न तो लक्ष्यार्थ—अधिक हास में है और न तो विकसित रूप लक्षक

पदार्थ में, प्रत्युत मुख में रहता है। अतः तदस्थगत है। यहाँ का प्रयोजन गूढ़ है।

अर्थगता स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं—१ लक्ष्यार्थ-निष्ठ—अर्थात् लक्षक अर्थ में रहनेवाला प्रयोजन और २ लक्षक पदार्थ-निष्ठ अर्थात् लक्षक पदार्थों में रहनेवाले प्रयोजन। जैसे—

१—‘चन्द्रमा ही मुख है।’ यहाँ अर्थवादा होने पर चन्द्रमा पद से अभिन्न मुख की प्रतीति होना लक्ष्यार्थ है। चन्द्रमा-समान मुख का सुन्दर होना प्रयोजन है जो लक्ष्यार्थ मुख में वर्तमान है।

२—‘मुख ही चन्द्रमा है’, इसमें अर्थवाध से मुखरूपी चन्द्रमा का ज्ञान होता है। यहाँ मुख पद लक्षक है। इसीमें सुन्दरता की प्रतीति होती है।

भिन्न रूप से लक्षणा के और भी चार भेद होते हैं।

१ लक्षकनिष्ठा स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा। जैसे—

‘उसका मुख ही चन्द्रमा है’ यहाँ मुखपद चन्द्रमा का लक्षक है। मुख को सुन्दर प्रतीत कराना प्रयोजन है। यह प्रयोजन स्फुट है और लाक्षणिक पद मुख में वर्तमान है।

२ तदस्थनिष्ठा स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा। जैसे—

‘दिया बड़ाओ’ दूकान बड़ाओ’ आदि।

यहाँ बुझाओ और समेटो लक्ष्यार्थ है। अमंगल का परिहार-रूप प्रयोजन वक्ता और श्रोता को अपेक्षित है। यह न तो लक्ष्य अर्थ और न तो लक्षक शब्द में ही है। यह एक तीसरे में है। अतएव तदस्थ है।

३ लक्ष्यस्था स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा। जैसे—

‘सुभाषित अमृत है।’ यहाँ अमृत पद से सुभाषित का अर्थात् सूक्ति-पूर्ण कविता का सरस तथा मधुर होना लक्षित होता है। अत्यन्त रमणीय बताना प्रयोजन है। अमृत पद लक्षक है और काव्य लक्ष्यार्थ। उक्त प्रयोजन लक्ष्यार्थ काव्य में है।

४ अस्फुट प्रयोजनवती लक्षणा। जैसे—

‘यह कपड़ा जला हुआ है।’ इसका लक्ष्यार्थ है कि इस कपड़े का कुछ अंश जला हुआ है। ‘काम के लायक नहीं’ यही बताना प्रयोजन है जो कि सर्वसाधारण को सुबोध न होने से स्पष्ट है। ‘एक भाग जला हुआ है।’ यह लक्षक है और प्रयोजन इसी लक्षक में वर्तमान है।

लक्ष्य और लक्षक में विशेषण लगा देने से वक्त सिद्धा और साध्या

के दो भेद होते हैं—१ विशेषणवती सिद्धा और २ विशेषणवती साध्या । जैसे—

१—‘सरस काव्य ही अमृत है ।’ इसमें लक्ष्य काव्य पद के साथ सरस विशेषण है । तात्कर्म्य सम्बन्ध द्वारा अमृत पद से काव्य की आनन्द-दायकता प्रतीत होती है । यहाँ विशिष्ट लक्ष्य है ।

२—विशेषणवती साध्या । जैसे—‘विद्या चिर-स्थायी धन है’ । यहाँ धन साध्य—विधेय है । इसीका विशेषण ‘चिरस्थायी’ है । तात्कर्म्य सम्बन्ध से विद्या का सुखदायक होना लक्षित होता है । विद्या को धन से उत्तम बताना प्रयोजन है । विधेय में विशेषण लगाने से विशेषणवती साध्या है ।

मतान्तर से लक्षणा के और दो भेद होते हैं ।

१—सहेतुलक्षणा और २—निर्हेतुलक्षणा । जैसे—

१ ‘यह किशोर कमनीयता से कामदेव शात होता है ।’ यहाँ कामदेव होने का हेतु ‘कमनीयता’ उक्त है ।

२—‘यह रमणी मूर्तिमती रति है ।’ यहाँ रति होने का हेतु उत्कृष्ट सौन्दर्य आदि उक्त नहीं है । अतः यहाँ निर्हेतुलक्षणा हुई ।

पीयूष वर्ष जयदेव के मत से लक्षणा पद, पदार्थ, वाक्यार्थ, संख्या, कारक और लिंग में भी होती है, जो अलङ्कारों के अंकुर का काम देती है । जैसे—

पद में—‘आग ठंडी हो गई ।’ इसमें आग से आग की लपट का बोध होता है ।

पदार्थ में—‘मुख चन्द्र है ।’ इसमें मुख पदार्थ से उसका चन्द्र सा सुन्दर होना अर्थ होता है ।

वाक्यार्थ में—‘जो शुरु के उपदेश सुनते हैं वे अमृत पीते हैं ।’ इस वाक्य के अर्थ सुख-लाभ रूप अर्थ लक्षित होता है ।

संख्या में—‘वे सत्यामही हैं ।’ यहाँ बहुवचन का प्रयोग पूज्य भाव का उत्पादक है । ऐसे ही आपके दर्शन हुए आदि वाक्य हैं ।

कारक में—‘तसला चढ़ा है ।’ यहाँ तसले में चावल चढ़ाने का अर्थ है ।

लिंग में—‘हाथी’ और ‘दूधिनी’ दोनों को ‘हाथी’ ही कहते हैं । ऐसे ही ‘बिल्ली’, ‘बिलार’ या ‘बिल्ले’ सबको ‘बिल्ली’ ही कहते हैं । यहाँ लिंग के सम्बन्ध लक्षणा ही काम करती है ।

उत्तीसवीं किरण

लक्षणा-वैचित्र्य

लक्षणा-वैचित्र्य का अभिप्राय लक्षणा के नूतन प्रयोगों से है जिन पर भारतीयता की छाप होने पर भी विदेशी प्रवृत्ति का प्रभाव विशेषतः लक्षित होता है। भाषा की स्वाभाविकता से हमारे प्रतिक्षण लक्षणा के प्रयोग करने पर भी उबर छुट्टि नहीं जाती। ये प्रायः मुहावरे के रूप में प्रतिदिन प्रयुक्त होते रहते हैं। जैसे, 'क्यों बात काटते हो?' बात ऐसी कोई वस्तु नहीं जो काटी जा सके। यहाँ से खंडन वा विरोध का अर्थ लिया जाता है। हम बराबर सुनते हैं 'चना चुरमु चोले, बबुआ का मनवा होजे' पर सुनते नहीं कि लक्षणा ने कैसे शोलते हुए शब्दों में सूक्ष्म भाव को गोचर रूप देकर प्रत्यक्ष कर दिया है। चना बोलता नहीं। मन होलता नहीं। खाने के समय चुरमु शब्द होता है वही उसका शोलना है। उससे क्यों के चित्त ललचा जाते हैं। वहाँ मन का होलना है। किन्तु अब विशेष रूप से, पद्य ही में नहीं, गद्य में भी नाना भाँति से लक्षणा के प्रयोग किये जाने लगे हैं। हम कहते हैं 'भक्ति-भाव से बरदान लो'। इसमें कुछ प्रभाव डालना हुआ है तो कहते हैं 'बरदान सिर आँखों पर लो'। किन्तु लक्षणा के नूतन प्रयोग में इसका रूप दिनकर की पंक्ति में चूम कर प्रति रोम से सिर पर चढा बरदान प्रभु का' हो जाने से इसकी प्रभावित्यना बहुत बढ़ गयी है।

ऐसे लाक्षणिक प्रयोगों का कारण यह है कि लेखक या कवि अपने भावों को उतनी स्पष्टता और तीव्रता से वाचक शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता जितनी कि लाक्षणिकता का आश्रय लेकर। लाक्षणिक प्रयोगों में भाव विशेष यकता-पूर्ण व्यंजित होते हैं; चक्ति में वैचित्र्य और चमत्कार का समावेश हो जाता है और वस्तुओं के एक प्रकार के मूर्त प्रत्यक्षीकरण से परम आनन्द प्राप्त होता है। यह लाक्षणिकता वर्तमान समय की सब से बड़ी विशेषता है। कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

चारू चन्द की चंचल किरणें खेल रही हैं जल-मल में,
स्वच्छ चाँदनी बिंदी हुई है अर्बुन और अम्बर-तल में।
पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों में,
मानो गूँघरूँ हैं तब भी मन्द परत के फोकों से ॥—पंचमती

किरखों का खेलना, चाँदनी का बिछना, धरती का पुलक प्रकट करना, तरुणों का भूमना, ऐसे प्रयोग हैं जो हमारे समक्ष एक दृश्य सा खड़ा कर देते हैं। वह वाचक शब्दों के परे की बात है।

‘रब्बी ने खेतों में सुनहला फर्श बिछा दिया था और खलिहानों में सुनहले महल उठा दिये थे। सन्तोष इस सुनहले फर्श पर इठलाता फिरता था और निश्चिन्तता इस सुनहले महल में ताने अलाप रही थी। प्रेमचन्द

सुनहला फर्श बिछाने, महल उठाने, सन्तोष के इठलाने और निश्चिन्तता के ताने अलापने से जो भाव व्यंजित होता है वह साधारण वाचक शब्दों द्वारा नहीं हो सकता।

‘वस गयी एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में।

नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में ॥’—प्रसाद

स्मृतियों की बस्ती बसने की जगह पर बहुत-सी स्मृतियाँ हैं, कहने से अग्रणीत नक्षत्रों की भाँति असंख्य स्मृतियों के जागरूक रहने का भाव कभी व्यंजित हो सकता था? यह अनुभव-गम्य ही है।

लाक्षणिक प्रयोगों से अमूर्त का मूर्त-विधान

काव्य में जब सूक्ष्म भावों को विशेष रूप से व्यक्त करना होता है, उनकी गम्भीर व्यंजना अभीष्ट होती है तब उनका मूर्त-विधान किया जाता है—उन्हें गोचर बना दिया जाता है। इस मूर्त-विधान से अन्तःकरण के सूक्ष्म भाव साकार से हो उठते हैं और उनका प्रभाव विशेष पड़ता है। उससे वे हमारे हृदय-चक्र के समक्ष प्रत्यक्ष से हो जाते हैं। ऐसी जगह प्रयोजनवती लक्षणा काम देती है। जैसे—

इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी वजती।

क्यों हाहाकार स्वरो में वेदना असीम गरजती ॥—प्रसाद

करुणा-कलित हृदय में क्यों तड़पन की रागिनी वजती है? अथ उसमें वेदना का ही क्यों हाहाकार सुनायी पड़ता है? हृततन्त्री के झन-झना उठने से पीड़ा का बाँध टूट पड़ने ही की विशेष सम्भावना होती है। असीम वेदना का गरजना मर्मस्पर्शी लाक्षणिक मूर्तिमत्ता है।

‘जिसके आगे पुलकित हो जीवन है जिसकी भरता।

हाँ सृष्टि चक्षु करती है, मुसकाती खड़ी अमरता ॥

वह मेरे प्रेम विहसते, जागो मेरे मधुवन में।

फिर मधुर भावनाओं का कलरव हो इस जीवन में ॥’—प्रसाद

जीवन का सिसको भरना, मृत्यु का नाचना, अमरता का मुग्धाना, प्रेम का विह्वलना, भावनाओं का कलरव होना, मार्मिक लाक्षणिक मूर्ति-मत्ता है। जब प्रेमी प्रेमपरायण हो विकृत बन जाता है तब उसे मृत्यु की भी चिन्ता नहीं, क्योंकि वह मर कर भी अमर हो जाता है। जब कि ह्वलना हुआ प्रेम जाग उठता है तब क्या नहीं होता ! जीवन यथार्थ जीवन हो उठता है। अंतरंग में मधुर भावनाओं का उन्मेष हो जाता है। इन मूर्त-विवानों से मूढम भावों का मूर्त प्रत्यक्षीकरण हो जाता है।

“हिता हिला निज मृदुन अधर कइने कुड़ तरदल मरमर ।

अंधकार का अलसित अचल अथ द्रुत थोड़ेगा संसार ॥

+ + +

मानस ने जिसकी अलकों में बंचन चुम्बन उलकना ।

+ + +

विमृत मन्थन के उस पार जहाँ स्वप्न सजने शृंगार ॥

+ + +

मानस-शय्या पर मेरी इन वाङ्मयों को सोने दो ।

अपना अचल निज स्वप्नों में भरने दे मां भरने दे ॥—पंत

वृत्तों का अधर हिताकर कुड़ कइने, संसार के अंधकार का अंचल उद्गने, अलकों में चुम्बन उलकाने, स्वप्नों के शृंगार सजने, वाङ्मयों के मानस-शय्या पर सोने आदि के द्वारा हिलने-डुलने पत्रों से मरमर शब्द होने, अंधकार के फैलने, हवा से अलकों के मन्द-मन्द हिलने, सुन्दर मनोवाङ्मय करने, इच्छाओं के मन में प्रिलीन होने आदि की अति कमनीय कोमल भावनायें की गयी हैं। इनमें लाक्षणिक प्रयोगों से मूढम भावनायें मूर्त होकर प्रत्यक्ष-मौ हो गयी हैं।

“अंचल हिमगिरी के हृदय में आज चढ़े कंव हो ले,

या प्रलय के आँसुओं में मौन अलसित ब्योम रो ले ।

आज पी आलोक को टोले तिमिर को धोर छाया,

जाग या विद्रुत शिखाओं में निद्रुत लफन बोले,

पर तुम्हें है नाग-वध पर चिन्ह अरने छंड़ आना ।’—महादेवी

पहली पंक्ति में अर्मभय के संभव होने, दूसरी पंक्ति में प्रलय का दृश्य दर्शित होने, तीसरी पंक्ति में अंधकार का मात्राव्य होने और चौथी पंक्ति में हो-दुलने के नृकान मचने के भावों को लाक्षणिकता से मूर्त रूप दिया गया है, जिसमें उनको अभिव्यंजना यही प्रभावशालिनी हो गयी है ।

लाक्षणिक प्रयोगों से मूर्त का अमूर्त-विधान

अमूर्त के मूर्त-विधान में ही लक्षणा के सफल प्रयोग नहीं हो रहे हैं बल्कि प्रस्तुत मूर्त के अप्रस्तुत अमूर्त विधान में भी। वस्तु का सजीव वर्णन करने के लिये और सादृश्य तथा भाव को तीव्र करने के लिये प्रभावसाम्य का आश्रय लेकर अप्रस्तुतयोजना की जाती है। मूर्त को अमूर्त बनाने में वही मनोवृत्ति काम करती है। पाठकों को विचारमग्न करने के लिये मूर्त वस्तु को हटा कर किसी गुण को लेकर उसकी भावात्मक सत्ता की प्रतिष्ठा की जाती है। इसमें भी लक्षणा का हाथ रहता है।

‘दिनता के ही विकम्पित पात्र में, दान बढ़ कर छलकता है प्रीति से।’—पंत

यहाँ प्रस्तुत वा मूर्त दिन के लिये अमूर्त वा अप्रस्तुत दिनता का विधान है। दिन के हाथ का पात्र कम्पित होता है, न कि दिनता के। प्रीतिपूर्वक दिया हुआ दान छलक उठता ही है। पात्र को परिपूर्णता की क्या बात ! या यों कहिये की कम्पित पात्र से दान का छलक पड़ना स्वाभाविक है। कँपते हुए दिन को दान मिलने से उसके आनन्द होने की कैसी स्वाभाविक अभिव्यंजना है। दिन तो दिनता की प्रतिमूर्ति होता ही है। दिन के लिये दिनता का प्रयोग पाठकों की मनोवृत्ति को गंभीर बना देता है और उसमें दिनता ही दिनता भर जाती है। यहाँ दिनता मूर्त्तिमती होकर अपनी प्रधानता प्रकट कर रही है। दिनता के पात्र में कहने से जैसे यहाँ मानवीकरण है वैसे ही विकम्पित दिन के स्थान पर विकम्पित पात्र कहने से विशेषण—या विशेषणव्यत्यय भी है। यहाँ पात्र का श्लेष भी कमाल का है !

पाश्चात्य साहित्य में मानवीकरण एक प्रधान अलंकार माना जाता है। अमूर्त के मूर्त-विधान, विशेषण-विपर्यय आदि के उदाहरणों में प्रायः मानवीकरण अलंकार पाया जाता है। मानवीकरण से काव्य में नाटकीय प्रभाव बढ़ता है और उसकी व्यंजना-शक्ति और प्रभाव-शक्ति बढ़ जाती है।

अल्पता की संकुचित आँखें सदा, उमड़ती हैं अल्प भी अपनाव से। —पंत
हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते ही क्यों ? —प्रसाद

सर्वथा परिपूर्ण व्यक्ति अत्यन्त सहानुभूति दिखलाने पर भी उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि एक अभावग्रस्त व्यक्ति सामान्य समानुभूतिसे गद्गद हो उठता है। उस श्रम के पास आँसु के अतिरिक्त रहता ही क्या है कि वह उसके प्रतिदान में दे ! यहाँ अल्पता का

विधान अभारप्रस्त—सुदृ—साधारण व्यक्ति के लिये किया गया है। असम्भ्र व्यक्ति को आँखें सदा संकुचित तो होंगी ही और थोड़ो-सो आश्चर्यता से उसका उमड़ पड़ना—अधु-विगलित होना स्वाभाविक ही है। यहाँ अल्पता के प्रयोग से तुच्छ मनुष्य की अल्पता को और विशेषतः आकर्षित करना ही कवि को अभीष्ट है।

कालिदास ने कुछ ऐसा ही कहा है ‘स्वजनस्य हि दुःखमप्रतो विद्वल-द्वारम्बिबोरभावते’। स्वजन वा सनानुभूति-प्रदर्शक व्यक्ति के सम्मुख दुःख साधारण रूप में उपस्थित नहीं होता। ऐसा मालूम होता है जैसे दुःख का फाटक ही खुल गया है।

दूसरी पंक्ति में सौन्दर्य का प्रयोग सुन्दर व्यक्ति के लिये किया गया है। सुन्दर व्यक्ति की सुन्दरता को यहाँ इतनी प्रधानता दे दी गयी है कि सुन्दर दृष्टि से दूर हो गया और सुन्दरता ने अपनी गोचर प्रतिष्ठा करा ली। इससे समष्टि-सौन्दर्य को और संकेत है।

लक्षणा और पाश्चात्य अलङ्कार

लाक्षणिक प्रयोगों द्वारा आधुनिक कविता में विशेषण-व्यत्यय आदि अलंकारों की भी सुन्दर योजना की जा रही हैं। ऐसी जगह प्रायः साध्यरसना लक्षणा काम देता है। विशेषण व्यत्यय का उदाहरण ले—
आह ! यह मेरा गान ।

कल्पना में है कसकती बेदना अधु में जीता सिसकता गान है। —पंत
इनमें गान का विशेषण ‘गीला’ और ‘सिसकता’ है। पर गान न तो गीला होता है न सिसकता हुआ ; किन्तु ये विशेषण आँसू बहाते और सिसकते हुए मनुष्य के हैं और उसी के दृश्य उपस्थित करते हैं।

यह ‘गीला’ ज्ञात होता है, जगन् को ही गीला करके छोड़ेगा। इस ‘गीले’ पर छायावादी कवियों की गहरी छाप है। दो चार उदाहरण लें—

मेरी बीणा गीली गीली, आज हो रही ढोली टीली । —मै० श० गुन
धधक एक जिसकी इस गीले यौवन को ज्वालामय कर दे । —द्विज
दग में गीला मुख विहँस उठा शबनम मेरी रंगीन हुई । —दिनकर
चू पड़ते इनकी छवि पर नभ के भी गीले प्रण यहाँ । —केसरी
विजली की चमचम पर चढ़ गीले मोती भू चूम उठे । —भा० आत्मा
कबिधर ‘निराला’ के निराले विशेषण-व्यत्यय के उदाहरण लें ।

बता कहीं अब वह वंशीवट कहीं गये नटनागर श्याम ।

चल चरणों का व्याकुल पनघट कहीं आज वह वृन्दा-धाम ।—निराला

पनघट व्याकुल नहीं था। जड़ में चेतन का भावावेश कभी संभव नहीं। पनघट से लक्षण-लक्षणा द्वारा पनघट पर की चंचल ब्रजबालाओं को व्याकुलता का भाव लिया गया है। यहाँ विशेषण-व्यत्यय से भावना के आधिक्य की व्यञ्जना हुई है। इससे काव्य की मार्मिकता बहुत बढ़ गयी है।

किस विनोद की तृषित गोद में आज पोंछती वे दृगनीर।

कहाँ छलकते ध्रुव जैसे ही ब्रज-नागरियों के गागर। —निराला

यहाँ अगोचर विनोद का मोद के संबन्ध से मूर्त-विधान किया गया है। तृषित गोद से लक्षणा द्वारा किसी तृषित व्यक्ति का ही तात्पर्य अभिप्रेत है। तृषित गोद में दृगनीर पोंछना बड़ा ही स्वाभाविक है। यहाँ गोचर रूप को प्रतिष्ठा से तथा तृषित व्यक्ति के विशेषण-व्यत्यय और मूर्तविधान दोनों ही स्पष्ट हैं।

ऐसे ही पतंजी के मूक व्यथा का मुखर भुजाव में व्यथित व्यक्ति ही मूक है, व्यथा नहीं। ऐसे ही भूलनेवाला ही व्यक्ति मुखर है, भुजाव नहीं। साथ ही मूक और मुखर विशेषण अमूर्त व्यथा और भुजाव को मूर्तिमान बनाकर उनकी प्रभविष्णुता को बढ़ा देते हैं।

पद्य ही में नहीं, गद्य में भी इस विशेषण-व्यत्यय के प्रयोग देखने में आते हैं। 'सिन्दूर की होली' की भूमिका में डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं—साहित्य एवं समाज की स्वतंत्रता और नैसर्गिता की नींव पर रचना करना ही आधुनिक शिक्षित प्रयास का लक्षण है। प्रयास शिक्षित नहीं होता। यहाँ शिक्षित प्रयास से शिक्षितों का प्रयास ही अभीष्ट है।

लक्षणा और प्रतीक (धर्म के लिये धर्मों का प्रयोग)

वर्तमान कविता में लाक्षणिकता के बल पर ऐसे उपमानों के प्रयोग हो रहे हैं जो पूर्णतः गुणसाम्य न होने पर भी प्रतीक का काम देते हैं। इनमें धर्म के स्थान पर धर्मों के प्रयोग से

उतना ही उसका सकल प्रयोग समझा जायगा। एक साधारण-सा उदाहरण लें—‘काया माया वादल छाया’। वादल की छाया क्षणभंगुर होती है। शरीर और संपत्ति भी उसी तरह क्षणस्थायी हैं। यहाँ ‘काया माया’ के लिये ‘वादल-छाया’ का प्रतीक ‘तुलु पर तुलु’ है और इसका लार्क्षणिक चमत्कार अनुसम है।

विकसित सरजिप्त-वन-वैभव मधु-ऊषा के अंचल में।

उपहास करावे अपना जो हँसी देख ले पल में ॥—प्रसाद

इस कविता में ‘हँसी’ के लिये वासन्तिक प्रातःकाल में विकसित कमल को प्रतीक बनाया गया है। बल्कि इस प्रतीक को खड़ा करके भी काव्य ने हाम को विशेषता दिखलाने के लिए उसका उपहास कराया है।

उषा का या उर में आवास मुकुल का मुख में मृदुल विक्राग।

बाँदनी का स्वभाव में भास विचारों में बच्चों की साँस ॥—पंत

पहला चरण हृदय में दर्पातिरेक के लिये, दूसरा सुन्दर रिमत के लिये, तीसरा स्वभाव की निश्चलता के लिये और चौथा विचारों को सरलता के लिये आया है। इनमें गुण या धर्म का उल्लेख न करके वस्तुओं का ही उल्लेख कर दिया है जो तत्तुल्य गुण या धर्म के आधार पर होने के कारण लार्क्षणिक प्रतीक के काम करते हैं। यहाँ यह कहना अनावश्यक है कि ऐसे प्रतीकों के लिये बड़ी कष्ट-कल्पना करना पड़ती है।

शिशु का हृदय देव-आवास, हास चन्द्रिका-चाह-विलास।

श्रुति में मधु उपकाते बोल, उसका होवे कैमे मोल ॥—राम

बच्चों का हृदय निर्विकार होता है, यह न कहकर देव-आवास कह दिया। क्योंकि छल-प्रपंच की जगह देवभाव का होना असंभव है। हास निर्मल होता है, इसके लिये चाह चन्द्रिका का विलास बता दिया जैसी आह्लादकता चारु-चन्द्रिका में होती है वैसे ही शिशु के हाम में भी वह वर्तमान रहती है। मधुर वचन के लिये श्रुति में मधु उपकाने का उल्लेख कर दिया। क्योंकि शिशु के सरल अनमोज बोल श्रवणमुखद् होते ही हैं। कर्णान्द्रिय को इसी में माधुर्य का बोंव होता है। इनमें धर्म के स्थान में धर्मी का प्रयोग करके लार्क्षणिक प्रतीक का चमत्कार दिखलाया गया है।

नहीं हिमालय यह तो शिव का अट्टहास है पुञ्जीभूत ॥—अनुनाद

हास्य का रंग श्वेत वर्णित है। हिमालय भी श्वेत है। विशाल

हिमालय, हिमाञ्जय नहीं, वह तो शिव का पुञ्जीभूत अट्टहास है। एक

तो शिव का हास, वह भी अट्टहास, वह भी पूंजीभूत। उत्कषे का भी कोई अंत है ! इस वर्णन से हिमालय की विशालता और विशदता प्रत्यक्ष है। हिमालय के लिये यह लाक्षणिक प्रतीक अवरुणीय है। अलंकार ने हिमालय की जगह अट्टहास को दे दी है।

लक्षणा और पत्नीक (धर्मी के लिये धर्म का प्रयोग)

धर्म के लिये धर्मी के प्रयोग में जो अनोवृत्ति काम करती है वही धर्मी के लिये धर्म के प्रयोग में भी। मूर्त के सूक्ष्म विधान के लिये ही ऐसे प्रयोग किये जाते हैं। यहाँ भी लक्षणा ही अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे—

बन्द हुए हैं आज जेल में पुण्य हमारे पर्व।

सत्य, अहिंसा, देशभक्ति, ओ भारत गौरव, गर्व ॥—राम

सहसा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं और मान्य नेताओं के नजरबन्द होने पर यह उक्ति है। यहाँ सत्यवादी, अहिंसक, देशभक्त, पवित्र, पर्वसमान, गौरवशाली, गर्वस्वरूप धर्मियों के लिये सत्य, अहिंसा, आदि मर्म ही का प्रयोग किया गया है।

जो चाहो सो दण्ड दो, मैं तो हूँ अपराध।

यहाँ अपने को अपराधी न कहकर अपराधस्वरूप ही मान लिया है। इस अपराध के प्रयोग से अनन्त अपराध का अपराधी मानकर सब प्रकार के दण्ड भोगने के लिये अपराधी अपने को उपयुक्त समझता है।

लक्षणा की दुरुहता वा लक्षणा पर लक्षणा

लक्षणा के तथ्य वहीं तक समझ में आ सकते हैं जहाँ तक उसकी गति हो, धर्म-बोध हो। उससे अधिक का विवृति से उसमें दुरुहता आ जाती है और लक्षणा पर लक्षणा करनी पड़ती है। इससे लक्षणा का स्वास्थ्य ही मिट जाता है। वह आगम-सी हो जाती है।। जैसे—

गूढ़ कहना सी कवियों की अज्ञाता के विस्मय सी।

ऋषियों के गम्भीर हृदय सी बच्चों के तुतले भय सी ॥—पंत

इसके अन्तिम चरण का दुहरी लक्षणा से प्रकृत अर्थ 'तुतली बोली में व्यक्त किये हुए बच्चे के भय के तुल्य है' तभी होगा जब कि 'भय' का लक्ष्य अर्थ 'भय का कारण' और 'तुतले भय' का लक्ष्यार्थ 'तुतली बोली व्यंजित भय' न किया जायगा। यहाँ विशेषण-व्यत्यय से 'तुतला' उस भाषा का विशेषण है जिसमें भय प्रकट किया गया है।

ऐसा ही एक पदार्थ है—

अभिलाषाओं की करवट फिर सुन व्यथा का जगना—प्रमाद

सुन व्यथाओं के जगने के समान अभिलाषाओं के जगने तक तो हम लक्ष्यार्थ को बोधगम्य बना सकते हैं और गुणज्ञी की पंक्ति “कैसी हिलती-टूलती अभिलाषा है, कली तुम्हें खिलने की” में लक्ष्यार्थ से अभिलाषा के उठने तक का अभिप्राय समझ ले सकते हैं। किन्तु ‘अभिलाषा का करवट बदलना’ तो अत्यन्त दुरूह है। यह तो एक प्रकार की लक्षणा पर लक्षणा है। क्योंकि जगना तो एक लक्षणा है ही और दूसरी लक्षणा है करवट बदलना जो जगने का पूर्वलक्षणा है। चाहे यहाँ कि प्रत्येक भाव की अभिव्यक्ति के लिये मनोवैज्ञानिक तत्त्व की उपेक्षा न की जाय। ऐसी जटिल लक्षणा से कविता का दुर्बोध होना स्वाभाविक है। छायावादी कविता की कठिनता के कुछ ऐसे ही कारण हैं।

लक्षणा की अस्वाभाविकता

लक्षणा के प्रयोग करने में जनममाज की अनुमति और विचार परम्परा का जिनना ध्यान रखना ज़ायगा उतना ही मार्मिक, बोधगम्य और उपयुक्त लक्षणा का प्रयोग होगा। ऐसा न होने से भाषा और भाव की दुरूहता बढ़ जाती है और काव्य-स्थिति में कुछ भी सहायता प्राप्त नहीं होती। ऐसे बेईग लक्षणात्मक प्रयोग उपहामासद ही होते हैं। जैसे—

कवि की भविष्य कविता लेकर धू धू जलनी में बार बार।

रो रो मरनी छविमयी प्रकृति, है केवल हाहाकार प्यार।

संसार देखना है इकटकर

५. हैसती है लाल लाल लपटें हैसता शरीर हैसता नाटक ॥—गुलाब
इसके लक्षणात्मक प्रयोग असम्बद्ध प्रलाप से लगते हैं। अर्थ का तो कोई ठिकाना ही नहीं। लक्षणा के सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की उक्ति है—

“सखी बोली की कविताओं में उपमा, रूपक आदि के टोंचे तो रहते थे पर लक्षणात्मक मूर्तिमत्ता और भाषा की विमुक्त स्वच्छन्द गति नहीं दिव्यायी पड़ती थी। अभिव्यंजनावाद के कारण योरोप के काव्यक्षेत्र की उत्पन्न बहोक्ति या वैचित्र्य की प्रवृत्ति, जो हिन्दी के वर्तमान काव्यक्षेत्र में आयी उससे सखी बोली की कविता की व्यंजनाप्रणाली में बहुत कुछ समीपता तथा स्वच्छन्दता आयी। लक्षणाओं के अधिक प्रचार से काव्य-भाषा की व्यंजकता अवरध बढ़ रही है।”

सुन्दर-सुन्दर भावमूलक लक्षणा के प्रयोगों में भाषा की रंगीनी और अमीरी पढ़ती है तथा साहित्य वैभवशाली होता है।

तृतीय प्रसार

व्यञ्जना



पहली किरण

व्यञ्जक शब्द और व्यञ्जना शक्ति

व्यञ्जक शब्द

व्यञ्जक शब्द 'वि' उपसर्गक 'अञ्जू' धातु से बना है जिसका अर्थ होता है—स्पष्ट करना, प्रगट करना, व्यक्त करना, खोलकर कहना, दिखाना आदि। इसीसे 'व्यञ्जक शब्द अभिनय का भी वाचक है। यहाँ सूचित करने का अर्थ है।

जो शब्द वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अन्य अर्थ का बोध कराता है उसे व्यञ्जक शब्द कहते हैं। जैसे,

मैं हूँ पतित पतिततारन तुम ।

इसका वाच्यार्थ है—मैं पतित—पापी—अधम हूँ और तुम पतितों-पापियों—अधमों को तारने—उद्धार करनेवाले हो। इस अर्थ के अतिरिक्त एक यह और अर्थ भी निकलता है कि 'जब तुम पतितों के उद्धारक हो तब मुझ पतित का भी उद्धार करोगे ही'। यहाँ इस अर्थ का बोध करानेवाला 'पतिततारन' शब्द है। इससे यह शब्द व्यञ्जक हुआ और इससे निकला हुआ अर्थ व्यंग्य वा व्यंग्यार्थ।

व्यञ्जना

जिस धातु से व्यञ्जक शब्द बना है उसी धातु से प्रत्यय-भेद करके 'व्यञ्जना' शब्द भी बना है। इसमें 'वि' और 'अञ्जन' दो शब्द हैं। सामान्य 'अञ्जन' आँख की ज्योति को विकसित करता है और यह

विशेष प्रकार का व्यञ्जन होने के कारण अप्रकट अर्थ को भी प्रकट करता है। शब्द शक्ति का वाचक होने से इसका ख्रीलिङ्ग रूप 'व्यञ्जना' है।

अभिधा और लक्षणा के अपना-अपना अर्थ बोध कराके विरत—शान्त हो जाने के बाद जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यञ्जना कहते हैं।

शब्द का एक ही बार व्यापार हो सकता है। अर्थात् एक बार का उच्चारित शब्द एक बार ही अपना अर्थबोध करा सकता है, बार बार नहीं।

ऐसे ही बुद्धि का भी एक ही बार व्यापार हो सकता है। बुद्धि या ज्ञान एक बार उत्पन्न होकर जब समाप्त हो जाता है तब बिना किसी उपाय के अपने ही से दुबारा नहीं होता।

इसी प्रकार कर्म या क्रिया भी उत्पादक के द्वारा उत्पन्न होकर जब समाप्त हो जाती है तो फिर अपने ही से उसकी आवृत्ति नहीं हुआ करती।

ये शब्द, बुद्धि और कर्म तीनों ही नियत क्षणस्थायी हैं—उत्पन्न होकर नियत काल ही तक रह सकते हैं।

अतः जब अभिधा शक्ति अपना अभिधेय या वाच्यार्थ प्रकट करके हट जाती है, लक्षणा शक्ति अपना लक्ष्यार्थ प्रकट करके विरत हो जाती है तब 'शब्द' बुद्धि (ज्ञान) और कर्म (क्रिया) में विराम के बाद फिर व्यापार नहीं होता। इस न्याय से अन्यार्थ बोध कराने की शक्ति अभिधा या लक्षणा में नहीं रहती।

पुनः इन अर्थों के अतिरिक्त जो अन्य अर्थ बोधित होता है उसके बोध के लिये दूसरी शक्ति अपेक्षित होती है। वह शक्ति व्यञ्जना नाम की है। एक उदाहरण से स्पष्ट कर लें—

'गङ्गा में गाँव है' इस वाक्य में अभिधा शक्ति द्वारा उत्पन्न वाच्यार्थ से जब अन्य-बोध नहीं होता तब इस स्थल पर लक्षणा शक्ति आकर नटरूप लक्ष्यार्थ लक्षित करती है जिससे वाक्यार्थ संगत होता है।

लक्षणा द्वारा लक्ष्यार्थ के बोध होने के अनन्तर भी इसका एक और अर्थ सूचित होता है—‘गौँव के शीतल और पावन होने की अधिकता ।’ अन्यथा ‘गंगा के किनारे गौँव है’ यही कहना पर्याप्त होता । इस अर्थ को सूचित करना लक्षणा शक्ति का काम नहीं । क्योंकि यह अपना तटरूप अर्थ बोधित करके विरत हो चुकी है । यह व्यंजना शक्ति का काम है जिससे यह व्यंग्य अर्थ प्रतीत होता है । एक और उदाहरण लें—

किसीने किसीको देखकर कहा कि—

भीत तिहारे बदन पै, सठता अति दरसात ।

जिसको यह कहा गया उसने छूटते ही उत्तर दिया—

मेरो मुख दरपन भयो, अब जानी यह बात ॥

अभिधा शक्ति से इसका जो स्पष्ट वाच्यार्थ होता है, उससे कोई अर्थ साफ नहीं होता और इसमें अर्थत्राधा भी आ खड़ी होती है । क्योंकि, शठता दीख पड़ने की चीज नहीं, मुँह दर्पण नहीं इत्यादि । इससे यहाँ लक्षणा द्वारा शठता के अवगुणों का मुँह पर लक्षित होना अर्थ लिया जाता है । ‘मुँह हृदय का दर्पण है’ अर्थात् हृदय की बातें मुँह पर झलकती हैं, इस विचार से यह लक्ष्यार्थ किया गया है । फिर, मुख दर्पण नहीं होता, किन्तु उस पर भावों के उत्थान-पतन, सुख-दुःख के चिह्न अवश्य दिखाई पड़ते हैं और आकृति से अनायास मालूम हो जाते हैं । मुख-दर्पण का यह लक्ष्यार्थ भी लक्षणा ही द्वारा होता है । इतने पर भी न तो वाच्यार्थ से और न लक्ष्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ प्रकट हुआ । अब उस अर्थ के लिये ये दो शक्तियाँ अनुपयुक्त हो गयीं । अब तीसरी शक्ति को काम में लाना पड़ा, जिसे व्यंजना कहते हैं । इस शक्ति से उत्तरदाता का यह अभिप्राय व्यक्त हुआ कि ‘मैं शठ नहीं, तुम शठ हो ।’ क्योंकि, जैसा बिम्ब रहता है वैसा ही प्रतिबिम्ब आईने में दिखाई देता है । इस व्यंग्यार्थ से दोहे की संगति भी हो गयी और अर्थ भी स्पष्ट हो गया ।

इसी प्रकार जोड़-तोड़ कर पद्य-रचना करनेवाले को कवि होने का ढिंढोरा पीटते देखकर कहा जाय कि ‘आप तो बड़े कवि हैं’ तो इसका व्यंजना शक्ति से यही निपरीत अभिप्राय होगा कि आप कवि नहीं हैं । क्योंकि सच्चा कवि होने का यह गुण नहीं है ।

जिस प्रकार अभिधा शक्ति से काम न चला तो लक्षणा शक्ति को मानना पड़ा, उसी प्रकार लक्षणा शक्ति से काम न चला तो तोसरो शक्ति व्यञ्जना का मानना अनिवार्य हुआ।

व्यञ्जन को ध्वनन, अवगमन, प्रत्यायन आदि भी कहते हैं। व्यंग्यार्थ के सूच्यार्थ, ध्वन्यार्थ, प्रतीयमानार्थ आदि भी नाम हैं। यह अर्थ न तो कथित या अभिहित होता है और न लक्षित ही; किन्तु यह व्यञ्जित, ध्वनित, सूचित, अवगत या प्रतीत होता है।

अभिधा और लक्षणा शब्द के व्यापार हैं। इससे शब्द केवल वाचक और लक्षक या लाक्षणिक होता है पर व्यञ्जना शब्द तथा अर्थ दोनों का व्यापार है। इससे शब्द तथा वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ सभी व्यञ्जक होते हैं। व्यञ्जना शब्द या अर्थ तक ही सीमित नहीं; किन्तु वह प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, चेष्टा आदि में भी पायी जाती है।

१ आचार्य मम्मट का कहना है कि व्यंग्य अर्थ को समझने के लिये प्रतिभा की विमलता, चतुर व्यक्तियों का साहचर्य और प्रकरण-ज्ञान आदि अत्यन्त आवश्यक हैं। इनके बिना व्यंग्यार्थ की यथार्थता समझ में नहीं आती। आचार्य, नागेश का कहना है कि वक्ता, श्रोता और वाच्यार्थ की विशेषता तथा प्रतिभा व्यंग्यार्थ-बोध के सहायक हैं।

दूसरी किरण

व्यञ्जना के भेद

व्यञ्जना दो प्रकार की होती है—१ शब्दी और २ आर्थी। फिर शब्दी के दो भेद होते हैं—१ अभिधामूला और २ लक्षणामूला। अभिधामूला के भी १५ और लक्षणामूला के ३२ भेद होते हैं। आर्थी के मुख्य ३० भेद होते हैं।


१ प्रज्ञा-नेर्मल्य-वैदग्ध्य-प्रस्तावादि-विधायुजः ।

अभिधा-लक्षणा-योगी व्यंग्योऽर्थः प्रथितो ध्वनेः ॥ -शब्दव्यापारविचार

२ वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभासुद्बुद्धः संस्कारविशेषो व्यञ्जना । मञ्जूपा

व्यञ्जना के भेदों का रेखाचित्र

व्यञ्जना



अभिधानमूला के, संयोग आदि कारणों के सम्बन्ध से, उपर्युक्त १५ भेद होते हैं। इन्हें संयोगनियन्त्रित-वाच्य, वियोगनियन्त्रितवाच्य आदि नाम भी दिये जा सकते हैं।

तीसरी किरण

शाब्दी व्यञ्जना

कह आये हैं कि शाब्दी व्यञ्जना के दो भेद होते हैं—एक अभिधामूला और दूसरी लक्षणा मूला ।

अभिधामूला शाब्दा व्यञ्जना

संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थ शब्द के प्रकृतोपयोगी एकार्थ के नियन्त्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा अन्यार्थ का ज्ञान होता है वह अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना है ।

सङ्केतग्रह के विवरण में कह आये हैं कि अनेकार्थक पदों के अर्थ का निश्चय वाक्यार्थ की संगति देखकर किया जाता है । जब संयोग आदि से अनेकार्थवाची शब्द का प्रसंगानुसार एक अर्थ नियन्त्रित—निर्णीत हो जाता है तब ऐसे शब्दों का वाच्यार्थ-बोध करानेवाली अभिधा-शक्ति अन्यार्थ बोध कराने में कुण्ठित हो जाती है । अर्थात् अनेकार्थ शब्द के एक अर्थ को छोड़कर और अर्थ अवाच्य हो जाते हैं । इस दशा में अर्थात् अनेकार्थवाची शब्द के वाच्यार्थ का निर्णय हो जाने पर जिसके द्वारा निर्णीत वाच्यार्थ से भिन्न जिस किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वह अभिधामूला व्यञ्जना द्वारा हो होती है । क्योंकि न तो यह अभिधा ही काम कर सकती है और न लक्षणा ही । अभिधा की शक्ति रुकी हुई है और तीनों बातें न होने से लक्षणा हो ही नहीं सकती । अभिप्राय यह है कि अनेकार्थ शब्दों के नियन्त्रित अर्थ के अतिरिक्त अन्य अवाच्य अर्थ जिस शक्ति से प्रतीत होते हैं और चमत्कार उत्पन्न करते हैं वह व्यञ्जना शक्ति ही है । अभिधा का नियन्त्रण होने से ही इस व्यञ्जना को उपस्थित होने का अवसर मिलता है । यह व्यञ्जना अभिधा पर आश्रित होने के कारण अभिधामूला कही जाती है । यह व्यञ्जना शब्द-विशेष के अस्थान पर उसका पर्याय रख देने से नहीं रह जाती । एक उदाहरण लें—

करि अबलन कौ थी हरण वारिवाह के संग ।

घर करती जहँ चञ्जला आयौ समै कुढंग ॥—अनुयाद

यहाँ एक यह अर्थ होता है कि जिस समय बिजली अबलाओं की कान्ति चुरा कर मेघों के साथ रहा करती है वह समय अर्थात् बरसात आ गया ।

यहाँ एक और दूसरा यह अर्थ प्रतीत होता है कि जिस समय कुलटा निर्बलों को सम्पत्ति चूसकर जलवाहकों अर्थात् 'कहारों' के साथ रहने लगी वह समय आ गया ।

यहाँ 'अवलन', 'वारिवाह' और 'चञ्चला' इन तीन शब्दों के कारण अभिवाशक्ति द्वारा यह दूसरा अर्थ होता है । शब्दान्तर रख देने से यह व्यंजना नहीं रह जायगी ।

मुखर मनोहर श्याम रंग बरसत सुद अनुरूप ।

भूमत मतवारो भूमकि वनमाली रसरूप ॥ प्राचीन

यहाँ वनमाली शब्द मेघ और श्री कृष्ण दोनों का बोधक है । इसमें एक अर्थ के साथ दूसरे अर्थ का भी बोध हो जाता है ।

यहाँ श्लेष नहीं ; क्योंकि रूढ़ वाच्यार्थ ही इसमें प्रधान है । अन्य अर्थ का आभास मात्र है । श्लेष में शब्द के दोनों अर्थ अभीष्ट होते हैं—सामानरूप से उस पर कवि का ध्यान रहता है । विशेष विवेचन आगे देखिये ।

अप्रासंगिक अर्थ की व्यंजना के स्थलों में अनेकार्थों की शक्ति रोकने के लिये अर्थात् शक्ति को प्रासंगिक अर्थ के प्रतिपादन में केन्द्रित करने के लिये प्राचीन विद्वानों ने जो संयोगादि कई प्रतिबंध नियत कर रखे हैं उनके लक्षण-उदाहरण दिये जाते हैं—

१—संयोग

अनेकार्थ शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ प्रसिद्ध संबंध को संयोग कहते हैं । जैसे—

‘परसुराम मन विस्मय भयक ।’

यहाँ परसुराम का अर्थ परसुसहित राम है ।

जिस वस्तु से जिसका संयोग स्थिर—निश्चित रहता है वह वस्तु-संयोग यदि उसका संयोगी अनेकार्थक रहे तो उसे अपने अनुकूल अर्थ में नियंत्रित कर देता है । यहाँ 'राम' शब्द का अर्थ 'रामचन्द्र' न हो कर 'परसुराम' ही होगा । क्योंकि, 'परसु' का संयोग उनके साथ स्थिर—निश्चित है । यहाँ परसु-संयोग ने सोतापति राम के

अर्थबोध में अभिव्यक्ति को कुंठित कर राम को परशुराम के अर्थ में नियंत्रित कर दिया है। ऐसा ही

शंख-चक्र-युत हरि कहे, होत विष्णु को ज्ञान ॥

भी उदाहरण है। 'हरि' के सूर्य, सिंह, बानर आदि अनेक अर्थ हैं किन्तु, शंख-चक्र-युत कहने से यहाँ विष्णु का ही ज्ञान होता है।

२—वियोग

जहाँ अनेकार्थवाचक शब्द के एक अर्थ का निश्चय किसी प्रसिद्ध वस्तु सम्बन्ध के अभाव से होता है वहाँ वियोग होता है। जैसे,

परशु रहित नहि राम मुदमे ।

जैसे, संयोग अर्थ-नियंत्रण का कारण होता है वैसे ही वियोग भी। जो व्यक्ति जिस वस्तु को नियमतः धारण करता है उसके त्याग का उल्लेख भी उसी व्यक्ति का परिचय कराता है। फलतः यहाँ भी राम का अर्थ परशुराम ही होगा। परशु-वियोग ने अन्यार्थ में बाधा डाल दी है। और—

नग सूनो बिन मुँदरी ।

नग का अर्थ नगीना और पर्वत है। किन्तु, यहाँ मुँदरी होने से नगीना का ही अर्थ होगा। क्योंकि मुदरी का वियोग इसी अर्थ को नियत करता है।

३—साहन्य

जहाँ पर किसी सहचर—साथ रहनेवाले—की प्रसिद्धि सत्ता से अर्थ-निर्णय हो वहाँ साहन्य होता है।

१ सीताराम सदा सुखदाई ।

२ रामलखन सिध कानन बसहाँ ।

सम्बन्धियों के साधारण कथन को साहन्य कहते हैं। जिनका सहचर-भाव—साथ रहना लोक प्रसिद्ध है, उनके शब्दों में अगर

* संयोगो विप्रयोगश्च साहन्य विरोधिता ।

अर्थः प्रकरणं लिंगं शब्दम्यान्वयस्य सन्धिः ॥

सामर्थ्यमौचित्यी देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः ।

शब्दार्थस्थानवच्छेदे विशेषमृतहेतवः ॥ याक्यपदीय

अनेकार्थता भी हो ती वह संहार के अर्थ में नियत हो जायगी। यहाँ राम के बलराम, परशुराम, रामचन्द्र आदि अर्थ होते हुए भी सीता के साहचर्य से राम का अर्थ दशरथनन्दन रामचन्द्र ही होगा।

बलि-बलि जावँ कृष्ण बल भैया।

यहाँ 'बल' के अनेक अर्थ होते हुए भी कृष्ण के साहचर्य से बलराम का ही अर्थबोध होगा।

४—विरोध

जहाँ किसी प्रसिद्ध असंगति के कारण अर्थ-निर्णय होता है वहाँ विरोध होता है। जैसे,

राम रावण का युद्ध राम रावण समान है।

जिस प्रकार साहचर्य भाव से अर्थ का नियंत्रण होता है, उसी प्रकार विरोध-भाव से भी। यहाँ रावण-विरोधी रामचन्द्र का ही अर्थ होगा। ऐसे ही

कुंजर हरि सम लक्ष्मि निरन्तर बन्धु युगल रख भारी अन्तर।—राम

हाथी और सिंह का स्वाभाविक विरोध है। इससे हरि के अनेकार्थ होते हुए भी यहाँ पर हरि का सिंह ही अर्थ होगा। ऐसे ही

लुको नाग लखि मोरहि आवत।

में नाग का अर्थ सर्प ही समझना चाहिए।

५—अर्थ

जहाँ प्रयोजन अनेकार्थ में एकार्थ का निश्चय कराता हो वहाँ अर्थ है। जैसे,

शिवा स्वास्थ्य रक्षा करे। शिवा हरे सब शूल।

यहाँ स्वास्थ्य-रक्षा करने और शूल हरने का प्रयोजन हरीतकी से ही सिद्ध होता है। अतः शिवा का अर्थ हरी होगा, भवानी नहीं।

ऐसे ही अनेकार्थक शब्द बहुधा अर्थ अर्थात् प्रयोजनानुसार तदनुरूप अर्थ में नियत हो जाते हैं।

ध्वनि के हित रस समझिये।

यहाँ ध्वनिबोध-रूप अर्थ से अर्थात् प्रयोजन से रस का राग, द्रव, जल आदि अर्थ होते हुए भी शृंगारादि रस ही अर्थ होगा।

६—प्रकरण

जहाँ किसी प्रसंगवश वक्ता और श्रोता की समझदारी से किसी अर्थ का निर्णय हो वहाँ प्रकरण समझा जाता है। जैसे,

श्रव तुम मधु लावो तुरत ।

शब्दों के उच्चारण का अवसर अर्थ-निश्चय का कारण होता है। यहाँ 'मधु' शब्द यदि दवा देने के समय कहा जाय तो इसका अर्थ शहद ही होगा, मदिरा नहीं।

'दूध जानिये दल भरै, दल साजै नृप जान ॥

यहाँ दल के पत्ता, फौज, चक्र, भुंड आदि अनेक अर्थ होते हुए भी 'दल भरै' और 'दल साजै' वाक्यों में प्रकरणानुसार क्रमशः 'पेड़' और राजा का ही अर्थ होता है।

७—लिंग

नानार्थक शब्दों के किसी एक अर्थ में वर्तमान और इसके अर्थ में अवर्तमान किसी विशेष धर्म, चिन्ह, या लक्षण का नाम लिङ्ग है।

कुशिकनन्दन के तप-तेज से, सुमन लज्जित दुर्मन हों डठे ।

यहाँ लज्जा और दीर्घनस्य धर्म फूल में नहीं, देवता में ही संभव है। अतः लिङ्ग निर्णायक हुआ।

देखहु नील पयोधर बरसत ।

यहाँ विशेषता-सूचक चिन्ह वा लक्षण से अनेकार्थक शब्द 'की' शक्ति एक अर्थ में निश्चित की गयी है। इसीसे पयोधर का अर्थ 'स्तन' नहीं, मेघ है। क्योंकि 'बरसता हुआ' यह विशिष्ट धर्म या लक्षण उसीमें गत होगा। ऐसे ही—

सरसइ कयों कहिये कहै बानी बँटो हाट । दास

यहाँ बानी के सरस्वती, बनियाँ, बचन, प्रतिज्ञा आदि कई अर्थ होते हुए भी हाट में बैठने के विशेष धर्म—चिन्ह वा लक्षण से बनिया 'सरसइ' (सरस्वती) नहीं कहा जा सकता बल्कि 'बानी' से बनिया ही कहा जायगा।

८—अन्यसंनिधि

अनेकार्थक शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ सम्बन्ध रखनेवाले भिन्नार्थक शब्द की समीपता अन्यसंनिधि है। जैसे,

परशुराम कर परशु सुधारा । सहस्रबाहु अर्जुन को मारा ।

यहाँ अर्जुन का अर्थ तृतीय पांडव न होकर कार्तवीर्य होगा, क्योंकि निकट का सहस्रबाहु शब्द उसका अर्थ घोषित करता है। ऐसे ही

काम कुसुमधनु सावक लीन्हें

में कुसुमधनु शब्द के बल से 'काम' के कार्य आदि अनेक अर्थ होते हुए भी कामदेव ही अर्थ समझा जाता है।

दृष्टव्य—जहाँ संबन्ध की प्रधानता प्रतीत हो वहाँ संयोग, जहाँ संबंधियों की प्रधानता प्रतीत हो वहाँ साहचर्य और जहाँ किसी के निकट रहने से एक अर्थ की सिद्धी होती है वहाँ अन्यसंनिधि है।

९—सामर्थ्य

जहाँ किसी कार्य के संपादन में किसी पदार्थ की शक्ति से अनेकार्थों में से एकार्थ का निश्चय हो वहाँ सामर्थ्य है। जैसे,

तन मेंह प्रविसी निकर सर जाहीं ।

जैसे प्रयोजन अर्थ-नियंत्रक होता है वैसे ही सामर्थ्य—कारण भी। यहाँ सर शब्द का अर्थ बाण ही है न कि तालाब वा सिर। क्योंकि 'सर' में ही आर-पार होने की शक्ति है।

वज्राघात गोत्र सहते हैं । मधु से मतवाले फिरते हैं ।

यहाँ 'गोत्र' के पर्वत, परिवार आदि कई अर्थ होते हैं। किन्तु वज्राघात सहने का सामर्थ्य पर्वत के सिद्ध और किसी में नहीं होता। इससे यहाँ 'गोत्र' का अर्थ पर्वत है। 'मधु' के अर्थ अनेक हैं; किन्तु मतवाला बनाने का सामर्थ्य मदिरा ही में है। इससे यहाँ 'मधु' का अर्थ मदिरा ही है, न कि राहद।

१०—औचित्य

जहाँ किसी पदार्थ की योग्यता के कारण अनेकार्थों में से एकार्थ का निर्णय हो वहाँ औचित्य है। जैसे,

‘श्री श्रौतों में देखिये, चंचलता यो नेह ।’—राम

श्रीचिन्त्य से भी अनेकार्थक शब्दों का एक अर्थ निश्चय होता है। जैसे, ‘श्री’ का अर्थ शोभा, संपत्ति और विष्णुपत्नी है। किन्तु श्रौतों में शोभा ही के रहने को योग्यता ही सकती है ‘संपत्ति’ या ‘विष्णुपत्नी’ को नहीं। ऐसे ही—

हरि के चढ़ते ही उड़े गय द्विज एके गाय । — राम

यहाँ पैड़ पर चढ़ने की योग्यता से ‘हरि’ का अर्थ बंदर और उड़ने की योग्यता से ‘द्विज’ का अर्थ पक्षी ही होगा न कि सिंह आदि और न ब्राह्मण आदि।

११—देश

जहाँ किसी स्थान की विशेषता के कारण अनेकार्थ शब्द के एक अर्थ का निश्चय हो वहाँ देश है। जैसे,

बैकुण्ठ में लक्ष्मी लक्ष्म व्रज में यत्न पनश्याम । —राम

यहाँ देश (स्थान) की विशेषता के कारण बैकुण्ठ कहने से ‘लक्ष्मी’ का अर्थ विष्णुपत्नी ही होता है, संपत्ति आदि नहीं। ‘पनश्याम’ का अर्थ कृष्ण मेघ और शोककृष्णचन्द्र है। किन्तु यहाँ व्रज के रहने से शोककृष्ण का ही बोध होता है। ऐसे ही—

अण्डज जल से निकलते तत्र देते हैं प्राण ।

यहाँ आधार जल से आधेय अण्डज का अर्थ मछली होगा, पक्षी नहीं। जल से अलग होकर प्राण तत्र देने की योग्यता मछली ही में पायी जाती है। अतः श्रीचिन्त्य का भी यह उदाहरण हो सकता है। इन प्रकार का प्रायः उदाहरणों में संकर मिलेगा।

मरु में जीवन दूर है ।

यहाँ ‘जीवन’ के जिन्दगी, परम धारा, पानी, जीविका, पचन आदि अनेक अर्थ हैं; किन्तु मरु के निर्देश से ‘जीवन’ का अर्थ जल ही होगा।

१२—काल (प्रातः, संध्या, मास, पक्ष, ऋतु आदि)

जहाँ समय के कारण एक अर्थ का निश्चय हो वहाँ ‘काल’ समझा जाता है। जैसे,

‘विपिन में, व्रज में, नवेलिन में, बेलिन में,

वनन में, बागन में, बगरी घतंत है ।’—पद्माकार

यहाँ 'वनन' शब्द का अर्थ वन, जंगल, जल आदि है किन्तु वसंत का विकास वन में ही यथेष्ट देख पड़ता है। इससे यहाँ 'वनन' का अर्थ जल नहीं हुआ।

कुवलय कुसुमित रात में।

कुवलय का अर्थ कमल और कुमुद दोनों है; किन्तु रात में कहने से 'कुई' 'कुमुद' 'भेंट' का ही कुसुमित होना समझा जाता है न कि कमल का कुसुमित होना। क्योंकि वह दिन में कुसुमित होता है।

१३—व्यक्ति

जहाँ व्यक्ति से अर्थात् स्त्रीलिंग आदि से एक अर्थ का निर्णय होता है, वहाँ व्यक्ति है। जैसे,

'एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आँखिन तैं,
कड़िगौ अवीर पै अहीर को कड़े नहीं।' पद्माकर

इसमें 'बीर' शब्द के अर्थ भाई, सखी, पति आदि अनेक हैं पर 'मेरी' स्त्रीलिंग से यहाँ बड़ी सखी का ही बोध होता है।

'पति तेरी नव बाल' में 'पति' का 'पत' अर्थ करना अभिधा के साथ बलात्कार है और इसका यह यथार्थ उदाहरण नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति शब्द भी इस 'व्यक्ति' का उदाहरण हो सकता है। क्योंकि, यह भी उभय लिंगात्मक है।

१४—स्वर

उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर वेद ही में विशेष अर्थ के निर्णायक होते हैं। किन्तु काव्य में इससे अर्थ का निर्णय नहीं होता।

स्वर के सम्बन्ध में दास कवि का विचार है—

कहूँ स्वरादिक फेरतैं एकै अर्थ प्रसंग।
बाजी भली न बाँझुरी बाजी भलो तुरंग ॥

यहाँ बाजी शब्द के अनेक अर्थ हैं। 'बाजी' क्रिया और 'भली'

में 'इ' और 'ओ' स्वर का फेर है। पर आलोचना से स्वर नियन्त्रित अर्थ का यह उदाहरण नहीं हो सकता।

एक का मत है कि 'धातो' का 'धात्रि' कर देने से—इस प्रकार ह्रस्व-दीर्घ-परिवर्तन से, स्वर का उदाहरण हो जायगा। यह भी असंगत है।

वार्तालाप में स्वर की विलक्षणता से—स्वरपात, स्वराघात आदि से अर्थविरोध का निर्णय किया जा सकता है। जैसे, 'मैंने लिया है'। इसको साधारणतः कहने पर स्वोकारोक्ति हो जाता है और इसीको जोर देकर कहें तो संदिहास्पद हो जाता है।

१५—अभिनय

इतनी सी बा नारि के, इतने में बरजात।

इतने है, लोचन यहै, दूरे इतनी गात ॥—अनुवाद

आचार्यों ने अर्थ-नियंत्रण करनेवाले कारणों में 'आदि' शब्द से नाटकादि में नटों के नानाविध अभिनयों का भी प्रहण किया है। यहाँ हाथ से भङ्गते करके भाव प्रकट करने के लिये हाथ की चेष्टायें करना पड़ती हैं और इनसे यहाँ अर्थ का नियंत्रण हो जाता है। अर्थानु-बुद्धिस्व सख्त आकारों के वाचक होने से 'इतना' शब्द अनेकार्थक हो जाता है। हाथ के अभिनय वा संकेत से स्तन, लोचन आदि का परिमाण विशेष रूप अर्थ में नियत हो जाता है।

नये विहारो कवि ने इनको एक छाप्य में गूँथा है जो इस प्रकार है—

विन अंकुष को ^१नाग, ^२नाग अंकुष जुन भावै ।

भन ^३भवानि भल मंग, ^४आनुनोपक सुर ध्यावै ॥

^५कपिध्वज यशध्वज धौल ^६इरी सँग धेनु न सोहिय ।

^७कनकरत्न छविपुंज ^८चक्र छवि सरन मुजोइव ॥

पर विटप ^९वाज ^{१०}बन मुदत कस संवव ^{११}प्रिय भोजन लगे ।

लख ^{१२}नयन नेह दरकौ उग्यौ भले बने जग जरा बगे ॥

१ वियोग २ भंयोग ३ साहचर्य ४ प्रकरण ५ चिह्न-विरोध
६ विरोध ७ संनिधि = व्यक्ति ८ देश ९ सामर्थ्य ११ समय और
१२ आचित्य।

इन उपर्युक्त कारणों द्वारा एकार्थ के नियंत्रित हो जाने पर जब किसी अनेकार्थवाचा शब्द से किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है वहाँ अभिधामूलक व्यंजना होती है। जैसे—

लाज गहौ बेकाज कत, घेरि रहे, घर जाँहि ।

गोरसु चाहत फिरत ही, गोरसु चाहत नाहिं ॥—बिहारी

दान-लीला में कृष्ण से गोपों की उक्ति ।

इसका अर्थ है—शर्म करो; बेकार मुझे क्यों घेर रहे हो—रोक-टोक कर रहे हो। मैं घर जाती हूँ। तुम तो गोरसु—नेत्र-रस और वाणी-रस, अटका-कर बतराना चाहते हो; गोरसु—दूध-दही नहीं चाहते हो अभिप्राय यह कि दूध-दही का माँगना तो एक व्याज है, जिसे दे देने पर तुम्हारी छेड़-छाड़ से पिँड छूट जाता। यहाँ तो तुम किसी ब्रह्मने देखने और बातचीत करने का मजा छूटना चाहते हो।

स्वयंदूती नायिका का वचन

दूसरा अर्थ है—तुम गोरसु—दूध दही नहीं चाहते, गोरसु—इन्द्रिय-रस संभोगजन्य सुख चाहते हो। यदि ऐसा बात है तो व्यर्थ क्यों घेरते हो, शरमाओ, अर्थात् इस बात को प्रकट न होने दो। हम घर चलें। वहाँ हमलोगों का उद्देश्य सिद्ध होगा।

तीसरा अर्थ यह है कि तुम स्त्री की बात न जानने के कारण अपनी अनभिज्ञता पर लज्जित हो। व्यर्थ क्यों घेरते हो। तुम्हारा जो कुछ कर्त्तव्य है करो अर्थात् यहाँ से अन्यत्र—वन में—चलो। यहाँ कोई देख लेगा तो घर छूट जायगा, घर से निकाल दी जाऊँगी। तुम दूध-दही चाहते हो, इन्द्रियरस नहीं चाहते, नहीं तो ऐसा नहीं करते।

इसमें नायिका अपनी वचन-चातुरी से अपना अभिप्राय दूसरों को जानने देना भी नहीं चाहती और यह भी नायक को फटकारती हुई जता देना चाहती है कि मैं तुम पर अनुरक्त हूँ। यहाँ गोरसु शब्द में इन्द्रिय-सुख का अर्थ-बोध करानेवाली जो शक्ति है वह व्यंजना है और गोरसु, शब्द पर ही यह व्यंजना है। इससे यह अभिधामूलक है। यहाँ नायिका का अभीष्ट व्यंग्य है। फिर जो तुम इन्द्रिय-रस चाहते हो तो प्रत्यक्ष रूप में छेड़-छाड़ न करके एकान्त में मिलो, यह ध्वनि निकलती है जो व्यंग्य का प्राण है।

यहाँ अभिधा से पहला ही वाच्यार्थ होता है और दूसरे जो अर्थ होते हैं वे अभिधामूलक व्यंजना से ही होते हैं। इत्यर्थक वा

अनेकार्थक शब्दों में श्लेषालंकार होता है। वहाँ सभी वाच्यार्थ ही होते हैं। श्लेष में अभिधा शक्ति के बाधित होने पर अन्यार्थ नहीं होता और व्यंग्यार्थ अभिधा के रूढ़ जाने पर अभिधामूला व्यंजना द्वारा होता है। श्लेष विशेषण ही में होता है और अभिधामूला व्यंजना अनेकार्थनाचो विशेष्य-विशेषण, दोनों में होती है।

इस प्रकार अभिधामूलक व्यंजना के हम संयोगसंभवा आदि नामों से १५ भेद कर सकते हैं, जो चित्र में दिये गये हैं।

लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना

जिस प्रयोजन के लिये लक्षणा का आश्रय लिया जाता है वह प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणा-मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जैसे,

कूकती कबैलिया कानन लौ नहि जाति सख्यो तिन की सुभवाजें ।
भूमिते लैके आकाश लौं फूले पलास दवानल की छवि छाजें ।
आये बसत नहीं घर कंत लगी सब अंत की होने इलाज ।
बैठि रही हम हू दिय हरि कइ लागि टारिये हाथन गाजें ।—मतिराम

इस कविता में कवि ने वसंतागम पर किसो वियोगिनी नायिका के विरह का चित्र खींचा है। यह दुःख-निरोध के सभी उपायों से ऊब गयी है और बचने के यत्न करने को 'हाथों से गाजें रोकना' समझ बैठी है। यहाँ हाथों से बन्ध रोकना कहने से विरह-ज्वाला के उपशामक नलिनोदल, नय परलान, उशीरश्लेष आदि तुच्छ साधनों से तीव्र काम-पीड़ा का अपहरण रूप अर्थ की असम्भवता सूचित है। यहाँ 'गाजें' पद 'दुर्गम मदन-वेदना' रूप अर्थ को लक्षित करता है। यहाँ शुद्धा, साध्यवसाना, प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा है। इससे वेदना की अतिशयता व्यंग्य है।

लक्षणा-प्रकरण में प्रकाशानुसार प्रयोजनती लक्षणा के जिन १२ भेदों और दर्पण के अनुसार जिन मुख्य १२ भेदों का उल्लेख हो चुका है, लक्षणामूला व्यंजना के भी उतने ही भेद होते हैं। यह भी वहाँ कहा गया है कि प्रयोजनवती के प्रयोजन ही व्यंग्य होते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण ही लक्षणामूला व्यंजना के इन भेदों के उदाहरण होते हैं।

चौथी किरण

आर्थी व्यंजना

जो शब्दशक्ति १ वक्ता (कहने वाला), २ बोद्धव्य (जिससे बात कही जाय), ३ वाच्य, ४ अन्य संनिधि, ५ वाच्य (वक्तव्य), ६ प्रस्ताव (प्रकरण), ७ देश, ८ काल, ९ काकु, (कण्ठ-ध्वनि), १० चेष्टा आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है वह आर्थी व्यंजना कही जाती है । ❀

इस व्यंजना से सूचित व्यंग्य अर्थजनित होने से आर्थ होता है । अर्थात् किसी शब्द-विशेष पर अवलम्बित नहीं रहता । यहाँ आदि शब्द से इंगित-कटाक्षपात आदि का ग्रहण होता है । इन दश भेदों में भी प्रत्येक व्यंजना के १ वाच्यसंभवा, २ लक्ष्यसंभवा और ३ व्यंग्यसंभवा नाम के तीन भेद होते हैं । इस प्रकार आर्थी व्यंजना के तीस भेद हुए ।

(१) वक्तृवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

वक्ता—कवि या कवि-कल्पित व्यक्ति के कथन की विशेषता के कारण जो व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वह वक्तृवैशिष्ट्योत्पन्न होता है ।

जब वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है तब वह वाच्यसंभवा कहलाता है । जैसे,

तो ही निरमोही लग्यौ सो ही यहै सुभाव ।

अन आये आवै नहीं, आये आवै आव ।—बिहारी

अर्थ है—तेरा हृदय (तो ही) निमोही है । उससे मेरा हृदय लगा (लग्यौ सो ही) । सो बस उसका यही स्वभाव हो गया कि तुम्हारे आने से तो आता है, नहीं आने से नहीं आता, इससे आवो । कोई यह अर्थ

* वक्तृबोद्धव्यवाक्यानामन्यसंनिधिवाच्ययोः ।

१ २ ३ ४ ५
६ ७ ८ ९ १०
प्रस्ताव देशकालानां काकोश्चेष्टादिकस्य च ॥

वैशिष्ट्यादन्यमर्थं या बोधयेत्सार्थसंभवा । साहित्यदर्पण

करता है— हे निर्मोही, मेरा हृदय तुम्हीं से (तोही पाठ से) इस स्वभाव (रीति) से लगा है कि आने से..... । शेष पहले के ऐसा ।

यहाँ नायक के निष्ठुर मन के साथ मिलने के कारण उत्पन्न हुई नायिका के मन की निष्ठुरता का कथन उपात्म-पूर्ण है जिससे नायिका के मन को अत्यासक्ति व्यंग्य है । साथ ही मन की अस्थिरता और विकलता भी सूचित होती है ।

यहाँ कविकल्पित नायिका पक्ष है । इसकी उक्ति से मन की अत्यासक्ति व्यञ्जित होती है । आर्या व्यञ्जना होने का कारण यह है कि निर्मोही स्वभाव आदि का कथन शब्दान्तर से होने पर भी यह व्यंग्य बना ही रहेगा । यह व्यञ्जना शब्दाश्रित नहीं अर्थाश्रित है । इससे यह आर्या व्यञ्जना कहलाती है । यहाँ वाच्य अर्थ से ही व्यंग्य उत्पन्न हुआ है । अतः वाच्यसंभवा है ।

पति देवता सुतीय महीं, मातु प्रथम तव रेख ।

महिमा अमित न कहि सकहि, सहस सारदा सेख ॥—रामायण

सीता की पावती के प्रति उक्ति । 'तुम्हारी पतिव्रता स्त्रियों में प्रथम गणना है । इससे यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि तुम जब ऐसी पतिव्रता हो तो मेरे पतिव्रता धर्म की रक्षा करोगी । क्योंकि, मैं रामचन्द्र को अपना मानस पति बना चुकी हूँ । ऐसा न हो कोई दूसरा नृपकुमार धनुर्भंग करके मेरा वरण कर ले ।

जिहि निदाघ दुपहर रहै, भई माघ की रति ।

तिहि उसीर की रावटी, खरी आवटी जाति ॥—विहारी

यहाँ कवि-कल्पित दूती-वक्त्रा है जो उस विरहिणी नायिका की दशा उसके प्रेमी से निवेदन करती है । जिस उशीर की रावटी में जेठ की दुपहरी भी माघ-सी ठंडी लगती है उस रावटी में भी वह नायिका गर्मी से उबलती सी रहती है । इस वाक्यार्थ से 'तुम कितने निष्ठुर हो, तुम्हारे प्रेम में उसकी दशा कितनी शोचनीय है, तुम इतने निष्ठुर नहीं बनो, उसकी व्याकुलता पर तरस खाओ' आदि व्यंग्याथ वाच्य-संभव ही है ।

सेवत तोहि सुलभ कलचारी । वरदायिनि त्रिपुरारी पियारी ।

देवि पूजि पद कमल तुम्हारे । सुरनर मुनि सब होहि सुखारे ।—रामायण

सीता कहती है कि तुम्हारी सेवा से चारों फल अर्थ, धर्म, काम मोक्ष सुलभ हैं तो मेरो मनकामना अवश्य पूरी होगी और क्यों

नहीं होगी जब कि तुम वरदायिनी हो। इसमें यही व्यंग्य है। दूसरी चौपाई में भी यही बात है। सुर-नर-मुनि तेरी पूजा से सुखी होते हैं तो मैं भी सुखी होऊँगी। प्रार्थना में कृपा की प्रेरणा और अभीष्ट-लाभ, ये दोनों व्यंग्य हैं। फल चारी, वरदायिनी, सुखारे शब्दों के स्थानों में भिन्न शब्द रखने पर भी व्यंग्य रहेंगे ही।

अरे हृदय ! जो लता उखाड़ी जा चुकी ।
और उपेक्षाताप कभी जो पा चुकी ।
आशा क्यों कर रहा उसीके फूल की ।
फल से पहले बात सोच तू मूल की ।—गुप्तजी

यहाँ दुष्यन्त का शकुन्तला-त्यागरूपी पश्चात्ताप व्यंग्य है जो वक्ता के वैशिष्ट्य से वाच्यार्थ द्वारा प्रकट होता है।

वक्ता के भेद से व्यंग्यार्थ भी भिन्न होता है। जैसे,

उदयगिरि सिर इन्दु की चढ़ी अरुनिमा आन ।
अस्ताचल की ओट में भवे जु लखिये भान ॥—प्राचीन

इसमें रात्रि-आगमन का वर्णन है। यदि दूती की उक्ति इसे समझें तो किसी नायिका का अभिसार करना—प्रच्छन्न रूप से प्रिय के पास जाना व्यंजित होता है और यदि गुरु की उक्ति समझें तो छात्रों के लिये संभ्या-धन्यता का समय व्यंजित होता है। दोनों के वैशिष्ट्य से दो प्रकार के व्यंग्य हुए।

कौन सी चाल चली ब्रज में गुरु लोगन सों कहि बैर बढ़ावैं ।
और की बात न कान सुनै अपनी कहि कै उलटो समुझावैं ॥
कौन बुलावन जात इन्हैं निशिवासर चौचध आनि मचावैं ।
चोरि चचाइन चातुरि ये दिथरै को हरा अनते धरि आवैं ॥—प्रतापशाही

जिसके यहाँ मिलने गयी थी वहाँ हार भूल आयी है। उसीको चोरी के बहाने छिपाती है। यही व्यंग्य है। नायिका सुरतगोपना वा गुप्ता है। गुप्ता नायिका के प्रत्येक उदाहरण में वक्तृवैशिष्ट्य से उत्पन्न व्यंग्य पाया जायगा।

वक्तृवैशिष्ट्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा

जहाँ लक्ष्यार्थ से व्यञ्जना हो वहाँ यह भेद होता है।

पावक भरतें मेह भर, दाहक दुसह विसेखि ।

दहे देह बाके परस, याहि दगन ही देखि ॥—विहारी

यहाँ नायिका अपनी सखी से कहती है—‘अग्नि की लपट से वर्षा की झड़ी ज्यादा दुःखदायक है। क्योंकि, अग्नि की लपट से तो स्पर्श करने पर देह जलती है; मगर वर्षा की झड़ी के तो देखने ही से। यहाँ वारिद-बूंदों के दर्शन से शरीर-ज्वलन की क्रिया में शब्दार्थ का बाध है। यहाँ बाध होने पर लक्षणा द्वारा अर्थ होता है कि विरहिणी नायिका बूंदों को देख नहीं सकती। इससे यह व्यंग्य निकलता है कि नायिका दुःखदायक ण्डीपक वस्तुओं से अत्यन्त दुःखित है। यहाँ वक्तृवैशिष्ट्य इसलिये है कि वक्ता को विशेषता से ही वाच्यार्थ द्वारा यह व्यंग्यार्थ निकलता है।

ताकि रहत छिन और तिय, लेत और को नाऊँ ।

ए अलि ऐसे बलम की, बिबिध भाति बलि जाऊँ ॥—पद्माकर

नायक किसी उपपत्नी के प्रेम में फँसा है। वह उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है। अपनी पत्नी से बातचीत करते समय भी अपनी उपपत्नी का नाम ले बैठता है। इसी बात को लेकर उसकी दुःखित नायिका अपनी सखी से कहती है—‘हे सखि, अपने ऐसे प्रियतम की मैं बार-बार बलैयाँ लेती हूँ जो देखते तो रहते हैं किसी और स्त्री को घोर पर बार-बार नाम लेते रहते हैं किसी और का।’ इस वाच्यार्थ में अपने कपटी पति के प्रति बलैयाँ लेना त्रिस्तुल्य असंभाव्य है। अतः इस अर्थ को बाधा से ‘ऐसा पति उपेक्षा का पात्र है जो मुझसे बातचीत करते समय भी दूसरे का नाम लेता है’ जो यह लक्ष्यार्थ होता है उससे यह व्यंग्य प्रकट है कि ‘पति मुझे प्यार नहीं करता।’

वक्तृवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा

जहाँ व्यंग्य से व्यंग्य होता है वहाँ यह भेद होता है।

अंब कहैगी मोहि फिरी, कियो न तू गृहकाज ।

कहै सों करि आऊँ अबै, मुदो जात दिनराज ॥—दास

इसमें केवल माता की आज्ञा पाना वाच्यार्थ है। अन्यत्र जाने की इच्छा इसका पहला व्यंग्य है और दिन में ही परपुरुष-विहार की इच्छा दूसरा व्यंग्य है।

निरखि सेज रँग रँग भरी, लगी उसाँ लैन ।

कहु न चैन चित में रह्यो, चढत चादनी रैन ॥—पद्माकर

कोई सखी किसी नायक के प्रति नायिका की मनोदशा का निवेदन करती है। कहती है कि वह अपनी सेज को रँग से रँगो देखकर उसाँस

पर उसीसे लेने लगी। चाँदनी रात आने पर उसके चित में जरा भी चैन नहीं। यहाँ सेज को रंग से रँगो देखकर नायिका का उसीसे लेना और चाँदनी रात को चैन न पड़ना आदि वाच्यार्थ से प्रियतम के अभाव में उद्दीपक चीजों का अत्यंत दुःखदायो प्रतीत होना व्यंग्य है और इस व्यंग्यार्थ से एक दूसरे इस व्यंग्य का भी बोध होता है कि 'तुम (नायक) बड़े निष्ठुर हो। तुम्हारे बिना वह (नायिका) तड़पती रहती है; पर तुम्हें इसकी कुछ भी गम नहीं। तुम्हें इस चाँदनी रातवाली होली में उससे (नायिका) त्रिलग नहीं रहना चाहिये।' यहाँ दूसरा व्यंग्य पहले व्यंग्य से संभव होता है पर वक्तृवैशिष्ट्य द्वारा ही। अतः यहाँ वक्तृवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा आर्था व्यंजना है।

(२) बोद्धव्यवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ श्रोता की विशेषता के द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध हो वहाँ बोद्धव्य-वैशिष्ट्योत्पन्न आर्था व्यंजना होती है।

बोद्धव्य का अर्थ है श्रोता। इसके भी पूर्ववत् तीन भेद होते हैं। वक्तृवैशिष्ट्य के उपर्युक्त उदाहरण कुछ बोद्धव्य-वैशिष्ट्य के भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे, वाच्य का—'जिहि निराध.....।' इस पद्य में यदि नायक के प्रति न होकर किसी दूसरे के प्रति यह उक्ति होती तो वाच्यार्थ द्वारा 'तुम अत्यंत निष्ठुर हो, तुम्हारे वियोग में वह (नायिका) तड़प रही है, आदि व्यंग्यार्थ का भी जो बोध होता है, वह हो ही नहीं सकता था। नायक अपनी निष्ठुराई से अवगत है। इसीसे व्यंग्यार्थ की पुष्टि में सखी का वाच्यार्थ सहायक होता है।

इसी तरह वक्तृवैशिष्ट्योत्पन्न लक्ष्यसंभवा का 'ताकि रहत छिन और तिय.....'आदि है। इसमें नायिका की सखी उस नायक के छल से अवगत है। अतः वह वाच्यार्थ में जो नायक की प्रशंसा करती है उस शब्दार्थ का सखी की समझ में नाध हो जाता है और वह बलैया लेने का उल्टा अर्थ उपेक्षा करना समझती है। अतः यहाँ भी बोद्धव्य-वैशिष्ट्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा व्यञ्जना है।

इसी तरह वक्तृवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा का उदाहरण 'निरखि सेज...।' है। वह नायक भी अपनी नायिका के विरह-दुःख से अवगत है। अतः उसके बिना चाँदनी रात और रंग व्यर्थ और नायिका के लिखे कष्टकारक हैं। इस व्यंग्यार्थ के द्वारा अपनी निष्ठुरता आदि व्यंग्यार्थ

भी वह समझता है। इस प्रकार अन्यान्य उदाहरणों में अन्यान्य भेदों की भी लक्षण-संगीत संभव है, जिसे अपने बुद्धि वैभव से समझने की चेष्टा करनी चाहिए।

इनके अलावा इनके नये उदाहरण भी दिये जा रहे हैं।

घर न कन्त हेमन्त रित्तु, राति जागती जात ।

दबकि चौस सोवन लगी, भली नहीं यह बात ॥ —विहारी

वाच्यार्थ है—‘रो सखी, आजकल तुम्हारा कन्त घर पर नहीं है—परदेश गया है। रात में जागती रहती हो और दिन में लुक-छिप कर मोती रहती हो। क्योंकि, हेमन्त में दिन का सोना बहुत ही अस्वाभाविक है। यह तो अच्छी बात नहीं।’

उपदेश देनेवाली नायिका का व्यंग्यार्थ है कि तुम अवश्य किसी पर-पुरुष के साथ रात में रमण करती हो। यह व्यंग्यार्थ बोद्धव्य की विशेषता के ही कारण होता है। क्योंकि उपदेश देनेवाली सखी का व्यंग्यार्थ वही समझती है, और कोई नहीं।

अन्य-सुरत-दुःखिना और लक्षिता के उदाहरणों में ऐसा व्यंग्य विशेषतः पाया जाता है।

यह अवसर निज कामना, किन पूरन करि लेहु ।

ये दिन फिर ऐहें नहीं, यह छनभंगुर देहु । —प्राचीन

यदि इमका बोद्धव्य कामुक नायक है तो सुरतोपदेश व्यंग्य है और यदि कोई साधु या विरागी बोद्धव्य है तो मोक्ष व्यंग्य है।

गोके आत्मगौरव स्वतन्त्रता भी जीते हैं,

मृत्यु सुरदायक है वीरो इस जीने मे । —वियोगी

यहाँ यह व्यंग्यार्थ सूचित होता है कि जैसे हो तैसे म्यतन्त्रता प्राप्त करो और विलासी जीवन को जलांजली दे दो। यहाँ बोद्धव्य की ही विशेषता से यह व्यंग्य निकलता है। क्योंकि, यहाँ विलासमय जीवन बितानेवाले लोगों से हो यह कहा गया है।

धोइ गईं केतरी कपोल कुच गोलन की, पीक लीक अधर अमोलनि लगाई है ।

कई पदमाकर त्यों नैन हूँ निरंजन मे तजत न कंप देह पुलकनि छाई है ॥

बाद मति ठाने मूठवादिन भईरी अब, दृतिपनो छोड़ धूतपन में समाई है ।

छाईं तोहि पीर न पराई महापाविन तू पसी लौ गईं न कहूं वापो न्हाईं आई है ॥

किसी उपेक्षिता विरहिणी नायिका ने अपने प्रिय के पास विरह-निवेदनार्थ अपनी दूती को भेजा था। दूती स्वयं जाकर उस नायक

से रमण कर आयी। रमण करने से उसका साज-शृंगार मिट गया था। इसी पर वह अन्य-सुरत-दुःखिता नायिका फटकारती हुई बोद्धव्य दूती से ये बातें व्यंग्य में कहती है। तुम्हे तो मैंने उस पापी के पास भेजा था। और तू चली गयी तालाब नहाने। वहानेबाजी की जरूरत नहीं। तूने नायक से रमण किया है, यह बात मैं समझ गयी हूँ। यहाँ रमण करने का जो यह व्यंग्यार्थ सूचित होता है उस व्यंग्यार्थ का बोध भी बोद्धव्य-वैशिष्ट्य से ही होता है।

बोद्धव्यवैशिष्ट्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा

मोहि उपदेश दीन्ह गुरु नीका। प्रजा सचिव सम्मत सब ही का ॥

मातु उचित पुनि आयसु दीन्हा। अवसि सीघ धरि बाहिए कीन्हा ॥

भरत की उक्ति गुरु आदि के प्रति। यहाँ गुरु आदि की उक्ति की प्रशंसा मजकूती है; किन्तु पिता के मरण, माता के दुर्व्यवहार, राम के वनगमन आदि से दुःखित भरत का राज-शासन किसी प्रकार ठोक नहीं। इससे अर्थ-त्राधा होती है। यहाँ विपरीत लक्षणा द्वारा यह लक्ष्यार्थ निकलता है कि आप जो उपदेश देते हैं वह मेरे लिये इस समय उचित नहीं है। यहाँ जो लक्ष्यार्थ द्वारा बोद्धव्य (गुरु, माता आदि) की विशेषता से 'आप लोगो का उपदेश असामयिक है,' यह जो व्यंग्य प्रकट होता है वह प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ है। इसके अतिरिक्त इस व्यंग्यार्थ से यह व्यंग्यार्थ भी प्रकट होता है कि मुझे जो उचित उपदेश आवश्यक है वह दीजिये, ऐसा उपदेश नहीं। इसलिये यहाँ लक्ष्यार्थ से व्यंग्य है और व्यंग्य से भी व्यंग्य है।

बोद्धव्यवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्य-संभवा

बाल कहाँ लाली भई लोयन कोयन माँह।

लाल तिहारे दगन की परी दगन में छाँह ॥—बिहारी

नायक रात भर अपनी उपपत्नी के यहाँ बिहार कर भोर में अपनी पत्नी के पास आया है। पत्नी की सक्रोध आकृति देखकर समझ जाता है कि मेरी चोरी पकड़ी गयी। बस, चट नायक बड़ी चादुभरी उक्तियों से नायिका को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगता है—बाले, (भोली-भाली, मुग्धे) तुम्हारे इन बड़ी-बड़ी सुन्दर आँखों में यों लालिमा कहाँ से आ गयो? मगर नायिका ने नायक की सारी चतुराई पर पानी

केर दिया। उसने गट से बड़े ही मधुर शब्दों में उत्तर दिया—‘लाल’ (प्रियतम, छील-छवीले) तुम्हारी इन लाल-लाल आँखों की ललाई ही तो मेरी आँखों में उतर आयी है।’ अर्थात् तुम्हारे असह्य अपराध के कारण आँखें क्रोध से लाल हो रही हैं।

नायक का प्रयत्न विफल हो गया। वह तुरत समझ गया कि यह कह रही है कि तुमने रात भर किसी अपनी प्रेमिका के साथ रमण किया है। इसीलिये तुम्हारी आँखें लाल हो गयी हैं। घातों का भुलावा देकर अपना दोष फ्यों छिपा रहे हो। इस व्यंग्य से एक दूसरा व्यंग्य यह निकलता है कि तुम व्यभिचारी के अलावे भूठे तथा धोखेबाज भी हो। मैं तुम से घृणा करती हूँ। यहाँ बोद्धव्य नायक सारी घटनाओं से अवगत है। अतः नायिका की उक्ति का व्यंग्यार्थ समझ जाता है। बोद्धव्य के कारण ही यहाँ एक व्यंग्य से दूसरा व्यंग्य परिलक्षित होता है।

इसमें नायक शठ और नायिका खंडिता है। बाल शब्द से निपट नासमझ और लाल शब्द से भोलाभाला प्रकट होना भी व्यंग्य है। पर, यह शब्दो व्यञ्जना है। क्योंकि, इन शब्दों के बदल जाने से यह व्यंग्य प्रकट नहीं हो सकता।

पाम घरीक निबारिये कलित ललित अलि पुत्र ।

अमुना तोर तमाल तरु मिलत मालती कुञ्ज ॥ —विहारो

यह चाण्विदग्धा स्थयंदूति की नायक के प्रति उक्ति है। यहाँ यमुना किनारे तमालतरु से मिला-मालती कुञ्ज है और जहाँ भौरे गूँज रहे हैं यहाँ चलकर षड़ी भर घाम बिताइये, धूप का बक्त काटिये। विश्राम के लिये एकान्त मालती-कुञ्ज ब्रतलाने के व्याज से बुलाकर मिलना अभोष्ट है। यहाँ संकेत-स्थान की सूचना एक-व्यंग्य है। तमालतरु से मालती-कुञ्ज का जैसा मधुर मिलन है वैसा ही हमलागों का मधुर मिलन होगा, यह उससे दूसरा व्यंग्य है।

वाक्यवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ सम्पूर्ण वाक्य की विशेषतः से व्यंग्यव्यसार्थ प्रकट होता है वहाँ यह भेद होता है। जैसे,

आपु वियौ मनु केरि लै, पलटै दोन्ही पीठि ।

कौन चाल यह रावरी, लाल लक्षवत दीठि ॥ —विहारो

अपना दिया हुआ मन लौटाकर उसके बदले में पीठ दी अर्थात्

मुझसे मुँह मोड़ लिया। अब आपको यह कौन सी भलमनसाहत है कि आप आँखें भी चुराने लगे। यहाँ इस वाक्य-विशेष से यह व्यंग्य प्रकट होता है कि किसी दूसरे से आँखें लग गयी हैं और आपका पहला प्रेम मुझ पर नहीं रहा।

जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार।

सोई हम करब न आन कहु, वचन न कथा उमार ॥ —तुलसी

एक बार नारदजी ने विष्णु भगवान से उनका रूप माँगा जिससे उनकी अभिलषित राजकन्या मोहित होकर उन्हें वर ले। इस रूप भिन्ना पर भगवान ने कहा कि मैं सत्य कइता हूँ कि वही उपाय करूँगा जिस से तुम्हारा हित हो। नारद ने इस वाक्यार्थ से अपनी अभीष्ट-सिद्धि लभ ली। मगर, वाक्यार्थ से यहाँ इस व्यंग्यार्थ का बोध होता है, और वास्तव में भगवान के कहने का प्रयोजन भी यही है कि तुम्हें मैं अपना रूप नहीं दूँगा। क्योंकि, इससे तुम्हारा हित नहीं, अहित होगा। यहाँ सारे वाक्य को विशेषता से वाक्य-संभवा अर्थी व्यंजना है।

गवं करउ रघुनन्दन जिन मन माँह।

देखउ आपनि मूरति लिय के छाँह ॥ —तुलसी

हे रघुनन्दन, आपको अपने सौन्दर्य का अभिमान है। हमारी सीता की छाँह में अपना रूप देखिये। यहाँ वाक्यवैशिष्ट्य से सीता का अतिशय सौंदर्य रूप व्यंग्य प्रकट होता है। छाँह के दो अर्थ हैं। एक सौंदर्य और दूसरा छाया। छाँह में—सौन्दर्य में रूप देखने का अर्थ है कि सीता में ऐसी आभा है जिसमें आप अपना रूप—प्रतिबिम्ब देख सकते हैं। छाया के अर्थ में देखने का भाव यह है कि आपका काला रूप सीता को छाया है क्योंकि वह काली ही होती है।

रह चिर दिन तु हरी-भरी: बड़ सुख से बड़ सृष्टि-सुन्दरी।

सुध प्रियतम की मिले मुझे; फल जन-जीवन-दान का तुझे ॥ —गुप्तजी

वियोगिनी ऊर्मिला की अपनी वाटिका के प्रति उक्ति है। इस वाक्यवैशिष्ट्य से ऊर्मिला का यह अभिप्राय व्यंजित होता है कि तेरी चाड़ और हरियाली देखकर ही मैं जी रही हूँ, नहीं तो अवीर होकर मर जाती।

महमद बिनगी प्रेम कै, सुनि महि गगन डेरइ।

धनि बिरहो वो धनि हिया, जहँ अस अग्नि समाइ ॥ —जायसो

इस पद्य में विरहाधिक्य व्यंग्य है—जो वाक्यवैशिष्ट्य से—अभिव्यञ्जना की विशेषता से प्रकट है।

वाक्यवैशिष्ट्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा

रात दिन जग कर परिश्रम से उदधि-संपन किया है।

हय। देवों के लिये ही बैर दनुजों से लिया दे ॥

मिल सका क्या जल मुझे पीयूष की तो बात ही क्या ?

और बदले में गरल यह देवताओं ने दिया है ॥—सहृदय

यहाँ न तो कवि ने या कविकल्पित पात्र ही ने रात दिन परिश्रम करके समुद्र मथा है और न यह देवताओं के लिये राजसों से लड़ा है इससे न तो उसे अमृत-प्राप्ति की चिन्ता करना चाहिये और न उसे देवताओं से विष मिलना ही किसी तरह संभव है।

इस प्रकार सम्पूर्ण पद्य के वाक्यार्थ का बाध होता है और तब लक्षणा द्वारा इस लक्ष्यार्थ का बोध होता है कि दलित और पराधीन दुखी मानव रात-दिन परिश्रम कर—अपने कर्म में निरत होकर अन्न उपजाता है, उत्तमोत्तम पदार्थ प्रस्तुत करता है। उसे अपने स्वामी के लिये प्राण संकट में डालकर उसके विरोधियों से लड़ना पड़ता है। उसे विश्वास दिया जाता है कि जीत होने पर तुम्हें अमृत पिलाकर (अधिकार देकर) अमर बनाया जायगा अर्थात् स्वाधीन और संपन्न बनाया जायगा। मगर, जीत होने पर अमृत के बदले में उसे विष दिया जाता है—उसे अपनी पूर्व से भी बुरा अवस्था में रहने दिया जाता है। इसी बात को लेकर कवि-कल्पित पात्र उपर्युक्त बातें सोचना है।

इस लक्ष्यार्थ से यह व्यंग्यबोध होता है कि एक पराधीन देश के विजयी सैनिक की यही भावना रहती है कि दलितों और निर्बलों के ऊपर सतत अत्याचार होता रहता है। धनियों के लिये किसी तरह का परिश्रम करना पाप है। अतः यहाँ लक्ष्यसंभवा आर्षी व्यञ्जना है।

वाक्यवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा

ननद, चाह मुनि चलन भी बरजल क्यों न सुकंत।

आवत बन विरहीन को, बैरी अधिक वसंत।—पद्माकर

यहाँ परकीया नायिका अपनी ननद से कहती है कि तुम्हारे सुकंत (अत्यंत सुन्दर पति परदेश जा रहे हैं उन्हें क्यों नहीं रोकती। श्री ' विरहिनियों को मारनेवाला वसंत आ रहा है। यहाँ अपने पति के परदे

जाने पर वसंत में तुम कैसे जीवित रहोगी। यह व्यंग्याथ समूचे वाक्य के वाच्यार्थ द्वारा होता है। मगर इस व्यंग्य से भी एक दूसरा व्यंग्य, जो उसमें छिपा है, वह यह है कि तुम (प्रिय) यदि परदेश जाओगे तो मैं वसंत में जीवित नहीं रह सकूँगी। क्योंकि, वह नायिका अपनी नन्द के पति की उपपत्नी है और अपना अभिप्राय नन्द के व्याज से नायक को सुनाकर प्रकट करती है। यहाँ अन्यसंनिधिवैशिष्ट्योत्पन्न-व्यंग्यसंभवा व्यञ्जना भी है।

कुपथ मांग सज व्याकुल रोगी ।

वैद न देइ सुनहु मुनि योगी ॥—तुलसी

रामायण में नारदजी के सुन्दर स्वरूप पाने की प्रार्थना पर विष्णु की उक्ति है। इसमें व्यंग्यार्थ है कि यदि आपको सुन्दर बनाया जायगा तो आपकी हानि होगी। अत्र 'सुन्दर बनाने से आप की हानि होगी' इस व्यंग्य से दूसरा व्यंग्य यह निकलता है कि मैं आपके लिये वही करूँगा जिससे आपका हित हो।

(४) अन्यसंनिधिवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

अन्य की समीपता या उपस्थिति में वक्ता बोद्धव्य से कुछ कहे उससे जो व्यंग्य निकले अर्थात् एक कहे, दूसरा सुने और तीसरा समझे वहाँ यह भेद होता है। जैसे—

१ रोज करौं गृहकाज दिन, बीतत याही माझ ।

ईठि लहौं फल एक पल, नीठि निहारे सँझ ॥—दास

दिन तो काम-काज करने में ही बीत जाता है। अभिप्राय यह कि दिन में अवकाश नहीं है। नीठि (बड़ी कठिनता से) देखते-देखते शाम को थोड़ा-सा ईठि फल अर्थात् अवकाश पा जाती हूँ। दास से कहने-वाली ने उपपत्ति को संख्या समय आने का संकेत किया। यह व्यंग्य अन्यसंनिधि की विशेषता से व्यक्त होता है।

घरक सबै न्यौते गये, अभी अँघेरी रात ।

घर किबार नहिं द्वार में, ताते जिय घबरात ॥—प्राचीन

यहाँ सखी के अलावा उस स्त्री का उपपत्ति भी उपस्थित है। नायिका के कथन का सारा तात्पर्य उसी उपपत्ति के प्रति है। किन्तु, अपनी सखा के सामने उससे प्रत्यक्ष यह कुछ कह नहीं सकती। दाहे के साधारण

अर्थ के अलावा अन्य को संनिधि से यहाँ तुम रात में देखके आओ, किसी तरह का न डर है न रोक-टोक। यह व्यंग्यार्थ सूचित होता है। इसलिये यहाँ अन्य संनिधि वैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा व्यंजना है।

अन्यसंनिधिवैशिष्ट्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा

हे हमारे सर्व-सन्ताप-निवारक लतामंडप ! फिर भी सुखोपभोग के लिये तुम्हें निमंत्रण देती हूँ। शकुन्तलानाटक

सखियों के साथ जाते हुई शकुन्तला की लता-मंडप के प्रति यह उक्ति है। अचेतन लतामंडप को सर्व-सन्तापहारक कहना तथा सुखोप-भोगार्थ निमंत्रण देना अर्थ प्राधित है। अतः लक्षणा द्वारा यहाँ लता-मंडप में प्रच्छन्न दुष्यंत का बोध होता है। इस प्रकार छिपे हुए दुष्यंत के प्रति शकुन्तला का अनुराग व्यंग्य है, जो उसको संनिधि की विशेषता से प्रकट होता है।

अन्यसंनिधिवैशिष्ट्योत्पन्नयंग्यसंभवा

निम्नलिखित पंक्तियों उस नायिका की उक्ति है जिसका उपनायक उपस्थित है। उसी समय यह उस पुजारी से कहती है जो फूल लेने को सरिता तट के कुंजों में आया करता और उन लोगों की केलि-क्रीड़ा में में विघ्न डाला करता था।

गोदावरी कूल के कुंजों में जो रहता है मृगराज,

अरे पुजारी ! उसके हरि ने मार दिया कुत्ते को आज।

जो सर्वदा तुम्हें करता था परेशान, पर अब निर्भय—

होकर उन कुंजों में विचरो, करो फूल फल का संचय।—सहृदय

यहाँ वाच्यार्थ में तो यही कहा गया है कि तुम निवृद्धक सरिता तट के कुंजों में जाकर घूमो और फूल चुनो। क्योंकि, जो कुत्ता तुम्हें तंग करता था उसको यहाँ निवास करनेवाले भयानक सिंह ने मार डाला। इस विधि-रूप वाच्यार्थ से इस निपेय रूप व्यंग्य का बोध हुआ कि कुत्ते से तो जान जाने का डर नहीं था पर अब तो जान ही न बचेगी। इसलिये अब स्वर तुम भूल कर भी न जाना।

यहाँ उस नायिका का उपपत्ति उपस्थित है। अतः नायिका के इस व्यंग्यार्थ में एक दूसरा यह व्यंग्यार्थ है कि अब क्या ! जो आदमी पहले एक मालूनी कुत्ते से डर जाता था, वह भला सिंह का नाम सुनकर कैसे यहाँ जा सकता है। चलो, उस सरिता के एकान्त कुंज में (सिंह के कथन

से कुञ्ज के निर्जन होने का व्यंग्यार्थ है) निघड़क विहरें । अर्थात् सरिता तट और कुञ्ज बड़े मनभावन और उद्दीपक हैं । यहाँ एक व्यंग्य से दूसरे व्यंग्य का बोध अन्यसंनिधिवैशिष्ट्य से है । अतः यह अन्य-संनिधिवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा व्यंजना का उदाहरण है ।

(५) वाच्यवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ वाच्य अर्थात् वक्तव्य की विशेषता से व्यंग्य प्रकट हो वहाँ वाच्यवैशिष्ट्योत्पन्न वाच्य-संभवा आर्थी व्यंजना होती है ।

यहाँ वाच्य पद केवल वाच्यार्थ ही का नहीं लक्ष्य और व्यंग्य का भी उपलक्षण है । किसी-किसी का मत है कि जहाँ उत्कृष्ट विशेषणवाले वाक्य की विशेषता से व्यंग्य प्रकट हो वहाँ यह भेद होता है । पर यह लक्षण चिन्त्य है । वाच्य-वैशिष्ट्य का अर्थ 'वाच्यार्थ' की विशेषता ही होनी चाहिये । वाच्य-वैशिष्ट्य के लिये सदा उत्कृष्ट विशेषण आवश्यक नहीं । जैसे—

आज रे कर मोहन-भृंगार ।

मुकुल-धूँघट-पट खोल, उड़ा दिशि-दिशि में मधुर प्रावार
रसालों का हिन्दोल । नाचता पत्र पत्र पर लोल

व्यस्त, व्याकुल-पद चपल वसन्त ।—आरसी

उपर्युक्त पंक्तियों के वसन्त-कालीन विलास की अभिव्यंजना होती है । जब वसन्त स्वयं विहार में मस्त है तब किसी को ऐसे समय में विहार से विमुख न होना चाहिये, यही व्यंग्य है ।

अखिल यौवन के रंग उभार,

हृदियों के हिलते कंकाल; कवों के चिक्ने काले व्याल,
केंचुली काँस सेवार; गूँजते हैं सबके दिन चार ।

सभी फिर हाहाकार ।—पंत

इसमें वाच्य-वैशिष्ट्य से संसार की असारता व्यंग्य है ।

बेलिन साँ लपटाय रही है तमालन की अबली अतिकारी ।

कोकिल केकी कपोतन के कुल केलि करें जहाँ आनंद भारी ॥

सोच करो जिन होहु सुखी मतिराम प्रवीन सबै नरनारी ।

मंजुल बंजुल पुंजन में घन कुंज सखी समुहारी तिहारी ॥—मतिराम

यहाँ प्रणयी-युगल के मिलने का निर्जन एकान्त स्थल सूचित करना वाच्य-विशेष से व्यंग्य है।

एहि निधि पाय सताइ लै स्वेद खेद में मोहि ।

काल लाल हू के कहे, संग न स्वावौ तोहि ॥—दास

घाई के ब्रह्मने उपपति को सुनाकर दूसरे दिन सुअप्रसर सूचित करना वाच्य-विशेष से व्यंग्य है। यह अन्य संनिधिवैशिष्ट्य का भी उदाहरण है।

सूखी सुता पटेल की, सूखी ऊखन पेखि ।

अब फूली फूली फिरै, फूली अरहर देखि ॥—मतिराम

अरहर को फूली कहने से उसकी विशेष अवस्था सूचित होती है। साथ ही पत्तों और डालों से उसका घना होना भी प्रकट होता है। दूसरे संकेत-स्थान की प्राप्ति अर्थात् दूसरा विहार-योग्य स्थान हो जाना व्यंग्य वाच्य-वैशिष्ट्य से प्रतीत होता है।

एक ऐसा ही विहारो का भी दोहा है—

सन सूख्यो, नीत्यो नन्यो, ऊखो लई उखारि ।

हरी-हरी अरहर अजौ धरि धरहरि जिय नारि ॥

एक और उदाहरण लें—

मैं हूँ वही जिसको किया था विधि-विहित अर्द्धांगिनी ।

भूलें न मुझको नाथ, हूँ मैं अनुचरी चिरसंगिनी ॥—गुप्तजी

शोक-प्रकरण में चिरसंगिनी, अर्द्धांगिनी आदि शब्दों से यह व्यंग्यार्थ प्रकट होता है कि अभिमन्यु को अपने साथ उत्तरा को भी ले जाना आवश्यक था।

वाच्यवैशिष्ट्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा

खिचैं छिपाकर छिति छुचैं, तम सतिहरि न सँभारि ।

हँसात-हँसात चलि सखिमुखी, मुख ते आँचरु टारि ॥—विहारी

यहाँ अभिसारिका नायिका को उसकी दूती चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर कहती है—अँकार को परवाह क्या है शशिमुखी, अपने मुँह से आँचल हटाकर खूब प्रसन्न होकर चल। यहाँ शशिमुखी विशेषण से यह अर्थ निकलता है कि तुम्हारा मुख तो खुद चन्द्रमा है। उसके प्रकाश में तू भक्तो-भौँति चल। मगर मुख में चन्द्रवत् प्रकाश का होना संभव नहीं। अतः अर्थप्राप्त है। इससे लक्षणा द्वारा नायिका के सौंदर्य

की उज्ज्वलता व्यंजित होती है जो उसे चलने में और उत्साहित करती है। अतः यहाँ लक्ष्य-संभवा व्यंजना है।

वाच्यवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा

नवल मधुच्छतु निकुंज में प्राप्त । प्रथम कलिका सी अस्फुट गात ।—पंत

यहाँ 'गात' का विशेषण 'अस्फुट' है। 'अस्फुट' शब्द सूचित करता है कि भावी प्रिया के अंग में अभी यौवन नहीं आया है। और, इस व्यंग्यार्थ से दूसरा यह व्यंग्यार्थ प्रकट होता है कि प्रिया का अस्फुट यौवन अत्यन्त सौन्दर्यमय और आकर्षक तो है ही अकलुष भी है। क्योंकि अभी उसका किसी ने उपभोग नहीं किया है। अतः यह वाच्यवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा आर्था व्यंजना का उदाहरण है।

३. सुचि सीतल मंद सुगन्ध समीर सदा दसहूँ दिति डोलत हैं ।

कल कोकिल चातक मोद भरे अनुराग हिये हठि खोलत हैं ॥

लपटी लतिका तरुजालन सों तिन पै खग पुंज कलोलत है ॥

चहूँ ओर ते वानिक सों वनि कै वन में वरही बहु खोलत हैं ॥—व्यं-कौमुद

घरसात के सुहावने समय का सुन्दर वर्णन है। ऐसे समय में कामो-दीपन होना स्वाभाविक है। सखी का नायिका के मन में उमंग जगाकर अभिसार कराना—नायक से मिलने के लिये नायिका को प्रेरित करना व्यंग्य है। यदि स्वयं दूती नायिका की उक्ति हो तो इससे पहला व्यंग्य है कि स्थान सुन्दर और एकाग्र है और इसीसे दूसरा व्यंग्य यह निकलता है कि चलो यहाँ हमलोग त्रिहार करें। अतः यह वाच्य-वैशिष्ट्योत्पन्न व्यंग्य से व्यंग्य है।

मा इस निष्ठुर चन्द्रहास की शान मिटाकर छोड़ेंगे ।

जिन जीभों ने कहे दुर्वचन उनको पकड़ मरोड़ेंगे ।

बहुत दिनों से भरा पाप घंट डेलों से अब फोड़ेंगे ।

उपवन की इस करुण कथा को तोड़ पुरी से जोड़ेंगे ।—हिन्दीप्रेमी

रावण की उपस्थिति में सीता के प्रति हनुमान की उक्ति है। इस अशोक-वाटिका में रावण के निर्दय व्यवहार से जो करुण दृश्य उपस्थित है वह लंका में शीघ्र ही उपस्थित होगा। इसमें पहला व्यंग्य है पापी रावण का वध अत्यन्त सहज है। इसीसे यह दूसरा व्यंग्य भी निकलता है कि आप मुक्त होकर शीघ्र राम से मिलेंगी। यहाँ वाच्यवैशिष्ट्य के कारण व्यंग्य से व्यंग्य है।

(६) प्रस्ताववैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ प्रस्ताव से अर्थात् प्रकरण वश वक्ता के कथन में व्यंग्यार्थ का बोध हो, वहाँ प्रस्ताववैशिष्ट्योत्पन्न आर्थी व्यञ्जना होती है ।

स्वयं मुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पक्ष में,

हमी भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते । — गुप्तजी

इस पद्य से यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि वे कहकर भी जाते तो हम उनके इस पुस्त्य कार्य में बाधक नहीं होतीं । उनका चुपचाप चला जाना उचित नहीं था । यहाँ प्रस्ताव या प्रकरण बुद्धदेव के गृहत्याग का है । यह प्रस्ताव न होने से यह व्यंग्य नहीं निकलता ।

मुन्यां नाइके ते बहु आयौ धामन कंत ।

कुसल पूछिये के मिसनि लीनी बोली इकंत ॥ — प्राचीन

यहाँ समाचार पूछने के प्रस्ताव से मैके के ब्राह्मण को एरान्त में बुलाना व्यञ्जित करता है कि वह उसका पुराना प्रेमी है । यदि मैके का बाभन (ब्राह्मण) न होता और समाचार पूछने का प्रस्ताव न होता तो यह व्यंग्यार्थ प्रकट न होता ।

कृष्णा सुभद्रा आदि को, अवलोक कर रोते हुए,

हरि के हृदय में भी वहाँ कुछ-कुछ कष्ट रस-रस हुए ॥ — गुप्तजी

यहाँ निर्विकार कृष्ण भी शोकोद्भेक से न बच सके । इस पद्यार्थ से शोक-प्रकरण के कारण अवर्णनीय दुःख-पारावार का व्यंग्यार्थ प्रकट होता है ।

प्रस्ताववैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

ज्यों-ज्यों बहुबरनी मैं प्राणनाथ, मेरे प्राण अग न लगाइये जू, आगे दुख पाइयो ।
 त्यों-त्यों हैंति-हैंति अति सिर पर डर पर कीयो कियो आँखिन के ऊपर खिलाइयो ॥
 एकौ पल इत-उत साथ तैं न जान दीन्हें, लीन्हें फिरे हाथ को कहीं लो गुण गाइयो ।
 तुम तो कहत तिन्हें छाडि के चलन अब, छाडत ये कैसे तुम्हें आगे उठि घाइयो ॥
 — केशव

यहाँ नायिका के पति के परदेश जाने का प्रकरण है । उसके परदेश जाते समय पति-प्रेम-परायणा नायिका कहती है—'हे नाथ, पहले

तो मैंने अनेक बार रोका कि इतना मेरा लाड़-प्यार न करो, नहीं तो आगे दुख होगा। मगर मैंने जितना ही तुम्हें रोका, तुम ने उतना ही अधिक मेरे प्राणों को आँखों पर, हृदय पर लेकर खेलाते रहे। एक क्षण भी श्धर-श्धर नहीं जाने दिया। मगर अब तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे प्राणों को छोड़कर चला जाऊँगा पर ये कैसे तुम्हें छोड़ेंगे। ये तो तुम्हारे जाने के पहले ही उठकर भाग जायेंगे।

इस छंद की अन्तिम दो पंक्तियों में कहा गया है कि तुम्हारे जाने के पहले ही हमारे प्राण उठकर भाग जायेंगे। यहाँ प्रियतम के परदेश जाने के पहले ही प्राणों का उठकर भाग जाना वाच्यार्थ बाधित है। इस वाच्यार्थ का बाध होने पर प्राणों के भागने का प्रयोजनवती लक्षणा द्वारा यह लक्ष्याथ हुआ है कि हे प्रियतम, जब तुम मुझे छोड़कर परदेश चलने की तैयारी करोगे तो तुम्हारे चलने के पहले ही ये मेरे प्राण संकट में पड़ जायेंगे। बचेंगे कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। इससे यह व्यंग्यार्थ निकला कि तुमने मेरा इतना लाड़-प्यार किया है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। इसलिये यहाँ प्रकरण-वैशिष्ट्योत्पन्न लक्ष्यसंभवा अर्थ व्यंजना है।

उपर्युक्त पंक्तियों प्रस्ताववैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा अर्थ व्यंजना का भी उदाहरण है। वाच्यार्थ का बाध होने पर जब लक्ष्यार्थ द्वारा यह व्यंग्य निकलता है कि तुम्हारे जाने के पहले ही मैं मर जाऊँगी तब इसी व्यंग्य के द्वारा एक इस दूसरे व्यंग्य का भी बोध होता है कि 'हे प्रियतम तुम्हारे बिना जब मैं जी न सकूँगी, तब तुम परदेश मत जाओ।' क्योंकि, तुम्हीं ने पहले प्यार कर-करके मुझे इतना अनुगत, अनुरक्त और एकप्राण बना लिया है कि एक क्षण भी वियुक्त न रह सकूँगी। सच पूछिये तो पति के रोकने का ही अभिप्राय नायिका का है।

प्रस्ताववैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा

लखन तुम्हारे सपथ पितु आना।

सुनि सुबंधु नहीं भरत समाना।—तुलसी

जब जंगल में भरतजी सदल-बल रामचन्द्र से मिलने आ रहे थे तब लक्ष्मण ने इतने आदमियों को आते देखकर रामजी से कहा कि जान पड़ता है भरत लड़ाई करने आ रहा है। यह चाहता है कि आप

को मारकर मैं अयोध्या का निष्कण्टक राज करूँ ! आप आज्ञा दीजिए तो मैं उसको मार डालूँ । ऐसी बातें सुनने पर राम ने उपर्युक्त पंक्ति कही है । अर्थ है—हे लखन, मैं तुम्हारी और पिता की शपथ खाकर कह सकता हूँ कि भरत जैसा-निश्छल और अच्छा भाई और कोई नहीं है । इन बातों से व्यंग्य निकलता है कि तुम्हारा विचार अनुचित है । फिर इस व्यंग्य से अन्य यह व्यंग्य भी निकलता है कि तुमको अनन्य धातुभक्त होने का घमण्ड न करना चाहिए । यहाँ भारत-मिलन का प्रकरण होने के कारण ही एक व्यंग्य से दूसरे व्यंग्य का बोध होता है ।

(७) देशवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ स्थान की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ प्रकट हो वहाँ यह भेद होता है । जैसे—

ये गिरि सोई जहाँ मधुरी मदमत्त मयूरन की धुनि छाई ।
या घन में कमनीय मृगोन की लोल कलोलिन डोलन भाई ॥
सोहे सरितट धारि घनो जल शृच्छन की नभ नील निकाई ।
बंजुल मंजु लतान की चारु चुभीली जहाँ सुखमा सरसाई ॥

—सत्यनारायण कविरत्न

यहाँ रामचन्द्रजी के अपने वनवास के समय की सुख-श्रुतियों व्यंजित होते हैं जो देश-विशेषता से ही प्रकट हैं ।

हौं असक ज्यों-स्यों इतदि, सुगन चुनौगी चादि ।

मानि विनय मेरी अली, और ठौर तू जाहि ॥—दास

सखी को हटाने के विनय से यह व्यंग्यार्थ प्रकट है कि यह स्थान प्रियतम से मिलने के लिए निश्चित है जो देश-वैशिष्ट्य से सूचित होता है ।

चित्रकूट में रमि रहे, रहि मन अवध नरेस ।

जा पर विपदा परत है, सो आवत यदि देस ॥

इस दोहे से यह व्यंग्य प्रकट है कि चित्रकूट विपन्न व्यक्तियों को शान्तिदायक तथा पवित्र है । अतः यहाँ दुःख के दिन बिताने योग्य है । यह बात रामनिवास के कारण इस स्थल की विशेषता से सूचित होती है ।

केलि करे मधुमत्त जहँ, घन मधुपन के पुंज ।

सोच न कर तुव सामरे, सखी सपन वन कुंज ॥—मतिराम

समुद्राल में सघन वन-कुंज कहकर संकेत-स्थान को सूचित करना व्यंग्य है जो देश-वैशिष्ट्य से प्रकट है ।

सघन कुंज कुसुमित विटप, किये असमसर ऐन ।

जमुना तीर तमाल डिग, तजत न द्विन-पल मैन ।—प्रताप शाही

स्थान की विशेषता से परपुरुष से मिलने का व्यंग्य है । परकीया की उक्ति सखी से है ।

देशवैशिष्ट्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा

माँड़व गढ़ भङ्गता जाता है, नित्य धूल खाता है ।

जन-समूह उसका शव-दर्शन-पुण्य लष्ट आता है ॥—भा० आत्मा

यहाँ 'माँड़व गढ़' का 'धूल खाना' नितान्त असम्भव है । न तो धूल भक्ष्य है और न माँड़व गढ़ भक्षक । मगर 'माँड़व गढ़' जैसे स्थान-विशेष के 'धूल खाने' का लक्ष्यार्थ होता है माँड़व गढ़ का दिनोदिन खँडहर होकर नष्ट होते जाना । इससे यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि 'माँड़व' जैसा गौरवशाल गढ़ भी आज धूल में लोट रहा है तो दूसरे स्थान की ध्वंसोन्मुखता का क्या कहा जाय । यहाँ स्थान की विशेषता के कारण ही यह व्यंग्यार्थ लक्षणा द्वारा सूचित होता है । यदि 'धूल खाना' मुहावरे में निरुद्धलक्षणा कही जाय तो 'भङ्गता' के लक्ष्यार्थ से यह व्यंग्य मानिये ।

देशवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा

घाम घरीक निवारियै कलित ललित अलि पुंज ।

जमुना तीर तमाल तरु भिलत मालती कुंज ॥—बिहारी

यहाँ स्वयं निवेदिका नायिका धूप और रास्ते के श्रम से श्लथ एक पथिक से कहती है कि यमुना के तीर पर तमाल-तरु से लिपटे और सुन्दर, अलि-पुंजों से गुंजित मालती-कुंज में घड़ी भर यह दुपहरी विताइये ।

यहाँ यमुना के तट (स्थान-विशेष) के कारण ही उस मालती-कुंज की शीतलता का व्यंग्य है । देश-विशेष के कारण इस व्यंग्यार्थ से एक दूसरा व्यंग्यार्थ यह भी निकलता है कि वह स्थान शीतल होने के अतिरिक्त संगम-स्थल भी है । मैं दोपहर को यहाँ जल लेने जाती हूँ । तुम वहीं चलकर ठहरो । मैं शीघ्र ही आ रही

हैं। वह जगह ऐसा है कि आदमियों की फया घात ! वृक्ष और लता भो परस्पर मिलन का सुख अनुभव करते हैं। स्थान बड़ा ही उत्तम है। यह दूसरा व्यंग्यार्थ पहले व्यंग्यार्थ के बोध हो जाने पर अत्रगत होता है। अतः यह व्यंग्यसंभवा देशवैशिष्ट्योत्पन्न आर्थी व्यञ्जना का उदाहरण है। यह उदाहरण 'बोद्धव्य-वैशिष्ट्य' में भी आया है।

(८) कालवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ समय की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ का बोध हो वहाँ कालवैशिष्ट्योत्पन्न आर्थी व्यञ्जना होती है।

छकि रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध।

ठौर-ठौर कौरत भयत भौर भौर मधु अंध ॥—विहारी

मानिनो नायिका की सखी मतयाले वसंत का वर्णन करके उसके मान-भोवन के लिये आप्रह कर रही है। 'इस वसंत काल में तुम्हारा मान किसी प्रकार टिक नहीं सकता। आनंद और रसकेलि के समय कहीं मान किया जाता है।' आदि व्यंग्यार्थ का वसंतकाल के कारण ही बोध होता है। अतः यहाँ वाच्य संभवा कालवैशिष्ट्योत्पन्न आर्थी व्यञ्जना है।

कहीं जायेंगे प्राण ये लेकर इतना ताप ?

प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप ॥—गुप्तजी

इस पद्य से जो अभिलाषा, जो वेदनाधिक्य व्यंग्य है वह काल-वैशिष्ट्य के कारण वाच्योत्पन्न है।

नहीं रहत तो जान दे कहा रही गहि फँट।

घर फिरि अइहँ होत ही वन वागन सों भेंट ॥ दास

वसंत ऋतु के कामोद्दीपक होने के कारण, जाने पर भो वन-यागों को देखते हैं। अर्थात् उनमें वसंत का विकास होते ही लीट आवेंगे। इसमें वसंत में लीटने की आशा का व्यंजित होना कालवैशिष्ट्योत्पन्न वाच्य से है।

ऐ ब्रज चन्द चलौ किन वॉ ब्रज लूँ वसंत की ऊँचन लागी।

त्यौ 'पदमाकर' पेखी पलासन पावक भी मनौ फुकन लागी ॥

वै ब्रजवारी बेचारी बधू बनवारी हिये लो सुहृकन लागी।

कारी कुरूप कयाश्नै ये सु कुहूकुहू कबेलिया कूँचन लागी ॥ पद्माकर

वसंत काल के वर्णन से कामोद्दीपन व्यंग्य प्रकट है।

कालवैशिष्ट्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा

ऊधो यह सूधो सो संदेशो कहि दीजो भंले; हरि सों हमार छाँ न फूले वन कुज हैं ।
किंसुक गुलाब कचनार औ अनारन की डारन पै डोलत अंगारन के पुज हैं ।

—पदाकर

यहाँ विरहिणी गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि 'हे ऊधो भली भाँति हमारा संदेश कृष्ण से कहना कि उनके यहाँ की तरह यहाँ वसंत में वन-कुज नहीं फूलते-फलते। यहाँ के किंसुक, गुलाब, कचनार और अनारों की डालियों पर अंगारे भूलते रहते हैं।'

यहाँ ढालों पर अंगारों का डोलना कहने से वाच्यार्थ-भाव होता है। मगर वसंत ऋतु के वर्णन से इसका लक्ष्यार्थ निकलता है कि हे ऊधो, इस वसंत में ढालों पर जो लाल-लाल फूल दिखाई देते हैं वे (कृष्ण के विरह में) हमलों के लिये फूल नहीं हैं, आग के अंगार के-से दुखदायी हैं। इस लक्ष्यार्थ से यह व्यंग्य निकलता है कि ब्रजवनिताओं का कृष्णविरह असह्य है। अतः यहाँ लक्ष्यसंभवा कालवैशिष्ट्योत्पन्न अर्थी व्यञ्जना है।

इसी पद्य में 'हे ऊधो, कृष्ण से जाकर हमलों का यह समाचार कहना कि वसंत में तुम्हारे विरह से गोपियों का हाल बेहाल है और लाल-लाल फूल अंगार की तरह जलाते हैं। इस उक्त के पहले व्यंग्य से दूसरा व्यंग्यार्थ यह निकलता है कि 'शीघ्र गोकुल चले आओ। क्योंकि, इस वसन्त में हमलोग तुम्हारे बिना जी नहीं सकती'। इस द्वितीय व्यंग्यार्थ के बोध का कारण यह कालवैशिष्ट्योत्पन्न अर्थी व्यञ्जना है।

कालवैशिष्ट्योत्पन्न व्यंग्य से व्यंग्य

राखिय अवध जो अवधि लागि, रहत जानिये प्रान ।

दीनबंधु सुन्दर सुखद सील - सनेह - निधान ॥—तुलसी

यहाँ 'अवधि' से रामवनवास के चौदह वर्ष के नियत समय का अभिप्राय है। साथ मुझे न ले जाने से अवधि तक मेरा जीना असंभव है। यह व्यंग्यार्थ कालवैशिष्ट्य के स्पष्ट है। इस व्यंग्य से यह भी व्यंग्य निकलता है कि मुझे भी साथ ले चलिये। मैं घर न रहूँगी।

ऐसे ही अन्य ऋतुओं, चँदनी रात आदि से जहाँ व्यंग्यार्थ प्रकट हो वहाँ कालवैशिष्ट्य से उत्पन्न व्यंग्य समझा जाता है।

(६) काकुवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

कंठ-ध्वनि की भिन्नता से अर्थात् गले के द्वारा विशेष प्रकार से निकाली हुई ध्वनि को 'काकु' कहते हैं । जैसे,

मैं मुकुमारि नाथ बन जोगू । तुमहि उचित तप मो कहूँ भोगू ॥ —तुलसी

यहाँ मीना के कथन को जरा बदलो हुई कण्ठ-ध्वनि से कहिये—मैं मुकुमारि ! नाथ बन जोगू ! तुमहि उचित तप ! मो कहूँ भोगू ! तो यह व्यंग्यार्थ प्रकट होगा कि मैं ही केवल मुकुमार नहीं हूँ, आप भी मुकुमार हैं । आप बन के योग्य हैं तो मैं भी बन के योग्य हूँ । जैसे राजा को लड़की मैं ब्रह्मे राजा के लड़के आप । तब यह कैसे संभव है कि जिस योग्य आप हैं उस योग्य मैं नहीं और जिम योग्य मैं हूँ उस योग्य आप नहीं । इससे मेरा बन जाना उचित है । दूमरी पंक्ति का भी इसी प्रकार व्यंग्यार्थ होगा । फलतः हम दोनों ही के लिये तप और भोग समान हैं । एक जाति, धर्म, गुणवाले को जो उचित है वही दूसरे के लिये भी । इसमें भिन्नता का लवलेश भी न होना चाहिये ।

चलत पीय परदेश की, बरज सकां नहि तोहि ।

ले ऐसी आभरन ती, जियन पायही मोहि ॥ —मतिराम

अर्थ स्पष्ट है । इसको काकु से यह व्यंग्य निकलता है कि मैं तुम्हें रोक सकतो हूँ पर नहीं रोकतो । और उत्तरार्ध में भी व्यंग्य है—तुम्हारे चले जाने से मैं जोषित नहीं रहूँगी ।

छोड़ेगा यदि तू न इसे हठ दीप से ।

झपटेगी तो अभी सिद्धिनी रोप से ॥

सर्वदमन ने कहा मुँह बना क्यों नहीं ।

हरता जो हूँ सिद्ध देख मैं सब कहों ॥ —मै० रा० गुण

व्यंग्य निकलता है कि तुम कितना हूँ मुझे डराओ, मैं सिद्ध से नहीं डरता ।

काकुवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

पीडित की आँखों का पानी करेगा कुछ मनमानी ।

अग लगायेगा न राज में दुष्टों के इस राज-बाज में ॥ हि० प्रे मी

माधारणः इसका अर्थ है कि पीडितों की आँखों का पानी कुछ मनमानी न करेगा और न राज को तथा दुष्टों के साज-बाज को नष्ट ही

करेगा। पर, काकु से अर्थ होगा कि आँखों का पानी राज में आग लगावेगा ही, आदि। 'पानी का आग लगाना' कहने में अर्थबाध है। इससे लक्षणा द्वारा यह अर्थ होगा कि आँसू राज में कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करेगा, विपद् लायेगा। इस लक्ष्यार्थ से काकु के कारण यह व्यंग्य निकलता है कि पीड़ितों का, दुखियों का, सताये हुआ का आँसू कुछ न कुछ अनर्थ पैदा करता ही है, व्यर्थ नहीं जाता।

काकुवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा

गने जात हौ सँवरे, सब साधुन में साधु ।

सौहैं सौहैं खात कस, तुम न कियो अपराधु ॥—प्राचीन

यहाँ काकु से यह व्यंग्यार्थ होता है कि तुमने ही अपराध किया है और इस व्यंग्यार्थ से एक दूसरा यह व्यंग्यार्थ भी ध्वनित होता है कि तुम साधुओं में साधु—अर्थात् कपटियों में भी कपटी हो। तुम्हारा शपथ खाना व्यर्थ है। लाख शपथ खाओ पर मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करती।

हग लखि है मधु चन्द्रिका, सुनि हैं कल धुनि कान ।

रहिहैं मेरे प्राण धन, प्रीतम करो पयान ॥—प्राचीन

यहाँ काकु द्वारा सारे विध्यर्थक वाक्यों का चला अर्थ हो जाता है। अर्थात् तुम्हारे जाने पर मेरी आँखों को चाँदनी अच्छी नहीं लगेगी; मेरे कान मधुर गीत आदि सुन न सकेंगे; मैं जी भी नहीं सकूँगी; इसलिये तुम प्रस्थान मत करो। काकु द्वारा जो इस व्यंग्यार्थ का बोध होता है उससे एक दूसरा व्यंग्य यह निकलता है कि तुम्हारे रहने पर हमलोग वसंत की चाँदनी रातों में संगीतोत्सव मनायेंगे। अतः यह काकुवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा का उदाहरण है।

मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जिअई कि लवण पयोधि मराली ।

नव रसाल वन विहरण शीला । सोह कि कोकिल विपिन करीला ॥—तुलसी

मानसरोवर में पली हंसिनी क्या लवण-समुद्र में जी सकती है? आम्रकुंज में विहार करनेवाली कोयल क्या करील के वन में शोभा पा सकती है ?

इसो चौपाई को भिन्न हंग से कुछ जोर देकर पढ़ा जाये तो, यह व्यंग्यार्थ निकलेगा कि हंसिनी लवण-समुद्र में नहीं जी सकती और कोयल करील-कानन में कभी शोभा नहीं पा सकती। यह काकु उक्ति

से आक्षिप्त व्यंग्य है जो गुणीभूत व्यंग्य का एक भेद है। चक्तिमात्र से ही यह व्यंग्य परिलक्षित हो जाता है। इससे यह साधारण कोटि का है, किन्तु यहाँ काकुवैशिष्ट्य द्वारा जो व्यंग्य से यह व्यंग्य निकालना है कि सीता जैसी सुकुमार, जो आजन्म लाङ्घ्यार से पली है, कभी बन जाने के योग्य नहीं। उसको बन ले जाना उसके साथ अन्याय करना है, उसके ऊपर दुःख का पहाड़ लाद देना है। इससे तुम घर ही रहो। बन भेज देने से दुनिया मुझे अविचेकी और हृदयहीन कहेगी। यह व्यंग्य-संभवा है।

चेष्टावैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ चेष्टा—अर्थात् हाँसना—हाव-भावादि द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है, वहाँ उपर्युक्त आर्था व्यंजना होती है।

कंडक काढ़त लाल के नचल नाह निवाह ।

चरन खींच लीनो तिया हँसि भूठे करि आह ॥—प्राचीन

यहाँ भूठ-भूठ को आह भर के और हँस करके चरन खींच लेने से नायिका का किलकिञ्चित व्यंग्य है। इससे यहाँ चेष्टा द्वारा वाच्यसंभवा आर्था व्यंजना है।

लखि गुहजन विच कमल सों सीस छुआयो बाम ।

हरि संमुख करि आरसी हिये लगाई स्थम ॥—प्राचीन

यहाँ चेष्टा-वैशिष्ट्य से स्वागताभिवादन और आलिंगन दोनों व्यंग्य हैं। दोनों का अनुराग भी सूचित होता है।

सटपटाति धी मसिमुखी, मुख घूँपट पट हौंकि ।

पावक भर सी भ्रमको कै, गयी भरोखा भौंकि ॥—विहारी

शशिमुखी नायिका सटपटाती हुई भरोखे में भ्रमक कर पेसी भौंकि गयी भानों आग की लपट चमक गयी हो। नायक के इन वर्णन में नायिका का पूर्वानुराग व्यंग्य है। परकीया होने से राका संचारी भाव भी व्यंग्य है जो चेष्टा-विशेष से प्रकट है।

पुनि आउव इहि विरियाँ काली । अम कदि विहँसि उठी इक आला ॥

यहाँ सखी के हँसने की चेष्टा से राम के प्रति सीता के हृदय में वर्तमान दर्शनोत्प्रेक्षा व्यंग्य है।

आहा । अब ही उठी अचानक यह हुँकारित ।

ताव पेंच सा बनी कालफखिनी फुँकारित ॥

द्रौपदी की इस चेष्टा से उसके आत्म-सम्मान पर किये गये प्रहार के कारण लुब्ध हृदय का क्रोधावेग व्यंग्य है।

चेष्टावैशिष्ट्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा

डिगलत पानि डिगुलात गिरि, लखि सब ब्रज बेहाल ।

कम्पि किशोरी दरस कै, खरे लजाने लाल ॥—बिहारी

एक बार प्रलय की सी वृष्टि से ब्रजवासियों को बचाने के लिये श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर गोवर्द्धन धारण किया था। मगर उसी समय राधिका के दर्शन से उनका हाथ काँप गया और इस घटना से सारे ब्रजवासी बेहाल हो गये।

यहाँ राधिका के दर्शन से श्रीकृष्ण के हस्तकंपन का मुख्यार्थ बाधित है। क्योंकि, किसी के देखने ही से किसी का हाथ नहीं काँप जाता। मगर 'खरे लजाने लाल' इस अन्तरिम पंक्ति की चेष्टा से कंप का अर्थ हो जाता है प्रेम-जनित सात्विक भाव का उद्रेक। यहाँ यदि लज्जित होने की चेष्टा का प्रकाश नहीं रहता तो कभी दर्शन से कंपन के तात्पर्यार्थ का बोध न होता। इसलिये दर्शन से कंपन के वाच्यार्थ का जो बाध हो रहा था, वह कृष्ण के लज्जित होने की चेष्टा से लक्षणा द्वारा लक्षित उक्तार्थ से मिट जाता है और तब उसका व्यंग्य अर्थ होता है कि कृष्ण राधिका के अनुराग में इतने मग्न थे कि गोवर्द्धनवारी हाथ भी काँप गया और गुरुजनों के सामने अपना भेद खुलते देखकर लज्जित हो गये। इसलिये यहाँ लक्ष्य-संभवा चेष्टा-वैशिष्ट्योत्पन्न अर्थ व्यंजना है।

चेष्टावैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा

हार मान पिय गयो, करि-करि के मनुहार ।

प्रात होत लखि तिय उठी, करि पायल भंकार ॥—प्राचीन

कोई मानिसी नायिका जब अपने प्रियतम के लाख समझाने और मनाने पर नहीं मान सकी तब हार मानकर अंत में नायक सो गया। इसी तरह रात्रि व्यतीत हो चली, पर नायक की नींद नहीं खुली।

इस चेष्टा से यह व्यंग्यार्थ प्रकट होता है कि अब प्रभात निकट होने के कारण मैं जा रही हूँ, तुम उठो। नायिका भानिनी थी। अतः प्रियतम को यों नहीं उठा सकता थी। वह अपनी चेष्टा से अपने अभिप्राय को प्रकट कर रही है। मगर, नायिका की चेष्टा सिर्फ—तुम उठो, मैं जा रही हूँ। प्रभात हो चला—इतने ही व्यंग्यार्थ का बोध कराकर पर्यवसित नहीं हो जाती, बल्कि इस व्यंग्यार्थ के बाद—इसके द्वारा इस दूसरे व्यंग्यार्थ का भी बोध कराती है कि ओ प्रियतम, अब मैं मान नहीं करूँगी। तुम उठो। इस थोड़ी सी बची रात्रि को भी यों ही मान और शयन में न गँवाओ। अन्यथा अत्यन्त पश्चान्नाप होगा। नूपुरों की भंकार द्वारा प्रियतम को जगाकर मन को और उद्वीकृत करने की चेष्टा के वैशिष्ट्य से यहाँ व्यंग्यसंभवा आर्थी व्यंजना है।

लै चम्पक को फूल कर प्रिय दीन्हों मुसकाय ।

सर्मुक्क सुपरि हिय में दियो किमुक फूल चलाय ॥ —प्राचीन

इसमें नायक-नायिका के फूल देने की चेष्टा से यह व्यंग्यार्थ प्रकट है कि भौरा-जैसे चंपक फूल के पास नहीं जाता वैसे ही मैं पर-स्त्री के पास नहीं जाता और किमुक फूल देने से यह व्यंग्य है कि तुम्हारे शरीर में लाल और काला चिह्न सिद्ध और काजल का है, जिससे प्रकट है कि तुम अन्यत्र रमण करके आये हो।

इससे दूसरे व्यंग्य का बोध हुआ कि इस गन्वहीन किमुन को तरह तुम भी चरित्रहीन और हृदयहीन हो।

पाँचवीं किरण

अनेकवैशिष्ट्योत्पन्न व्यंग्य

कहीं-कहीं एक ही उदाहरण में अनेक-वैशिष्ट्यों से भी एक व्यंग्य प्रतीत होता। जैसे,

काम कुपित मधुमास अरु, भ्रमहारी वह बाय ।

कुञ्ज मजु वन पति अनत करौ सखी कह काय ॥ —अनुवाद

इसमें मधुमास कथन से कालवैशिष्ट्य, कुञ्ज मंजु वन से देश-वैशिष्ट्य, वियोग के प्रकरण से प्रस्ताव-वैशिष्ट्य, इनसे 'यहाँ तू प्रच्छन्न

कामुक को भेज' यह व्यंग्य प्रकट है। इन पृथक्-पृथक् विशेषताओं से पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार भी व्यंग्यार्थ सूचित होता है।

बेसुध सोवति सास उत, हौं इतो, लखु दिन माँझ ।

पथिक रतौंघा सेज तें उदक पदै जनि साँझ ॥ —अनुवाद

यहाँ 'बेसुध' सोने की बात से यह व्यंग्य है कि किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, कोई डर-भय नहीं। 'हौं इत' से यह व्यंग्य है कि मैं अन्यत्र अकेली ही रहती हूँ और रात भर भपकी भी नहीं लेती। क्योंकि यहाँ 'सोवति' अनन्वित है। दिन में देख लेने से यह व्यंग्य है कि दिन में मिलना असम्भव है और यह भी व्यंग्य है कि मैं कैसी सुन्दरी और युवती हूँ, यह भी समझ लो। 'रतौंघा' कहने से व्यंग्य है कि शय्यानिर्देश का रहस्य कोई समझ न सके। 'पथिक' कहने से यह व्यंग्य है कि धके-माँदि होने के कारण बेसुध हो सो न जाना। 'सेज से टकरा न जाना' कहने से यह व्यंग्य है कि पृथक् रूप से अपनी शय्या का निर्देश करने से किसी को शङ्का करने का अवसर प्राप्त न हो।

यहाँ स्वयंदूती नायिका और कामुक श्रोता के कारण यह व्यंग्य है कि मुर्दे से बाजी लगाकर सोनेवाली सास को छोड़कर घर में कोई दूसरा नहीं। इससे देखटके मेरो शय्या पर आकर सो जाना।

इसमें वक्त्री नायिका और बोद्धव्य पथिक है। यहाँ दोनों की विशेषता से उपर्युक्त व्यंग्य है।

यहाँ का वाच्यार्थ निषेधात्मक है पर व्यंग्यार्थ विधानार्थक।

इसी प्रकार उत्तम काव्य में पद-पद पर व्यंग्य का अमन्द आनन्द प्राप्त होता है।

छठो किरण

शाब्दी और आर्थी व्यञ्जना का क्षेत्र-विभाग

शब्द और अर्थ परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। फिर शाब्दी और आर्थी व्यञ्जना का भेद कैसा ? यह एक प्रश्न है। यह निश्चित है कि शब्द से बोधित होकर ही अर्थ अभिव्यञ्जन करता है और शब्द भी वाच्यतिरिक्त अर्थ का आश्रय लेकर ही व्यञ्जक होता है। अतः शब्द और अर्थ, इनमें जहाँ एक व्यञ्जक होता है वहाँ दूसरा अशक्य उसका सहकारो रहता है। एक की व्यञ्जकता में दूसरे का सहयोग अवश्य मानना ही पड़ेगा। अभिप्राय यह कि केवल शब्द द्वारा या अर्थ द्वारा व्यञ्जना का व्यापार नहीं हो सकता।¹

शाब्दी में शब्द की प्रधानता रहती है और आर्थी में अर्थ ही। इसीसे यह पृथक्-पृथक् शाब्दी या आर्थी व्यञ्जना कहलाती है। अन्वय-नता हो इनके भिन्न-भेद नाम का कारण है। जहाँ जिम्हो अन्वय-हई वहाँ रक्त नाम से वह अभिहित हुई।

योग्य बना देगी तभी सुसंगत अर्थ प्रतीत होगा और तभी कोई उसके परिशीलन से वृत्ति प्राप्त करेगा। अभिप्राय यह कि विकल वाच्यार्थ में तत्र तक अभिधा के अतिरिक्त अन्य शक्तियों की सहायता से सकलता न आयेगी तत्र तक सम्पूर्ण काव्यार्थ ही स्थिर न होगा, आनन्ददायकता और मनोरञ्जकता तो दूर की बात है। अन्यत्र आनन्द ज्ञान का फल होता है और इसलिये उनमें पौर्वापर्य रहता है। अर्थात् पहले ज्ञान हो जाता है, पश्चात् आनन्द की उपलब्धि होती है। पर काव्य में यह क्रम नहीं रहता। यहाँ ज्ञान और आनन्द साथ ही साथ चलते हैं। अतः काव्यानन्द ज्ञानात्मक सत्य की उपेक्षा करके स्वतन्त्रता से निष्पन्न नहीं हो सकता; सत्य से संबलित होकर ही निष्पन्न होता है। इसलिये यह कहना कि व्याहृत, अनुपपन्न, बुद्धि को अप्राण्य वाच्यार्थ काव्यत्व की सिद्धि पहले कर देता है, बाद को सत्य उसे सम्हालता है, नितान्त असंगत है। यह कथन अव्याप्त भी है जैसा पहले कहा गया है। जहाँ उपपन्न और अव्याहृत वाच्यार्थ से व्यञ्जना द्वारा भाव या रस की अनुभूति होती है वहाँ शुक्लजी की प्रिय व्याहृति या अनुपपन्नता न रहने पर भी केवल काव्यत्व ही नहीं होता, प्रत्युत उसे उत्तम काव्य की उपाधि प्राप्त होती है। अतः वाच्यार्थ की इतनी वकालत न करनी चाहिये थी जो व्यर्थ ही शास्त्रीय प्रक्रिया को भ्रान्त ठहरा दे। एक उदाहरण लें—

सुत बित नारि भवन परिवारा । होंहि जॉहि जग वारहि वारा ।

अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिलहि न जगत सहोदर आता ॥

—रामायण

इस प्रसङ्ग पर किसी भी सहृदय की आँखों से करुणा उमड़ पड़ेगी। क्यों? यहाँ तो व्याहृत वाच्यार्थ नहीं, अव्याहृत ही है। कोई अलंकार नहीं और न उक्ति-वैचित्र्य ही है। फिर इसमें क्या बात है जो ये पंक्तियाँ तीर की तरह हृदय पर असर करती हैं? वही व्यञ्जना। इस प्रसङ्ग से जो करुण रस की व्यञ्जना होती है वही इसमें काव्यत्व ला देती है। केवल यही नहीं, उत्तम काव्य कोटि तक पहुँचा देती है। इससे वाच्यार्थ में काव्यत्व नहीं, प्रत्युत व्यञ्जनायुक्त वाच्यार्थ में ही काव्यत्व है।

यदि शुक्लजी का वाच्यार्थ से यह अभिप्राय हो कि वाच्यार्थ ही लक्षणा और व्यञ्जना का मूल है, इससे उसीकी प्रधानता है, इसको तो सभी आचार्य मानते हैं। वाच्यार्थ तो किसी अवस्था में भी घाद नहीं दिया जा सकता। बिना वाच्यार्थ के व्यंग्यार्थ का उद्धान

ही संभव नहीं है। हमारा पक्ष केवल यही है कि व्यञ्जक वाक्य में भी काव्यत्व है। चाहे यह व्यञ्जना रस-भाव की हो चाहे वस्तुलक्षण की। अव्यञ्जक वर्णन काव्य कहलाने योग्य नहीं। हाँ, वाच्यार्थ-चमत्कार-युक्त वर्णन भी काव्य हो सकता है पर उसका दर्जा तीसरा है। इसीसे उत्तम काव्य को ध्वनि कहा गया है अर्थात् जिस काव्य से ध्वनि निकले, उत्तम व्यञ्जना हो, वही उत्तम है। यदि शुक्लजी का उक्त अभिप्राय न हो तो हमें दुःख के साथ उनका विरोध करना पड़ता है।

शुक्लजी ने कहने को तो कह दिया कि वाच्यार्थ में ही काव्यत्व है पर उनके वक्तव्य से ही उनका एक प्रकार से खण्डन हो जाता है। भ्रमरगीतमाला में सूरदास की इन पंक्तियों—

“सूरदास प्रभु वै अति खोटे यह उनहूँ ते अति ही खोटी ॥”

“सूरदास रावस जो दीजे कारो कृतहि न मानै ॥”

की आलोचना में एक स्थान पर आप लिखते हैं—

पर यह बचन कहाँ तक ठीक है, इसका निर्णय इस प्रश्न के उत्तर द्वारा भटपट हो सकता है। ‘सूरदास प्रभु वै अति खोटे’ ‘कारो कृतहि न मानै।’ इन दोनों वाक्यों में वाच्यार्थ के अतिरिक्त सलक्ष्य या असंलक्ष्य किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ भी है या नहीं ? यदि किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है तो उक्त कथन ठीक हो सकता है। पर किसी प्रकार का व्यंग्य न होने पर ये दोनों वाक्य रसात्मक न होंगे, इनमें कुछ काव्यत्व न होगा। पर हमारे देखने में दोनों वाक्य असंलक्ष्यकम व्यंग्य के कारण रसात्मक हैं। × × सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है और संचारी के रूप में प्रिय सखी राधा के प्रति रतिभाव की व्यञ्जना करती है। × × इसी प्रकार दूसरा पद विरहाकुल गोपी का बचन है जिससे कुछ विनोदमिश्रित अमर्ष व्यञ्जित होता है। यह अमर्ष भी यहाँ रतिभाव का व्यञ्जक है.....

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि शुक्लजी का वाच्यार्थ में काव्य की रमणीयता मानना ‘ध्वनो व्याघात’ है। दोनों पंक्तियों में वाच्यार्थ है, कुछ अटपटी उक्ति भी है, फिर भी वे इन्हें विना व्यंग्य के काव्य नहीं मानते। यहाँ काव्य की रमणीयता व्यंग्य में ही है जो उनकी ही व्याख्या से भङ्गकरी है। यहाँ की व्यञ्जना ने ध्वनिरूपता को प्राप्त कर लिया है।

सादर चारहि चार सुभाय चितै तुम त्यों हमरो मन मोहैं ।

पूछति प्रामथ्य सिय सौं कही साँवरे से, सखि, रावरे को है ?—तुलसी

‘गोस्वामी तुलसीदास’ में शुक्लजी उक्त पद्यार्थ की व्याख्या में लिखते हैं—

‘चित्तै तुम त्यों हमरो मन मोहै’ कैसा भावगर्भित वाक्य है ।***राम सीता की ओर ही देखते हैं उन स्त्रियों की ओर नहीं । उन स्त्रियों की ओर ताकते तो वे कहती कि ‘चित्तै हम त्यों हमरो मन मोहै’.....अतः हम के स्थान पर इस तुम शब्द में कोई स्थूल दृष्टि से ‘चाहेअसंगति’ का ही चमत्कार देख संतोष कर ले, पर इसके भीतर जो पवित्र भावव्यञ्जना है, वही सारे वाक्य का सर्वस्व है ।

शुक्लजी की यह व्याख्या साफ बताती है कि चमत्कारविधायक उक्ति ही सत्र कुल्ल नहीं है । वाक्य का जो मर्म है वही सर्वस्व है और वह मर्म है व्यंजना चाहे वह रस की हो या भाव की । वाग्वैदग्ध्य-प्रधान वाक्य में रस ही जीवन है, इस सिद्धान्त को उन्होंने सर्वत्र माना है । एक स्थान पर वे स्पष्ट लिखते हैं—

‘जो लोम कथन की चतुराई या अनूठेपन को ही काव्य समझा करते हैं उन्हें अग्निपुराण के इस वचन पर ध्यान देना चाहिये—

वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम् ।

भानव्यंजना, वस्तुवर्णन और तथ्यप्रकाश सबके अन्तर्गत चमत्कारपूर्ण कथन हो सकता है । जायसीग्रन्थावली

इस कथन से वाच्यार्थ में ही काव्यत्व है, इस सिद्धान्त का खण्डन हो जाता है और व्यंग्य में काव्यत्व रहता है, इस सिद्धान्त का स्थापन । क्योंकि काव्यत्व का जीवन जो रस है वह व्यंग्य ही होता है, वाच्य नहीं । वे काव्य की उक्ति का प्रधान लक्ष्य वस्तु या विषय के सम्बन्ध में किसी भाव या रागात्मक स्थिति का उत्पन्न करना ही मानते हैं । यह तभी संभव है जब कि उक्ति के अनूठेपन के साथ रस या भाव की झलक हो जो व्यंजना से ही सम्भव है ।

जायसी ग्रन्थावली में एक स्थान पर शुक्लजी लिखते हैं—

आठ वर्ष के दीर्घत्व के अनुमान के लिये फिर उसने यह दृश्य आधार सामने रखा—

आइ साह अमराव जो लाये । फरे भरे पै गढ़ नहिं पाये ।

सच पूछिये तो वस्तुव्यञ्जनात्मक या ऊहात्मक पद्धति का इसी रूप में अवलंबन सब से अधिक उपयुक्त जान पड़ता है ।

शुक्लजी के पूर्व-कथनानुसार इसमें काव्यत्व नहीं होना चाहिये । क्योंकि, इस उक्ति में न रस है और न चमत्कार । वाच्यार्थ स्पष्ट है ।

पर सिद्धान्त के अनुसार इसमें काव्यत्व है। इसमें इस वस्तु की व्यञ्जना है कि आठ वर्ष धीत जाने पर भी साहू गढ़ नहीं ले सके। शुक्लजी भी वस्तुव्यञ्जना का समर्थन करते हैं और इस पद्धति को अधिक उपयुक्त बताते हैं।

शुक्लजी के उक्त वाच्यार्थ-सिद्धान्त के अनुसार इसे भी काव्य न कहना चाहिये—

रोवहि रानी तजहि पराना । नोचहि बार करहि खरिहाना ।
चूरहि गिठ अमरन उरहारा । अब धापर हम करब सिंगारा ।
जाकहैं कहहि रहसि कै पीऊ । सोई चला यह कायर जीऊ ।
मरै चहहि पर मरै न पावहि । उठै आगि सब लोग धुम्कावहि ।

—जायसी

इसमें सीधी-सादी बातें हैं पर हैं वे कुछ लक्षणा को लेकर अतिशयोक्तिपूर्ण। शुक्लजी यहाँ केवल विषाद को व्यञ्जना हो नहीं बल्कि करुण रस की पूरी व्यञ्जना मानते हैं। क्योंकि विभाव के अतिरिक्त रोना और बाल नोचना अनुभाव और विषाद संचारी भी है। इसमें काव्यत्व लानेवाली रसव्यञ्जना ही है न कि उक्तका वाच्यार्थ।

बाल नोचकर खरिहान करना और आभरण को चूर-चूर करना में जो प्रयोजनवती लक्षणा है उससे विषाद को तीव्रता व्यञ्जित होती है जो काव्य का उत्कृष्ट बड़ा देती है और मन की रागात्मक बनाकर भाव में लीन कर देती है। यह शक्ति वाच्यार्थ में कभी संभव नहीं है।

कोई कितनाहू वाच्यार्थ-चमत्कार को चर्चा करे पर वह व्यंग्यार्थ-वैभव को पा नहीं सकता। व्यंग्यार्थ के काव्यत्व को कोई मिटा नहीं सकता।

आठवीं किरण

पाश्चात्य काव्यव्यञ्जना

आधुनिक हिन्दी काव्य में लाक्षणिक प्रयोगों की अधिकता के साथ ध्वनि और व्यञ्जना पर भी क्रियाओं का लक्ष्य है। व्यञ्जना को अंग्रेजी में सजेस्टिवनेस (Suggestiveness) कहते हैं।

यह प्राच्य शास्त्रानुमोदित व्यञ्जना से कोई पृथक् वस्तु नहीं है। आधुनिक काव्य की ध्वनि-व्यञ्जना न तो भारतीय ध्वनि-व्यञ्जना से

भिन्न ही है और न तो उससे सम्बन्ध विच्छिन्न करके पाश्चात्य व्यंजना से निकट सम्पर्क ही रखती है। उसका तत्त्व सर्वत्र एक-सा है। भले ही आधुनिक व्यक्तिप्रधान बुद्धिवाद उसके स्वरूप पर थोड़ा सा पदा डाल दे। 'अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्य-समालोचक एवरक्रांवी का कथन सर्वदा इसके अनुकूल है।

रिचार्ड्स आदि आधुनिक विदेशी समालोचकों ने भी व्यंजना के सम्बन्ध में विचार किया है। पर, वस्तुतत्त्व में परमार्थतः कोई भेद नहीं है। उनकी केवल विचार-प्रणाली मात्र भिन्न है। इसीसे हिन्दी के आधुनिक विवेचक वहक कर यह समझने लगे हैं कि यह संवेधा नयी वस्तु है। प्राच्य साहित्याचार्यों ने आर्य व्यंजना का जितना सूक्ष्म विचार किया है वहाँ तक पाश्चात्य विवेचक अभी कदाचित् ही पहुँच पाये हैं। शाब्दी व्यंजना की विवेचना भी नयी उपज नहीं है। प्राच्य विवेचना भी उसे अपनाती है। रिचार्ड्स के एक उदाहरण की यह एक पंक्ति है—

Be angry and despatch (क्रुद्ध हो और मार भगायो ।)

इसमें डिस्पैच (Despatch) शब्द जहाँ यह व्यंजित करता है कि 'मारो', 'हटाओ' 'दूर करो' वहाँ साथ ही साथ मारने के काम में 'स्वरा' और 'आवेग' भी। इससे यह ध्यनि स्पष्ट है कि 'इसे परलोक में जल्द से जल्द भेज दो'। Despatch शब्द में जो यह शक्ति है वह किल (kill) मारो या डिस्ट्रॉय (Destroy) नष्ट करो, में नहीं है। इस उदाहरण में भारतीय शाब्दी व्यंजना का स्पष्ट स्वरूप है।

इसी प्रकार निरालाजी की इन पंक्तियों को लेकर आलोचना की गयी है—

फिर क्या ? पवन

उपवन-सर-सरित-गहन-गिरि-कानन

कुल-लता-पुञ्जों को पार कर पहुँचा—

दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त हाव वर्ण पवन की गति की तीव्रता प्रकट करते हैं। पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि पवन सरपट भागा जाता है। पर, तीसरी पंक्ति के नाद से ज्ञात होता है कि वह लता-पुञ्जों में उलझ कर लुञ्ज-सा हो गया है।

यह नाद-व्यञ्जना है। कोई नयी वस्तु नहीं। इसका भी विवेचन हमारे यहाँ बथेष्ट है। सुप्रयुक्त भावानुगुण अनुप्रास, वृत्ति और गुण, नाद-व्यञ्जना के ही सूक्ष्मात्मिन्म रूपान्तर हैं जिनकी विवेचना अन्यत्र होगी। उद्योतकार का कहना है कि रसादि ध्वनि का द्योतन न होने पर भी अलंकृत शब्द द्वारा व्यञ्जित आस्वाद की उपयोगिता भी काव्य में है।

पर आधुनिक विचारक आधुनिक हिन्दी-कविता को ध्वनि-व्यञ्जना को पाश्चात्य suggestiveness का रूपान्तर मात्र मानते हैं और उसीसे इसका निकट सम्बन्ध बताते हैं और ध्वन्यालोक में वर्णित ध्वनि से उसे दूर समझते हैं। जैसे—

२“निकट निरीक्षण से ज्ञात होगा कि आधुनिक काव्य में ध्वनि-व्यंजना ध्वन्यालोक में अनुमोदित ध्वनि की अपेक्षा पाश्चात्य काव्य-साहित्य की व्यंजना (suggestiveness) से कहीं अधिक निकट है। वास्तव में आधुनिक काव्य का आदर्श पाश्चात्य ध्वनि और नाद-व्यंजना में है। पृष्ठ ४४

“हमारे कवि पश्चिमी कला के भक्त बन गये और उन्होंने पश्चिमी काव्या-रूप और पश्चिमी काव्य-परिभाषा को ग्रहण किया। काव्य की परिभाषा उन्होंने ध्वनि और व्यंजना के रूप में स्वीकार की जो पश्चिमी suggestiveness की रूपान्तर मात्र है।” पृष्ठ १४३

इस उद्धरण की विवेचना करने के पूर्व व्यञ्जना और suggestiveness के अर्थ पर ध्यान देना आवश्यक है।

१ अलंकृतशब्दव्यंग्यस्यास्वादस्य विभावधप्रती शृङ्गारादिविशेषानाश्रयत्वेन-
किञ्चित्करत्वादलकृताथोपधीव्यत्वाच्छब्दानामप्यावश्यकत्वेन द्वयोरप्यास्वादोपकार-
कत्वात् कविसरम्भगोचरत्वाच्चोपादेयता। प्रदीपोद्योत

२ डाक्टर श्रीकृष्णलाल लिखित ‘आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास।’

३ व्यञ्जना—The last of three powers of a word by virtue of which it suggests or insenuates a sence.
(सारार्थ—शब्द की तीसरी शक्ति)

Suggested sence—ध्वनित, व्यंग्य अर्थ ।

Suggestive—व्यञ्जक, सूचक, प्रबोधक ।

दोनों में अर्थ का किसी प्रकार अन्तर नहीं है । फिर हम इसको कैसे मान लें कि प्राचीन व्यञ्जना आधुनिक व्यञ्जना से निकट या दूर है । यदि पहली दूसरी का रूपान्तर है तो दूसरी भी पहली का रूपान्तर कही जायगी । क्योंकि दोनों का विषय एक है ।

अब कुछ उदाहरणों पर विचार कीजिए जो उसी पुस्तक में आये हैं और लेखक ने ही उनकी व्यञ्जना का निर्देश किया है ।

बला जा रहा हूँ पर तेरा अन्त नहीं मिलता प्यारे ।

मेरे प्रियतम तू ही आकर अपना भेद बता जा रे । —सुमन

लेखक यहाँ बौद्ध दुःखवाद के आधार पर भावना की व्यञ्जना बतलाता है । पर यह यथार्थ नहीं । क्योंकि एक तो यहाँ बौद्ध दुःखवाद का कोई प्रसंग नहीं है, सूफी विरहवाद का भले ही हो । दूसरे जिस भावना की व्यञ्जना का वह निर्देश करता है उसे स्पष्ट नहीं करता । भावना चित्त की सामान्य अन्तर्मुख वृत्ति है । वह अनेक प्रकार की होती है । यहाँ भावना का कौन-सा विशेष रूप व्यञ्जित होता है, यह प्रश्न निरुत्तर ही रह जाता है । इसलिये यों कहा जाय कि इससे श्रम संचारी की व्यञ्जना होती है तो स्पष्टता आ जायगी ।

स्वर्ण सुमन देकर न मुझे जब तुमने उसको फेंक दिया ।

होकर क्रुद्ध हृदय अपना तब मैंने तुमसे हटा लिया ।

—सि० रा० श० गुप्त

इस पद्य से लेखक गम्भीर आध्यात्मिक अनुभवों की व्यञ्जना बतलाता है । किन्तु सम्पूर्ण कविता के मनन से, इस वस्तु की व्यञ्जना होती है कि अभिलषित वस्तु के अनायास प्राप्त न होने में भगवान का यह गूढ़ आशय रहता है कि तुम्हें सुअवसर प्राप्त है, यद्येष्ट चेष्ट करो और अभीष्ट लाभ करो । यहाँ का अनुभव जितना आध्यात्मिक

कारण होते हैं, संचारी भाव भी व्यंग्य हैं जो कविता पढ़ने से अनायास उद्बुद्ध हो जाते हैं।

इन दोनों तथा ऐसे ही उदाहरणों में Suggestiveness का कोई नया रूप नहीं दिखाया पड़ता। हाँ, भाव, वस्तु आदि की जगह भावना, अनुभव आदि जैसे भ्रामक शब्दों का रखना स्यात् उसका नया रूप हो। एक उदाहरण देखें—

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।

वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है।—म० प्र० द्विवेदी

इसमें जिसे 'मातृभूमि के प्रति प्रेम-भावना की व्यंजना' बताया गया है, उसे हम देश के प्रति रतिभाव की व्यंजना कहते हैं। यद्यपि दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है, पर मेरा कथन नवीन ढंग का नहीं, शाब्दीय परिभाषा के अनुकूल है। प्रेम की व्यंजना में एक उदाहरण दिया गया है—

वे बज्र के हृदय जो उसके लिये न तरसे,

वे नैन ही न हैं जो उसके लिये न बरसे,

पाई हुई प्रतिष्ठा पुरुषत्व की गँवाई,

ले जन्म जन्म-भू से जिसने न लौं लगाई।—भगवानदीन पाठक

इसमें प्रेम अप्रजित नहीं, वर्णित है। यहाँ व्यञ्जना को घसीटना च्यर्थ का प्रयास है।

इसी प्रकार के उदाहरणों में यह कवित्त है जिसमें व्यञ्जना की छीछालेदर की गयी है।

कजल के कूट पर दीपशिखा सोती है कि श्यामघनमंडल में दामिनी की धारा है।
याभिनी के अङ्क में कलाधर की कोर है कि राहु के कबन्ध पै कराल केतु तारा है।
'शंकर' कसौटी पर कंचन की लीक है कि तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है।
काली पाटियों के बीच मोहिनी की माँग है कि ढालपर खोंडा कामदेव की दुधारा है।

इसके सम्बन्ध में लेखक लिखता है कि विविध अलङ्कारों की व्यञ्जना रीत कवियों का अतिप्रिय विषय था। आधुनिक कवियों ने इसी शैली में उसका अनुसरण किया। उक्त उदाहरण में सन्देह अलङ्कार की व्यञ्जना नहीं, वर्णन है। सन्देह का वाचक 'कि' बार-बार प्रयुक्त हुआ है।

पाश्चात्य विचार में स्यात् कल्पना और चित्र भी व्यञ्जित होते हैं। क्योंकि, लेखक ने लिखा है—कवि किसी वस्तु के देखने से जो विचार और भाव, जो कल्पना और चित्र हृदय अथवा मस्तिष्क में उठते हैं, उनकी व्यञ्जना करता है।

अब तक हमलोग कल्पना या कल्पना-तत्त्व को काव्य-रचना के लिये अनिवार्य आधार मानते थे। कवि की वह ईश्वरदत्त शक्ति व्यंग्य कभी नहीं होती। कल्पना द्वारा जो चित्र खड़ा होता है उसीसे वस्तु, भाव आदि की व्यञ्जना होती है। लेखक स्वयं इस तत्त्व को जानता है। क्योंकि एक स्थान पर वही लिखता है—लहरों का मधुर संगीत और पक्षों पर भ्रमरों की गुंजार सहस्रों वर्ष पूर्व खींच ले जाती है और कवि अपने कल्पनायान पर चढ़कर यमुना और वृन्दावन के अतीत गौरव का दृश्य देखता है। उसका इस सम्बन्ध का एक उदाहरण है—

वता कहाँ अब वह वंशीवट कहाँ गये नट नागर श्याम ?

चल चरणों का व्याकुल पनघट कहाँ आज वह वृन्दाधाम ?

कभी यहाँ देखे थे जिनके श्याम विरह से तप्त शरीर,

किस विनोद की तृपित गोद में आज पोंछती वे दृगनीर।—निराला

इसमें 'स्मृति' संचारी भाव की व्यञ्जना स्पष्ट है। यहाँ वर्णनीय वस्तु से यह भाव ही व्यञ्जित होता है, कल्पना और चित्र नहीं। वलिक कल्पना द्वारा जो चित्र उपस्थित होता है वही व्यञ्जना की भित्ति है। लेखक इष्टदेव के मिलन पर आराधिका के अनुभव और भावों की व्यञ्जना का उदाहरण देता है—

कधी आराधना करके बुलाया था उन्हें मैंने,

पदों के पूजने के ही लिये थी साधना मेरी ;

तपस्या, नेम, व्रत करके रिभाया था उन्हें मैंने,

पधारे देव पूरी हो गयी आराधना मेरी।

मुँदी आँखे सहज ही लाज से नीचे झुकी थी मैं,

कहें क्या प्राराधन से यह हृदय में सोच हो आया;

वही कुछ बोल दें पहले परीक्षा में रुकी थी मैं,

अचानक ध्यान पूजा का हुआ भट आँख जो खोली,

हृदयधन चल दिये मैं लाज से उनसे नहीं बोली,

नहीं देखा उन्हें बस सामने सूनी कुटी देखी,

गया सर्वस्व अपने आपको दूनी लुटी देखी (?)—सु० कु० चौहान

यहाँ इष्टदेव का मिलन वर्णित नहीं है, वलिक मिलन की सम्भावना का आकस्मिक अभाव वर्णित है। यहाँ अत्रितर्कित इष्टापहरण से 'चिन्ता' संचारी की स्पष्ट व्यञ्जना होती है। जो अनुभव की व्यञ्जना बतायी गयी है, वह भी ठोक नहीं। क्योंकि, अनुभव व्यञ्जित नहीं, स्पष्ट प्रतिपादित है।

लेखक की उक्ति है कि सचेतन कला के दो अङ्ग हैं—पदों में सङ्गीत और चित्रव्यञ्जना । जैसे—

भूम भूम मृदु गरज गरज घन घोर !
 राग अमर अम्बर में भर निज रोर !
 भर भरकर निर्मर गिरि सर में,
 घर, मरु तरु-मर्मर सागर में.....निराला

यहाँ प्रस्तुत अर्थ को प्रत्यक्षगोचर कर देने में समर्थ प्रयुक्त शब्दों की भंकार या नादसौष्ट्य रूप सङ्गीत तो माना भी जा सकता है, पर यह चित्र को व्यञ्जना क्या है ? शब्दों के द्वारा उपस्थापित चित्र तो प्रत्यक्ष ही है । उसकी व्यञ्जना कैसी ?

उपर्युक्त उदाहरणों और उनके विवरण से स्पष्ट है कि लेखक व्यञ्जना शब्द की चारीकी का खयाल नहीं करता । यह साधारण वर्णन और सामान्य अर्थ-प्रकाशन में भी व्यञ्जना शब्द का प्रयोग कर देता है ।

कहा नहीं जा सकता कि यही अंग्रेजी Suggestiveness का रंग रूप है । यदि सचमुच यही है, मैं ऐसा नहीं समझता, तो विचारकों पर मुझे तरस आता है । और, यदि ऐसी बात नहीं तो आधुनिक हिन्दी भाषा के विचारकों को दशा बड़ो दयनीय है ।

पाँचवीं किरण

(क) व्यञ्जना-वैचित्र्य

वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की भिन्नता के कारणों का यहाँ उल्लेख किया जाता है, जिनसे व्यञ्जना का वैचित्र्य प्रकट होता है ।

बोद्धा के भेद से भेद—केवल पद और पदार्थ जाननेवाले को भी वाच्यार्थ का ज्ञान हो जाता है । किन्तु, व्यंग्यार्थ का ज्ञान सहृदयों को ही होता है । वाच्य अर्थ के बोद्धा—ज्ञाता केवल शब्दशास्त्री हो सकते

१ बोद्धृस्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम् ।

आशयविषयादीना भेदित्वाभिधेयाना व्यंग्यः ॥ सा० द०

हैं परन्तु व्यंग्यार्थ के बोद्धा वे कभी नहीं हो सकते। यह व्यंग्यार्थ केवल काव्य-मर्मज्ञों को ही ज्ञात हो सकता है। जैसे,

मेरी भववाधा हरो, राधा नागरि सोय। विहारी

का अर्थ 'वे नागरी राधा मेरी भववाधा को—सांसारिक दुःख-तापों को हरे—दूर करें, इतना ही जानकर शब्दशास्त्री सन्तुष्ट हो जायेंगे। किन्तु, सहृदय तो यह समझेंगे कि भक्त या उपासक इस पद्याद्ध से अपनी अधमता—हीनता का द्योतन करता हुआ अपने उपास्य देवता की महिमा का उत्कर्ष प्रकट करता है। उसकी नागरी राधा ही भववाधा दूर करने में समर्थ हैं। 'मेरी' पद में लक्षणा-मूलक, अविबक्षितवाच्य, अर्थान्तर संक्रमित जो ध्वनि है उसे शब्दार्थ जाननेवाले—वाच्यार्थ से ही सन्तुष्ट होने वाले क्या समझेंगे ?

यहाँ ध्वनि इस प्रकार है—

यह भक्त कवि की उक्ति है। इससे 'मेरी' पद की कुछ सार्थकता नहीं। क्योंकि जय वक्ता स्वयं कहता है तब 'मेरी' पद अनावश्यक है। अतः 'मेरी' का वाच्यार्थ बाधित है। इसलिये 'मेरी' पद विवश, असमर्थ, निरुपाय, कातर, दुखी मुझ जैसे की, इस अर्थान्तर में संक्रमण करता है और दीनता की अतिशयता व्यञ्जित है। यही अधिक चमत्कार व्यंग्य—ध्वनि है। इसमें लक्षणा है और वाच्य अविबक्षित है। ऐसे ही

'पद्माकर' हौं निज कथा कासौ कहौं यखान।

जाहि लखौं ताही परी अपनी-अपनी आन।

दोहे का अर्थ लगानेवाले अर्थ समझ लेंगे। किन्तु, इसमें कवि की जो विवशता, कातरता, दीनता, स्थिति की दारुणता आदि व्यञ्जित होती वहाँ तक वे न पहुँचेंगे।

२ स्वरूप के भेद से भेद—कहीं वाच्यार्थ विधि-रूप में रहता है तो व्यंग्यार्थ निपेध-रूप में और कहीं वाच्यार्थ निपेध रूप में रहता है तो व्यंग्यार्थ विधि-रूप में। जैसे,

१ सत्य कहसि दसकंठ सब।

२ मोहि न सुनि कछु कोइ।

पहले का वाच्यार्थ विधि-रूप और व्यंग्यार्थ 'तू भूठ कहता है' निपेधरूप है और दूसरे में वाच्यार्थ निपेध-रूप है किन्तु 'मुझे तुझ पर चड़ा क्रोध है' व्यंग्यार्थ विधि-रूप है।

कहीं वाच्यार्थ संशयात्मक रहता है तो व्यंग्यार्थ निश्चयात्मक । जैसे,
यदि अक्षर निज कामना किन पूरन करि लेहु ।

ये दिन फिरि ऐहै नहीं, यह जनमगुर देहु ॥ —प्राचीन

इस पद्य में वाच्यार्थ संशयात्मक है, अर्थात् इससे प्रकट नहीं होता कि यह उक्ति साधु की है या कामुक को । किन्तु वक्ता के साधु होने पर मोक्ष व्यंग्य है और कामुक होने पर विषयवासना व्यंग्य है । ये व्यंग्यार्थ निश्चयात्मक रूप में होते हैं ।

मोर मुकुट की चंद्रिकनि यों राजत नंद नंद ।

मनु सत्तिसेखर के अकस किय सेखर सत चंद ॥ —विहारी

यदि इसे भक्त को उक्ति मानें तो देव-विषयक रति-भाव ध्वनि है । जो दूतों की उक्ति नायिका के प्रति हो तो शृंगार रस व्यंग्य है । और सखी का कथन सखी के प्रति समझें तो राजविषयक रतिभाव ध्वनि है । विहारी की सतसई ।

यहाँ भी उक्ति की संदेहात्मकता से वाच्यार्थ संशयास्पद है किन्तु अपने अपने स्थान पर ध्वनि-व्यंग्य निश्चित है । इसी प्रकार—

मित्र बड़े श्रम से सदा करते हो तुम काम ।

भपकी ले ले बीच में कर दी नींद हराम ॥ —राम

इसमें वाच्यार्थ स्तुति-रूप है पर व्यंग्यार्थ निन्दा-रूप । इस प्रकार उपर्युक्त स्थलों में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का स्वरूप-भेद होने के कारण व्यञ्जना को मानना आवश्यक है ।

३ संख्या के भेद से भेद—‘सूर्यास्त हुआ’ या ‘प्रातःकाल हुआ’ आदि वाक्यों का पृथक् पृथक् वाच्यार्थ एक ही होगा किन्तु वक्ता, श्रोता और प्रकरण के भेद से व्यंग्यार्थ एक ही नहीं, अनेक होंगे । इससे इनका संख्या-भेद स्पष्ट है ।

जब कहते हैं कि ‘प्रातःकाल हो गया’ तब इसका वाच्यार्थ सब दशा में, सब प्रसंग में, सब जगह एक-सा रहता है । किन्तु, इसके व्यंग्यार्थ प्रकरण आदि के भेद से अनेक हो जाते हैं । जैसे—

प्रकरण

वाक्य

व्यङ्ग्यार्थ होगा

१ नीकर मालिक से कहे ‘सवेरा हो गया’ तो शय्या छोड़नी चाहिये ।

२ खी पति से ” ” ” बाहर जाइये ।

३ गृहस्थ सेवक से ” ” ” पशु-सेवा में लगे ।

४ यात्री यात्री से ” ” ” अथ चलना चाहिये ।

प्रकरण	वाक्य	व्यंग्यार्थ होगा
५ दूकानदार नौकर से	कहे 'सबेरा हो गया' तो	दूकान खोलो ।
६ गुरु शिष्य से	" " " "	प्रातःकृत्य करो ।
७ कर्मकर कर्मकर से	" " " "	काम पर चलने को तैयार हो ।

इत्यादि । ऐसे ही यदि कहा जाय कि 'सूर्यास्त हो गया' इस वाक्य का वाच्यार्थ सदा एक-रूप रहेगा परन्तु व्यञ्जना द्वारा प्रतीत इसी वाक्य का अर्थ अपने-अपने प्रकरण, वक्ता तथा श्रोता आदि के भेद से अनेक प्रकार का हो जायगा । जैसे,

प्रकरण	वाक्य	व्यंग्यार्थ होगा
१ राजा सेनापति से	कहे 'सूरज डूब गया' तो	शत्रु पर चढ़ाई करो ।
२ दूकानदार नौकर से	" " " "	दूकान बढ़ाओ ।
३ कर्मकर कर्मकर से	" " " "	काम बंद करो ।
४ गुरु शिष्य से	" " " "	सन्ध्या-कृत्य करो ।
५ भृत्य धार्मिक स्वामी से	" " " "	सन्ध्यावन्दन कीजिये ।
६ आतपतप्त बंधु बंधु से	" " " "	अव संताप नहीं है ।
७ आप्त पुरुष बाहर जानेवाले ले	" " " "	दूर मत जाना ।
८ दूती अभिसारिका नायिका से	" " " "	अभिसार की तैयारी करो ।
९ गृहस्थ गोपाल से	" " " "	पशुओं को घर में बाँध ।

इत्यादि अनेको व्यंग्य अर्थ अपनी-अपनी अवस्था के अनुकूल भासित होंगे ।

४ निमित्त के भेद से भेद—वाच्यार्थ केवल शब्द के उच्चारणमात्र से व्याकरण, कोष आदि के द्वारा ज्ञात हो सकता है किन्तु व्यंग्यार्थ का ज्ञान बिना निर्मल प्रतिभा के कभी संभव नहीं । वाच्यार्थ के बोध में साधारण बुद्धि ही सहायक होती है और व्यंग्यार्थ के लिये विशिष्ट बुद्धि, तथा विशुद्ध प्रतिभा की आवश्यकता होती है । अतः निमित्तभेद के कारण भी वाच्य से व्यंग्य भिन्न है । जैसे—

नाम पाहू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट ।

लोचन निज पद यन्त्रिका प्राण जाँहि केह बाट ॥—तुलसी

शब्दार्थ जाननेवाले को सहज ही इस दोहे का अर्थ ज्ञात हो जायगा । किन्तु इसके भीतर से जो यह व्यञ्जना होती है कि मैं आपके विरह में अग्रश्य मर जातो, किन्तु न मरने के कारण आपके ध्यान और नाम हैं । जिस दिन ये आधार नहीं रहेंगे उस दिन मेरा मरना

निश्चित है। मैं तुम में इतनी रम रही हूँ कि आँखें तनिक भी इधर-उधर नहीं जातीं। वे अपने ही पदतल पर जकड़-सो गयी हैं। इस प्रकार सोता को पति-भक्ति, एकान्तानुराग आदि की भाँकी विशिष्टबुद्धि-सम्पन्न सहृदयों को हो हो सकती है।

५ कार्य के भेद से भेद—वाच्यार्थ से व्युत्पन्नमात्र को अर्थान्तरार्थ जाननेवाले सहृदय तथा असहृदय सभी को साधारणतः वस्तु का ज्ञान ही जाता है यह व्यंग्य अर्थ से केवल सहृदय को ही चमत्कार का अर्थान्तर आश्वाद-विशेष का आनन्द प्राप्त होता है। अभिप्राय यह कि वाच्यार्थ का कार्य प्रतीति-मात्र होता है और व्यंग्यार्थ का चमत्कार भी। इससे इनका कार्य-भेद भी प्रत्यक्ष है। जैसे—

रे कपि कौन तू अक्ष को घातक ? दूतबली रघुनन्दन जू को ।

को रघुनन्दन रे ? त्रिशिरा-स्तर-दूषण-दूषण भूषण भू को ॥

सागर कैसे तर्यो ? जस गोपद, काज कहा सिय चोरहि देखो ।

कैमे बँधायो ? जु सुन्दरि तेरी छुई दम भोवत पातक लेखौ ॥—तुलसी

जिन राम का दूत समुद्र को गोपद के जल के समान सहज ही पार कर सकता है और अक्षयकुमार को मार सकता है वे राम कितने प्रचंड बलवान होंगे, इसको तुम समझ लो और यह भी समझ लो कि तुम्हारे महल में सोई हुई स्त्रियों पर दूर ही से दृष्टि पड़ जाने के कारण मैं बंधन में पड़ गया पर तुम तो पर-ब्रह्म हरण कर लाये हो, तुम्हारी क्या दशा होगी। इस व्यंग्यार्थ का चमत्कार साधारण अर्थ-प्रतीति से सर्वथा भिन्न है।

६ काल के भेद से भेद—वाच्यार्थ ही सप्रसे पहले प्रतीत होता है और व्यंग्यार्थ उसके पीछे। अतः काल भेद से भी व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से भिन्न है। जैसे—

बलि बोई कीरति लता कर्ण करी द्वै पात ।

सीवी मान महीप जू जब देखी कुम्हलात ॥—प्राचीन

इसमें पहले वाच्यार्थ प्रतीत होता है। उसके पीछे यह व्यंग्यार्थ प्रकट होता है कि मानसिंह बड़े दानी थे और उनकी दानशौलता बलि और कर्ण से कम नहीं थी। वे इन दोनों के समकक्ष ही दानी थे। ऐसे ही संलक्ष्यक्रम में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ आगे-पीछे प्रतीत होते हैं।

७ आश्रय के भेद से भेद—वाच्य अर्थ वेपथु शब्द के आश्रित रहता है और व्यंग्य अर्थ शब्द में, शब्द के एक देश में, अर्थ में वर्ण में

वा वर्ण-विशेष की रचना में, रहता है। इससे इनके आश्रय भी भिन्न होते हैं। वर्णगत, पदगत तथा रचनागत ध्वनि के भेद में इनके उदाहरण दिये गये हैं।

विषय के भेद से भेद—कहीं-कहीं वाच्य अर्थ का विषय दूसरा होता है जो उससे प्रतीत होनेवाले व्यंग्य का विषय दूसरा। यही वाच्य और व्यंग्य का विषय-भेद है। जैसे—

लखि प्यारी के अधर पै उक्त्यो खत के दोस ।

अस प्रियतम है कौन जेहि होत नहीं अति रोस ॥

सूँधि मधुपजुत कमल तैं नयो विसाह्यौ रोग ।

वरजत हू मानी नहीं अब पावो फल भोग ॥—अनुवाद

इसमें जो वाच्यार्थ है उसका विषय है दन्तच्छताङ्किता नायिका। उसीको लक्ष्य करके सखी की यह उक्ति है। इसमें व्यंग्यार्थ यह है कि नायिका के अधर पर का दाग उपपत्ति कृत दन्तच्छत का दाग नहीं, किन्तु कमल सूँधने के समय भ्रमर ने अधर काट लिया है। इस व्यंग्य का विषय है, नायिका का पति, जिसको लक्ष्य करके यह व्यंग्योक्ति की गयी है। यह मेरी ही बुद्धिमानो है कि इसके अपराध पर यों पर्दा डालकर इसे पति के क्रोध से बचा लिया। इस व्यंग्य का विषय पास की पड़ोसिन है, जो इस मर्म को जानती है। इस समय तो मैंने समाधान कर दिया। फिर कभी पति के आने के दिन ऐसी हरकत न करना। इस व्यंग्य का विषय उपपत्ति है। यह तीसरा व्यंग्य है। पति की जो प्यारी है उसी का ऐसा दोष देखकर पति क्रुद्ध हो सकता है, उपेक्षिता का दोष देख कर नहीं। इससे तुम्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिये। निर्दोष होकर भी तू इसकी सी सौभाग्यवती नहीं हो सकती। इस व्यंग्य का विषय उसकी सौत है। मैंने इस समय तुम्हें अपनी चतुराई से बचा लिया। अब डरने का काम नहीं। निडर रहो, जिससे तेरा पति शङ्का न करे। इस व्यंग्य का विषय है दन्त-च्छत वाली नायिका। ये सभी व्यङ्ग्य अनियत-सम्बन्ध के हैं। एक उदाहरण और—

भलो नहीं यह केवरो सजनी गेह अराम ।

वसन फटै कंठक लर्ग निशिदिन आठो याम ॥—मतिराम

नायिका की सज्जो के प्रति उक्ति है। इसके वाच्यार्थ का विषय सज्जो है। किन्तु, इससे जो यह व्यंग्य निकलता है कि केवड़े के काँटों

वा वर्ण-विशेष की रचना में, रहता है। इससे इनके आश्रय भी भिन्न होते हैं। वर्णगत, पदगत तथा रचनागत ध्वनि के भेद में इनके उदाहरण दिये गये हैं।

विषय के भेद से भेद—कहीं-कहीं वाच्य अर्थ का विषय दूसरा होता है जो उससे प्रतीत होनेवाले व्यंग्य का विषय दूसरा। यही वाच्य और व्यंग्य का विषय-भेद है। जैसे—

लखि प्यारी के अधर पै उकस्यो खत के दोस ।
अस प्रियतम है कौन जेहि होत नहीं अति रोस ॥
सूँधि मधुपजुत कमल तैं नयो विसाह्यौ रोग ।
वरजत हू मानी नहीं अब पावो फल भोग ॥—अनुवाद

इसमें जो वाच्यार्थ है उसका विषय है दन्तक्षताङ्गिता नायिका। उसीको लक्ष्य करके सखी की यह उक्ति है। इसमें व्यंग्यार्थ यह है कि नायिका के अधर पर का दाग उपपत्ति कृत दन्तक्षत का दाग नहीं, किन्तु कमल सूँधने के समय भ्रमर ने अधर काट लिया है। इस व्यंग्य का विषय है, नायिका का पति, जिसको लक्ष्य करके यह व्यंग्योक्ति की गयी है। यह मेरी ही बुद्धिमानो है कि इसके अपराध पर यों पर्दा डालकर इसे पति के कोप से बचा लिया। इस व्यंग्य का विषय पास की पड़ोसिन है, जो इस ममे को जानती है। इस समय तो मैंने समाधान कर दिया। फिर कभी पति के आने के दिन ऐसी हरकत न करना। इस व्यंग्य का विषय उपपत्ति है। यह तीसरा व्यंग्य है। पति की जो प्यारी है उसी का ऐसा दोष देखकर पति क्रुद्ध हो सकता है, उपेक्षिता का दोष देख कर नहीं। इससे तुम्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिये। निर्दोष होकर भी तू इसकी सी सौभाग्यवती नहीं हो सकती। इस व्यंग्य का विषय उसकी सौत है। मैंने इस समय तुम्हें अपनी चतुराई से बचा लिया। अब डरने का काम नहीं। निडर रहो, जिससे तेरा पति शङ्का न करे। इस व्यंग्य का विषय है दन्त-क्षत वाली नायिका। ये सभी व्यङ्ग्य अनियत-सम्बन्ध के हैं। एक-उदाहरण और—

भलो नहीं यह केवरो सजनी नेह अराम ।

वसन फटे कंटक लगे निसिदिन आठो याम ॥—मतिराम

नायिका की सखी के प्रति उक्ति है। इसके वाच्यार्थ का विषय सखी है। किन्तु, इससे जो यह व्यंग्य निकलता है कि केवड़े के कोंटों

(४) पर्याय शब्दों के भेद से भेद

पर्याय शब्दों का वाच्य अर्थ सब स्थानों में एक-सा रहता है। किन्तु, व्यंग्यार्थ भिन्न-भिन्न होता है। काव्य में अनुकूल शब्दों की योजना ही ठीक होती है, एकार्थक सभी शब्दों की नहीं। व्यञ्जना के बिना शब्द-प्रयोग में जो काव्य-य रहता है वह लुप्त ही हो जायगा। जैसे—

याही दर गिरजा गजानन को गोये रही,
गिरि से गरे से निज गोद से उतारै ना ॥ — पद्माकर

यदि इसमें 'गजानन' की जगह 'विनायक' पर्याय रख दिया जाय तो मन्त्र अर्थ ही चौपट हो जायगा। क्योंकि, गजानन शब्द ही ऐसा है जिससे पार्वती को दान दे डालने के दर में गणेश को छिपाये रखने की चिन्ता है। गजानन शब्द से ही यह व्यंग्यार्थ होता है कि जहाँ गज दिखाई पड़ा कि वहाँने दान कर डाला। इससे 'गजानन' होने के कारण कहीं गणेश भी दान न दे दिये जायँ, इससे इनकी रक्षा करना चाहिये। यह व्यंग्यार्थ विनायक शब्द से नहीं निकल सकता।

इन विज्ञप्त व्यंग्यों का योवन अभिवा, लक्षणा वा तात्पर्य शक्ति के षश को घात नहीं है। अतः व्यञ्जना वृत्ति सर्वतोभावेन मान्य है। ऐसे वैचित्र्यों का मूल व्यञ्जना ही है।

जैसे वर्णों के द्वारा अभिव्यंजित स्फोट को ध्वनि कहते हैं, वैसे ही शब्दों या अर्थों के द्वारा अभिव्यंजित अर्थ को भी ध्वनि कहने लगे।

साहित्य में ध्वनि शब्द का उद्गम यहीं से होता है।

तीसरी किरण

ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ

‘ध्वन्’ धातु से ‘इ’ प्रत्यय करने पर ‘ध्वनि’ शब्द बनता है।

१ ध्वनति ध्वनयति इति वा ध्वनिः—जो ध्वनित करे वा कराये वह ध्वनि है। यह शब्द के लिये आता है। वाचक, लक्षक और व्यञ्जक तीनों प्रकार के शब्द जब किसी व्यंग्य अर्थ के व्यञ्जक होते हैं तो ध्वनि कहे जाते हैं।

२ ध्वन्यत इति ध्वनिः—जो ध्वनित हो वह ध्वनि है। इस कर्म-प्रधान व्युत्पत्ति से ध्वनि शब्द रसादि व्यंग्यों का वाचक होता है। वस्तु, रसादि और अलंकार ध्वनिन होते हैं। अतः ये सब ध्वनि हैं।

३ ध्वन्यते अनेन इति ध्वनिः—जिस करण अर्थात् शब्द-व्यापार या शब्द-शक्ति द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति होती है वह ध्वनि है। इस प्रकार करण-प्रधान ध्वनि शब्द से व्यञ्जना आदि शक्तियों का बोध होता है। प्रत्येक शब्द और अर्थ के बीच सम्बन्ध स्थापित करनेवाला एक-एक शक्ति होती है जो शब्द से अर्थ की उपस्थिति कराती है, जिसका वर्णन क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना के नाम से हो चुका है।

४ ध्वननं ध्वनिः—ध्वनित होना ध्वनि है। इस रूप में यह भाववाचक संज्ञा है। इससे वस्तु, अलङ्कार और रसादि की सूचना समझी जाती है। अभिव्यञ्जन, ध्वनन, सूचन आदि इसके समानार्थक शब्द हैं।

५ ध्वन्यत अस्मिन्निति ध्वनिः—जिसमें वस्तु, अलङ्कार या रसादि ध्वनित हों उसे ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि पद अधिकरण-प्रधान है। यह शब्द गुणवाची विशेषण होकर काव्य शब्द के साथ समभिव्याहृत होता है। यह ‘ध्वनिकाव्य’ है, ऐसा व्यवहार इसी विग्रह पर अवलम्बित है।

चौथी किरण

ध्वनि की स्थापना

अलङ्कारिकों की भाषा में 'काव्य की आत्मा' क्या है अर्थात् किम संजीवनी शक्ति से वाक्य वा मन्दर्भ काव्य कहा जाता है, यह एक प्रश्न है ।

इसके उत्तर में देहात्मराट्टी माहिल्यिक दार्शनिकों का यह कथन है कि शब्द और अर्थ को छोड़कर काव्य की आत्मा अन्य कुछ भी नहीं । ये दोनों अलङ्कृत होकर काव्य हो जाते हैं, जैसा कि प्रायः दृष्टिगत होता है । किंतु कभी-कभी निरलङ्कार शब्द और अर्थ भी काव्य की श्रेणियों में आ जाते हैं । इससे कुछ समोक्तकों का कहना है कि काव्य की आत्मा 'रोंति' है । अर्थात् विशिष्ट-पद-रचना या सुन्दर भणिति-भङ्गि ही काव्य-साधक है । यह स्वतः सिद्ध है कि शब्दार्थों का सुन्दर संयोग ही किमो मन्दर्भ को काव्य की श्रेणियों में लाता है । आधुनिक अनेक कवि अपनी इस कला के कारण कवि कहलाते हैं । इसीमें अनेक समालोचकों का कहना है कि शब्द, अर्थ और अलङ्कार को छोड़कर काव्य का अन्य कोई गुण—आत्मा नहीं है । काव्य के जितने शोभावाक्य साधन हैं चाहे उनका कुछ भी नामकरण किया जाय वे रोंति, गुण या अलङ्कार के ही अन्तर्भूत हैं । रोंति स्वयं गुण या अलङ्कार के अतिरिक्त कोई भिन्न वस्तु नहीं । क्योंकि, पर्याय में विषयानुकूल—विशेष प्रकार के माधुर्यादि गुणों से युक्त पदावली को रचना को हा तो रोंति वा वृत्ति कहते हैं । इस प्रकार काव्य-मन्दर्भ के कारणों की विवेचना घूम-फिरकर गुण-अलङ्कार की विशिष्टता की ही चोतर होगी, किमो अन्य वस्तु की नहीं ।

पर ध्वनिवादियों का मत है कि जैसे निर्दोष और सुसंस्थित पर सौन्दर्य-रहित शरीर को अलङ्कृत कर देने पर भी उसकी श्रेष्ठि नहीं होती वैसे ही अलङ्कृत या विशिष्ट-पद-रचना-शैली काव्य की भी ध्वनि के बिना श्रेष्ठि नहीं होती । ध्वनिकार ने कहा है कि अङ्गना के सुशोभन

१ प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वहित वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत्तत्प्रतिद्राववर्तारिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥ ध्वन्यालोक

मुक्ताफलेषु च्छायायास्तरत्नमिवान्तरा ।

प्रातभाति यदङ्गेषु तत्रावण्यमिदोच्यते ॥

अङ्गों के अतिरिक्त जैसे लावण्य—सौष्टव, कान्ति, चमक-दमक, एक पदार्थ है वैसे ही महाकवियों की वाणी में एक ऐसी कोई वस्तु होती है जो शब्द, अर्थ, रचनावैचित्र्य आदि से अलग प्रतीयमान होती है। वही काव्य को आत्मा ध्वनि है। पर आलङ्कारिक इस ध्वनि को नहीं मानते। वे कहते हैं कि न तो कोई शब्द या अर्थ को ध्वनि कह सकता और न इनकी सुन्दरता को। क्योंकि, शब्द और अर्थ की सुन्दरता या उनका सुन्दर सन्निवेश शब्दार्थालङ्कार के भीतर आ जाता है। ध्वनि कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं, जिसका काव्य में अस्तित्व पाया जाता हो। कारण, ध्वनिकार के पूर्ववर्ती प्रसिद्ध आलङ्कारिकों ने इस विषय का कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। यदि काव्य के प्राणस्वरूप ध्वनि की सत्ता स्वीकृत होती तो उसकी चर्चा अवश्य कुछ होती। इससे ध्वनि - ध्वनि को रट लगाना कोई अर्थ नहीं रखता। कवि मनोरथ ने तो ध्वनि के प्रशंसकों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्हें मूर्ख तक कह डाला है।

फिर भी ध्वनिकार का कहना है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने भाव, वस्तु, रीति, अलङ्कार को ही प्रधानता दी है और उनके द्वारा ही मनोहरता, नूतनता चमत्कारिता आदि लाने की चेष्टा की है सही; किन्तु उनको चेष्टा वहीं तक सीमित नहीं समझनी चाहिये। यद्यपि ध्वनि के स्वरूप के निर्णय में वे असमर्थ थे तथापि सूक्ष्मदर्शी कवियों ने रहस्यरूप से प्रच्छन्न और प्राणभूत ध्वनि को अपने काव्य में ग्रहण करके उसे हृदय प्राप्ति बनाने में कोई कोर-कसर नहीं की है। अतः यह बात उनके विचार के बहिर्भूत नहीं थी कि श्रेष्ठ काव्य प्रकृति से ही वाच्यार्थ से ऊपर उठकर अपनी चारुता प्रकट करता है। क्योंकि, कवि की स्वरूप-योग्यता केवल इतने ही में नहीं है कि कथावस्तु को, या अपने विचार को अलङ्कृत शब्दार्थमात्र में प्रकाशित कर दे। निष्कर्ष यह कि प्राचीन आलङ्कारिक यद्यपि ध्वनि का स्वरूप नहीं समझ सके थे, पर अपने काव्यों में ध्वन्यर्थ वा व्यङ्ग्यार्थ को प्रस्तुत करने में नहीं चूके।

कह आये हैं कि जैसे शरीर का सौन्दर्य शरीरावयवों के रुचिर सन्निवेश से विभिन्न होने पर भी अवयवों द्वारा ही प्रकाशित होता है और किसी अलङ्कार की अपेक्षा नहीं रखता वैसे ध्वनि भी काव्य के शरीरावयवों से ही प्रकट होती है पर उनसे सर्वथा स्वतन्त्र है। उस ध्वनि का ध्वनिकार ने यह लक्षण किया है—

'अर्थ' या शब्द अपने अभिप्राय की प्रधानता का परित्याग करके जिस किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है उसे ध्वनि कहते हैं ।

इससे जिनोंने केवल वाच्य-वाचक को पहचानने में ही श्रम किया है पर इनके अतिरिक्त काव्य-तत्त्व की विचार-धीमाय में अवगाहन नहीं किया है वे प्रकृत काव्यानन्द का उपभोग नहीं कर सकते । यही वाच्य-वाचक काव्यतत्त्व ध्वनि है, जिसे साधारणतः व्यंग्य या व्यंग्यार्थ कहते हैं ।

ध्वन्यालोक के टीकाकार अभिनवगुप्त रस को काव्याधायक मानते हैं और ध्वनिकार ध्वनि को । इस प्रकार काव्य की आत्मा के स्वरूप-निर्णय में मतभेद देख पड़ता है । किन्तु, विचार करने पर यह मतभेद अवास्तविक प्रतीत होता है । कारण यह कि रस की प्रतीति भी तो ध्वनि रूप में ही होती है । अतः रसध्वनि भी ध्वनि ही है । इसको केवल अभिनवगुप्त ने ही नहीं, नरान आचार्यों ने भी माना है । फिर ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने में कोई विचिकित्सा नहीं ।

इस ध्वनि के प्रस्थापक है अज्ञातनामा कारिकाकार और उनके 'आलोक' नामक वृत्ति के कृतो आनन्दवर्द्धनाचार्य । इस 'आलोक' की 'लोचन' नामक टीका के रचयिता अभिनवगुप्त ने भी, इस मत के समर्थन में पूरा बुद्धियोग किया है । 'ध्वन्यालोक' ही इस मत का पोषक प्रधान ग्रन्थ है । मम्मटाचार्य का 'काव्यप्रकाश' इस मत का पूर्ण समर्थक है ।

१ यथार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ ध्वन्यालोक

पाँचवीं किरण

ध्वनि के कुछ उदाहरण

अत्र ध्वनि वा ध्वनि-काव्य के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं ।

- १ निखि निसिअरे भम भीम भुअंगम जलधर बीजुरि उजोर ।
तरुन तिमिर निखि तइयो चलसि जासि बइ सखि साहस तोर ॥
सुन्दरि कओन पुरुष धन जे तोर हरल मन जमु लोमे चल अभिसार ।
अंतर हुतर नदि से कैसे जयवह तरि आरति न करिय भाँप ।
तोरा अछि पंचसर तें तोरा नहिं डर मोर हृदय बइ काँप ।—विद्यापति

निशीथ में निशाचर और भयंकर भुजंगम भ्रमण कर रहे हैं । बादल में विजलियाँ तड़प रही हैं । तो भी रात्रि के घनघोर अन्वकार में तू जाने से विमुख नहीं होतो । सखो, तेरे साहस का तो कुछ ठिकाना हाँ नहीं । सुन्दरी ! कौन ऐसा बड़भागो पुरुष है जिसने तेरे चित्त को चुरा लिया है, जिसके लिये तू अभिसार कर रही है । तेरे अभिसार के मार्ग में दुस्तर नदियाँ हैं । उन्हें तू कैसे पार करोगे ? इन कष्टों पर परदा डालना ठीक नहीं । अच्छा, तेरे सहायक पंचवाण—कामदेव हैं । तुझे कोई डर नहीं । किन्तु मेरा हृदय तो डर से थर-थर काँप रहा है ।

अन्तिम पंक्तियों से यह ध्वनि निकलती है कि जब तू संकेतस्थान को प्रियमिलन के लिये जातो है तो वहाँ मुझ जैसे का साथ जाकर प्रेममार्ग में बाधक बनना सर्वथा अनुचित है । दूसरी ध्वनि यह भी निकलती है कि तू चाहे तो मैं संग चलकर तुझको संकेतस्थान तक पहुँचा आऊँ । तीसरी ध्वनि यह निकलती है कि सखो, तेरे जैसा मैं भी अभिसार करतो तो मुझे भी डर-भय न होता, पर ऐसा प्रसङ्ग न होने से हृदयकंप होना स्वाभाविक है ।

२ नंद ब्रज लीजै ठोकि बजाय ।

देहु बिदा मिलि जाहि मधुपुरी जहँ गोकुल के राय ॥—सूर

शुकुजी के शब्दों में 'ठोकि' बजाय में, कितनी व्यञ्जना है ! तुम अपना ब्रज अच्छी तरह सँभालो; तुम्हें इसका गहरा लोभ है; मैं तो जाती हूँ । एक-एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखाई दे रहा है । एक वाक्य दो-दो तीन-तीन भावों से लदा हुआ है । श्लेष

आदि कृत्रिम विधानों से मुक्त ऐसा ही भाव-गुरुन हृदय को सीधे जाकर स्पर्श करता है। इसे भाव-शक्तता कह या भावपंचामृत। क्योंकि, एक ही वाक्य 'नंद मज लीले ठाक वजाय' में कुछ निर्वेद, कुछ तिरस्कार और कुछ अमप, इन तीनों की मिश्रव्यञ्जना—जिसे शक्तता कहने ही में मन्तोप नहीं होता—पायी जाती है। यहाँ पाच्य से अधिक चमत्कारक यथंग्य के होने से ध्वनि है।

पुरों निकमी खुबीरबधू भरि घोर दये मग में दग दे ।
कलकी भरी भाल कनी जल की पुट सँभ गये मधुसाधर वै ॥
किरि धूमनी दे 'चलनो अच केतिक पनेइटी करही किन है' ।
निय की लखि अनुरता धिय की अंगयो अति चाह चली जल च्यै ॥

— तुलसीदास

उसमें महारानी सीता की मुकुमारता तो स्पष्ट व्यञ्जित है। श्रम संचारी की व्यञ्जना भी कोमलता और मार्मिकता से को गयी है। पतिव्रता प्रत्येक दशा में पति की अनुगामिनी होना ही पसंद करती है, यह वस्तुध्वनि भी होती है। अन्तिम पंक्ति से राम के अत्यन्त अनुराग और विषाद भी व्यञ्जित हैं।

पाकर विशाल कचभार एड़ियों धमती ।
तब नख-ज्योति-मिष गूदुल अँगुलियाँ हैंसती ।
पग पग उठने में भार उन्हीं पर पड़ता ।
तब अरुण एड़ियों से मुहस सा भड़ता।—गुप्तजी

दीर्घाकार विशाल कचभार से एड़ियों जब-जब दब जातीं तब-तब अँगुलियाँ नख-ज्योति के वहाने मन्द-मन्द मुसुकातीं। कारण यह कि एड़ियों पर भार पड़ने से नखों के रक्तविन्दुओं का हाम हो जाता और उनमें उज्वलता के आधिक्य से हास्य-सा फूट पड़ता। यह वर्णन पद्माकर की इस पंक्ति की ओर वरचस ध्यान खींच लेना है—
बालन के भार पुङ्गुमारी के लखत लह..... पर पद-सञ्चालन में अँगुलियों पर जब भार पड़ता तब उनके नखा में रक्त-आधिक्य हो जाता और एड़ियों की अरुणिमा कम पड़ जाती। उस समय ऐसा ज्ञात होता कि जैसे वे भारान्तर नखों को देखकर हँस रही हों। इसमें कवि ने अपनी अनुपम कल्पना और कान्त कोमल भावना द्वारा एक से दूसरे की हँसी उड़वायी है।

इसमें विशाल कचभार कहने से केशों को दोर्घता और सघनता ध्वनित होती है। एड़ियों के धँसने से शरीर को सुकुमारता और भारवहन की असमर्थता को भी ध्वनि निकलती है। भाराक्रान्त नखों और एड़ियों में रक्ताधिक्य के कारण जो अरुण आभा पृटी पड़ती है उससे शरीर की स्वस्थता को भी ध्वनि होती है।

५ सन्ध्यासुन्दरी के वर्णन में निरालाजी अपने निरालो अभिव्यञ्जना से अपने भाव ऐसे ध्वनित करते हैं कि उनकी अन्तर्दृष्टि के अनुसन्धान की सराहना किये बिना रहा नहीं जाता। उनकी 'सन्ध्यासुन्दरी' कविता की ये पंक्तियाँ हैं—

सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह छाँह सी अंबर पथ से चली।

सन्ध्यासमय जनकोलाहल कुछ शान्त-सा हो जाता है और शान्ति छा जाती है। सन्ध्या का शान्ति के साथ आना सहज-स्वाभाविक है। इससे नीरवता को—शान्ति को—सन्ध्या को सखी कहा गया है। जब उसकी सखी नीरवता—शान्ति—है तब सन्ध्या की प्रकृति का गम्भीर और शान्त होना ध्वनित होता है। सखी का संसर्ग उसके बिना कहे भी उसके कुमारीपन को ध्वनित कर रहा है। क्योंकि, विवाहिताओं को सखियों की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। नीरवता के कंधे पर बाँह डालने से उसका मुग्धा नवयौवना होना प्रतीत होता है। इसीसे उसका अल्हड़पन उसे छोड़ना नहीं चाहता। अतः उसका सखीभाव भी कार्यतः मूलक रहा है। सन्ध्या नीरवता के साथ मिली-जुली, लिपटी-भिरपटी-सी आ रही है, इससे उनकी मैत्री की प्रगाढ़ता भी ध्वनित होती है। छाया-रूप में सन्ध्या का अवतरण होता ही है, जिससे उसे छाँह सी कहना सार्थक है। अतः उसकी सुकुमारता और अङ्गलतिका की तनुता ध्वनित होती है। यदि ऐसी बात न होती तो अम्बर पथ से आने में उसे अवलम्ब की आवश्यकता ही नहीं थी। अम्बर पथ से चलने के कारण उसके अम्सरोपम सुन्दरी और कोमल-कलेवरा होना भी ध्वनित होता है। क्योंकि, वह न तो पृथ्वी पर की है और न उसे कभी पृथ्वी पर चलना ही पड़ा है, जिससे उसमें किसी प्रकार की कठोरता को संभावना को जाय। यहाँ कवि ने भावोक्ति के द्वारा छायारूपिणी सन्ध्या को कुपारो का रूप देकर कमाल कर दिया है।

५. बालकों का सा मारा हाथ कर दिया विकल हृदय के तार ।

नहीं अब रुकनी है मंकार यही था हा क्या एक सितार । ॥ —पंत

इसका अर्थ है कि तुमने हृदयरूपी मितार पर अशोध बालक के समान हाथ मारा, उसपर ऐसे जोर से आघात किया कि वह विकल हो उठा अर्थात् उसके भाव ऐसे तिलमिला उठे कि उनकी कराह रुकती ही नहीं ।

सितार बजानेवाला ही मितार बजा सकता है, अनाड़ी और नीलिवृण को तो वहाँ गति ही नहीं । फिर बालक ? वह तो उसमें खिलवाड़ ही कर सकता है, सम्भव है तोड़फोड़ भी दे । पूर्वाधे से यही ध्वनि निकलती है कि उचित रूप से तुमने प्रेम नहीं किया, बल्कि मेरे हृदय को लेकर खेलवाड़ किया और जहाँ तक पीड़ा पहुँचाना सम्भव था, पहुँचायो । तीसरी पंक्ति से यह ध्वनि आती है कि जिस प्रेम-पीड़ा को मैंने पाल रखा उसकी टीस मिटती ही नजर नहीं आती । चौथी पंक्ति से दैन्य और असूया की ध्वनि निकलती है । जब ऐसा ही करना था तो मेरे ही हृदय को अपना लक्ष्य क्यों बनाया । मेरा प्रेम तो तुम पर प्रगट ही हो चुका था । प्रेमिका का अपने प्रेमी से ऐसी शिकायत करना सदा मोलह आने ठोक है ।

भारतेश्वरी के पद से महारानी संयोगिता अपने पिता राजा जयचन्द्र को पत्र लिखती हैं—

भूले मत स्वप्न में भी इस कटु सत्य को—

भारत अधीश्वर सिंधारे वीर लोक को,

किन्तु तलवार है जीवित अभी उनकी

और बैसा ही कड़ा पानी है चड़ा हुआ । —वियोगी

भारताधीश्वर पृथ्वीराज परलोक को चले गये किन्तु भारताधीश्वर के रूप में उनकी अर्द्धांगिनी अभी जीवित है, यह ध्वनि निकलती है । यही क्यों, वह जीवित रूप में उनकी तलवार ही है । यहाँ तलवार को जीवित कहकर उसमें साध्यरसाना लक्षणा द्वारा रानी का अध्ययसान किया गया है । इससे यह ध्वनि निकलती है कि मैं तलवार को तरह ही तेज और तरार हूँ । भाव यह कि एक बोर को पत्नी अपने आपको अपने पति की तलवार कहने को अधिकारिणी है । तलवार पर 'बैसा ही कड़ा पानी है' को उक्ति से यह ध्वनि निकलती है कि आपने

पृथ्वीराज द्वारा मेरे हरणकाल में उनकी तलवार का जो जौहर देखा था उसे आज भी न भूलिये। इससे आप यदि अपने राह पर न आये तो उसका मजा फिर चखना पड़ेगा। यहाँ रानी ने जयचन्द्र को कड़े पानीवाली तलवार की जो याद दिलायी है वह इस बात का चोतन करती है कि नारी अपने पुरुष की जोती-जागतो शक्ति है।

तुम मुझे पूछते हो जाऊँ, मैं क्या जवाब दूँ तुम्हीं कहो ?

जा कहते रुकती है जवान, किस मुँह से तुमसे कहूँ रहो।—सु० कु० चौ०

इस पद्य में आराध्य देव के आज्ञा माँगने पर सेविका की विवशता वाणी में जो मार्मिक पीड़ा और ममता के बल पर रोक रखने का ध्वनि है वह काव्योत्कर्ष का एक अच्छा सा नमूना है। पद्य के किसी पद का प्रत्यक्ष रूप से यह अर्थ नहीं हो सकता कि तुम रुक जाओ। किन्तु, सेविका की विनम्र और हृदय को पकड़नेवाली उक्ति उस भावुक आराध्य के पैरों में स्नेह की जंजीर डालकर उसे एक पग भी आगे न बढ़ने का हुक्म देती है। कथित बहुत ही मर्मभरी है।

छठी किरण

वाच्य और प्रतीयमान अर्थ

सहृदयश्लाघ्य काव्यात्मा अर्थ के दो भेद होते हैं—वाच्य और प्रतीयमान, अर्थात् अभिधेय और ध्वनि। नीचे के उदाहरणों से एकत्र स्पष्ट हो जायगा कि अभिधेय क्या है और क्या है ध्वनि या व्यंग्यार्थ।

यद्यपि शब्द ही वाच्य और व्यंग्य दोनों अर्थों का मूल है तथापि जैसे साक्षान् शब्द से वाच्यार्थ-प्रतीति होती है वैसे ध्वनि नहीं प्रतीत होता। ध्वनि को प्रतीति परम्परा सम्बन्ध से होता है। पहले शब्द से वाच्यार्थ प्रतीत होता है। फिर वाच्यार्थ से ध्वनि प्रतीत होती है।

१ विधि रूप वाच्य से निबन्ध रूप ध्वनि

ध्वन्यर्थ सर्वदा वाच्यार्थ के तुल्य ही नहीं होता। कभी-कभी वाच्यार्थ से सार्था विपरीत भी होता है। जैसे,

लिये ठहरे हुए शुभ पथिक से रात्रि-मिलन का संकेत करती हुई कहती हैं। यहाँ सास सोती है और यहाँ मैं सोती हूँ। दिन में ही अच्छी तरह देख लो। ऐसा न हो कि रतौंवा के कारण हमलों पर भार पड़े।

इस पद में निषेध की आज्ञा से रात में पथिक को अपनी शय्या पर लुलाने का विधान है। यहाँ यह अर्थ ध्वनित होता है कि जहाँ मैं सोती हूँ उसे ठीक से देख लो। सास के रहते हम दोनों का मिलना संभव नहीं। अभी परस्पर देखा-देखो कर के दर्शन-सुत्र का अनुभव कर लें। रात में अंधे के ऐसा मेरी खाट पर आकर नहीं गिर पड़ना। बल्कि चुपचाप मेरी शय्या पर आ जाना।

३ विधिरूप वाच्य से अविधिनिषेध-रूप ध्वनि

कर्त्ति-कर्त्ति विधि-रूप वाच्य से विधि-निषेध से विलक्षण तटस्थ रूप व्यंग्य निकलता है। जैसे,

सुमनाफे दिग जाहू भिग, केवल हमदि कलाय ।

ना भिनु परे न रोहवो, इहँ दिरी प्रीत लगाय ॥ —दिन्दी प्रेमी

सपत्नी-समासक्त प्रिय को जाने के लिये इच्छुक समझकर और संकोच वश विलंब करते हुए देखकर उससे नायिका कहती है कि तुम तो पथिके समान प्रिय हो। जाओ, मैं रो-कलप कर रह जाऊँगी। किन्तु, ऐसा न हो कि उसके बिना तुम्हें रोना-भोगना पड़े। सर्वथा अनिष्ट प्रिय-गमन यहाँ वाच्य है। पर व्यंग्य है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन दूसरे में लगा हुआ है। शूठ-मूठ यहाँ बेकार बैठकर मेरा अगुनय कर रहे हो। तुम्हारी शठता से मैं परिचित हूँ। इस प्रकार विधि-निषेध दोनों से विलक्षण जो फटकार है वही व्यंग्य है।

४ निषेधरूप वाच्य से अनुभवरूप ध्वनि

कर्त्ति-कर्त्ति निषेध-रूप वाच्य से विधि-निषेध दोनों से विलक्षण व्यंग्य निकलता है। जैसे,

बिनवो, टक मुरानंद तँ अंगकार जनि राक ।

औरत के अभिसारन में, भीरी विषन न पार ॥ —दिन्दी प्रेमी

इधर नायिका तेजी से नायक के घर अभिसार कर रही थी और उधर नायक उसके घर आ रहा था। रास्ते में भेंट हो गयी। मानों कभी की जान-पहचान नहीं, इस ढंग से पद कहता है—हट जाओ। अपने मुखचन्द्र के प्रकाश से अंधेरे को मिटाकर दूसरी संकेत-स्थल में जाने-

वालो नायिकाओं के मार्ग की यात्रा न घतो। यहाँ लीटने के लिये प्रार्थना करना वाच्य है। पर इस वाच्य में जो व्यंग्य निरुलना है वह न निवेद है न विधि। केवल नायिका को सुरा करने के लिये ऐसा वापलुमी है जो नायक का मतलब गोंठ मरुती है।

सातवीं किरण

ध्वनि के तीन रूप

तीन पदार्थों को ध्वनि हॉतो है—रसादि की, वस्तु की और अलङ्कार की। रसादि ध्वनि सब में मुख्य है। इसको असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि कहते हैं। जहाँ अलङ्कार ध्वनि नती रहता यहाँ वस्तुध्वनि हॉतो है और अलङ्कार ध्वनि रहने में अलङ्कारध्वनि। इन्हे संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि कहते हैं।

रसादि-ध्वनि का परिचय

रसादि अर्थान् रस, भाव, रसाभास आदि किसी दशा में किसी शब्दविशेष या अर्थविशेष से वाच्य बोध्य नहीं हो सकते। वे सर्वदा-मर्मथा ध्वनि या सूचित ही होते हैं। यही रसादि ध्वनि काव्य का जीवन है। 'रसो वै सः' (परब्रह्म रसस्वरूप है) आदि उपनिषद् के वाक्य से रस का ब्रह्म के साथ सारूप्य बताया गया है। ब्रह्म के सम्बन्ध में वेद जैसे ज्ञान के भण्डार में भी 'नेति नेति' से उसकी अनिर्वचनीयता कहा गया है। फिर रसादि यदि वाच्य या लक्ष्य न हों, शब्द या अर्थ द्वारा बोध्य न हों तो क्या आश्चर्य है। उनका ऐसा होना यथार्थ ही है। 'रस' आश्वाद्स्वरूप है, आनन्दमय है, ज्ञानमय है। उसका साक्षात् शब्दों द्वारा कथन कैसे संभव हो सकता है? शब्दातीत विषय में शब्द की गति ही कैसी? शब्द तो किसी संकेतित अर्थ का उपस्थापक हो सकता है पर रसादि किसी नियत संकेत या रूढ़ अर्थ के रूप में सीमित—अपरुद्ध नहीं हो सकता। वह इन बन्धनों से विमुक्त है। उसका व्यक्तीकरण तो विभाव आदि उन अलौकिक व्यापारशाली साधनों से ही होता है जिनका विस्तृत निरूपण यथा-स्थान होगा।

श्रव्य काव्य में शब्दों द्वारा ही विभाव आदि प्रस्तुत किये जाते जरूर हैं पर रससिद्धि में उनकी साक्षात् कुछ प्रयोजकता नहीं। उनको उपयोगिता तो इसीमें है कि वे विभाव आदि का रूप इस प्रकार प्रत्यक्षायमाण करा सकें कि उनके द्वारा रसव्यंजना होने में किसी प्रकार की न्यूनता न अनुभूत हो। शब्दबोधय वाक्यार्थज्ञान में जैसे क्रमिक अर्थोपस्थिति के द्वारा समुदायार्थ समन्वित होकर प्रतीत होता है वैसे रसास्वाद में कोई क्रम प्रतीतिगोचर नहीं होता। भले ही विषय रूप से रसास्वादकाल में प्रतीक्षमान वर्णनीय विषय क्रमसापेक्ष हो।

वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि में विशिष्ट शब्द और अर्थ की क्रमोपस्थिति और क्रमान्वय जिस प्रकार संलक्षित होते हैं उस प्रकार रसादि ध्वनि में कदापि नहीं। इसीलिये वह असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य है। जिसमें रसादि ध्वनि प्रधान हो वही काव्य सर्वश्रेष्ठ होता है। रसास्वाद से ही कविता साकार हुई थी। 'कौचमिथुन' में एक को (नर कौच को) जो 'काममोहित' था, व्याध के वाण से मरा देखकर और उसकी व्यथित सहचरी (मादा कौच) का आर्त्त चीत्कार सुनकर आदि-कवि का कण्ठ सर्वप्रथम जिस ध्वनि को लेकर फूटा था उसमें शोक स्थायी भाव का पूर्ण परिणाम करुण रस ही व्याप्त था।

वस्तुध्वनि का परिचय

वस्तुध्वनि में अलङ्कार-शून्य वस्तु की ध्वनि होती है। ध्वनित वस्तुओं का आधार कहीं कोई विशेष शब्द होता है तो कहीं कोई अर्थ। जहाँ अनेकाथेक शब्द की शक्ति किसी प्रकृत अर्थ में बँधकर उसकी उपस्थित कराने के अनन्तर विषय का मर्मानुसन्धान करने पर पुनः किसी विलक्षण अर्थ की अभिव्यक्ति का कारण होती है वहाँ यह अभिवामूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि का भेद शब्द-शक्त्युद्भव ध्वनि होगा। और, जहाँ शब्द का कोई अनियन्त्रित अर्थ अपनी खूबी से वक्ता, बोद्धव्य या प्रकरण की विशेषताओं के सहारे अन्य भिन्न-भिन्न अर्थों के बोधन का कारण बन जाता है वहाँ अभिवामूलक अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि होगी।

यह बात सर्वोपरि है कि ध्वनि में जब रमणीयता हो तभी वह काव्य की कोटि में परिगणित होगी। अन्यथा उसका कोई महत्त्व नहीं। वस्तुध्वनि में भाव या रस का स्पर्श किसी न किसी रूप में अवश्य अपेक्षित रहता है। नहीं तो 'पानी लाओ' से निकलनेवाली

‘मुझे प्यास लगी है’ यह वस्तुध्वनि भी काव्यरूपा में सम्मिलित हो जायगी, जो ध्वनि के सौंदर्य या चमत्कार के अनुरूप नहीं होगी। ध्वनि रसगर्भित होने से ही ‘काव्य की आत्मा’ होने का दावा कर सकती है।

अलङ्कार-ध्वनि का परिचय

अलङ्कार शरीर का सौन्दर्य बढ़ाने के साधन हैं। जैसे बंगन, पायजेर, हार, कर्णहून, नासामीकिक आदि अलङ्कार सुन्दरी के अङ्ग-सौन्दर्य को आर आकर्षक बना देते हैं, वैसे ही अनुपास, चपमा आदि अलङ्कार ध्वनिपूर्ण कविता के शरीर—शब्द और अर्थ—को विशेष अलंकरण कर देते हैं। ये अलंकार जब शब्द या अर्थ में बोधक सामग्रों की सहायता से साक्षान् वर्तमान रहते हैं तो वाच्य होते हैं और जब वस्तु या अलङ्कार में ध्वनित होते हैं तो व्यंग्य कहलाते हैं। वस्तु या अलङ्कार में जो अलङ्कार ध्वनित होता है वह अलङ्कार-ध्वनि माना जाता है। शर्त यह है कि वह अपने व्यञ्जक वस्तु या अलङ्कार की अपेक्षा अधिक चमत्काराधायक हो। जहाँ वस्तु से वस्तु या अलङ्कार अथवा अलङ्कार से अलङ्कार वा वस्तु ध्वनित होता है वहाँ यदि विवेचक की दृष्टि में वह वाच्य वस्तु या अलङ्कार से अप्रधान लेंचे तो उसे गुणोभूत व्यंग्य कह सकते हैं। यह तो मानी हुई बात है कि रसादि ध्वनि के अतिरिक्त शेष ध्वनियों काव्य के प्राण नहीं हो सकतीं। फिर भी वाच्यभूत अलंकार या व्यंग्यभूत अलंकार के कारण जो काव्यस्व-व्यवहार होता है वह उमो तरह है जैसे अलंकारों से सुसज्जित प्राण-रहित राधाकृष्ण आदि देवो-देवताओं की प्रतिमूर्तियों अपनी सुरूपता से सजीव मूर्त की बराबरी करतीं और वही नाम पाती हैं।

यद्यपि अलंकार स्वयं अलंकार (अलं करोति इति अलंकारः— श्रीरों के शरीर को सजाने की चोज) है, फिर भी ध्वनित रूप में आने पर वह भी अलंकार्य—सजने के लायक हो जाता है। जैसे दास यो तो श्रीरों का सेवक होता है पर विवाह में ससुराल पहुँच कर वह भी कसो सेव्य हो जाता है। जब व्यंग्यभूत अलंकार अलंकार्य हो जाता है तब भी उसे अलंकार कहने की प्रथा ब्राह्मण श्रमण-न्याय से प्रचलित है। इस न्याय का अर्थ है ब्राह्मण श्रमण को नाईं। तात्पर्य यह है कि पहले का ब्राह्मण यदि श्रमण अर्थात् बौद्धभिक्कु हो जाय तब भी जानकार उसे ब्राह्मण कहकर पुकारा करते हैं।

आठवीं किरण

असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के व्यञ्जक

असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के प्रबोधक, व्यञ्जक वा सूचक पद^१ विभक्ति, क्रियाविभाक्त, वचन, सम्बन्ध (स्वस्वामिभाव आदि) कारक (कर्ता, कर्म आदि) कृतप्रत्यय, तद्धित-प्रत्यय, समास, उपसर्ग, निपात, काल आदि हैं जिनसे असंलक्ष्यक्रम रसादि ध्वनित होते हैं ।

^२ हनुमन्नाटक में रावण की गर्वोक्ति का एक श्लोक है । उसका निम्नलिखित पद्यानुवाद और अर्थ उदाहरण के रूप में लोजिये—

या ही अपमान मेरे शत्रु जो लखाई देत तिनहूँ में तापस यौ लंक ही मे नानो है ।
करत विधंस वंस वीर जातधानन कौ देखौं ही जिअत धिक रावन कहानो हैं ॥
इन्द्र कौ जितैया कौ सहस्र फिटकार और व्यर्थ ही दिखत कुम्भकर्ण को जगानो है ।
नेक ही सौं नाक पुरवा को छूट फूलि गये बीस इन विफल भुजान कौ बखानो है ॥
—हि. प्रे.

यही मेरा अनादर है जो मेरे भो शत्रु हैं । उन शत्रुओं में भी यह तापस है जो तप ही करता रहता है । वह तापस शत्रु भाँ यहाँ लंका में मेरी छाती पर राक्षस-वंश को ही चीपट कर रहा है । यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि मेरे जैसा राजा रावण जी रहा है । शक्र-विजयो मेरे पुत्र मेघनाद को धिक्कार है धिक्कार । प्रबोधित भाई कुम्भकर्ण का जागना भी कुछ काम न आया । स्वर्ग की एक तुच्छ टोली को छूटकर व्यर्थ ही फूली इन बीसों बाहों ने भो क्या किया ?

अर्थानुसार यहाँ ध्वनि का निर्देश किया जाता है ।

यहाँ 'मेरे' पद से यह ध्वनित होता है कि जिसने इन्द्रादि देवों को भो वन्दी बना दिया है, जिससे यमराज भो थरथर काँपता है; उस रावण के शत्रु हों और वे जीते रहें, यह कितने अपमान की बात है !

१ मुक्तिश्चनसम्बन्धैस्थता कारकशक्तिभिः ।

कृतद्धितसमासैश्च योत्योऽलक्ष्यक्रमः कश्चित् ॥ —ध्वन्यालोक

२ न्यकारोऽप्यमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः ।

सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः ॥

धिग्धिक् शक्यमितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा

स्वर्गप्राप्तिकाविलम्बनप्रयोजनैः किमेभिर्भजैः ॥

ही मारता—राक्षसवंश की जड़ खोदने को नहीं तुल जाता, यह सत्र होने पर असोम-शौर्य-सम्पन्न में रावण न जीता रहता तो कोई बात न थी। पर ये सत्र मेरे संमुख मेरे शौर्य-वीर्य के विपरीत ही हो रहा है, यह आश्चर्य है ! ये सत्र बातें व्यञ्जित होती है।

मेघनाद को शक्रविजयी कहने से उसकी अपराजेयता ध्वनित होती है। क्योंकि एक तो 'शक्र'शब्द का ही अर्थ शक्तिशाली शत्रुविजेता है और उस शक्र को भी जीतनेवाला मेघनाद है। इससे उसके द्वारा राम-विजय की सहज संभावना भी प्रतीत होती है। उसको भी जो बार-बार धिक्कार दिया गया है उससे राम-विजय में उसकी असमर्थता तथा राम की उत्कृष्टता द्योतित होती है। इसमें विजयी के कृतप्रत्यय और धिक्कार से ये ध्वनियाँ निकलती हैं।

प्रबोधित शब्द से यह ध्वनित होता है कि कुम्भकर्ण पर बहुत आशा-भरोसा था। इसीसे उसके जगाने में विशेष प्रयत्न किया गया, वह जागा भी। यह संभावना भी को गई कि जुद्ध तापस का पराजय हुआ ही चाहता है पर यह सत्र न हुआ तो उसकी निन्दा का पारावार नहीं रहा। यह ध्वनि प्रेरणात्मक क्रिया से, जिसमें प्र उपसर्ग भी सम्मिलित है, निकलती है।

अन्तिम वाक्य में स्वर्ग को छोटा गाँव, पुरवा, टोला या टोली बनाने से यह प्रतीत होता है कि उसका जितना मेरे लिये अत्यन्त सख्त था। इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं। लूटने से स्वर्ग का उजाड़ हो जाना भी ध्वनित होता है। वहाँ के बहुवचन से यह ध्वनित होता है कि जुद्ध ग्राम के समान स्वर्ग को लूट लेने से इनकी कोई प्रशंसा नहीं। क्योंकि यह तो एक वाहु का काम था। जिन वाहुओं के बल का पता शङ्कर और कैलास को ही वे स्वर्ग को लूटने मर से व्यर्थ के घमंड में फूलो हुई हैं। ऐसी वाहुओं से क्या लाभ जब कि एक जुद्ध शत्रु अत्र भी वर्त्तमान है? इससे राम को अपराजेयता और भी प्रतीत होती है।

इस प्रकार सम्पूर्ण श्लोक से रावणपक्ष के पराभव, अनौचित्य और रावण के क्रोधाधिक्य का औचित्य ध्वनित होता है। यहाँ क्रोध रूप स्थायी भाव को ही ध्वनि है। विभाव, अनुभाव आदि के अभाव से रौद्र रस परिपुष्ट नहीं। संनारी की व्यञ्जना भी स्पष्ट प्रतीत

एक कुडुल्ली पंचहि रुद्री तहै पंचहै वि जुअंजुष बुद्धी ।

बहिणए तं घर कहि किव नन्दउ जेथु कुडुंबउ अपरण छन्दउ ॥

—सिद्धहेमव्याकरण

एक छोटी-सी कुटिया पाँच से रूंधी है। उन पाँचों की बुद्धि भी भिन्न-भिन्न है। फिर कहो बहन; वह घर कैसे आनन्दित हो, जहाँ का कुटुंब अपने-अपने मन की करनेवाला हो।

यहाँ 'कुडुल्ली' में भील घुतावाचक 'उल्ली' प्रत्यय है। जैसे, रुपये को हीन बताने के लिये रुपल्ली कहते हैं। इस प्रत्यय से कुटिया (अर्थात् मनुष्य शरीर) की संकीर्णता और चूट्रता ध्वनित होती है।

एक पंडित भाई ने अपने मूर्ख भाई से बँटवारे में कहा कि भाई तुम

भागवत की पोथी लोगे कि दुर्गापाठ का पोथा ?

भाई ने दुर्गापाठ को बड़ा समझ उसे ही ले लिया। यहाँ लिङ्ग से विशालता ध्वनित हुई। ऐसे ही लघुता को व्यञ्जक 'पोथी' का लिंग है। ऐसे ही किसी को कभी कुछ छोटी-सो पुस्तक पढ़ते देख व्यंग्य से कह देता है कि क्या पोथी लेकर पढ़ने बैठ गये। यहाँ पोथी का लिंग ही व्यञ्जना का मूल है।

इसी प्रकार और उदाहरण भी समझ लेना चाहिये।

नवीं किरण

ध्वनिभेदार्थविचार


ध्वनि के मुख्य भेद दो हैं—लक्षणा मूला और अभिधामूला। लक्षणा मूला को अविवक्षितवाच्य ध्वनि और अभिधामूला को विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि भी कहते हैं।

मूल में लक्षणा होने से इसे लक्षणा मूला कहते हैं। वाच्यार्थ की विवक्षा न रहने के कारण इसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि भी कहते हैं। इसमें वाच्यार्थ से वक्ता के कहने का तात्पर्य नहीं जाना जाता। अतः यहाँ वाच्यार्थ की अविवक्षा या उसकी बाधा स्वाभाविक हो जाती है।

लक्षणा मूला ध्वनि के दो भेद होते हैं—(१) अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य और (२) अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य।

(१) दूसरे अर्थ को अर्थान्तर कहते हैं। यह सामान्य से विशेष ही होगा। अतः जिस ध्वनि में विशेषार्थ में वाच्य संक्रमित हो वह अर्थान्तर-

ध्वनि के ५१ भेदों का एक रेखाचित्र ध्वनि



ग्यारहवीं किरण

लक्षणागूलक (अविवक्षितवाच्य) ध्वनि

जिसके मूल में लक्षणा हो उसे लक्षणागूलक ध्वनि कहते हैं।

लक्षणा के जैसे मुख्य दो भेद—उपादानलक्षणा और लक्षण-लक्षणा—होते हैं वैसे ही इसके भी एक (१) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि (२) अव्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि नामक दो भेद होते हैं। पदली के मूल में उपादानलक्षणा और दूसरी के मूल में लक्षणलक्षणा रहती है। ये पदगत और वाक्यगत के भेद से चार प्रकार की हो जाती हैं।

लक्षणागूला को अविवक्षितवाच्य ध्वनि कहा गया है क्योंकि, उसमें वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं रहती। इसीसे इसमें वाच्यार्थ से वाक्य के कटने का तात्पर्य नहीं जाना जाता। इससे वाच्यार्थ का बाधित होना या उसका अनुपयुक्त होना निश्चित है। जैसे, किसी ने कहा कि 'यह कुम्भकर्ण है'। यहाँ वाच्यार्थ से केवल यही समझा जायगा कि उनके कान घड़े के समान हैं या वह त्रेता के राजा रावण का भाई है। किन्तु, वह व्यक्ति न तो रावण का भाई ही है और न उसके कान घड़े के समान ही हैं। यहाँ वाच्यार्थ की बाधा है। वाक्य का अभिप्राय इसीसे नहीं जाना जा सकता। अतः यहाँ प्रयोजनयती गृह्यर्थग्या लक्षणा द्वारा यह समझा जाता है कि यह महाविशालकाय अतिभोजी और अधिक निद्रालु है। इसीसे आलस्यतिशय ध्वनित होता है। यहाँ वाच्यार्थ की अविवक्षा है और यह अर्थान्तर में संक्रमित है।

वाच्यार्थ का बाधित अर्थान् उपयोग में लाने के अयोग्य होना दो प्रकार से संभव है। एक तो अर्थ-गुणरूक्ति होने से और दूसरे वाक्य के वाक्यत्व का तात्पर्य व्यक्त न होने से। दोनों के उदाहरण दिये जाते हैं।

१ पदगत अर्थान्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि

अर्थ-गुणरूक्ति से अनुपयुक्त वाच्यार्थ के लक्षण और उदाहरण—

जहाँ मुख्यार्थ का बाध होने पर वाचक शब्द का वाच्यार्थ लक्षणा द्वारा अपने दूसरे अर्थ में संक्रमण कर जाय—बदल जाय

यहाँ दूसरे मोहन शब्द का अर्थ है सबको मोहित करनेवाला, सबके हृदय में बस जानेवाला। मोहन शब्द इसी अर्थ में संक्रमण कर जाता है।

निम्नलिखित पंक्तियों में मधुर ध्वनि करनेवाला के अर्थ में कोयल और कण-कट्टु शब्द करनेवाले के अर्थ में कौआ शब्द को पुनरावृत्ति की गयी है।

कोयल काली कौआ काला, क्या इम रं कुड्ग भेद निराला ?

पर कोयल कोयल बसन्तमें कौआ-कौआ रहा अन्तमें ॥ अनुवाद

ऐसे ही अन्य पद्य भी ऐसी ही पद्यगत अर्थान्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि के उदाहरण होते हैं।

दूसरे प्रकार के अनुपयुक्त वाच्यार्थ का उदाहरण

लंका में था एक विभीषण भारत में बहुतेरे ॥

कैसे नेता कुड्ग कर लेंगे मिल कर आज घरेरे ॥ राम

यहाँ वाच्यार्थ तो यही होगा कि 'लंका' में एक ही विभीषण था; पर भारत में बहुत से विभीषण हैं। किन्तु इस वाच्यार्थ से पद्य का वास्तविक तात्पर्य प्रकट नहीं होता। क्योंकि, विभीषण का मुख्यार्थ है रावण का भाई। पर भारत में रावण का एक भी भाई नहीं, बहुतेरों की बात तो दूर रही। इस प्रकार विभीषण शब्द का मुख्यार्थ का बाध होने से पद्य का अभिप्राय नहीं जाना जा सकता। अतः यहाँ मुख्यार्थ की अविवक्षा करके प्रयोजनवती लक्षणा द्वारा, यह लक्ष्यार्थ हुआ कि जिस तरह विभीषण घर का भेदिया, भ्रातृद्वेषी देशद्रोही तथा शत्रुसहायक था, उसी तरह भारत में भी देशद्रोहियों, शत्रुसहायकों और घर फूँककर तापनेवालों की कमी नहीं है। यहाँ देशद्रोह को अतिशया ध्वनित है। ऐसी दशा में बेचारे नेता देश के लिये क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है और इस प्रकार पद्य का सुन्दर और वास्तविक अभिप्राय साधारण बुद्धि वालों को भी समझ में आ जाता है। यहाँ भी विभीषण शब्द अर्थान्तर में संक्रमण कर गया है।

२ वाक्यगत अर्थान्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि

जहाँ मुख्यार्थ के बाधित हो जाने के कारण वाच्यार्थ की विवक्षा न होने पर, वाक्य अपने दूसरे अर्थ में संक्रमण कर जाय, वहाँ यह ध्वनि होती है। जैसे,

यहाँ दूसरे मोहन शब्द का अर्थ है सबको मोहित करनेवाला, सबके हृदय में बस जानेवाला। मोहन शब्द इसी अर्थ में संक्रमण कर जाता है।

निम्नलिखित पंक्तियों में मधुर ध्वनि करनेवाला के अर्थ में कोयल और कण-कटु शब्द करनेवाले के अर्थ में कौआ शब्द को पुनरावृत्ति की गयी है।

कोयल काली कौआ काला, क्या इमं कुछ भेद निराला ?

पर कोयल कोयल बसन्तमें कौआ-कौआ रहा अन्तमें ॥ अनुवाद

ऐसे ही अन्य पद्य भी ऐसी ही पदगत अर्थान्तरसंक्रमित अविच-
क्षितवाच्य ध्वनि के उदाहरण होते हैं।

दूसरे प्रकार के अनुपयुक्त वाच्यार्थ का उदाहरण

लंका में था एक विभीषण भारत में बहुतेरे ॥

कैसे नेता कुछ कर लेंगे मिल कर आज धतेरे ॥ राम

यहाँ वाच्यार्थ तो यही होगा कि 'लंका' में एक ही विभीषण था; पर भारत में बहुत से विभीषण हैं। किन्तु इस वाच्यार्थ से पद्य का वास्तविक तात्पर्य प्रकट नहीं होता। क्योंकि, विभीषण का मुख्यार्थ है रावण का भाई। पर भारत में रावण का एक भी भाई नहीं, बहुतेरों की बात तो दूर रही। इस प्रकार विभीषण शब्द के मुख्यार्थ का बाध होने से पद्य का अभिप्राय नहीं जाना जा सकता। अतः यहाँ मुख्यार्थ की अविचक्षा करके प्रयोजनवती लक्षणा द्वारा, यह लक्ष्यार्थ हुआ कि जिस तरह विभीषण घर का भेदिया, भ्रातृद्वेषी देशद्रोही तथा शत्रुसहायक था, उसी तरह भारत में भी देशद्रोहियों, शत्रुसहायकों और घर फूँककर तापनेवालों की कमी नहीं है। यहाँ देशद्रोह की अतिशया ध्वनित है। ऐसी दशा में बेचारे नेता देश के लिये क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है और इस प्रकार पद्य का सुन्दर और वास्तविक अभिप्राय साधारण बुद्धि वालों को भी समझ में आ जाता है। यहाँ भी विभीषण शब्द अर्थान्तर में संक्रमण कर गया है।

२ वाक्यगत अर्थान्तरसंक्रमित अविचक्षितवाच्य ध्वनि

जहाँ मुख्यार्थ के बाधित हो जाने के कारण वाच्यार्थ की विवक्षा न होने पर, वाक्य अपने दूसरे अर्थ में संक्रमण कर जाय, वहाँ यह ध्वनि होती है। जैसे,

सेना दिस, प्रयत्न भिन्न कर पा मुसाद मनचाही ।

कैसे पूरु गुमराहो को मैं हूँ एक सिवाही ।—भा० आत्मा

इस पद्य में 'मैं हूँ एक सिवाही' वाक्य के मुख्यार्थ से कृत्रि के करने का तात्पर्य बिलकुल भिन्न है । उसका व्यंग्यार्थ होता है—मैं रुद्रमहिष्णु, साहसी, राष्ट्र का उन्नायक, आजापालक, स्वभावतः देश प्रेमी तथा वीर हूँ । इस दशा में गुमराहो का पूजा कैसे करूँ ? यहाँ वाक्य अपने मुख्यार्थ में वाचित होकर अर्थान्तर (व्यंग्यार्थ) में संक्रमण कर गया है । इसमें 'मैं' इतने ही मे काम चल जा सकता था । 'हूँ एक सिवाही' शब्द व्यर्थ हैं । किन्तु नहीं । 'मैं हूँ एक सिवाही' वाक्य सिवाही का उक्त मर्गाव्य आत्माभिमान व्यंजित करता है ।

३ पदगत अत्यन्ततिरस्कृत (अविचलित वाच्य) ध्वनि

जहाँ वाचित वाच्यार्थ का अर्थान्तर में संक्रमण नहीं होता बल्कि मुख्यार्थ का सवथा तिरस्कार हो हो जाता है, अर्थात् उसका एक भिन्न ही अर्थ हो जाता है वहाँ यह ध्वनि होती है । इसके ये उदाहरण हैं—

वापू तुम हो मानव अथवा विभु हो विमल विभूत ॥

चक्रकेतु भारत के रथ के सूत्रधार स्वर्दूत ॥—सुधोन्द्र

वापू पर स्वर्दूत का आरोप है । वापू स्वर्दूत नहीं हो सकते । यहाँ स्वर्दूत अपना अर्थ छोड़कर उस पुरुष का अर्थ देता है जो पृथ्वी पर भर्गीय मुख का संचार करने के लिये आया है । अतः लक्षण-लक्षणा है । इससे प्रयोजन-रूप यह व्यंग्य निकलता है कि महात्माजो विश्व को स्वर्दूत के महेश कल्याण के मन्देशज्ञता तथा सत्य के मात्राज्य के स्थापक हैं । यहाँ वाच्य अर्थ का अत्यन्त तिरस्कार है । प्रथम उदाहरण क ममान यहाँ दूतों अर्थ में संक्रमण नहीं होता, बल्कि भिन्न ही अर्थ हो जाता है । स्वर्दूत में होने से पदगत है ।

नीलोत्पल के बीच सजाये मोती से आँसू के बूँद ।

हृदय-मुखांगिनि मे निकले हो तब न तुम्हें पहचान सके ॥—प्रसाद

नीलोत्पल के बीच में मोती के सदृश आँसू सजे है । इस अर्थ में वाध स्पष्ट है । किन्तु आँसू के सहारे नीलोत्पलों में अध्यवसित उरमेय नयनों का शीघ्र बोध हो जाता है । नीलोत्पल के अपना अर्थ छोड़कर

आँख का अर्थ देने से लक्षणलक्षणा है। यहाँ अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से यह ध्वनि निकलती है कि नयन बड़े सुन्दर हैं, दर्शनीय हैं। नीलोत्पल में होने से पदगत है।

लक्षणा प्रकरण का यह उदाहरण इस बात का द्योतक है कि ऐसे स्थल में ही यह ध्वनि होती है।

साँस से आँधर दर्पन ही जिस बादल ओट लखात है चंदा ।

इस चरण में 'दर्पण' को अंवा चतलाया गया है। यह सर्वथा असंभव है। क्योंकि, अंवा होना नेत्रवाले प्राण का धर्म है। दर्पण तो जड़ और नेत्रहीन है। अतः पूर्ववत् यहाँ भी 'आँधर' का मुख्यार्थ-नेत्रहीन का विलकुल तिरस्कार हो गया है। यहाँ उसका लक्ष्य अर्थ है—मैला, धुँधला या भाँईदार। यह अर्थ सारोपा गौणो लक्षण-लक्षणा से होता है। यहाँ व्यंग्याथं मालिन्यातिशय का जो बोध होता है, वह केवल 'आँधरे' शब्द से। अतः यह उदाहरण भी पदगत का ही है।

४—वाक्यगत अत्यन्ततिरस्कृत (अविचक्षित वाच्य) ध्वनि

सकल रोओं से हाथ पसार, लड़ता इधर लोभ गृह द्वार ।—पंत

यहाँ वाच्यार्थ सर्वथा वाधित है। रोओं से लाभ का हाथ पसारना और घर-द्वार लूटना, एकदम असंभव है। लक्ष्यार्थ है लोभो का समस्त क्रोमल और कठोर साधनों से परकीय द्रव्य को आत्मसात् कराना। इससे प्रयोजनरूप व्यंग्य है लोभ या वृष्णा का आत्मवृत्ति के लिये दैन्य या बलात्कार सब कुछ कर सकने का क्षमता। इससे पद्यार्थ का अर्थ अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है। यह वाक्यगत है।

मैंने कुछ सुखमय इच्छायें चुन लीं सुन्दर शोभाशाली ।

औं उनके सोने चॉदी से भर ली पिय प्राणों की डाली ।—पंत

यहाँ इच्छाओं के उत्तम फल न कहकर सोना-चॉदी उक्त हैं। सोने चॉदी में इच्छाओं का फल अव्यवसित है। लक्षणलक्षणा से अर्थ होता है सुखमय इच्छाओं का फल पाना सोने-चॉदी के लाभ के समान है। सोना-चॉदी अपना अर्थ छोड़कर इच्छाओं के फल बन जाते हैं। यहाँ अत्यन्त-तिरस्कृत अविचक्षितवाच्य से यह ध्वनि निकलती है कि सुखकामनाओं के परिग्रह और उनके फलोपभोग में विवेक और संयम से काम लेना ही श्रेयस्कर है। वाक्य में होने से यहाँ वाक्यगत है।

विपरीत लक्षणा पर आधित वक्त ध्वनि का वाक्यगत उदाहरण—

आप कचहरिया सत्यवादी है ।

इसका अभिप्राय यह कि आप सत्यवादी नहीं हैं ।

रावण-श्रंगद संवाद की निम्नलिखित पंक्तियों भी इसके उदाहरण हैं—

रावण—

सब रात वचन कटिन में साहजै ।

नीति धर्म सब जनत अहजै ॥

श्रंगद—

नाक-कान बिनु भगिति निहारी । छमा कीन्ह तुम धर्म विचारी ॥

धर्म-शीलता तब जग जागी । पावा दरम हमहुँ बड़ भागी ॥

रावण ने जब कहा कि श्रंगद तुम्हारे कठोर बातों में इसीलिये सहन करना है कि मैं नीति और धर्म जानता हूँ । दूत का बध करना अन्याय समझा जाता है । इस पर श्रंगद ने उत्तर दिया—सत्य है, तुम्हारे धर्मशीलता सारा संसार जानता है । इसीलिये तो तुमने अपनी बहन के नाक-कान काट लेने पर भी राम को क्षमा कर दिया था । मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे धर्मात्मा के दर्शन आज मुझे मिले । इस वाक्यार्थ का इसमें विलकुल बाध है क्योंकि, रावण जैसे अन्यायी शत्रु की प्रशंसा कभी नहीं की जा सकती । इसीलिये, यहाँ 'छमा कीन तुम धर्म विचारी' आदि में वाक्य के मुख्यार्थ का विलकुल तिरस्कार होने पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है कि तुम कायर हो । तुम्हें लज्जा आनी चाहिये कि तुम्हारे बहन के नाक-कान कट जाने पर भी तुमसे कुछ करते नहीं बना । इसी तरह 'पावा दरम हमहुँ बड़ भागी' में मुख्यार्थ का अन्यन्त तिरस्कार होकर लक्ष्यार्थ का बोध होता है कि तुम्हारे जैसे अन्यायी और पापी का मुँह देखकर मैं अभागि मानित हुआ—अर्थात् तुम्हारे जैसे पापियों का मुँह देखना भी पाप है । इसमें रावण का मर्मथा तिरस्कार्य बताना व्यंग्य है । यहाँ किसी पद के अर्थ का तिरस्कार नहीं हुआ है, संपूर्ण वाक्य का अर्थ ही तिरस्कृत हो गया है । इससे वाक्यगत है ।

धारहवीं किरण

अभिधामूलक (विवक्षितान्यपरवाच्य) ध्वनि

जिसके मूल में अभिधा अर्थात् वाच्यार्थ-सम्बन्ध हो उसे अभिधामूना ध्वनि कहते हैं ।

अभिधामूला को विवक्षितान्यपरवाच्य कहा गया है। क्योंकि, इसमें वाच्यार्थ वांछनीय होकर अन्य पर अर्थात् व्यंग्यार्थ का बोधक होता है। इसमें वाच्यार्थ का न तो दूसरे अर्थ में संक्रमण होता है और न सर्वथा तिरस्कार, बल्कि वह विवक्षित रहता है।

कहने का अभिप्राय यह कि वाच्यार्थ अन्य अर्थ के अस्तित्व को रखते हुए अपना अस्तित्व नहीं खोता; बल्कि व्यंग्यार्थ का तभी बोध होता है जब कि वाच्यार्थ का बोध होता है। इस वाच्यार्थ-व्यंग्यार्थ-बोध के मध्य का क्रम कहीं अलक्षित रहता है और कहीं लक्षित। इसीसे इसके भी दो भेद हैं— १) असंलक्ष्यक्रम ध्वनि और (२) संलक्ष्यक्रम ध्वनि। पहले में पौर्वापर्य का ज्ञान नहीं रहता मगर दूसरे में रहता है

असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य (रसादि) ध्वनि

जिस व्यंग्यार्थ का क्रम लक्षित नहीं होता वह असंलक्ष्य-क्रम ध्वनि होती है।

अभिप्राय यह कि व्यंग्यार्थ-प्रतीति में पौर्वापर्य का—आगे-पीछे का ज्ञान नहीं रहता कि कब वाच्यार्थ का बोध हुआ और कब व्यंग्यार्थ का। दोनों का एक साथ ही बोध होता है। अर्थात् पहले विभाव के साथ, फिर अनुभाव के साथ, और फिर व्यभिचारी के साथ स्थायी की प्रतीति का क्रम रहता हुआ भी शीघ्रता के कारण जहाँ प्रतीति नहीं होता वहाँ असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। इसे ही रस ध्वनि भी कहते हैं। क्योंकि असंलक्ष्यक्रम में व्यंग्यरूप से रस, रसाभास आदि हो ध्वनित होते हैं।

यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब रस-बोध में विभावादि कारण माने जाते हैं और कारण की सत्ता का पूर्व और कार्य की सत्ता का पर होना स्वाभाविक तथा निश्चित है तब सर्वत्र कारण-कार्य की प्रतीति का

राम के वन-गमन के समय नवपरिणीता वधू सीता ने अपने सास कौसल्या से आग्रह किया कि मैं भी पति के साथ वन में जाऊँगी। प्राण के समान प्यारा नववधू की बातें सुनकर पुत्र वियोग से मर्माहत कौसल्या वधू-वियोग की आशंका से एकबार कौप जाता है। इस भयानक और अचानक वक्रवात से उनकी आकृति विवर्ण हो जाती है और वे अत्यन्त कारुणिक वदनों में राम के सम्मुख अपना अभिप्राय प्रकट करती हैं।

उक्त पद्य में नवपरिणीता 'सीता' आत्मघ्न रूप विभाव हैं। उनकी मुकुमारता, अल्पवयस्कता, अकृष्टसहिष्णुता, स्नेहप्रवणता आदि उद्दीपन रूप विभाव हैं। पुत्र-वियोग के साथ वधू-वियोग की आशंका से कौसल्या की विवर्णता, उच्छ्वास, डीन वचन, रोदन, द्वेष-निन्दा आदि अनुभाव हैं। इसा तरह चिन्ता, मोह, ग्लानि, ईर्ष्य, स्मरण, जो बराबर उठते और मिटते हैं, संचारी भाव हैं। और इन सब के संमेलनात्मक रूप से श्रोता या वक्ता के अन्तर में जिस स्थायी भाव शोक की परिपुष्टि हाता है, वही शोक कर्ण रस के रूप में परिणत हो जाता है।

यहाँ सब व्यापार—विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की उत्पत्ति, इनके द्वारा शोक स्थायी भाव की परिपुष्टि तथा कर्ण रस की प्रतीति—क्रम से ही होते हैं। परन्तु ये सब इतना शीघ्रता में होते हैं कि स्वयं रसास्वादिता को भी पता नहीं चलता कि इतने काम कब और कैसे हुए।

उपर्युक्त पद्य में अनुभव किया गया होगा कि कौसल्या की उक्ति से जो व्यंग्य रूप में कर्ण रस की प्रतीति होती है, उसके पहले होने-वाले व्यापारों के क्रम का ज्ञान कतई नहीं होता। वाच्यार्थ-बोध के साथ ही ध्वनि रस की व्यंजना हो जाती है।

स्वच्छन्दता प्रदर्शित करने में तत्पर हो उठता है। उसका साहस श्लाघनीय न होकर उपहसनीय ही बन जाता है। एक आधुनिक आलोचक महोदय क्या लिखते हैं—

(१) प्राचीन काव्य-समीक्षा के शब्दों में निरालाजी की उक्त 'कविता व्यञ्जनाविशिष्ट नहीं है, वरन् अभिधाविशिष्ट है। (२) इसमें रस व्यंग्य नहीं है, वाच्य है। (३) प्राचीन-शास्त्र कहते हैं कि ध्वनिमूलक काव्य ही श्रेष्ठ है, पर हम इस श्रावण को दृढ़ से बाहर लिये जा रहे हैं। (४) नवीन काव्य जिस नैसर्गिक अदम्यता को लेकर आया है, उसमें यह संभव नहीं कि यह परम्परा-प्राप्त ध्वन्यात्मक का अनुसरण करता चले। (५) यह ध्वनि और अस्मिता काव्य वस्तु के भेद नहीं है। केवल व्यक्त करने की प्रणाली के भेद है... (६) जहाँ तक हम समझ सके हैं व्यञ्जना की प्रणाली में यदि कुछ विशेषता है तो गद्दी कि उसमें काव्य को मूल आधार अभिक्रम प्राप्त होता। (७) व्यञ्जना का अर्थ ही है संकेत, प्रतीक आदि।^१

इस अवतरण की ये सभी उक्तियों भ्रामक हैं। एक-एक वाक्य की परीक्षा कीजिये।

(१) पहले वाक्य में जो 'व्यञ्जनाविशिष्ट' और 'अभिधाविशिष्ट' ये दो शब्द आये हैं वे प्राचीन काव्य-समीक्षकों के नहीं हैं। प्राचीन से अभिप्राय यदि संस्कृत के आचार्यों का है तो उनके ये शब्द नहीं हैं। वे काव्यों को ध्वनि, गुणोद्भूतव्यंग्य और चित्र, इन्हीं नामों से अभिहित करते हैं। उनका पारिभाषिक शब्द ये ही हैं। यदि प्राचीन से अभिप्राय आधुनिक काल के पूर्व का है तो ऐसे शब्द वहाँ भी अन्वगत हैं। यदि हाँ भी तो इनको अभी परिभाषिकता का सीमाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। हमें तो ऐसे शब्दों की कल्पना भ्रामक और अयुक्त प्रतीत होती है। क्योंकि, जो काव्य व्यंग्यमूलक है उसे ध्वनिकाव्य या व्यंग्य-काव्य ही कहते हैं। व्यंग्य काव्य को व्यञ्जनाविशिष्ट कहने में कौन-सा चमत्कार है कि उसे यह नया नाम दिया जाय? अब अभिधा-विशिष्ट शब्द को लीजिये। 'विशिष्ट' शब्द के दो अर्थ लिये जा सकते हैं। एक 'अभिधा को विशेषता वाला' और दूसरा 'अभिधा से युक्त'। इन अर्थों से भी उक्त शब्द को वाच्यता स्पष्ट नहीं होती। क्योंकि जब

१ प्रथम विजय थी वह.....पुस्तिका में लक्ष्य पर।

२ हिन्दी साहित्य: बीसवीं शताब्दी' १३८-१३९ पृष्ठ।

यहाँ शुक्लजी के निम्नलिखित वक्तव्य पर भी विचार कर लेना अप्रासङ्गिक नहीं होगा—

१ 'रस व्यंग्य होता है' यह कथन कुछ भ्रामक अवश्य है। इससे यह भ्रम होता है कि जिस भाव को व्यञ्जना होती है वही भाव रस है। यही बात वस्तु-व्यञ्जना के सम्बन्ध में भी है। 'व्यञ्जना में अर्थात् व्यञ्जक वाक्य में रस होता है' यही कहना ठीक है और यही समझा ही जाता है।

'रस व्यंग्य होता है' यह भ्रामक वाक्य नहीं। आपने जो भ्रम को बात कहा है वह निर्मूल है। क्योंकि रस विभावादि से व्यंग्य ही होता है। भाव भी व्यंग्य होता है, रसाभास, भावाभास आदि भी।

शुक्लजी का यह कथन कि इससे यह भ्रम होता है कि 'जिस भाव को व्यञ्जना होती है वही भाव रस है' सिद्धान्त के अनुसार भ्रमोत्पादक नहीं, प्रत्युत यथार्थ कथन है।

रस-सिद्धान्त के अनुसार विभावादि के द्वारा व्यक्त भाव ही सहृदय के हृदय में रसरूप से परिणत हो जाता है। अतः व्यञ्जक वाक्य में रस होता है, यह कथन ही भ्रामक है। रस व्यंग्य होता है, यह कथन नहीं।

जहाँ केवल भाव को व्यञ्जना होगी वहाँ कोई भाव को क्यों रस मानने लगेगा ! यदि कोई मानने भी लगे तो वह भ्रामक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि रस-भाव का सम्बन्ध ही बड़ा विचित्र है। इसको सुन्दर विवेचना हमारे शास्त्र में है। आचार्य भरत मुनि का कहना है कि न तो भावहीन रस हो है और न रसहीन भाव ही। जैसे व्यञ्जना से अन्न सुखादु होता है वैसे ही भाव और रस एक दूसरे को सुखादु करते हैं। जैसे घात्र से वृक्ष होता है और उससे फूल-फल, वैसे ही रस

१—काव्य में रहस्यवाद ६८-६९

२—न भ वहिनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः ।

परस्परकृत-सिद्धि-वस्तुयोरभिनये भवेत् ॥

व्यञ्जनापधिसंयोगो यथाज्ञं स्व दुतां नयेत् ।

एवं भ-वा रसाथैव भावयन्ति परस्परम् ॥

यथा धीज-द्रुवेद्द्रुचो वृक्षात्पुष्पं फलां यथा ।

तथा मूलां रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ॥ नाट्यशास्त्र

यहाँ शुक्लजो के निम्नलिखित वाक्य पर भी विचार कर लेता अप्रासङ्गिक नहीं होगा—

१ 'रस व्यंग्य होता है' यह कथन कुछ भ्रामक श्रवण्य है। इससे यह भ्रम होता है कि जिस भाव को व्यञ्जना होती है वही भाव रस है। यही बात वस्तु-व्यञ्जना के सम्बन्ध में भी है। 'व्यञ्जना में श्रव्यात् व्यञ्जक वाक्य में रस होता है' यही कहना ठीक है और यही समझा ही जाता है।

'रस व्यंग्य होता है' यह भ्रामक वाक्य नहीं। आपने जो भ्रम की बात कही है वह निर्मूल है। क्योंकि रस विभावादि से व्यंग्य ही होता है। भाव भी व्यंग्य होता है, रसाभास, भावाभास आदि भी।

शुक्लजो का यह कथन कि इससे यह भ्रम होता है कि 'जिस भाव को व्यञ्जना होती है वही भाव रस है' सिद्धान्त के अनुसार भ्रमोत्पादक नहीं, प्रत्युत यथार्थ कथन है।

रस-सिद्धान्त के अनुसार विभावादि के द्वारा व्यक्त भाव ही सहृदय के हृदय में रसरूप से परिणत हो जाता है। अतः व्यञ्जक वाक्य में रस होता है, यह कथन ही भ्रामक है। रस व्यंग्य होता है, यह कथन नहीं।

जहाँ केवल भाव को व्यञ्जना होगी वहाँ कोई भाव को क्यों रस मानने लगेगा ! यदि कोई मानने भी लगे तो यह भ्रामक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि रस-भाव का सम्बन्ध ही बड़ा विचित्र है। इसको सुन्दर विवेचना हमारे शास्त्र में है। आचार्य भरत मुनि का कहना है कि न तो भावहीन रस हो है और न रसहीन भाव हो। जैसे व्यञ्जन से अन्न सुखादु होता है वैसे ही भाव और रस एक दूसरे को सुखादु करते हैं। जैसे बीज से वृक्ष होता है और उससे फूल-फल, वैसे ही रस

१—कव्य में रहस्यवाद ६७-६६

२—न भवद्दिनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः ।

परस्परकृत सिद्धिस्तयोः अभिनये भवेत् ॥

व्यञ्जनोपधिसंयोगो यथास्व स्व दुर्गमो नयेत् ।

एवं भवा रसाश्चैव भावयन्ति परस्परम् ॥

यथा धोजद्भवेद्भूतो वृक्षात्पुष्पं फलं यथा ।

तथा मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ॥ नाट्यशास्त्र

यहाँ शुक्लजी के निम्नलिखित वाक्य पर भी विचार कर लेना अप्रासङ्गिक नहीं होगा—

१ 'रस व्यंग्य होता है' यह कथन कुछ भ्रामक अवश्य है। इससे यह भ्रम होता है कि जिस भाव को व्यञ्जना होती है वही भाव रस है। यही बात वस्तु-व्यञ्जना के सम्बन्ध में भी है। 'व्यञ्जना में अर्थात् व्यञ्जक वाक्य में रस होता है' यही कहना ठीक है और यही समझा ही जाता है।

'रस व्यंग्य होता है' यह भ्रामक वाक्य नहीं। आपने जो भ्रम की बात कही है वह निमूल है। क्योंकि रस विभावादि से व्यंग्य ही होता है। भाव भी व्यंग्य होता है, रसाभास, भावाभास आदि भी।

शुक्लजी का यह कथन कि इससे यह भ्रम होता है कि 'जिस भाव को व्यञ्जना होती है वही भाव रस है' सिद्धान्त के अनुसार भ्रमोत्पादक नहीं, प्रत्युत यथार्थ कथन है।

रस-सिद्धान्त के अनुसार विभावादि के द्वारा व्यक्त भाव ही सहृदय के हृदय में रसरूप से परिणत हो जाता है। अतः व्यञ्जक वाक्य में रस होता है, यह कथन ही भ्रामक है। रस व्यंग्य होता है, यह कथन नहीं।

जहाँ केवल भाव को व्यञ्जना होगी वहाँ कोई भाव को क्यों रस मानने लगेगा ! यदि कोई मानने भी लगे तो वह भ्रामक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि रस-भाव का सम्बन्ध ही बड़ा विचित्र है। इसको सुन्दर विवेचना हमारे शास्त्र में है। आचार्य भरत मुनि का कहना है कि न तो भावहीन रस हो है और न रसहीन भाव ही। जैसे व्यञ्जन से अन्न सुधादु होता है वैसे ही भाव और रस एक दूसरे को सुधादु करते हैं। जैसे चीज से वृक्ष होता है और उससे फूल-फल, वैसे ही रस

१—कव्य में रहस्यवाद ६८-६९

२—न भवद्विभोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः ।

परस्परकृत सिद्धिस्तयोर्भिनये भवेत् ॥

व्यञ्जनोपधिसंयोगो यथाज्ञं स्वदुतां नयेत् ।

एवं भवा रसार्थैव भावयन्ति परस्परम् ॥

यथा बीजाद्भवेद्दृक्षो वृक्षात्पुष्पं फलं यथा ।

तथा मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ॥ नाट्यशास्त्र

रचना के लिये स्वतंत्र हैं। चाहे वे ध्वन्यात्मक काव्य लिखें या रस प्रधान, या अलंकार प्रधान, या प्रभावात्मक या स्वाभाविक। यदि सच्चा काव्य है तो उसमें नैसर्गिक अदृश्यता रहेगी ही। यह विडम्बना, व्यंग्य या ताने-तिसने की बात नहीं। व्यंग्य, रस, भाव अलङ्कार आदि काव्य में बलात्कार से नहीं लाये जाते। वे प्रतिभाशाली कवि के काव्य में स्वतः उद्भूत होते रहते हैं।

ध्वनिकाव्य को श्रेष्ठ मानने का अपराध प्राचीन शास्त्रों ने ही नहीं किया है। आधुनिक प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य के समीक्षक भी इससे बरी नहीं। पता नहीं, ध्वन्यात्मक काव्य को आलोचक महोदय हेय दृष्टि से क्यों देखते हैं जब कि नवीन कविसम्प्रदाय भी इसकी हामी भरता है। इस सम्बन्ध में उक्त उद्धरणों के अतिरिक्त एक अन्य उद्धरण भी दिया जाता है जिससे व्यंग्य का महत्त्व प्रकट होता है। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की तुलना करते हुए पाश्चात्य समालोचक ओगडेन (Ogden) महोदय ने जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है कि व्यंग्यार्थ को चोतित करना ही काव्य का पहला प्रयोजन है। वाच्य यहाँ अपने को गौण करके, अपना प्राधान्य परित्याग कर द्वारभूत हो करके व्यंग्यार्थ को चोतित करता है। इसीसे व्यंग्यार्थ के सम्बन्ध में सत्य या मिथ्या कुछ कहा नहीं जा सकता। वह सत्य और मिथ्या से विज्ञक्षण होता है।

इससे स्पष्ट है कि ध्वनि-व्यंजना आधुनिक कविसमाज को भी

१—देखो 'काव्यालोक' पृष्ठ १८१—१८३ 'पाश्चात्य ध्वनिव्यंजना लेख'।

- Two functions under consideration usually occur together but none the less they are principally distinct. So far as words are used emotively no question as to their truth in the strict sense can directly arise. Very much poetry consist of statements, symbolic arrangements capable of truth or falsity, which are used not for the sake of their truth or falsity but for the sake of the attitudes which their acceptance will evoke. Provided that the attitude or feeling is evoked the most important function of such language is fulfilled and any symbolic function that the words may have is instrumental only and subsidiary to the evocative functions.

आपका सातवों वाक्य है—व्यंजना का अर्थ हो है सङ्केत, प्रतीक आदि। किन्तु व्यंजना के ये अर्थ नहीं हैं। न मालूम 'आदि' शब्द से अभिप्राय और किन अर्थों से है। सङ्केत तो साहित्य शास्त्र में एक पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ होता है—किसी विवेश अर्थ में शब्द की प्रयोग-प्रवृत्ति। व्यंजना से इसका कोई संबन्ध नहीं; किन्तु अभिधा से इसका नाता है। आपने शायद 'सङ्केत' का अर्थ इशारा समझा है। पर यह इशारा मूर्त को ओर ही नहीं होता, अमूर्त की ओर भी होता है। प्रतीक का अर्थ है भावोद्बोधन में समर्थ शब्द या वस्तु-विशेष। ये भावोद्बोधक भी होते हैं और विचारोद्बोधक भी। हम इन्हें कहीं उपमान कहते हैं और कहीं अप्रस्तुत। अंग्रेजी सिंबल (Symbol) पर से ही प्रतीक शब्द की अवतरणा हुई है।

कवि की प्रतिभा से उपस्थापित उपमान या अप्रस्तुत व्यंजना वृत्ति से अनेक भावों का उद्बोधन करता है। यह स्वतः व्यंजना नहीं है।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि रस वाच्य नहीं व्यंग्य ही होता है।

चौदहवीं किरण

भावमूलक रस

असंलक्ष्यक्रम के आठ भेद होते हैं—

१-रस २-भाव ३-रसाभास ४-भावाभास ५-भावशान्ति ६-भावोद्बोध
७-भावसन्धि और ८-भावशत्रुता।

शास्त्रों ने रस को बड़ा महत्त्व दिया है। काव्य के तो ये प्राण हैं। रसास्वादन ही काव्याध्ययन का परम ध्येय है। सरस काव्य ही सहृदयों को परमानन्द-दाता है। वाग्भैरव की प्रधानता रहने पर भी रस ही काव्य का जीवन है।

१—इसका विस्तृत वर्णन काव्यालोक के तृतीय दशोत में किया जायगा।

२—वाग्भैरव प्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्।

सहृदयों के हृदयों में वासना या चित्तवृत्ति या मनोविकार के स्वरूप से वर्तमान रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारीभाव के द्वारा व्यक्त होकर रस बन जाते हैं। इन तीनों को लोकव्यवहार में स्थायी भावों के कारण, कार्य और सहकारी कारण भी कहते हैं।

‘मन का विकार ही भाव है’—जैसा कि अमरकोषकार ने लिखा है—‘विकारो मानसो भावः’।

शुक्लजी के शब्दों में “भाव’ का अभिप्राय साहित्य में तात्पर्य-बोध-मात्र नहीं है बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल अवस्था-विशेष है जिसमें शरीरवृत्ति और मनोवृत्ति दोनों का योग रहता है। क्रोध को ही लीजिये। उसके स्वरूप के अन्तर्गत अपनी हानि या अपमान की बात का तात्पर्य-बोध, उभ वचन और कर्म की प्रवृत्ति का वेग तथा त्योरी चढ़ाना, आँखें लाल होना, हाथ उठाना ये सब बातें रहती हैं।”

ये, भाव दो प्रकार के हैं—

१-संचारी भाव और २-स्थायी भाव।

अब क्रमशः विभाव आदि का वर्णन किया जाता है—

१ विभाव

जिन वस्तुओं के द्वारा रति आदि स्थायी भाव जागरूक हो कर रस रूप धारण करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं।

मन्त्रेण मे भाव के जां कारण हैं वे विभाव कहे जाते हैं।

शुक्लजी के शब्दों में “भाव से अभिप्राय संवेदना के स्वरूप की व्यञ्जना से है; विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं या निषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किन्ही प्रकार का भाव या संवेदना होती है।”

१—विभावेनानुभावेन व्यक्तः सन्नारिणा तथा ।

रसनामेति रत्यादि. स्थायी भावः गचेतसाम् ॥—साहित्यदर्पण

२—कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च ।

रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नात्यद्वाभ्ययो ॥

विभावाः अनुभावान् कथ्यन्ते स्वभिचारिणः ।—काव्यप्रकारा

ये विभाव वचन और अङ्गाभिनय के आश्रित अनेक अर्थों के विभावन अर्थात् विशेषतया ज्ञान कराते हैं, आस्वाद के योग्य बनाते हैं, इसीसे इन्हें विभाव कहते हैं ।

विभाव दो प्रकार के होते हैं—(१) आलम्बन विभाव और (२) उद्दीपन विभाव । प्रत्येक रस के आलम्बन और उद्दीपन विभाव भिन्न-भिन्न होते हैं । रसानुभूति में ये कारण होते हैं ।

आलम्बन विभाव

जिनके द्वारा रस की निष्पत्ति होती है—अर्थात् जिनके अवलम्ब से भाव (रति आदि मनोविकार) उत्पन्न होते हैं, वे आलम्बन विभाव हैं । जैसे, नायिका और नायक ।

नायिका

रूप-गुणवती स्त्री को नायिका कहते हैं । जैसे,

देखि सीय सोभा मुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा ।
जनु विरंचि सब निज निपुणाई, विरंचि विरव कह प्रगट दिखाई ॥
सुन्दरता कहैं सुन्दर करई, छविगृह दीपशिखा जनु बरई ।
सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पटतरिय विदेह कुमारी ॥ तुलसीदास

नायक

रूप-गुण-सम्पन्न पुरुष को नायक कहते हैं । जैसे,

रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश ।
नख सिख सुन्दर बन्धु दोड, सोभा सकल मुदेस ॥
वय किसोर सुपमा-सदन, स्याम गौर मुखधाम ।
अंग अंग पर वारिये कोटि कोटि सत काम ॥ तुलसीदास

उद्दीपन विभाव

जो रति आदि स्थायी भावों को उद्दीपित करते हैं—
उनकी अस्वाद योग्यता बढ़ाते हैं, वे उद्दीपन विभाव हैं ।

१- वहव्योऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयध्वयाः ।

अनेनयस्मान्तेनयं विभाव इति कथ्यते ॥ नाट्यशास्त्र

उद्दीपन विभाव प्रत्येक रस के अपने होते हैं। जैसे, शृंगार रस के मखा, सखी, पङ्क्तु, वन, उपवन, पवन, चन्द्र, चाँदनी, पुष्प, नदीतट, चित्र आदि उद्दीपन-विभाव हैं। एक उदाहरण—

इहि मधु ऋतु में कौन के बढ़त न मोद अनन्त ।

कोकिल गायत है कहुकि मधुप गुंजरत तन्त ॥—प्राचीन

२ अनुभाव

जो भावों के कार्य हैं या जिनके द्वारा रति आदि भावों का अनुभव होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं।

भाव के अनु अर्थान् पीछे उत्पन्न होने के कारण उसे अनुभाव कहते हैं। इनके चार भेद होते हैं—(१) कायिक (२) मानसिक (३) आहार्य और (४) सात्विक।

कायिक

कटाक्ष आदि कृत्रिम आङ्गिक चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे,

बहुरि बदन बिधु अबल ठाँकी, पियतन चितै भौह करि योकी ।

गजन मजु तिरिछे नैननि, निज पति कहैउ तिनहि सिय सैननि ॥—तुलसी

मानसिक

अन्तःकरण की वृत्ति से उत्पन्न हुए प्रमोद आदि को मानसिक अनुभाव कहते हैं। जैसे,

देखि सीय सोभा मुख पावा । हृदय सराहत बचन न आवा ॥—तुलसी

आहार्य

आरोपित या कृत्रिम वेष-रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं।

राक्षस सिर भोहत नीरे, मुखड़ा बिच बिच कुसुम कली के ।—तुलसी

सात्विक

शरीर के अकृत्रिम वेष अङ्गविकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं।

धके नयन रगुरति छवि देनी, पनकन हू परिदरी निमेंनी ।—तुलसी

सात्विक अनुभाव के प्राठ भेद होते हैं—(१) स्तंभ (ठकुरी या शरीर की गति का रुक जाना), (२) वस्त्र (कपड़ों) (३)

स्वरभंग (घिग्घी बँधना या शब्दों का ठीक से उच्चारण न होना) (४)
वैवर्ष्य (पीरी पड़ना या आकृति का रंग बदल जाना) (५) अश्रु (आँसू
निकलना) (६) श्वेद (पसीना छूटना) ; (७) रोमाञ्च (रोंगटे खड़े
होना) और (८) प्रलय (तन्मय होकर निश्चेष्ट या अचेत हो जाना) ।

कोष्ठकों में दिए हुए अर्थों के अनुसार इनके लक्षण भी समझ लेना
चाहिए । निम्नलिखित कवित्त में उपर्युक्त आठों भेदों के उदाहरण हैं—

हूँ रही अडोल, थहरात गात, बोले नाहिं,

बदल गई है छुटा बदन सँवारे की ।

भरि-भरि आवै नीर लोचन दुहुँन बीच,

सराबोर श्वेदन में सारी रंग तारे की ॥

पुलक उठे हैं रोम, कछुक अचेत फेरि

कवि 'लछिराम' कौन जुगति विचारे की ॥

वानक सो डगर अचानक मिल्यो है लगि,

नजर तीरीछी कहूँ पीत-पटवारे की ॥

चौदहवीं किरण

संचारी भाव

संचरणशील अर्थात् अस्थिर मनोविकारों या चित्तवृत्तियों
को संचारी भाव कहते हैं ।

ये भाव रस के उपयोगी होकर जलतरंग की भाँति उसमें संचरण
करते हैं । इसमें संचारी भाव कहे जाते हैं । इनका दूसरा नाम व्यभि-
चारी है । विविध प्रकार से अभिमुख—अनुकूल होकर चलने के कारण
इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं । ये स्थायी भाव के साथी हैं । रस के
समान ही संचारी भाव भी व्यञ्जित या ध्वनित होते हैं । इनकी संख्या
बैंतीस है ।

१. निर्वेद—दारिद्र्य, अपमान, व्याधि, इष्ट-वियोग, इर्ष्या, तत्त्वज्ञान,
आदि के कारण अपने को कोसना या चिक्कारना ।

हाय दुर्भाग्य ! इन्हीं आँसों से विलोक है ।

मैंने आर्ष-पति को गँवाते नेत्र अपने ॥—आर्यावर्त

२. गुलानि—मन की मुरझाहट, मलिनता, खिन्नता ।

गोरी का गुलाम में बना था हतचेत था ।

आयंता गैवा के में सदेह प्रेतवत् था ।—वियोगी

३. शंका—इष्टहानि और अनिष्ट का अन्देश ।

मॉगहि हृदय महेस मनाई ।

कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥—तुलसी

४. असूया—परोन्नति का असहन और उनकी हानि की चेष्टा ।

लेहु लुँबाइ सीय कह कोऊ, धरि बाँधहु नृप बालक दोऊ ।

तोरे धनुष चाँड नहिँ सरई, जीवत हमहिँ कुँवरि को बरई ॥—तुलसी

५. धम—शरीर और मन की थकावट ।

.....ट्टी तलवार यह, टेककर आगे बढ़ता था आह भर के ।

६. मद—मद्यपान आदि से उत्पन्न मस्ती या अल्हड़पन ।

गोरी उठा भूमता सहारा दिया बढ़के,

उस प्रहरी ने—डगमग पग धरता ।

बाहर शिविर के निकल आया व्यग्र सा ॥ आर्यावर्त

७. आलस्य—जागरण आदि से उत्पन्न उत्साहहीनता या अवसाद ।

‘लरिका’ समित उनीद बस, सयन करावहु जाई ।—तुलसी

८. धृति—विपत्ति में भी चित्त की अचल स्थिरता ।

देखने में मांस का शरीर है तथापि यह

सह सकता है चोट वज्र की भी हँस के ॥—आर्यावर्त

९. विषाद—इष्ट-हानि आदि से अनुताप या अनुत्साह ।

का मुनाइ विधि काह मुनावा ।—तुलसी

१०. मति—शास्त्रादि के अनुसार किसी बात का निर्णय ।

तदपि करव मै काज तुम्हारा ।

स्तुति कह परम धर्म उपकारा ॥—तुलसी

११. चिन्ता—इष्ट और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति और अप्राप्ति की कल्पना से घबड़ाहट । जैसे,

भरत कि भूँजव राज पुर, एप कि जियहि बिन राम ।—तुलसी

१२. मोह—भय, वियोग आदि से उत्पन्न चित्तविक्षेप के कारण यथार्थ ज्ञान का न्यो जाना ।

मुनत मुमन्त बचन नरनाह ।

परेउ भरनि ठर दाएण दाह ॥—तुलसी

१३. स्वप्न—जाग्रदवस्था में भी स्वप्न में वर्तमान सी चित्त की दशा ।

खल गये कल्पना के नेत्र महीपाल के,
दीख पड़ी वृद्धा पराधीना दीना बन्दिनी ।
आर्यभूमि..... ॥—आर्यावर्त

१४. विबोध—आहार्य निद्रा या अज्ञान के दूर होने पर सचेत होना ।

सुनि मृदु वचन गूढ़ रघुपति के,
उचरे पटल परसुधर मति के । तुलसी

१५. स्मृति—बीती बातों का स्मरण ।

जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीति बहार ।
अब अलि रही गूलाब में अपत कटीली डार ॥—विहारी

१६. अमर्ष—निन्दा आदि के कारण उत्पन्न मन की चिढ़ या असहिष्णुता ।

मातृभूमि इस तुच्छ जन को जमा करे ।
थो दूंगा कलंक रक्त देकर शरीर का ॥ वियोगी

१७. गर्व—रूप, धन, बल आदि का अभिमान ।

भुजबल मूमि भूप बिनु कीन्हा,
विपुल बार महि देवन्ह दीन्हा ॥—तुलसी

१८. उत्सुकता—अभिष्ट कार्य की तात्कालिक सिद्धि की इच्छा ।

बेगि चलिय प्रभु आनिये, भुजबल खलदल जीति ॥—तुलसी

१९. अवहित्था—लज्जा आदि से हर्षादि भावों का छिपाना ।

उमड़े आँसू हर्ष के, लियो छिपाय जम्हाइ । प्राचीन

२०. दीनता—दुःखादि से जनित दुर्दशा ।

कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ ॥—तुलसी

२१. हर्ष—चित्त की प्रसन्नता ।

यह दृश्य देखा कविचंद ने तो ठसकी—

फड़की भुजाचें फड़ी तड़की कवच की ॥—आर्यावर्त

२२. झीड़ा—अनुचित काय करने पर लज्जा ।

झूने में हिचक, देखने में
पलकें आँखों पर मुचती है ;

कहरव परिहास भरी गुँजे

अधरों तक सहसा ढकती है ।—प्रसाद

२३. उगूता—अपमान आदि के कारण उत्पन्न प्रचण्डता ।

मात पितहिं जनि सोचवउ, करसि महीप किसोर ।—तुलसी

२४. निद्रा—श्रमादि-जन्य शैथिल्य के कारण चित्त की वह स्थिति जिसमें विषयों का ग्रहण न हो ।

हाकर विदेह मा विसार आत्मचेतना,

बंद हुईं आँखें हुआ शिथिल शरीर भी ।—वियोगी

२५. व्याधि—रोग, वियोग आदि से उत्पन्न मन का सन्ताप ।

धमंधुरन्धर धीर धरि, नयन उघारेउ राठ

सिर धुनि लीन्ह उसास भरि, मारेसि मोहि कुठाउ ॥—तुलसी

२६. अपस्मार—चित्त की वह वृत्ति जिसमें मिर्गी रोग का-सा लक्षण लक्षित हो ।

पीरी हूँ भूपर परी कोंपत होय अचेत ।—प्राचीन

२७. आवेग—कारणवश चित्त की व्यग्रता या सम्भ्रम ।

धाये धाम काम सब त्यागे ।

२८. त्रास—कारणजनित भय ।

'देखने' ही रौद्र मूर्ति वीर पृथ्वीराज की,

चीख उठा राजा, ज्यों महमा पबिक के ।

गामने भयानक मृगेन्द्र कूदे काल सा ॥—आर्यावर्त

२९. उन्माद—भय, शोक आदि के कारण चित्त की भ्रान्ति ।

पूछत चले लता तरु पाती ।

३०. जड़ता—चित्त की विमूढात्मक वृत्ति ।

पूछत खोड न टतर देई ।

३१. चपलता—चित्त का अस्थिर होना ।

नितवत चकित चहुँ दिशि सीता,

रहँ गये लखिशोर मनचिंता ।—तुलसी

३२. वितर्क—संदेह के कारण मन में उत्पन्न उदापोह ।

'लंछ निशिचर निहर निवसा,

इहाँ कहीं मज्जन कर बासा ।'—तुलसी

३३. मरण—चित्तवृत्ति की ऐसी दशा जिसमें मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति हो अथवा वह दशा भावान्तर से इस प्रकार अभिभूत हो गयी हो कि मृत्यु कष्ट नगण्य जान पड़े ।

आज पतिहीना हुई शोक नहीं इसका,
अक्षय सुहाग हुआ, मेरे आर्यपुत्र तो ।
अजर अमर हैं सुयश के शरीर में ॥—आर्यावर्त

तैत्तिरीय संचारी भावों के अतिरिक्त उद्वेग, दया, क्षमा, आदि अन्य मनोविकार भी हैं, किन्तु उनका भी इन्हीं भेदों में अन्तर्भाव हो जाता है। प्रत्येक संचारी भाव के उत्थान के कई कारण हो सकते हैं और उनके उदाहरण भी भिन्न-भिन्न अनेक हो सकते हैं, जिनका सोदाहरण विस्तृत वर्णन तृतीय उद्योत में किया जायगा। यहाँ दिग्दर्शन मात्र करा दिया गया है। ये सब व्यञ्जित या ध्वनित ही होते हैं।

पंद्रहवीं किरण

स्थायी भाव

जो भाव वासनात्मक होकर चित्त में चिरकाल तक अचञ्चल रहता है उसे स्थायीभाव कहते हैं।

स्थायी भाव की यह विशेषता है कि वह (१) अपने में अन्य भावों को लीन कर लेता है और (२) सजातीय तथा विजातीय भावों से नष्ट नहीं होता। वह (३) आस्थाद का मूलभूत होकर त्रिराजमान रहता है और (४) विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाता है।

उपर्युक्त चारों विशेषतायें अन्य सब भावों में से केवल निम्नलिखित नौ भावों में ही पायी जाती हैं जो स्थायी भाव के भेद हैं। इन नौ भेदों का क्रमशः संक्षेप में वर्णन किया जाता है।

१ रति

किसी अनुकूल विषय की ओर मन की रुझान को रति कहते हैं। प्रीति, प्रेम अथवा अनुराग इसकी अन्य संज्ञाएँ हैं।

स्थायी भाव जब सहायक सामग्री से परिपुष्ट होकर व्यञ्जित होता है तब रस में परिणत हो जाता है जैसे शृंगार रस में रति स्थायी भाव

होता है। परन्तु जहाँ परिपाक सामग्री नहीं रहती वहाँ स्वतन्त्र रूप से स्थायी भाव ही ध्रुवित होता है। इसी के उदाहरण दिये जाते हैं।

जो पल वीतत पंथ महँ, ते युग सरिस सिराहिं ।

हरि हिय उत्कंठा मटा, रुषिमणि कब दरसाहि ॥—प्राचीन

इसमें प्रिया-प्रियतम के परस्पर मिलने की इच्छा से उत्पन्न हुई अपूर्य प्रीति के वर्णन से केवल रति भाव है। यहाँ पर उसकी संचारी आदि से पुष्टि नहीं हुई है।

२ हास

विकृत वचन, कार्य और रूप-रचना से सहृदय के मन में जो उल्लास उत्पन्न होता है, उसे हास कहते हैं। जैसे,

दृष्ट चाप नहि जुटहि रिसाने ।

वैठिय होइहि पायँ पिराने ॥—तुलसी

उम उक्ति में दास्य की व्यञ्जना मात्र है, परिपूर्णता नहीं।

३ शोक

प्रिय पदार्थ का वियोग, विभव-नाश आदि कारणों से उत्पन्न चित्त की विकसता को शोक कहते हैं। जैसे,

कामनाम लखि खसम की, भगम लगावत अंग ।

जिनयन के नैनन जग्यो, कडु करुणा को रंग ॥—प्राचीन

यहाँ 'कडु' शब्द से शोक भाव ही रह जाता है। करुण रस का परिपाक नहीं होता।

४ क्रोध

असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न हुए मनोविकार को क्रोध कहते हैं। जैसे,

माखे लगन कुटिल भइ भौदैं । रदपट फरकत नैन रिसौदैं ॥—तुलसी

यहाँ भीलों की कुटिलता और श्वधर-स्फुरण से क्रोध की व्यञ्जना मात्र है। रोद्र रस की परिपुष्टि नहीं होती।

५ वत्साह

कार्य करने का अभिनिवेश, शौर्य आदि प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति इच्छा को वत्साह कहते हैं। जैसे,

यदि रोकेँ एगुनाथ न तो मैं अभिनव दस्य दिगाऊँ ।

कया है चाप महित शंकर के मैं कैलाष उठाऊँ ॥—अज्ञात

‘यदि रघुनाथ न रोके’ इस वाक्य के कारण उत्साह भाव मात्र रह जाता है। यहाँ वोर रस की पूर्णता नहीं होती।

६ भय

हिंसक जीवों का दर्शन, महापराध, प्रबल के साथ विरोध आदि से उत्पन्न हुई मन की विकलता को भय कहते हैं। जैसे,
तीनि पैग पुहुमी दई, प्रथमहि परम पुनीत।

बहुरि बद्ध लखि बामनहिं मे बल कछुक समीत ॥—प्राचीन

यहाँ ‘कछुक समीत’ होने से भयानक रस का परिपाक नहीं होता। यहाँ भय भावमात्र है।

७ जुगुप्सा

घृणा या निर्लज्जता आदि से उत्पन्न मन आदि इन्द्रियों के संकोच को जुगुप्सा कहते हैं। जैसे,

लखि विलप सूरपनखै, रुधिर चरवि चुनुयात।

सिय हिय में घिन की लता, भई सु दूँ दूँ पात ॥—प्राचीन

यहाँ दूँ दूँ पात से घृणा की व्यञ्जना मात्र होती है। वीभत्स रस का पूर्ण परिपाक नहीं होता।

८ आश्चर्य

अपूर्व वस्तु को देखने, सुनने, या स्मरण करने से उत्पन्न मनोविस्फार को आश्चर्य कहते हैं। जैसे,

चकित चितै मुद्रिक पडचानी,

हर्ष विपाद हृदय अकुलानी ॥—तुलसी

यहाँ आश्चर्य स्थायी भाव-मात्र है। अद्भुत रस की पूर्णता नहीं।

९ निर्वेद

तत्त्व-ज्ञान होने से सांसारिक विषयों में जो विराग-बुद्धि उत्पन्न होती है उसे निर्वेद कहते हैं। जैसे,

एरे मतिमन्दे सब छानि फरफन्दे,

अथ नन्द के सुनन्दे वजचन्दे क्यों न बन्दे रे ॥—यत्तभ

यहाँ वैराग्य का उपदेश होने से निर्वेद भावमात्र माना जाता है। शान्त रस का पूर्ण परिपाक नहीं होता।

सोलहवीं किरण

नव रस

यह एक प्रकार से बतला दिया गया है कि किसी वर्णन के पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय आदि के देखने से हृदय में जो स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है वही जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से परिपुष्ट होकर उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होने हुए अनिर्वचनीय आनन्द को सृष्टि करता है तब उसे रस कहा जाता है^१ ।

अब यह जानना आवश्यक है कि किस रस में कौन-सा स्थायी भाव और कौन-कौन से विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव होते हैं। उन्हींका सोदाहरण वर्णन किया जाता है ।

१ शृङ्गार रस

प्रेमियों के मन में संस्कार रूप से वर्तमान रति या प्रेम रसावस्था को पहुँचकर जब आस्वाद-योग्यता को प्राप्त करता है । तब उसे शृङ्गार रस कहते हैं ।

शृङ्गार शब्द सार्थक है । जैसे शृङ्गी पशुओं में यौवनकाल में ही शृङ्ग का पूर्ण उद्भय होता है और उनके जीवन का वसन्तकाल लक्षित होता है वैसे ही मनुष्यों में भी शृङ्ग अर्थात् मनसिद्धि का स्पष्ट प्रादुर्भाव होता है; उनको मिथुन-विषयक चेतना पूर्ण रूप से जागरित हो उठती है । शृङ्ग शब्द के इस पिछले लक्ष्यार्थ को उल्लेखित और अनुप्राणित करने की योग्यता जिस आस्वाद् में पायी गयी है, उसको शृङ्गार कहना सर्वथा सार्थक है । यह रस उत्तम-प्रकृति अर्थात् श्रेष्ठ नायक-नायिका के आलम्बन या आश्रय के रूप में लेकर ही प्रायः स्वरूप की योग्यता को प्राप्त करता है^२ ।

आलम्बन विभाव

१ नायिका—स्वकीया, परकीया, सामान्या आदि ।

२ नायक—पति, वरपति तथा वैशिक ।

१ व्यक्तः स तैर्विभावकथैः स्थायी भावो रसः स्मृतः । कव्यप्रकारा

२ शृङ्गं हि मन्मथोद्भेदस्य दागमनहेतुकः ।

उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः शृङ्गार इत्यन्ते ॥ साहित्यदर्पण

उद्दीपन विभाव

नायिका की सखी—नायिका को भूषित करना, शिक्षा देना, फ्रीडां करना तथा परस्पर हास-विनोद, सरस आलाप आदि करना इसके कार्य हैं।

नायक का सखा—इसके चार भेद होते हैं—(१) पीठमर्द (अन्तरङ्ग गोष्ठी में प्रविष्ट), (२) विट (काम-कला-कुशल), (३) चेट (नायक-नायिका का संयोजक) और (४) विदूषक (विविध चेष्टाओं से परिहास करनेवाला)

दूती—यह नायक तथा नायिका की प्रशंसा करके प्रीति उत्पन्न करती है, चाटु वचनो से उनका वैमनस्य दूर करती है एवं संकेत स्थान ले जाती है। उत्तमा, मध्यमा, अधमा तथा स्वयंदूतिका के भेद से इसके चार भेद होते हैं।

सखी, सखा तथा दूती को संस्कृत के आचार्यों ने शृङ्गार रस में नायक-नायिका के सहायक या नर्मसचिव माना है। किन्तु, हिन्दी के आचार्यों ने इनकी गणना उद्दीपन विभाव में की है! उनके उद्दीपन विभाव मानने का कारण यह जान पड़ता है कि सखा, सखी और दूती के दर्शन से नायिकागत अनुराग का उद्दीपित होना। भरत मुनि के वाक्य में 'प्रिय जन' शब्द के आने से संभव है हिन्दीवालों ने उन्हें उद्दीपन में मान लिया हो^३।

नायक-नायिका की वेप-भूषा, चेष्टा आदि पात्रगत तथा पङ्खतु, नदीतट, चन्द्रमा, चाँदनी, चित्र, उपवन, कुल्ल-कुटीर, मनोहर कविता, मधुर संगीत, मादक वाद्य, पक्षियों का कलरव आदि शृङ्गार के बहिर्गत उद्दीपन विभाव हैं।

अनुभाव

प्रेमपूर्ण आलाप, स्नेहरसिन्ध परस्परावलोकन, आलिंगन, चुम्बन, रोमाञ्च, स्वेद, कम्प, स्वरभंग, नायिका के भ्रमभंग आदि अनेक हाव अनुभाव हैं जो मानसिक, वाचिक तथा कायिक होते हैं।

स्त्रियों की यौवनावस्था के अनुभाव निम्नलिखित २८ हैं, जो अलंकार माने गये हैं। १ वे अङ्गज २ अयश्नज और ३ स्वभावज हैं।

३ कनुमात्यालङ्कारैः प्रियजनगान्धर्वकाव्यसेवाभिः ।

उपवनगमनविहारैः शृङ्गाररस समुद्भवति ॥ नाट्यशास्त्र

१— (१) भाव , (प्रथम लक्षित राग) (२) हाव (भ्रूभंग आदि से प्रकटित संयोग की इच्छा) और (३) हेला (अत्यन्त स्फुट हाव) नामक तीन अलंकार अंग से उत्पन्न होने के कारण अंगज हैं ।

२— (१) शोभा, (२) कान्ति, (३) दीप्ति, (४) माधुर्य, (५) प्रगल्भता, (६) औदार्य, और (७) धैर्य नामक सात अलंकार अकृत्रिम न होने के कारण अयत्नज हैं ।

३— (१) लीला, (२) विलास, (३) विच्छिन्ति (शृङ्गार-धायक अल्प-व्येप-रचना), (४) विबोक्त (गर्वाधिक्य से इच्छित वस्तु का भी अनादर), (५) क्लिकिञ्चित (प्रिय वस्तु को प्राप्ति आदि के हर्ष से हास, रुदन आदि कई भावों का संमिश्रण) (६) मोट्टायित (प्रिय-सम्बन्धी बातों में अनुराग-द्योतक चेष्टा), (७) कुट्टामित (अंग स्पर्श से आन्तरिक हर्ष होने पर भी निपेधात्मक कर-शिर-संचालन), (८) विभ्रम (जल्दी में वस्त्राभूषण का विपरीत धारण), (९) ललित (अंगों की सुकमारता प्रदर्शित करना) (१०) मद, (११) विद्वत् (लज्जावश समय पर भी कुछ न कहना), (१२) तपन, (१३) मोग्ध्य, (१४) विक्षेप (अकारण इधर-उधर देखने आदि से बहलाना), (१५) कुनूहल, (१६) हसित, (१७) चकित और (१८) केलि । ये १८ कृतिसाध्य होने के कारण स्वभावज अलंकार हैं ।

संचारी भाव

उपमा, मरण और जुगुप्सा को छोड़कर उःसुकता, लज्जा, जड़ता, चपलता, हर्ष, वैवर्ष्य, मोह, चिन्ता गर्व आदि सभी संचारी भाव शृंगार रस के संचारी भाव होने हैं ।

इसके दो भेद हैं—संयोगशृङ्गार और विप्रलम्भ शृङ्गार । इन दोनों के संचारी भाव भी अलग-अलग होते हैं । संयोग शृंगार में उन्माद, चिन्ता, असूया, मूर्च्छा, अपरमार आदि नहीं होते । क्योंकि, उसमें आनन्द ही आनन्द है । वहाँ तो उःसुकता, हर्ष, चपलता, श्रोत्रा, गर्व, श्रम, मद आदि ही होंगे । इसी प्रकार विप्रलम्भ शृंगार में ये आनन्दोत्पादक संचारी भाव नहीं होते । वहाँ तो संताप, कृशता, प्रलाप, निद्राभंग आदि ही होते हैं । उसमें अनुभाव भी संयोग से भिन्न होते हैं । आलिंगन, अबलोकन, श्लेद, कम्प आदि विप्रलम्भ में नहीं होते ।

अनुभाव—कपोल और ओठ का स्फुरित होना, आँखों का मिचना, मुख का विकसित होना आदि हैं।

संचारी भाव—अश्रु, कम्प, हर्ष, चपलता, श्रम, अवहित्था आदि हैं।

स्थायी भाव—हास।

इस हास के छः भेद होते हैं—(१) स्मित, (२) हसित, (३) विहसित, (४) अवहसित, (५) अपहसित, और (६) अतिहसित। दो उदाहरण दिये जाते हैं।

विन्ध्य के वासी उदासी तापोव्रतधारी महा विनु नारी दुखारे।

गौतम तीय तरी 'तुलसी' सो कथा मुनि भे मुनिवृन्द सुखारे ॥

है हैं सिला सब चन्द्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिहारे।

कीर्हीं भली रघुनायक जू करना करि कानन को पशु-धारे ॥

इसमें रामचन्द्रजी आलम्बन विभाव हैं और गौतम की नारी का उद्धार उद्दीपन विभाव। मुनियों का प्रसन्न होना आदि अनुभाव और हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव हैं। इनसे स्थायी भाव हास परिपुष्ट होकर हास्य रस में परिणत होता है।

तुलसीदासजी का यह व्यंग्यात्मक उपहास उनके ही उपयुक्त है। अपने आराध्य देव के साथ ऐसा मार्मिक परिहास करने में वे ही समर्थ हैं। पत्नीहीन मुनियों को चन्द्रमुखियों की प्राप्ति के विचित्र स्रोत की उद्भावना से किसका मानसकमल खिल न उठेगा !

दोनों पात घड़र को, ता में तनिक पिसाम।

राजाजु करने लगे, छठे छमासे दान ॥—प्राचीन

यहाँ अपनी दान-प्राणाली के कारण कृपण राजा आलम्बन विभाव है। उसके बबूल के पत्ते के देने में थोड़ा-सा पिसान रखकर दान देने की क्रिया उद्दीपन-विभाव है। इस बात को श्रवण कर श्रोता के मुख पर हास का संचार होता है तथा जो कृपण राजा के प्रति उसकी उदारता की प्रशंसा है, वह अनुभाव है। श्रम, श्रौत्सुक्य, चंचलता, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। इनसे हास स्थायी भाव के परिपुष्टि होने पर हास्य रस की प्रतीति होती है।

३ करुण रस

विप्रलम्भ में इस कामदशाएँ होती हैं—

अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुण-कथन, उद्वेग; प्रलाप, बन्माद, व्याधि, जड़ता और मृत्ति। एक उदाहरण—

शान्तिस्थान महान कण्व मुनि के पुण्याभ्रमोचान में ।

वाद्य-ज्ञान-विहीन लीन अति ही दुष्यन्त के ध्यान में ॥

बैठी मीन शकुन्तला सहज थी सौन्दर्य से सोहती ।

मानो होकर चित्र में खचित सी थी चित्त को मोहती ॥—गुप्तजी

इसमें दुष्यन्त शकुन्तला आलम्बन, कण्व का शान्त आश्रम उदीपन, शकुन्तला का चित्रचित्रत-सा बैठा रहना अनुभाव, जड़ता, चिन्ता आदि संचारी हैं। अतः इनसे रति स्थायी भाव की पुष्टि होती है जिससे विप्रलम्भ शृङ्गार ध्वनित होता है।

देरहु तात वसन्त सुहावा, प्रियदीन मोहि गय उपजावा ।

यहाँ प्रिया आलम्बन विभाव है। क्योंकि नायक की रति उस नायिका पर है। वसन्त ऋतु उदीपन विभाव है। क्योंकि, वसन्त ऋतु को देखकर ही प्रिया की सुधि से नायक भय-युक्त हो रहा है। भय, संताप, प्रलाप आदि अनुभाव हैं। औःसुक्य, चिन्ता, आदि संचारी भाव हैं। इनसे रति स्थायी भाव की पुष्टि होती है तथा इन सत्रों से विप्रलम्भ शृङ्गार व्यञ्जित होता है।

हे खग मृग, हे मधुकर स्त्री, तुम देखी सीता मृग नेनी ।

किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं, प्रिया बेगि प्रकटसि कस नाही ॥—तुलसी यह उदाहरण भी विप्रलम्भ शृङ्गार का ही है।

२. हास्य रस

विकृत वेष-भूषा, रूप, वाणी, अंग-भङ्गी आदि के देखने-सुनने से जहाँ दास स्थायी भाव परिपुष्ट हो वहाँ हास्य रस होता है।

आलम्बन विभाव—विष्टन या विचित्र वेष-भूषा व्यंग्य भरे वचन, उदाहास्यद् व्यक्ति को मूर्खताभरी चेष्टा का दर्शन या श्रवण, व्यक्ति, विशेष के विचित्र चलने-चालने का अनुकरण, हास्योत्पादन वस्तुएँ आदि हैं।

उदीपन विभाव—हास्यवर्द्धक चेष्टाएँ आदि।

अनुभाव—कपोल और ओठ का स्फुरित होना, आँखों का मिचना, मुल का विकसित होना आदि हैं।

संचारी भाव—अश्रु, कम्प, हर्ष, चपलता, श्रम, अवहित्था आदि हैं।
स्थायी भाव—हास।

इस हास के छः भेद होते हैं—(१) स्मित, (२) हसित, (३) विहसित, (४) अवहसित, (५) अपहसित, और (६) अतिहसित। दो उदाहरण दिये जाते हैं।

विन्ध्य के वासी उदासी तापोव्रतधारी महा विनु नारी दुखारे।

गौतम तीय तरी 'तुलसी' सो कथा मुनि भे मुनिवृन्द सुखारे ॥

हैं हैं सिला सब चन्द्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिहारे।

कीर्हीं भली रघुनायक जू कहना करि कानन को पगु-धारे ॥

इसमें रामचन्द्रजी आलम्बन विभाव हैं और गौतम की नारी का उद्धार उद्दीपन विभाव। मुनियों का प्रसन्न होना आदि अनुभाव और हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव हैं। इनसे स्थायी भाव हास परिपुष्ट होकर हास्य रस में परिणत होता है।

तुलसीदासजी का यह व्यंग्यात्मक उपहास उनके ही उपयुक्त है। अपने आराध्य देव के साथ ऐसा मार्मिक परिहास करने में वे ही समर्थ हैं। पत्नीहीन मुनियों को चन्द्रमुखियों की प्राप्ति के विचित्र स्रोत की उद्भावना से किसका मानसकमल खिल न उठेगा !

दोनों पात बबूर को, ता में तनिक पिसान।

राजाजु करने लगे, छठे छमासे दान ॥—प्राचीन

यहाँ अपनी दान-प्राणाली के कारण कृपण राजा आलम्बन विभाव है। उसके बबूल के पत्ते के दोने में थोड़ा-सा पिसान रखकर दान देने की क्रिया उद्दीपन-विभाव है। इस बात को श्रवण कर श्रोता के मुख पर हास का संचार होता है तथा जो कृपण राजा के प्रति उसकी उदारता की प्रशंसा है, वह अनुभाव है। श्रम, औत्सुक्य, चंचलता, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। इनसे हास स्थायी भाव के परिपुष्टि होने पर हास्य रस की प्रतीति होती है।

३ करुण रस

इस वस्तु की हानि, अनिष्ट का लाभ, प्रेम-पात्र का चिर वियोग, अर्थ-हानि आदि से जहाँ शोक स्थायी भाव की परिपुष्टि होती है, वहाँ करुण रस होता है।

आलम्बन विभाव—बन्धु-विनाश, प्रिय-वियोग, पराभव आदि ।

उद्दीपन—प्रिय पस्तु के प्रेम, यश या गुण का स्मरण, वस्त्र, आभूषण, चित्र का दर्शन आदि ।

अनुभाव—रुदन, उद्ध्वास, छाती पीटना, मूर्च्छा, भूमि-पतन, प्रलाप, दैव-निन्दा आदि ।

संचारी भाव—व्याधि, ग्लानि, मोह, स्मृति, दैन्य, चिन्ता, विपाद, उन्माद आदि ।

स्थायी भाव—शोक ।

प्रिय-विनाश-जनित, प्रिय-वियोग-जनित, धन-नाश-जनित, पराभव-जनित आदि करुण रस के भेद हैं ।

दे! उदाहरण दिये जाते हैं—

जो भूरि भाग्य भरी विदित थी अनुपमेय सुहागिनी ;

हे हृदय बल्लभ ! हूँ वही अब मैं महा इतभागिनी ।

जो साधिनी होकर तुम्हारी थी अतीव रानाधिनी ;

हे अब उसी मुझ सी जगत में और कौन अनाधिनी ॥—गुनजो

अभिमन्यु का शय आलम्बन है । योरपत्नी होना, पति की योरता का स्मरण करना आदि उद्दीपन हैं । उत्तरा का क्रन्दन अनुभाव है । स्मृति, दैन्य, चिन्ता आदि संचारी हैं । इनसे परिपुष्ट स्थायी भाव शोक से करुण रस ध्वनित होता है ।

हाय दुलारी मैना ! कैसी सफल हुई वद बानी ।

कहाँ आज तुम, हाय कहाँ है मेरे तारा रानी ॥—विजयती

यहाँ तारा रानी आलम्बन विभाव है, जो अब नहीं रह गयी है । जिस मैना के साथ उसका वार्तालाप होता था वह मैना तथा उसको वातचीत का स्मरण उद्दीपन विभाव हैं । नायक का विलाप-प्रलाप, चिन्ता आदि अनुभाव हैं । दैन्य, आवेग, स्मृति, जड़ता आदि संचारी भाव हैं । इनसे शोक स्थायी भाव को पुष्टि होती है और करुण रस व्यञ्जित होता है ।

असलक्ष्यक्रम ध्वनि का उदाहरण जो पहले दिया गया है वह भी करुण रस का ही उदाहरण है ।

४ रींद्र रस

जहाँ विगेधी दल की छेड़खानी, अपमान, अपकार, गुरु-

जन-निन्दा तथा देश और धर्म के अपमान आदि से प्रतिशोध की भावना जागृत होती है, वहाँ रौद्र रस होता है ।

आलम्बन—विरोधी दल के व्यक्ति ।

उद्दीपन—विरोधियों द्वारा किये गये अनिष्ट कार्य, अपकार, अपमान कठोर वचन का प्रयोग आदि ।

अनुभाव—मुख-मण्डल पर लालिमा छा जाना, भ्रुभंग, आँखें तरेरना, दाँत पोसना, होठ चयाना, शत्रुओं का उत्तोलन, गर्जन-तर्जन, विपक्षियों का ललकारना, हीनतावाचक शब्द-प्रयोग आदि ।

संचारी भाव—उग्रता, अमर्ष, चंचलता, उद्वेग, मद, असूया, श्रम, स्मृति आवेग आदि ।

स्थायी भाव—क्रोध ।

मातु पितृहिं जनि सोचवस, करषि महीप-किशोर ।

गर्भन के अर्भक-दलन परसु मोर अतिघोर ॥—तुलसी

जनकपुर में धनुषभंग पर परशुराम की यह उक्ति है । यहाँ कटु वचन बोलनेवाले तथा धनुषभंग करके धनुष की महिमा घटानेवाले राम-लक्ष्मण आलम्बन विभाव हैं । लक्ष्मण की कट्टक उद्दीपन विभाव है । परशुराम की दर्पयुक्त वाणी, मुँह पर क्रोध की अभिव्यक्ति, फरसे को महिमा बखानकर उसको दिखलाना अनुभाव हैं । इन सबसे क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि होने से यहाँ रौद्र रस की व्यञ्जना होती है ।

५-वीर रस

जिस विषय से जहाँ उत्साह का संचार हो—अर्थात् उत्साह स्थायी भाव का परिपोष हो वहाँ वीर रस होता है ।

आलम्बन विभाव—शत्रु, दिन, याचक, तीर्थ, पर्व आदि ।

उद्दीपन विभाव—शत्रु का पराक्रम, याचक की दीनदशा आदि ।

अनुभाव—रोमांच, गर्विली वाणी, आदर-सत्कार, दया के शब्द आदि ।

संचारी भाव—गर्व, श्वेद, कम्प, धृति, स्मृति, दया, हर्ष, मति, असूया, आवेग, श्रोत्रसुक्य आदि ।

स्थायी भाव—उत्साह ।

रौद्र रस में भी प्रायः वीर रसवाले ही विभाव आदि रहते हैं तथापि दोनों के स्थायी भाव भिन्न होने के कारण पृथक्-पृथक् सत्ता मानी गयी है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है और वीर का उःसाह।

वीर रस के चार भेद हैं—युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर और दानवीर। किन्तु वीर शब्द का जैसा प्रयोग प्रचलित है उसके अनुसार केवल युद्ध वीर में ही वीर रस का प्रयोग सार्थक है। अब तो उपाधिभेद से सत्यवीर, क्षमावीर, कर्मवीर, उद्योगवीर, श्रमवीर आदि अनेकों वीर उपलब्ध हैं। इनके भेद में भी आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव तथा संचारी अलग-अलग होते हैं। जैसे, युद्ध-वीर का आलम्बन—शत्रु उद्दीपन, उसके कार्य, अनुभाव—वीर की गर्वोक्ति तथा युद्ध-निपुणता और संचारी—हर्ष, आवेग, औःमुख्य आदि।

दानवीर का आलम्बन—याचक, दान के योग्य पात्र आदि, उद्दीपन—अन्य दाताओं के दान, दानपत्र की प्रशंसा आदि, अनुभाव—याचक का आदर-सत्कार आदि, संचारी—हर्ष, गर्व आदि।

धर्मवीर के आलम्बन—धर्मग्रन्थ के वचन, उद्दीपन—फल प्रशंसा आदि अनुभाव—धर्माचरण, संचारी—धृति, मति आदि।

दयावीर का आलम्बन—दया का पात्र, उद्दीपन—उसकी दोनदशा, अनुभाव—सान्त्वना के वाक्य और संचारी—धृति, हर्ष आदि हैं।

इसी प्रकार अन्य उपादानों की सत्ता भी पृथक्-पृथक् समझनी चाहिये। किन्तु स्थायी भाव सबका केवल उःसाह ही रहता है। प्रथम जो आलम्बन, उद्दीपन आदि भावों का उल्लेख है वह सब प्रकार के वीरों का प्रायः मिश्रित रूप से है।

तोरेठँ छत्रक-दण्ड त्रिमि, तब प्रताप-वल नाथ।

जो न करठँ प्रभु-पद-रापथ, पुनि न धरौं धनु हथ ॥—तुलसी

जनरूप में धनुष यज्ञ के प्रसंग पर 'वीर-विहीन मही में जानो' आदि वाक्य लक्ष राजा जनरु ने कहे तत्र लक्ष्मण ने उभयुक्त दोष्ट कहे हैं।

यहाँ धनुष आलम्बन विभाव है। जनरु की व्यग्य या कटु उक्ति उद्दीपन विभाव है। आवेश में आकर लक्ष्मण ने जो बातें कही हैं, वे अनुभाव हैं। आवेग, औःमुख्य, मति, धृति, गर्व आदि संचारी भाव हैं। और जब इनसे स्थायी भाव उःसाह परिपुष्ट होता है, तब यहाँ वीर रस व्यञ्जित होता है। यहाँ 'तब प्रतापवल' उःसाह का वाचक न हो कर साधक हो गया है।

इसी तरह—

जो सम्पत्ति शिव रावनहिं, दीन्ह दिये दस मथ ।

सो सम्पदा विभीषनहिं, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥—तुलसी

यहाँ विभीषण आलम्बन विभाव है, शिव के दान का स्मरण उद्दीपन विभाव है, राम का दान देना तथा उसमें अपने बड़प्पन के अनुरूप तुच्छता का अनुभव करना, अतएव संकोच होना आदि अनुभाव हैं, स्मृति घृति, गर्व, औत्सुक्य आदि संचारी हैं। इनसे स्थायी भाव उत्साह की परिपुष्टि होती है तथा उससे दानधोर की प्रतीति होती है।

६ भयानक रस

भयदायक वस्तु के देखने या सुनने से, अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि करने पर जब हृदय में वर्तमान भय स्थायी भाव होकर परिपुष्ट होता है तब भयानक रस उत्पन्न होता है।

आलम्बन विभाव—व्याघ्र, सर्प आदि हिंसक प्राणी, बीहड़ तथा निर्जन स्थान, श्मशान, बलवान् शत्रु, भूत-प्रेत की आशंका आदि।

उद्दीपन—हिंसक जीव को भयानक चेष्टा, शत्रु के भयोत्पादक व्यवहार, भयानक स्थान की निर्जनता, निस्तब्धता, विस्मयोत्पादक ध्वनि आदि।

अनुभाव—रोमाञ्च, स्वेद, कम्प, वैवर्ष्य, चिल्लाना, रोना, करुणाजनक वाक्य आदि।

संचारी भाव—शंका, चिन्ता, ग्लानि, आवेग, मूच्छा, त्रास, जुगुप्सा, दीनता आदि।

स्थायी भाव—भय।

एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर मृगराय।

विकल बटोही बीच ही परयो मूरछा लाय ॥—प्राचीन

यहाँ अजगर और सिंह आलम्बन विभाव हैं, उन दोनों की भयंकर आकृति तथा चेष्टा उद्दीपन, मूच्छा, विकलता आदि अनुभाव, तथा स्वेद, कम्प, रोमाञ्च, त्रास, आवेग आदि संचारी भाव हैं। इनसे भय स्थायी भाव परिपुष्ट होता है और प्रतीति भयानक रस की प्रतीति होती है।

७ बीभत्स रस

घृथित वस्तु देखने या सुनने से जहाँ घृणा या जुगुप्सा का भाव परिपुष्ट हो वहाँ बीभत्स रस हो जाता है।

आलंबन विभाव—रमशान, शय, चर्वी, सड़ा मांस आदि ।

उद्दीपन—गृध्रों का मांस नोचना, शृगालों का दीड़ना तथा मांसादि के लिये परस्पर युद्ध, मांस में कीड़े पड़ना आदि ।

अनुभाव—यमन करना, थूकना, सिर में चक्कर आना, नाक, मुँह घन्ट करना आदि ।

संचारी भाव—आवेग, मोह, व्याधि, जड़ता, चिन्ता, वैवर्ष्य, उन्माद, निर्वेद, ग्लानि, दैन्य आदि ।

स्थायी भाव—जुगुप्सा ।

उदाहरण—

रिपु आँतन की कुण्टली करि जोगिनि डु चवाति ।

पीबहि में पागी मनी जुवति जलेवी खाति ॥—प्राचीन

यहाँ योगिनी का शत्रु की खँनड़ी चवाना आलम्बन विभाव है । उमका पीव में पागा जाना उद्दीपन है । थूकना, नाक-मुँह मूँदना, गृणो-त्पादक शब्द कहना आदि अनुभाव हैं । जड़ता, निर्वेद, ग्लानि, दैन्य, वैवर्ष्य आदि संचारी भाव हैं । इनसे जुगुप्सा स्थायी भाव अत्यन्त उत्कर्ष को प्राप्त होता है जिससे यहाँ घोभस रस की व्यञ्जना होती है ।

८ अद्भुत रस

विचित्र वस्तु के देखने या सुनने से जब आश्चर्य का परिपोष होता है तब अद्भुत रस की प्रतीति होती है ।

आलंबन विभाव—अद्भुत वस्तु तथा अलौकिक घटना आदि ।

उद्दीपन विभाव—आश्चर्यमय वस्तु की विलक्षणता तथा अलौकिक घटना की आकस्मिकता आदि ।

अनुभाव—आँखें फाड़कर देखना, रोमाञ्च, स्तम्भ, स्वेद, मुख पर की उभुलता तथा घबराहट के चिह्न आदि ।

सञ्चारी भाव—भ्रान्ति, जड़ता, दैन्य, आवेग, शंका, चिन्ता, विनर्क, हर्ष आदि ।

स्थायी भाव—आश्चर्य ।

उदाहरण—

रिष करि लेई ली के पूने बाँधिबे को लगी,

आयत न पूरी बोली बेगो यह छीना टै ।

देसि देसि देगी फिर भोनि के लपेटा एक,

बाँधन लगी तो बहू बर्साह के बँध्यो ना दे ।

‘ग्याल’ कवि जसुदा चकित यों उचारि रही,
 आली यह भेद बहु पच्यो समुक्तौ ना है।
 यही देवता है किधौं याके संग देवता है,
 या किहूँ सखा ने करि दीन्हों बहु टोना है ॥—ग्याल

कृष्ण के बन्धन काल में रसियों का छोटा पड़ना आलम्बन विभाव है, कृष्ण का न बाँधना उद्दीपन विभाव है, सन्ध्रम आदि अनुभाव हैं और वितर्क, भ्रान्ति आदि संचारी भाव । इनके द्वारा विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में परिणत होता है ।

६ शान्त रस

संसार से अत्यन्त निर्वेद होने पर या तत्त्वज्ञान द्वारा वैराग्य का उत्कर्ष होने पर शान्त रस उत्पन्न होता है ।

आलम्बन—संसार की असारता का बाध या परमात्मतत्त्व का ज्ञान ।

उद्दीपन—सब्जनों का सत्संग, तीर्थोदन, दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र का अध्ययन, सांसारिक भ्रमों आदि ।

अनुभाव—दुखी दुनिया को देखकर कातर होना, भ्रमों से घबड़ाकर त्याग देने की तत्परता आदि ।

सञ्चारी—धृति, मति, हर्ष, उद्वेग, ग्लानि, दैन्य, असुया, निर्वेद, जड़ता आदि ।

स्थायी भाव—निर्वेद ।

उदाहरण—

रन वितान, रवि ससि दिया, फल भल, सलिल प्रवाह ।

अवनि सेज, पंखा, पवन, अब न कहूँ परबह ॥—प्राचीन

यहाँ लौकिक सुख की क्षणभंगुरता ही आलम्बन है । प्राकृतिक सुख को स्वाभाविक रीति से बिना प्रयास ही प्राप्त कर लेना आदि उद्दीपन हैं । अनुभाव यहाँ वक्ता की निस्पृहता-सूचक उक्ति तथा चिन्ता-विहीनता है । धृति, मति, हर्ष, औत्सुक्य आदि संचारी भाव हैं । इन सबसे यहाँ निर्वेद (वैराग्य) स्थायी भाव की पुष्टि होती है और उससे शान्त रस की भ्रमि होती है ।

सत्रहवीं किरण

रसाभास

जहाँ रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण परिपाक होता है, वहाँ रसाभास समझना चाहिये ।

आभास का अर्थ है अवास्तव की वास्तव्य प्रतीति । सोप में चोंदो की चमक की तरह थोड़ी बहुत तद्विषयक भ्रमक । जैसे दाई में माता की-सी ममता देखी जाती है, वैसे ही जहाँ रस का किञ्चिन् आभास रहता है वहाँ रसाभास होता है । यद्यपि सहृदयों द्वारा अननुमोदिन होने के कारण अनुचित रूप में जहाँ रस का परिपाक होता है वहाँ रस-द्रोष मानना चाहिये । फिर भी आभासिक आनन्द का दायक होने के कारण उसे वैसे ही रस-भ्रम का एक भेद मान लिया गया है जैसे माता की जगह या माता के अभाव में दाई को कुछ समय के लिये माता ही मान लेते हैं ।

शृङ्गार रसाभास—अनीचिःय रूप से रस की प्रवृत्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में होती है—(१) परस्त्रीगत प्रेम (२) स्त्री का परपुरुष में प्रेम, (३) स्त्री का बहुपति-विषयक प्रेम, (४) निरिन्द्रियों (नदी-नालो, लता-वृत्तों आदि) में दाम्पत्यविषयक प्रेम का आरोप, (५) नायक-नायिका में एक के प्रेम के बिना ही दूसरे का प्रेम वर्णन ! नीच पात्र में किसी उच्च कुलवाले का प्रेम तथा (७) पशु-पक्षी आदि का प्रेम-वर्णन ।

पर-पुरुष में परस्त्री की रति से शृङ्गार-रसाभास

भोंकि भरोसे रही कसकी दसकी वह बाल मनमन भारी ।

कोऊ न ऐसो दिव्दुहमरो ओ परोसिन के पिय को गहि रावै ॥—पद्माकर

यहाँ पड़ोसिन के पति—पर पुरुष में एक नायिका का प्रेम-प्रदर्शन उरनायक-निष्ठ रति है । अतः यह काम लोकोपेक्ष-विरुद्ध है । इसमें यहाँ शृङ्गार रस का परिपाक अनीचिःय से होता है ।

भ्रैसी अँधियारी नील पट पहिरि बलि पिय-गेद ।

बहो दुगई क्यों दुरै, दीर्गमस्त सी देह ॥—विहारी

यह पद्य कृष्णगोभिसारिका नायिका का उदाहरण है । अंधेरी रात में वह नीली साड़ी पहन कर प्रीतम के घर जाना चाहती है, परन्तु,

‘ग्वाल’ कवि जसुदा चकित यौं उचारि रही,
 आली यह भेद कछु पच्यो समुझौ ना हैरी।
 यही देवता है किधौं याके संग देवता है,
 या किहूँ सखा ने करि दीन्ह्यौं कछु टोना है ॥—ग्वाल

कृष्ण के बन्धन काल में रसियों का छोटा पड़ना आलम्बन विभाव है, कृष्ण का न बाँधना उद्दीपन विभाव है, सम्भ्रम आदि अनुभाव हैं और वितर्क, भ्रान्ति आदि संचारी भाव। इनके द्वारा विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में परिणत होता है।

६ शान्त रस

संसार से अत्यन्त निर्वेद होने पर यह तत्त्वज्ञान द्वारा वैराग्य का उत्कर्ष होने पर शान्त रस उत्पन्न होता है।

आलम्बन—संसार की असारता का बाध या परमात्मतत्त्व का ज्ञान।

उद्दीपन—सब्जनों का सत्संग, तीर्थोत्सव, दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र का अध्ययन, सांसारिक भ्रमों आदि।

अनुभाव—दुखी दुनिया को देखकर कातर होना, भ्रमों से घबड़ाकर त्याग देने की तत्परता आदि।

सञ्चारी—धृति, मति, हर्ष, उद्वेग, ग्लानि, दैन्य, असुखा, निर्वेद, जड़ता आदि।

स्थायी भाव—निर्वेद।

उदाहरण—

वन वितान, रवि ससि दिया, फल भख, सलिल प्रवाह।

अवनि सेज, पंखा, पचन, अब न कछु परवाह ॥—प्राचीन

यहाँ लौकिक सुख की क्षणभंगुरता ही आलम्बन है। प्राकृतिक सुख को स्वाभाविक रीति से बिना प्रयास ही प्राप्त कर लेना आदि उद्दीपन हैं। अनुभाव यहाँ वक्ता की निरस्पृहता-सूचक उक्ति तथा चिन्ता-विहीनता है। धृति, मति, हर्ष, आसुख्य आदि संचारी भाव हैं। इन सबसे यहाँ निर्वेद (वैराग्य) स्थायी भाव की पुष्टि होती है और उससे शान्त रस की ध्वनि होती है।

सत्रहवीं किरण

रसाभास

जहाँ रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण परिपाक होता है, वहाँ रसाभास समझना चाहिये ।

आभाम का अर्थ है अवास्तव की वास्तव प्रतीति । सोप में चँदो की चमक की तरह थोड़ी बहुत तद्विषयक भक्तक । जैसे दाई में माता की-सी ममता देखी जाती है, वैसे ही जहाँ रस का किञ्चिन् आभास रहता है वहाँ रसाभाम होता है । यद्यपि सहृदयों द्वारा अननुमोदिन होने के कारण अनुचित रूप में जहाँ रस का परिपाक होता है वहाँ रस-दोष मानना चाहिये । फिर भी आभासिक आनन्द का दायक होने के कारण उसे वैसे ही रस-ध्वनि का एक भेद मान लिया गया है जैसे माता की जगह या माता के अभाव में दाई को कुछ समय के लिये माता ही मान लेते हैं ।

शृङ्गार रसाभास—अनीचिःय रूप से रस की प्रवृत्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में होती है—(१) परस्त्रीगत प्रेम (२) स्त्री का परपुरुष से प्रेम, (३) स्त्री का बहुपति-विषयक प्रेम, (४) निरिन्द्रियों (नदी-नालों, लता-वृक्षों आदि) में दाम्पत्यविषयक प्रेम का आरोप, (५) नायक-नायिका में एक के प्रेम के बिना ही दूसरे का प्रेम वर्णन ! नीच पात्र में किसी उग्र कुलवाले का प्रेम तथा (७) पशु-पक्षी आदि का प्रेम-वर्णन ।

पर-पुरुष से परस्त्री की रति से शृङ्गार-रसाभास

भोंकि भरोसे रही कबकी दयकी वह बाल मनैमन भागै ।

भोज न देखो हित् हमरो ओ परोसिन के पिय को गहि रातै ॥—पद्माकर

यहाँ पड़ोसिन के पति—पर पुरुष में एक नायिका का प्रेम-प्रदर्शन उरनायक-निष्ठ रति है । अतः यह काम लोकोपेक्ष-विरुद्ध है । इससे यहाँ शृङ्गार रस का परिपाक अनीचिःय से होता है ।

भित्ती भँ धियारी नील पट पहिरि बलि भिय-गेह ।

वहाँ दुगर्द क्यों दुरै, दीवसला ती देह ॥—विहारी

यह पद्य कृष्णाभिमारिका नायिका का उदाहरण है । अंधेरी रात में यह नीली साड़ी पहन कर प्रीतम के घर जाना चाहती है, परन्तु,

दीप की ज्योति के सदृश देदीप्यमान शरीर की आभा किसी प्रकार भी उस श्रद्धेरी रात तथा नोली साड़ी में छिपाये नहीं छिपती ।

पद्य के इस वाच्यार्थ से नायिका का परपुरुष-विषयक प्रेम स्पष्ट रूप से व्यञ्जित होता है और यहाँ भी पहले का-सा रस का अनौचित्य से प्रतिपादन किया गया है । अतः यह पर-नारी में परपुरुष-विषयक शृङ्गार रसाभास है ।

बहुनायकनिष्ठ रति से शृङ्गार-रसाभास

अंजन दै निकसै नित नैननि मंजन कै अति अंग सँवारै ।
रूप गुमान भरी मग में पगड़ी के श्रँगूठा अनोट सुधारै ॥
जोवन के मद सों मतिराम भई मतवारिनि लोग निहरै ।
जात चली यहि भाँति गली विधुरी अलकैं श्रँचरा न सम्हारै ॥

यहाँ नायिका की अनेक पुरुषों में रति व्यक्त होने से शृङ्गार-रसाभास है ।

अनुभयनिष्ठ रति से शृङ्गार-रसाभास

केसव केसनि अस करी, जस अरिहू न कराहि ।
चन्द्रवदनि मुगलोचनी, बाबा कहि-कहि जाहि ॥—केशव

यहाँ वृद्ध-कवि केशव का परनायिका में अनुराग वर्णित है । इससे शृङ्गार रस की अनौचित्य-पूर्ण प्रतीति होती है । यहाँ अनुराग का जो परिदर्शन कराया गया है वह केवल वृद्ध केशव की ओर से ही । अतः एकांगी होने से अनुभय-निष्ठ रति से उपजे शृङ्गाररसाभास का यह दोहा उदाहरण है ।

निरिन्द्रियों में रतिविषयक आरोप से शृङ्गार-रसाभास

‘छाया’ शीर्षक कविता की ये पंक्तियाँ

कौन कौन तुम परिहृतवसना म्लानमना भू-पतिता सी ।
धूलि-धूसरित मुक्त-कुन्तला किसके चरणों की दासी ॥
विजन निशा में सहज गले तुम लगती हो फिर तरुवर के ।
आमन्दित होती हो सखि ! तुम उसकी पद सेवा करके ॥—दंत

यहाँ छाया के लिये ‘परिहृत वसना’ तथा निर्जन एकान्त स्थान में तरु के गले लगना आदि व्यापार जो संभोग-शृङ्गार-गत दिव्यलाये गये हैं उनके छाया और तरु जैसी निरिन्द्रिय वस्तु में होने के कारण अनौचित्य है । इससे रसाभास है । इसी तरह तुलसीदास की—

नदी उमकि अंबुधि कहैं धाई ।

संगम करें तलाष तलाई ॥ —तुलसी

आदि पंक्तियों भी ऐसे रसाभास के उदाहरण हैं।

पशु-पक्षी-गत रति के आरोप से शृङ्गार-रसाभास कवियर 'पंत' जी की 'अनंग' शीर्षक रचना की निम्नलिखित पंक्तियों इनका उदाहरण है—

मृगियों ने चबल आलोहन आं चकोर ने निशाभितार ।

सारम ने मृदु प्रीवालिंगन हंसो ने गति वारि-विहार ॥

यहाँ पशु-पक्षी-गत जो मनुष्यवत् संभोग शृंगार का वर्णन किया है उससे शृंगार-रसाभास है।

कालिदास के कुमारसंभव में भगवान् शंकर की तपस्या-भंग करने के लिये कामदेव ने जो अपना मायाजाल फैलाया है, उस समय का पशुपत्तियों तथा पेड़ पौधों का प्रणय-परिरंभण आदि तथा इसी प्रसंग का तुलसीदास कृत रामायण में भी ऐसा वर्णन ऐसे ही रसाभास के उदाहरण हैं।

शृंगार ही के समान प्रत्येक रस का रसाभास होता है।

हास्य का रसाभास

बरहि कूट नारदहि सुनाई, नीक दीन्हैं हरि सुन्दरताई

रीमहि राजकुंअरि छवि देसी, इनहि बरिदि हरे जानि विमेखी ॥

नारद-मोह के प्रसंग में शंकर के दो गण नारदजी के स्वरूप को देगकर उनकी हँसी उड़ाते थे, उसी समय की ये पंक्तियाँ हैं। यहाँ हर गणों के हास्य का आलम्बन नारद जैसे देवर्षि हैं। अतः यहाँ हास्य का अनुचित रूप में परिपाक हुआ है।

कठण का रसाभास

मेठनी तृषा को कंठ लगि लगि मीचि सीचि

जीवन के मंचिने में रही पूरी समझी ।

हाथ से न छूटी कहीं जब ते लगई माथ

हाथ हाथ फूटी मेरी प्रनपिय तूमड़ी ॥—हिन्दी प्रेमी

तूमड़ी आलम्बन, उमका गुण-बधन पदोपन, हाथ पटकना, मिर धुनना अनुभाव और विषाद, चिन्ता आदि संचारी हैं। इनमें परिपुष्ट शोक स्थायी में पर्युक्त रस व्यञ्जित है पर अपवाद, तुच्छ तूमड़ी के लिये इतनी हाथ हाथ करने में पर्युक्त का रसाभास है।

गौने जात नयी बहू रोवति अति विलखाति ।

पिय मिलने की चाह से मन ही मन मुसुकाति ॥ —राम

नयी बहू का गौने जाते समय प्रिय-जन-वियोग से बिलख-बिलखकर रोना आदि उद्दीपन, अनुभाव आदि के होते हुए भी शोक स्थायी भाव पुष्ट नहीं होता । क्योंकि, बहू के मन में आनन्द होने से स्वभाविकता या कृत्रिमता आ जाती है जिससे यहाँ करुण-रसाभास हो जाता है ।

पहुरि पहुरि कोसलपति कहहीं, जनक-प्रेमवश फिरा न चहहीं ।

पुनि कहि भूपति बचन सुहाये, फिरिय महीप दूरि वधि आये ॥—तुलसी

वाराणसी की विदाई करते समय जब जनक जी वरातियों को पहुँचाने गये थे उसी समय की उपर्युक्त पंक्तियाँ हैं ।

यहाँ परम विरक्त जनक जी का स्नेह-वश जल्द न लौटना अनुचित रूप से है । क्योंकि जनक परम विदेह थे । उनके सम्बन्ध में शोक स्थायी भाव का ऐसा उद्गार उचित नहीं । अतः यह करुण रसाभास का उदाहरण है ।

रीढ़ का रसाभास

राम के वन जाने के बाद 'साकेत' काव्य में वर्णित कैकेयी और भरत के वार्तालाप की निम्न पंक्तियाँ हैं—

कैकेयी—किन्तु उठ ओ भरत, मेरा प्यार—

चाहता है एक तेरा प्यार ।

राज्य कर उठ वत्स, मेरे बाल !

मैं नरक भोगूँ भले चिरकाल ।

इस पर भरत की उक्ति—

जी द्विरसने ! हम सभी को मार,

कठिन तेरा उचित न्याय-विचार !—गुमती

पुत्रस्नेह तथा सुख की भूल से तड़पती हुई माँ कैकेयी के प्रति पुत्र भरत के हृदय में इतने भयंकर क्रोध स्थायी भाव का उदय तथा उससे जो रीढ़ रस व्यञ्जित होता है वह अनुचित रूप में परिपक हुआ है । अतः इसे रीढ़ रसाभास ही कहेंगे । इसी प्रकार 'किरानाजुनीय' में युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी तथा भीम का क्रोध रीढ़ का रसाभास ही है ।

धीर का रसाभास

लेहु छुषाय सीय कैंह कोऊ, धरि चाँधहु नृप बालक दोऊ ।

तोरे धनुष काज नहिं सरई, जीवत हमहिं कुँअरि को धरई ॥

जो विदेह कहु करैं सहाई, जीतहु समर सद्धित दोउ भाई ॥—तुलसी

रामचन्द्र के धनुष तोड़ने पर कुछ छुटभैये 'गेहेशू' राजाओं ने उपयुक्त पक्तियों कही हैं। यहाँ रामचन्द्र जैसे प्रतापी एवं सर्वशक्तिमान के आलम्बन तथा उनके धनुषभंग कार्य के उद्दीपन से जो इन राजाओं में उत्साह स्थायी भाव जागृत होता है और जो उससे वीर रस की प्रतीति होती है उसका परिपाक अनुचित रीति से हुआ है। क्योंकि राम जैसे धीर के प्रति इन पराजितों का यह उत्साह अव्यन्त उपहासास्पद नहीं तो और क्या है ?

रे हस्त सूधे आज, द्विज सुतहिं ज्यावन काज ।

अथ यह कृपाण सम्हार, कर सुद मुनि पर वार ॥—सत्यनारायण

यहाँ राम का शूद्र मुनि पर कृपाण चलाना वीररसाभास है।

भयानक का रसाभास

उत्तम व्यक्ति में भय का होना ।

'.....विस्तार के

घेने चले जो इन सिद्धियों की सेना को

तत्क्षण ही युद्ध साज । गद वह जन है

देवूँ, चलो, मैं तुम्हारी भ्रातृ-पुत्र-पत्नी को ।' —मेघनादवध

यहाँ मेघनाद की स्त्री की सेना को देखकर राम के भयभीत होने की ध्वनि निकलती है। उत्तम व्यक्ति में भय होने से यहाँ भयानक-रसाभास है।

अद्भुत-रसाभास

नगराज के पीठ से आज लगी उतरी रमा ठाड़ी धरा पै मड़ी ।

हाँ हाँ लाट-लट्टरे की लेडी नयी सुनी आई हवाई जहाज चड़ी ॥ —हिन्दीप्रेम

प्रामयामिनी प्राचीना ने जब कहा कि मैंने मजी-धजी लक्ष्मी को गरुड़ की पीठ से पृथ्वी पर उतरी देखा तब इस अस्मभय घात को मुनकर बढ़ा ही आश्चर्य-दुःख पर इसी घात को शहर की दशा आई हुई किस्मो नयीना ने यों कहा कि हाँ हाँ किसी लाट साह्य की नयी लेडी हवाई जहाज से आयी है, यह मैंने मुना है। इस समाधान से उक्त आश्चर्य आभास घन जाता है।

वीभत्स-रसाभास

दुबरो, फानो, छीन, लयन बिन, पूछ नयाये ।

बूढ़ो, बिकल सरीर, लार मुँह से टपकाये ॥

भारत सीस ते राखि रुधिर कुम डारत डोलात ।

छुधा छीन अति दीन गरे घट-कंठ कलोलत ॥

यह दशा स्थान पार्द तऊ, कुदियन सँग उरगत गिरत ।

देखो अनीत या मदन की, गृनकनहँ मारत फिरत ॥—प्रतापसिंह

कुत्ते की ऐसी घृणित-कुत्सित अवस्था का वर्णन अरुणमातृ जो शृङ्गारोन्मुख हो जाता है उससे यहाँ वीभत्स रस को पुष्टि नहीं होती । अतः वीभत्स-रसाभास है ।

शान्त रसाभास

हीन व्यक्ति में निर्वेद की स्थिति होना ।

‘सूद्र एक सम्भूक तपत पृथिवी पे भारी ।

तिह तिर छेदन जोग सिद्धारे राम शरारी ॥

ताहि मारी अब सीप्र लोक मरजाद रसाओ ।

दे द्विज बालहि प्राणदान जग अजस नसाओ ॥’—मत्स्यनारायण

यहाँ नीच व्यक्ति में निर्वेद है । सत्य-युग में शूद्र की तपस्या करना अयोग्य व्यक्ति का संस्कार्य में हस्तक्षेप करना था । इसी कारण यहाँ शान्तरसाभास है ।

अट्टारह्वो किरण

भाष

प्रधानता से प्रतीयमान निर्वेदादि संचारी, देवता-आदि-विषयक रति और विभावादि के अभाव से उद्बुद्ध मात्र—रसावस्था को अप्राप्त—रति आदि स्थायी भावों को भाव कहते हैं ।

संचारी भावों में से जब किसी एक की प्रधान रूप से प्रतीति होती है तो यहाँ वह भी भाव ही कहलाता है ।

जहाँ आज्ञाम्बन-भ्रहर देवता, शक्ति, मुनि, गुरुजन, राजा, पुत्र, आदि में भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, पूज्य-भाव्य, वात्सल्य, स्नेह आदि धरित हो यहाँ ये रति भाव—भक्ति आदि—भाव कहे जाते हैं ।

जहाँ स्थायी भावों की संचारी भाव आदि के अभाव में यथोचित परिपुष्टि न होती हो, केवल उद्बुद्धमात्र होकर ही वे रह जाते हैं, वहाँ स्थायी भाव केवल 'भाव' संज्ञा से ही अभिहित होते हैं। अभिप्राय यह कि अपरिपक्वस्था में वे केवल 'भाव' मात्र रह जाते हैं, रस रूप में परिणत नहीं होते।

अतः भाव के ये मुख्य तीन भेद हुए—

(१) देवादिविषयक रति, (२) केवल उद्बुद्धमात्र स्थायी भाव और (३) प्रधानतया ध्वनित होनेवाले संचारी भाव' ।

यद्यपि रसध्वनि और भाव-ध्वनि दोनों अमलक्ष-क्रम व्यंग्य ही हैं, तथापि इनमें भेद यह है कि रस-ध्वनि में रस का आस्वादन तत्र होता है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्टि स्थायी भाव उद्बुद्धमात्र को पहुँच जाता है। और, जब अपने अनुभवों से व्यक्त होनेवाले संचारी के उद्बुद्ध से आस्वाद उत्पन्न होता है तब भाव-ध्वनि होती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये।

१ देवता-विषयक रति-भाव

अचकी रात्रि लेहु भगवान् ।

हम अनाथ बैठे द्रुम हरिया पारिध, साधे वान् !

याके दर भागन चाहत हौं ऊपर दुषयो सचान् ।

दुवो भौंति दुख भयो आनि यह कौन उकारे प्रण ॥

सुमिरत ही अहि दस्यो पारिधी सर छुटे संधान् ।

'सूरदास' सर सग्यो सचानहि जै जै कृपानिधान् ॥

यहाँ भगवान् आलम्बन हैं, व्याध का पाण्डुसंधान और ऊपर वाज का उड़ना उदोपन है, स्मरण, चिन्ता, विपाद, श्री-मुख्य आदि संचारी हैं। यहाँ भगवद्विषयक जो अनुराग ध्वनित होता है वह इसी-लिये देव-विषयक रति-भाव या भक्ति कहा जाता है, रस नहीं कहा जाता कि अनुराग एकरूपही है। भक्त संकटापन्न होकर भगवान् को पुरकार करता है, पर भगवान् प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं करते।

१ सभारिणः प्रथमानि देवादिविषया रतिः ।

उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥ साहित्यदर्पण

रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाऽपि ॥

भावः श्रेकस्तदभावात्प्रीवित्यवर्तिताः ॥ काव्य प्रकाश

अब मातृ-भूमि-विषयक रति भी देव-विषयक रति में सम्मिलित मानी जाती है । एक उदाहरण—

वन्दना के इन स्वरोँ में एक स्वर मेरा मिला लो ।
 वन्दिनी माँ को न भूलो
 गग में जय मत भूलो
 अर्चना के रत्न-कण मे एक कण मेरा मिला लो ॥
 जब हृदय का तार बोले
 शृङ्गला के वन्द खोले
 हो जहाँ बलि सीस अगमित, एक सिर मेरा मिला लो ॥

सोहनलाल द्विवेदी

भारत-माता की वन्दना में यह गीत लिखा गया है ।

यहाँ आलम्बन भारत-माता हैं । उसका वन्दन उद्दीपन विभाव है । वक्ता का अनुनय और कथन अनुभाव हैं । हर्ष, श्रोतुमुक्त्य आदि संचारी हैं । इनसे भारत-माता के प्रति कवि का रति-भाव परिपुष्ट होकर व्यंजित होता है ।

‘मान्य हौं तो वही रसखान वसैं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।
 पाहन हौं तो वही गिरि को जो भर्यो कर छत्र पुरंदर धारन ॥
 जौ पशु हौं तो कइ बध मेरो चरैं नित मन्द की धेनु मंभारन ।
 जौ खग हौं तो बसेरो करैं मिलि कालिंदी कूल कदम्बन के टार ॥’—रसखान

यहाँ भी कृष्ण-विषयक रति होने से भाव ध्वनि है

देव-विषयक रति शृंगार रस में सम्मिलित नहीं हो सकती । क्योंकि, वह कामियों के मन में काम-रूप से उद्भूत होती है और भक्तों के हृदय में भक्ति-रूप से । भक्ति को एक रस मानना चाहिये, अथवा नहीं, यह एक विचारणीय विषय है ।

गुरुजन-विषयक रतिभाव

इन सत्रों से महात्मा-गौंधो-विषयक रतिभाव पुष्ट होता है जिसमें आसक्ति, श्रद्धा, प्रेम, पूज्य भाव आदि ध्वनित होते हैं।

गुरुविषयक रतिभाव

बन्दों गुरु पद पदुम परागा, गुरुचि सुबाध सरध अनुरागा । —तुलसी
यहाँ पराग की बन्दना से गुरुविषयक रति-भाव अर्थात् श्रद्धा या पूज्य भाव की ध्वनि होती है।

राजविषयक रतिभाव

‘बिद राखे विदित, पुरान राखे सार युत,
रामनाम राख्यो अति रसना सुघर में।

हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की,

काधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी गर में ॥’—भूपण

यहाँ कवि का शिवाजी महाराज विषयक श्रद्धा भाव ध्वनित होने के कारण राज विषयक रति है।

पुत्रविषयक रतिभाव

माता, पिता तथा गुरुजनों के हृदय में जो स्नेह उमड़ता है उसे वात्सल्य कहते हैं। हिन्दों में हरिऔधजी ने पुष्ट प्रमाणों और उदाहरणों से इसे स्वतन्त्र रस सिद्ध किया है। परन्तु कुछ प्राचीनों ने इसे पुत्र-विषयक रति भाव ही माना है। उदाहरण—

कौशल्या जब धोलन जाई, दुमुक्ति-दुमुक्ति प्रभु चलहि पराई।

निगम नीति सिव अन्त न पाई, ताहि धरे जननी हठि धाई ॥

धूसरि धूरि भरे तनु आये, भूपति विहँसी गोद बैठाये ॥—तुलसी

यहाँ कौशल्या-दशरथ का वात्सल्य पुत्रविषयक रति-भाव ही है।

पुत्रीविषयक रतिभाव

‘उसका रोना’ शीर्षक कविता से—

‘मैं हूँ उसकी प्रकृत संगिनी, उसकी जन्म प्रदाता हूँ।

वह मेरी प्यारी बिटिया है, मैं ही उसकी माता हूँ ॥

तुमको सुनकर चिड़ आती है, मुझको होता है अभिमान।

जैसे भर्षों की पुकार सुन, गर्वित होते हैं भगवान ॥

—सुभद्राकुमारी चौहान

यहाँ बिटिया का रोना सुनकर अभिमान हो आना तथा भक्त और भगवान की उपमा देना आदि बातों से माता का जो वात्सल्य और स्नेह प्रकट है वह पुत्री-विषयक रतिभाव है।

२ उद्बुद्धमात्र स्थायी भाव

‘हर कुठार में अकल कोही, आगे अपराधी गुरु दोही ।

उतर दंत छाहीं बिनु मारे, केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥

न तु यहि काटि कुठार फोटेरे, सुहहि उरिन होतेँ श्रम थोरे ॥—तुलसीदास

धनुष-भंग के बाद लक्ष्मण को व्यंग्यभरो बातों से क्रुद्ध परशुराम ने उपर्युक्त बातें कही हैं । यहाँ आलम्बन, उद्दीपन और अनुभाव आदि के होते हुए भी क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि नहीं हो पायी है । क्योंकि क्रोशिक के शील के आगे क्रोध स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर ही रह जाता है, परिपुष्ट नहीं होता । ऐसे स्थलों में सर्वत्र भावध्वनि ही होती है ।

रति आदि स्थायी भावों के उक्त उदाहरण उद्बुद्धमात्र स्थायी भावों ही के उदाहरण हैं ।

३ प्रधानतया व्यञ्जित व्यभिचारी भाव

सटपटाति सी तसिमुखी, सुख घूँघटपट टाँकि ।

पावक भर सी भसकि कै, गई भरोखा भाँकि ॥ —विहारी

यहाँ नायिका-गत शंका संचारी भाव ही प्रधानतया व्यञ्जित है ।

अतः यहाँ भावध्वनि है ।

उन्नासर्ची किरण

भावाभास आदि

भाव की व्यञ्जना में, जब किसी अंश में अनौचित्य की झलक रहती है तब वे भावाभास कहलाते हैं । जैसे,

दरपन में निज छौंद सँग ललि प्रीतम की छौंद ।

गरी ललाई राम की, ल्याई श्रेणियन माँद ॥ —प्राचीन

यहाँ क्रोध का भाव वर्णित है । पर सामान्य कारण होने के कारण भावाभास है

तेहि अपसर कुचरी तेंद आई बरान विभूजन विविध बनाई ।

ललि रिधि भरेउ लगन लघु भाई बरन अगल पृत आहुत पाई ॥

हुमकि लाल तकि कुचर मारा परि सुँद भरि मदि करत पुकारा ।

कुचर दटेउ कूट कपारा दलित दयन मुन कधिर प्रचारा ॥—तुलसी

यहाँ आश्रय के अनुभाव और आलम्बन की दुर्गति से सफल श्रोक की व्यञ्जना तो है पर आश्रय की महत्ता और आलम्बन की हीनता के कारण श्रोक की अपुष्टि ही नहीं है, उसमें उपहसनीयता भी आ गयी है। अतः यह भावाभास है। यद्यपि 'रिसि' शब्द के प्रयोग से श्रोक की अभिधा हो गयी है पर अन्य व्यापारों से उसकी व्यञ्जना हो जाने से स्वशब्दाच्च्यत्व दोष का अवकाश नहीं है।

जो व्यभिचारी भाव प्रधानता से प्रतीत होते हुए रसाभास का अङ्ग हो जाता है उसे भी भावाभास कहते हैं। जैसे,

सबै विषय बिसरे गई विद्या हू बिललात ।

दिय ते वह अधिदेवि सम हरिननैनि न जात ॥—पु. श. चतुर्वेदी

यह उस प्रयासी पुरुष को उक्ति है जो पूज्य गुरुकन्या में पहले अनुरक्त था। माला, चंदन आदि आनन्ददायक इन्द्रियभोग्य विषयों से विराग, परिश्रम से पड़े हुए शास्त्रों का परित्याग हो जाने पर भी हरिणनयनी का कभो विस्मरण न होना पद्य में वर्णित है। यहाँ स्मृति संचारी ही प्रधान है। अधिदेयता की उपमा, उसकी हृदय में उपस्थिति सर्वदा स्मृति भाव को ही पुष्टि करती है। पर अनुचित आलम्बन—गुरुकन्या में होने के कारण भावाभास है। एकाङ्गो होने के कारण अर्थान् केवल नायक से सम्बद्ध होने के कारण भी भावाभास है। यहाँ प्रधान स्मृति भाव अनूढानिष्ठ-शृंगाररसाभास का अङ्ग हो गया है। अतः भावाभास है। यदि यह हरिणनयनी के नायक की उक्ति हो तो इसके 'भाव ध्वनि' होने में कोई सन्देह नहीं।

दर्पणकार वेश्या आदि में लज्जा आदि दीख पड़ने को भी भावाभास बताते हैं।

भावशान्ति

जहाँ एक भाव दूसरे विरुद्ध भाव के उदय होने से शान्त होता हुआ भी चमत्कार-कारक प्रतीत होता है, वहाँ भावशान्ति होती है। जैसे—

कितौ मनावत पीय तउ मानव नाहिं रिसात ।

अहनचूष धुनि सुनत ही तिय पिय दिय लखदात ॥—प्राचीन

यहाँ प्रियतम के प्रति नायिका का मान (गर्व) प्रकट है। बुझकुट ध्वनि सुनने से आसुक्त्य भाव के उदित होने पर पहला भाव

(गर्व) शान्त हो गया है । इस भावशान्ति में ही काव्य का पूर्ण चमत्कार है । अतः यह भाव-शान्ति है ।

अतीव उत्कण्ठित ग्वाल-वाल हो, सवेग आते रथ के समीप थे ।

परन्तु होते अति ही मलीन थे, न देखते थे जब वे मुकुन्द को ॥—हरिश्चीव
यहाँ ग्वाल-वालों के औत्सुक्य की विषाद भाव से शान्ति है ।

भावोदय

जहाँ एक भाव की शान्ति के बाद दूसरे भाव का उदय हो और उदय हुए भाव में ही चमत्कार का पर्यवसान हो वहाँ भावोदय होता है ।

यह ठीक भाव शान्ति के विपरीत है ।

पिय को पाँव परावती मानवती रिसियाति ।

है निराश पिय जात लखि पुनि पाछे पछिताति ॥—प्राचीन

यहाँ मानिनी नायिका के मान में जो ईर्ष्या-भाव है वह प्रियतम के लाख मनाने पर भी नहीं मिटता; परन्तु जब प्रियतम निराश होकर चला जाता है तब नायिका का ईर्ष्या भाव शान्त हो जाता है और उसके बाद विषाद भाव का उदय होता है । कविता का चमत्कार इसी भावोदय में ही है ।

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि 'भाव शान्ति' में चमत्कार का आस्वादन भाव की शान्ति में होता है, दूसरे भाव के उदय में नहीं । इसके ठीक विपरीत 'भावोदय' में भाव के उदय में ही चमत्कार रहता है, भाव की शान्ति में नहीं । भावोदय में पहले भाव की शान्ति और भावशान्ति में पिछले भाव का उदय होता है ।

हाथ जोष बोला साश्रुनयन महीष यों—

मातृभूमि इस तुच्छ जन को क्षमा करो ।

आज तक खेयी तरी मैंने पापसिन्धु में,

अब लेऊँगा उसे धार में कृपाण की ॥—आर्यावर्त

जयचन्द्र की इस उक्ति में विषाद भाव की शान्ति है और उत्साह भाव का उदय है । विषाद के व्यञ्जक 'साश्रु नयन' और 'क्षमा करो' पद हैं । उत्साह अन्तिम चरण से व्यक्त है ।

भाषसन्धि

जहाँ एक साथ तुल्यबल एवं सम चमत्कारकारक दो भावों की सन्धि हो वहाँ भावसन्धि होती है । जैसे—

छुटे न लाज न लालचौ प्यौ लखि नैहर मेह ।

सटपटात लोभन खरे भरे संकोच सनेह ॥—विहारी

नायिका अपने नैहर में है। नायिका के पतिदेव अपनी ससुराल आये हैं। नायिका पति से मिलना चाहती है—परन्तु गुरुजनों के बीच लज्जा और संकोच से ऐसा नहीं कर सकती। इसलिये उसके नयन (गुरुजनों के) संकोच और (प्रियतम के) स्नेह दोनों से भरे हैं। इसलिये यहाँ स्नेह और लज्जा दोनों भाव सम कोटि का चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अतः भाव-सन्धि है।

विष विद्धुरन को दुसह दुख हरपि जात प्यौवार ।

दुरजोधन लौं देखियत तजत प्रान इहि बार ॥—विहारी

यहाँ भी नायिका के मन में नैहर जाने का दुर्ष तथा पति के वियोग का विपाद दोनों भाव समान रूप में चमत्कारक हैं।

उत रणभेरी बजत इत रंगमहल के रंग ।

अभिमन्यु मन ठिठकिगो जस उतंग नभ चंग ॥—प्राचीन

यहाँ भी अभिमन्यु की रण-यात्रा के समय एक ओर रंगमहल की रंग-रेलियों को स्मरण और दूसरी ओर रणभेरी बजने का उत्साह—ये दोनों भाव समान रूप से चमत्कारक हैं। अतः यह भी भाव-सन्धि का ही उदाहरण है।

भावशबलता

जहाँ एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा—इसी प्रकार कई समान चमत्कारक भावों का सम्मेलन हो, वहाँ भावशबलता होती है। जैसे,

कौन सा दिखाऊँ दृश्य वन का बता मैं आज ।

हो रही है आलि ! मुझे चित्र रचना की चाह !

नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े,

अम्बु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे है थाह ॥

किंवा वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे आह ?

तलवे से कंठन निकालते हों ये कराह ?

अथवा भुकाये खड़े हों ये लता और जीजी,

फूल ले रही हों प्रभु दे रहे हों वाह वाह ! ॥—गुमजी

गिरह में ऊर्मिला की उक्ति सखी से है कि आज मैं चित्र बनाना चाहती हूँ जिसमें यह दृश्य रहेगा।

खिला दो ना, हे माधुप कुमारी ! मुझे भी अपना मीठा मान—

कुसुम के लुने बजोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधु पान ।—पंत

मधुपकुमारी—भाल मधुमरी के मधुर गान पर मुग्ध होकर कवि एराकी मनुहारें करता है जिससे एराकी कविता में भी शुद्धजार-री मिठरा हो । यहाँ के 'ना' निपात पदांश से कवि का आन्तरिक अनुनय वितय प्रकट है, जिससे दैन्य भाव की ध्वनि होती है । 'ना' लिखकर कवि ने अपने असुरोध का अन्त कर दिया है । 'ना' के प्रयोग से कवि की लसि में असुरोधात्मक बालभावित की-री मधुरता और सुकुमारता है ।

३ वाक्यगत असंतानव्यवस्थायंघ

'ब'धां पर के बड़े बाल से बने अहो । आँतों के जाल ।

फुलों की बंद बरगला भी हुई सुन्दराला सुविशाल ॥

गोल गोल पल्लवकर राहसा, बने मिर्चों के छत्तों से ।

दिलने लगे लप्या राँतों से ओठ लपलप लसों से ॥—सुम जी

सूर्यगुला जब अपने प्रेममय मायाजाल से निराश हो गयो, तब एराने जो रूप धारण किया एराका यह वर्णन है । यहाँ आँतों के जाल के बाल बने, मिर्चों के छत्तों से गाल बने आदि, प्रत्येक वाक्य से अमानकता की ध्वनि होती है । धरास्थिसे यहाँ वाक्यगत रस-ध्वनि है ।

लारका लेवे के मिसनि, लंवर भो दिग आह ।

मयी अचानक आँसुरी, छाती छैल ह्दुआह ॥—विहारी

नायिका की लसि अपनी आँतरंग राखी से है । 'मयी अचानक आँसुरी छाती छैल ह्दुआह' द्वारा वाक्य से स्थायी भाव रति की व्यञ्जना होती है । किन्तु यहाँ नायिका परकीया है । अतः यह लदाहरण भावा-भार का होगा । लसि के वाक्य से यह ध्वनित होता है । अतः वाक्यगत है ।

किन्तु, यदि यहाँ नायिका किसी अपनी अन्तरंग राखी से न कह-कर किसी ऐसी नायिका से कहती हो जो एरा नायक के प्रति स्वयं भी असुरक्त हो तब यहाँ अन्तिम वाक्य से नायिका का केवल 'मयी' राखारी भाव ध्वनित होगा और यह लदाहरण वाक्यगत भावाभार का हो आयगा ।

इक्कीसवीं किरण

रचनागत और वर्णगत असंलक्ष्यक्रमभ्रान्ति का विचार

रचना के प्रधानतः तीन भेद होते हैं—(१) वैदर्भी (उपनागरिका वृत्ति) में माधुर्यगुणव्यञ्जक वर्णों की, (२) गौड़ी (परुषा वृत्ति) में ओजोगुणव्यञ्जक वर्णों की और (३) पाञ्चाली (कोमला वृत्ति) में इन दोनों में प्रयुक्त वर्णों की रचना रहती है। इनसे ही माधुर्य और ओज गुणों की मृष्टि होती है। पर प्रसाद गुण अपने स्वरूप में सर्वत्र वर्तमान रह सकता है।

इनके अतिरिक्त रचना की 'लाटी' नाम से एक और भेद है जो वैदर्भी और पाञ्चाली के बीच की वस्तु है।

शृङ्गार रस में वैदर्भी और पाञ्चाली का, करुण, भयानक और अद्भुत रस में लाटी का और रोद्र रस गौड़ी का और अन्यत्र कधि-रुचि के अनुकूल इनका रचना में प्रयोग होता है। इन्हे रीति भी कहते हैं।

रोतियाँ प्रायः गुण-समानाधिकरण होती हैं। गुणों में वर्णों की प्रधानता रहती है और गुण रस के सहचारी हैं। अतः वर्ण और रचना की भ्रान्ति में गुणों की व्यंग्यता के साथ ही रस की व्यंग्यता होती है। एक ही व्यञ्जना के लिये दूसरे की व्यञ्जना अपेक्षित रहती है। इससे इनका एक प्रकार से संकार्य हो जाता है।

रसगंगाधरकार वर्ण और रचना को व्यञ्जक नहीं मानते। वे रागगत और छन्दोगत नामक दो अन्य प्रकार मानते हैं। उनका कहना है कि इनके विषय में सहृदयों का हृदय ही प्रमाण है। यदि इस विषय में उनका यही अनुभव है तो इनमें भी व्यञ्जना स्वीकार करनी चाहिये।

वर्ण और रचना के सम्बन्ध में पंडितराज का विचार 'हिन्दी रस गंगाधर' से यहाँ उद्धृत किया जाता है—

“रचना और वर्ण यद्यपि पदों और वाक्यों के अन्तर्गत होकर ही व्यञ्जक होते हैं, क्योंकि पृथक् रचना और वर्ण मात्र तो व्यञ्जक पाये नहीं जाते, तथापि यह कहा जा सकता है कि वैसे रचना और वर्ण में युक्तपद और वाक्य व्यञ्जक होते हैं। जो उनकी व्यञ्जकता में जो पदार्थ विशेष रूप से रहनेवाले हैं, उन्हीं में इनका भी प्रवेश हो जाता है, अतः इन्हें स्वतन्त्र रूप से व्यञ्जक मानने की आवश्यकता नहीं रहती। तथापि पदों और वाक्यों से युक्त रचना और वर्ण व्यञ्जक हैं अथवा रचना

और वर्यो से युक्त पद और वाक्य, इन दोनों में से एक बात को प्रमाणित करने के लिये कोई साधन नहीं है, इस कारण प्रत्येक की व्यंजकता सिद्ध हो जाती है' । X X

“प्राचीन विद्वानों के इस मत को नवीन विद्वान नहीं मानते । वे कहते हैं कि ‘वर्यो और उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार की वैदर्भी आदि रचनायें माहुर्य आदि गुणों को ही अभिव्यक्त करती हैं, रस को नहीं, क्योंकि ऐसा मानने में एक तो वर्यो ही रसादिकों के व्यंजकों की संख्या बनती है, दूसरे शब्दों में कोई प्रमाणा भी नहीं ।’..... सरंश यह कि वर्यो और रचनाओं को रसों का व्यंजक मानना ठीक नहीं, उन्हें केवल गुणों का व्यंजक मानना चाहिये’ ।

बाइसवीं किरण

१ रचनागत और २ वर्योगत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि

४ रचनागत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि

रचना का अर्थ विशिष्ट पद-संघटन वा ग्रन्थन है ।

ऊर्गत श्लोक मनोज के परस्ति विद्या के गात ।

पर होत पुरैत के जन्दन पंक्ति पत ॥—मतिराम

श्रिया के गात का स्पर्श करके कामदेव की ज्वाला के कारण चन्दनलिप्त पद्म-पत्र भी पापड़ हो जाते हैं । इस वाच्यार्थ-बोध के साथ ही विप्रलम्भ शृंगार ध्वनित होता है । यह ध्वनि किसी एक पदसे या किसी एक वाक्य से ध्वनित न होकर रसानुकूल असमस्त पदोंवाली साधारण रचना द्वारा होती है । अतः यहाँ रचनागत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि है ।

श्रीति करे कालू लुख न लखो ।

श्रीति पतंग क्यी दीक सों अपनी देह दखो ॥

अलिखत श्रीति करे जलजुन सों संघति हाथ गयो ।

सरंग श्रीति लु करी नाद सों सन्मुख बान लयो ॥

हन जो श्रीति करी माधव सो बलत न कबू कयो ।

‘सरयवत’ प्रभु बिहु दुख दूजो नैनि भीर बयो ॥

इस पद्य में ऊपर के कई असमस्त और एक दो समस्त पदोंवाले दृश्यों से पुष्ट हुई अन्तिम दो पंक्तियों में ब्रह्मित गोपियों की दशा से विप्रलम्भ शृंगार ध्वनित होता है ।

व्ययुक्त दोनों वृदाहरण प्रसाद गुण की रचना के हैं ।

रचना का अर्थ रचना-गत नाद-व्यञ्जना भी बतलायी जाती है। अर्थात् जहाँ रचना-वैचित्र्य के कारण ही कोई रस-ध्वनि प्रतीत होती हो वहाँ रचनागत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। जैसे,

निकसत म्यान ते मयूखें प्रलै-मानु कै सी ,
 फारे तम तोम मे गयन्दन के जाल को ।
 नागन लपटि कंठ वैरिन के नागिनि सी ,
 हृदि रिभावै दै डै मु'डन के माल को ॥
 लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहु बली ,
 कहीं लों बखान करौं तेरी करवाल को ।
 प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काटि ,
 कालिका नौ किलकि करेज देत काल को ॥—भूपण

उपर्युक्त रचना के पढ़ने से ही हृदय के भीतर उत्साह भाव अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच जाता है और वीर रस का आस्वाद मिलने लगता है। यह आस्वाद रचना की विचित्रता से ही होता है। इसको श्रोजोगुणमयी रचना कह सकते हैं।

रचना-गत वैचित्र्य में माधुर्य, श्रोज तथा प्रसाद गुण के व्यञ्जक वर्ण बहुत बड़े सहायक होते हैं। ऐसे वर्णों के द्वारा ही रचना में विचित्रता आती है। तथापि वर्णगत ध्वनि, जो वर्णों की विशेषता के कारण होती है, रचनागत ध्वनि के अन्तर्गत प्रकारान्तर से आ जाती है। अतएव दोनों की पृथक् सत्ता मानना वैसा महत्त्व नहीं रखता।

५—वर्णगत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि

कविता के अनेक वर्णों से भी रसध्वनि होती है। जैसे,

रस सिंगार मंजु किये कंजु भंजु देन ।

अंजु रंजु हँ बिना खंजु गंजु नैन ॥—बिहारी

कंजों के भी मानभंजन करनेवाले नयन बिना अंजन के भी खंजन से बढ़कर चञ्चल हैं। यहाँ माधुर्यव्यञ्जक वर्णों द्वारा रति भाव की जो ध्वनि है वह वर्णगत है।

‘कंकण त्रिकिणि नूपुर धुनि सुनी । कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥’

यहाँ राम के मानस में सीताविषयक जो रति जाग्रत-सी लगती है और उससे जो शृंगार रस का आस्वाद होता है। उसके व्यञ्जक प्रथमार्ध के माधुर्यव्यञ्जक वर्ण भी हैं। अतः यहाँ शृंगार रस की ध्वनि वर्णगत है।

ध्वनिकार ने ऐसा नहीं लिखा कि यह ध्वनि विशेष-विशेष प्रबन्धों ही में मिल सकती है, सर्वत्र नहीं ?

काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका में प्रबन्ध का ऐसा लक्षण लिखा है—‘परस्पर-सम्बन्ध अनेक वाक्यों वा विविध-वाक्यों का समुदाय ही प्रबन्ध है । वह प्रन्ध रूप भी हो सकता है और उसका अन्तर प्रकरण-रूप भी’ प्रदीपकार ने इस प्रकार संघटित-नाना-वाक्य-समुदाय को प्रबन्ध बताकर लगे हाथ उसके दो भेद भी कर डाले हैं । उनके मत से संघटित नाना-वाक्य-समुदाय या तो प्रन्ध होगा या उसके अन्तर्गत उसका कोई प्रकरण । जैसे समस्त महाभारत शान्त रस का और उसका एक प्रकरण गृध्र-गोमायु-संवाद वस्तु का व्यञ्जक है । साहित्य-दर्पण में प्रबन्ध को महावाक्य कहा है । इसका भी वही अर्थ है—संघटित-नाना-वाक्य-कदम्ब-स्वरूप ।

जिस समय ये काव्य-शास्त्र बने उस समय वर्तमान काल के समान लघुकाय प्रबन्धकाव्यों या गीतिकाव्यों की न तो पृथक्-रचना होती थी और न उनपर दृष्टि रखकर किसी भेद की कल्पना की गयी थी । यही कारण है कि आचार्यों ने भेद तो किये किन्तु उदाहरण न दे सके । विविध-अनेक-वाक्यों का समुदाय लक्षण होने से उदाहरण-स्वरूप प्रबन्ध बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी । एक से अधिक वाक्य भी तो अनेक हो सकता है । इससे एक पद्य भी प्रबन्ध कहा जा सकता है । किन्तु प्रबन्ध को इतने संकुचित क्षेत्र में मानना प्रबन्ध का महत्त्व नष्ट करना है ।

रसगंगाधरकार संलक्ष्यक्रम के प्रबन्धगत भेद नहीं मानते । वे संभवतः अनेक वाक्यों से व्यक्त होनेवाले व्यंग्य को भी वाक्यगत ही मानते हैं और बड़े-बड़े प्रबन्धों से या प्रन्धों से किसी एक ही वस्तु या अलङ्कार की प्रतीति का समर्थन करना वर्णित विषयों का महत्त्व नष्ट करना समझते हैं ।

काव्यकल्पद्रुम को भी प्रकाश या दर्पण में उद्धृत श्लोकों का अनुवाद उदाहरण में देना था । अतएव उन प्रन्धों का स्वसंमत आशय लेकर यह लक्षण भी दे दिया कि ‘यह प्रबन्ध-ध्वनि एक वाक्य या

१ अनुत्त्वानोपमात्माऽपि प्रभेदो य उदाहृतः ।

ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते येषु वेपुचित ॥ ध्वन्यालोक

२ प्रबन्धश्च संघटित-नान-वाक्य-समुदायः ।

छ च प्रन्धरूपस्तद्वान्तरप्रकरणरूपश्च ॥ काव्य-प्रदीप

सहृदय जन के जो कण्ठ का हार होता ।
मुदित मधुकरी का जीवनाधार होता ॥
वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है ?
नियति ! नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है ॥४॥

—रूपनारायण पाखंडेय

इसमें आलम्बन विभाव दलित कुसुम है । उद्दीपन हैं उसका धूल
में पड़ना, लतिका की गोद सूती होना । अनुभाव हैं माली का
तड़पना, आँसू का बहाना, मालिन का दुःख । संचारी हैं दैन्य, मोह,
चिन्ता, विषाद आदि । इनसे स्थायी भाव शोक परिपुष्ट होता है जिससे
करुण रस ध्वनित होता है ।

शरणागत

छुद्र-सी हमारी नाव चारों ओर है समुद्र,
वायु के झकोरे उग्र रुद्र रूप धारे हैं ।
शीघ्र निगल जाने को नौका के चारों ओर
सिन्धु की तरंगें सौ सी जिह्वायें पसारे हैं ॥
हारे सभी भौंति हम अब तो तुम्हारे बिना
भूटे ज्ञात होते और सब के सहारे हैं ।
और क्या करें अहो ! डुबा दो या लगा दो पार,
चाहो जो करो शरण्य । शरण्य तुम्हारे है ॥
सुनसान कानन भयावह हैं चारों ओर,
दूर दूर साथी सभी हो रहे हमारे हैं ।
काँटे बिखरे हैं, कहाँ जावें जहाँ पावें ठौर,
छूट रहे पैरों से रुधिर के फुहारे हैं ॥
आ गया कराल रात्रि-काल हैं अकेले यहाँ
हिंस्र जन्तुओं के चिह्न जा रहे निहारे हैं ।
किसको पुकारें यहाँ रोकर शरण्य बीच

शृङ्गार प्रधान प्रिय-प्रयास आदि काव्य आते हैं। इनमें उक्त रसों की ध्वनि है।

पचासवीं किरण

संलक्ष्यक्रम व्यंग्य—ध्वनि

जहाँ अभिधा द्वारा वाच्यार्थ का स्पष्ट बोध होने पर क्रम से व्यंग्यार्थ संलक्षित हो, वहाँ संलक्ष्यक्रम व्यंग्य--ध्वनि होती है।

यहाँ भी व्यंग्यार्थ-बोध के लिये वाच्यार्थ की विवक्षा रहती है, अतः यह विवक्षितान्यपर-वाच्य का दूसरा भेद है।

ध्वनि का उद्धान कहीं शब्द से, कहीं अर्थ से और कहीं दोनों की सम्मिलित शक्ति से होता है। ध्वनित होनेवाले पदार्थ रस, अलंकार और वस्तु—ये तीन हैं जिनका संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा चुका है। इनमें रस-ध्वनि का अर्थ से उसी प्रकार संबन्ध है जिस प्रकार गन्ध का गन्धवाह से। इसमें अर्थ-प्रतीति के बाद प्रतीत होने वाली अन्यान्य ध्वनियों के जैसा क्रम नहीं लक्षित होता। इसीलिये इस रस-ध्वनि को असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य कहा जाता है, जैसा कि इसके बारे में पहले पर्याप्त लिखा जा चुका है।

अलंकार और वस्तु को ध्वनन करनेवाली ध्वनि इससे भिन्न है। उसमें शब्द से अर्थ के प्रतीति के अनन्तर अनुसन्धान करने पर व्यंग्य का बोध होता है। जिस प्रकार घंटा ठोकने पर मूल शब्द के बाद एक प्रकार का अनुगामी जो गुंजन उठता है, प्रथम महान् शब्द के अनन्तर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर रूप से जो मधुर भंकार प्रतीत होती है; उसी प्रकार साधारण अर्थ के अनन्तर जो अलंकार और वस्तु रूप से व्यंग्य प्रतीत होता है उसे 'अनुरणनध्वनि' कहते हैं। अनुरणन का अर्थ है पीछे से होनेवाली गूँजा अलंकार और वस्तु की ध्वनि इसी प्रकार की होती है और इसमें पूर्वापर का क्रम लक्षित होता रहता है। इसीलिये इसे 'संलक्ष्यक्रम व्यंग्य' कहा गया है। जैसे—बाल काटने के समय नाई जो कैंची चलाता है और उससे जो केश कटते हैं उनका कार्य अत्यन्त सम्मिलित होने पर भी संचालन और केशच्छेदन का प्रामाणिक ज्ञान परिलक्षित होता रहता है।

संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के तीन भेद हैं—शब्द-शक्त्युद्भव-अनुरणन-ध्वनि, अर्थशक्त्युद्भव-अनुरणन-ध्वनि और शब्दार्थोभयशक्त्युद्भव-अनुरणन-ध्वनि ।

१—शब्दशक्त्युद्भव अनुरणन-ध्वनि

जहाँ वाच्यार्थ-बोध होने के बाद व्यंग्यार्थ का बोध जिस शब्द द्वारा होता है उसके बोध कराने की शक्ति केवल उसी शब्द में हो, उसके पर्यायवाची शब्द में नहीं, वहीं यह ध्वनि होती है ।

इसके चार भेद हैं—१-पदगत वस्तुध्वनि, २-वाक्यगत वस्तुध्वनि, ३-पदगत अलंकार-ध्वनि, और वाक्यगत अलंकार-ध्वनि ।

१—पदगत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम वस्तुध्वनि

वस्तु-ध्वनि उसे कहते हैं जहाँ व्यञ्जना किसी वस्तु अर्थात् बात की होती हो । अलंकार के अतिरिक्त सब व्यंग्य-विषय वस्तुध्वनि में ही सम्मिलित हैं । जब यह वस्तु-विषयक ध्वनि किसी पद के द्वारा व्यञ्जित हो तथा उसका क्रम संलक्षित होता हो तब वह 'पदगत' शब्दशक्ति-मूलक संलक्ष्यक्रम वस्तुध्वनि कहलाती है । जैसे,

चिरजीवी जोरी जुरै क्यों न सनेह गंभीर ।

को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के बीर ॥—विहारी

इस जोड़ी का स्नेह अत्यन्त गंभीर क्यों न हो, जब कि राधिका 'वृषभानु' की लड़की ठहरी और कृष्ण 'हलधर' (बलदेव) की भाई ठहरे । इनमें कोई घटकर नहीं है । इसलिये ऐसी जोड़ी युग-युग जीवे ।

इस वाच्यार्थ के बोध हो जाने पर ही 'वृषभानुजा' और 'हलधर' शब्द के श्लेष से यह ध्वनि होती है कि 'वृषभ' (बैल) की 'अनुजा' (वहिन) राधिका और हलधर (बैल) के भाई कृष्ण की जोड़ी खुद बनी है । क्योंकि, दोनों का सम्बन्ध बहुत निकट का है । इसलिये इनकी प्रीति में अत्यन्त गंभीरता है । ऐसी जोड़ी युग-युग जीने के लायक है ।

उपर्युक्त वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ बोध का पूर्वापर-संबन्ध पूर्णरूप से स्पष्ट है । यहाँ वाच्यार्थ के बाद जो व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, वह यदि 'वृषभानुजा' और 'हलधर' शब्दों के स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द रख दिये जायें तो श्लेष नष्ट हो जाने के कारण उपर्युक्त

व्यंग्यार्थ का बोध ही नहीं होगा। इसलिये ऐसे व्यंग्य शब्द, शक्त्युद्भव कहलाते हैं। जिस व्यंग्यार्थ का बोध हुआ है, वह 'बैल की बद्धि' और 'बैल का भाई' वस्तु रूप ही है; क्योंकि अलंकार से शून्य है। यहाँ वृषभानुजा और हलधर पदों में होने के कारण पदगत है। अतः पदगत-शब्दशक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रम ध्वनि का यह उदाहरण है।

जो पहाड़ को तोड़-फोड़कर बाहर कढ़ता।

निर्मल जीवन वही सदा जो आगे बढ़ता ॥—राम

उक्त पंक्तियों का वाच्यार्थ है कि पहाड़ को तोड़-फोड़कर उसके अंतर से निकलनेवाला जीवन (पानी) प्रवाहित होता हुआ ही निर्मल हुआ करता है। इस वाच्यार्थ के बाद 'जीवन' शब्द के श्लेष द्वारा यह व्यंग्यार्थ बोध होता है कि मनुष्य का वही जीवन पवित्र तथा गतिशील होता है जो पहाड़ जैसी विपत्तियों को भी रौंदकर आगे बढ़ता ही जाता है। यहाँ व्यंग्यार्थ-बोध में 'जीवन' शब्द से मनुष्य के जीवन का जो बोध हुआ, वह वस्तु-रूप ही है। अतः यहाँ भी 'जीवन' पद में होने से उक्त ध्वनि पदगत ही है।

कुमुदिनि हिय प्रमुदित भई, सौंम कलानिधि जोय।—प्राचीन

संध्यासमय चन्द्रमा को देखकर कुमुदिनी प्रसन्न हुई। यह वाच्यार्थ हुआ। इसमें 'कलानिधि' शब्द के श्लेष में कलाकृत्स्न नन्द को देखकर कुमुदिनी-रूपिणी वियोगिनी नायिका प्रसन्न हुई। यह वस्तु-रूप ध्वनि होती है।

२. वाक्यगत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि

यह जो बन तरुण तु रचिर,

पी पर पा कर पूर्ण।—राम

पराये प्रियतम) तुम्हें 'पाकर' (प्राप्त कर) यह जोवन (हमारा यौवन) आज पूर्ण (परिपूर्ण) हो गया ।

दूसरा व्यंग्यार्थ भी यहाँ वस्तुरूप ही है और वाच्यार्थबोध के बाद श्लिष्ट शब्दों की शक्ति द्वारा ही उसका बोध होता है । यहाँ व्यंग्यार्थ-बोध वाक्य के द्वारा हुआ है, किसी एक शब्द से नहीं । अतः यह वाक्यगत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम का उदाहरण है ।

बाल-बेलि सूखी सुखद, यहि हूखे हल धाम ।

फेरि डहडही कीजिये सुरध सीध घनश्याम ॥

यहाँ भी 'घनश्याम' 'सुरस' 'बालबेलि' शब्दों के श्लेष से हे कृष्ण अपने सरस स्नेह से मुरझाई हुई बाला को आभ्यासित कीजिये, इस वाच्यार्थ द्वारा यह वस्तु ध्वनित होती है कि हे जलधर, सूखी नवल लता को पानी बरसा कर हरी-भरो कीजिये । यहाँ भी समस्त वाक्य द्वारा ही व्यंग्यार्थबोध होता है ।

३. पदगत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम अलंकारध्वनि

जहाँ वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर किसी पद की शक्ति द्वारा अलङ्कार का व्यंग्यार्थरूप में बोध होता हो वहाँ उक्त ध्वनि होती है ।

इस ध्वनि में व्यंग्यार्थरूप में आया अलङ्कार स्वयं अलङ्कार न रहकर अलङ्कारणीय हो जाता है अर्थात् यह दूसरे का शोभाधायक न रहकर दूसरे से ही शोभित होता है । जैसे,

चढ़ मृत्यु-तरणि पर तूख चरण

कह—पितः पूर्ण आलोक वरण

करती हूँ मैं, यह नहीं मरण

'सरोज' का ज्योतिः शरण—तरण । —निराला ।

'सरोज' नाम की लड़की ने क्षिप्र चरणों से मृत्यु की तरणि पर चढ़ कर और यह कहकर अपनी जीवन-लीला समाप्त की कि—हे पितः, मैं पूर्ण प्रकाश का ही वरण करती हूँ, मेरा यह मरण नहीं है । यह तो 'सरोज' का ज्योति में (प्रकाशमय ब्रह्म में) मिलना है—यह मेरा तरण है ।

कविता की सूक्ष्म चारोंकियों को न दिखाकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उपर्युक्त वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर एक 'सरोज'

पर द्वारा यह व्यंग्यार्थ-बोध होता है कि—‘सूर्य की किरणों से जीने-वाला सरोज (कमल) उस जीवन देनेवाली महाकिरणों में मिल जाय तो उसका नाश—मरण नहीं कहना चाहिये । उसी तरह परब्रह्म से उद्भूत यह मेरा जीवात्मा आज उसी परम प्रकाशमय अपने ब्रह्म में मिल रहा है ।’ यहाँ व्यंग्यार्थ अपने वाच्यार्थ के द्वारा दृष्टान्तालंकार के रूप में परिणत होकर प्रतीत हो रहा है । इस दृष्टान्त अलङ्कार-ध्वनि का एकमात्र आविर्भावक शब्द है—सरोज । अतः यह पदगत शब्द-शक्ति-मूलक संलक्ष्यक्रम अलंकार-ध्वनि का उदाहरण है ।

४—वाक्यगत शब्द-शक्ति-मूलक संलक्ष्यक्रम अलंकारध्वनि

चरण धरत चिंता करत कवि, व्यभिचारी, चोर ।

सुवरन को ढूँढ़त फिरत भावे भोर न सोर ॥—प्राचीन

इस पद्य के चरण, चिंता, भोर, सोर और सुवरन श्लिष्ट हैं और कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीनों के क्रियायुक्त होकर विशेषण होते हैं । जैसे, सुवरन का अर्थ कवि के पद्य में सुन्दर वर्ण, व्यभिचारी के पद्य में सुन्दर रंग और चोर के पद्य में सोना, तीनों ढूँढ़ते रहते हैं । इससे एक दूसरे के समान होने के कारण उपमा अलङ्कार की ध्वनि निकलती है ।

धरणी धारण के लिये तुम्ही आजकल शेष ।—प्राचीन

हे राजन् आजकल तुम्हीं पृथ्वी की रक्षा करने के लिये शेष रह गये हो । अर्थात्—सम्पूर्ण पृथ्वी के रक्षक तुम्ही बच रहे हो ।

इस वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर पृथ्वी के धारण करने के लिये तुम्हीं आजकल शेषनाग हो, यह भी एक अर्थ भासित होता है । यहाँ ‘धरणीधारण’, ‘शेष’ शब्द वाले सम्पूर्ण वाक्य से यह उपमा-ध्वनि होती है कि शेषनाग की तरह तुम्हीं इस कराल काल में भी पृथ्वी की रक्षा कर रहे हो ।

जहाँ वारुणी की करी रंचक हवि द्विजराज ।

तहाँ कियो भगवंत विन सपति शोभा साज ॥—प्राचीन

जैसे ही चन्द्रमा ने पश्चिम (वारुणी) दिशा की ओर जाने का रुख किया वैसे ही भगवान् सूर्य ने उसे वैभवहीन तथा शोभा-सज्जा-हीन बना दिया । इस प्रस्तुत वर्णनात्मक वाच्यार्थ से ‘द्विजराज’, ‘भगवंत’, ‘वारुणी’ आदि श्लिष्ट शब्दों से युक्त वाक्य के द्वारा अप्रस्तुत भावार्थ-विषयक

जहाँ पद से स्वतःसंभवी वस्तु के द्वारा वस्तुरूप व्यंग्य का बोध होता हो, वहाँ उपर्युक्त ध्वनि होती है। जैसे—

मान करत बरजति न हौं, उलटि दिवावति सौह ।

करी रिसौही, जाइगी सहज हंसौही भौह ॥—विहारी

यहाँ केवल 'हंसौही' शब्द ही अपने स्वाभाविक अर्थ द्वारा नायिका की सुशीलता, प्रेमपरायणता, रसिकता आदि वस्तुरूप व्यंग्य सूचित करता है। यहाँ 'हंसौही'—हंसनेवाला वस्तुरूप वाच्यार्थ में और उससे प्रतीत होनेवाली रसिकता आदि ध्वनि में कोई अलंकार नहीं है। भौं का विरोध 'हंसौही'-कवि कल्पित नहीं, बल्कि व्यावहारिक और स्वाभाविक भी है। अतः इस हंसनेवाली स्वतःसंभवी वस्तु से नायिका की सुशीलता आदि वस्तुरूप व्यंग्य है। केवल 'हंसौही' एक पद से इन वस्तुरूप ध्वनि की प्रतीति होती है। अतः उक्त ध्वनि का स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ 'हंसौही' शब्द ऐसा नहीं कि इसके पर्यायवाची शब्द देने पर उक्त व्यंग्य का बोध नहीं हो। अतः अर्थशक्तिमूलक है।

मुनि मुनि प्रीतम आलसी, धूर्त, सूम, धनवन्त ।

नवल बाल हिय में हसल बाढ़त जात अनन्त ॥—दास

यहाँ जिन बातों को सुनकर नायिका के हृदय में अनन्त हर्ष होता है, वे सब बातें उक्त शब्दों के साधारण अर्थरूप में वस्तु हैं। नायिका अपने पति के 'आलसी' होने से इस वस्तुरूप व्यंग्यार्थ को समझती है कि वह कभी विदेश न जायगा और न कभी वियोग होगा। 'धूर्त' होने से यह वस्तु व्यञ्जित है कि वह कभी किसी के बहकाने में नहीं आयेगा। धनी होने पर भी 'सूम' है, इस वस्तु से यह इस वस्तुरूप व्यंग्यार्थ पर पहुँचती है कि हमें कभी धन का अभाव नहीं होगा। इन्हीं व्यंग्यार्थों के बोध से उसे अत्यन्त हर्ष होना समुचित है। इन सब जगहों में कहीं कोई अलंकार नहीं। केवल प्रत्येक पदगम्य वस्तु से व्यंग्य रूप में एक-एक वस्तु का बोध होता है। अतः यह भी पदगत अर्थशक्तिमूलक का ही उदाहरण है। यहाँ भी शब्दों की शक्ति से उक्त व्यंग्य नहीं निकलते; बल्कि अर्थशक्ति के कारण ही। ये सब बातें स्वतः संभवी भी हैं।

२-वाक्यगत स्वतःसंभवी अर्थमूलक वस्तु से वस्तुध्वनि

कोटि मनोज लज्जान धारे, सुमुखि । कहहु को अइहि तुम्हारे ।

सुनि सनेहमय मंजुल बानी, सकुचि सीय मन महुँ सुसकानी ॥-तुलसी

प्राम-बन्धुओं के प्रश्न को सुनकर सीता का संकोच करना और अन्दर ही अन्दर सुसकाना, इस वाक्यगत वाच्यार्थ द्वारा 'रामचन्द्र' का पति होना व्यंजित है। पति-कोच का व्यंग्य किसी एक पद द्वारा नहीं होता, बल्कि 'सकुचि सीय मन महुँ सुसकानी' इस वाक्य के अर्थ द्वारा। वाच्य और व्यंग्य दोनों निरलंकार हैं और वाच्य स्वतः संभवी है। अतः यह उदाहरण वस्तु से वस्तुव्यंग्य का है।

नित प्रति एकत ही रहत वैस वरन मन एक ।

बहियत जुगल किशोर लखि लोचन जुगल अनेक ॥—विहारी

राधा, कृष्ण, दोनों सदा एक साथ रहते हैं। दोनों की अवस्था रूप, रंग और मन एक से हैं। ऐसे युगल जोड़ी को देखने के लिये आँखों के असंख्य जोड़े चाहिये।

इस वर्णन रूप वस्तु से जो सोन्दर्यातिशय ध्वनित होता है। वह दोहे के उत्तराद्ध के संपूर्ण वाक्य से है। यहाँ शोभाधिक्य के व्यंजक केवल 'अनेक' शब्द को ही मानें तो यह पद्यगत का भी उदाहरण हो जायगा।

३ प्रबन्धगत स्वतःसंभवी अर्थमूलक वस्तु से वस्तु ध्वनि

धूके, मुझपर त्रैलोक्य भले ही धूके। जो कोई कुछ कह सके, कहे, क्यों चूके ?
छोने न मातृपद किन्तु भरत का मुझसे। हे राम, दुहाई कहुँ आज क्या तुझसे ?
कहते आते थे यही अभी नर देही। माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही।
अब कहे सभी यह हाय ! विरह विधाता। हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता।

साकेत में अनुतता कैकयी की ये उक्तियाँ हैं

यहाँ प्रबन्धगत जो वाच्यार्थ है, वह वस्तुरूप है। इससे यह वस्तु-रूप व्यंग्य निकलता है कि मैंने जो कुछ किया वह पुत्र की हितकामना से किया, अपना कर्तव्य समझकर किया। लोकनिन्दा को मुझे परवाह नहीं। यदि परवाह है तो इसकी ही को भरत की माता बनो रहूँ। सो बनी ही रहूँगी, क्योंकि मेरे मातृपद को कोई छोने नहीं सकता। यह भरत की नासमझी है जो मुझे कुमाता समझता है। अच्छा, वह पाक-साफ बना रहे। मैं कुमाता ही सदा। इसमें कोई बात कवि-कल्पित नहीं, स्वतःसंभवी है।

४ पदगत स्वतःसंभवी अर्थमूलक वस्तु से अलंकार-ध्वनि

मनसा वाचा कर्मणा करि कान्हर से प्रीति ।

पारवती सीता सती रीति लई तुम जीति ॥—दास

अर्थ स्पष्ट है। 'कान्हर' से प्रीति करना बड़ा काम है। जो उनसे न हुआ वह तुमने किया। यह व्यतिरेक अलंकार के चुनाव में ही है, अतः 'कान्हर' पद बड़ा सर्वाय व्यञ्जक है उसीसे व्यतिरेकालंकार ध्वनित है।

तुम्ह वल्लभ अधरा रह्यो मलिन कमल दल प्रात ।

नवल बधू सुनिकै कियो नमित वदन जलजात ॥—अनुयाद

एक मखी नवोढ़ा नायिका से कहती है कि प्रातःकाल तेरे पति का अधर मुरझाये कमल-दल सा हो गया था। यह सुनकर नवोढ़ा नायिका ने लज्जा से अपना मुख-कमल नीचा कर लिया।

यहाँ मलिन कमल-दल के रूपकालंकार द्वारा जो यह अर्थ प्रकट होता है कि तुमने अपने पति का चार-चार इस प्रकार से अधर चूमा कि वह मलिन हो गया, उससे 'काव्यलिङ्ग' अलंकार ध्वनित होता है।

५ वाक्यगत स्वतःसंभवी अर्थशक्तिमूलक वस्तु से अलंकार-ध्वनि

बान धोई फोरति लता कर्ण करी द्वै पात ।

सौची मान महीप जू जब देखी कुम्डिलात ॥—प्राचीन

बलि ने कीर्तिलता का वपन किया और कर्ण ने उसमें दो पत्र लगा दिये। उस कीर्तिलता को माल महीप ने जब कुम्डिलाती देखा तब सौच कर हरी-भरी कर दिया। इन तीनों की दानशीलता एक समान सुप्रसिद्ध है। अतः यहाँ उपमालंकार ध्वनित होता है जो वाक्य से है।

लिरा पद पद पायो वषो, भयो भोग लखलीन ।

जग जस बाढ्यो तो कहा, जो न देस-रति कीन ॥—प्राचीन

उस दोहे में 'पद पाना' आदि वस्तुरूप वाच्यार्थ द्वारा इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है कि देश-भक्ति के बिना ये सब उन्नतियों व्यर्थ हैं। इसलिये यहाँ वाक्य द्वारा वस्तुरूप से 'विनोक्ति' अलंकार व्यंग्य है।

इसी तरह 'मन ना रँगये रँगये जोगी कपडा' आदि पंक्तियों में भी यही 'विनोक्ति' अलंकार वस्तु से व्यंग्य है। यहाँ भी यही व्यक्त होता है कि मन के रँगये बिना कपड़े आदि को रँगाना बाह्याङ्गुली की रचना व्यर्थ है। यहाँ वाक्य से अलंकार-ध्वनि है।

खलि, तेरे प्यारो भलो दिन न्यारो हँ जात ।

मोते नहि बलवीर को पल विलगाय सोहात ॥—दास

यहाँ स्वतःसंभवी वाच्यार्थ से 'मैं तुमसे अधिक भाग्यशालिनी हूँ । क्योंकि मेरा पति तुम्हारे पति से अधिक प्रेमी है' यह 'व्यतिरेकालंकार' ध्वनित होता है। यहाँ भी वाक्यगत वस्तुरूप से अलंकारध्वनि है।

उक्त ध्वनित प्रति एकत ही रहत' दोहे की वर्णित वस्तु से 'सम' अलंकार की ध्वनि है। क्योंकि यथायोग्य का 'संग है। और, उत्तरार्द्ध की वर्णित वस्तु से 'विशेषोक्ति' अलंकार की ध्वनि है। क्योंकि नेत्रयुगल कारण से युगल मूर्त्ति का दर्शन संभव नहीं। उभयत्र वाक्यों द्वारा अलंकारों की ध्वनि है।

६—प्रबन्धगत स्वतःसंभवी अर्थशक्तिमूलक वस्तु से अलंकारध्वनि

रहिये रहिये उचित नहीं उन्धान यह

देते हैं श्रीमान् किसे बहुमान यह।

मैं अनुगत हूँ, भूल पड़े कहिये कहाँ ?

अपना मृगवावास समझ रहिये यहाँ।

कुशलमूल इस मधुर हास पर भूल सब,

वारुँ मैं निज नील-विपिन के फूल सब।

सहसा ऐसे अतिथि मिलेंगे कब किसे,

क्यों न कहूँ ते अहो-भाग्य अपना इसे।

पाकर यह आनन्द-सम्मिलन-लीनता

भूल रही है आज मुझे निज हीनता ॥—संकेत

वन में राम का आगमन सुनकर निषाद बहुत-सी भेंट लेकर मिलने आया। उसके आते ही मर्यादापुरुषोत्तम राम ने स्वयं उठकर उसका सम्मान किया। इसी पर निषाद की उपयुक्त उक्ति है। भगवन् आप क्या कर रहे हैं? आप किसको इतना सम्मान दे रहे हैं? मैं तो आपका अनुगत हूँ। आपके समान अतिथि मुझे कब मिलेंगे? मैं इसे अपना अहोभाग्य क्यों न मानूँ। आपके आगमन से जो आनन्द हुआ है उससे मैं अपनी तुच्छता को आज भूल रहा हूँ। यह स्वतःसंभवी वस्तु-रूप वाच्यार्थ है। इस वस्तुरूप वाच्यार्थ से यहाँ 'विषमालंकार' व्यंग्य है। कहाँ राम की वह महत्ता और कहाँ निषाद की यह तुच्छता! सम्पूर्ण प्रबन्ध से निषाद अपना यही भाव व्यक्त कर रहा है कि आप जैसे महान् और मुझ जैसे तुच्छ का सम्मिलन नितान्त विषम है। यहाँ कहाँ भी शब्दतः या वाक्यतः विषमालंकार प्रकट नहीं है। अतः प्रबन्धगत है।

७ पद्मगत स्वतःसंभवी अर्थशक्तिमूलक अलंकार से वस्तु ध्वनि

किया तापस की तपती हो तुम कन्या ?

मदनभस्म से रचित कौन हो घन्या ?

होम-शिखा-सम उजली कौन अनन्या !—इलाचन्द्र जोशी

यह पद्य वाणभट्टरचित गद्य-काव्य 'कादम्बरी' की एक नायिका 'महाश्वेता' शीर्षक कविता का है। यहाँ 'होमशिखासम' पद्मगत जो 'महाश्वेता' की उपमा है, उससे अग्नि-परितप्त-विशुद्धता, तेजोमयता, पवित्रता, आदि वस्तु-रूप व्यंग्य है। इसलिये यह पद्मगत अलंकार से वस्तुध्वनि का उदाहरण है।

ले चम्पक को फूट कर पिय दीन्हों मुमुकाम ।

समुक्ति सुधार मन में दियो किंसुक फूल चलाय ॥—प्राचीन

पति ने मुस्कराकर अपनी पत्नी को चंपा का फूल दिया—अर्थात् उसने फूल देकर यह प्रकट किया कि तुम्हारा रुठ होना उचित नहीं है। क्योंकि भौंरा जिस तरह चम्पा के फूल के पास नहीं जाता, उसी तरह मैं किसी अन्य नायिका के पास कभी नहीं जाता। इस गूढ़ आशय को नायिका ने समझकर पलाश का फूल उसपर फेंक दिया—अर्थात् नायिका ने भी यह आशय प्रकट किया कि तुम्हारी लाल-लाल ओंखें ही इस बात का साक्ष्य दे रही हैं कि तुम कहीं अन्यत्र रात में अवश्य रमण करके आये हो, निर्दोष नहीं हो। यह वस्तुरूप व्यंग्य यहाँ 'सूक्ष्मालंकार' से ही निकलता है और 'चंपकफूल' तथा 'पलाशफूल' से ही। अतः पद्मगत अलंकार से वस्तुरूप व्यंग्य का यह उदाहरण है। ऐसीघटना भ्याभाविक तथा ध्यावहारिक है—कोरी कवि-कल्पित नहीं। अतः स्वतःसंभवी और अर्थमूलक भी है।

८ वाक्यगत स्वतःसंभवी अर्थशक्तिमूलक अलंकार से वस्तु व्यंग्य

७ प्रिय, तुम भूले में क्या गाऊँ ।

जुहां-सुराभ की एक लहर से निशा बह गयी, टूटे तारे ।

अध्रु-विन्दु में डूब-डूबकर टग-तारे वे कभी न हारे ॥

—रामकुमार वर्मा

इस पद्य में 'व्यतिरेक' अलंकार है। क्योंकि, उपमानभूत आकाश के तारों से टग के उपमेयभूत तारों में विशेष गुण का कथन है। इस अलंकार से यहाँ आराधक की वियोग-दशा तथा प्रेम की

अतिशयता रूढ वस्तु ध्वनित होता है। यह अलंकार-जन्य वस्तु-ध्वनन किसी एक पद द्वारा नहीं, बल्कि समूचे वाक्य द्वारा होता है। साथ ही आँसुओं में निरन्तर बूबते रहना और कभी हारना नहीं, यह स्वाभाविक तथा लौकिक है। इसी तरह यहाँ वस्तुध्वनन 'अर्थ-शक्ति' से ही होता है- न कि शब्दशक्ति से। अतः उपर्युक्त भेद का यह उदाहरण हुआ।

ज्ञान-योग से हमें हमारा यही वियोग भला है।

जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाट्य, कवित्व, कला है ॥ —गुप्तजी यहाँ इन पंक्तियों में अनेक गुणों के कारण वियोग को ज्ञान-योग से कवि ने श्रेष्ठ बतलाया है। अतः यहाँ भी व्यतिरेकालंकार है। इस अलंकार से वियोग की मनोरमता और सरसता तथा योग की शुद्धता वस्तु व्यंजित होती है। अतः यहाँ भी अलंकार से वस्तु व्यंग्य है।

भर पड़ता जीवन-डाली से मैं पतमङ्ग का-सा जीर्णपात।

केवल-केवल जग-आँगन में लाने फिर से मधु का प्रभात ॥—पन्त

यहाँ उमा और रूपक की संसृष्टि द्वारा 'भरण नव जीवन लाता है; क्योंकि पुनर्जन्म निश्चित है।' यह वस्तुरूप व्यंग्य वाक्य से निकलता है। अतः यहाँ भी वाक्यगत अलंकार से वस्तुध्वनि है।

६ प्रबन्धगत, स्वतःसंभवो, अर्थशक्तिमूलक अलंकार से वस्तुव्यंग्य

बोली वह—'किन्तु क्या यही है धर्म ?

पीड़ितों का पीड़न यही है कर्म ?

राक्षसों के गेह रहो बद्ध श्रीजनकजा,

तौ भी नहीं राम ने उसे तजा'।

उत्तर मिला कि—'आदि शक्ति' जानकी थीं आप,

कैसे उन्हें छूता पाप ?

आग में भी आँच उन्हें नेक नहीं आई थी;

बहि ने विशुद्धता बताई थी'।

तुल्य निज नेत्र नत करके ।

बोली वह वाणी में ज्वलन्त रोप भरके—

अच्छी बात । वैसी ही परीक्षा अभी दूँगी मैं,

धीले नहीं हूँगी मैं,—

मुझ पर जैसा कर तुमने प्रहार किया,

नारकियों ने भी नहीं वैसा घोर वार किया ।

सियारामशरणजी के इतिवृत्तात्मक 'अग्निपरीक्षा' नामक काव्य का यह एक अंश है। इसमें दृशन्तालङ्कार है। इससे मुभद्रा की महिष्णुता, तेजस्विता और सतीत्व ध्वनित होते हैं जो स्वतःसंभवी और वातुरूप है।

१० पदगत स्वतःसंभवी अर्थशक्तिमूलक अलंकार से अलंकारव्यंग्य सब अँग करि राखी सुघर नायक नेह सिखाय ।

रसजुत लेति अन्त गति पुतरी पातुरराय ॥—विहारी

(नायक नृत्यशिक्षक) नेह ने सिखा-पदाकर सब अङ्गों का नृत्यकला-निपुण कर दिया है। इसीसे पतुरियों की सरदार पुतरी सरस अनन्त गतिर्या ले रही है, बंचल चालें दिखा रही है, धिरक रही है।

यहाँ पुतरी-पातुरराय में रूपकालङ्कार है। अर्थ है पातुरराय रूपी पुतली। इससे उपमा अलङ्कार की यह ध्वनि आती है कि उत्तम कोटि की धाराङ्गना जैसे सरस गति से धिरकती है, नाचती है, वैसे ही नायिका के नेत्र की पुतली भी रस में सराबोर हुई नाच रही है, धिरक रही है।

इसमें 'पुतरी-पातुरराय' पद के अलङ्कार से ही अलङ्कार व्यंग्य है और नेहभरी पुतरी तथा पुतरिया का नाचना स्वतःसंभवी है। इससे यह उपयुक्त भेद का उदाहरण हुआ।

दमकत दरपन-दरप दरि दीप-शिखा-द्युति देह ।

वह दृढ इक दिशि दिपत, यह मृदु दस दिशिनि, सनेह ॥—दु. ला. भार्गव

दर्पण का दर्प दूर करके दीप-शिखा-द्युति वाली देह दमकती है अर्थात् दीप्ति फैला रही है। यह कठोर दर्पण एक दिशा में ही चमकता है, पर यह कोमल शरीर दूसरी दिशाओं में भी चमकता है। यहाँ 'दीप-शिखाद्युति' में उपमालङ्कार है और यही उत्तरार्द्ध में आये हुए व्यतिरेकालङ्कार का श्रोतक है। क्योंकि द्युति को दीप-शिखा के औपम्य से न

ही है। कच और कुच के भार से नायिका के सौन्दर्य और सौकुमार्य की अतिशयता भी व्यंग्य है।

२—वाक्यगत कवि-प्रौढोक्ति-मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि

मैं जीवन में कुछ कर न सका
अपनी ही आग बुझा लेता
तो जो को धैर्य बेधा देता।

मधु का सागर लहराता था, लघु प्याला भी मैं भर न सका।
मैं जीवन में कुछ कर न सका।—बचचन

यहाँ मधु का सागर लहराता (अपार सुख-राशि का भरा रहना) और उसमें अपना छोटा-सा प्याला भी न भरना (सुख-राशि से थोड़ी भी सामग्री अपने उपभोग में न लाना) आदि कवि-प्रौढोक्ति-मात्र-सिद्ध वस्तु है। इस वस्तुरूप क्रिया से अपनी अकर्मण्यत के ऊपर ग्लानि का अनुभव भी वस्तुरूप व्यंग्य है। मगर जो वस्तुरूप ग्लानि यहाँ व्यंजित है, वह किसी एक पद द्वारा नहीं, पूर्ण वाक्य द्वारा। अतः यह उदाहरण वाक्यगत वस्तु से वस्तुध्वनि का है।

सिय-वियोग-दुख केहि विधि कहउँ बखानी।
फूल बान ते मनसिज बेधत आनि ॥
सरद - चोंदनी सँवरत चहुँ दिशि आनि।
विधुहि जोरि कर बिनवत कुल गुन जानि ॥—तुलसी

यहाँ कामदेव का अपने फूल के वाणों से सीता को बेचना; शरद-चोंदनी का चारों दिशाओं में फैलकर जलाना और चन्द्रमा को कुलगुरु मानकर सीता का प्रार्थना करना आदि कवि-प्रौढोक्ति-मात्र-सिद्ध वस्तु है। मगर इन्हीं कवि-कल्पित वस्तुओं से सीता की वियोग-दशा तथा प्रेमाधिक्य वस्तु ध्वनित होती है जो वाक्य से है। इसलिये यह वाक्यगत वस्तु से वस्तुध्वनि का उदाहरण हुआ।

करत प्रदक्षिण व.इवहिं आवत दक्षिण पीन।

विरहिन वपु वारत घरहिं घरजनवारो कोन ॥—दास

दक्षिणी वायु बड़वानल की प्रदक्षिणा करती आ रही है और

वाक्यागत वस्तु से यह वस्तु ध्वनित होती है कि तुम्हारे वियोग में वह नायिका विरह-ब्याला से झुलस सी रही है। इस वस्तु में विरहानल से सन्तप्त होती हुई नायिका से क्यों नहीं मिलते? यहाँ भी वाक्यागत वस्तु से वस्तु ध्वनि है।

३ प्रबंधगत कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि

तन में ताकत हो तो आओ
पथ पर पत्नी हुई चहाने,
दड़ता है वीरों की आँसू,
पदलो सी अब कठिन कहाँ है—ठोकर एक लगाओ।

तन में ताकत हो तो आओ।
राह रोक है खड़ा हिमालय,
यदि तुममें दम, यदि तुम निर्भय,
किसक जायगा कुछ निदचय है—घूँसा एक लगाओ।

तन में ताकत दो तो आओ।
रस की कभी नहीं है जग में,
बहता नहीं मिलेगा मग में,
लोहे के पंजे से जीवन की यद्द लता दबाओ।
तन में ताकत हो तो आओ ॥—बचन

कठोर तपस्वियों के लिये संसार में कुछ भी असंभव नहीं, यह वस्तु वर्णित वस्तु से ध्वनित होती है।

४ पदगत कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य

बास चाहत हर सयन हरि तापस चाहत हान।

जय लगी श्री रघुवीर को जय अभिलाषावान ॥—प्राचीन

यश को देखकर—उत्पल बताना कविप्रौढोक्ति है। यश को देखकर शिव उसे कैलास समझते हैं। और यहाँ घसना चाहते हैं। विष्णु उसे क्षीरसागर समझ उसमें सोना चाहते ले और तपस्वी गंगा जानकर उसमें स्नान करना चाहते हैं। श्रीरघुवीर के यश को देखकर संसार इन्हीं प्रकार की अभिजापार्यें करता है। इस वर्णनीय वस्तु से अंति अलंकार की ध्वनि होती है। यहाँ यश ही एक ऐसा पद है जो इस ध्वनि का व्यञ्जक है। अतः उक्त भेद का यह पदगत उदाहरण हुआ।

५—वाक्यगत कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य

परमपुरुष के परम हग दोनों एजु
 भनत पुरान धेद बानी औ पव गई ।
 कवि ' मतिराम ' दोसपति ये निसापति ये
 काहु की निकई कहूँ नैक न बढ गई ॥
 सूरज के सुतन करन महादानी भयो
 वाही के विचार भति चिन्ता में मड गई ।
 तोहि पाट बैठत कमाऊँ के उद्योतचन्द्र ।
 चन्द्रमा की करजे करजे सों कहु गई ॥

शास्त्रों में यह उक्त है कि सूर्य-चन्द्र दोनों विराट् रूप परमात्मा के नेत्र हैं। दोनों में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं। किन्तु सूर्य के महादानी पुत्र कर्ण के होने से चन्द्रमा को इस बात की कसक थी कि वे एक बात में बढ गये। पर कमाऊँ के उद्योतचन्द्र, चन्द्रवंशी आपके सिंहासनारूढ़ होने से चन्द्रमा की वह कसक भी मिट गयी।

यहाँ कर्ण के समान उद्योतचन्द्र के भी महादानी होने की उपमा ध्वनि से ही प्रकट होती है।

मिज गुमान को मान दे धीरज किय हिय थापु ।

सु तो त्याग छवि देखतहि पहले भाग्यो आपु ॥—दास

मानिनी नायिका के मान करने पर नायिका को मनाने के लिये नायक जाता है, यह कवि-प्रौढोक्ति है। नायिका हृदय में गुमान किये बैठी तो रही पर श्याम की सुन्दर छवि देखते ही बिना मनाये ही मान गयी। इस वस्तु से विभावना अलंकार की ध्वनि है। क्योंकि बिना कारण के कार्य होना वर्णित है। यहाँ वाक्यगत वस्तु से अलंकार-ध्वनि है। सखि की वक्ति होने से कवि-निबद्ध-पात्रा-की प्रौढोक्ति का उदाहरण हो जायगा।

हम खूब तरद से जन गये जैसा भ्रानेद का कन्द किया,
 नव रूप सील गुन तेज पुंज तेरे ही तम में बन्द किया ।
 तुम हुस्न प्रभा की वाधी लै फिर विधि ने यह फरफंद किया,
 चम्बरक दल सोनजुही नरगिउ चामीकर चपला मन्द किया ।

सीतल सहाय दास महन्थ

कलिका-तुल्य' पद से ही है। अतः यहाँ पदगत कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलंकार से वस्तु ध्वनि है।

केशी चन्द्र विलोकित-चौतरे पै भद्र भौंह-कमान चढ़ाय रही ॥

इसमें भौंह को कमान बनाना कवि-प्रौढोक्ति है। यहाँ भौंह-कमान में रूप का लंकार है। इस रूपक द्वारा नायिका का सौंदर्य तथा गर्वरूप वस्तु ध्वनित होती है। इसलिये पदगत अलंकार से यह वस्तु ध्वनि है।

वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी,

वह दीपशिखा सी शान्त, भाव में लीन,

वह कूर काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा सी,

वह दृष्टे तरु की छुटी लता सी दीन,

दलित भारत की ही विधवा है।—निराला

इस पंथ में अनेक उपमायें हैं। सभी एक-पदगत या अनेक-पदगत हैं। प्रत्येक पदगत उपमा से पृथक् पृथक् भारतीय विधवा की पवित्रता, तेजस्विता, दयनीय दशा तथा असहायावस्था रूप वस्तु की ध्वनि होती है।

८ वाक्यगत कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से वस्तु व्यंग्य

रामनाम मणि-दीप घरु जीह देहरी द्वार।

तुलसी भीतर बाहिरो जो बाहसि उजियार ॥—तुलसी

यहाँ 'राम-नाम-मणि-दीप' और 'जीह-देहरी' में रूपकालंकार है। इस अलंकार से यह वस्तु ध्वनित होती है कि लौकिक और पार-लौकिक—बाह्य और आभ्यन्तर ज्ञान के लिये रामनाम जपना अत्यन्त आवश्यक है। यहाँ वाक्यगत ध्वनि है।

'सिखमुख सरद कमल जिनि किमि कहि जाए।

निसि मलीन वह निसि दिन यह विगसाइ ॥—तुलसी

सीता के मुख की उपमा शरकालीन कमल से कैसे दी जाय। क्योंकि वह तो केवल दिन में ही खिलता है; पर सीता का मुख रात-दिन विकसित रहता है। यह वाच्यार्थ कवि-प्रौढोक्तिमात्र-सिद्ध है। यहाँ उपमान से उपमेय में अधिक गुण चतलाने के कारण 'व्यतिरेक' अलंकार है और इस वाक्यगत व्यतिरेकालंकार से 'सीता के मुख का अतिशय सौन्दर्य तथा सौकुमार्य' वस्तु व्यंग्य है।

आनन ही अरोपेन्द न फूले, अलीगन भूले कहां मधरात हो ?

कीर तुम्हें कहां वायु लेगी, भ्रम बिब से ओठन को ललवात ही ?

मुख को चन्द्रमा कहना कवि-प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध है। चन्द्रमुख में रूपकालंकार है। इस सुधाधर चन्द्र से विष उड़ेलने की बात कहने से 'विषम' अलंकार की ध्वनि है। यहाँ विषमालंकार वाच्य इसलिये नहीं है कि उक्त विष उड़ेलने पर आस्था नहीं, बल्कि आश्चर्य है। यहाँ पदगत रूपक के द्वारा ही 'विष बगारिवे' में विषम अलंकार है। अतः यह उक्त कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से अलङ्कार ध्वनि का उदाहरण है।

११ वाक्यगत कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य

नाहिन ये पावक प्रबल छुवै चलै चहुँ पास ।

मानहु विरह वसन्त के प्रीसम लेत उसास ॥ —विहारी

चारों ओर आग के समान जलनेवाली यह लू नहीं चल रही है बल्कि वसन्त के विरह में प्रीष्म ऋतु उष्ण उसास ले रही है। प्रीष्म ऋतु का गर्म साँस लेना कवि-प्रौढोक्ति है। इसमें सापहव उत्प्रेक्षा अलंकार है। इससे जब प्रीष्म की यह दयनीय दशा है तत्र मनुष्य आदि अन्यान्य प्राणियों की दशा का क्या कहना, यह अर्थापत्ति अलङ्कार ध्वनित होता है।

लिखे रजनी ने जो, उर खोल, विविध नव-नव छंदों में गान ।

पंक्तियों तारों की बन, चमक उठे नभ में जगमग युतिमान ॥ —मिलिंद

रात्रि का नवनव छंदों में गान लिखना कवि-प्रौढोक्ति है। यहाँ गानों में तारों की पंक्तियों के आरोप से रूपक अलंकार है। इससे उत्प्रेक्षालङ्कार की ध्वनि होती है। क्योंकि तारों की पंक्तियों में छंदों की पंक्तियों की संभावना है जो उक्त नहीं, ध्वनित है। वाक्यगत होने से उक्त भेद का यह उदाहरण हुआ।

प्रतिदिन भर्त्सना के संग

निर्दय अनादरों से भंग कर अन्तरङ्ग,

कूर कट्ट बातों में मिलाके विष है दिया,

कन्या ने सदैव चुपचाप उसे है पी लिया ।

राजकन्या कृष्णा ने पिया था विष एक बार,

मेरी जानकी ने पिया रातदिन लगातार । —सि. रा. श. गुप्त

वाक्यगत वर्णन में व्यतिरेक अलङ्कार स्पष्ट है। इससे कन्या जानकी की पितृभक्ति, सहिष्णुता आदि वस्तु व्यञ्जित है। बातों में विष मिलाना, बातों को पी जाना आदि कवि-प्रौढोक्ति है।

सुरदास ने उपर्युक्त गीत में राधिका के अंगों का वर्णन किया है। उनके सारे शरीर को एक भाग माना है। उस भाग में राधिका के दोनों चरण कमल माने गये हैं। क्योंकि चरणों की उपमा कमल से दी जाती है। इसी तरह दोनों जोंघों को हाथी निश्चित किया है। क्योंकि छियों की चाल की उपमा हाथी की चाल से दी दी जाती है। इसी तरह अनेक वाक्यात्मक इस प्रबन्ध में सर्वत्र उपमान ही उक्त हैं और उपमेय अनुक्त। यहाँ कमल पर राजवर का खेलना, हाथी पर सिंह का अनुराग करना, आदि वर्णन विरोधप्रस्त है। इस प्रकार यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलङ्कार से विरोध अलङ्कार की व्यञ्जना है।

दूसरा उदाहरण

खंजन शुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा ।

कुन्द-कली दाक्षिण मुदामिनी, सरद कमल ससि उरग भामिनी ।

वरुण पाश मनोज धनु हंसा, गज केहरि निज सुनत प्रशंसा ।

श्रीफल कनक कंदलि हरकहीं, नेकु न शंक संकुच मनमौहीं ।

सुनु जानकी तोहि विनु आजू, हर्षे सकल पाइ जनु राजू । — तुलसी

जानकी-हरण के कथा-प्रसंग में राम की ये उक्तियाँ हैं। यहाँ अंगों के उपमानों का ही केवल निर्देश है। किसी नायिका के अंगों के उपमान खंजन, शुक, कपोत आदि को बताना कवि-प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध है। अतः यहाँ केवल उपमानों के ही कथन से रूपकातिशयोक्ति अलंकार है और 'नेकु न शंक संकुच मनमौहीं' और 'तोहि विनु आजू हर्षे सकल पाइ जनु राजू' से स्पष्ट हो इन उपमानों से उपमेय का आधिक्य सूचित होता है जो कवि का अभिप्रेत है। अतः यहाँ रूपकातिशयोक्ति से व्यतिरेकालंकार की भ्रान्ति है। इसलिये प्रबन्धगत अलंकार से अलंकार भ्रान्ति का यह भी उदाहरण है।

अट्ठाइसवीं किरण

(कवि-निघट्ट-पात्र-प्रौढोक्ति-मात्र-सिद्ध)

संलक्ष्यक्रम-व्यंग्य के अर्थ-शक्ति-उद्भव का यह तीसरा भेद है। यह भ्रान्ति यहाँ होती है जहाँ कवि-कलित-पात्र की प्रौढ (कलित)

वसन्त ऋतु में काम के वाणु अपनी पंचता को, पाँच होने की संख्या को छोड़कर अनन्त हो गये हैं। अब यह पंचता—पंच तत्त्वों को प्राप्त करना अर्थात् मृत्यु, विरहिनियों में ही पैठ गयी है। पाँच के स्थान में अनन्त होना, विरहिनियों में मृत्यु का पैठना, कवि-निबद्ध-पात्रप्रीदोक्तिरूप वास्तु है। इससे वाणु की पंचता वहाँ से हट कर मानो विरहिनियों में समा गयी है, यह उःप्रेक्षा अलंकार ध्वनित है।

हैस देता जब प्रात सुनहरे अंचल में विम्बरा रोली

लहरों की विद्यलन पर जब मचली पड़ती किरणें भोली।

तब कलियाँ सुरचाप ठठकर पल्लव के घूँघुट सुझार,

छलकी पलकों से कहती हैं—किन्ना है मादक संसार ॥—म०दे०ध०मी

यहाँ प्रातःकाल में कलियों का अपना कोमल घूँघट उठाकर सुली पलकों से संसार की मादकता का माष करना आदि कवि-निबद्ध-पात्र-प्रीदोक्ति—मात्र और वास्तु रूप वाच्य है। क्योंकि जब कलियाँ प्रभात को हँसते और सुनहरे अंचल में रोली विम्बराने हुए और भोली किरणों को लहरों पर मचलती देखती हैं तो अपनी शालीनता को छोड़कर तुरंत कह उठती हैं कि संसार किन्ना मादक है। इसमें कोई अलंकार नहीं, केवल वास्तु का कथन है। किन्तु इसी वास्तु रूप वाच्यार्थ से काव्यलिंग अलंकार ध्वनित होता है। क्योंकि स्पष्टतः प्रभात का हँसकर रोली विम्बराना और किरणों का मचलना संसार की मादकता का ज्ञापन नहीं करना।

उनकी यह कुज कुटीर वही फलता उष अशु-अशोर जहाँ,

अलि, भोकिज, कीर, शिखी मच है सुन पातक की रट पीय वहाँ,

अब भी मष साज समाज वही तब भी मष आज अनाथ यहाँ,

सगि ! जा पहुँचे सुष—संग कहीं यह अंध गुगन्ध समीर यहाँ।—गुप्तजी

यशोधरा का कथन है कि मष साज-समाज वही है तथापि आज मष अनाथ है। यहाँ बिना शब्द के न रहने पर भी वास्तु से (स्वामी के बिना) अलंकार की ध्वनि है।

अनेक आलङ्कारिक 'बिना' के निवेदार्थक 'न' आदि के रहने पर 'बिनोक्ति' को वाच्य ही मानते हैं और किन्ने 'न' के रहने पर 'बिनोक्ति' को ध्वनि मानते हैं।

६—अध्वगत कविनिबद्धपात्रप्रीदोक्तिसिद्धयस्तु से अलङ्कार व्यंग्य

स्वाम नेप-सा मुके देनकर पातक दल इठलाता है।

फूलों की शँगुरी यजाकर मृग पराग उफाता है।

सम्मुख दौड़ती है। यह प्रौढोक्ति-मात्र से सिद्ध है। प्रौढोक्ति समस्त वाक्य में है। मरने के लिये उक्त वस्तुओं की ओर दौड़ पड़ना प्रकृति-विरुद्ध प्रयत्न है। इससे यहाँ विचित्र अलंकार है। उससे नायिका के विरह का सन्तापविषय वस्तु ध्वनित है। अतः वाक्यगत अलंकार से यहाँ वस्तुध्वनि है।

प्रबन्धगत कविनिबद्धपात्रपौढोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से वस्तुव्यंग्य

लिखे रजनी ने जो, उर खोल, विविध नन नव छंदों में गान,
पंक्तियों तारों की बन चमक उठे नभ में जगमग युतिमान।
शशि-किरणों से धुले जुही की कलियों के मृदु प्राण,
उनद पथी कुंजों की कविता बन वंशी की तान।
छिटक छन छिद्र-पथों से रुद्र कुटीरों के दीपों के प्राण।
मुक्त-नभ-छाया-पथ में चले कौसुधी में करने को स्नान।
कण-कण बना उदर, हुआ उर-उर का हलका भर,
गिरि से हृदय कंठोर वह गये बन निर्भर मुकुमार।
चतुर्दिक उक्कंठा उठ पथी, प्रेम का उमड़ा पारावार;
खुली नभ के गोपन की गाँठ चाँदनी में हवा संसार।
न खोला फिर भी, प्राणाधार, अभी तक तुम ने अपना द्वार।

—जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द'

यह उक्ति प्रियतम के प्रति आराधिका की है। उसका कहना है कि आसमान से लेकर पृथ्वी तक प्रेम का पारावार उमड़ रहा है। रजनी भावमय गीत सिखाती है तारे उन गीतों की पंक्तियों ही तो हैं। कलियों के प्राण चाँदनी से धुल रहे हैं कुञ्ज-कुञ्ज से वंशी को तान फूट चली है। कुटियों के दापक के प्राण भी छिद्रों से छिटक कर चाँदनी की गंगा में स्नान करने चल पड़े हैं। पर्वत के कंठोर हृदय आज निर्मल निर्भर बनकर वह चले हैं। चारों दिशाओं में उक्कंठा उमड़ रही है—पर हाय! प्रियतम! अभीतक तुमने अपना द्वार तक नहीं खोला। यहाँ इतनी प्रेरणाओं के रहते भी प्रियतम का द्वार न खोलना 'विशेषोक्ति' अलंकार है। इसमें यहाँ कविनिबद्धपात्र आराधिका का प्रियतम के प्रति तीव्र उपालम्भ व्यंजित होता है। समस्त प्रधन्य से विशेषोक्ति अलंकार निकलता है और उससे वस्तु व्यंग्य होता है। अतः प्रबन्धगत अलंकार से वस्तु व्यंग्य है।

पदगत कविनिबद्धपात्र प्रौढोक्तिसिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य
करे चाह सौ चुटकी के खरें उरोंहैं नैन ।

लाज नवायै तरफरत, करत खूँद-सी नैन ॥ — बिहारी

मध्या नायिका की कविनिबद्धपात्र प्रिय सखी उसकी आँखों का
चर्चन अपनी प्रौढोक्ति द्वारा एक दूमरी सखी से करती है ।

कामदेव ने चाह से चुटक कर भलीभँति उड़ने के लिये उद्यत
तो किया पर लाज की लगाम से नवाये जाने पर खूँद सी करते हैं,
'नायिका के नयन झुककर तड़फड़ाते मानों जमैती कर रहे हैं । भावाये
यह कि वह अपने प्रिय नायक को देखना तो चाहती है; पर लाज के
गारे देख नहीं सकती और न उसकी दर्शन की अभिलाषा ही
मिटती है । 'यहाँ खूँद सी' में उपेक्षा का वाचक सी है । इसीके
द्वारा नैन में घोड़े का, चाह में चायुक का, लाज में लगाम का और
कामदेव में सवार का आरोप व्यंग्यतया प्रतीत होता है । यहाँ खूँद-
सी में यदि पदगत उपेक्षा अलंकार नहीं होता तो कहीं भी उक्त
आरोप का प्रसंग न आता । इसलिये पदगत कवि-नियद्ध-पात्र-प्रौढोक्ति-
मात्रसिद्ध उपेक्षा अलंकार से रूपकालंकार व्यंग्य है ।

धाक्यगत कविनिबद्धपात्र प्रौढोक्तिसिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य
नित सखी हंसौ बचत मनहं सु यह अनुमान ।

चिरह अग्नि लपटन सकत भपटि न मीचु सचान ॥ बिहारी

निरन्तर सन्देह बना रहता है कि इस वियोगिनी का हंस अर्थात्
जीव कैसे बचा हुआ है? सो यही अनुमान होता है कि मृत्यु रूपी
वाज विरहाग्नि की लपटों के कारण हंस—जीव पर भपट नहीं सकता ।

सखी की उक्ति । 'चिरह अग्नि' 'मीचु सचान' पात्र प्रौढोक्ति है
और दोनों में रूपक है । न मरने के समर्थन से काव्यलिङ्ग भी है ।
इन दोनों से विशेषोक्ति का ध्वनि है । क्योंकि कारण रहते भी कार्य
नहीं होता ।

मेने और दूध मधु पी के रह जाते हैं,
पानी तो फकत मरतों को दिया जाता है।
आँगन बुहारती हैं परियाँ बहिरत की,
शेरनी के दूध पीते बच्चे छीन लेते हैं।
घुसकर माँद में—हैं बच्चे उस देश के,
ऐसे निर्भय वीर, सोचो जरा तुम भी।—आर्यावर्त

गजनी के बड़े-बूढ़ों की भारत के सम्बन्ध में यह उक्ति है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है जिससे सर्वत्र उपमा की ध्वनि निकलती है। क्योंकि खेत के दाने मोतियों के से ही तो होते हैं, इत्यादि। भारत का ऐसा ही अद्भुत ऐश्वर्य है। ऐसी सुजला, सुफला, शस्यश्यामला भूमि कहीं की नहीं है।

उन्तीसवीं किरण

शब्दार्थोभयशक्तिमूलक संलक्ष्यकम व्यंग्य

जिस जगह कुछ पदगत पद ऐसे हों जो अपने पर्यायवाची शब्दों से अपना व्यंग्याथ प्रकट कर सकते हों और कुछ ऐसे भी हों जो अपने पर्यायवाची शब्दों से व्यंग्यार्थ प्रकट करने में असमर्थ हों, पर हों दोनों विवक्षित व्यंग्यार्थ के बोधन में प्रधान रूप से अपेक्षित, वहाँ शब्दार्थोभयशक्तिमूलक अनुरणन ध्वनि होती है।

इसका केवल एक ही वाक्यगत भेद होता है। वह भी वाक्यगत वस्तु से केवल अलंकार ध्वनि वाक्यगत वस्तु से वस्तु ध्वनि नहीं।

इसका पदगत भेद नहीं होता। क्योंकि एक ही पद में परिवर्तन-सहत्वासहस्य, दो विरुद्ध धर्म कभी रह ही नहीं सकते। अर्थात् ऐसा एक पद मिल ही नहीं सकता जो अपने पर्यायवाची शब्द से शब्द-शक्ति और अर्थशक्ति दोनों का सहारा लेकर व्यंग्यार्थ प्रकट भी करे और पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंग्यार्थ को प्रकट करने में असमर्थ भी हो जाय। क्योंकि पर्याय शब्द से व्यंग्यार्थ को प्रकट करने में पद की केवल अर्थशक्ति काम देगी, शब्दशक्ति नहीं। और, व्यंग्यार्थ के न प्रकट करने में केवल शब्द-शक्ति का अभाव बाधक होगा, अर्थशक्ति का अभाव नहीं। अतः एक पद में दोनों शक्तियों का संमिलित व्यापार अज्यावार एक समय संभव नहीं है।

प्रयन्वगत यह भेद इसलिये नहीं होता कि वहाँ ध्वनि का आश्रय सम्पूर्ण प्रयन्व ही होता है जो केवल अर्थशक्ति को ही लेकर अपना काम करता है। कतिपय श्लिष्ट शब्दों का वहाँ कोई विशेष उपयोग नहीं होता। उपयोग होने पर भी—प्रयन्वार्थ के उभयशक्तिमूलक होने पर भी—प्रायः वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रधानता तुल्य रहती है। अतः ऐसे स्थलों में ध्वनि नहीं, तुल्यप्राधान्य गुणाभूत व्यंग्य माना जाता है।

इसी प्रकार उभयशक्तिमूलक वस्तु ध्वनि भी संभव नहीं। क्योंकि वस्तु ध्वनि के स्थलों में कवि अनेकार्थक शब्द का प्रयोग करके शब्द शक्ति से तभी काम लेता है जब उसे कोई गोपनीय या रहस्य बात ऐसे ढंग से व्यक्त करनी होती है कि वह साधारण लोगों के लिये तो अगम्य रहे पर केवल विद्वानों के लिये गम्य हो। ऐसी अवस्था में वहाँ शब्द और अर्थ दोनों की शक्तियाँ समान रूप से मिलकर वस्तु को नहीं व्यक्त करतीं। अर्थशक्ति से एक ऐसा मामूली अर्थ निकल जाता है जो साधारण शाब्दबोध कराकर साधारण श्रोता की आकांक्षा शान्त कर देता है। वहाँ शब्दशक्ति विद्वानों के लिये रक्षित रहती है जो उसके सहारे कवि का गूढ़ अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे शब्दशक्ति मूलक वस्तु ध्वनि के उदाहरण "को घटि ये वृषभानुजा, ये हलधर के वीर।" में पर्यायवाची शब्द को न सहन करनेवाले 'वृषभानुजा' और 'हलधर के वीर' शब्दों के साधारण अर्थ में वह शक्ति नहीं है जो 'बैल की बहन' और 'बैल के भाई' रूप वस्तु को सबके लिये व्यक्त कर दे। यह अर्थ तो विद्वानों के लिये सुरक्षित है। यहाँ तो शब्द के व्यञ्जकत्व में अर्थ सहायक होता है और अर्थ के व्यञ्जकत्व में उसका शब्द—दोनों का साहाय्य परस्पर नितान्त अपेक्षित होता है। ऐसी अवस्था में अलंकार ही की ध्वनि हो सकती है। जैसे,

चरन धरत चिन्ता करत भोर न भावे सोर ।

सुपरन यो हँदत फिरत अर्थचोर चहुँ ओर ॥—प्राचीन

इस पद्य के दो अर्थ ऐसे हैं जो वाच्यार्थ से हैं। कौन अधमुख्य है और कौन अमुख्य, इसका पता नहीं चलता। इन दोनों का पारिस्परिक उपमान-उपमेय-भाव है। एक अर्थ है—अर्थचोर (धन का चोर) चरन (पैर) धरता हुआ चिन्ता करना है कि किसो को गटक़ा न हो। भोर (सवेरा) उसे नहीं भाता अर्थात् वह रात्रि ही चाहता है।

शोर (कोलाहल) उसे अच्छा नहीं लगता । वह चारों ओर सुवरन (सोना) ढूँढ़ता-फिरता । दूसरा अर्थ है—अर्थचोर (भाषापहरण करनेवाला कवि) प्रत्येक चरण (छन्द का पाद) बड़ी निपुणता से धरता है (बैठता है) । चिन्ता करता है अर्थात् भावों को सोचता रहता है । उसे भी शोर-गुल पसन्द नहीं । भोर (विस्मृति) भी उसे पसन्द नहीं । चारों ओर (सर्वत्र) सुवरण (सुन्दर आर मधुर वणों) को ढूँढ़ता रहता है ।

इस उदाहरण के दोनों अर्थों में से जिसको प्रासंगिक अर्थ समझेंगे वह उपमेय और जिसको अप्रासंगिक मानेंगे वह उपमान होगा । यहाँ दोनों वाच्यार्थ वस्तु रूप हैं । इनसे कवि और धनचुरानेवाले की समता व्यक्त होती है । कवि की तरह धनचोर होते हैं और धनचोर की तरह कवि । यही व्यंग्यार्थ है । इसलिये यहाँ उपमा अलंकार की ध्वनि है ।

चरन, भोर, सुवरन, अर्थचोर शब्द ऐसे हैं जो बदले नहीं जा सकते । इनके पर्यायवाची शब्द रख देने पर ये अपना अभिप्राय नहीं प्रकट कर सकते । अतः शब्दशक्तिमूलकता सिद्ध होती है । साथ ही चिन्ता करना, शोर, ढूँढ़त आदि ऐसे शब्द हैं जो अपने पर्यायवाची शब्द से भी अपना भावार्थ प्रकट कर सकते हैं । इससे अर्थशक्तिमूलकता सिद्ध हुई । इन दोनों के सहारे ही यहाँ ऐसी ध्वनि निकलती है । अतः यह उदाहरण शब्दार्थोभयशक्तिमूलक का ही है ।

यदि यहाँ श्लेष, अर्थावृत्ति और अभिधामूला व्यंजना का विषय-विभाग कर दिया जाय तो आधुनिक काव्य-शास्त्रियों के द्वारा फैलाये हुए भ्रम का बहुत कुछ निराकरण हो जाय और फिर किसी को यह कहने का अवकाश न मिले कि शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि में श्लेष से उपमा व्यंग्य है इत्यादि । अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होने पर जहाँ अनेक अर्थों में वक्ता का तात्पर्य-प्राहक प्रकरणादि एक साथ हो उपस्थित हों वहाँ श्लेष समझना चाहिये । जहाँ क्रम से उपस्थित हों, वहाँ अर्थावृत्ति 'जैसे बटोही प्यासा क्यों ? गधा उड़ासा क्यों ? लोटा न था' । यहाँ क्रम से लोटा का अर्थ जलपात्र और लोटना क्रिया का भूत काल है । और जहाँ अनेक अर्थों में से केवल एक ही अर्थ में प्रकरणादि तात्पर्य प्राहक हों वहाँ व्यंजना समझनी चाहिये ।

उभयशक्तिमूलक ध्वनि में केवल वस्तु से अलङ्कार व्यंग्य होता है, अलङ्कार से अलङ्कार नहीं व्यंग्य होता। इसीलिये इसका एक ही भेद माना गया है। जब व्यंजना में व्यंजक की शब्दशक्ति और अर्थशक्ति दोनों से साथ ही काम लिया जायगा तो वह व्यंजक वस्तु रूप ही ठहरेगा, अलङ्कार रूप कदापि न होगा। क्योंकि पुनरुक्त्यदाभास को छोड़कर कोई ऐसा अलङ्कार ही नहीं है जो चमगादड़ की तरह दोनों श्रेणियों में परिगणित हो सके। इसीलिये उक्त ध्वनि के उदाहरणों में अलङ्कार से अलङ्कार की व्यंजना माननेवाले भारी भ्रम में हैं।

एक अन्य उदाहरण—

यहुरी शक सम विनवों तेही ।

संतत सुरानीक हित जेही ॥—तुलसी

इसमें सुरानीक पद शिल्प है। एक अर्थ है सुर = देवता, अनोक = सेना का समूह और दूसरा अर्थ है सुरा = मदिरा नीक = अच्छी। अर्थ होता है कि शक अर्थात् इन्द्र के समान उन दुर्जनों का भी विनय करता हूँ जिन्हें सुरानीक हित है। 'सुरानीक' शब्द को शक्ति से और अन्यान्य शब्दों की अर्थशक्ति से खल और शक की समता चर्णित है। अतः प्राक्यगत शब्दार्थोभयशक्ति द्वारा उपमालङ्कार व्यंजित है। सुरानीक शब्द बदलने योग्य नहीं पर शक आदि शब्दों के स्थान पर तदर्थबोधक अन्य शब्द रखने पर भी यह व्यंग्य बोध होगा। यही इनकी शब्दार्थोभय-शक्तिमूलकता है।

तीसरी किरण

ध्वनियों का संकर और संसृष्टि

जहाँ एक ध्वनि में दूसरी ध्वनि दूध और पानी की तरह मिलकर रहती है, वहाँ ध्वनि-संकर तथा जहाँ एक में दूसरी ध्वनि मिलकर भी तिल और चावल के समान पृथक्-पृथक् परिलक्षित रहती है वहाँ ध्वनि-संसृष्टि होती है।

ध्वनिसंकर के मुख्य तीन भेद होते हैं—(१) संशयास्पद संकर (२) अनुपाहानुपाहक संकर और (३) एकव्यंजकानुप्रवेश संकर

जहाँ अनेक ध्वनियों में किसी एक के निश्चय का न कोई साधक हो न बाधक वहाँ सशयासद संकर होता है ।

पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा । सिय न दोन्ह पग अवनि कठोरा ॥

जिअन मूरि जिमि जुगवत रहेऊँ । दीप-वाति नहिं टारन कहेऊँ ॥

सो सिय चलन नहति बन साथा । आयसु काह होई रबुनाथा ॥—तुलसी

पहले ही ध्वनि-प्रकरण में असंलक्ष्यक्रम का यह उदाहरण दिया गया है । उस प्रकरण से ही आपको यह मालूम हो गया होगा कि यहाँ किस तरह करुण रस की पुष्टि होती है और किस तरह यहाँ असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य है । साथ ही यह अभिधामूलक ध्वनि के दूसरे भेद—संलक्ष्यक्रम—की अर्थशक्तिभय अनुरणन ध्वनि का भी उदाहरण है ।

कौसल्या ने कहा—यही सीता, जिसने पलंग, पटा, पोढ़ा, हिंडोला या गोद को छोड़कर कभी कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रक्खे—तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है । रबुनाथ, तुम्हारी क्या आज्ञा है ? यहाँ राम के सामने जानकी के सुजद लालन और उसकी सुकुमारता का जो चित्रण कौसल्या ने किया है वह केवल इसलिये कि राम ऐसी सीता को वन जाने की अनुमति कदापि न देंगे और तब सीता मेरे पास ही रह जायगी । यहाँ इतना कहने पर और सारे वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर उसी वाच्यार्थ के द्वारा ऐसा व्यंग्यबोध होता है कि ऐसी जानकी को तुम जंगल में जाने की आज्ञा न दो । यह व्यंग्यार्थ संलक्ष्यक्रम का अर्थशक्तिभय अनुरणन है । वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर ही दूसरे व्यंग्य का बोध होता है । अतः इसका क्रम लक्षित है । अर्थगत इसलिये है कि उपसंहारात्मक अंतिम पंक्ति के किसी शब्द के अर्थ का पर्यायवाची शब्द के द्वारा प्रकट करने पर भी वही अर्थ और उसी व्यंग्य का बोध बना रहता है । इसलिये यह उदाहरण असंलक्ष्यक्रम और संलक्ष्यक्रम दोनों के मिश्रण से संकर का है । दोनों का मिश्रण इस तरह हुआ है कि पता नहीं चलता कि 'ऐसी सीता को वन जाने की आज्ञा मत दो' यह व्यंग्यार्थ असंलक्ष्यक्रम द्वारा व्यक्त होता है या संलक्ष्यक्रम द्वारा । क्योंकि असंलक्ष्यक्रम से जिस करुणा की व्यंजना होती है, उसके द्वारा भी कौसल्या का यही भाव व्यक्त होता है कि जानकी को वन जाने से राम रोक दें । इसलिये यह संकर का उदाहरण है ।

घाम घरीक निवारिये कलित-ललित अलिपुंज ।

जमुना तीर तमाल तरु, मिलत मालती कुंज ॥—विहारो

इसमें 'जमुना तीर तमालतरु, मिलत मालती कुंज' वाक्य इनके सुन्दर संयोग जैसा हमारा तुम्हारा भो सुन्दर संयोग होगा, इस अर्थान्तर में संक्रमण करता है। इससे अविवक्षित वाच्य अर्थान्तर संक्रमित ध्वनि है और इसीसे 'यह अत्यन्त रमणीय और निजेन स्थान है,' यह विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थशक्तिमूलक दूसरी ध्वनि भी है। अब यहाँ एक संशय होता है कि इनमें से कौन-सो ध्वनि मानी जाय। क्योंकि दोनों की समानता स्पष्ट है। इससे यहाँ संशयास्पद संकर ध्वनि है।

मोर मुकुट की चन्द्रिधन, यों राजत नेंदन्द ।

मनु ससिनेखर के अक्ष, किय मंखर सत चन्द ॥—विहारो

भक्त की उक्ति होने से देवप्रियकर रति भाव को, नायिका के प्रति दूती की उक्ति होने से शृंगार रस की, और सखी की उक्ति मखी के प्रति होने से कृष्ण-विषयक रतिभाव की ध्वनि है। अतः एक प्रकार की यह भी वक्तृबोद्धव्य को विलक्षणता से संशयास्पद संकर ध्वनि है।

अनुप्राहानुप्राहक संकर

जहाँ अनेक ध्वनियों में एक ध्वनि दूसरी ध्वनि की समर्थक हो—अर्थात् एक दूसरो अंग हो वहाँ उक्त संकर होता है।

यहाँ यह प्रश्न होना स्वभाविक है कि जहाँ एक व्यंग्य दूसरे व्यंग्य का अंग होता है उसे गुणीभूत अपरांग व्यंग्य के नाम से पुकारते हैं। फिर यह ध्वनि का भेद कैसे हो सकता है। किन्तु, यह धूलि-प्रक्षेप इस भेद को मिटा नहीं सकता। यथार्थ बात तो यह है कि गुणीभूत अपरांग व्यंग्य में एक व्यंग्य विलुक्त दूसरे का अंग होकर आता है अर्थात् अपना कुछ भो स्वतंत्र स्थिति न रखते हुए दूसरे का अक्षरपंक्त-मात्र होता है। किन्तु यहाँ एक ध्वनि अपना स्वतंत्रता को अनुपलक्ष्य रखते हुए दूसरो ध्वनि का भो उपकार कर देती है और अपने प्रधानता में बैसे ही कुछ भो आंच नहीं आने देती, जैसे कि चन्दन अपने में अपने सुगन्ध रखते हुए अपने से लिपटी वास्तु को भो सुरभित कर देता है। उदाहरण से समझिये—

पड़ा सूखा काठ

ठोकरै खाते-खिलाते पहर जाते श्राठ ।

× × × ×

ठेस देकर काठ कड़ता—सुनो लोगो और ।

यही फल भोगो, चलो या जमी पर कर गौर ॥

काठ किसको काटता ?—मत चीखते जाओ ।

घर अंगर जाना तुम्हें कुछ सीखते जाओ ॥

नया कर लो याद मत भूलो पुराना पाठ ।

पड़ा सूखा काठ ॥

—जानकीवल्लभ शास्त्री

ठेस देकर काठ का उपदेश देना जो मुख्य पद का वाच्यार्थ है उसका वाच्य इसलिये है कि ठेस देने की प्रवृत्ति और उपदेश देने की क्षमता चेतनगत धर्म है, शुष्ककाष्ठगत नहीं। अतः वाच्यार्थ का वाच्य हो जाने से लक्ष्यार्थ होता है कि काठ-सा चूड़ भी सदुपदेश देने का अधिकारी है। इससे व्यंग्यार्थ का बोध होता है कि संसार का कोई व्यक्ति तिरस्कार्य नहीं; ठोकर खाकर यह समझ लो। यहाँ अत्यन्त तिरस्कृत-वाच्य ध्वनि है। आगे की पंक्ति से अपनी असावधानी से दुःख पाकर लोभ व्यर्थ ही भाग्य को कोसा करते हैं, यह व्यंग्यार्थ विवक्षितान्यपर-वाच्य ध्वनि वा रूप खड़ा करता है। अतः यहाँ दो ध्वनियाँ हुई—एक लक्ष्णामूला और दूसरी अभिधामूला। और, उक्त पद्य में जो यह वाक्य है कि 'काठ किसको काटता' ? इसमें जो काठ शब्द है, वह अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि द्वारा अपने में असमर्थता, निर्जीविता, उपेक्षणीयता आदि का बोध कराता है और तब जो 'मत चीखते जाओ' कहता है उससे अपने ऐसे तुच्छ में भी अपमान होने पर प्रतीकार-समर्थता रूप व्यंग्य प्रकट करता है। इससे जो सारे व्यंग्यार्थ का बोध होता है वह यह कि 'समय पाकर एक सुच्छ पददलित भी अपना बदला सधा सकता है। एक तिनके को भी कमजोर न समझो। एक तिनका भी तुम्हें कुछ सबक सिखा सकता है—आदि'। इस व्यंग्याय के बोध कराने में काठ की अर्थान्तरसंक्रमित ध्वनि मुख्य है। पहलेवाली दो ध्वनियाँ अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनियाँ सहायक होती हैं और तब उपर्युक्त व्यंग्य प्रकट होता है। अतः यह अनुपाद्य अनुपादक का उदाहरण है।

एकव्यञ्जकानुप्रवेश संकर :

जहाँ एक से अधिक ध्वनियाँ एक ही पद या वाक्य में होती हैं वहीं यह भेद होता है ।

मैं नीर-भरी दुख की बदली !

विस्तृत नभ का कोई कोना ,

मेरा न कभी अपना होना ।

परिचय इतना इतिहास यही ,

उमड़ी कल थी मिट आज चली ।

मैं नीरभरी दुख की बदली ॥—म० दे० वर्मा

हूँ तो मैं नीरभरी दुख की बदली, पर बदली का-सा मेरा भाग्य कहीं ? बदली को विस्तृत नभ में छा जाने का अवसर भी मिलता है, पर मुझे तो इस घर के कोने में ही बैठकर अपने दुख के दिन काटने पड़ते हैं । इस प्रकार उपमान से उपमेय की न्यूनता बताने से व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट है । यहाँ बदली और विरहिणी की समानता न वाच्य है न लक्ष्य, अपितु साफ व्यंग्य है । बदली सही-सही आज उमड़ती और कल मिटती है, नीरभरी तो है ही; पर विरहिणी ठीक वैसी नहीं । भले ही वह क्षणभर के लिये उल्लसित होकर फिर उदासीन हो जाती हो और आँसुओं से डबडबायी रहती हो । अतः समता की व्यंजना ही है, जो संलक्ष्यक्रम है । इसी प्रकार समस्त गीत के वाच्यार्थ से करुण रस की भी व्यंजना होती है जो असंलक्ष्यक्रम है । अतः एक व्यञ्जकानुप्रवेश का यह उदाहरण है ।

कहता जग दुख को प्यार न कर ।

अनबिधे मोती यह हग के बंध पाये बंधन में कितके ?

पल पल बिनते पल-पल मिटते तू निष्फल गुँथ-गुँथ हार न कर ।

कहता जग दुख को प्यार न कर । —म० दे० वर्मा

प्रियतम के विरह में दुःख का जीवन घटनेवाले प्रेमी की तन्मय आराधना का मर्म न समझनेवाला कहता है कि तू दुख को प्यार मत कर । तू चाहता है कि अनबिधे हग की मोतियों का हार बनाकर प्रियतम के मिलने पर अपनी विरह-व्यथा का उपहारस्वरूप यह हार उनके गले में डाले, पर तेरा यह व्यवहार नितान्त व्यर्थ है । क्योंकि आँसुओं का हार बनाना असम्भव, अतएव व्यर्थ चेष्टा है । पद्य के

‘जग कहता है’ इस वाक्य में जग का लक्ष्यार्थ होता है केवल आदान-प्रदान के व्यापार में लित, प्रेमकला से अनभिज्ञ, हृदयहीन आदि। इससे प्रेमों की दृष्टि में जग की बातों का कोई मूल्य नहीं। इस प्रकार यहाँ जग का यह व्यंग्यार्थ अत्यन्त-तिस्कृत-वाच्य ध्वनि है। इस वर्णन से व्यतिरेकालङ्कार व्यंग्य है। क्योंकि यहाँ उपमेय श्रौंमुखों के यथार्थ वर्णन से उनके हाररूप में नन जाने की असंभाव्यता और उपमान भाँतियों की संभाव्यता चोत्तित होने से उपमेय की अपेक्षा उपमान का ही प्रकृतोपयोगी उत्कृष्ट ध्वनित है। पुनः जिस वाक्य से व्यतिरेकालङ्कार का व्यंग्यबोध होता है, उसीसे अत्यन्त दुःख-सहिष्णुता और सतत अश्रुचरुणशीलता की भी व्यंजना है। इससे असंलक्ष्यक्रम प्रवास-नवप्रलम्भ का परिपाक होता है। पुनः समस्त वाक्य से व्यक्त संलक्ष्यक्रम ध्वनि द्वारा अर्थतः यह भी व्यंग्य होना है कि इस दुःख के आराधक को निरन्तर दुःख का जीवन व्यतीत करते-करते उसीमें अपने को डुबोये रखना अतिप्रिय हो गया है। अतः वह ‘जग’ की कही बातों को उपहासास्पद और अपने कार्य को उचित और आवश्यक समझता है। इसलिये यहाँ असंलक्ष्यक्रम, संलक्ष्यक्रम, व्यतिरेक अलङ्कार आदि कई व्यंग्य एक साथ प्रकट हैं। इससे यहाँ एकव्यंजकानुप्रवेश संकर है।

ध्वनियों की संसृष्टि—

ऊपर कहा गया है कि त्रिलकुल आपस में मिलकर तादात्म्य जैसा स्थापित कर लेनेवाली ध्वनियों का संकर होता है और त्रिलकुल भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाली एक से अधिक ध्वनियों की संसृष्टि होती है। इसलिये अब अक्सर संगति से संसृष्टि का वर्णन किया जाता है। जैसे,

मचल-मचल कर उत्कण्ठा ने छोड़ा नीरवता का साथ ।

विकट प्रतीक्षा ने धीरे से कहा, निदुर हो तुम तो नाथ ॥

नाद मग्न की निर उपासिका मेरी इच्छा हुई इताश ।

वह कर उम्र निस्तब्ध वायु में चला गया मेरा निःस्वास ॥—नवीन

१. उत्कण्ठा का मचल-मचल कर नीरवता का साथ छोड़ना संभव नहीं। इससे लक्षणा द्वारा उत्कण्ठा को तीव्रता से उत्कण्ठित का चुरत होकर बोल उठना अर्थ हुआ। प्रयोजन व्यंग्य हुआ उत्कण्ठा का सीमा से पार हो जाना।

२. प्रतीक्षा का धीरे से कहना संभव नहीं। अतः लक्षणा द्वारा अर्थ हुआ—प्रतोक्षक का अघोर होकर उपालम्भ देना। व्यंग्य है प्रतोक्षा को असहना।

३. इच्छा के हताश होने का लक्षणा द्वारा अर्थ हुआ इच्छुक की आशाओं पर पानी फिर जाना। व्यंग्य है इच्छा और आशा को अरुन्तुद अमकलता।

४. निःश्वास के स्तब्ध वायु में वह जाने का लक्षणा द्वारा अर्थ हुआ सर्द आहों का बेकार होना, कुछ असर न डालना। व्यंग्यार्थ है आश्वासन या समवेदना का नितान्त अभाय।

इन चारों ध्वनियों में से कोई किसी का अंग नहीं। ये पृथक्-पृथक् प्रतीत होती हैं।

संकर और संसृष्टि का सम्मेलन

जैसे ध्वनियों के सम्मेलन से संकर और संसृष्टि होती है वैसे काव्य में ऐसे भी उदाहरण पर्याप्त हैं जिनमें संकर और संसृष्टि के सम्मेलन से भी संकर हो जाता है। जैसे—

अंगद दूत बनकर रावण की सभा में जाते हैं। वहाँ बातचीत के सिलसिले में तत्र दोनों पक्षों की बातें बहुत बढ़ जाती हैं तत्र अंगद क्रोध करके कहते हैं—

कोसल राज के काज हौं आज त्रिकूट उगारि लौ बारिधि चोरौ ।

महा भुजदंड हूँ अंडकटाह चपेट की चोट चटाक दै फोरौ ॥

आयसु भग ते जो न डरौ सब गीजि सभासद लोनित खोरौ ।

याल को बालक जो 'तुलसी' दसहू मुख के रन में रद तोरौ ॥

यहाँ अंगद का त्रिकूट पर्यंत (जिस पर लंका बसी थी) को उखाड़कर समुद्र में बोर देने का जो बात है वह अत्युक्ति-सी जान पड़ती है अतः वाच्यार्थ-बोध में बाध है। इसका लक्ष्यार्थ यह है कि अंगद अपने स्वामी के लिए शक्ति के बाहर की बात भी करने को तैयार हैं। व्यंग्यार्थ है अंगद का अत्यन्त क्रुद्ध होकर साहस-प्रदर्शन तथा असाध्य-साधन के लिये तत्पर होना। यह एक ध्वनि हुई। उसी की अगली पंक्ति में भी अंगद का अपने भुजदंड से अंडकटाह को चटारु से फोड़ना आदि का भी बाध है और यहाँ भी उसी प्रकार के लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ का बोध होता है। इन दोनों जगहों में अत्यन्त-

तिरस्कृत-वाच्य ध्वनियाँ स्वतन्त्र हैं। किसी का कोई अंग नहीं है। अतः संसृष्टि का उदाहरण है। आगे 'बालि के बालक' वाक्य के 'बालि' शब्द में अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि है—जिससे बालि की महाबल-शालिता, दशमुख-मान-मर्दन-क्षमता आदि की ध्वनि निकलती है। और, इन सबसे असंलक्ष्यक्रम ध्वनि वीर रस का परिपाक होता है। उससे संकर हो जाता है। इस प्रकार संसृष्टि तथा संकर के सम्मिश्रण से यह उपर्युक्त सम्मिश्रण का एक उदाहरण है।

इकतोसर्वी किरण

गुणीभूत व्यंग्य

वाच्य की अपेक्षा गौण व्यंग्य को गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं।

गौण का अर्थ है अप्रधान—मुख्य न होना और गुणोभूत का अर्थ है अप्रधान बन जाना अर्थात् वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारक न होना।

अभिप्राय यह कि जहाँ व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ से उत्तम न हो अर्थात् वाच्य अर्थ के समान ही हो या उससे न्यून हो वहाँ गुणोभूत व्यंग्य होता है १।

काव्य में चमत्कार ही का महत्त्व है। यदि वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ अल्प चमत्कारी हुआ तो वह गौण हो जाता है—उसकी मुख्यता नष्ट हो जाती है।

प्रधानतः काव्य के दो भेद होते हैं—ध्वनि और गुणोभूत व्यंग्य २।

उत्तम काव्यों—ध्वनि काव्यों में ध्वनि की प्रधानता होती है और मध्यम काव्यों—गुणीभूत व्यंग्य काव्यों में वाच्यार्थ का चमत्कार ध्वनि की अपेक्षा अधिक होता है या उसकी समानता में रहता है, यही ध्वनि और गुणोभूत में अन्तर है।

प्राचीन आचार्यों ने सामान्यतः गुणीभूत होने के आठ कारण निर्द्धारित किये हैं। इससे इसके आठ भेद होते हैं—१ अगृह्य

१ अपरं तु गुणीभूतव्यंग्यं वाच्योदनुत्तमे व्यंग्ये । साहित्यदर्पण

२ काव्यं ध्वनिगुणीभूतव्यंग्यश्चेति द्विधा मतम् । साहित्यदर्पण

व्यंग्य २ अपरांग व्यंग्य ३ वाच्यसिद्धयङ्ग व्यंग्य ४ अस्पृष्ट व्यंग्य
५ सदिग्य-प्राधान्य व्यंग्य ६ तुल्य-प्राधान्य व्यंग्य ७ फाक-क्षिप्त व्यंग्य
और ८ असुन्दर व्यंग्य ।

१ अगूढ़ व्यंग्य

जो व्यंग्य वाच्यार्थ के समान स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है वह अगूढ़ व्यंग्य कहलाता है ।

भाय वह कि जिस व्यंग्य को असहृदय मनुष्य भी सरलता से समझ ले सकता है वह व्यंग्य अगूढ़ है ।

जब व्यंग्य अर्थ गूढ़ होता है तभी सहृदयों का हृदयाह्लादक होता है । वह कामिनी-कुच-कलश के समान गूढ़ होकर ही प्रभावोत्पादक और चमत्कारक होता है । किसी-किसी का कहना है कि व्यंग्यार्थ अर्धगुप्त होना चाहिये १ ।

यह लक्षणा-मूलक और अभिधा-मूलक, दोनों प्रकार का होता है । अभिधा-मूलक में भी यह संलक्ष्यक्रम ही होता है असंलक्ष्यक्रम नहीं । क्योंकि उममें विभाव आदि के द्वारा जो व्यंग्य प्रतीत होता है, वह गूढ़ ही होता है ।

लक्षणा-मूलक अगूढ़ व्यंग्य

(क) अत्यन्त तिरस्कृत-वाच्य गुणीभूत अगूढ़ व्यंग्य

सीती विभावरी जाग री ।

अंबर पनघट में डुबो रही

तारा-घट ऊपा नागरी ।

खगकुल कुलकुल सा बोल रहा,

किसलय का अंबल डोल रहा,

लो यह तलिका भी भर लायी—

मधु मुकुल नरल रस गागरी ।—प्रसाद

१ कामिनी-कुच-कलशवत् गूढ़ं चमत्करोति, अगूढं तु स्फुटतया वाच्यायमानमिति गुणीभूतमेव । काव्यप्रकाश

२ तारा घटके मोहन नहीं उधरे होत कुपेय ।

अरथ टके छवि देत अति कवि-आसरा, कुच, केय ॥—प्राचीन

इस पद्य की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियों का उपा के द्वारा आकाश रूपी पनघट में ताराओं रूपी चट्टों का डुबाना वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ होता है—उपा के आगमन से आकाश के तारों का लुप्त होते जाना। और इसका जो व्यंग्यार्थ 'रात्रि का बीत जाना' है यह 'उपा' और उसके व्यापार से स्पष्ट है। 'बीती विभायरी' से तो वह और भी स्पष्ट हो जाता है। अतः अगूढ़ व्यंग्य है।

अंतिम दो पंक्तियों का वाच्यार्थ है—लतिका भी मुकुल को गांगरी में मधु रूप नवल रस भर लायी। यहाँ लतिका के द्वारा मुकुलों को गांगरी में रस भर लाना नितान्त असंभव होने के कारण वाच्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार है। लक्ष्यार्थ होता है कलियों का ग्लित्ना और मकरन्द से परिपूर्ण होना। फिर इससे वस्तु रूप इस व्यंग्यार्थ का बोध होता है कि प्रभात हो गया। अतः यहाँ अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य गुणीभूत व्यंग्य है। अगूढ़ व्यंग्य इसलिये है कि 'प्रभात हो गया' यह वस्तु रूप व्यंग्य कवि की प्रथम पंक्ति के कारण स्पष्ट हो जाता है। यदि अन्यान्य पंक्तियाँ न होतीं तो ये पंक्तियाँ शुद्ध अत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य ध्वनि का उदाहरण हो जातीं।

वियोगिनी यह विरह की रात।

आँसुओं की बूँद ही में बह गयी अज्ञात ॥—रा. कु. वर्मा.

यहाँ विरह की रात का आँसुओं की बूँदों में बह जाना, इस अर्थ का वाच्य है। अतः लक्ष्यार्थ यह हुआ कि वियोग की सारी रात रोते-रोते बीत गयी। इससे यह व्यंग्य निकलता है कि वियोग में सारी रात-नींद नहीं आती; विरह में दुखों का अन्त नहीं होता। 'रात बह गयी' के अर्थबोध से उसका सीधा अर्थ होगा 'रात बीत गयी'। यहाँ अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य गुणीभूत व्यंग्य ही है। क्योंकि इसमें 'बहना' के अर्थ का त्रिकुल तिरस्कार है और व्यंग्यार्थ सहज ही समझ में आ जाता है इससे अगूढ़ है। वाच्यार्थ की तरह स्पष्ट होते हुए भी व्यंग्यार्थ अपना शोभादायक आवरण लिये हुए हैं।

पानी बाढ़ नाव में घर में बड़े दाम।

दोऊ हाथ उलीचिये यही सधानो काम ॥—प्राचीन

संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं। दान-धर्म में खर्च कर डालो। व्यंग्य और वाच्य दोनों स्पष्ट हैं। यहाँ दाम के उलीचने का अर्थ अत्यन्त तिरस्कृत है।

वंश में जन्म लेना था ! अच्छा होता की गर्म ही गिर जाता । तू न जनमता तो आज तुझे इन तपस्वियों का दूत न बनना पड़ता । अब बतला, आजकल बालि कहीं है ?

राम के हाथ बालि का मारा जाना प्रसिद्ध था । इससे 'अब कहू कुशल बालि कहीं अहई' का व्यंग्यार्थ हुआ कि बालि का हाल क्या पूछें, यह तो गया ही, पर तुझे लज्जा होनी चाहिये कि जिसने तेरे पिता का वध किया उसीका तू सेवक बना है । यह व्यंग्यार्थ अर्थगत है और वाच्यार्थ की तरह स्पष्ट भी है ।

धनिकों के घोड़ों पर झूलें पड़ती हैं,
हम कहीं ठंड में बख्शीन रह जाते ।
बर्षा में उनके श्वान छाँह में सोते,
हम गीले घर में जगकर रात बिताते ।—मिलिन्द

इस पद्य से यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि कोई शोषितों के सुख-दुख की चिन्ता नहीं करता । उनको दशा जानवरों से भी गयी-ब्रीती है । यह व्यंग्य अर्थ-शक्ति से ही निकलता है और वाच्यार्थ ही की तरह अगूढ़ है—स्पष्ट है ।

२ अपराङ्ग व्यंग्य

जो व्यंग्य अर्थ किसी अपर (दूसरे) अर्थ का अंग हो जाता है वह अपराङ्ग व्यंग्य कहलाता है ।

'अपर' के पेटे में आठ रस, भाव आदि असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद, दो संलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद और वाच्य अर्थ, कुल ग्यारह आते हैं । यहाँ अंग हो जाने का अभिप्राय है गौण हो जाना अर्थात् अंगों का सहायक होकर रहना जिससे अंगो परिपुष्ट हो ।

असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के अन्तर्भूत जो रस, भाव आदि हैं उनसे इन अंग-भूत रसादिकों का यही भेद है कि वे जहाँ प्रधान रहते हैं वहाँ अलंकार्य होकर प्रधान रूप से ध्वनित होते और यहाँ ये अपराङ्ग होकर अर्थात् प्रधान के अंग होकर गौण हो जाने से अलंकार रूप में रहने के कारण गुणीभूत व्यंग्य कहलाते हैं ।

गुणीभूत रस १ रसवन् अलंकार २ गुणीभूत भाव प्रेयस् अलंकार ३ गुणीभूत रसाभास तथा ४ गुणीभूत भाषाभास ऊर्जशो

अलंकार और ५ गुणीभूत भावशान्ति समाहित अलंकार के नाम से अभिहित होते हैं। ६ भावोदय ७ भावसन्धि और ८ भावशत्रुता अपने-अपने नाम से ही अलंकार कहे जाते हैं जैसे भावोदय अलंकार, भावसन्धि अलंकार आदि।

१ रस में रस की अपराङ्गता

एक रस जहाँ किसी दूसरे रस का अङ्ग हो जाता है वहाँ वह रस अपराङ्ग गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है।

रस के अपरांग होने का अभिप्राय उसके स्थायी भाव के अपरांग होने से है। क्योंकि परिपक्व रस किसी दूसरे का अंग नहीं हो सकता।

तपनो हे संसार यह रहत न जाने कोय ।

मिलि पिय मनमानी कारी कल कहाँ पौ होय ।—प्राचीन

यहाँ शान्त रस शृंगार रस की पुष्टि कर रहा है। अतः शृंगार रस का अंग हो जाने से शान्त अपरांग हो गया है। यहाँ एक अमंलक्ष्य-क्रम व्यंग्य ही का दूसरा असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य अंग है।

पूर्वोक्त निश्चयानुसार यहाँ शान्त रस से निर्वेद या शम को ही गुणीभूत समझना चाहिये। उसीके गीण होने से यह काव्य गुणीभूत व्यंग्य है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जहाँ-जहाँ रस को गीणना हो वहाँ-यहाँ रस के स्थायी भावों की ही गीणता समझनी चाहिये।

भये मुद्ध युद्ध विरुद्ध एषुपति श्रेण सायक परामसे ।

कोदंड पुनी घतिचंड मुनि मनुजाद सब मारुत प्रमे ।

मंदोदरी उर कंप कपित कमठ भूपर अति प्रधे ।

चिपरदि दिग्गज दगन गदि मदि देरि कौतुक सुर हँसे ॥—तुलसी

इन पंक्तियों में राम-रावण को लड़ाई का वर्णन है। यहाँ राम के कोदंड की टंकार मुनकर कमठ और भूपर का टरना तथा दिग्गजों को चीत्कार करके दंत से पृथ्वी परुड़ना आदि भयानक की सामग्री राम के वीरोन्माह को सहायक है। अतः यहाँ भयानक रस वीररस का अंग स्वरूप—अलंकार होकर उद्घोषक है। यहाँ अपरांग भयानक भाव है।

२ भाव में रस की अपरांगता

चाह नहीं मैं मुरखला के गहनों में गुँथा जऊँ ।

बाह नहीं प्रेमो-माला में बिध प्यारी के ललषऊँ ॥

चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि ! लाला जाऊँ ।

चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ ॥

सुभे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक ।

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक ॥—भा० आत्मा

इस कविता में विविध-कामना-हीनता के वर्णन से शांत रस की ध्वनि निकलकी है और यह ध्वनि अंत में मातृभूमि के नाम पर मरने-वाले वीर-विषयक रति भाव को पुष्टि करती है। अतः यहाँ शांत रस रति भाव का अपरांग हो गया है।

३ भाव में भाव की अपरांगता

जहाँ एक भाव दूसरे भाव का अङ्ग हो जाता है वहाँ भाव से भाव की अपराङ्गता होती है।

मत मेरा संसार मुझे दो ।

योग्य नहीं यदि मैं जीवन के, जीवन के चेतन लक्षण के,

मुझे खुशी से दो मत जीवन, मरने का अधिकार मुझे दो ।

मत मेरा संसार मुझे दो ।—वचन

अपने को जीवन के अयोग्य सिद्ध करने से—अधिकारदाता की दृष्टि में अयोग्य होने से, जीवन के प्रति निर्वेद भाव की व्यञ्जना होती है। अतः माँगनेवाला दाता से संसार नहीं चाहता, मरण चाहता है। इससे उसकी 'धृति' व्यंजित होती है। अतः 'धृति' भाव का यहाँ निर्वेद भाव अङ्ग हो गया है।

डिगल पानि डिगुलात गिरि, लखि सब ब्रज बेहाल ।

कंपि किशोरी दरसि कै, लरै लजाने लाल ॥—विहारी

यहाँ कृष्ण के सात्विक भाव कंप से व्यञ्जित रति भाव का लज्जा भाव अंग है। अतः एक भाव दूसरे भाव का अंग है।

ज्यों भरि के जल तीर धरी निरख्यो स्यों अधीर हूँ न्हात बन्हाई ।

जानै नहीं तिहि ताकनि मैं 'रतनाकर' कीनी कहा टनुहई ॥

छाई कट्ट हठवाई शरीर के नीर में आई कट्ट भरवाई ।

नागरी थी नित की जो सधी सोइ गागरी आज उठै न उठई ॥—रतनाकर

अपने ऊपर कन्हाई की दृष्टि पड़ने से नायिका का सुध-धुव खो देना उसका पर्वानुराग (रति भाव) व्यंजित करना है और उस अनुराग का 'जड़ता' संचारी भाव अंग है। इससे भाव में भाव की अपरांगता

चना चक्षेना गंगजल जो पुरखे करतार ।

कशी कव हौं सेइहीं, विद्वनाथ दरबार ॥—प्राचीन

यहाँ निर्वेद भाव चिंता संचारो भाव का अंग है ।

४ भाव में भावामास की अपरांगता—

श्यामास किम्बो भाव का जहाँ अंग हो जाता है वहाँ पर यह भेद होता है ।

ऊर्धो तहाँई चलो लै हर्म, जहँ कूचरी कान्ह बनें एक टोरी ।

देखिय 'दाम' अघाड-अघाड निहारे प्रसाद मनोहर जोरी ॥

कूचरी छौ कछु पाइये मंत्र, लगाइये कान्ह सौं प्रेम की टोरी ।

कूचर भक्ति बढ़ाइये शृन्द चढ़ाइये बंदन चंदन रोरी ॥—दास

गोपियों का अपनी मपत्नी कूचरी के नजदीक चलने की प्रार्थना करना, अपने प्रिय को स्तौति के साथ देखकर प्रसन्न होना, कूचरी-जैसी मूर्धा से बुद्ध मन्त्र सीखना आदि से परिपुष्ट कूचरी के प्रति भक्ति भाव (रति भाव) के वर्णन में अनीचत्य है । अतः भावाभास है और यह भावाभास 'असूया' भाव का अंग हो गया है ।

५ भाव में रसाभास की अपरांगता—

भावाभास की तरह रसाभास भी अंग होता है ।

गूचरी ऊचरे भोवन को कछु मोन कही दधि को तव देहीं ।

'दिव' द्नों इतराहु नहीं ई नही शृदु बोलन मोल विकैहीं ॥

भोन कही अनमोल विक्राहुगी एँव अबै अपरास लैहीं ।

कौसी कही फिर ती कही कान्ह अबै कछु हौं हूँ कथा कि छौं कहीं ॥

यहाँ परकीया नायिकाकृत जो शृंगार-रस व्यंजक समापण है यह रसाभास का विषय है और यह रसाभास नायिकागत हर्ष, चंचलता तथा आशुभय भाव का अंग होकर आया है । अतः रसाभास अपरांग है ।

६ भाव में भावशान्ति की अपरांगता—

जहाँ भावशान्ति अन्य भाव का अंग होकर रहती है, यहाँ भाव-शान्ति की अपरांगता होती है ।

रावन को रनी ज तुषानी बिलत नी कहे,

हा ! हा ! बोकु कहे भीम बाहु दग मथ सो ।

बाहे मेघनद, बाहे कहे रे महेश्वर तु

भीरव न देत लद सेन क्यों न दय सो ॥

काहे अतिक्रम्य काहे काहे रे अर्कपन
 अभागो तिय त्यागे भोदें भागे जात साथ तो ।
 'दुलसी' वढाय भादि साल तें विश ल •याहें
 याही बल वालिसो ! विरोध रघुनाथ सों ॥

यहाँ रावण, मेघनाद आदि में जो वीरोत्साह का भाव है उसका त्रास के उदय होने से जो प्रशमन हुआ वह मन्दोदरी की उग्रता संचारो का अंग है । अतः यह उक्त भेद का उदाहरण हुआ ।

कौन विरमाये, कित छाये, अजहूँ न आये,
 कैसे सुधि पाऊँ प्यारे मदन गुपाल की ।
 लोचन जुगल मेरे ता दिन सफल हुँ हैं,
 जा दिन बदन छवि देखौँ नंदलाल की ।
 'सेनापति' जीवन अधार गिरिधर बिन
 और कौन हरे बलि बिया मो विहाल की ।
 इतनी कहत, आँसू बहत, फरक उठी
 लहर लहर दग घाँई प्रजावल की ।

प्रथम पंक्ति में ब्रजबाला का वितर्क भाव है जिससे पुष्ट होकर तीसरी पंक्ति से विषाद भाव व्यञ्जित होता है । अंतिम पंक्ति में हर्ष की व्यञ्जना से विषाद की शांति हो गयी है । इससे भाव-शान्ति में हर्ष भाव की अपरांगता है ।

७ भाव में भावोदय की अपरांगता

भावोदय जहाँ किसी दूसरे भाव का अंग हो जाय वहाँ भावोदय की अपरांगता होती है ।

जासु विलोक अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मन छोभा ।
 सो सब कारन जानु विधाता । फरकहि सभग अंग सुनु धाता ।
 रघुवंधिन कर सहज सुभाऊ । मन कुपंथ पग धरें न काऊ ।—तुलसी

जानकी की अलौकिक शोभा से राम के पुनीत मन में विकार उत्पन्न होने से रति भाव का उदय है । और, रघुवंशियों का मन कुपंथ पर कभी नहीं जाता, इस उक्ति से राम की 'मति' की व्यञ्जना होती है जिसका उक्त भावोदय अंग है । अतः यहाँ भावोदय की अपरांगता है ।

साजि दल सहज सितारा महाराज चले
 बाजत नगारा पैठ धराधर साथ ले ।

राइ उमराइ राना देस देसपति भागे -
 तजि-तजि, गइन गदोई, दसमाथ से ।
 पैग पैग होत भारी-डौंवाःडोल, भूमि गोल,
 पैग पैग होत दिग मँगल अनाथ से ।
 उलटत पलटत गिरत मुकत वभक्त
 शेषकन वेद पाठन के हाथ से ॥—भूपण

सितारा महाराज की युद्धयात्रा करने पर राजा-महाराजश्रीं के भागने से त्रास भाव व्यंजित होता है। अतः भावोदय है। यह भावोदय सितारा महाराज की स्तुति का पोषक है। इसलिये यह राज-विषयक रति भाव का अंग है।

८ भाव में भाव-संधि की अपरांगता

जहाँ समान चमत्कार-श्रेयक दो भावों की संधि किसी भाव का अंग होकर रहती है वहाँ भाव संधि की अपरांगता होती है।

फारटि लरत, गिरि गिरि परत, पुनि उठि उठि गिर पात ।

लगनि-लरनि चर भट चतुर करत परस्पर पात ॥—दु. ल. भागवत

नायिका को श्रौंवां के वर्णन में लज्जा और श्रौंसुष्य भावों की संधि है। यह संधि प्रिय-विषयक रति भाव का अंग हो गयो है। अतः यहाँ भाव-संधि की अपरांगता है।

छुटै न लाज न लालची प्यो लखि नैहर गेह ।

राटपटात लोचन करे भरे सकोच सनेह ॥—विहारी

इसमें प्रिय-मिलन का लालच, (श्रौंसुष्य और शयलता) तथा नैहर की लाज दोना भावों की संधि है जो नायक-विषयक रति भाव का अंग है।

९ भाव में भाव-शयलता की अपरांगता

जहाँ भाव-शयलता किसी भाव का अंग हो जाती है, वहाँ उसकी अपरांगता होती है।

गुगिरि गगुनि न पिराति संक भाषित,

तरकि उप धानि मगलनि दरगति दे ।

उनिदति अलप्राति सोभन सगौर चौकि,

बादि चिन्त धमिन गगय दरगति दे ।

‘दस’ पिसनेह एन एन भव बदलति,

स्वमा सविराग दीन मनि के मगति दे ।

जल्पति, जकति, कहरति कठिनाति मति,
मोहित मरति विललाति विलखाति है।

यहाँ प्रिय के वियोग में तेंतीसो संचारी भावों का एक साथ-प्रतीत होना भाव-शबलता है जो रति भाव का अंग होकर आया है।

रीम्कि-रीम्कि, रहसि-रहसि, हँसि-हँसि उठै,
साँसै भरि, आँसू भरि कहत दर्ई-दर्ई।
चौंकि-चौंकि, चकि-चकि, उचकि-उचकि 'देव',
जकि-जकि, चकि-चकि परत बई-बई।
दुहुन को रूप गुण दोऊ धरनत फिरैं,
घर न थिरात रीति नेह की नई-नई।
मोहि-मोहि मोहन को मक भयो राधिका मै,
राधा मन मोहि-मोहि मोहन मई-मई।

यहाँ भी मोहन के विषय में राधा के और राधा के विषय में मोहन के रति भाव के हर्ष, मोह, विषाद, उत्सुकता आदि पद्योक्त संचारी भाव अंग होकर आये हैं। अतः यहाँ भाव-शबलता की अपरांगता है।

उपर्युक्त सातों रसवत्, प्रेम, ऊर्जस्वि, समाहित, भावोदय, भावसंधि और भावशबलता को कितने आचार्य अलंकार के अन्तर्गत मानते हैं और कितने गुणोद्भूत व्यंग्य में ही इनकी गणना करते हैं। अपरांग होकर रस, भाव आदि को भूषित करने के कारण ही इनकी गणना अलंकार में की गयी है। यहाँ इनमें नाम मात्र का आलंकारिक धर्म है। यथार्थतः ये गुणोद्भूत व्यंग्य ही हैं। क्योंकि इनमें विशेषतः गीण रूप से व्यंग्य ही वत्तमान हैं। विशिष्ट आचार्य इसी के पक्ष में हैं।

शब्द-शक्ति-मूलक व्यंग्य और अर्थ-शक्ति-मूलक व्यंग्य जहाँ वाच्यार्थ के अंग होकर आते हैं उनके क्रमशः उदाहरण इंद्रे जाते हैं।

वाच्यार्थ में शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम की अपरांगता

धरत धरणि ईस सीस चरणोदकनि,
गावत चतुर मुग सय मुख दानि ये।
शोभल अमल पद कमलाकर कमल
लालित बलित गुण कयों न उर आनि ये।
द्विरण कसिपु दानकारी प्रदत्ताद हित,
द्विजपद उर धारी वेद न यतानिये।

‘केशवदास’ दारिद्र्य-दुरद के बिदारिवे को,

एके नरसिंह के अमरसिंह जानिये ।

यह पद्य अमरसिंह की प्रशंसा में लिखा गया है। दारिद्र्य-रूपी हाथी को काड़ने में एक नृसिंह भगवान समर्थ हैं या तद्रूप अमरसिंह। नृसिंह भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं और उनके चरणोदक को इंश (महादेव) शाश पर धरते हैं। चतुरमुख (ब्रह्मा) उन्हें सब मुख देनेवाला कहते हैं। उनके कोमल और स्वच्छ चरण निरन्तर लक्ष्मी के करकमलों से सेवित होते रहते हैं। वे अनेक गुणयुक्त तो हैं ही। उन्हें हृदय में क्यों न स्थान दिया जाय जो हिरण्यकशिपु के मारनेवाले और प्रह्लाद की रक्षा करनेवाले हैं। जिन्होंने द्विजपद (भृगु-चरण-प्रहार-चिह्न) को हृदय में धारण किया है, जिसे वेदां ने भोग्याना है—वे ही नृसिंह भगवान दारिद्र्य रूपी हस्ती का नाश करने में समर्थ है। क्योंकि सिंह में ही हस्ती को नष्ट करने की शक्ति है। साथ ही अमर-सिंह भी नरसिंह भगवान को ही तरह हैं। यह जो समूचे वर्णन से उभरा व्यंग्य है, यह अन्तिम चरण के वाच्यार्थ का शोभा का उपकारक है। शब्दाश्रित माधुर्य यों है—अमरसिंह के चरणोदक को भी धरणि-इंश (बड़े-बड़े राजा) अपने शोश पर धारण करते हैं। चतुरों के मुख से उनकी भी प्रशंसा की जाती है, उनके कोमल चरण भी कमल सरोवर के कमलों से सेवित हैं। वे भी हिरण्य (हिरण्य = सोना) कशिपु (शक्या) दान करते हैं और प्रह्लाद (प्रकृत आनन्द के हेतु हैं। ब्राह्मणों का चरण हृदय से लगाते और वेदां की नयो निर्धि हैं। इस प्रकार शब्द-शक्ति-भय, जो नृसिंह की समानता का बोधक, व्यंग्यार्थ है, यही अमरसिंह में नरसिंह की विशेषता का बोधक होता है। अतः उन्हें दारिद्र्यद्विन्द का नाश करने में समर्थ जानना चाहिये। इसका वाच्यार्थ तो प्रधान है पर शब्द-शक्ति-भय व्यंग्यार्थ इसका उपकारक है। शब्द-शक्ति-भय इसलिये है कि अनेकार्थक शब्दों के पर्यायवाची शब्द रखने पर यह व्यंग्यार्थ नहीं प्रकट हो सकेगा। यही शब्द-शक्ति-मूलक अनुरागन से उभरा अनुराग की ध्वनि होती है पर इनर कोटि में अमरसिंह की उक्ति से यह प्रमान नहीं रह पाता। इसमें गुणीभूत व्यंग्य हो जाना है। वाच्यार्थ के प्रधान हो व्यंग्यार्थ सूचित होता है। इससे संलक्ष्यकमन्यग्य-ध्वनि से जो उभरा

व्यंग्य है वह 'कै अमर सिंह जानिये' वाच्यार्थ का अंग है । अतः अपरांग गुणीभूत व्यंग्य है ।

वाच्यार्थ में अर्थशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम की अपरांगता

आ रही संख्या घरा में फैलता जाता अंधेरा,
खो गया किस अंध वन में हाथ ! जीवन-मार्ग मेरा ।
कर रहे विश्राम सुख से जब जगत के जीव सारे,
मैं भटकता खोजता हूँ विश्व में अपना वसेरा ।
खा रहा हूँ ठोकरों में शान्ति-सुख से हीन होकर,
उब चला तो, पर कहाँ जाऊँ, कहे उड़डीन होकर । —आरसी

यहाँ आश्रय-हीन विहग की आत्म-चिन्ता के द्वारा घर से भागे हुए किसी भावुक नवयुवक का अच्छा चित्रण किया गया है । संख्या-समय जब काफी अंधेरा हो गया है, जब सारे पक्षी अपने-अपने वॉसलों में आकर विश्राम कर रहे हैं तब शान्ति और सुख का भिखारी वह अभागा विहग अपना वसेरा ही खोजता फिरता है । वह अपने पूर्व आश्रय-गृह से बड़ी आशा और अभिलाषा लेकर चला था, मगर जब संसार में उसे ठोकरें खानी पड़ीं और भावुकता से कुछ व्यावहारिकता के लोक में आया, तब उसे अपनी गलती पर खेद होने लगा । कवि ने विहग-वृत्तान्त के द्वारा अपने परिजनों को छोड़कर भागे हुए किसी युवक के वृत्तान्त को दृष्टान्त रूप से व्यक्त किया है । यह विहग-वृत्तान्त-वर्णन व्यंग्यार्थ की अपेक्षा न करके भी स्वतः सिद्ध है और व्यंग्यार्थ इसीकी परिपुष्टि करता है । अतः यहाँ संलक्ष्यक्रम व्यंग्य की अपरांगता है । यहाँ का व्यंग्य अर्थशक्त्युद्भव इसलिये है कि पद्य के सब शब्द अपने पर्यायवाची शब्दों से भी यहाँ अर्थ सूचिन करेंगे ।

विधुर कमलिनी निवृत्त आ कहें विताकर रात ।

लक्ष्मी भनावत पाँच पाँच सहस्र किरन सति प्रातः ॥ अनुवाद

अनुनय-विनय के विना ही मान-भंग करनेवाली मानवती नायिका से उसकी अन्तरंग सखी कहती है कि सखि ! देखो, यह सूर्य सारा रात अन्वत्र विताकर प्रातःकाल अपनी विरह-विधुरा कमलिनी को प्रणियात पूर्वक मना रहा है । अर्थात् अपनी किरणों के स्पर्श से मुकुलित कमलिनी को विकसित कर रहा है ।

इसमें सूर्य और कमलिनी का जो वृत्तान्त घणित है वह प्रासंगिक है। यही वाच्यार्थ है। इस वाच्यार्थ से नायक-नायिका का जो व्यापार प्रतीत होता है वह व्यंग्यार्थ है। इससे शृंगार रस का जो आनन्द उपलब्ध होता है उससे उक्त वाच्यार्थ का उत्कर्ष ही होता है। यहाँ लम्पट नायक और इनायिका का जो वृत्तान्त समान व्यापार से अर्थ-शक्तिमूलक व्यंग्यार्थ के रूप में निकलता है वह अप्रासंगिक है। यह अप्रधान होने पर भी वाच्यार्थ के चमत्कार को बढ़ा देता है। अतः व्यंग्याथे वाच्यार्थ का अंग है अर्थात् अपरांग गुणीभूत व्यंग्य है। अर्थशक्तिमूलक इसलिये है कि शब्द बदल देने पर भी यह व्यंग्यार्थ प्रतीत हो सकता है।

३ वाच्यसिद्धयङ्ग व्यंग्य

जहाँ अपेक्षित व्यंग्य से वाच्यसिद्धि होती है वहाँ वाच्य-सिद्धयङ्ग व्यंग्य होता है।

वाच्य-सिद्धयंग और अपरांग में यही विभिन्नता है कि अपरांग में वाच्य की सिद्धि के लिये व्यंग्य की अपेक्षा नहीं रहती। व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की थोड़ी बहुत सहायता मात्र कर देता है। पर, वाच्यसिद्धयंग में तो व्यंग्यार्थ के बिना वाच्यार्थ की सिद्धि ही नहीं हो सकती।

रोदन मिलये अलि भले चतुर अहेरी मार ।

कानन चारी नैन मृग नागर नरन छिहार ॥—बिहारी

यहाँ चतुर शिकारी कामदेव ने बड़े-बड़े चालाक मनुष्यों का अहेर करना काननचारी नयन मृगों को सिखला दिया है।

इस पद्य में कवि ने विरोधालङ्कार का चमत्कार दिखाने के लिये नयनो पर मृगश्च का आरोप किया है, नयनों को मृग मान लिया है। पर जब तक किसी साधारण धर्म की सिद्धि नहीं होती तब तक अक्त आरोप निराधार ही रह जाता है। अतः दोनों का काननचारी होना साध्य है। विचारने से यहाँ यह स्पष्ट है कि कानन शब्द रूटि और आरोपमाण की प्रधानता के बल से बेयज्ञ 'धन' का अर्थ दे सकता है 'उभय कान' का नहीं। इसलिये यह श्लेष का विषय न रहा। अब दोनों अर्थों की प्रतीति के लिये अभिधा-मूला ध्वजना की शरण लेनी पड़ी, जिसमें व्यंग्याथे दुआ 'उभय कान'। इस प्रकार व्यंग्यार्थ निकलने में साधारण धर्म की सिद्धि हुई और रसक ही जड़ जमी। जब तक

काननचारी का अर्थ जंगल में विचरनेवालों के अतिरिक्त 'कानों तक पहुँचे हुए' नहीं होता, तब तक वाच्य रूपक की सिद्धि ही नहीं हो सकती। ऐसा व्यंग्य 'वाच्यसिद्धयंग' कहलाता है।

पँखड़ियों में ही छिपी रह, कर न बातें व्यर्थ ।
 हँड कोपों में प्रियतम—नाथ का तू अर्थ ॥
 हटा घूँपट पट न मुख से; मत उभर कर भौंक ।
 बैठ पर्दे में दिवानिशि मोल अपनी आँक ।
 कर अभी मत किसी सुन्दर का निवेदन ध्यान;
 री सजनि वन की कली नादान ! —आरसी

वन की कली के प्रति यह कवि की उक्ति है। इसमें व्यर्थ बातें करना, कोपों में प्रियतम का अर्थ हँडना, मुख से घूँपट हटाना, उभरकर भौंकना, पर्दे में बैठकर रातदिन अपना मूल्य आँकना आदि ऐसा घण्टेन है जिससे एक मुग्धा नायिका का भान होता है। यदि यह व्यंग्य न मानें तो कली से जो बातें ऊपर कही गयी हैं उनकी सिद्धि ही नहीं होती। अतः यहाँ मुग्धा नायिका का व्यंग्य वाच्योपस्कारक होने से वाच्य सिद्धयङ्ग गुणोभूत व्यंग्य है।

४ अस्फुट व्यंग्य

जहाँ व्यंग्यार्थ स्फुट रीति से नहीं समझा जाता हो, वहाँ अस्फुट व्यंग्य होता है।

अर्थात् जहाँ व्यंग्य अच्छी तरह सङ्ग्रहों को भी न प्रतीत होता हो। बहुत मायापद्म करने—दिमाग लड़ाने पर ही जो समझ में आ सकता हो वह अस्फुट व्यंग्य है। जैसे,

जिले नव पुप जग प्रथम मुगंध के,
 प्रथम वसंत में गुच्छ गुच्छ ।—निराला

यहाँ यौवन के पहले चरण में प्रेयसी की नयी-नयी अभिलाषायें चिदित हुईं, ऐसा व्यंग्यार्थ-बोध कठिनता से होता है। यह व्यंग्य यहाँ अस्फुट है—बहुत गूढ़ है।

'दास' धनि ते हैं जे वियोग ही में दुःख पायें
 देखे प्राण वो के होनी जिय में सुखित हैं ।
 हमें तो तिरारे नेह एकदु न मुख लागु
 देखेहु दुखित मनदेखेहु दुखित हैं ।

वे स्त्रियाँ धन्य हैं जो वियोग ही में दुख पाती हैं और संयोग में सुख पाती हैं। किन्तु, प्यारे ! तेरे नेह से मुझे तो किसी तरह से सुख नहीं है। देखने में भी दुख है, न देखने में भी दुख ही है।

इससे दिमाग लड़ाने पर यह व्यंग्य निकलता है कि आप सदैव समीप रहिये, कहीं मत जाइये। क्योंकि दूर रहने पर देखने की उत्कट इच्छा होती है और समीप रहने पर वियोग हानि की चिन्ता सताती रहती है। अतः यहाँ अस्पृष्ट व्यंग्य है। यहाँ परकीया होने से निःशङ्क स्थान में एकान्त मिलन की कामना भी व्यंग्य हो सकती है जो अस्पृष्ट है।

५. संदिग्ध-प्राधान्य व्यंग्य

वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों में किसकी प्रधानता है इस बात का जहाँ संदेह रहता है वहाँ संदिग्ध-प्रधान व्यंग्य होता है।

सुमिरि सीय नारद वचन, उगजी प्रीति पुनीत।

चकित विनोक्ति दिमि, अनु सिमु मृगी सर्भोत ॥—सुलसी

राम और लक्ष्मण प्रभात समय गुरु की आज्ञा से पूजा के लिये जनक की पुलवारी में फूल लेने गये हैं। उन्ही समय सीता भी गौरी-पूजन के लिये सत्रियों के साथ आयी हैं। एक मृगी, जिसने दोनों भाइयों को पहले देखा था आकर उनका स्तव-वर्णन करती है। उसीके बाद का यह उपयुक्त दोहा है। दोनों भाइयों का वर्णन सुनकर और नारद के वचन का स्मरण कर, जानकी के हृदय में पवित्र प्रीति उपजी और वे चारों तरफ चकित होकर वैसे देखने लगीं जैसे बाल मृगी भयभीत होकर देखने लगती है। यहाँ मोता का भयभीत बाल मृगी के समान चारों ओर देखना वाच्यार्थ। जिसमें सीता के श्री-मुख्य की व्यञ्जना होती है। भयभीत बाल मृगी को उग्रता से वाच्यार्थ में भी अत्यन्त चाम्त्ता आ गयी है। अतः यहाँ वाच्यार्थ का अधिक प्रभुत्व है या व्यंग्यार्थ का, यह निर्णय करना कठिन ही है। इसलिये यहाँ संदिग्ध-प्रधान्य व्यंग्य है।

धके नवन रगुनि एवि देगी। एनवनट्टे पविहरी निसेभी।

अधिक मनेद देद भर भोरी ! गरद गविद अनु विनव बरोरी।

रामचन्द्र की एवि देखते देखते जानकी अत्यन्त भेद से वैसे विभोर हो गयीं जैसे शरद के चन्द्रमा को देखकर चरोरी विभोर हो जाती है। यहाँ भी वाच्यार्थ (उपमागत) का प्रभुत्व अधिक है या भेद भर

भोरी' से व्यञ्ज्यमान जडता संचारी भाव का। इसमें संदेह रहने के कारण ही यह उदाहरण भी संदिग्ध-प्राधान्य का ही है।

'तुल्य-प्राधान्य' से इसमें इतना ही भेद है कि यहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की समान कोटि में रहता है और यह बात निश्चित रहती है। किन्तु यहाँ दोनों में किसकी प्रधानता है, इसमें संदेह बना रहता है।

जैसे शब्द निहारि के इकट्ठक तकत चकोर।

त्यों मनमोहन तक रहे तिय विबाधर और ॥—दास

नायिका के लाल अवरों को मनमोहन के अपलक देखने से यह व्यंग्य निकलता है कि ओठ बड़े सुन्दर हैं और यह भी व्यंग्य प्रकट होता है कि वे अवरामृत पान के इच्छुक हैं। इन दोनों व्यंग्यों की प्रधानता में संदेह है। यह भी एक प्रकार का उक्त भेद का उदाहरण हो सकता है।

तुल्यप्राधान्य व्यंग्य

जहाँ व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों की प्रधानता तुल्य हो, समान ही प्रतीत होती हो वहाँ तुल्यप्राधान्य व्यंग्य होता है।

दिन दिन दूनी देखिये भीर साँभ श्रु भोर।

प्यारी तेरो वदन लगि दौरत भौर चकोर ॥—प्राचीन

साँभ-सधेरे तेरे मुख को देखकर चकोरों और भीरों की दिन-दिन दूनी भीड़ लगी दीख पड़ती है। यह वाच्यार्थ है। व्यंग्य है कि तेरा मुख चाँद-सा और कमल-सा सुन्दर है। इन दोनों में चमत्कार एक सा है। इससे इनकी प्रधानता तुल्य है।

आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात !

चार दिन सुन्दर चाँदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात ॥—पंत

बचपन का कोमल कलेवर बुढ़ापे में पीले पात का सा अमुन्दर और निष्प्रभ हो जाता है। चाँदनी रात भी कुछ ही दिनों के लिये होती है। फिर तो अंधकार ही अंधकार है। इससे यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि संसार में सबके सब दिन एक समान नहीं व्यतीत होते। यहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रधानता तुल्य है।

काक्याक्षित व्यंग्य

जहाँ काकु द्वारा आक्षिप्त होकर व्यंग्य अवगत होता है वहाँ गुणीभूत काकाक्षिप्त होता है।

काकु एक प्रकार का कंठरव है जिसके उच्चारण के साथ ही साथ वाच्यार्थ से विपरीत अर्थ निकलता है जो व्यंग्य रूप में रहता है। तत्काल ही व्यक्त हो जाने के कारण इस व्यंग्य में गौणता होती है।

उन्के घर में कोलाहल है मेरा सूना है गुफा द्वार।

तुमको ऐसी क्या कमी रही जिसके हित जाते अन्य द्वार।—कामायनी

श्रद्धा के सहवास में रहते-रहते जब मनु का मन ऊब गया तब उनको अपने अकर्मस्थ जीवन से अरति-सी हो गयी। एक दिन जब वे मृगया से लौटे तो श्रद्धा ने नीड़ के चिड़ियों के एक जोड़े की ओर इशारा करके कहा—‘देवो, ये अपने श्रृंखों को चूम रहे हैं। उनके घर में कितना कोलाहल है अर्थात् उनका घर अपने परिवार से भरा-पुरा है, मगर मेरा गुफा-द्वार बिल्कुल सूना-सूना है। तुमको किस चीज की कमी है जो दूसरे के द्वार जाया करते हो?’

यहाँ उक्त पद्य की अंतिम पंक्ति में काकु के द्वारा आक्षिप्त—व्यक्त ऐसा अर्थ होगा कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिये तुम कभी दूसरों के द्वार पर मत जाया करो। यह व्यंग्यार्थ काकाक्षिप्त है और इसके बाद किसी दूसरे व्यंग्य का बोध नहीं होता। अतः यहाँ काकाक्षिप्त गुणोभूत व्यंग्य है।

आर्या व्यञ्जनागत जो काकाक्षिप्त व्यंग्य होता है, उसका उदाहरण नमनलिपित चौपाई है। इस उदाहरण में दोनों की विभिन्नता का पता स्पष्ट चल जायगा।

सुनु दगमुन गचोत प्रधागा।

कयहुं कि नलिनी करइ विहाता ॥ —तुलसी

जब रावण ने जानकी से कहा कि एक बार केवल मेरी ओर प्रेम भरी दृष्टि में देगो तो मंदादरी आदि सभी रात्रियों को तुम्हारी दाम्नी बना दूँ। उसीका उत्तर उद्युक्त चौपाई में है। यहाँ यह वाच्यार्थ है कि ओ दगमुन! सुन, क्या कभी जुगुनु के प्रकाश में कमलिनी गिलनी है? इसका काकाक्षिप्त अर्थ हुआ कि जुगुनु के प्रकाश में कमलिनी का गिलना संभव नहीं। यहाँ तक तो काकाक्षिप्त गुणोभूत व्यंग्य है किन्तु इसमें भिन्न एक दूसरा जो व्यंग्य है कि मैं यदि तेरी ओर देखूँ भी तो तुझे प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मेरी दृष्टि-कमलिनी मूर्ध के प्रकाश में ही गिलनी है, गचोत के प्रकाश में नहीं! राम के दर्शन में चरणों

जो मनोहरता आती है वह तेरे दर्शन से कैसे आयेगी? वह व्यों कि
 ल्यों उदासोन ही बनी रहेगी। इसलिये यह तेरी प्रार्थना निष्फल है।
 तू तुच्छ खद्योत होकर सूर्य की बराबरी न कर। यह व्यंग्य काकाक्षिप्त
 नहीं, काकुत्रैशिष्ट्य से उपन्न काकुभ्वनि है। दोनों का स्पष्ट भेद यह है
 कि जहाँ काकु से घसीटा हुआ विधि का निपेवमात्र या निपेव का
 विधिमात्र प्रतीत होता है वहाँ गुणीभूत व्यंग्य होता है और जहाँ
 इस विधि-निपेव के अतिरिक्त कुछ गूढ़ और सहृदयों के द्वारा ही बोध्य
 मनोरम व्यंग्य निकलता है वहाँ काकुभ्वनि होती है।

काकाक्षिप्त के कुछ उदाहरण ये हैं—

पंचानन के गुह्य द्वार पर रक्षा किसकी ?

किसी की रक्षा नहीं। यह काकु द्वारा आक्षिप्त व्यंग्य है।

नेक कियो न सनेह गुपाल सों देह धरे को कहा फल पायो।

जब गोपाल से कुछ भी नेह का नाता नहीं जोड़ा तो जन्म लेने का
 क्या फल पाया। कुछ भी नहीं। यह काकाक्षिप्त व्यंग्य है।

हैं दससीस मनुज रघुनायक ?

जिनके इन्सान से पायक।

यहाँ काकु से व्यंग्य आक्षिप्त होता है कि राम मनुष्य नहीं,
 देवता है।

असुन्दर व्यंग्य

जहाँ वाच्यार्थ से प्रतीत होनेवाला व्यंग्यार्थ कुछ भी
 मनोहर न हो वहाँ असुन्दर व्यंग्य होता है। जैसे

जिस पर पाले का एक पर्त्त-सा छाया,

इत जिसकी पंकज-पंक्ति अचल-सी काया।

उस सरसी-सी आभारण-रहित सित-बसना,

सिहरे प्रभु माँ को देख, हुई जड़ रसना।—साकेत

यहाँ उपर्युक्त पद्य की प्रथम तीन पंक्तियों द्वारा जो कौशल्या का
 वैभव्य अभिव्यजित होता है, उसमें कोई सौन्दर्य नहीं है, प्रत्युत
 समस्त पद्य का अर्थवित्र उसमें कहीं सुन्दर है। अंतिम पंक्ति के
 'सिहरे' और 'जड़ रसना' के वाच्यार्थ में कौशल्या के वैभव्य का जो
 अत्युल्लेख-हाहाकार निहित है वह तो बहुत ही सुन्दर है। क्योंकि, उसके

कारण भगवान राम जैसे महापुरुष को रसना का जड़ हो जाना और शरीर का सिद्ध उठना सामान्य नहीं ।

बैठी गुरुजन बीच में धुनि मुरली की तान ।

मुरझाते अति अकुलाय उर परे सँकरे प्राण ॥ — प्राचीन

मुरली की तान सुनकर गुरुजनों के बीच बैठी हुई बाला मसोस कर मुरझा जाती है; प्राण संकट में पड़ जाते हैं । यह वाच्यार्थ है । व्यंग्यार्थ है मुरली की तान का संकेत पाकर भी गोपिका का कृष्ण से मिलने के लिये जाने में असमर्थ होना । इसमें व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ कहीं अधिक सुन्दर है ।

ध्वनि के ५१ भेदों में से निम्नलिखित नौ भेद गुणोभूत नहीं होते —
(१) अतःसंभोग वस्तु से अलंकार व्यंग्य और इसके पदगत, वाक्यगत और प्रबंधगत भेद । (२) कवि-प्रीदोक्ति-सिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य—पदगत, वाक्यगत और प्रबंधगत (३) कवि निरुद्ध-पात्र-प्रीदोक्ति सिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य—पदगत, वाक्यगत और प्रबंधगत ।

गुणोभूत व्यंग्य की कोटि में वस्तु से अलंकार व्यंग्य के भेद इस लिये नहीं माने जाते कि वस्तुरूप वाच्यार्थ की अपेक्षा वाच्य अलंकार अधिक चमत्कारक होता है । क्योंकि, वाच्यार्थ को अलंकरण करने के लिये ही तब अलंकार का योजना की जाती है तब जहाँ अलंकार व्यंग्य होगा वहाँ उमड़ा क्या कहना ! उसमें तो और भी चमत्कार पैदा हो जायगा । वह व्यंग्य गौण नहीं हो सकता । इसीलिये गुणोभूत व्यंग्य में आचार्यों ने तत्त्व नौ भेदों की गणना नहीं की है । शेष ४२ ध्वनियों के अमूर्त, पान्यसिद्धयंग आदि आठ गुणोभूत व्यंग्य होते हैं । इस प्रकार गुणोभूत व्यंग्य के शुद्ध ४२ भेद हुए ।

ध्वनि में जिस तरह सजातीय सजातीय का संकर होता है उसी तरह गुणोभूत व्यंग्य में भी संकर होता है । ऐसे ही विजातीय का विजातीय अर्थात् ध्वनि-गुणोभूत आदि का भी संकर होता है ।

ध्वनि के साथ अलंकार का भी मिश्रण होता है । जैसे, 'साधेन' में अमूर्त व्यंग्य का जो ऊपर उदाहरण दिया गया है उसमें पद्य की पंक्तियों में संकर है । उक्त पद्य में कौशल्या का वैश्वय व्यंग्यार्थ है जिसमें वाच्यार्थ ही सुन्दर है । इसलिये वहाँ गुणोभूत व्यंग्य तो है ही । साथ ही कौशल्या का अलंकार भी सुन्दर सुधार द्वारा ही ही समाप्त होता है ।

सरसी से की गयी है। इसलिये उस व्यंग्य का अंग यहाँ उपमालंकार है। अतः यहाँ गुणीभूत व्यंग्य और उपमालंकार का अंगांगी-भाव संकर है। इसी प्रकार अन्यान्य सजातीय, विजातीय मिश्रित असंख्य भेद होते हैं।

बत्तीसवीं किरण

ध्वनि-भेदों की संख्या

ध्वनि के भेदों में संस्कृत के आचार्यों के भिन्न-भिन्न मत हैं जिनसे इनकी संख्या में भी भिन्नता आ जाती है। प्रधानतः ध्वनि के १८ भेद बहु-सम्मत हैं। वे ये हैं—

अविवक्षितवाच्य—१ अर्थान्तर-संक्रमित और २ अत्यन्त-तिरस्कृत।
विवक्षितान्य पर वाच्य—३ असंलक्ष्यक्रम। संलक्ष्यक्रमान्तर्गत (शब्दशक्ति द्वारा) ४ वस्तु से वस्तु ५ वस्तु से अलंकार तथा (अर्थशक्ति द्वारा) (क) स्वतःसंभवी ६ वस्तु से वस्तु ७ वस्तु से अलंकार ८ अलंकार से वस्तु और ९ अलंकार से अलंकार। इसी प्रकार (ख) कवि-प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध के चार भेद १०—१३ और (ग) कवि-निबद्धपात्र-प्रौढोक्ति के चार भेद १४—१७ तक और १८ शब्दार्थोभयशक्यव्युद्भव।

कई मान्य आचार्यों ने इन्हीं अठारह भेदों के उपभेद-स्वरूप ५१ मुख्य भेद माने हैं जो इस प्रकार हैं।

पहले और दूसरे भेद के १ पदगत और २ वाक्यगत होने से दो भेद और हुए। तीसरा १ पदगत २ वाक्यगत ३ प्रबंधगत ४ पदांशगत ५ वर्णगत और ६ रचनागत होने से छः प्रकार का होता है। चौथा और पाँचवा १ पदगत और २ वाक्यगत होने से और दो प्रकार का हुआ। छ से सत्रह तक के बारहों भेदों को जब हम वाक्यगत मान लेते हैं तो उनके पदगत १२ और प्रबंधगत १२ भेद करने से २४ भेद और बढ़ जाते हैं। अब इनका $१८ + २ + ६ + २ + २४ = ५२$ हुआ। १८ भेदों में जो तीसरा असंलक्ष्यक्रम भेद है वह अपने छः भेदों में सम्मिलित है। उस एक को निकाल देने से ५१ भेद हो गये।

‘काव्य-प्रकाश’ में ५१ को मुख्य भेद मानकर ध्वनि के १०४५५ भेद इस प्रकार माने गये हैं। इन ५१ भेदों के एक-दूसरे के साथ मिश्रण करने

अब यहाँ उपर्युक्त शंका को प्रश्रय मिलता है कि क्यों न करुण रस की प्रधानता को लेकर इसे ध्वनि काव्य ही कहा जाय ? अपराङ्ग शृङ्गार को लेकर गुणीभूतव्यंग्य क्यों कहा जाय ? क्योंकि दोनों का इसमें समान प्रसर है ।

इसका सीधा-सा सामाधान यह है कि प्रायः वर्णित विषयों में विभिन्न सजातीय तथा विजातीय काव्य भेदों का संकर और संसृष्टि रहता ही है । अर्थात् ध्वनि और गुणीभूतव्यंग्य में एक का दूसरे के साथ संमिश्रण रहता ही है । पर जहाँ जिसकी प्रधानता रहती है वहाँ उसी का नाम व्यवहार में आता है । अतिशयित चमत्कार को ही प्राधान्य प्राप्त होता है । अतः यहाँ अङ्गो करुण रस की अपेक्षा शृङ्गार रस में ही चमत्काराधिक्य होने के कारण गुणीभूतव्यंग्य ही प्रधान रूप से उल्लेखनीय हुआ ।

यहाँ शृङ्गार को प्राधान्य कैसे है, यह भी समझ लीजिये । इस पद्य में आया हुआ 'यह' तात्कालिक अनुभूयमान दशा का बोधक है । किन्तु, इससे प्रकरण-सापेक्ष करुण रस की सामग्री का संकेत मात्र ही होता है, करुण रस की प्रतीति नहीं होती । क्योंकि, इस पद्य में उसके ज्ञात होने का कोई स्थल साधन नहीं है । इसके विपरीत इस पद्य में आद्यन्त शृङ्गार रस की व्यञ्जक सामग्री की ही भरमार है । इससे इसका व्यंग्य शृङ्गार रस प्रकरणव्यंग्य करुण रस का शृंग होकर अधिक चमत्कारक है ।

दर्पणकार ने गुणीभूत व्यंग्य के व्यवहार के तीन अन्य स्थलों का भी निर्देश किया है । (१) जहाँ दोषक, तुल्ययोगिता आदि अलंकारों के प्रयोग में व्यञ्जित होनेवाला उपमा आदि अलंकार का प्रसङ्ग हो (२) जहाँ व्यंग्य वाचक शब्दों द्वारा स्पष्ट हो जाय अर्थात् व्यंग्य की रमणीयता कम हो जाय (३) जहाँ व्यंग्य रसादि नगर आदि के वर्णन का अङ्ग हो जाय ।

(क) तुल्ययोगिता में गुणीभूत व्यंग्य—

मवे टके सोहत नहीं उपरे होत कुचेस ।

अरध टके छवि पान हैं कवि, आगर, कुच, केस ॥ —प्राचीन

*१ किंच यो दीरक-तुल्ययोगिता-हिपूमायतद्वापो व्यंग्यः स गुणीभूतव्यंग्य एव ।

यत्र च शब्दान्तरादिना गौरवकृतकच्छवस्य विपर्ययः, इत्यादि । —साहित्य दर्पण

कराता। किन्तु व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का उपघात नहीं करता। दोनों का बोध होता है। लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ के बाधित होने पर प्रतीत होता है। किन्तु व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों का आश्रय लेकर भी खड़ा हो सकता है।

कुछ लोग कहते हैं कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ का जन्म भेद लक्ष्तिर नहीं होता, क्योंकि वहाँ या तो वाच्यार्थ की प्रतीति नहीं होती या वाच्यार्थ अप्रधान होकर रहता है, जैसे कि 'गंगा में घर'। तब ऐसी जगह व्यंजना द्वारा उपस्थापित व्यंग्यार्थ के मानने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि 'अविवक्षित-वाच्य ध्वनि यद्यपि लक्ष्यार्थ-सी प्रतीत होती है तथापि वह लक्ष्यार्थ से सर्वथा भिन्न है। क्योंकि लक्षणा के और व्यंजना के व्यापार का क्षेत्र पृथक्-पृथक् है। जहाँ-जहाँ लक्षणा होती है वहाँ सर्वत्र व्यंजना नहीं होती। रूढ़िलक्षणा में व्यंजना का कोई उपयोग नहीं होता। पर, अविवक्षित-वाच्य ध्वनि में प्रयोजनवती लक्षणा होती है। इसलिये प्रयोजन को व्यक्त करने के लिये व्यंजना की आवश्यकता रहती ही है। जहाँ प्रयोजनवती लक्षणा न होकर रूढ़िलक्षणा होती है वहाँ व्यंजना नहीं होती। जैसे 'बिकल सकल रनिवास' इसमें लक्षणा से रनिवास में रहनेवाली व्यक्तियों का बोध तो होता है पर प्रयोजन-शून्य होने से लक्षणा होने पर भी व्यंजना का व्यापार नहीं होता। इसके विपरीत अविवक्षित-वाच्य ध्वनि से काम लेने पर भी प्रयोजन की व्यक्ति लक्षणा द्वारा नहीं होती। लक्षणा केवल अन्वय या तात्पर्य की गड़बड़ों मिटा करके शाब्द-बोध मात्र कराकर कृतकार्य हो जाती है। उससे चमत्कारकारक प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ का बोध नहीं हो सकता। जैसे 'गंगा के किनारे' घर न कहकर 'गंगा में घर' कहने का जो प्रयोजन है पवित्रता और शोचनता की अधिकता का बोधन, यदि वह प्रयोजन न माना गया और धक्का का अभिप्राय सिद्ध नहीं हुआ तो फिर प्रयोजनवती लक्षणा का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। जहाँ लक्षणा में कुछ भी चमत्कार प्रतीत होगा वहाँ व्यंजना का समावेश अवश्य रहेगा। जहाँ ऐसी लक्षणा की जाती है वहाँ यही उद्देश्य रहता है कि जो सहायता से चमत्कार प्रदर्शित किया जाय। अविवक्षितवाच्य लक्षणा का फल नहीं है।

जायगा ! किन्तु नहीं । ध्वनि^१ और गुणीभूतव्यंग्यों में जिसका स्थापान युक्ति-युक्त हो अर्थात् जिसमें चमत्काराधिक्य हो उसी को मानना उचित है । जैसे—

थाह लेना चाहता कभेत ज्यों गगन की,
मन में ही किन्तु रह जाती चाह मन की !
त्यों ही मैं उनकी व्यर्थ थाह लेना चाहता,
मानो पूर्ण पारावार को हूँ अबगाहता ॥—रायकृष्णदास

अर्थ स्पष्ट है । इसमें व्यंग्य है असंभव काम को संभव कर डालने की तत्परता । किन्तु इसमें 'व्यर्थ' शब्द इस व्यञ्जना का वह महत्त्व नष्ट कर देता है । यहाँ किसी भाँति ध्वनि नहीं हो सकती ।

चौतीसवीं किरण

वाच्य, लक्ष्य और अनुमेय से व्यंग्य की भिन्नता

१. व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ नहीं

ध्वनिविरोधियों का कहना है कि प्रकरण आदि के वश से जब शब्द एक ही समय में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों की प्रतीति कराता है फिर वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, यह मानने की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि गीत आदि के शब्द एक साथ ही रस की व्यञ्जना भी करते हैं और वाच्यार्थ की प्रतीति भी कराते हैं, ठीक है । इस बात को हम मानते हैं कि प्रकरणवश ही शब्द विशिष्ट अर्थ की व्यञ्जना करता है और किसी समय यह व्यञ्जकता शब्द-स्वरूप में ही होती है और किसी समय शब्द की वाचकता-शक्ति में । अर्थानुबोध के बिना भी गीतादि के शब्दों से जो लौकिक रस-प्रतीति होती है वह भले ही शब्द और स्वरदि के स्वरूप के कारण हो, पर जहाँ वाच्यार्थ-ज्ञान के अनन्तर व्यंग्य-प्रतीति होती है वहाँ वाच्यार्थ-प्रतीति और व्यंग्य-प्रतीति में योगपक्ष नहीं पौर्वापर्य मानना ही पड़ेगा । यदि वाच्यार्थ-ज्ञान के बिना

१ प्रभेदस्यास्य विषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते ॥

विधातव्या सहृदयैर्न तत्र ध्वनियोजना ॥—ध्वन्यालोक

ही श्र्लोचिक रम-प्रतीति होती तो काव्य सुनते ही सभी को रसास्वाद हो जाता । जो वादी ऐसा कहते हैं कि श्वरादि के साथ गीत के शब्द सुनते ही रसबोध होता है उन्हें भी यह मानना ही पड़ता है कि पहले गीत के शब्द सुन पड़ते हैं तब रसबोध होता है । इससे यह अवश्य मानना पड़ेगा कि शब्द-श्रुति और रसबोध में पूर्वापरत्व का भेद वहाँ भी है । वहाँ यह भेद रहते भी साधारणतः श्रूयमान शब्द-परंपरा के साथ ही साथ वाच्यार्थ का बोध और तद्विरुद्ध रसादि की प्रतीति होती है । निष्कर्ष यह निकला कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का ऐसा योगरथ नहीं होता जो दोनों की अभिन्नता सिद्ध कर दे ।

किसी-किसी का कहना है कि वाच्यार्थ के सहारे ध्वनि काव्य में जो एक दूसरा अर्थ प्रतीत होता है उसको भी वाच्यार्थ ही कहना चाहिये । उस व्यंग्यार्थ मानने से क्या लाभ ? किन्तु, यह ठीक नहीं । कारण, शब्द जिस व्यापार से वाच्यार्थ का बोध कराता है उस व्यापार से व्यंग्यार्थ का बोध नहीं कराता । वाच्यार्थ शब्द के साथ साक्षात् संबद्ध रहता है और व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ द्वारा आक्षिप्त होता है । इससे स्पष्ट है कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रकृति सर्वथा भिन्न है । इन दोनों के विषय भी भिन्न हैं और स्वरूप भी भिन्न । इससे वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों एक नहीं कहे जा सकते ।

वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रतीति एक रीति से नहीं होती । किसी किसी वाक्य से वाच्यार्थ की प्रतीति के समय पहले वाक्य-घटक पदार्थों को उरस्थिति होती है । तदनन्तर आकांक्षादि के वश सं पदार्थों का अन्वय होने पर समुदित वाच्यार्थ का बोध होता है । सारांश यह कि वहाँ अवयवार्थ-प्रतीति-पुरस्सर समुदायार्थ-प्रतीति होती है । पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति इस प्रकार अवयवार्थ का अग्रगहन नहीं करती । वह समुदित वाक्यार्थ से ही निष्पन्न होता है । -

वाच्यार्थ द्वारा व्यंग्यार्थ प्रकाशित होने पर भी वाच्यार्थ अविभक्त रूप में ज्यों का त्यों वर्तमान रहता है । जैसे बत्ती आदि अवयवों से निष्पादित दीपालोक द्रव्य-प्रकाश की अवस्था में निरवयव, अविभक्त या अखण्ड ही प्रतीत होता है, उसके बत्ती आदि अवयव नहीं भासित होते वैसे ही अखण्ड वाक्यार्थ ही व्यंग्यार्थ का बोध कराता है, व्यंग्यार्थ-बोधन-काल में उससे अवयव नहीं भासित होते । यह एक

३. व्यंग्यार्थ अनुमेय नहीं.

वक्ता का अभिप्राय व्यक्त करने के लिये जैसे व्यञ्जक शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाता है वैसे ही उसी शब्द या शब्दों से वक्ता के वक्तव्य का अनुमान भी किया जा सकता है। फिर शब्दगत या अर्थगत व्यञ्जकता को अनुमान छोड़कर और क्या कहा जाय, यह प्रश्न है ? किन्तु विशेष समीक्षा करने पर ध्वनतव्यापार को, जिसे व्यञ्जनाव्यापार या व्यञ्जकता भी कहते हैं, अतिरिक्त मानना ही पड़ेगा; अनुमान में उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकेगा। यों तो सभी लोग किसी न किसी रूप में अनुमान शब्द का प्रयोग करते हैं पर उसके यथार्थ स्वरूप को यहाँ जान लेना आवश्यक है। अनुमान करने के पहले अनुमानकर्त्ता को व्याप्तिज्ञान होना चाहिये। किसी एक व्याप्य वस्तु को दूसरी व्यापक वस्तु के साथ सदा वर्तमान देखकर यह व्याप्तिज्ञान प्राप्त होता है कि जहाँ पहली वस्तु रहती है वहाँ दूसरी वस्तु अवश्य रहती है। जैसे रसोई घर में धुँआँ के साथ आग को देखकर या व्याप्तिमान होता है कि जहाँ-जहाँ धुँआँ रहता है वहाँ-वहाँ आग रहती है। व्याप्तिज्ञान को कार्य-कारण-सम्बन्ध-ज्ञान भी कह सकते हैं। जिसको यह व्याप्तिज्ञान रहता है वह पहाड़ पर धुँआँ देखकर साज ही अनुमान कर लेता है कि यहाँ धुँआँ है, इसलिये आग अवश्य होगी। इस अनुमान के चार अवयव होते हैं। १ पक्ष—जैसे, पर्वत आदि। २ साध्य—जैसे अग्नि आदि। ३ हेतु—जैसे, धूम आदि। ४ शान्त—जैसे, रसोई घर आदि। इन्हीं को लेकर अनुमान होता है।

करता। किन्तु व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का उपघात नहीं करता। दोनों का बोध होता है। लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ के बाधित होने पर प्रतीत होता है। किन्तु व्यंग्याये वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों का आश्रय लेकर भी खड़ा हो सकता है।

कुछ लोग कहते हैं कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ का जब भेद लक्षित नहीं होता, क्योंकि वहाँ या तो वाच्यार्थ की प्रतीति नहीं होती या वाच्यार्थ अप्रधान होकर रहता है, जैसे कि भांगा में घर'। तब ऐसी जगह व्यंजना द्वारा उपस्थापित व्यंग्यार्थ के मानने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि 'अविवक्षित-वाच्य ध्वनि यद्यपि लक्ष्यार्थ-मी प्रतीत होती है तथापि वह लक्ष्यार्थ से सर्वथा भिन्न है। क्योंकि लक्षणा के और व्यंजना के व्यापार का क्षेत्र पृथक् पृथक् है। जहाँ-जहाँ लक्षणा होती है वहाँ सर्वत्र व्यंजना नहीं होती। रुदिलक्षणा में व्यंजना का कोई उपयोग नहीं होता। पर, अविवक्षित-वाच्य ध्वनि में प्रयोजनवती लक्षणा होती है। इसलिये प्रयोजन को व्यक्त करने के लिये व्यंजना की आवश्यकता रहती ही है। जहाँ प्रयोजनवती लक्षणा न होकर रुदिलक्षणा होती है वहाँ व्यंजना नहीं होती। जैसे 'बिकल सकल रत्नवास' इसमें लक्षणा से रत्नवास में रहनेवाले व्यक्तियों का बोध तो होता है पर प्रयोजन-शून्य होने से लक्षणा होने पर भी व्यंजना का व्यापार नहीं होता। इसके विपरीत अविवक्षित-वाच्य ध्वनि से काम लेने पर भी प्रयोजन की व्यक्ति लक्षणा द्वारा नहीं होती। लक्षणा केवल श्रवण या तात्पर्य को गढ़बढ़ी मिटा करके शाब्द-बोध मात्र कराकर कृतकार्य हो जाती है। उसमें चमत्कारकारक प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ का बोध नहीं हो सकता। जैसे 'भांगा के किनारे' घर न कहकर भांगा में घर' कहने का जो प्रयोजन है पवित्रता और शोचलता की अधिकता का द्योतन, यदि वह प्रयोजन न माना गया और घटा का अभिप्राय सिद्ध नहीं हुआ तो फिर प्रयोजनवती लक्षणा का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। जहाँ लक्षणा में कुछ भी चमत्कार प्रतीत होगा वहाँ व्यंजना का समावेश अवश्य रहेगा। जहाँ ऐसी लक्षणा की जाती है वहाँ वही वदे श्य रहना है कि व्यंजना की सहायता से चमत्कार प्रदर्शित किया जाय। अविवक्षितवाच्य ध्वनि केवल लक्षणा का फल नहीं है।

३. व्यंग्यार्थ अनुमेय नहीं

वक्ता का अभिप्राय व्यक्त करने के लिये जैसे व्यञ्जक शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाता है वैसे ही उसी शब्द या शब्दों से वक्ता के वक्तव्य का अनुमान भी किया जा सकता है। फिर शब्दगत या अर्थगत व्यञ्जकता को अनुमान छोड़कर और क्या कहा जाय, यह प्रश्न है ? किन्तु विशेष समीक्षा करने पर ध्वननव्यापार को, जिसे व्यञ्जनाव्यापार वा व्यञ्जकता भी कहते हैं, अतिरिक्त मानना ही पड़ेगा; अनुमान में उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकेगा। यों तो सभी लोग किसी न किसी रूप में अनुमान शब्द का प्रयोग करते हैं पर उसके यथार्थ स्वरूप को यहाँ जान लेना आवश्यक है। अनुमान करने के पहले अनुमानकर्त्ता को व्याप्तिज्ञान होना चाहिये। किसी एक व्याप्य वस्तु को दूसरी व्यापक वस्तु के साथ सदा वर्तमान देखकर वह व्याप्तिज्ञान प्राप्त होता है कि जहाँ पहली वस्तु रहती है वहाँ दूसरी वस्तु अवश्य रहती है। जैसे रसोई घर में धुँआँ के साथ आग को देखकर वह व्याप्तिमान होता है कि जहाँ-जहाँ धुँआँ रहता है वहाँ-वहाँ आग रहती है। व्याप्तिज्ञान को कार्य-कारण-सम्बन्ध-ज्ञान भी कह सकते हैं। जिसको यह व्याप्तिज्ञान रहता है वह पहाड़ पर धुँआँ देखकर सहज ही अनुमान कर लेता है कि यहाँ धुँआँ है, इसलिये आग अवश्य होगी। इस अनुमान के चार अग्रयव होते हैं : १ पक्ष—जैसे, पर्वत आदि। २ साध्य—जैसे अग्नि आदि। ३ हेतु—जैसे, धूम आदि। दृष्टान्त—जैसे, रसोई घर आदि। इन्हीं को लेकर अनुमान होता है।

वक्ता का अभिप्राय अनुमान का विषय हो सकता है। वक्ता दो प्रकार से अपना अभिप्राय प्रकट कर सकता है। एक प्रसिद्धार्थक वाचक शब्दों के प्रयोग द्वारा और दूसरे गूढार्थक व्यञ्जक शब्दों के प्रयोग द्वारा। पहले ढंग के प्रयोग से जो अभिप्राय प्रकट होगा वह तो सर्वसुलभ है; किन्तु दूसरे ढंग के प्रयोग से जिन प्रकार का अभिप्राय प्रकाशित किया जाता है वह सर्वसुलभ नहीं। पहले प्रकार के शब्दों का प्रयोग होने पर, जिसको प्रयुक्त शब्द और उसके अर्थ का सम्बन्ध-ज्ञान है, वह वक्ता के अभिप्राय का अनुमान कर सकता है। पर, प्रयुक्त जिन विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट अर्थ के साथ नित्य सम्बन्ध है ही नहीं, उनको देख-सुनकर वक्ता के अभिप्राय का अनुमान हो ही नहीं सकता।

वक्ता की बाह्य चेष्टाओं से भले ही कोई कुछ मतलब लगाया करे, पर उन विशिष्ट शब्दों के विशिष्ट अर्थाश्रित अभिप्राय का अनुमान कभी ठीक नहीं उतरेगा, उसमें कोर-कसर रह ही जायगी। इससे व्यंग्यार्थ और अनुमान एक नहीं हो सकता।

महिमभट्ट जो यह कहते हैं कि शब्द हेतु है और व्यंग्यार्थ साध्य। हेतु और साध्य का जैसा अधिनाभाव संबंध अन्यत्र होता है वैसा ही सम्बन्ध व्यञ्जक और व्यंग्यार्थ का भी है। फिर व्यंग्यार्थ को अनुमेय क्यों नहीं मान सकते? उनका यह कथन प्रायः नहीं है। क्योंकि, व्यंग्यार्थ अनुमेय नहीं हो सकता। नीचे के उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

नदी ध्वनि बड़ बेलटक भ्रमो भगत महराज ।

नदी कुल बन रहत जो सिंद दस्यो तेहि आज ॥

इस पद्य की पहले व्याख्या हो चुकी है। निषेध इसका व्यंग्यार्थ है। महिमभट्ट इस निषेध का अनुमान यों करते हैं। यहाँ सिंह के प्रकट होने की सूचना धुर के ऐसा हेतु है और निषेध अग्नि के ऐसा साध्य है। पर यह अनुमान ठीक नहीं। यहाँ हेतु संदिग्ध है। या तो हेतु और साध्य का व्याप्तिग्रह प्रत्यक्षसिद्ध होना चाहिये या किसी प्रामाणिक द्वारा उपदिष्ट। यहाँ दोनों में से एक भी नहीं। सिंह के आने की सूचना जो हेतुरूप में गृहीत है वह किसी आप्त के द्वारा उपदिष्ट नहीं है। संभव है कहने वाली कुलटा हो जो इस भूठी बात से अपनी नवलप गोंटना चाहती हो। अतः उसका कहना प्रमाण नहीं माना जा सकता। इससे इसे हेतु न कहकर हेत्याभास कहेंगे। तब इससे साध्यसिद्धि दुष्कर है। एक घात और वक्ता का कुलटा होना अनुमान के तो प्रतिकूल है, पर निषेध की व्यंजना के अनुकूल। अतः वक्ता विशिष्ट भी दोनों का विषयविभाग ही सिद्ध करता है। दूसरे, भय रहते भी गुरु या प्रभु की आज्ञा से, या उच्छ्रित प्रेम से या ऐसे ही अन्यान्य कारणों से भय-स्थान में भी जाया जा सकता है। ऐसे भी जोग हैं जो कुत्ते से तो डरते हैं पर सिंह से नहीं डरते। इससे यह हेतु अत्रैकान्तिक या व्यभिचारी है। साध्य 'निषेध' के अभाव-रूप 'विधि' से व्याप्त होने के कारण वक्त हेतु विरुद्ध भी है। इस प्रकार यहाँ धूर्मान के समान साहचर्य का नियम न रहने से व्याप्तिज्ञान नहीं बनता। इस कारण यहाँ अनुमान से काम नहीं चल सकता।

अर्थप्राण है। शब्दरूपी शरीर की श्री अथरूपी प्राण में है। अर्थ से विरहित शब्द अश्रीलतनू होता है। अश्रील ही अश्लील है। शब्द के पचड़े में विषय हमें अपनी ओर खींचते हैं, अश्लील रहते हैं। अर्थ का जीवन में जितना साक्षात् अवतार होता है उतना ही हम श्रीयुक्त होकर सुसंस्कृत और सम्प्रांत बनते हैं। अर्थशब्द का सिर है, केवल शब्द कथन्ध है। सिर में श्री निवास करती है। शरीर में सौन्दर्य का प्रतीक सिर है। शब्द में आकर्षण का हेतु अर्थ है। अपने कर्म और संस्कारों से मनुष्य ने विश्व के पुच्छल सौंदर्य में जो भाग पाया है, उस आ का निवास सिर में रहता है। शब्द को भी कल्याण-साधन का जो चरदान मिला है उसका स्रोत अर्थ में है। शब्द कमल की भाँति उमंगते हुए सौंदर्य से सुहावना लगता है, पर अर्थ उस पद्मनाल के भीतर का संचारी जीवनरस है। पद्मदल के शतदलों पर जो श्री विहार करती है, उस इन्दिरा का निवास तो वस्तुतः वहाँ है जहाँ इन्दीवर के गुल सस स्रोतों में रस का अजस्र प्रवाह है। शब्द का माधुर्य आनन्द होता है पर काव्य में रस का मधुमय सोता तो उस अर्थ में है जिसके साथ शब्द हमारा परिचय करा देता है।

अर्थ कहाँ है ? क्या अर्थ के साथ जीवन में हमारा कभी परिचय हो सका है ? अर्थ अव्यक्त भाव है सही, पर है नितान्त सत्य। वह कहाँ नहीं है ? क्या अर्थ की संप्राप्ति के लिये हमारा हृदय आंदोलित होता है ? ब्रह्मचर्य, तप इन शब्दों का मूर्त रूप क्या सहस्र बार भी हमने नहीं देखा है ? पर इन शब्दों के पीछे जो अर्थ है उसके साथ हमारा कितनी बार संपर्क हुआ है ? ब्रह्मचर्य किस स्थिति का नाम है, क्या हमें एक बार भी उस आनन्द से गद्गद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ? अर्थ में जो मिठास, जो अमृत, जैसा स्वाद है उसको चखे बिना शब्द के चाहने से भाँ क्या होगा ? शब्दों से भरा हुआ यह महान् आकाश है। सत्य-धर्म-तप ब्रह्मचर्य-दीक्षा—ज्ञान-कर्म प्राण,कैसे-कैसे अतमोल शब्द इस गम्भीर प्रदेश में भरे हैं। विचित्र महिमा है कि हम जब चाहते हैं इन शब्दों का आवाहन कर लेते हैं। शब्दों के पीछे उनकी व्यजना से समवेत अर्थ का महान् अर्णव है। शब्द और अर्थ में सरस्वती के दो बड़े फव्वारे हैं। शब्द वाक् है और अर्थ मन है। शब्द और अर्थ के बीच जब प्राण का मेरुदण्ड जुड़ता है तभी जीवन में कर्म के द्वारा अर्थ की तहें खुलने लगती हैं। शब्द के अध्ययन का फल अर्थ का ज्ञान है। अध्ययन का व्रत लेकर भी जिसने अर्थ को नहीं जाना, या जानने की सचाई से कभी प्रयत्न नहीं किया, या प्रयत्न करता

साहित्य-शास्त्रज्ञ पंडित रामदहिन मिश्र लिखित

पाँच अनमोल ग्रन्थ

काव्यदर्पण

साहित्य-शास्त्र के सभी अंगों के सांगोपांग विवरण के लिए इससे उपयोगी ग्रन्थ हिन्दी में नहीं है। इसमें साहित्य-शास्त्र के सभी प्राचीन एवं अर्वाचीन विषयों का सुबोध शैली में प्रतिपाद किया गया है। विषय स्पष्ट करने के उदाहरण नवीन कवियों की रचनाओं से हैं। आधुनिक साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त ही उपयोगी पुस्तक के मूलाधार संस्कृत आचार्यों के आकर ग्रन्थ ही हैं, यद्यपि पाश्चात्य समीक्षा से पूरा लाभ उठाया गया है। अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा एम० ए० के लिए स्वीकृत। मूल्य १०)

काव्यालोक—२

अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और ध्वनि—उक्त अर्थ शक्तियों का सरल विवेचन। शब्द और अर्थ का यथातथ्य मूल्यांकन। प्रयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालयों की एम० ए० और साहित्य-सम्मेलन की 'साहित्यरत्न' परीक्षाओं में स्वीकृत। मूल्य ५)

काव्य में अप्रस्तुतयोजना

इसमें अप्रस्तुतयोजना, काव्य, भाषा, अप्रस्तुतयोजना का विचार, उपमान-विवेचन और उपमा-विचार नामक पाँच रूप हैं और इन रूपों में सैकड़ों रंग हैं, जिनसे अप्रस्तुतयोजना का चित्र प्रस्तुत हुआ है। अप्रस्तुतयोजना के संबंध में सारी ज्ञातव्य बातों का नवीन उदाहरणों के साथ सार्थक विवेचन है। मूल्य ५)

काव्यशास्त्र की भूमिका

नाम से ही विषय प्रकट है। साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तक। मूल्य १)

काव्यालोक—१

इसमें साहित्य, काव्य, लक्षण, कारण, काव्य और कला का उद्देश्य, काव्य की आत्मा, भेद, काव्य और भाषा आदि, रसवाद आदि सात प्राचीन और प्रगतिवाद आदि अनेक आधुनिक सम्प्रदायों का वर्णन तथा काव्य संबंधी अन्यान्य ज्ञातव्य विषय हैं। पुस्तक छप रही है। मूल्य ५)

ग्रन्थ मा ला - का र्पा ल य, प ट ना ४